# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4]  तेरहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का उन्नीसवां दिवस  [संख्या : 9

**शुक्रवार;**

**12 मार्च, 2010**

**राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे**
**राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।**

**(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)**

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री अध्यक्ष**: श्री निर्मल कुमावत।

### फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

**109. श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जयपुर में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं? उक्त केन्द्रों में कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्त हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में जहां आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं हैं, उन स्थानों पर नये आंगनबाड़ी केन्द्र चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवनविहीन हैं? क्या सरकार भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री** (श्री भरत सिंह कुन्दनपुर) (श्रीमती बीना काक) (महिला एवं बाल विकास मंत्री) के स्थान पर (1) जिला जयपुर की कुल 20 बाल विकास परियोजनाओं में 3997 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

200 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं तथा 3271 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 135 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में 219 आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं, उक्त केन्द्रों में से 209 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यकर्ता नियुक्त हैं तथा 10 कार्यकर्ताओं के पद रिक्त हैं।

जी हां। राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों को भरने के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन हेतु पंचायती राज विभाग की ओर से 24.02.2010 को दिशा-निर्देश प्रसारित किये जो चुके हैं। शहरी क्षेत्र में नगरपालिका चयन समिति के माध्यम से बैठक आयोजित करवाकर पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ग्राम सभाओं से योग्य महिलाओं के प्रस्ताव प्राप्त होने पर चयनित महिलाओं के प्रशिक्षण उपरान्त चयन आदेश प्रसारित किये जा सकेंगे।

(3) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप आंगनबाड़ी सेवाओं से वंचित स्थानों पर आंगनबाड़ी सेवाएं प्रदान करने के लिए 65 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति जारी की गई है। इन नवीन केन्द्रों को प्रारम्भ करने के लिए बिन्दु संख्या 2 में उल्लेखित प्रक्रियानुसार कार्यकर्ता/सहायिकाओं के चयन पश्चात् आंगनबाड़ी केन्द्र चालू करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(4) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में कोई आंगनबाड़ी केन्द्र भवनविहीन नहीं है। क्षेत्र में 58 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में चल रहे हैं। राज्य में किराये के भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों को राजकीय भवनों में स्थानान्तरित करने की दृष्टि से केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्ष उपलब्ध कराकर स्थनान्तरित करने के आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हैं तथा उपलब्धतानुसार केन्द्र स्थनान्तरित करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। इसके साथ ही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार आंगनबाड़ी भवन निर्माण करवाये जा रहे हैं। इस क्रम में नाबार्ड के वित्त पोषण से आगामी वर्षो में 1140 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भवन निर्माण कराये जाने की कार्य-योजना तैयार की गई है।

**श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि वर्ष 2009-10 में राज्य सरकार द्वारा

(श्री निर्मल कुमावत)

कितने आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कितने मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित किये जाने के प्रस्ताव लिये गये थे बजट में और उनमें से अभी तक कितने स्थापित किये जा चुके हैं? दूसरा, विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में जब दस आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पद हैं, मैं जानना चाहूंगा कि बजट में आपने कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की घोषणा की थी वर्ष 2009-10 में? उनमें से आपने अब तक कितने भर्ती कर लिये? बजट में जुलाई, 2009 में आपने घोषणा की थी कि 16600 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्त किये जाएंगे। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आप 24.02.2010 को आदेश दे रहे हैं कि दस कार्यकर्ता भर्ती कर लिए जाएं। तो पूरे राज्य के क्या हालात होंगे, ये मैं नहीं जानता। अध्यक्ष महोदय, तीसरा मेरा निवेदन है, खण्ड संख्या 3 में आपने बताया कि 65 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाएंगे, इनकी स्वीकृति कब जारी की गयी, कौन से वर्ष में ये खोले जाएंगे? इस वर्ष खुल जाएंगे या अगले वर्ष में खुलेंगे, इसका भी मुझे ब्यौरा दें। बजट 2009-10 में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों को स्कूल शिक्षा से जोड़ने के लिए प्राथमिक विद्यालयों में एक-एक अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा, क्या वित्त वर्ष 2010-11 में ये सुविधा चालू हो जाएगी या नहीं, मंत्रीजी इसका भी जबाव दें? (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): सदन शून्य नहीं रहता है।

**श्री अध्यक्ष**: आप कहां रहने देते हो? शून्य नहीं है।

**श्री भरत सिंह कुन्दनपुर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वर्ष 2009-10 में 6543 Anganwaris were to be recruited. 3523 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र चालू करने थे, रिक्रूटमेंट्स अब किये जाएंगे। 6513 आंगनबाड़ी केन्द्र और 3523 मिनी केन्द्रों का कार्य अब प्रारम्भ किया जाएगा।

**श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा): इसी वित्तीय वर्ष में हो जाएगा, मार्च तक?

**श्री भरत सिंह कुन्दनपुर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ये आरम्भ किये जा रहे हैं। इसकी चयन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है।

**श्री अध्यक्ष**: श्री रामनारायण मीणा।

**श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कितने भर्ती किये हैं, यही मैंने जानकारी चाही। 16600 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, अभी कितने भर्ती कर लिये गये हैं?

**श्री भरत सिंह कुन्दनपुर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है, इसके आदेश निकाल दिये हैं और अप्रैल में चालू हो जाएंगे।

**श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा): और नवीन कमरों की बात जो की है कि स्कूलों से जोड़ा जाएगा, अतिरिक्त भवन बनाये जाएंगे, बजट में क्या प्रावधान है?

**श्री अध्यक्ष**: बैठिए-बैठिए। हो गया।

**श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मेरा जबाव ही नहीं आया। अभी तक नवीन भवनों का बजट में कहीं उल्लेख ही नहीं है, आपने ऐसे ही घोषणा कर दी बजट में। अध्यक्ष महोदय, जबाव दिलवाइये मेरा।

**श्री अध्यक्ष**: आपको जबाव दे दिया। आपका उद्देश्य पूरा हो गया। श्री रामनारायण मीणा।

## टोंक व बूंदी जिले में वन अधिकार समितियों का गठन

**110. श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त बाबत् अब तक क्या-क्या कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बाबत् अब तक कितने दावे फाइल किये जा चुके हैं तथा कितने दावे फाइल किये जाने से अवशेष रह गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम बड़ौली, संग्रामपुरा, कनवाड़ा जिला टौंक तथा ग्राम कनकपुरा (नैनवां) जिला बूंदी में वन अधिकार समितियों का गठन नहीं किया जा सका है? यदि हां, तो अब उक्त स्थानों के लिए उक्त समितियों का गठन कब तक करवा दिया जाएगा?

(4) क्या राज्य में उक्त अधिनियम के तहत टाइटल अधिकार पत्र वितरित किये जा चुके हैं? यदि हां, तो कितने एवं कितने वितरण के लिए तैयार हैं तथा कितने टाइटल तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने बाबत्

(श्री रामनारायण मीणा)

निर्धारित समय सीमा समाप्त हो गई है? यदि हां, तो किस तारीख को तथा आगे इसे बढ़ाये जाने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? आदेश एवं परिपत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

**सहकारिता मंत्री** (श्री परसादी लाल) (श्री महेन्द्र जीत सिंह) (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री के स्थान पर): (1) जी हां। ये सही है कि राज्य में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस नियम के अन्तर्गत ग्राम सभाओं द्वारा दावे प्राप्त किये जाकर.....

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, ये वन विभाग का प्रश्न है।

**श्री परसादीलाल** (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय की अनुमति से पढ़ रहा हूं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): अनुमति से तो ठीक है लेकिन वन मंत्रीजी उपस्थित हैं सदन में।

**श्री परसादीलाल** (सहकारिता मंत्री): बीमार हैं, छुट्टी ले रखी है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): उपस्थित हैं।

**श्री परसादीलाल** (सहकारिता मंत्री): जनजाति का है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): वन लिखा है इसमें।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): यह जनजाति का नहीं है, फोरेस्ट लैण्ड में कब्जे हैं। कब्जेधारी लोग जनजाति के लोग हैं लेकिन पट्टे जो आप दे रहे हैं, ये फोरेस्ट देगा। जनजाति के लोगों को, वहां रहने वाले लोगों को वास्तव में पट्टे देने का काम है वह तो फोरेस्ट का है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, आप देखिए। यह भारत सरकार की स्कीम जिसके अन्तर्गत वन भूमि पर आदिवासियों का कब्जा है, उनको पट्टा देने का काम जनजाति विभाग नहीं करेगा। और वन मंत्रीजी यहां पर उपस्थित हैं इसलिए इसका जबाव वन मत्रीजी देंगे।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): आसन से जो व्यवस्था हो गयी है, उस व्यवस्था का अनुसरण करें।

**श्री परसादीलाल** (सहकारिता मंत्री): सवाल हमारे विभाग को भेजा है। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): वन मंत्रीजी यहां उपस्थित हैं, वन विभाग का प्रश्न है और मंत्री जब उपस्थित हों तब दूसरे माननीय मंत्री जबाव दें, ये सम्भव नहीं है।

**श्री अशोक गहलोत** (मुख्य मंत्री): उप नेता महोदय, प्रतिपक्ष सीनियर सदस्य हैं, सदन के, जब प्रश्न ही सचिवालय से जनजाति क्षेत्रीय विकास के नाम आया है तो उसके बाद कोई आब्जेक्शन करने की बात नहीं होनी चाहिए।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): एक्चुअल में जबाव तो जो वन विभाग है, वन विभाग ही पट्टे जारी करता है, वन विभाग ही पट्टे देगा। वन मंत्रीजी उपस्थित हैं, वन मंत्रीजी से बात कराइये।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): आसन की ओर से जो व्यवस्था आ गयी है, माननीय उप नेता प्रतिपक्ष महोदय, उसके अनुसार जबाव की व्यवस्था है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): स्थगित कर दें। अध्यक्ष महोदय, स्थगित करके वन मंत्रीजी से बात करें। अगर एक बार परम्परा पड़ गयी, सदन में वन मंत्रीजी उपस्थित हैं, इनकी उपस्थिति में...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: अध्यक्ष महोदय, यह ट्राइबल सब प्लान एरिया का मामला है। टी एस पी एरिये के हिसाब से.... (व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): रामनारायणजी मीणा ने पूछा है जनजाति मंत्रीजी से, जनजाति मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे ...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: टी.एस.पी. एरिया के हिसाब से ...(व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): प्रश्नकर्ता ने पूछा ही जनजाति मंत्रीजी से है। मुख्य मंत्रीजी ने बता दिया इसके बाद बचा नहीं। (व्यवधान) बचा क्या है?

**एक माननीय सदस्य**: यह ट्राइबल सब प्लान एरिये का मामला है, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): यह जनजाति क्षेत्र विकास मंत्रीजी ...(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): वन विभाग लिखा है ...(व्यवधान) वन लिखा है।

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): वन लिखा हुआ है। वन विभाग लिखा है, जनजाति विभाग नहीं लिखा है। प्रश्न पढ़ लें, वन लिखा हुआ है तो वन विभाग ही देगा। (व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): आप उस पर जा रहे हैं, प्रश्न पर जाएं। (व्यवधान)

**श्री परसादीलाल** (सहकारिता मंत्री): इनको वन विभाग की जगह नोडल विभाग जनजाति विभाग ...(व्यवधान) सम्बन्धित हूं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा समझने की बात है, इस समस्या से ...(व्यवधान)

**श्री परसादीलाल** (सहकारिता मंत्री): जवाब दे रहे हैं न हम तो ... (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): कारण क्या है कि जो हमारे फोरेस्ट में आदिवासी लोग बसे हुए हैं, पीढ़ियों से जो वहां पर कब्जा करके अपनी खेती कर रहे हैं, मकान और कुएं बना दिये, 1981 से जब से फोरेस्ट लैंड वो सारा का सारा केन्द्र के पास यह चला गया तो राजस्थान सरकार की ये हैसियत नहीं रही कि उनको अधिकार पत्र दे सके। इस समस्या के लिए हमने बार-बार दिल्ली में आग्रह किया कि हजारों लोग बसे हुए हैं, उनको पट्टे मिलेंगे तभी जाकर समस्या का हल होगा। तो 2006 में दिल्ली ने कानून पास किया। यह वास्तव में समस्या आपकी नहीं है, यह फोरेस्ट लैंड की समस्या थी और लगातार पिछले 30 सालों से थी जब से यह लैंड ट्रांसफर हो गयी केन्द्र सरकार को, केन्द्र के फोरेस्ट में चली गयीं, 1981 से पहले राज्य के फोरेस्ट के पास थी, फिर इस जमीन का अधिकार जाने से पट्टा देना हमारे अधिकार में नहीं रहा।

हमने बार-बार केन्द्र से प्रयास किया और केन्द्र ने इस कानून को केवल अपने लिए नहीं बाकी राज्यों के लिए भी बदला कि फोरेस्ट लैंड में जो लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं उनको पट्टा मिले। तब यह 2006 का एक्ट पास हुआ।

**श्री परसादीलाल** (सहकारिता मंत्री): नोडल विभाग चेंज हो गया, आपको जानकारी नहीं है। चेंज हो गया नोडल विभाग। (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): तो वास्तव में जवाब तो फोरेस्ट देगा, यह जमीन तो आपकी है, कब्जे में जरूर उस आदिवासी की है।

**श्री परसादीलाल** (सहकारिता मंत्री): एक मिनट।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मूल प्रश्न लिखा है प्रश्न संख्या 799-वन ... (व्यवधान)

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): वन लिखा है ...(व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। आगे बोलो न। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपके सचिवालय ने 799-वन करके वन विभाग को भेजा था।

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आगे पढ़ो।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): वन मंत्रीजी उपस्थित हैं, वन से सम्बन्धित सारा मामला है, आदिवासियों से सम्बन्धित मामला है, नोडल एजेंसी वन विभाग है।

**श्री परसादीलाल** (सहकारिता मंत्री): एक मिनट। मैं आपको निवेदन करूं...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): इसका मतलब सरकार आदिवासियों के साथ अन्याय करना चाहती है, गोलमोल जवाब देना चाहती है।

**श्री परसादीलाल** (सहकारिता मंत्री): आप सुनिये तो सही न।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): यह नहीं हों तब दें, इनको बाहर भेजो।

**श्री परसादीलाल** (सहकारिता मंत्री): आपको निवेदन करूं, एक मिनट सुनिये तो सही आप। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): उनको रोको, बड़े आदमी हो। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): यह वन है। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों मंत्री दे सकते हैं, मैं दोनों से सवाल पूछ लूंगा। आप तो निर्णय कर दीजिए सक्षम कौन है इन दोनों में, उसी को मंत्री रख लूंगा। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: सक्षम कौन है?

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): मेरे को तो सवाल का जवाब चाहिए। मुझे तो सवाल का जवाब चाहिए, स्थगन नहीं चाहिए।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये।

यह प्रश्न मूल रूप से, इसमें दो राय नहीं है कि वन विभाग से पूछा गया था। बात तो सुनिये पहले आप। कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर की ओर से एक पत्र निकला है:- 'विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 799/वन द्वारा श्री रामनारायण मीणा, विधायक महोदय', इसमें इन्होंने लिखा है:- 'महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत विधान सभा सचिवालय के पत्र संख्या क्रमांक 731/सत्र-4/प्र.शा./वि.स./2010 दिनांक 17.02.2010 से प्राप्त प्रश्न संख्या 799-वन द्वारा श्री रामनारायण मीणा- अनुसूचित जाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत टाइटल अधिकार पत्र जाने के सम्बन्ध में जनजाति क्षेत्र विकास विभाग नोडल विभाग है', इसलिए वन विभाग ने नोडल विभाग को स्थानान्तरित किया है।

**श्री परसादीलाल** (सहकारिता मंत्री): ये रहा नोडल विभाग का, नोडल विभाग जनजाति विभाग को बना दिया।

**श्री अध्यक्ष**: नोडल विभाग को वन विभाग ने ट्रांसफर कर दिया इसलिए वन मंत्रीजी उत्तर नहीं देकर जनजातीय क्षेत्रीय मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं। (व्यवधान)

प्रश्न लगा है, उसको ट्रांसफर कर दिया, नोडल विभाग वो है इसलिए उत्तर देने खड़े हुए हैं। और दूसरी चीज, सरकार की तरफ से तो कोई भी उत्तर दे सकता है, इसमें कोई एतराज वाली बात नहीं है। इसलिए अगर मंत्रीजी उत्तर देते हैं तो आप उत्तर सुन कर संतुष्ट नहीं हों तो अलग बात है। अगर सारा जवाब मंत्रीजी दे देते हैं आपको तो उसमें आपको क्या एतराज है? मंत्रीजी। (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): एक मिनट, आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं। यह जो जमीन है, जिस पर इनका अधिकार है, जनजाति के लोगों का, पिछली कई पीढ़ियों से, वो अधिकार की जमीन है फोरेस्ट की, यह अधिकार कोई अगर देगा तो फोरेस्ट ही उनको दे सकता है। जनजाति अगर देना चाहती तो बीस साल पहले ही दे देती। फोरेस्ट के कारण से नहीं दे पाये हम लोग, हमारी सरकार की मंशा होते हुए भी हम नहीं दे पाये। तो यह जो जमीन का अधिकार है वो तो फोरेस्ट का है, फोरेस्ट अपने अधिकार में से ये जमीन जब निकालेगा तभी तो जाकर इसके पट्टे मिलेंगे, बाकी पट्टे कहां से मिलेंगे? अभी जनजाति चाहेगी, आप चाहे जिसको पट्टे दे दो, दे देंगे क्या? दे नहीं सकते आप। कैसे दे देंगे?

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): जवाब में कोई विसंगति हो तो पूछा जाए।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): आपके अधिकार का नहीं है, आप कैसे जमीन दे दोगे?

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): मूल प्रश्नकर्ता को कोई आपत्ति नहीं, जवाब मंत्रीजी का आने दे नहीं रहे ...(व्यवधान) बार-बार कह रहे हैं, स्थगित करो।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, आप बैठिये। जो लिस्ट है आगे, इसका निस्तारण जो दावों का किया वो वन विभाग ने किया है। दावों का निस्तारण जनजाति विभाग ने नहीं किया है, दावों का निस्तारण वन विभाग ने किया है। इसलिए सबसे पहले तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, वन विभाग के अधिकारियों पर कार्यवाही होनी चाहिए जिन्होंने सदन के सचिवालय को गलत सूचित किया है।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): आपकी व्यवस्था आ चुकी है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): यह देखना चाहिए, कम से कम इस बात को देखना चाहिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप खुद देखें, देख कर इस प्रश्न को स्थगित करें। भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना थी, इस योजना के अन्तर्गत यह काम हुआ है, वन विभाग ने निस्तारण किया है सारा का सारा। इसलिए मैं चाहूंगा, आपसे विनम्र प्रार्थना है, इस विषय पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होगी, आप इसको स्थगित कर वन विभाग से इसका जवाब दिलाएं। इसके दावे निस्तारण, खारिज क्यों किये, वन विभाग बताएगा। 30 हजार दावे खारिज किये हैं, क्यों किये हैं?

**श्री अध्यक्ष**: पर ये बता रहे हैं वो तो।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): ये नहीं बता सकते। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: अगर यह आपके प्रश्न का जवाब दे देते हैं, इन्होंने पूरी तैयारी की है...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): इनके अधिकार में ही नहीं है न, साहब, आपने भी वन विभाग लिखा है।

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, हमने तो वन को भेजा था।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): आपने वन को भेजा था।

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, फिर इनको ट्रांसफर...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): फिर जनजाति को आया तो आप यहां पर जनजाति लिख देते, आपने फिर वन लिखा है। आपके वन मंत्री उपस्थित हैं, सदन का नियम है कि उपस्थिति में कोई दूसरा मंत्री जवाब नहीं दे सकता है।

**श्री परसादीलाल** (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उप नेता महोदय, एक मिनट, उप नेता महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): सरकार तो स्ट्रैस में है।

**श्री परसादीलाल** (सहकारिता मंत्री): आप सुनिये। आपने पट्टा देखा है कि नहीं देखा है?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): कल शांति धारीवालजी ने कह दिया कि सरकार तो स्ट्रैस में है, दबाव में है सरकार तो।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): बिलकुल नहीं कहा, बिलकुल गलत है। आप गलत बोल रहे हो, मैंने ये नहीं कहा।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): आपने कहा है कल सारा का सारा।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): मैंने ये कहा, भाषण देते वक्त कई बार आदमी स्ट्रैस में आ जाता है, आप भी आ जाते हैं।

**श्री अध्यक्ष**: अच्छा, दबाव में लेने की कोशिश कौन कर रहा है सरकार को? आप कर रहे हो? (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका करो आप, इसको स्थगित करो।

**श्री परसादीलाल** (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड एक।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): एक सैकिण्ड। कृपा करके एक मिनट।

**श्री परसादीलाल** (सहकारिता मंत्री): कटारियाजी, एक मिनट मेरी सुन लें आप।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): एक मिनट। मेरी बात को समझने की कोशिश करें।

**श्री परसादीलाल** (सहकारिता मंत्री): इस सम्बन्ध में मेरी सुन लें आप। पहले मेरी सुन लें एक बार ...(व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): इसमें सवाल खड़ा होगा। आपने 59 हजार में से 30 हजार दावे खारिज किये। 59 हजार ...(व्यवधान) उसमें से 30 हजार दावे खारिज किये।

**श्री परसादीलाल** (सहकारिता मंत्री): गुमराह कर रहे हो आप। नो, नो। (व्यवधान) फोरेस्ट का कोई लेना-देना नहीं, नोडल एजेंसी जनजाति विभाग है। (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): यह जनजाति विकास कैसे खारिज कर सकता है? ये सारे खारिज किये। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मूल प्रश्नकर्ता को कोई आपत्ति नहीं, बार-बार एक-दो बड़े नेता खड़े हो जाते हैं, कहते हैं, स्थगित करो।...(व्यवधान) आपने व्यवस्था दे दी ...(व्यवधान)

**श्री रामकेश** (संसदीय सचिव): आप जवाब तो आने दें। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): मूल प्रश्नकर्ता को कोई आपत्ति नहीं, मंत्रीजी इसका जवाब दे रहे हैं, मंत्रीजी को बोलने क्यों नहीं दे रहे? (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): आप यह कह रहे हो कि 59 हजार जो लोगों ने दावे पेश किये थे ...(व्यवधान) उनमें से 30 हजार दावा खारिज किये। 30 हजार दावे खारिज करने वाला विभाग ...(व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): आप मंत्रीजी का जवाब तो सुनो ...(व्यवधान)

**श्री रामकेश** (संसदीय सचिव): आप बार-बार खड़े हो जाते हो, जवाब क्यों नहीं सुनते? (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: आप जनजाति के लोगों के खिलाफ हैं क्या? (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): आप सब खड़े हो जाओ तो मुझे नहीं दबा सकते हो। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्त्तौड़गढ़): मूल प्रश्नकर्ता को कोई आपत्ति नहीं ...(व्यवधान) आप जवाब सुनिये शांति से। (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): मैं आपको सही कह रहा हूं, यह 30 हजार दावे खारिज करने वाला विभाग कौन है? पहले यह बता दो।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, विराज जाएं। (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): ये 30 हजार दावे खारिज किसने किये? (व्यवधान)

**श्री परसादीलाल** (सहकारिता मंत्री): आप सुनिये तो सही मेरी ... (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: ये वनवासियों का भला नहीं चाहते ... (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): दावा खारिज करने वाला विभाग ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, कृपया विराजो। कृपया आप विराजें। मंत्रीजी, विराजें। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विषय को टालना चाहते हैं।

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): सरकार का काबिल मंत्री जवाब दे रहा है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आप विराजिये। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सदन को आर्डर में लेकर आओ, ये वनवासियों का भला नहीं चाहते (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आप बैठिये। चित्तौड़गढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करिये, आप बहुत सीनियर सदस्य हैं। माननीय मंत्रीजी, विराजिये। आप विराजिये।

ऐसा है, जब विभाग ने ट्रांसफर कर दिया और मंत्रीजी जवाब देने खड़े हैं आपकी उपस्थिति के सामने, यदि मंत्रीजी के जवाब से, मैं सप्लीमेंट्री आपसे पुछवाऊंगा, यदि आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे, मंत्रीजी संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे यदि इनके जवाब से आप संतुष्ट नहीं होते हैं, मंत्रीजी आपको संतुष्ट नहीं करते हैं और मैं संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा तो निश्चित रूप से आगे उस पर विचार कर दूंगा, एक बार जवाब देने दीजिए।

**श्री परसादीलाल** (सहकारिता मंत्री): (1) जी हां। यह सही है कि राज्य में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम सभाओं द्वारा दावे प्राप्त किये जाकर

(श्री परसादीलाल)

नियमानुसार उप खण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों द्वारा दावों का निस्तारण किया जा रहा है। अब तक कुल 59900 दावे प्राप्त हुए जिसमें से 58748 दावों का निस्तारण किया जा चुका है। जिसमें 28719 स्वीकृत कर 14277 दावों में अधिकार पत्र वितरित किये गये हैं।

(2) उक्त बाबत् अब तक 58748 दावों का निस्तारण किया जा चुका है। 1152 दावों का निस्तारण शेष है। दावों की जिलेवार स्थिति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) ग्राम पंचायत बडोली की वन अधिकार समिति का गठन दिनांक 8.3.2010 की विशेष ग्राम सभा में कर लिया गया है। संग्रामपुरा इसी पंचायत का ग्राम है। ग्राम पंचायत कनवाड़ा में विशेष ग्राम सभा की बैठक दिनांक 8.3.2010 में वन अधिकार समिति का गठन नहीं किया जा सका है। परन्तु दिनांक 11.3.2010 को, यह लेटेस्ट सूचना आयी है अभी, उक्त समिति का गठन कर दिया गया है जिसमें वन अधिकार समिति के गठन की कार्यवाही पूरी की जा चुकी है।

ग्राम कनकपुरा (नैनवां) जिला बून्दी में वन अधिकार समिति का गठन 22.4.2008 को किया जा चुका है।

(4) अब तक राज्य में उक्त अधिनियम के तहत 14277 अधिकार पत्र वितरित किये जा चुके हैं। 14442 अधिकार पत्र तैयार करने एवं वितरण करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(5) उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बने नियम 2008 के नियम 11(1) (क) में प्रावधान दिए गये हैं जो निम्नानुसार हैं:-

ग्राम सभा दावों के लिए मांग करेगी और इन नियमों के उपाबंध 1 में यथा उपबंधित प्रारूप में दावे स्वीकार करने के लिए वनाधिकार समिति को प्राधिकृत कर सकेगी और ऐसे दावे, दावों की ऐसी मांग की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, नियम 13 में उल्लेखित कम से कम दो साक्ष्यों के साथ किये जाएंगे।

परन्तु ग्राम सभा यदि आवश्यक समझे, तीन मास की उस अवधि को उसके लिए कारण लेखबद्ध करने के पश्चात निस्तारित कर सकेगी।

**(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)**

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि बहुत सेंसिटिव है और

(श्री रामनारायण मीणा)

भारत सरकार, डाक्टर मनमोहन सिंह ने आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सम्माननीय सोनियाजी के निर्देश पर, देश भी जानता है, आदिवासी कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, सरकारी मशीनरी उनके खिलाफ जिस तरह का षड्यन्त्र रचती है, उससे उनके मकान कैसे सुरक्षित रह सकें, टापरे कैसे सुरक्षित रह सकें, दो बीघा जमीन कैसे सुरक्षित रह सके, यह कानून बनाया है। ऐसी स्थिति में चूंकि राजस्थान तो बहुत सेंसिटिव है और कांग्रेस की सरकार है, पिछली सरकार ने कितनी गलतियां कीं, उसको हम कैसे सुधारें...

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न पूछिए आप।

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): वही पूछ रहा हूं। इसलिए मेरा तो आपके माध्यम से अनुरोध है, अध्यक्ष महोदय, 59900 दावे और कानून आपका लागू हुआ 2005 के पहले जिसका कब्जा है, स्पेसिफिक डेट है मंत्रीजी, 13.12.2005 के पूर्व के कब्जे, इनमें आप यह बता दीजिए कि 59900 दावों में से जो डेट मैंने आपको अर्ज की है उसके पहले के कितने, 13.12.2005 के पहले के कितने दावे थे, उनको निरस्त करने का क्या कारण रहा है?

अध्यक्ष महोदय, मैं एक लाइन में अपनी भावना व्यक्त करता हूं। आदिवासियों के बीच में यदि ऐसे अधिकारियों को लगाया जाएगा जो आदिवासियों के हितों के पोषक नहीं होंगे...

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न करिए।

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): क्या अधिकारी को, यह मेरा अधिकार है, अध्यक्ष महोदय,...

**श्री अध्यक्ष**: आपका पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है।

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): सदन का अधिकार है।

**श्री अध्यक्ष**: आपका पूरक प्रश्न पूछने का है ...(व्यवधान) लगाने का नहीं है।

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा है क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है 59000 में से आप केवल अधिकार पत्र बांट रहे हो 14277 । मैं मानता हूं, अधिकार पत्र की जो बात आई थी वे इस विधान सभा चुनावों के पहले खारिज हुए हैं। मैं मानता हूं, मंत्रीजी, आपको मैं सजेस्ट भी करता हूं, आपको दिखे, नहीं दिखे किताब में होगा। यह किन अधिकारियों ने त्रुटि की है, एक तो मैं ये जानना चाहता हूं?

(श्री रामनारायण मीणा)

दूसरा मेरा आपसे अर्ज करना है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको स्पेसिफिक डेट देता हूं 12.10.1977, कनकपुरा का नाम आया। 12.10.1977 को कुछ आदिवासियों को जमीन आबंटित की गयी। इसका मतलब उनका कब्जा पचास साल पहले से था। माना गया, रैगुलराइज की गयी, आबंटन नहीं किया गया,। उस जमीन का आज की तारीख तक अधिकार पत्र नहीं दिया जबकि दूसरी तरफ ग्राम बनेठा की जमीन हमारी रेवेन्यू मशीनरी में आप देखिए, अध्यक्ष महोदय, ....

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न पूछिए आप।

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): पूरक ही है, 2002 में यदि उसका अन्तकाल खोला जाता है किसी प्रभावशाली व्यक्ति के पक्ष में, और हम प्रभावशाली व्यक्ति को तो 2002 में अन्तकाल खोलकर जमीन दे रहे हैं, पजेशन दे रहे हैं, और आदिवासी 1977 में जिसका अलाटमेंट कमेटी ने किया है...

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न क्या है?

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): प्रश्न मेरा यह है कि आदिवासी जो 1977 से काबिज हैं, उनको अधिकार पत्र नहीं दिये।

**श्री अध्यक्ष**: चलिए। मंत्रीजी।

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): एक जो प्रभावशाली व्यक्ति है उसको फोरेस्ट की जमीन नियमित करके सम्भला रहे हैं। मुझे दो प्रश्न और पूछने हैं, बाद में पूछूं ?

**श्री अध्यक्ष**: जवाब आ जाने दीजिए। आप इतना लम्बा करोगे फिर जवाब ही नहीं दे पाएंगे।

**श्री परसादीलाल** (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा कि इतने दावे निरस्त क्यों हो गये, वन अधिकार समितियों के यहां दावे पेश किये जाते हैं, वे स्क्रूटनी करके जो सही दावे हैं उन्हें उप खण्ड स्तरीय समिति को भेजते हैं। वे फिर ठीक करके ऊपर जिला स्तर पर जाते हैं। यह कहना कि वन विभाग के अधिकारी पट्टों को देंगे, यह शायद आपको पुरानी जानकारी है। ट्राइबल वैलफेयर के अधिकारी के ही पट्टे पर दस्तखत होंगे और कलक्टर के होंगे। फोरेस्ट के किसी अधिकारी के इन पट्टों पर दस्तखत नहीं होंगे। अब तक जो पट्टे वितरित किये गये, यह पट्टे का प्रारूप है।

(श्री परसादीलाल)

माननीय सदस्य, आप कह रहे थे, डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल वैलफेयर आफिसर के दस्तखत होंगे और डिस्ट्रिक्ट कलक्टर, डिप्टी कमिश्नर के होंगे। कहीं भी फोरेस्ट के अधिकारियों के इस पट्टे पर दस्तखत नहीं होते। वन अधिकार समितियां जो गांवों में बनाई गई हैं- ट्राइबल एरिया में हर गांव में हैं, नान ट्राइबल एरिया में पंचायत स्तर पर हैं, जो भी दावे आते हैं उनको देखकर, उनकी छानबीन करके किसी आदमी का कब्जा जो भारत सरकार ने निर्धारित किया है, 13.12.2005 के पहले के जो भी कब्जे हैं, उनको सबको पट्टे दिए जाते हैं। नान ट्राइबल जो रहता है, उसकी तीन पीढ़ियों का साक्ष्य होना जरूरी है। इन साक्ष्यों के अभाव में या कोई कमियां रहती हैं, उसके कारण ये दावे निरस्त किये गये हैं। फिर अगर किसी का दावा वन अधिकार समिति के यहां रिजेक्ट हो जाता है, उसको उप खण्ड स्तर पर जाने का अधिकार है। वहां से अगर रिजेक्ट हो जाता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाने का अधिकार है। विभाग के अधिकारियों ने कहीं भी कोई कोताही या किसी तरह की गलती इन पट्टों के मामले में नहीं की है।

दूसरा, जिन्होंने भी दावे किए हैं, सरकार का इसमें नहीं है, वन समितियां ही इन पट्टों को आगे बढ़ाती हैं। पहले जिसका दावा होगा, जिसका सबूत होगा। सबूत के अभाव में, दूसरी चीजों के अभाव में ये सब चीजें आगे बढ़ती हैं। इसलिए इस तरह की कोई बात, मेरे खयाल से हमारी जानकारी में, मैंने कल देखा है पूरी को, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, कोई गलत तरीके से विभाग के अधिकारियों ने ...

**श्री अध्यक्ष**: वह तो यह कह रहे हैं, प्रभावशाली व्यक्तियों को पट्टे दे दिये।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ....

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): अध्यक्षजी ने आपको अलाउ कर दिया, मर्जी आए जितने क्वेश्चन पूछो। आदिवासियों का मामला है, साधारण नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष**: आप अपना काम करिए।

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): मैं आपके माध्यम से अर्ज करता हूं, क्या, माननीय मंत्रीजी, सरकार की व्यक्तिगत जानकारी है कि जो दावे खारिज किये गये हैं, नियमानुसार किये गये हैं, नियमानुकूल किये गये हैं? क्या ऐसे अधिकारी उसमें नहीं लगाये आपने जिन्होंने नोइंगली आदिवासियों के

(श्री रामनारायण मीणा)

हितों के खिलाफ काम किया है? व्यक्तिगत जानकारी की बात कर रहा हूं। सरकार है, सरकार ने जांच की क्या? कागज देख लिया अफसरों का, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक पत्र लिखा ट्राइबल कमिश्नर को 10.8.2009 को, सरकार कहती है पत्र का जवाब दो, विधायक की हैसियत से पत्र लिखा है, आज दिन तक पत्र का जवाब नहीं आया। मैंने ट्राइबल मिनिस्टर को पत्र लिखा 20 जुलाई, 2009 को, उसके विदिन ए मंथ दिल्ली का ट्राइबल मिनिस्टर मुझे जवाब दे देता है और आपके अधिकारी नहीं देते हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, कब अधिकारी किसने बैठाया, कौनसी सरकार है, सरकारें आती-जाती रहती हैं, ऐसे अधिकारियों को पद पर बैठाओगे तो आदिवासियों का, दलितों का कैसे अधिकार होगा, इस पर जांच करें।

दूसरी मैंने स्पेसिफिक डेट बताई है 12.10.1977, अध्यक्ष महोदय, आप कहो तो मैं प्रोसीडिंग पढ़कर सुना दूं अलाटमेंट कमेटी की।

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, नहीं, वह देख लिया।

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): उनको तो आप अधिकार पत्र नहीं दे रहे हो और 2003-04 में आप अन्तकाल खोल रहे हो, बनेठा तहसील, उनियारा, अलीगढ़ में उस व्यक्ति को आप जमीन दे रहे हो फोरेस्ट की। हम पूछते हैं तो यह तो साहब रेवेन्यू सैक्रेटरी ने कर दिया। क्या रेवेन्यू सैक्रेटरी विधान सभा के ऊपर है ? सरकार के ऊपर है क्या ? उसने गलती की है तो आप उसको प्रोसीक्यूट करने के लिये दावा क्यों नहीं कर रहे हो ? सरकार की जमीन, जंगलात की जमीन दे दी। मैं, अध्यक्ष महोदय, एक बात कहकर जवाब सुनने को तैयार हूं...

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये। जवाब दे रहे हैं।

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): मेरा एक ही सवाल है, क्या आदिवासियों के हितों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आप कमेटी बैठाओगे? ऐसे अधिकारियों को ट्राइबल एरिये से दूर करेंगे ?

**श्री अध्यक्ष**: हो गया। जवाब दे रहे हैं।

**श्री परसादीलाल** (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा कि अभी कहा, अभी कोई जानकारी विभाग के पास नहीं है। ट्राइबल उधर काम करने वाले जो अधिकारी हैं, वन अधिकार समितियों में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। जहां से वन अधिकार समितियों ने जो भी निस्तारण करके भेजा, उसको एप्रूव करके भेजा, ऊपर के लेवल पर एक भी कोई पट्टा खारिज नहीं किया गया है।

**श्री अध्यक्ष**: यदि आपको कोई जानकारी हो तो चैम्बर में मिल करके आप जानकारी दे देना।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न के जवाब में आपने दिया...(व्यवधान) उसको थोड़ा-सा आप सरसरी निगाह से देखें। कुल जो ग्राम सभा के द्वारा आपके पास पट्टों के लिये एप्लाई हुआ, वह हुआ 59,900 । उसमें से जिनको आपने ठीक माना है, स्वीकृत किया, वे हैं 28,719 । जो निरस्त किये हैं आपने वे हैं 30,029 । एक तो यह है कि निरस्त का मोटा आधार क्या था, क्योंकि ये सारा का सारा जितना हुआ उसमें नाइंटी परसेंट उदयपुर के ट्राइबल एरिये के पट्टे निरस्त हुए हैं?

दूसरा, फिर जो आप निस्तारित कह रहे हो वे हैं 14,277 और आप जो जिले में पैंडिंग बता रहे हो वह बता रहे हो 1152, तो ये 13,000 पट्टे जो इसके बीच में हैं, जिनको आपने स्वीकृत माना, स्वीकृत दावों की संख्या जिसको आपने ठीक माना उनमें से ये जो 13,000 बीच में मिसिंग है, ये कहां है? आप यह कह रहे हो कि अब हमारे विचार में 1152 पट्टे ही रहे हैं। 14,000 आपने दे दिये तो ये जो बाकी 13,000 पट्टे जिनको आप सही मानते हो, ये हैं कहां?

**श्री परसादीलाल** (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा, 30,000 के करीब निस्तारित कर दिये, 28,000 को ठीक माना, 14,277 लोगों को पट्टे वितरित कर दिये गये, 1152 दावों का निस्तारण शेष है। बीच में आप बता रहे हैं गैप, वह कोई अपील में होगा, कोई ऊपर होगा। बाकी 28,000 को हमने ठीक माना है, उन सबको पट्टे हम 31 मार्च तक जारी कर देंगे। (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): एक सैकिण्ड। मैं फिर बड़ी नम्रतापूर्वक कह रहा हूं कि एक ऐतिहासिक काम निश्चित रूप से इस ट्राइबल एरिये के लोगों की वर्षों की परेशानी के कारण से इस एक्ट के द्वारा हुआ, इसमें कोई दो नहीं। इसके कारण से निश्चित रूप से उन लोगों को एक राहत मिल रही है जिसके लिये वे लम्बे समय से आन्दोलनरत भी थे, प्रयासरत भी थे। उसके लिये तो निश्चित रूप से इस कानून का मैं स्वागत करता हूं लेकिन मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि 30,000 जो दावे निरस्त किये गये, उनका मोटा-मोटा आधार क्या था ? क्या ये फोरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा किये गये आब्जेक्शन के कारण से है, या कब्जाधारी के अन्दर कोई कानूनी ऐसी कमी है जिसके कारण से वह जमीन कब्जाधारी की नहीं हो सकती? जितनी भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

एप्लीकेशन आपके पास लगी हैं ट्राइबल एरिया की, नाइंटी परसेण्ट लोग ट्राइबल हैं और पिछली तीन-तीन पीढ़ी से इस फोरेस्ट लैण्ड में ठहरे हुए हैं। इसमें अपना मकान, घर-बार बनाकर पीढ़ियां गुजार रहे हैं। आपने 2005 तक के अधिकार दे दिये वे तो 50-50, 100-100 साल से रह रहे हैं और उनके पास सब डाक्यूमेंट हैं। आपकी वोटर लिस्ट उनके पास है, राशन कार्ड उस एड्रेस से है, बाकी सब चीजें हैं। लेकिन आप यह जो बता रहे हो कि 30,000 पट्टे निरस्त हुए, इसके मोटे आधार क्या हैं निरस्त के कि इन कारणों से इन लोगों के तो निरस्त कर दिये? यह जो 13,000 का बीच में गैप है, आपने तो सारा का सारा जिलेवाइज लिस्ट दे रखी है कि इतने अब हमारे पास, जिले के पास पैंडिंग हैं, तो ये हैं कहां? किस जगह, कौनसी कोर्ट, कौनसी अपील में हैं? जब अधिकार ही जिले को दे दिया देने का तो जिले के अलावा ये किस जगह पर हैं?

**श्री परसादीलाल** (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि 30,000 जो आवेदन निरस्त किये हैं वे क्यों किये गये हैं। माननीय सदस्य, वह सब कब्जा नहीं होने से, ठीक डाक्यूमेंट नहीं लगाने से, जो भी नियमों में हैं, वह डाक्यूमेंट यदि साथ में नहीं होंगे वह निरस्त किये हैं वन अधिकार समिति गांव की है, उस गांव की वह समिति है। उसको ये मालूम है किस जमीन पर किस व्यक्ति का कब्जा है, उस असलियत को गांव की समितियों ने एप्रूव किया है। सरकार ने इसमें कोई निरस्त का काम नहीं किया तो अधिकारियों का इसमें हाथ नहीं है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): मैं, सी एम साहब, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, एक भावना से हम सब लोगों ने इसका एक अच्छा रास्ता निकाला ऐसा नहीं हो कि किसी गलती के कारण से ये 30,000 लोग जो वास्तव में हकदार हैं, लेकिन हकदार होते हुए भी आज इस विधान सभा की घोषणा से उनका हक हमेशा के लिये दफन नहीं हो जाए। इसको कोई न कोई ऊपर के अधिकारी मिलकर देखें कि वास्तव में ये 30,000 योग्य हैं या नहीं हैं। या नीचे के लोगों ने ऐसे कर दिया कि वर्षों से बैठे हुए लोगों को हम फोरेस्ट से बाहर निकाल करके फेंक देंगे। न तो सम्भव होगा, न आप फेंक पाओगे। मैं आपको गारण्टी से कह रहा हूं, जिसका कब्जा है उसके लिये मरते दम तक हम लड़ेंगे, उसको कब्जा दिलाकर छोड़ेंगे। क्या बात करते हो आप? (व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मेरी सुरक्षा कीजिये। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान) विराजिये। आप विराजिये। विराज जाएं। मैंने इनको अलाउ किया है, आप विराज जाएं। (व्यवधान) आप विराज जाएं, मैंने इनको अलाउ किया है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। माननीय मुख्य मंत्रीजी, जैसा माननीय गुलाब चन्दजी ने कहा, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। 59,000 में से 30,000 पट्टों को निरस्त कर दिया। भारत सरकार..(व्यवधान) हमारी गवर्नमेंट में किया होगा, इससे मतलब नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो आज वहां बैठा हुआ है, 30,000 निरस्त कर दिये, आज सदन का यह चला गया कि इस कारण से ये निरस्त हो गये हैं। आपने जब ठीक दिया, उस पर भी मेरा ऐतराज नहीं है। वह हमेशा के लिये केस समाप्त हो जाए। यह भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कानून केवल राजस्थान में ही नहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह है और मैं धन्यवाद दूंगा मनमोहन सिंहजी को, माननीय प्रधान मंत्रीजी को कि उन्होंने यह कानून बनाया, उसको लागू कर रहे हैं।

मैं आपसे चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना करूंगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप स्थगित करके आधे घण्टे की चर्चा के लिये लगाएं। अन्यथा, माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको देखिये और आप स्वयं इसकी जांच करिये। आपको पता लगेगा कि जितनी बड़ी राहत हम देना चाहते थे वह राहत हम नहीं दे पाएंगे और 30,000 लोगों को कब्जे वाली जमीन से हटाने का प्रावधान सदन की इस कार्यवाही से हो जाएगा, वे मर जाएंगे। इसलिये मैं चाहूंगा, गरीबों का मामला है, आप संवेदनशील हैं, इसलिये आप मुख्य मंत्रीजी इसको देखें, इस सदन में डिसकस कराएं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मुख्य मंत्रीजी।

**श्री अशोक गहलोत** (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्यों की चिन्ता पूरे सदन के सामने है। ये कानून वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। लम्बे अरसे से केन्द्र सरकार यह प्रयास करती रही, एन डी ए गवर्नमेंट के वक्त में भी प्रयास किये गये थे परन्तु सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय की व्यवस्था के कारण से यह लम्बा होता गया। फार्चुनेटली ये 2005 के आधार पर जो नया फैसला हुआ है यू पी ए गवर्नमेंट के वक्त में, आप निश्चित मानकर चलें, एक भी आदिवासी परिवार के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हम खुद इसको मानिटर कर रहे हैं। अभी हमने स्पीच में भी कहा था उस दिन कि तीन महीने के अन्दर-अन्दर जो बाकी बच गये हैं उनको तो पट्टे देंगे ही देंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

शिकायतों की जो आप बात कर रहे हो, जिनके निस्तारण हो गये, उनकी अगर कोई भी स्पेसिफिक शिकायत आएगी तो उसको वापस दिखवा लेंगे। आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं हो, यह सुनिश्चित करने का काम सरकार का रहेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: श्री रामहेत सिंह। (व्यवधान) चर्चा समाप्त। चर्चा समाप्त। श्री रामहेत सिंह। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजें। काफी विस्तार से चर्चा हो चुकी है। बहुत समय निकल गया। कुछ क्वेश्चन आ जाने दीजिये। (व्यवधान) प्लीज-प्लीज। किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। सदन के नेता ने जवाब दे दिया, उसके बाद क्या बचा है?

**श्री अर्जुन सिंह बामनिया** (बांसवाड़ा):×××

**श्री नगराज** (धरियावद): ×××

**श्री अध्यक्ष**: श्री रामहेत सिंह। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। कोई चर्चा नहीं होगी। श्री रामहेत सिंह।

## किशनगढ़ बास विधान सभा क्षेत्र में बन्द सैक्टर रिफार्म जल योजनान्तर्गत संचालित योजनाएं

**111. श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़ बास): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में सैक्टर रिफार्म जल योजना के तहत कितनी योजनाएं संचालित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना के तहत सभी इकाइयां चालू हैं ? यदि नहीं, तो बंद इकाइयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के तहत बंद इकाइयों के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार बंद इकाइयों को पुन: चालू कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

**जल संसाधन मंत्री** (श्री महीपाल मदेरणा): अध्यक्ष महोदय, (1) जन सहभागिता की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने तथा जन समुदाय की जल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों में आयोजना, क्रियान्वयन तथा मरम्मत एवं संधारण में भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में सैक्टर

(श्री महीपाल मदेरणा)

रिफार्म पायलेट परियोजना के अन्तर्गत पंचायत समिति किशनगढ़ बास में 28 तथा पंचायत समिति कोटकासिम में 66, कुल 94 योजनाएं स्वीकृत की जाकर 78 योजनाएं पूर्ण रूप से एवं 16 योजनाएं आंशिक रूप से संचालित की गयी थीं। सूची संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। पेयजल स्रोत के सूख जाने के कारण 3 योजनाएं एवं विद्युत सम्बन्ध विच्छेद होने के कारण 4 योजनाएं, कुल 7 योजनाएं वर्तमान में बंद हैं। बंद योजनाओं का विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(3) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप योजना की अभिकल्पना एवं अवधारणा कर योजना स्वीकृत कराने, योजना निर्माण कार्य कराने तथा संधारण में आने के पश्चात् शत-प्रतिशत संधारण राशि सहभागिता के रूप में वहन करने की सम्पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित ग्राम स्तरीय जल एवं स्वच्छता समिति की है। अत: बंद योजनाओं के लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(4) लिये गये निर्णय अनुसार बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत जिला परिषद एवं पंचायत समिति को प्रदत्त अनुदान के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार विद्युत सम्बन्ध विच्छेद होने के कारण वर्तमान में बंद 4 जल योजनाओं के बकाया विद्युत बिल की राशि का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। पेयजल स्रोत के सूख जाने के कारण बंद तीन पेयजल योजनाएं 'राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम' के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामीण योजनाओं के आयोजना, कार्यान्वयन, संचालन और रख-रखाव में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए मांग आधारित योजनाएं बनायी जाकर पात्र होने की दशा में संसाधनों की उपलब्धतानुसार क्रियान्वित की जाएंगी।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़ बास): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पैरा नम्बर एक के बारे में पूछना चाहता हूं। आपने बताया है कि 16 योजनाएं ऐसी हैं जो आंशिक रूप से खराब हैं, मेरा इसमें कहना है कि ये 16 नहीं हैं, 50 प्रतिशत योजनाएं हैं जो खराब पड़ी हुई हैं। ये जो जानकारी सदन को विभाग द्वारा दी गयी है, यह गलत सूचना दी गयी है। इसमें मैं बताना चाहता हूं, मकडावा एक योजना थी जिसमें आपने माना है कि यह खराब है, इसमें बोरिंग हो गया था, उसमें पत्थर भर दिये और आज तक उसको चालू नहीं किया गया है। इसी तरह जिलौता का आपने खुद माना है कि 9 हैंड

(श्री रामहेत सिंह)

पंप हैं और एक नलकूप है, हैंड पंप भी 9 के 9 खराब हैं और नलकूप भी खराब है। डेढ़ साल से वहां पीने का पानी नहीं है। एक प्राइवेट व्यक्ति वोट के लालच में गांव को पानी देता था, वह चुनाव में हार गया, उसके हारने के बाद पूरे गांव को एक बूंद पानी पीने को नहीं है। 6-6 किलोमीटर से पानी लाते हैं। इसी तरह से गुणसार की बात बता रहा हूं, पालपुर का यही हाल है। एक दिन भी योजना चालू नहीं हुई। 20 से अधिक ऐसी योजनाएं हैं जो एक दिन भी नहीं चलीं। आप कहते हो कि उसमें कोई कर्मचारी दोषी नहीं है। ग्राम सेवक इसका सचिव है और सरपंच इसका अध्यक्ष है, क्या ग्राम सेवक की यह ड्यूटी नहीं है कि योजनाएं क्यों नहीं चालू हुई। इसमें जनता का जो अंशदान 10 प्रतिशत था, सरकार का 90 प्रतिशत पैसा आ गया इसके बाद इन योजनाओं को चालू नहीं किया गया। ग्राम सेवक इसका दोषी होना चाहिए, एक भी ग्राम सेवक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं, आपकी जो ये योजनाएं हैं इनमें हर गांव में यही समस्या है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपने 94 बतायी हैं, इसमें से 50 से अधिक योजनाएं खराब हैं। हालात ये हैं कि जलदाय विभाग के अधिकारी तो कहते हैं कि यह हमारी नहीं यह सैक्टर रिफोर्म की है। पंचायत समितियों के अधीन आपने हैंड पंप मिस्त्री दे रखे हैं, पंचायत समिति के पास कोई बजट नहीं है। सैक्टर रिफार्म की जो समिति थी, उसके पास मेंटिनेंस का कोई पैसा नहीं है। उन पर जो कर्मचारी हैं, उनको जो 500 रुपया मिला था, उसका भी आज तक भुगतान नहीं किया गया है। ये सैक्टर योजनाएं तो एक दिन नहीं चलीं। विद्युत कनेक्शन के लिए आपने चार को तो खुद माना है, लेकिन 10 से अधिक ऐसी योजनाएं हैं जिनके कनेक्शन नहीं हुए। मंत्री जी जो इनके सचिव थे वे दोषी हैं कि नहीं हैं? मैं गुणसार गांव की बात बताता हूं...

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, प्रश्न का जवाब आने देते। जवाब आने दीजिये, जवाब।

**श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़ बास): 5 साल पहले वहां का एक प्रभावशाली आदमी मोटर निकाल ले गया।

**श्री अध्यक्ष**: यह प्रश्न नहीं है।

**श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़ बास): अपने बोरिंग पर चला रहा है उसको और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है।

**श्री अध्यक्ष**: मंत्रीजी।

**श्री महीपाल मदेरणा** (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सैक्टर रिफार्म योजना 1999-2000 में चालू हुई और इसके अन्दर चार जिले लिये गये, अलवर, सीकर, जयपुर और राजसमंद। इसके अंदर करीब 1314 योजनाएं स्वीकृत हुई, उसमें से 945 योजनाएं कमप्लीट हुई, 792 योजनाएं आपरेशन में हैं और 193 के अभी बिल वगैरह जमा नहीं हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस परियोजना का लक्ष्य था यह था कि पीपुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उन लोगों के द्वारा एक समिति बनी वाटर सेनिटेशन कमेटी, उस कमेटी का पंजीकरण हुआ समिति एक्ट के अन्दर। जिला स्तर पर एक कमेटी बनी डिस्ट्रिक्ट वाटर सेनिटेशन कमेटी और उसके ऊपर जिला प्रमुख की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट वाटर सेनिटेशन मिशन बना है। उनका तकनीकी कार्य जो था, 5 लाख तक का जो तकमीना बनाना है, 5 लाख वह का काम जे.ईएन. का था और 5 लाख से ऊपर का होगा तो उसके अंदर समिति का ए.ईएन. मेम्बर होगा।

अध्यक्ष महोदय, इन योजनाओं का मूल उद्देश्य था कि जल वितरण योजनाओं में जनाकांक्षाओं के अनुरूप वह समिति बनाएं और उसमें जन सहभागिता हो, उसमें कंट्रीब्यूशन स्थानीय लोगों का हो। उनका संचालन और संधारण भी विलेज वाटर सेनिटेशन कमेटी को करना था। उसके अन्दर 15 सदस्य हैं, 15 में से 10 सदस्य ग्राम सभा के द्वारा नियुक्त होते हैं। अगर कोई खजांची नहीं है तो उसको ले सकते थे, तकनीकी मैम्बर नहीं है तो उसको ले सकते थे। ज्यादातर जगहों पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जो कर्मचारी थे उनके तकनीकी सपोर्ट के कारण उनका रोल योजनाओं का तकमीना बनाने जब वह कमप्लीट हो जाए तो उस योजना को यू.सी. देने तक ही सीमित था। इसका सारा संचालन, संधारण का काम विलेज वाटर सेनिटेशन कमेटी का था।

अध्यक्ष महोदय, अभी जो हमारी नई राष्ट्रीय नीति आयी है उसमें यह है कि 10 प्रतिशत पैसा इन पंचायतों को दिया जाएगा, मैं आपको बता दूं, कि हम प्रयास कर रहे हैं, विकास विभाग से बात करके जल्दी से जल्दी जो रह गये हैं उनको चालू कराने की कोशिश करेंगे, धन्यवाद।

**श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़ बास): अध्यक्ष महोदय, खुद मान रहे हैं मंत्रीजी कि इनको उन समितियों द्वारा चालू नहीं किया गया है, मेंटिनेंस नहीं किया ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: राशि देने का कह चुके हैं।

**श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़ बास): हुकुम। क्या सरकार इनको पीएचईडी को हैंडओवर करने की मंशा रखती है, एक बात? दूसरी बात यह कि अलवर जिले में डार्क जोन है, पानी की सबसे ज्यादा समस्या है, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि अलवर जिला एनसीआर के तहत आता है, क्या सरकार एनसीआर से ऋण लेकर, एनसीआर से ग्रांट लेकर सरकार अलवर जिले को स्वच्छ पानी पिलाने की मंशा रखती है? यदि हां तो कब तक?

**श्री अध्यक्ष**: केवल एक प्रश्न का जवाब दें।

**श्री महीपाल मदेरणा** (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमने अभी नयी जल नीति का प्रारूप तय किया है, इस जल नीति में हमने कहा है कि संस्थागत रिफार्म हम करेंगे। पंचायती राज और नगर पालिकाओं की सहभागिता के साथ इन योजनाओं को करना चाहते हैं, को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। कि समय पर उन योजनाओं का संचालन और संधारण हो जाए और उसके अन्दर ये संस्थाएं स्वयं आगे आए। आपको बताते हुए मुझे हर्ष होगा कि 5206 योजनाएं ग्राम पंचायतों के माध्यम से चल रही हैं।

**श्री अध्यक्ष**: इन्होंने खाली पूछा है कि अलवर जिले के अन्दर एनसीआर के तहत आप क्या करना चाहते हैं?

**श्री महीपाल मदेरणा** (जल संसाधन मंत्री): एनसीआर के तहत हम विचार करेंगे, देख लेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: धन्यवाद।

**श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़ बास): यह जो स्कीम फेल हो गयी ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर। चर्चा समाप्त करें, बात हो गयी स्पष्ट, आश्वासन दे दिया आपको।

**श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़ बास): मंत्रीजी पानी नहीं पिलाना चाहते हैं ...(व्यवधान) तब तक उनके पानी की व्यवस्था करें।

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं होगा, किसी का अंकित नहीं होगा। श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर।

## अलवर के सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या

**112. श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर** (लोहावट): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में कुल कितने बाघ-बाघिन (नर-मादा) हैं? क्या सरकार इस उद्यान में और बाघों के जोड़े छोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे, कब तक एवं कितने?

**श्री अध्यक्ष**: वन मंत्रीजी।

**राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण** (श्री रामलाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरिस्का टाइगर रिजर्व में कुल 3 बाघ-बाघिन (एक नर व दो मादा) हैं। केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित रिकवरी प्लान के अनुसार प्रथम चरण में रणथम्भौर टाइगर रिजर्व से 3 बाघिन एवं 2 बाघों को सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित था जिनमें से 1 बाघ एवं 2 बाघिन को सरिस्का में छोड़ा जा चुका है। एक बाघ एवं एक बाघिन को निश्चेतन कर इन्हें वायु सेना के हैलीकाप्टर से सरिस्का टाइगर रिजर्व में शीघ्र ही छोड़ा जाना विचाराधीन है।

**श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर** (लोहावट): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने रिकवरी प्लान के बारे में जो जिक्र किया, स्वयं मनमोहनसिंहजी जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन आथोरिटी के चेयरमैन हैं, हमारा स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड और हमारी जो टास्क फोर्स है, इन्होंने मिलकर यह प्लान बनाया था। रणथम्भौर नेशनल पार्क के अन्दर डब्ल्यू आई आई, वाइल्ड लाइफ इन्स्टीट्यूट आफ इण्डिया ने यह घोषणा कर दी थी कि इसके अंदर 30 से 35 टाइगर नहीं रह सकते, आउटर ले में 35 टाइगर, और सरिस्का के अंदर टाइगर्स बिलकुल ही नहीं थे तो इस रिकवरी प्लान के पीछे जो मेन उद्देश्य यही था कि रणथम्भौर के 392 स्क्वायर किलोमीटर में तो ओवर पापुलेशन हो रही है और सरिस्का में 868 किलोमीटर के अन्दर जीरो टाइगर्स हैं। इसलिए यह रिकवरी प्लान बनाया गया था। इसके तहत फर्स्ट फेज के अन्दर 28.6.2008 के पहले नर बाघ इन्होंने ट्रांसफर किया, उसके पश्चात् 4.6.2008 को एक टाइग्रेस भेजी गई और 25.2.2009 को एक फीमेल टाइगर जो आखिरी टाइग्रेस है वह भेजी गयी। यह प्लान था इनका, 5 का, 3 बाघिन और 2 बाघ। ये जब ट्रांसफर हुए, हैलीकाप्टर से इनको लिफ्ट किया गया, यह इण्टरनेशनली एक्लेम हुआ कि राजस्थान के वन अधिकारियों ने, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, इनको सुरक्षित एक वाइल्ड लाइफ पार्क से दूसरे वाइल्ड लाइफ पार्क में ट्रांसफर किया है।

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न क्या है?

**श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर** (लोहावट): प्रश्न यह है कि जो लास्ट ट्रांसफर 25.5 को हुआ, उसके बाद एक भी टाइगर, एक साल में ट्रांसफर नहीं हुआ। हमारे 2 टाइगर्स तो स्ट्रे हो गए, एक तो काली सिंध चला गया और एक मासलपुर चला गया। एक टाइग्रेस अप्रैल, 2009 में मर गई बाघ के साथ लड़कर रणथम्भौर में और अभी एक बहुत शर्मनाक घटना हुई है जिसमें हमारे दो कब्स मर गये हैं, इनसे मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि यह ट्रांसफर स्टाल क्यों किया गया? ट्रांसफर स्टाल करने के पीछे किसका हाथ था और जब 2009 फरवरी के अन्दर जब आपने लास्ट टाइग्रेस ट्रांसफर की, उसके बाद 1 टाइग्रेस लड़कर मर गई, दो स्ट्रे-आउट हो गये, तीन महीने पहले। और जो अभी बाघ मर गया है, मैं कहता हूं कि सरकार इसकी जिम्मेदार है, दो बाघ अभी 7 तारीख को जिनकी डैथ हुई है क्योंकि यह डिले किया गया। यह डिले क्यों किया गया? कौन इसके जिम्मेदार हैं और उनका क्या मोटिव है? सरकार इसके लिए सीरियस है कि नहीं है?

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है माननीय सदस्य ने जो पूछा है, कि सरिस्का में 5 टाइगर छोड़ने थे जिसमें पहले फेज में 3 टाइगर छोड़े गये हैं, इनमें एक नर और दो मादा थीं। रिकवरी प्लान वाइल्ड लाइफ के अधिकारी और एन टी सी, भारत सरकार, दोनों ने मिलकर बनाया, उसके प्रधान मंत्रीजी स्वयं अध्यक्ष हैं। इन्होंने संशोधन करते हुए आदेश दिया। इसमें इनको तीनों को शिफ्ट करने के लिए हैलीकाप्टर की परमीशन दी है। अभी 20 नवम्बर, 2009 को, रक्षा मंत्रालय से हमें मंजूरी मिली है, कि एम आई 17-चोपर के द्वारा इनको वहां स्थापित किया जाएगा। हमारी टीम में एन टी सी, भारत सरकार के वाइल्ड लाइफ के, राजस्थान सरकार के वाइल्ड लाइफ के अधिकारी मानिटरिंग में बराबर लगे हुए हैं, जो टी 37 और टी 47, दोनों टाइगर और टाइग्रेस बाहर निकले हुए हैं, उनके पीछे बराबर लगे हुए हैं। टाइगर एक ऐसा जानवर है, जंगल का राजा है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, अधिकारी बराबर इनके पीछे लगे हुए हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी टीम बराबर उनके पीछे मानिटरिंग कर रही है। और इनको निश्चेत करके शिफ्ट किया जाना है, हैलीकाप्टर की परमीशन मिली हुई है, अधिकारी मानिटरिंग कर रहे हैं तुरन्त ही, जैसे ही वे निश्चेत हुए, टीमें उनके पीछे हैं, तुरन्त शिफ्ट कर दिया जाएगा। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: मूल प्रश्नकर्ता। आप विराजें। (व्यवधान) मैंने मूल प्रश्नकर्ता को ही इजाजत दी है।

**श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर** (लोहावट): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी जो बात कह रहे हैं कि इनको ढूंढना मुश्किल है, बाघ तो सामने आकर बैठ जाता है, इतनी साइटिंग देता है कि ट्रैंक्विलाइजर गन लगाकर उनको बेहोश करके लाना मुश्किल नहीं है। मंत्रीजी ने हैलीकाप्टर की बात की है, मैं कहता हूं कि आपने फाइल्स देखी हैं, आपको केन्द्र सरकार ने कितने पत्र लिखे, आपने जो साइन्टिक रीजन्स से अड़ंगा लगाया। टाइगर्स की जींस की पहले जांच की जाए क्योंकि ये सब भाई-बहन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यह सही है कि नहीं है कि आपको पाबन्द किया गया केन्द्र सरकार द्वारा? और इसके पीछे भी राज है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ लाबीज हैं, ट्यूरिज्म लाबीज हैं, कुछ एन जी ओज हैं जिनकी दिल्ली के अन्दर अच्छी पहुंच है, प्रियंकाजी आती हैं, राहुल गांधी आते हैं, उनके पीछे चमचागीरी करते हैं, यह इन्होंने स्टोल कराया है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड की एक भी मीटिंग हुई है ...(व्यवधान)

**श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़): राहुल गांधी आते हैं, प्रियंका गांधी आती हैं लेकिन वन मंत्रीजी नहीं जाते हैं। (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): आपके पास सबूत हो तो वह दिखाइए। और नहीं तो जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनके खिलाफ इस तरह से अनर्गल टिप्पणी की है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की अनर्गल टिप्पणी के लिए माननीय सदस्य माफी मांगें। (व्यवधान) मजाक बना रखा है सदन का। ...(व्यवधान)

**श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर** (लोहावट): वाइल्ड लाइफ बोर्ड की एक भी मीटिंग हुई है, जब से आपकी सरकार आई है, बताइए? आप कभी रणथम्भौर गए हैं कि नहीं गये हैं, आप बताइए? और दो की मौतें हुई हैं, इनके बारे में क्या कहना है?

**श्री अशोक गहलोत** (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लोहावट से आने वाले माननीय सदस्य ने अनावश्यक रूप से प्रियंकाजी और राहुलजी का नाम लिया, इसकी आवश्यकता नहीं थी। आपका सवाल अपनी जगह पर महत्वपूर्ण हो सकता है।

**श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर** (लोहावट): मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूं।

(श्री गजेन्द्र खींवसर)

माननीय मुख्य मंत्रीजी मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो एन जी ओज और ट्यूरिज्म माफिया है ...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: आपने वेस्टेड इन्टरैस्ट बताया है, आप सदन की प्रोसिडिंग्स उठा कर देख लो। (व्यवधान)

**श्री अशोक गहलोत** (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये फैसला हो चुका है बाघों को शिफ्ट करने का जो माननीय मंत्रीजी कह रहे थे। प्रक्रिया चल रही है, जैसा उन्होंने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं।

**श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर** (लोहावट): माननीय मुख्य मंत्रीजी, फिर एक साल का विलम्ब क्यों हुआ?

**श्री अध्यक्ष**: पहले बात तो सुनें।

**श्री अशोक गहलोत** (मुख्य मंत्री): आप निश्चित रहें, आपका पर्यावरण प्रेम, वन्य जीवों के प्रति प्रेम जग-जाहिर है।

**श्री अध्यक्ष**: कुछ पर्यावरण प्रेम है, कुछ और भी कारण है आज। आज और भी कारण है कुछ।

**श्री अशोक गहलोत** (मुख्य मंत्री): मैं माननीय मंत्रीजी से कहूंगा कि शिफ्ट करने के लिए अगर एक्सपर्टाइज की जरूरत हो तो आपसे सलाह कर लेंगे, आप निश्चित रहें।

**श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर** (लोहावट): माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपको क्या ज्ञान है? इस बारे में ज्ञान है कि नहीं, जो दो शावक मर गये हैं उसके लिए किसी की जिम्मेदारी नहीं है क्या?

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नाम इन्होंने लिया है, सदन की कार्यवाही से वह तो निकाला जाए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): इन्होंने तो सिर्फ यह कहा कि प्रियंकाजी वहां घूमने आई थीं, इसमें क्या गुनाह कर दिया? प्रियंकाजी का नाम आप ही ले सकते हो? आपकी बपौती थोड़े ही है? राहुल गांधी का नाम नहीं ले सकते?

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): आपके स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या कहा, सदन में सबने सुना है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) केवल मूल प्रश्नकर्ता पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

**श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर** (लोहावट): माननीय मुख्य मंत्रीजी, वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने एक भी मीटिंग नहीं की है पिछले सवा साल में। (व्यवधान) मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि यह पूरे राजस्थान के लिए कलंक है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है?

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): ×××

**श्री अलाउद्दीन आजाद** (सवाई माधोपुर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: केवल पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दे सकता हूं।

**श्री अलाउद्दीन आजाद** (सवाई माधोपुर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: आप व्यवधान कर रहे हैं। मैं पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दे सकता हूं, भाषण नहीं। अंकित नहीं होगा। कोई भाषण नहीं होगा। एक मिनट, कृपया आप विराजें। (व्यवधान)

**श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर** (लोहावट): माननीय अध्यक्ष महोदय, 7 मार्च को वन्य जीवन प्रेमियों के लिए काला दिवस था, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को यह कह रहा हूं कि इसकी सी बी आई से जांच करवाई जाए।

**श्री अध्यक्ष**: आप केवल पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

**श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर** (लोहावट): आप जांच करवाएंगे कि नहीं मंत्रीजी? इस माफिया को रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? (व्यवधान)

**(समय : 12.00 बजे)**

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता ने जो इन ब्रीडिंग का मामला उठाया है, इनके डाक्टर विशेषज्ञ होते हैं....

**श्री अलाउद्दीन आजाद** (सवाई माधोपुर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: चर्चा समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त। अंकित नहीं होगा। आसन पांवों पर है, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, विराजें आप। अंकित नहीं हो रहा है।

**(शेष तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया पृष्ठ सं. 270 पर देखें।)**

**श्री अलाउद्दीन आजाद** (सवाई माधोपुर): ×××

## सदस्य की गिरफ्तारी

### किरण माहेश्वरी, श्रीमती, सदस्य, की गिरफ्तारी एवं रिहाई

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आपस में चर्चा नहीं।

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य,

(श्री अध्यक्ष)

राजस्थान विधान सभा को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा-65 के अन्तर्गत दिनांक 8 मार्च, 2010 को रात्रि 9.40 बजे पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली पर निरुद्ध किया जाकर उसी दिन रात्रि 10.05 बजे रिहा किये जाने की सूचना अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली से प्राप्त हुई है। माननीय सदस्य कृपया शांत रहें।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): इसको विस्तार से बताया जाए कि क्यों किया।

**श्री अध्यक्ष**: वो मैंने जितना बताना उपयुक्त समझा उतना बता दिया, आप विराज जाओ।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): बता तो दें इसमें कि मामला क्या था। (व्यवधान) सैक्शन वगैरह कोई आया हो तो वह बता दें।

**श्री अध्यक्ष**: बताना था वह बता दिया, आप विराजो। माननीय मंत्री महोदय, व्यवधान पैदा नहीं करें, आप विराज जाइये।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): किस सैक्शन में गिरफ्तार किया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: जितना मुझे बताना था वह बता दिया।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): ये कुछ तो बता दो, आप जानकारी तो दे दीजिये। आप यह जानकारी तो दे सकते हैं कि आखिर में....

**श्री अध्यक्ष**: मैं बाध्य नहीं हूं। आप विराजिये। अंकित नहीं होगा।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): ×××

**श्री प्रकाश चन्द चौधरी** (बड़ी सादड़ी): ×××

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं होगा।

**श्री अर्जुन सिंह बामनिया** (बांसवाड़ा): ×××

**श्री अध्यक्ष**: चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपका दर्द समझ रहा हूं। (व्यवधान) आपके दर्द को मैं समझ रहा हूं।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): ×××

**श्री प्रकाश चन्द चौधरी** (बड़ी सादड़ी): ×××

**श्री अध्यक्ष**: चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य, व्यवस्था बनाये रखें। आप बहुत सीनियर सदस्य हैं, आपकी व्यथा को मैं समझ रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री प्रकाश चन्द चौधरी** (बड़ी सादड़ी): ×××

## अनुपस्थिति अनुमति

### महेन्द्रजीत सिंह, श्री सदस्य को 12 मार्च, 10 से दो सप्ताह के लिए

**श्री अध्यक्ष**: मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री महेन्द्रजीत सिंह, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 12 मार्च, 2010 से दो सप्ताह के लिए सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

अनुमति प्रदान की गई।

## स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री हरिसिंह रावत (भीम) एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से पालनहार योजना के अन्तर्गत बेसहारा बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान पुनर्विवाह/नाता गयी महिलाओं के अनाथ बच्चों को भी करने के सम्बन्ध में।
2. श्री पेमाराम (धोद), सदस्य की ओर से जिला सीकर की ढाणियों में निवास करने वाले किसानों को घरेलू लाइट का विद्युत कनेक्शन नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

3. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) एवं 3 अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के खैरथल कस्बे में दिनांक 27/2/2010 को एक व्यापारी को लूटने की घटना एवं अन्य आपराधिक घटनाओं में पुलिस द्वारा बरती जा रही लापरवाही के सम्बन्ध में।
4. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिरोही में पेयजल की भारी समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। वैसे भी पुलिस एवं पेयजल विभाग की अनुदान की मांगों पर चर्चा के समय उक्त माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर उपलब्ध है।

5. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली), सदस्य की ओर से पाली नगर परिषद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद धान मण्डी योजना में आबंटित भू-खण्डों पर भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर), सदस्य की ओर से राज्य के यातायात विभाग के जिला एवं उच्चाधिकारियों द्वारा प्राइवेट जीपों पर लाल प्लेट लगाकर सरकारी कार्य में उपयोग लेने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। वैसे भी उक्त प्रस्तावों की विषयवस्तु पर आज माननीय सदस्य श्री ज्ञानचन्द पारख एवं श्री हनुमान बेनीवाल पर्ची के माध्यम से सदन में अपने विचार रखेंगे।

7. श्री अमराराम (दांतारामगढ़), सदस्य की ओर से रींगस की आर.एस.डब्ल्यू.एम. मिल में औद्योगिक अशांति के उपरान्त भी श्रम विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

8. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से जयपुर में मानस आरोग्य संस्थान को पूर्व बजटीय घोषणा के अनुसार हार्ट इंस्टीट्यूट नहीं चलाने तथा निजी कम्पनी/संस्था/व्यक्ति को संचालन हेतु सौंपे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9. श्रीमती अनीता सिंह (नगर) एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र नगर तेस्की पहाड़ों के मध्य स्थित श्री वन विहारी जी महाराज सेवल मंदिर की गौशाला को अनुदान नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

10. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर), सदस्य की ओर से जयपुर शहर में बी-2 बाइपास का निर्माण होने के उपरान्त भी भारी वाहनों

(श्री अध्यक्ष)

का गोपालपुरा रोड से आवागमन होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री अमराराम, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्रीमती अनीता सिंह एवं श्री कालीचरण सराफ को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

## नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में।
2. श्री गणेश सिंह परमार (कुम्भलगढ़), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कुम्भलगढ़ की लम्बित पेयजल आपूर्ति योजना बेड़च का नाका को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में।
3. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़), सदस्य की ओर से अनुदानित महाविद्यालय के व्याख्याताओं को सरकारी महाविद्यालयों में समायोजित करने की बजट घोषणा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4. श्री हरिसिंह रावत (भीम), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीम के सारोठ, बार, शेखावास, लगेतखेड़ा, भीम, काछवली के राशन डीलर्स द्वारा अनियमितता किये जाने के उपरांत भी उन पर कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
5. श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की तहसील चिड़ावा के ग्राम हरिपुरा में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर हरिजनों के नाम से पट्टे काट कर कब्जा किये जाने की कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
6. श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय), सदस्य की ओर से मेहन्दीपुर बालाजी में पुलिस थाना स्थापित करने के सम्बन्ध में।
7. श्री शंकर सिंह (ब्यावर), सदस्य की ओर से बीसलपुर बांध से अजमेर जिले की पेयजल समस्या का समाधान करने हेतु स्वीकृत योजना शीघ्र प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

8. श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर), सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर के गांवों में पशुओं के लिए पशु शिविर खुलवाने के सम्बन्ध में।

9. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर), सदस्य की ओर से सिद्धमुख सिंचाई परियोजना में पानी की चोरी पर रोकथाम हेतु सख्त कदम उठाये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

10. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के मंशा मंदिर से पूर्व की 1.2 किलोमीटर कच्ची सड़क का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में।

11. श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली), सदस्य की ओर से करौली में पुरानी चुंगी मासलपुर रोड करौली के निर्माण कार्य में सड़क के मध्य डिवाइडर निर्माण नहीं करने एवं निर्माण कार्य घटिया होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

12. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर), सदस्य की ओर से अजमेर के ऋषि घाटी क्षतिग्रस्त मार्ग से जनता को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

आज काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं और उसके अलावा विधायी कार्य भी है, मुख बन्द भी है इसलिए 295 की सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गईं।

**(पढ़े हुए माने गये विशेष उल्लेख प्रस्तावों के लिए परिशिष्ट-2 देखें)**

पर्ची के सम्बन्ध में आज दिनांक 11 मार्च, 2010 को शून्यकाल में बोलने हेतु 19 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं जो निम्नांकित हैं:-

1. श्री शाले मोहम्मद (पोकरण)- पोकरण उप खण्ड में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के सम्बन्ध में।

2. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)- शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को दी जा रही छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में।

3. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) -प्रदेश में यातायात विभाग द्वारा प्राइवेट जीपों को सरकारी कार्य हेतु लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

4. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) -नगर परिषद पाली द्वारा धान मंडी योजना में आबंटियों को भवन निर्माण स्वीकृति जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री अमराराम। (अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र राठौड़।

## स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

### जयपुर के नवनिर्मित मानस आरोग्य सदन का संचालन

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण बजटीय घोषणा की ओर दिलाना चाहता हूं जिस घोषणा को करके सरकार ने राज्य के गरीब, बीपीएल लोगों को जो हृदय रोग से ग्रस्त हैं, इलाज मुहैया कराने के सपने दिखाने का काम किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मैं मेरी बात पूरी करूं उसके पश्चात् राज्य के संवेदनशील चिकित्सा मंत्री दुर्रू मियां जी निश्चित तौर पर इस पर अपनी बात कहेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान वर्ष 2009-10 के बजट के पैरा 65 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, उसमें मुख्य मंत्री जी ने कहा कि राज्य में सरकारी क्षेत्र में हृदय रोग की चिकित्सा के लिए अलग से संस्थान नहीं है जिसके कारण आम नागरिक और विशेषकर बीपीएल के लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। अत: हमने मानस आरोग्य संस्थान मानसरोवर, जयपुर में हार्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना करने का निर्णय लिया है और चालू वर्ष में 16 करोड़ का प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, इसी सत्र के अन्दर 26 फरवरी, 2010 को मुख्य मंत्रीजी जब महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर दे रहे थे तो मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि हम शत-प्रतिशत बजटीय घोषणाओं को पूरा करेंगे। हमने 343 घोषणाएं कीं, 278 घोषणाएं पूरी कीं। इन घोषणाओं के साथ ही, अध्यक्ष महोदय, एक आशा जगी राजस्थान के गरीब व्यक्तियों के मन में कि पिछली बार जो घोषणाएं थीं। वे घोषणाएं पूरी होंगी। मानस आरोग्य संस्थान हार्ट इंस्टीट्यूट में बदलेगा। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, इस सस्ती लोकप्रियता से पहले चिकित्सा विभाग ने इस बात का आकलन नहीं किया कि इसके लिए मैन पावर कहां से आएगा। दूसरा बजट आपके सामने विचारार्थ आ गया, तब समाचार-पत्रों में एक विज्ञप्ति निकलती है कि 20 मार्च तक उसमें निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। उस मानस आरोग्य

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चिकित्सा संस्थान की जिसका 15,012 मीटर का भवन बना हुआ है, जिसमें 2,88,000 फुट कंस्ट्रक्शन एरिया है, 160 कमरे, 20 वार्ड, आठ आपरेशन थियेटर, 20 काटेज हैं। 28-डबल बैडेड, 250-बैडेड अस्पताल के सरकारी भवन पर लगभग 30 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और 100 करोड़ रुपये की भूमि है। अब पी.पी.पी. मोड का अचानक सरकार को ध्यान आया और एक टेलरमेड विज्ञप्ति जारी की गई। पहले कम्पनी को ढूंढा गया, फिर ऐसी शर्तें बनाई गईं कि उसमें दूसरा कोई भागीदार नहीं हो कहा गया कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, एक जमाने में दुर्लभजी को भी एक रुपये टोकन में जमीन दी गई थी, क्या दुर्लभजी की सीढ़ियों पर गरीब चढ़ सकता है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह षडयंत्र रचा गया। Expression of Interest (EoI) for development of Manas Arogya Sadan Heart Care Hospital & Institute, Jaipur का वह लेकर आया हूं, इसमें योग्यता रखी, निविदा की शर्त पृष्ठ (2) पर अंकित थी। वित्तीय योग्यता आप देखें अध्यक्ष महोदय, 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में आवेदक संस्था की कुल सम्पत्ति 30 करोड़ हो और दूसरी शर्त इसमें रखी कि आवेदक का विगत तीन वर्ष में 31 मार्च, 2009 तक सालाना शुद्ध लाभ 50 करोड़ का होना चाहिए। इसके बाद इसमें लिखा कि तकनीकी योग्यता क्या हो। आवेदक को 100-बैडेड अस्पताल का संचालन करने का पांच वर्ष का अनुभव हो या कार्डियक थोरोसिस सुपर स्पेशलिटी जो 50-बैडेड हो, उसका अनुभव हो। अध्यक्ष महोदय, इसमें तकनीकी योग्यता के भाग (2) में राज्य के +++ जो इसमें शर्त रखी, वह पढ़कर सुनाना चाहता हूं। 500 करोड़ रुपये कारोबार करने वाली कम्पनी को तकनीकी योग्यता में पूर्ण छूट होगी, यानी उनके पास अनुभव हो या नहीं हो। 500 करोड़ का जिनका टर्नओवर हो, चाहे चिकित्सा संस्थान उसने संचालित किया हो या नहीं किया हो, उसको 100 करोड़ रुपये की जमीन, 30 करोड़ रुपये का भवन सरकार सौंपने जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आपसे, पिछले वर्ष जुलाई के अन्दर बजट के अन्दर बजटीय घोषणा की, नौ महीने के बाद यह पी.पी.पी. मोड कहां से आ गया? आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, आप संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उन अनुत्तरित सवालों के बारे में जो आज हवा में तैर रहे हैं, लोग तरह-तरह की बात कर रहे हैं, मैं जवाब चाहता हूं। क्या यह मजाक नहीं है बी.पी.एल. परिवार के उन लोगों के साथ जिनको आपने एक वर्ष पहले सब्जबाग दिखाया था कि हम इस चिकित्सा संस्थान के माध्यम से उनका

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इलाज कराएंगे? इसलिए, अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मामला है। मैं सदन के नेता से भी चाहूंगा, वे मेरी बात सुन रहे हों, आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, 500 करोड़ की मिल्कियत वाले किसी धन्ना सेठ को यह सरकार 100 करोड़ रुपये की भूमि और सरकार की 30 करोड़ की लागत से बनने वाले इस चिकित्सालय को सौंपने जा रही हैं, यह षड्यंत्र है राज्य के उन गरीब लोगों के साथ और सीधे सीधे +++ इसलिए आपको जवाब देना चाहिए।

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती अनीता सिंह। श्रीमती अनीता सिंह। एक ही बात है।

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट का समय चाहिए। यह मानस आरोग्य सदन से संबंधित मैं निवेदन करना चाह रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष**: एक ही बात है, एक ही बात है। आप ही के दल के माननीय सदस्य हैं। श्रीमती अनीता सिंह। (व्यवधान) आप इनको नहीं बोलने देना चाहते हो क्या?

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय। नहीं, नहीं। इसको पी.पी.पी. मोड में देने की न तो सरकार की जो मंशा थी, वह पूरी होती है और न ही राज्य के गरीब परिवारों को इसका लाभ होगा। प्राइवेट हास्पिटल्स जिनको जमीन सस्ती दर पर दी गई थी, माननीय राजेन्द्रजी ने सही कहा है कि आज बड़े-बड़े अस्पताल चाहे संतोकबा दुर्लभजी हो, चाहे और अस्पताल हो, चाहे दिल्ली का अपोलो अस्पताल हो, जिनको एक रुपये में जमीन दी...

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती अनीता सिंह। आप शुरू कर रही हैं या नहीं?

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): आज गरीब मरीज इसमें एंटर होने की हिम्मत नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से, सरकार का किसी को अस्पताल बनाकर देने का मानस लग रहा है। वह बिलकुल गलत है।

**श्री अध्यक्ष**: कृपया आप विराजिये। विराजिये, विराजिये।

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): और मेरा एक निवेदन करना चाहता हूं...

**श्री अध्यक्ष**: एडजोर्नमेंट मोशन पर एक सदस्य को बोलने का मौका देते हैं, अब सारों को थोड़े ही सम्भव हो पाएगा।

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण इश्यु है, यहां पर जितने सेटेलाइट अस्पताल बने हुए हैं...

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, विराजिये। आपकी बात आ गई, मंत्रीजी ने सुन लिया, विराजिये आप। माननीय सदस्या अनीता सिंह जी। आप नहीं बोलना चाहती हैं तो मैं अगला नाम पुकारूं? शुरु करिये फिर आप।

**श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): हमारे नेता बोल रहे हैं, मैं कैसे बोलूं इनके आगे?

**श्री अध्यक्ष**: शुरु करिये फिर।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जयपुर के लिए, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूं।

**श्री अध्यक्ष**: एक मिनट में समाप्त कर दें।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): हां, एक मिनट में ही। अध्यक्ष महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हैं, यह मानस आरोग्य सदन मानसरोवर में, मेरे विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में है। अध्यक्ष महोदय, हमने बिना सरकार के 40 करोड़ रुपये इकट्ठा करके इस मानस आरोग्य सदन को निर्मित कराया। उसका भव्य भवन बनकर तैयार हो गया। यह केवल सांगानेर, मानसरोवर और आसपास के सारे रहने वाले लोगों के लिए जो एस.एम.एस. तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए जनरल अस्पताल और विशेषकर कोई स्पेशलिटी इसमें आ जाए, इसके लिए था। पिछली बार राज्य सरकार ने अपने बजट भाषण में इसको हार्ट इंस्टीट्यूट घोषित करके 16 करोड़ रुपये इसके लिए घोषित किये। अब राज्य सरकार किसी भी दूसरे आदमी को देना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने यह प्रयत्न किया तो हम राज्य सरकार को किसी भी कीमत पर प्राइवेट आदमियों को 400 करोड़ रुपये की सम्पति को नहीं देने देंगे। चिकित्सा मंत्रीजी, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने 40 करोड़ रुपये लगाये हैं, सांगानेर के लोग, मानसरोवर के लोग इसमें इलाज कराना चाहते हैं।

**श्री अध्यक्ष**: समाप्त करें, समाप्त करें। श्रीमती अनीता सिंह। श्रीमती अनीता सिंह। आपकी भावना आ गई।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): और चलाकर इसको देना चाहते हैं तो किसी भी कीमत पर भी नहीं देने देंगे, मैं आपको यह बता देता हूं, इस बात को आप ध्यान रख लें।

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती अनीता सिंह। श्रीमती अनीता सिंह।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आपके सामने सरकार आरोपित हो जाए, सरकार आरोपित हो जाए...

**श्री अध्यक्ष**: कृपया आप शांत हो जाएं। प्लीज, मैं अलाउ नहीं करूंगा। अंकित नहीं होगा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): ×××

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती अनीता सिंह। कृपया विराजिये। श्रीमती अनीता सिंह।

## नगर विधान सभा क्षेत्र स्थित वनबिहारीजी सेवल मन्दिर की गौशाला का अनुदान

**श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन के माध्यम से एक विषय आपके सदन के ध्यान में लाना चाहती हूं। मेरे नगर विधान सभा क्षेत्र में 250 वर्ष पुराना एक वनबिहारीजी का मंदिर है जो बिलकुल जंगल के अन्दर बीच में घने जहां चारों तरफ पहाड़ हैं, उसके बीच में है और वनबिहारीजी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, कि यह स्थल तपोस्थली है, यहां पर बहुत सारे साधु-संत हैं, बहुत समय से अपनी तपस्या करते हैं क्योंकि ये बहुत ही शांत इलाका है। इसके अन्दर एक गौशाला भी चलाई जाती है जो 20 वर्ष पहले यहां पर स्थापित की गई थी। मेरा आपसे निवेदन है कि इस गौशाला के अन्दर पुलिस के द्वारा पकड़ी गई गायें और बछड़े लाये जाते हैं, इसमें रखे जाते हैं। उनका भरण-पोषण इस गौशाला के अन्दर होता है। मेरा निवेदन है कि पुलिस पकड़कर जिन गायों और बछड़ों को लेकर आती हैं, वे दूध देने की स्थिति में नहीं रहती हैं, उनकी काया भी कमजोर होती है, बछड़े भी बहुत छोटे होते हैं। उनको हम कट्टी से बचाकर वहां पर लेकर आते हैं और उनके भरण-पोषण की व्यवस्था उस मंदिर के द्वारा कराने की कोशिश करते हैं। 350 गायें और 150

(श्रीमती अनीता सिंह)

बछड़े आज की तारीख में वहां मौजूद हैं। यहां पर पहले गौ-सेवा समिति भी चलती थी, जन-सहयोग से चारा उगाया जाता था, अब अकाल की वजह से उसकी पर्याप्त मात्रा नहीं हो पाती। जन सहयोग से चारा उगाने का प्रयास वहां के आसपास के लोग करते थे, वह नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह से गायों की वहां पर अकाल मृत्यु भी हुई है। उसके बाद में प्रशासन ने, 2006 में जो कलक्टर थे, उन्होंने नायब तहसीलदार सीकरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जिसमें हल्का पटवारी और गिरदावर को लगाकर उस गौशाला को चलाने की व्यवस्था की। जो उस समय वहां पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार, पटवारी थे, उनका एक स्पेशल इंट्रेस्ट भी था, वे वहां पर काम भी करते थे। लेकिन आज की तारीख में जो वहां पर हैं, वे गौशाला में गायों की देखभाल के लिए इतना इंट्रेस्ट नहीं लेते हैं। पहले गौशाला आयोग यहां राजस्थान में चलता था, उस गौशाला को तीन रुपये प्रति गाय के हिसाब से अनुदान भी देता था। लेकिन जब पांच-सात साल पहले उस अनुदान को रोक लिया गया। उस अनुदान को रोकने की वजह से, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि वहां पर जो गायें हैं उनके चारे की व्यवस्था, वहां पर वे बीमार हो जाती हैं उनकी दवाइयों की व्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा परेशानी आती है। उसके बाद जो गौशाला पर ग्वाले रहते हैं उनको तनख्वाह दी जाती है, वह भी चौदह हजार सात सौ दे रहे हैं। और चारा और उस पर खर्च करते हैं तो नौ हजार रुपये के करीब खर्चा आ जाता है। पूरा साल हमारी गायें जो बीमार हो जाती हैं तो गुड़, चना, जैसी भी उनकी दवाइयों की आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति करनी पड़ती है तो वहां पर साल में कम से कम सोलह लाख रुपये खर्च हो जाते हैं। वहां के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वे बहुत प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो क्षेत्र है वहां पर कोई व्यवसायी नहीं, सभी किसान वर्ग के लोग रहते हैं। किसानों के मन में गायों की सेवा करने का भाव तो बहुत है, उनकी सेवा करने का वह प्रयास भी करते हैं लेकिन वे इतनी बड़ी रकम वहां गौशालाओं के लिए एकत्रित नहीं कर पाते। मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, कि यह जो मंदिर है इस मंदिर के साथ लगती हुई डेढ़ सौ बीघा जमीन है। लेकिन वह जमीन अतिक्रमियों से भरी हुई है, उस पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, रिहायशी मकान बना रखे हैं और इस वजह से वहां पर चारे का या किसी और चीज का प्रयास भी करें वे साधु-संत, तो नहीं कर पाते हैं। तो मेरा निवेदन है एक तो अतिक्रमियों को वहां से हटाया जाए और गौशाला के लिए जो अनुदान की आवश्यकता है वह सरकार से दिलाया जाना चाहिए ताकि वहां की गायों की रक्षा हो सके।

(श्रीमती अनीता सिंह)

मेरा निवेदन है कि हम जो हिन्दुस्तान में लोग रहते हैं वे गाय को माता मानते हैं और हमारे यहां गाय की पूजा की जाती है, ऐसी दशा में हमारे क्षेत्र अगर गाय माता भूखी मरे, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो तो इससे ज्यादा शर्म की हमारे लिए और कोई बात नहीं हो सकती। मैं निवेदन करना चाहती हूं राज्य सरकार से देवस्थान विभाग द्वारा बहुत सारी गौशालाएं चलती हैं, सब जगह इनको अनुदान मिलता है तो इस पर अनुदान मिलना चाहिए। मेरा निवेदन है कि जिस पहाड़ पर यह मंदिर बना हुआ है, फोरेस्ट विभाग ने इसको संरिक्षत कर रखा है, वहां अवैध खनन भी हो रहा है, तो उसको भी रुकवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपसे मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करके यह निवेदन करना चाहती हूं कि जो अभावग्रस्त जिले हैं, उनमें जो ये अतिरिक्त गौशालाएं हैं, वहां पर जो बीमार गायें हैं, अपंग हैं, अंधी गाये हैं, उनको भी सरकार अनुदान दे ताकि हमारी गाय माता की रक्षा के लिए हम कर सकें।

**श्री अध्यक्ष**: श्री कालीचरण सराफ ।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): गौशालाओं के बारे में मेरा भी निवेदन है, वाकई में गौशालाओं को बहुत कम अनुदान दिया जा रहा है...

**श्री अध्यक्ष**: प्लीज, मैं अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज, नहीं। अंकित नहीं होगा।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): ×××

**श्री अध्यक्ष**: श्री कालीचरण सराफ । श्री कालीचरण सराफ। नहीं कर रहे हैं आप?

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): बोल रहा हूं न, साहब, दो जने एक साथ कैसे बोलें?

**श्री अध्यक्ष**: बोलो।

## जयपुर में बी-2 बाइपास निर्माण के बाद भी गोपालपुरा सड़क से भारी वाहनों का आवागमन

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान जयपुर के प्रमुख मार्ग गोपालपुरा रोड से जो भारी वाहन दिल्ली और आगरा से अजमेर जाते हैं, उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कई सालों से गोपालपुरा रोड से हजारों ट्रक आगरा और दिल्ली से अजमेर की ओर जाते हैं।

(श्री कालीचरण सराफ)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि इस रोड पर लगभग दो सौ कालोनियां बसी हुई हैं, जेडीए ने उन कालोनियों को एप्रूव कर रखा है और इन कालोनियों में लगभग तीन लाख लोग निवास करते हैं। आए दिन गोपालपुरा रोड पर दुर्घटनाएं होती हैं, दुर्घटना के कारण सैकड़ों लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है और कई लोग स्थाई रूप से विकलांग हो गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य प्रदूषण मण्डल ने भी 1998 में इस रोड पर वायु प्रदूषण की जांच की थी और कहा था कि जितना प्रदूषण होना चाहिए उससे दस गुना, बीस गुना ज्यादा प्रदूषण इस रोड पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 अक्टूबर, 1996 को माननीय उच्च न्यायालय में एक जन-हित याचिका इस रोड से हैवी ट्रैफिक बंद करने के लिए लगाई गई थी और उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया था कि इस रोड से भारी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया जाए। उस समय की जो सरकार थी, उन्होंने उच्च न्यायालय में ये आवेदन किया कि अभी हमारे पास वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए जब तक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं हो, यहां हमें भारी वाहन चलाने की अनुमति प्रदान। और उच्च न्यायालय ने यह अनुमति उनको प्रदान कर दी। इसके बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, 35 करोड़ की लागत से बी-टू बाई-पास सिक्स लेन का एक रोड बन गया है और मुख्य मंत्रीजी ने उसका लोकार्पण भी कर दिया। गोपालपुरा रोड के आसपास रहने वाले तीन लाख नागरिक यह सोच रहे थे कि अब इसका लोकार्पण हो गया, निश्चित रूप से सारा जो ट्रेफिक है, हैवी ट्रेफिक, वह उधर डाइवर्ट हो जाएगा। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि वहां यूडीएच के सैक्रेटरी जी.एस. संधू साहब का मकान है, उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग करके, माननीय मंत्रीजी को और सरकार को अपने प्रभाव में लेकर आज भी बी-टू बाई-पास बनने के बाद हैवी ट्रैफिक को उस रोड पर डाइवर्ट नहीं किया है। आज पूरे गोपालपुरा रोड की जनता आंदोलनरत है, उधर केवल चार सौ, पांच सौ मकान और इधर पचास हजार मकान, दो सौ कालोनियां। मेरे समझ में नहीं आता, सरकार ने 35 करोड़ रुपये की लागत से बी-टू बाई-पास का निर्माण कराया, आज तक उस पर हैवी ट्रेफिक डाइवर्ट क्यों नहीं किया गया। मैं मांग करना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी बी-टू बाई-पास पर हैवी ट्रेफिक डाइवर्ट किया जाए जिससे गोपालपुरा रोड पर जो आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, उससे निजात मिल सके। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्री शाले मोहम्मद।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): मंत्रीजी, बोलो।

**श्री अध्यक्ष**: श्री शाले मोहम्मद। श्री गुलाबचन्दजी कटारिया। पर्ची पर।

# पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

## अनुसूचित जाति-जनजाति की छात्राओं को शिक्षा-छात्रवृत्ति के भुगतान में विलम्ब

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): हां। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का ध्यान एक गम्भीरतम प्रशासनिक कमजोरी की ओर दिलाना चाहता हूं। संबंधित मंत्रीजी, आप भी इसको ध्यान सेसुनें, मैं सोचता हूं कि विषय भले ही कितना ही गरीब व्यक्ति व बच्चियों के लिए हो, हमने बजट में, ये जो है अपना बजट 09-10, इस बजट के पैरा-76 में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति और जनजाति की छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति में वृद्धि की जाएगी, यह घोषणा की थी। कक्षा छह और आठ की छात्राओं को बीस रुपये के स्थान पर पिचहत्तर रुपये एवं कक्षा नौ और दस की छात्राओं को चालीस रुपये के स्थान पर सौ रुपये छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव है। इस हेतु 17 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया हुआ है। मतलब बजट में प्रावधान है, उन बच्चियों को इस पैसे को देकर उनको शिक्षा से जोड़कर उनका भविष्य बनाने का मानस है। हम सब लोगों ने भी उसको सराहा कि किसी भी तरह से गरीब की बच्ची अगर शिक्षा से जुड़ जाएगी तो निश्चित रूप से आज नहीं, कल उसका भविष्य भी अच्छा होगा और उसके साथ-साथ प्रदेश का भविष्य सुधरेगा। लेकिन मुझे कहते हुए बहुत दुःख है, मंत्रीजी, कि यह बजट पास करने के बाद इतना समय गुजर आपने भी पता नहीं कितनी मानिटरिंग मीटिंग की होंगी कि बजट घोषणाओं की क्या स्थिति हुई, आपके सैक्रेटरी ने कितनी मीटिंग की होंगी कि जो बजट हमको मिला है उस बजट की क्या स्थिति है, आपके चीफ सैक्रेटरी ने भी बजट की मानिटरिंग की होगी कि हमने कौन-कौन सी घोषणा की थी, किस-किस स्थिति में वह आज दिन तक है। इतना सब आप लोगों के ध्यान है, मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं, अगर मशीनरी इसी ढंग से काम करेगी तो आपकी और मेरी मंशा कितनी ही अच्छी क्यों नहीं हो, हमने यहां कितने ही अच्छे कामों के लिए आपको बधाई दी हो, और सारा सदन भी इस बात के पक्ष में है कि बहुत अच्छी घोषणा है, लेकिन इसकी पालना करने वाली मशीनरी अगर इसी ढंग से काम करेगी, और इतनी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कमियां रखने के बाद भी अगर आप सब लोगों का मन उनको बचाने का ही रहेगा, तब तो आपकी इन सब भावनाओं का कोई अर्थ नहीं रहेगा। यह भी कौन-सी, वह गरीब बच्चियां हैं जो आठवीं और दसवीं में। यह पढ़ती हैं, जिनके लिए हमने चाहा था कि गरीब अनुसूचित-जाति जनजाति की बच्ची कम से कम इस आधार से भी स्कूल से जुडे। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, आज भी गरीब की बच्चियां कई बार स्कूल इसलिए आती हैं कि उनको खाना मिलता है, उनको ड्रेस मिलती है, उसको पढ़ने के लिए बीस रुपये वजीफा मिलता है। उनके घर वाले सोचते हैं कि चलो हमारी गरीबी में इतनी भी सहायता मिले तो मेरी बच्ची पढ़ जाएगी। जिस दिन आपने पिचहत्तर और सौ रुपये की घोषणा की उस दिन उस गरीब के मन में इतना उत्साह होगा कि मेरी बच्ची स्कूल जाकर और कुछ करेगी या नहीं करेगी,

लेकिन इस 100 रुपये से मेरे घर में कहीं-न-कहीं कोई तकलीफ के समय में मैं इस बच्ची की मदद करके इसको शिक्षा से जोड़े रखूंगा। लेकिन आपने तो बिलकुल उसका सत्यानाश करके रख दिया। मुझे मन को इतना दुःख और अफसोस है कि आखिर यह कौन मानिटरिंग करता है? यह कौन अधिकारी हैं जिनकी यह ड्यूटी थी कि इतने महीने गुजर जाने के बाद, अभी 2010-2011 का बजट भी पेश कर दिया, 2010-2011 का बजट पेश करने के बाद भी आज की तारीख में राजस्थान में एक बच्ची को भी यह 20 रुपये की जगह 75 रुपये नहीं मिला। उस 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाली बच्ची को आपकी घोषणा 40 रुपए की जगह 100 रुपये की थी, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, दुर्भाग्य है। मैं आपको केवल इसलिए आगाह कर रहा हूं कुछ मानवीय संवेदना रखो और मानवीय संवेदना के आधार पर इन अधिकारियों को खींचो। क्या मजाक कर रखा है! हमारी शिक्षा से जोड़ने वाली उस भावना की क्या तुमने कद्र की? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? यह आदेश होने के बाद भी इसकी पालना क्यों नहीं होती? आपको और मुझको सुनकर दुःख होगा इस बात का कि यह जो 20 रुपया मिलता है, तीन-तीन, चार-चार महीने तक उस बच्ची को नहीं मिलता है। क्या हम इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते इतना प्रशासनिक लवाजमा लेकर, 80-80 हजार रुपये महीने की तनख्वाह देकर। गरीब की तरफ से टैक्स दिया हमने, जिस पर आप और मैं दोनों पल रहे हैं। पहली तारीख को तनख्वाह उठाता हूं उस गरीब के टैक्स के आधार पर। उस गरीब की बच्ची को मदद करने का जहां सवाल आता है, सबको नींद आ जाती

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है। बड़े-बड़े पूंजीपतियों की समस्या आती हैं तो रात में अपने आप ध्यान में आ जाता है। मैं बहुत दुःख के साथ में यह कह रहा हूं जब मेरी जानकारी में यह आया तो मैंने सोचा कि प्रशासनिक तंत्र को यह हुआ क्या? तब मैंने पर्ची लगाई, और मैं सोचता हूं, यह पर्ची भी उन बच्चियों के भाग्य से लग गई। अगर पर्ची नहीं लगती तो आप और आपका डिपार्टमेंट सोया रहता। मेरी पर्ची लगने के बाद कल आपके डिपार्टमेंट ने बीकानेर से एक आदेश निकाला है राज्य सरकार के पत्र क्रमांक इतना-इतना दिनांक 14.10.2009 को, यह पत्रावली कब चली? 14.10.2009 को चली, पृष्ठांकित दिनांक कब की है? कल की। 11.3.2010 के क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कक्षा 6 से 8 तक की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत देय राशि 20 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 75 रुपये प्रति माह की दर से वित्तीय वर्ष 2009-10 में व्यय करने की स्वीकृति प्रदान करती है। यह कल की तारीख में आपका आदेश निकला है। यह दुर्भाग्य होता उन बच्चियों का अगर मेरी यह पर्ची नहीं लगती। आपसे या इससे वाहवाही लूटने के लिए या कोई मेरा नाम अख़बार में आएगा, इसके लिए नहीं, मैं अन्तर्मन के कष्ट से आपसे कह रहा हूं कि कम से कम आप इन चीजों को देखो। किसको तो आदेश निकालना था? सैक्रेटरी का आदेश कब सचिवालय से निकल कर आपके एलीमेंट्री के डायरेक्टर के पास पहुंचा? कब वहां से आदेश निकलना था? पैसा आपके पास 17 करोड़ पड़ा हुआ है लेकिन उस बच्ची को आज दिन तक एक नया पैसा भी नहीं मिला। यह कल का आर्डर है। केवल प्रारम्भिक शिक्षा का ही नहीं, दुर्भाग्य तो यह है कि सैकण्डरी स्कूल में भी जो हमने 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए किया, उसका भी एक नया पैसे का पेमेंट नहीं हुआ और न आपने आज दिन तक आदेश निकाला। यह सरकार चला रहे हो, क्या हो रहा है? हम केवल जनता की वाहवाही लूटने के लिए आते हैं। उसके कष्ट को समझने का प्रयास करते हैं। मैं आज भी आपको इस बात के लिए कि आपने यह पैसा बढ़ाया है, धन्यवाद देता हूं कि गरीब की बच्ची कम से कम इसी माध्यम से पढ़कर अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत रखेगी। लेकिन इस प्रशासनिक लवाजमे के कारण से जिस प्रकार की स्थिति बनी है, अगर इसके बाद भी उन सारे अधिकारियों पर जो दोषी थे, कार्यवाही नहीं हुई तो आपका और मेरा यहां बैठना झक-मारने के बराबर होगा। हम यहां पास करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, सब अधिकार देते हैं उसके बाद भी इसकी पालना क्यों नहीं हो सकती? और वह भी उन गरीब बच्चियों के लिए

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जिनको बड़ी मुश्किल से हमने स्कूल से जोड़ने का प्रयास किया। हमने मुफ्त किताबें दी, हमने ड्रेस दी, मिड-डे मील दिया और सोचा कि आज नहीं कल भविष्य अच्छा होगा। लेकिन आपकी लापरवाही के कारण से, मंत्रीजी, आपकी मानिटरिंग करने की ड्यूटी नहीं है? क्या किया आपने? आपने मानिटरिंग की? इस घोषणा के बाद भी अगर समय पर मानिटरिंग होकर आदेश नहीं निकलता, मैं सीधा चार्ज आपको करता हूं, आप स्वयं शिड्यूल्ड कास्ट के होने के बाद भी अगर ये छात्रवृत्ति देने...

**श्री अध्यक्ष**: अब आप समाप्त करे कृपया।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): उस बच्ची के पास नहीं पहुंची, इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस सदन का, आपका, मेरा नहीं हो सकता। क्या मजाक बनाकर रख दिया?

**श्री अध्यक्ष**: कृपया समाप्त करें। श्री ज्ञान चन्द पारख।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): मंत्रीजी, इसके लिए कुछ तो कहो, इसके खिलाफ कार्यवाही करो। इतनी बड़ी-बड़ी तनख्वाह देते हो, क्या कर रहे हो?

**श्री अध्यक्ष**: आप विराजें।

**मास्टर भंवरलाल मेघवाल** (शिक्षा मंत्री): आपको लिखित में उत्तर दिया है और जिस अधिकारी के यहां देरी हुई है, जांच कराकर उसके खिलाफ कार्यवाही करने की बात करेंगे। मैंने ...(व्यवधान) ये बहुत स्पष्ट है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): ये हुई न बात।

## पाली नगर परिषद की धान मण्डी योजना के आबंटियों को भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1971 में नगर परिषद पाली में तिलक नगर धान मण्डी योजना में 48 लोगों को भूखण्ड दिये गये। उनको पट्टे भी दे दिये और उसके बाद 1973 में उनको भवन निर्माण की स्वीकृति भी जारी कर दी। लेकिन 1980 में एकाएक बिना कोई कारण बताये वे 48 के 48 पट्टे नगर परिषद, पाली ने निरस्त कर दिये। लोगों की राशि जमा थी नगर परिषद पाली में, लेकिन चूंकि ज़मीनों की कीमतें बढ़ गई तो वे भूखण्ड उन्होंने निरस्त कर दिये। लेकिन राज्य सरकार ने 2.12.1980 को जो नगर परिषद ने भूखण्ड निरस्त किये थे, उस आदेश को

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

निरस्त कर दिया कि नहीं नगर परिषद पाली ने यह काम गलत किया है उनके पट्टे यथावत रहने चाहिए। उसके बाद 10.4.1989 को, माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद पाली ने वापस उन आबंटित भूखण्डों के पट्टे निरस्त कर दिये। सरकार से लोगों ने अपील की, नगर परिषद के सामने भी गिड़गिड़ाये। लेकिन उनके पट्टों को बहाल नहीं किया गया तो मजबूरन वे लोग हाई-कोर्ट में गये। हाई कोर्ट ने उनकी पीड़ा समझी और उनकी याचिका को सही मानते हुए 15.11.07 को आबंटियों के पक्ष में निर्णय दे दिया। निर्णय के साथ नगर परिषद पाली की कार्य प्रणाली पर जो टिप्पणियां की गयी, वे बहुत ज्यादा शर्मनाक हैं। वह पढ़ लें टिप्पणी आप कि नगर परिषद पाली किस प्रकार काम कर रही है। हाई-कोर्ट के आदेश के बाद लोगों में ये उम्मीद बढ़ी कि अब तो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दे दिये हैं, अब तो हमको भवन निर्माण की स्वीकृति मिल जाएगी। 14.3.2008 को 24 लोगों ने इजाजत हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया, इजाजत नहीं दी गयी। चार पार्टियों को नगर परिषद ने नोटिस दिया। जैसा नोटिस दिया, उसका उत्तर उन लोगों ने दे दिया। उसके बाद में भी इजाजत नहीं दी गयी। नगर परिषद की मंशा ठीक नहीं थी क्योंकि ज़मीनों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं और परिषद को लगा, किसी प्रकार यह भूमि हम उनसे ले लें तो शायद हमको अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ये पट्टे कैसे कैंसिल करे, इसके लिए वे जुगाड़ करते रहे। 15.7.2008 को अख़बार में नोटिस दिया जिसमें इस आवासीय योजना में बदल कर मूल आबंटियों को भूखण्ड दिया जाना बताया, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि पहले हमने ओर किसी को भूखण्ड दे दिये हैं पहले आप ये पट्टे सरेण्डर करो।

उनके पास पट्टे थे सरेण्डर नहीं किये। उन्होंने लगातार कमिश्नर से इजाजत की मांग की। इजाजत की मांग पर कोई न कोई कमी निकाल कर नोटिस दिये। कभी कहा, चैन आफ टाइटल लाओ, कभी यह पेपर लाओ, और उनसे चक्कर लगवाते रहे। 20.4.2009 को आयुक्त को पत्र लिख कर वापस नोटिस दिया कि आप इजाजत दो, परन्तु आयुक्त ने हाई-कोर्ट के आदेश के बावजूद भी प्रार्थियों के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। प्रार्थी लगातार नगर परिषद में चक्कर लगा रहे हैं कि जो भूखण्ड उनको 1971 में मिला था, आज चालीस साल होने को आ गये, उस भूखण्ड का मालिकाना हक मिल जाए। लेकिन चालीस साल बाद भी नगर परिषद वो हक देने को तैयार नहीं है। आयुक्त ने और परिषद ने यह भी कह दिया कि आपको तो धान मण्डी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

योजना के नाम से भूखण्ड आबंटित किया था, आप यहां धान की दुकान लगाओगे तो हो सकता है, हम आपको इजाजत दे दें। जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया था कि वो कहीं भी कुछ भी व्यापार कर सकते हैं और यदि उन्हें अन्य काम में ये भूखण्ड लेने होंगे तो वो कन्वर्जन चार्ज भरवा कर नियमानुसार कर सकेंगे। यह आदेश में स्पष्ट था, लेकिन आज तक वो पत्रावलियां ठंडे बस्ते में पड़ी हैं। जो आबंटी हैं वो चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, गुहार कर रहे हैं पर कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यही आग्रह है यहां बैठे हैं, कि 41 साल हो गये, आप हर काम में बहुत फास्ट हैं, आपके यहां से एक बार निर्देश चले जाएंगे तो ये जो 48 लोग अपने भूखण्ड के निर्माण के लिए चालीस साल से इजाजत का इंतजार कर रहे हैं, उनको इजाजत मिल जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह दूं आपको कि जो व्यक्ति हाई-कोर्ट में गया था वो कैंसर का मरीज है, उसकी उम्र 48 साल हो गयी वो बड़ी उम्मीद लिये बैठा है कि कुछ न कुछ मंत्री महोदय कृपा करेंगे और हमारा यह जो लम्बित काम है उसका निस्तारण करवाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि इस बारे में कुछ न कुछ वो सदन को आश्वस्त करें कि वो तुरन्त कार्यवाही करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया तो मेरा जवाब भी दिलवा दें आप।

**श्री अध्यक्ष**: विराजें प्लीज।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): जैसा भी मंत्रीजी जवाब देना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने दिया है, साहब। जवाब दिया है।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने...

**श्री अध्यक्ष**: श्री हनुमान बेनीवाल।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा भी बहुत गम्भीर है, 48 लोग चालीस साल से...।

**श्री अध्यक्ष**: अब आप समाप्त करें।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): माननीय मंत्री महोदय विराजे हुए हैं।

**श्री अध्यक्ष**: प्लीज। श्री हनुमान बेनीवाल।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): कोई आश्वासन दिलवा दें इनसे कि जांच करेंगे, दिखवाएंगे, पूछेंगे, कुछ तो करें।

**श्री अध्यक्ष**: अब आप विराजें। आप मेहरबानी करके विराज जाएं।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): नहीं, अभी माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने...

**श्री अध्यक्ष**: श्री हनुमान बेनीवाल।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने ...

**श्री अध्यक्ष**: नहीं।

## यातायात विभाग द्वारा प्राइवेट जीपों से सरकारी कार्य

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान आज एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं, आज से 15 माह पूर्व जब राजस्थान विधान सभा के चुनाव हुए तो उन चुनावों के अन्दर कांग्रेस पार्टी ने अखबारों के अन्दर बड़े-बड़े विज्ञापन दिये और प्रदेश की जनता को यह कह कर भ्रमित किया ...

**श्री अध्यक्ष**: काहे पर बोल रहे हैं आप?

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): एक मिनट मेरे को बनाने तो दो थोड़ा।

**श्री अध्यक्ष**: काहे पर बोल रहे हैं? पर्ची पर?

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): प्रदेश की जनता को... पर्ची पर बोल रहा हूं, साहब। मैं मेरे मूल विषय पर आ रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष**: हां, मूल विषय पर आ जाओ आप सीधे।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): एक मिनट लगेगा बनाने में थोड़ा।

**श्री अध्यक्ष**: न मिनट लगेगी न घंटा लगेगा, सीधे आप मूल पर आ जाओ।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): पूर्ववर्ती सरकार पर 22 हजार करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप लगाये, लेकिन 15 महीने बीत जाने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय ने जिस माथुर आयोग का पूर्ववर्ती सरकार की जांच करने के लिए गठन किया गया था उसको निरस्त करके ...

**श्री अध्यक्ष**: प्रदेश में यातायात विभाग द्वारा प्राइवेट जीपों को सरकारी कार्य हेतु लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। याद दिलाया है।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): सरकार की पोल खोल दी। ऐसा ही

(श्री हनुमान बेनीवाल)

एक मामला आपकी सरकार के अन्दर परिवहन विभाग के अन्दर चल रहा है, अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष**: आपकी किसकी सरकार?

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): आज वर्तमान सरकार के एक महकमे के अन्दर खुले आम प्रदेश में चौथ वसूली हो रही है। सबसे बड़ी बात कि प्रत्येक डीटीओ और आरटीओ आफिस के अन्दर प्राइवेट जीपें लगा रखी हैं प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और प्राइवेट ड्राइवर खुद अपनी जीप लगाने के लिए, जीप मालिक पचास हजार रुपये प्रति महीने और सिक्योरिटी गार्ड बीस हजार रुपये प्रति महीने देकर अपनी जीप लगाने के लिए कतारबद्ध खड़े रहते हैं। जीपें उन्हीं की लगती हैं जिनकी +++ और शाम को इसका पूरा हिसाब-किताब होता है और +++ मैं ऐसा ही एक मामला आपके सामने अध्यक्ष महोदय, ...

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, यदि आप व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं तो नियमों में उसका प्रावधान है।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): मैं सबूत के साथ कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह तो रोज का काम हो गया है। परम्पराएं कहां चली गयीं? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: नियमों में प्रावधान है इसलिए आप आरोप नहीं लगाएं।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): मैं सबूत के साथ आरोप ...(व्यवधान)

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) रोज का काम हो गया है यह तो ...(व्यवधान) तमाशा हो गया।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, नियमों में प्रावधान है उसके माध्यम से आप आपनी बात कर सकते हैं। (व्यवधान) आप पहले नोटिस देकर अगर आरोप लगाते हैं तो अलग बात है, आप इस तरह से आरोप सीधे नहीं लगाएं।

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): बिना सबूत के आरोप नहीं लगाने चाहिए आपको। आप बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं। सबूत हैं क्या आपके पास? बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं आप। जब सबूत ही नहीं हैं तो आरोप नहीं लगाने चाहिए आपको।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): मैं सबूत के साथ बात कर रहा हूं। अगर मंत्रीजी में दम है तो इस्तीफा देकर इस पूरे प्रकरण की जांच करा लें।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

अगर दोषी पाये जाएं तो मंत्रीजी इस्तीफा दे दें, नहीं तो मैं खुद इस्तीफा देने को तैयार हूं, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय विधायक, बैठें। आप बैठिये।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): आज अकेले किशनगढ़ से ...

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप विराजें। मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं। आप विराज जाएं।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): ... +++

**श्री अध्यक्ष**: आप विराजें। मंत्रीजी कह रहे हैं। आप विराजें।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): मैं नाम सहित आपको सारा रिकार्ड दे रहा हूं सिर्फ एक राष्ट्रीय राज मार्ग का।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले आप उनको बंद करें।

**श्री अध्यक्ष**: मैं आपसे निवेदन करूंगा, मंत्रीजी को पहले बोलने दीजिये, कुछ कह रहे हैं। आप बैठ जाएं। अंकित नहीं होगा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं हो रहा है।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं हो रहा है। कृपया पहले आप विराजें, माननीय सदस्य। आप अपनी बात को बीच में रोक कर कृपया विराजें। कृपया विराजें। अंकित नहीं हो रहा है। विराज जाएं आप एक बार। माननीय मंत्री जी ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): ...(व्यवधान)...

**श्री अध्यक्ष**: आप कृपया विराज जाएं। डिस्टर्ब नहीं करें। उनकी बात को बीच में रोका है, बंद नहीं किया। उनकी बात को बीच में रोका है। मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं, आप विराजिये।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को विनम्र निवेदन करना चाहता हूं जो भी आरोप अभी माननीय सदस्य लगा रहे थे उनको मेहरबानी करके टेबल करवा लें। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य को मैंने बीच में रोका है।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): मैं आरोप भी टेबल करूंगा। राजस्थान सरकार ने ऐसे नियम बना रखे हैं कि उन अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग नहीं देंगे जिनकी इन्क्वायरी अधूरी है या जो चार्जशीटेड हैं। उनको जहां से महत्वपूर्ण रेवेन्यू अर्जित हो, उन पदों पर नहीं लगाया जाएगा। लेकिन जयपुर में आरटीओ जगरूप यादव को लगा रखा है। पहले जब वह जयपुर का डीएसओ था तो उसने बहुत बड़ा घोटाला जयपुर जिले में किया था। सस्पैंड हुआ, इन्क्वायरी पैंडिंग है और आज वह जयपुर का आरटीओ लगा हुआ है। वह किसके इशारे पर जयपुर का आरटीओ लगा है?

**श्री हेमसिंह भड़ाना** (थानागाजी): अध्यक्ष महोदय, पहले उसको सस्पैंड कराओ।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): बांदीकुई और बनास से जो बजरी भरतपुर जाती है, उन बजरी वालों से 10 लाख रुपये दौसा का डीटीओ हर महीने वसूल करता है। अकेले किशनगढ से सैकडों ट्रोले जो पूरे हिन्दुस्तान में मार्बल लेकर जाते हैं, प्रत्येक ट्रोले से 30 हजार रुपये प्रति माह अजमेर का डीटीओ वसूल करता है। आज सरकार इस सदन में यह घोषणा करें, अध्यक्ष महोदय, आपसे हमें बड़े न्याय की उम्मीद है, जिस बात को लेकर इन्होंने सरकार बनाई और जनता को भ्रमित किया कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन तीन दिन में सदन में सिवाय भ्रष्टाचार के कोई दूसरा मामला ही नहीं गूंज रहा है। +++

**श्री अध्यक्ष**: आप टेबल कर दीजिए जो मंत्रीजी ने कहा है।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले की आप एसीबी से जांच कराएं तो सच्चाई सामने आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): आपने आरोप तो लगा दिये यहां पर, कम से कम सबूत तो यहां रखिए। अध्यक्ष महोदय, अगर इसी तरह से सदन चलता रहा कि कोई भी माननीय सदस्य ....

**श्री अध्यक्ष**: मैंने कहा न, आरोप टेबल कर दीजिए।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): कोई भी माननीय सदस्य बगैर नोटिस के किसी के भी खिलाफ आरोप लगाते रहे तो ....

**श्री अध्यक्ष**: मैंने कहा है, आरोप टेबल कर दीजिए।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): लेकिन उनको इस बात के लिये तो प्रताड़ना दीजिए कि उन्होंने बगैर नोटिस के आरोप कैसे लगाये।

**श्री अध्यक्ष**: मैंने यही कहा है कि आप टेबल कर दीजिए।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): आपको यह भी तो कहना पडेगा न कि बगैर नोटिस के आरोप कैसे लगाया उन्होंने। +++ आपको कहना तो पडेगा न इनको। (व्यवधान) हर कोई आरोप लगा देगा, तमाशा हो गया बिलकुल। (व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): +++ (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: क्या करूं, बताओ ? (व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): +++ अभी उठेंगे सारे के सारे। +++

**श्री अध्यक्ष**: ...(व्यवधान) प्लीज मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज बैठिए। (व्यवधान) प्लीज बैठिए, मंत्रीजी। (व्यवधान) मैं किसी को अलाउ नहीं कर रहा हूं।माननीय यातायात मंत्रीजी। और सब विराजिए। माननीय यातायात मंत्रीजी।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मामला पर्ची के माध्यम से जीपों को लेकर उठाया है, उसके बारे में मैं सदन को कुछ बातें कहना चाहता हूं। परिवहन विभाग में उड़न दस्तों के पास पर्याप्त सरकारी वाहनों की उपलब्धता नहीं होने के कारण संविदा के आधार पर विभिन्न परिवहन कार्यालयों में उपयोग हेतु 148 संविदा वाहन किराये पर मय वाहन चालक निविदाओं के आधार पर लिये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त विभाग में 98 सरकारी वाहन भी उपलब्ध हैं। इनमें से 66 वाहन उड़न दस्तों के द्वारा तथा शेष वाहन मुख्यालय पर अन्य कार्यालयों के उपयोग में लिये जा रहे हैं। सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में समयबद्ध कार्य-योजना बनाई जाकर विभागीय उडन दस्तों को सरकारी वाहन उपलब्ध कराये जाएंगे। इस वर्ष 42 वाहन एवं 5 इंटरसैप्टर लगे हुए वाहन क्रय किये जा चुके हैं तथा इन वाहनों को अधीनस्थ कार्यालय के उपयोगार्थ विभिन्न उड़न दस्तों को आबंटित कर दिया गया है। विभाग द्वारा इसी वित्तीय वर्ष में 35 वाहन नये क्रय करने की कार्यवाही की जा रही है जिनमें से वाहन चालकों की व्यवस्था के विषय में प्रकरण वित्तीय विभाग में विचाराधीन है तथा आगामी वित्तीय वर्ष में 60 नये वाहन क्रय करने का प्रावधान किया जा चुका है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी चित्तौड़, बीकानेर, जयपुर, सीकर एवं जिला

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

परिवहन कार्यालय शाहजांपुर के अधीनस्थ समस्त उड़न दस्तों को सरकारी वाहन उपलब्ध करा दिये गये हैं। विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सरकारी वाहनों को उड़न दस्तों को आबंटित किया गया है तथा कार्यालय अधिकारियों को पर्यवेक्षीय कार्य के लिये संविदा वाहन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। विभाग की प्राथमिकता सर्वप्रथम उड़न दस्तों को सरकारी वाहन उपलब्ध कराने की है और इसी क्रम में विभागीय प्रोत्साहन मद में से 47 वाहन खरीदे जा चुके हैं। इस वर्ष 35 वाहन और खरीदने की कार्यवाही की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, यह तो जीपों से संबंधित जो कार्य योजना थी, वह मैंने सदन को बताई। लेकिन उसके बावजूद चूंकि मामला भ्रष्टाचार का बताया गया है, मेरे पास दो विकल्प हैं। एक विकल्प यह है, मैं किसी चीज को छिपाना नहीं चाहता, मेरे पास दो विकल्प हैं- एक विकल्प, मैं इसकी जांच कराऊं और जांच कराने के बाद दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करूं। दूसरा यह विकल्प भी मेरे पास मौजूद है, अध्यक्षजी कि आप अपनी समिति बना कर या किसी व्यक्ति विशेष से आप जिसको ठीक समझें, उसके साथ जो कागज टेबल किये गये हैं उनकी जांच करा लें और उसके बाद कोई अधिकारी या कर्मचारी जो समिति निर्देश देगी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): अभी पिछले 15 महीने में ...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, इस बहस में अब एक बात तय हो गई कि माननीय सदस्य ने कुछ आरोप लगाये और माननीय मंत्रीजी ने बिलकुल साफ शब्दों में कह दिया कि आप किसी से भी जांच करा लें। मुख्य रूप से यह मामला सारा जयपुर जिले से और आस-पास की जगहों से जुडा हुआ है। (व्यवधान) मंत्रीजी ने स्पष्ट कहा है कि वह जांच कराना चाहते हैं। मंत्रीजी का अगर हाथ होता तो मंत्रीजी कहते नहीं, जांच कराओ। मंत्रीजी खुद जांच करा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप इतनी बडी बात मत करो आप एक छोटी-सी बात ही कर लो, तीन बातें जो इन्होंने कही हैं कि गार्ड लगाते हैं वो, 50 हजार रुपये में जीप लगाते हैं वो और जो लाल पट्टी लगा कर प्राइवेट गाड़ियां सडकों पर खड़ी होकर उड़न दस्तों के रूप में लोगों से जो चार्ज करती हैं वो, इन तीन चीजों की जांच के लिये अगर आप जयपुर कलक्टर से 10 दिन में, 15 दिन में या 7 दिन में जांच करा लेंगे तो सारी स्थिति आपके सामने आ जाएगी।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (यातायात मंत्री): मुझे कोई एतराज नहीं है।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): इसका अर्थ यह हुआ कि जो कुछ आरोप है वह इन अधिकारियों पर है......

**श्री अध्यक्ष**: प्लीज मंत्रीजी, मंत्रीजी, आसन पांवों पर है। मंत्रीजी।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): .... मंत्री के खिलाफ बोलने पर ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: मंत्रीजी, आसन पांवों पर है। मंत्रीजी, अंकित नहीं होगा।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): ×××

**(समय : 13.00 बजे)**

**श्री अध्यक्ष**: पहले उनको जवाब पूरा दे देने दीजिए, उनके विभाग से संबंधित आरोप लगे हैं। मंत्रीजी बोल रहे हैं। मंत्रीजी को बोलने दीजिए, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे कोई भी (व्यवधान) प्लीज।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, मुझे तो जो कुछ कहना था, वह सब आपके सामने कह चुका हूं। बाकी जो फैसला सदन करेगा, मुझे मंजूर है। आप कहेंगे, मुझे मंजूर है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): जयपुर कलक्टर की छोटी-सी बात की है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (यातायात मंत्री): मैं जांच करा दूंगा। मुझे जांच कराने में कोई एतराज नहीं है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के उप नेता...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: प्लीज, प्लीज, मंत्रीजी का उत्तर सुन लीजिए, प्लीज विराजिये।

**श्री अध्यक्ष**: मैं अलाउ नहीं करूंगा।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: कृपया मंत्रीजी का उत्तर सुनिये।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, जैसा कि सदन के उप नेता ने कहा है, मैं उसके मुताबिक भी जांच कराने को तैयार हूं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: चर्चा समाप्त।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (यातायात मंत्री): लेकिन मेरे खिलाफ जो चार्ज

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

लगाए गये हैं उनकी जांच, जो टेबल किये गये कागज, उसके मुताबिक होनी चाहिये और जिसने गलत दिये हैं उसके खिलाफ सदन को कार्यवाही करनी चाहिये। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: चर्चा समाप्त। (व्यवधान) चर्चा समाप्त करें। चर्चा समाप्त करें।

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): ×××

**श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: चर्चा समाप्त करें।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री अध्यक्ष** : जांच का आश्वासन दे चुके हैं । (व्यवधान) चर्चा समाप्त। मैं अलाउ नहीं करूंगा।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, इस मामले में आपका इनसे ज्यादा अनुभव है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आपसे इनका ज्यादा अनुभव है।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): ×××

**श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: चर्चा समाप्त, अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): प्रश्न यह नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। पर्ची के माध्यम से माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये है, ये सदन की मर्यादा और परम्पराओं का उल्लंघन है । एक माननीय मंत्री जी के ऊपर आरोप लगाने की बात जो आ रही है उसके ऊपर मैं निवेदन करूंगा न सिर्फ इस बात के लिए कि एक भ्रष्ट अधिकारी की बात की जा रही है, एक मंत्री पर सीधे रूप में आरोप और लगातार आरोप लगाये जाकर इस सदन में मर्यादाओं और परम्पराओं की बात की जा रही है इस बात पर प्रश्न है। इस बात पर प्रश्न है कि माननीय संसदीय मंत्री अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं और उस पर यह बात आती है, इस बात पर विरोध है और इस बात पर मेरा निवेदन है कि व्यवस्था दी जाए। ये नियम 272 क्या कहता है, इसके बारे में माननीय सदस्य को बताया जाए।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर): ×××

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): ×××

**श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर): ×××

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): ×××

**श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): ×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: चर्चा समाप्त। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री शांती कुमार धारीवाल। श्री शांती कुमार धारीवाल। (व्यवधान) चर्चा समाप्त। कोई अंकित नहीं होगा। चर्चा समाप्त, कोई अंकित नहीं होगा। कोई व्यवधान नहीं होगा। चर्चा समाप्त ।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री नगराज** (धरियावद): ×××

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं होगा। श्री शांति कुमार धारीवाल।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): ××× (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आप चालू करें, श्री शांती धारीवाल। सदन की मेज पर रखे जाने वाले। (व्यवधान)

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं होगा, किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): ×××

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सदन....

**श्री अध्यक्ष**: आप रखिये न।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): सदन नियमों से....

**श्री अध्यक्ष**: आप रखो ना इसको।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): कर रहा हूं, साहब, कर रहा हूं। (व्यवधान) सदन को आर्डर में लाइये।

**श्री अध्यक्ष**: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि, श्री शांती कुमार धारीवाल।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सदन नियमों के अन्तर्गत चले, इसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: इसलिए आप कृपया चलाने दीजिए। (व्यवधान)

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): नहीं, चलाने का सवाल नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**: मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): आप जानते हैं, कोई ... (व्यवधान) देखिये, बहुत आसान बात है।

**श्री अध्यक्ष**: आप केवल अपने विषय पर आ जाएं। (व्यवधान)

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बहुत आसान बात है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आप अपने विषय पर आ जाइये।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): नहीं, अध्यक्ष महोदय, बहुत आसान बात है ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आप विषय पर आ जाइये।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): इस तरीके के आरोप उधर से लग सकते हैं तो फिर ...(व्यवधान) इधर से भी लग जाएंगे आरोप। (व्यवधान) इधर से भी लग जाएंगे, आरोप इधर से भी लग जाएंगे। आरोप इधर से भी लग जाएंगे। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): ×××

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): ×××

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): अगर वह लगाते हैं इस तरीके के आरोप तो...(व्यवधान) इधर से भी लग जाएंगे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): ×××

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): ×××

**(सदन में भारी शोर शराबा)**

**श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा): ×××

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): नहीं चलने देंगे। (व्यवधान) याद रखो आप।

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): ×××

**श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर): ×××

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)**

**(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा शोर-शराबा व नारेबाजी)**

**श्री अध्यक्ष**: सदन की कार्यवाही दो घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 13.09 बजे दो घंटे के लिए स्थगित हुई)**

**(पुन: समवेत होने पर**

**(समय : 15.09 बजे)**

**(श्री सुरेन्द्रसिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)**

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): सभापति महोदय, आज जिस वातावरण के अन्दर सदन स्थगित हुआ, संसदीय कार्य मंत्री महोदय द्वारा आसन पर जिस तरह की फब्तियां कसी गयीं ...(व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आप यहां पर लगाते रहते हो, माननीय सदस्य, तारानगर से आने वाले, जिस तरह की हरकतें आप करवा रहे हो सदन के अन्दर...(व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, आप पहले व्यवस्था दें। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): मैं आपकी अनुमति से सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 273 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। (व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय सभापति महोदय को कहते हो, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर साहब बोलते हैं तो उनको बोलने नहीं देते हो। नहीं, क्यों बोलो आप? मन आए जिस पर ही गलत आरोप लगा देते हो? किसी पर भी यह आरोप लगा देते हैं। (व्यवधान)

**श्री बाबूलाल नागर** (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): बिना कोई आधार, बिना तथ्य के किसी पर भी आरोप लगा देते हैं। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): नहीं, क्यों बोलें आप? हर मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना चाहते हो ...(व्यवधान)

**श्री बाबूलाल नागर** (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): एम.एल.ए. का सम्मान होता है। एक विधायक गरिमामय पद होता है, राजस्थान के दो लाख लोग उसको वोट देकर बनाते हैं ...(व्यवधान)...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रियाओं के नियम ...(व्यवधान) आपका ध्यान ...(व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): यह कोई बात थोड़े ही हुई, राठौड़ साहब, कि ...(व्यवधान)

**श्री बाबूलाल नागर** (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आप एम.एल.ए. हो, आप विधायक हो, आपका कहना है कि चुनाव जीतकर आए हो, बेवजह बात पर कुछ भी बता देते हो ...(व्यवधान) चुनाव जीतकर आए हो। (व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्षजी ने कहा उस पर पहले निर्णय होने दो आप। ...(व्यवधान)...

**श्री बाबूलाल नागर** (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यह कोई तरीका अच्छा नहीं है।

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): जो आरोप लगाये हैं ... (व्यवधान)...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): मुझे आपने अनुमति दी है। माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): जोर से बोलने से कुछ नहीं होता है। (व्यवधान)

**श्री बाबूलाल नागर** (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): कल को कोई आप पर आरोप लगा दे तो ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): यह क्या है?

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): पहले आरोप लगे हैं उनका खुलासा करना चाहिए। उसके बाद आप ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): और मैंने ...(व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आप सब पर आरोप लगाते जाओगे तो ...(व्यवधान)

**श्री बाबूलाल नागर** (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): किसी पर भी आरोप लगा दो ...(व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आप सब पर आरोप लगाते जाओगे? (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): मुझे आपने कृपापूर्वक अनुमति प्रदान की है।

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): यह कोई बात हुई? आप पर आरोप लगेगा जब आप ...(व्यवधान)

**श्री बाबूलाल नागर** (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आपके उप नेता महोदय से मैं मिला हूं। माननीय ...(व्यवधान) महोदय से मिला हूं। आप उनको खड़े करके इनसे आग्रह करो। (व्यवधान)

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): गत विधान सभा में ... (व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): हर किसी पर आरोप लगा देते हो और यहां पर ...(व्यवधान)... और कहना चाहते हो ...(व्यवधान)

**श्री बाबूलाल नागर** (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यह शोभा की बात है क्या? यह अच्छी बात नहीं है। (व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): नियम और प्रक्रियाओं का सबको पता है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, इनको बोल लेने दीजिए। बाद में बोल लेंगे यह। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): आपने मुझे अनुमति प्रदान की है। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): इनको बोल लेने दीजिए। (व्यवधान)...

**श्री बाबूलाल नागर** (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यह गलत परिपाटी मत डालिये। (व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): यह खुद उकसा रहे हो ...(व्यवधान)

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): गत विधान सभा में आपने जो व्यवहार किया उसकी आप प्रोसीडिंग्स निकाल लें तो आपको उपदेश देने का कोई हक ही नहीं बनता है। (व्यवधान)

**श्री बाबूलाल नागर** (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): देवनानीजी, आप ...(व्यवधान) निगम में हार गये और पंचायत में हार गये। (व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): हर किसी पर आरोप लगा रहे हो। (व्यवधान)

**श्री बाबूलाल नागर** (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आप नगर निगम हार गये, पंचायत हार गये, सांसद चुनाव में हार गये।

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): कोई हक ही नहीं बनता। माननीय मंत्री महोदय, अब मंत्री हो गये तो आपको यह सारा उपदेश ध्यान में आ गया? ...(व्यवधान)...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): बाद में बोल लेंगे वह, विराजो आप।

**श्री बाबूलाल नागर** (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सांसद के चुनाव में हार गये। यह कांग्रेस ...(व्यवधान) आप हार गये कि नहीं हारे? (व्यवधान)

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): आप उपदेश दे रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री बाबूलाल नागर** (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): जनता ने जो जनादेश दिया है वह जीत गया। (व्यवधान) यह बताने से इल्जाम नहीं चलेगा। (व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय सभापति महोदय, अगर कोई एक बार जीतकर आया और कोई दस बार जीतकर आया, इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप आरोप लगा दो। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अनुमति दी है और मैं तो अनुमति से बोल रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, बार-बार झूठे आरोप लगाना इनकी पुरानी आदत पड़ गयी है। यह कह रहे थे कि आप ...(व्यवधान)

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, यह ...(व्यवधान)

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है उस बजट के ऊपर इनको बोलने के लिए कुछ नहीं है। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): मैं तो अनुमति से बोल रहा हूं।

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): इसलिए चर्चा करवाना नहीं चाहते। समय बर्बाद करके जानबूझकर ...(व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): हमारे पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर बोल रहे थे, उनको बोलने देते नहीं हैं। (व्यवधान)

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजिये।

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): इनके ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। बात-बात पर खड़े होकर यह बोले, इनको बोलने देते नहीं हैं। (व्यवधान)

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बोलने के लिए कुछ नहीं है।

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): यह क्या बोल रहे हैं?

**श्री सभापति**: मुख्य सचेतक महोदय। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: +++ प्रोपर्टी है क्या?

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): नियम-कानून कोई जानता ही नहीं है क्या? मंत्रीजी बोल रहे थे। नियम-कानून कोई जानता ही नहीं है क्या? पढ़कर झूठे आकड़े पेश कर दें ...(व्यवधान)

**श्री बाबूलाल नागर** (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): खास तौर से हम ...(व्यवधान) यह शर्म की बात नहीं है क्या?

**श्री सभापति**: विराजो।

**श्री बाबूलाल नागर** (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): इस हाउस में चाहे जो बोल देता है। (व्यवधान)

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): सदन का समय बर्बाद हो रहा है।

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): भष्टाचार कर रहे हो तब आपके ...(व्यवधान) बात आ रही है। (व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): कब किसी के ऊपर, कब किसी के ऊपर ...(व्यवधान)

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): पूरे +++ आप लोग। ...(व्यवधान)...

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): हम तो सभी माननीय सदस्यों की कद्र करते हैं लेकिन एक आदमी अगर थोपता है ...(व्यवधान)

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): पूरे +++

**श्री सभापति**: विराजो, विराजो।

**एक माननीय सदस्य**: तब ही मोटे हो गये।

**श्री सभापति**: सुनाई नहीं दे रहा है। (व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): कल फिर हमारे ऊपर ...(व्यवधान)

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको भ्रष्टाचार करते समय शर्म नहीं आ रही थी? (व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): सदन सभी सम्माननीय सदस्यों का है। माननीय सभापति महोदय, इनको यह डर है कि पुरानी सरकार की कोई जांच नहीं शुरू हो जाए। उस आरोप से बचने के लिए यह आरोप लगाते हैं। (व्यवधान)

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): हिम्मत हो तो करके बताओ जांच, आपके माथुर आयोग को तो हाई कोर्ट ने ही रद्द कर दिया। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजिये, विराजिये।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): कहां गया माथुर आयोग आपका?

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): हर मामले में जानती है जनता ...(व्यवधान)

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, मैं ... (व्यवधान) जो बात कर रहे हैं यह आप लोगों को ही चुभती थी। (व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय सभापति महोदय, ऐसे नहीं चलता है हाउस। अब आप ...(व्यवधान)

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): यह बताने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)...

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): यह गरिमा तो मंत्रियों को होनी चाहिए ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: मंत्रीजी, विराजिये। आप विराजिये।

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): शिक्षा वाले मामले में पूरे राजस्थान से छिपी हुई बात नहीं थी कि जो आपने किया है वह ... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप विराजो तो सही।

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, इनको बताइये।

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): और आज भी बोल रहे हो आप लोग ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: मंत्रीजी, विराजिये।

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): और आप भी पचास बार ...(व्यवधान) किया जा रहा है। इसमें लिखा है क्या कि ज्यादा जीतने वाले यहां ज्यादा बोलेंगे? (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप विराजो। आप विराजो तो सही। (व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): इनको बैठाइये आप। व्यवस्था दीजिए। अब यह खड़े हो जाते हैं किताब को लेकर। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप विराजो।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। ...(व्यवधान)...

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): झूठे आंकड़े पेश कर दें ...(व्यवधान)

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): यह परिपाटी नहीं बननी चाहिए। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप विराजो तो सही।

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): हमारे माननीय संसदीय मंत्रीजी बोलें। माननीय सभापति महोदय, यह कोई मामूली बात नहीं है। हर समय किसी के ऊपर, हर समय किसी के ऊपर ...(व्यवधान)...

**श्री सभापति**: आप विराजो तो सही।

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): शांति धारीवालजी बोल रहे थे, ये ही बोलेंगे और उसके बाद आप वे बोलेंगे। सदन की व्यवस्था थी।

**श्री सभापति**: आप विराजिये।

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): पहले धारीवालजी बोलेंगे, धारीवालजी बोलेंगे।

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): व्यवस्था दे रखी है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): यह आसन की व्यवस्था है।

**श्री सभापति**: मंत्रीजी, विराजो। माननीय वन मंत्रीजी को रिक्वैस्ट है। (व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): आपने मेरे को अनुमति दी है।

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): हमारी रिक्वैस्ट है माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है, आप तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य बीच में खड़े हो गये और अभी वापस खड़े हो गये। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): मुझे अनुमति दी है।

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): पहले धारीवालजी बोलेंगे।

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): इनके बराबर की कालेज हमने भी पढ़ रखी है। हमारे भी पढ़े-लिखे लोग हैं। (व्यवधान)

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): पहले धारीवालजी बोलेंगे।

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): इसका मतलब यह नहीं है कि इनको ...(व्यवधान)

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): पहले धारीवालजी बोलेंगे, फिर वे बोलेंगे दूसरे। (व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): राठौड़ हो, राठौड़ी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। (व्यवधान)

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, ये बार-बार किताब दिखाकर डर बैठाने की जरूरत नहीं है। कोई बात है तो सामने लायी जाए। (व्यवधान)

**श्री बाबूलाल नागर** (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय, आप विचार व्यक्त कर दीजिए। यह हाउस जब ...(व्यवधान)। हम आपको समय देते हैं।

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): धारीवालजी पहले बोलेंगे। (व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ये बार-बार डिस्टर्ब करते हैं।

**श्री बाबूलाल नागर** (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): हम आपको समय देते हैं। (व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): यह समझदार आदमियों की ही ...(व्यवधान) प्रापर्टी नहीं है। सामान्य सदस्यों की भी प्रापर्टी है। सबको बोलने का अधिकार है। एलिगेशन लगाया है। माननीय मंत्रीजी ने...(व्यवधान) आप जब ...(व्यवधान) यहां से बोलने की अनुमति ले रहे थे तब ...(व्यवधान)

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, यहां पांच सालों के कारनामे छिपाने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (यातायात मंत्री): आप नियमों से कोई बात कहो। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आप सुनिये।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (यातायात मंत्री): आप नियमों से कोई बात कहें। (व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आप अकेले ही होशियार हो क्या? (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (यातायात मंत्री): आप नियमों में आइये, कोई मना नहीं करता। लेकिन बिना नियम आते हैं तो ...(व्यवधान) आप नियमों में अपनी बात कहें। (व्यवधान)

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, झूठे आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): ये संतुलन खो देते हैं ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: सदन की कार्यवाही चलने दीजिए।

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): शांति धारीवालजी बोलेंगे। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजो।

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): हम भी जीतकर आते हैं। हाउस में बैठते हैं। बिना जीते हुए नहीं हैं। आपकी तरह राठौड़ी हर कभी कर लें ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजो, बता रहा हूं न। (व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आप सब जिस तरह से मोटिवेट करके, ...(व्यवधान)... लगा रखी है, कभी क्या करते हो, कभी क्या करते हो ...(व्यवधान)

**श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर): माननीय सभापति महोदय, आज तक इतिहास में मंत्री कभी इस तरह से नहीं बोला है। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): नहीं, घनश्यामजी ने मेरे को अनुमति दी है।

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ...(व्यवधान) घर की है क्या? (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): इसके लिए अनुमति दे रहे हैं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, इसमें ... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आपके उप नेता महोदय बोल रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): मैं आसन से निवेदन कर रहा हूं कि आपने इनको व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी है, यह अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा लें, उसके बाद में जो भी इस पर जवाब देना हो और जो पहले कार्यवाही हुई है उसके बारे में सत्तारूढ़ दल जो बोलना चाहे, बोलें, दिक्कत कहां है? (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): अनुमति कहां दी है? इस पर आसन ने अनुमति नहीं दी है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): पूछ लीजिए। आसन यह कह दे कि मुझे अनुमति नहीं दी है तो मैं बैठ जाऊंगा। (व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आप पूछ लीजिए, दी है क्या अनुमति?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): आसन के आदेश की पालना करना मेरा कर्तव्य है।

**श्री सभापति**: आप विराजो।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): आसन की आज्ञा लेने की जरूरत ही नहीं समझते हो आप कभी। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: सचेतक महोदय, विराजिये।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): आसन ने अनुमति दी है तो हमें क्या ... (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, हाउस को हाइजैक कोई नहीं कर सकता। हाउस नियमों और परम्पराओं से चलता है। पूरे सिस्टम को हाइजैक कर लिया इन्होंने। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री शांतीकुमार धारीवाल, गृह मंत्री भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के दो प्रतिवदन सदन की मेज पर रखेंगे।

# सदन पटल पर रखे गये पत्र

## प्रतिवेदन

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित दो प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

**भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व प्रतिवेदन**

1. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां), एवं

**भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए वाणिज्यिक प्रतिवेदन**

2. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (वाणिज्यिक).

**श्री सभापति**: याचिकाओं का उपस्थापन।

## याचिका

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करती हूं:-

**जोधपुर के फिदूसर चौपड़ व अन्य खान क्षेत्रों में सम्पर्क सड़कों की चौड़ाई का पुनर्निर्धारण**

1. जोधपुर के फिदूसर चौपड़ एवं अन्य खान क्षेत्रों में एप्रोच सड़कों की चौड़ाई के पुनर्निधारण बाबत्, एवं

**सूरसागर की राम व हरि नगर में मूलभुत सुविधाओं की स्थापना**

2. सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के झंवर रोड पर स्थित राम नगर एवं हरि नगर में मूलभूत सुविधाओं- पेयजल, सीवरेज, सी.सी. सड़क, रोड लाइट की स्थापना बाबत्।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): नहीं, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अनुमति दी है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खड़ा हुआ हूं।

**श्री बाबूलाल नागर** (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): पहले व्यवस्था दे दी। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मेरा ... (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री सभापति**: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): बोल दिया साहब।

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): हमारा भी व्यवस्था का प्रश्न है। हम लोग भी व्यवस्था पर ही प्रश्न उठा रहे हैं कि ...(व्यवधान) व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। (व्यवधान) आप मत बोलिये, विराजिये। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): माननीय सदस्या बोल रही हैं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): हां, बोल लेंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी आई कैच कर रहा हूं। आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे निवेदन करूं व्यवस्था के प्रश्न पर। माननीय सभापति महोदय, आप जब यहां आकर विराजे तो हमारे सचेतक महोदय ने खड़े होकर व्यवस्था के प्रश्न पर आपसे बोलने की अनुमति मांगी। व्यवस्था का प्रश्न इस सदन में सर्वोपरि होता है, उसके लिए इजाजत दे देते हैं, उसके बाद उस पर बोलने की अनुमति होती है। लेकिन बीच में आपने माननीय मंत्री महोदय को अपने सदन के पटल पर ...(व्यवधान)...

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): यह बात आप कई बार कह चुके हो। वे कह चुके हैं। वहां पर नहीं बोलने के लिए ...(व्यवधान) लेकिन एक ही बात को आप बार-बार उठाकर क्या साबित करना चाहते हो?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): नहीं उठा रहा हूं। नहीं उठा रहा हूं।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): तो क्या उठाना चाहते हो? आप क्या बात करना चाहते हो? जब उन्होंने कह दिया व्यवस्था पर, मुझे पेपर के लिए बुला दिया, आप बीच में बोलकर खड़े हो रहे हो। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): उठाने तो दो।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): नहीं, आपका कोई तरीका नहीं हुआ यह।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): उठाने तो दो।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): यह कोई तरीका नहीं हुआ। आज यह इस तरीके का तरीका नहीं हुआ। यह गलत तरीका है। आपका गलत तरीका है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): विराजिये। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह नहीं है, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

## व्यवस्था का प्रश्न

## आसन के प्रति माननीय सदस्यगण का व्यवहार नियमानुसार मर्यादित व संयमित होना चाहिए

माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सदन के नियमों के अनुसार कोई भी सदस्य न तो आसन से प्रश्न पूछ सकता है, न आसन पर आरोप लगा सकता है, न आसन के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर सकता है। आज जब सदन स्थगित हुआ था उसके पहले संसदीय कार्य मंत्रीजी ने और कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों ने आसन पर आक्षेप लगाये हैं। अत: मेरा आपसे निवेदन है कि आसन पर लगाये गये सारे आक्षेपों को आप सदन की कार्यवाही से निकालें। ...(व्यवधान)...

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): किसी तरह का कोई आक्षेप नहीं लगाया गया है। यह आपके द्वारा मनगंढ़त बात है। (व्यवधान)

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (यातायात मंत्री): बिना नोटिस दिये इस सदन में मंत्री पर आरोप लगाये। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): केवल आपको यह बात हाउस में लिखवानी थी। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हुआ यह। (व्यवधान)

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय, आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। मेरे द्वारा कभी आसन पर कोई किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया गया। मैंने जो कुछ बात कही थी, वह यह कही थी कि पर्ची के माध्यम से 24 घण्टे के अन्दर-अन्द कोई ऐसी घटना घट गयी हो, जो कि काफी महत्वपूर्ण हो, पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये उसको रखा जाता है, उसको उठाया जाता है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): आपने आसन से माफी मांग ली?

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): सुनिये, मैं आपकी बात शांति से सुनता हूं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): मैं भी शांति से सुनता हूं।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): माननीय बेनीवाल साहब ने जो मसला उठाया, पर्ची के माध्यम से उन्होंने सीधा-सीधा आरोप मंत्रीजी के ऊपर लगाया। नियम और प्रक्रिया की जानकारी आप भी रखते होंगे, दीगर सदस्य भी यहां पर कई पुराने हैं, वह भी रखते होंगे, और बल्कि यही नहीं, स्पीकर साहब ने तो जो नये सदस्य चुनकर आए, उनके लिये ओरिएन्टेशन प्रोग्राम करवाया। सिर्फ इसलिये करवाया कि उन्हें नियमों की जानकारी हो। जो भी बात हो, वह नियमों के बाबत हो। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि यह हाउस नियम के तहत चल सकेगा कि नहीं चल सकेगा, यह तय करने का आपका और मेरा काम है। प्रक्रिया के तहत चलेगा, यह तय करना आपका और मेरा काम है या चेयर का काम है? मैंने स्पीकर साहब से यही कहा था, कि यह जिम्मेवारी आपके माथे पर है। मैंने जो कुछ कहा था स्पीकर साहब से वह यह निवेदन किया था कि सदन को नियमों के तहत चलाने की जिम्मेवारी आपके कन्धों पर है। अगर नियम टूटते हैं तो इसको कौन देखेगा? अगर इसको स्पीकर नहीं देखेंगे तो कौन देखेंगे? (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि सदन नियमों से चलेगा। नियमों से सदन चलता है और सदन की प्रक्रिया भी नियमों से चलती है। संसदीय कार्य मंत्रीजी का यह कहना कि सदन भी नियमों से नहीं चल रहा है, यह आसन के प्रति अविश्वास है। उनके प्रति बहुत बड़ा अविश्वास है। (व्यवधान)

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): अविश्वास नहीं है, आसन को आगाह करना है। ऐसा कतई नहीं है। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): मेरा आरोप है, इस प्रकार का आरोप आसन पर लगाना सत्तारूढ़ दल के द्वारा ... (व्यवधान)

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): आसन को आगाह करना है कि नियमों के प्रति हम सबको सचेत होना चाहिये। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): आसन को आगाह भी नहीं कर सकते। आसन को धमका भी नहीं सकते। इस सदन में अगर यह परम्परा पड़ रही है कि सत्तारूढ़ दल आसन को धमकाकर, आसन को आगाह करके, आसन पर आरोप लगाकर अगर कार्यवाही चलाना चाहता है तो ऐसे कार्यवाही नहीं चलेगी।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): प्रतिपक्ष के माननीय उप नेता महोदय, न तो आसन को धमकाने की कोशिश की गयी है, न आसन को नियमों के अनुसार चलाने के लिए निर्देशित करने की कोई बात कही गयी। जो हालात थे, इन हालात के चलते एक माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले मुद्दे को लेकर माननीय मंत्री महोदय पर सीधे रूप से आरोप लगाये, उन आरोपों के ऊपर जो विचार था, उस विचार को रखते हुए माननीय अध्यक्षजी से यह निवेदन किया कि सदस्य को नियमों के अन्तर्गत अपनी बात को रखने के लिये आप अपनी ओर से मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। (व्यवधान)

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): अगर वह नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा इसको? (व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): यह जिम्मेवारी माननीय अध्यक्ष महोदय की है, जो आसन पर विराजमान हैं, उनकी है, और, माननीय उप नेता महोदय, जो रखी है... (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: आप जांच कराने की घोषणा करें, सभापति महोदय।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): माननीय उप नेता महोदय, बीते हुए कल की बात मैं बताना चाहता हूं कि बीते हुए कल जब मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य वाद-विवाद में भाग ले रहे थे, उस वक्त उनके द्वारा जो व्यवहार आसन के प्रति रखा गया ... (व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): मुख्य सचेतक महोदय बोल रहे हैं तो आप क्यों खड़े हैं? व्यवस्था का प्रश्न है, आप विराजिये। (व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, आपका ध्यान प्रक्रिया के नियम 272 (2) की ओर इंगित करना चाहता हूं। इस नियम के अन्तर्गत किसी भी माननीय सदस्य के विरुद्ध यदि कोई सदस्य दोषारोपण करना चाहता है तो इस व्यवस्था के अन्तर्गत आए, न कि पर्ची के माध्यम से उस बात को रखते हुए आज माननीय यातायात मंत्रीजी पर, कल खाद्य मंत्रीजी पर, परसों वन मंत्रीजी पर हम यह काम कर रहे हैं। हम मर्यादाओं की बात कर रहे हैं, नियमों की बात कर रहे हैं। अगर इस बात के लिये नहीं सिखलाएंगे तो कौन सिखलायेगा? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि कोई सदस्य चूक कर रहा है तो यह हम सब की जिम्मेवारी है। हम एक किताब को

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

उठाकर और उसको इंगित करके, उसकी बातों को नहीं रखते हुए केवल सदन को गुमराह करने का प्रयास करें, यह स्वस्थ परम्परा नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इन परम्पराओं का पालन करने की जिम्मेवारी पक्ष-प्रतिपक्ष दोनों की है। मेहरबानी करके इस व्यवस्था को बनाने का काम करें। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: प्रभारी मंत्री वर्ष 2009-10 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन करेंगे। अनुदान की मांगें मुख बन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान ... (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): यह क्या कर रहे हो आप? (व्यवधान)

**श्री सभापति**: हाउस को थोड़ा आर्डर में लाने दो आप।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): सभापति महोदय, हमें भी अपनी बात कहने का हक है न। मुझे अधिकार नहीं है क्या अपनी बात कहने का? (व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय सभापतिजी, इनको नियमों और कानून की जानकारी नहीं है। (व्यवधान) इनको नियम-कानून की जानकारी नहीं है, सभापतिजी। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: मैं समय दे दूंगा आपको।

## अनुपूरक अनुदान की मांगें

### अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): मैं आपकी अनुमति से राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2009-2010 का उपस्थापन करता हूं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): आपको उपस्थापन करने के लिये उन्होंने कहा ही नहीं। उन्होंने कहा ही नहीं और आपने कर दिया।

## मुख बन्द

### अनुपूरक अनुदानां की मांगों का पारण

#### मांग संख्या-2

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 2-मंत्रीपरिषद् के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये

(श्री सभापति)

जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,10,67,000/- (एक करोड़ दस लाख सड़सठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-3**

प्रश्न यह कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-3 सचिवालय के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-5**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-5 प्रशासनिक सेवायें के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 66,11,000/- (छियासठ लाख ग्यारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-6**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-6 न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,000/- (पांच हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-7**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-7 निर्वाचन के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 35,62,14,000/- (पैंतीस करोड़ बासठ लाख चौदह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री सभापति)

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-8**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 8-राजस्व के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-9**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9-वन के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,16,18,03,000/- (एक अरब सोलह करोड़ अठारह लाख तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-11**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,45,48,000/- (एक करोड़ पैंतालीस लाख अड़तालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-12**

प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12-अन्य कर के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,51,74,000/- (चौदह करोड़ इक्यावन लाख चौहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री सभापति)

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-13**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 13-आबकारी के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,03,35,000/- (चौदह करोड़ तीन लाख पैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-14**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14-बिक्री कर के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 58,40,13,000/- (अठावन करोड़ चालीस लाख तेरह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-15**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,16,50,00,000/- (चार अरब सोलह करोड़ पचास लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-16**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16-पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,51,53,74,000/- (एक अरब इक्यावन करोड़ तिरेपन लाख चौहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री सभापति)

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-18**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18-जन सम्पर्क के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,88,07,000/- (दो करोड़ अठासी लाख सात हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-19**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 23,000/-(तेईस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-20**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20-आवास के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,02,03,000/-(तीन करोड़ दो लाख तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-21**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,66,26,24,000/-(एक अरब छियासठ करोड़ छब्बीस लाख चौबीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

(श्री सभापति)

**मांग संख्या-22**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,94,37,000/-(पांच करोड़ चौरानवे लाख सैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-23**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,27,13,000/- (पांच करोड़ सत्ताईस लाख तेरह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-24**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24-शिक्षा कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,37,86,25,000/-(दो अरब सैतीस करोड़ छियासी लाख पच्चीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-26**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 89,45,000/- (नवासी लाख पैंतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

(श्री सभापति)

**मांग संख्या-27**

प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27-पेयजल योजना के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 36,96,97,000/-(छतीस करोड़ छियानवे लाख सतानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-28**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,61,57,000/-(दो करोड़ इकसठ लाख सत्तावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-29**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29- नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,53,45,41,000/- (एक अरब तिरपन करोड़ पैंतालीस लाख इकतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-30**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,53,42,94,000/- (एक अरब तिरपन करोड़ बयालीस लाख चौरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

(श्री सभापति)

**मांग संख्या-32**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,01,000/- (छह लाख एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-33**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 92,60,41,000/- (बानवे करोड़ साठ लाख इकतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-34**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,70,65,77,000/- (सात अरब सत्तर करोड़ पैंसठ लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-35**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,72,08,000/- (एक करोड़ बहत्तर लाख आठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

(श्री सभापति)

**मांग संख्या-36**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36-सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,45,77,72,000/- (दो अरब पैंतालीस करोड़ सतहत्तर लाख बहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-37**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37-कृषि के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/-(दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-38**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,44,53,000/- (छह करोड़ चवालीस लाख तिरपन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-40**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,98,000/- (उन्नीस लाख अठानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-41**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41- सामुदायिक

(श्री सभापति)

विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 76,80,85,000/- (छिहत्तर करोड़ अस्सी लाख पिचासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-42**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42-उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,88,06,000/- (तेरह करोड़ अठासी लाख छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-43**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 43- खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-46**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46- सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,000/- (आठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-48**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 48- विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,01,40,04,000/- (एक अरब एक करोड़ चालीस लाख चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री सभापति)

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-49**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 49- स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,73,94,000/- (सात करोड़ तिहत्तर लाख चौरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-50**

प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,38,10,000/- (नौ करोड़ अड़तीस लाख दस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-51**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 52,95,35,000/- (बावन करोड़ पचानवे लाख पैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे कहा था कि आप मुझे अनुमति देंगे। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री सभापति**: मैं दूंगा आपको।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री सभापति**: मैं दूंगा आपको। मैं कहता हूं, माननीय सदस्य, मैं दूंगा आपको, मैं दे दूंगा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, सारे बिजनस को ओवर रूल करता है यह।

## विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

### राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2010

**श्री सभापति**: मैं दे दूंगा आपको, विराजो तो सही आप। विधायी कार्य, विधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण। राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2010, श्री शांती कुमार धारीवाल।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2010 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): पुर:स्थापित। पुनर्स्थापित नहीं, पुर:स्थापित।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): हैं? पुर:स्थापित। आपने क्या सुना था? (व्यवधान) ओ हो, आप हमेशा कम सुन रहे हो।

**श्री सभापति**: प्रश्न ये है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री शांती कुमार धारीवाल।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करता हूं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): पुर:स्थापित करो।

## विधेयक पर विचार

**श्री सभापति**: श्री शांती कुमार धारीवाल।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए?

**श्री सभापति**: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

**खण्डश: विचार**

खण्ड-2 व 3- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 व 3 स्वीकार किये जाएं?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-2 व 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 – अधिनियम, सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 – अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 – अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री शांती कुमार धारीवाल।

## विधेयक का पारण

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2010 को पारित किया जाए।

**श्री सभापति**: प्रश्न ये है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2010 को पारित किया जाए?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2010 को पारित किया गया।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-2011.

## व्यवस्था का प्रश्न

### आसन के आचरण पर आक्षेप नहीं किया जा सकता

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न तो सुन लें। माननीय सभापति महोदय, अब तो आप अनुमति दें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 273 के खण्ड 10 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, इसमें स्पष्ट लिखा है- 'अध्यक्ष को हटाने के मूल प्रस्ताव के माध्यम को छोड़ कर उसके आचरण पर आक्षेप नहीं करेगा'।

माननीय सभापति महोदय, अब जब इसी आसन से सदन का संचालन कर रहे थे, अपने आचरण से कर रहे थे, उनके आचरण को लेकर इस आसन पर जिस तरह की टीका-टिप्पणी की गयी और जिस तरह के आक्षेप जिस बॉडी लैंग्वेज से संसदीय कार्य मंत्री ने लगाये, मैं समझता हूं, यह आसन जो सर्वोपरि है, जिसका सम्मान करना हम सब माननीय सदस्यों का कर्तव्य है, यह आसन का अपमान नहीं यह सदन का अपमान है, यह पूरी संसदीय परम्पराओं की अवहेलना है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो मैंने ये व्यवस्था का प्रश्न नियमों और प्रक्रियाओं के नियम 273 (10) के अन्तर्गत उठाया है, कृपया उसमें व्यवस्था दें ताकि इस तरह का आचरण नहीं हो। कम से कम संसदीय कार्य मंत्री जैसे वरिष्ठ सदस्य से इस तरह की उम्मीद हम नहीं करते हैं कि वो आसन को इंगित करके आसन को बार-बार कहे कि आप नियमों को नहीं जानते, आप प्रक्रियाओं को नहीं जानते। मैं चाहूंगा कि जिस तरह के आक्षेप इन्होंने किये हैं वो कृपया आप स्वयं देख लें और उनको एक्सपंज भी करवाएं।

**डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह** (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, मुझे एक बहुत जरूरी बात कहनी है।

**श्री सभापति**: आप विराजिये। आप विराजें एक मिनट, माननीय सदस्य।

**डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह** (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, मैं सदन को याद दिलाना चाहती हूं कि अध्यक्षजी ने मुझे इस जगह पर बैठाया सभापति की जगह पर ...

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजो। आप विराजो।

**डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह** (संगरिया): उस दिन प्रतिपक्ष ने आंखें दिखायी थीं मुझे और मुझे यह कहा गया था कि ये क्या करेगी। वो दिन याद करिये आप लोग। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजो।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय...

**श्री सभापति**: उप नेता महोदय।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): नहीं, मेरे पर आरोप लगाया इसलिए ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप वरिष्ठ हो, विराजो आप। विराजो आप।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): नहीं नहीं, एक मिनट ...(व्यवधान)...

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): राजेन्द्रजी राठौड़ संसदीय मंत्री और यहां से बोलीं ...(व्यवधान) मजा आ गया।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजो। (व्यवधान) आप विराजो तो सही।

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): हमको पुरानी याद आ गयी। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप विराजो तो सही। (व्यवधान)

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): यह आज गरिमा की जो बात कर रहे हैं...

**श्री सभापति**: विराजिये, विराजिये।

**श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा): वो इधर वाली बात याद रह गयी राजेन्द्रजी को ...(व्यवधान) अब आप उधर हो।

**श्री सभापति**: माननीय, विराजिये।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मुझे इतना ही कहना है कि एक व्यवस्था का प्रश्न आपके सामने आया है, पहले की चर्चा अपन ने देखी और आप सारी प्रोसिडिंग मंगा कर भी देख सकते हैं और संसदीय कार्य मंत्रीजी ने अभी जो कहा है कि मैंने आरोप नहीं लगाया, उसको भी देख सकते हैं। लेकिन हमको बिलकुल इस प्रकार का लगा है कि सम्पूर्ण प्रक्रिया में आसन पर आक्षेप किया गया है और आसन पर आक्षेप सदन के मान पर आक्षेप है। आसन पर किये गये आक्षेप से सम्पूर्ण प्रतिपक्ष पूर्णत: आहत है और हम सरकारी पक्ष की इस कार्यवाही के खिलाफ बहिर्गमन करते हैं, हमारा विरोध प्रकट करते हैं।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)**

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय सभापति महोदय, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, यह

(श्री रामलाल)

तो मनगढ़ंत बातें ये खुद ही करते हैं। मुख्य मंत्रीजी वैट घटाएं तो तकलीफ, मुख्य मंत्रीजी कम करें तो तकलीफ।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया।

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): बार-बार सदन छोड़ना, आज विपक्ष के पास में बजट का जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं है।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया...

**श्री सभापति**: आ जाने दो, मैं व्यवस्था दे दूंगा, आप चिन्ता ही मत करो।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): आप व्यवस्था दे देंगे, मैं उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए आपको निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री सभापति**: मैं ये वाद-विवाद ...(व्यवधान) उसके पहले व्यवस्था दे दूंगा।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): कि जो कार्यवाही यहां पर दर्ज है, आप उसका अवलोकन करने के साथ-साथ बीता हुआ कल माननीय मालवीय नगर से आने वाले सदस्य की उद्‌बोधन करते समय आसन की ओर क्या उनकी टीका टिप्पणी थी, इसको दृष्टिगत रखते हुए इस पर भी विचार किया जाए, यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं।

**श्री सभापति**: मैं सदन को पूरी तरह आश्वस्त करता हूं कि आपने जो भी बात कही, आप माननीय सदस्यों ने भी जो बात कही, मैं दोनों का अवलोकन अच्छी तरह से करके व्यवस्था दे दूंगा।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): निकालने की बात है।

**श्री सभापति**: मैं सारी चीजें देख लूंगा, आसन के प्रति अगर कोई टिप्पणी हुई है तो उसके लिए जो व्यवस्था की जाएगी वह की जाएगी। मैं देख तो लूं ...(व्यवधान) अच्छी तरह से देखकर आसन के प्रति न तो आपका अनादर और न आपका अनादर, दोनों की भावना है कि आसन का सम्मान किया जाना चाहिए सर्वोच्च, उसी भावना के अनुरूप दोनों की जो टीका-टिप्पणी हुई है, उसको मैं अच्छी तरह से देख लूंगा और देख करके उसके अन्दर जो भी बातें सामने आयी हैं, उनकी व्यवस्था मैं दे दूंगा।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): व्यवस्था नहीं उनको एक्सपंज।

**श्री सभापति**: श्री राजपाल सिंह।

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): सभापति महोदय, उन आरोपों को भी निकालने की करें जो मंत्रियों पर और इन पर लगाए गये हैं। उन आरोपों को निकालने की कार्यवाही कराएं।

**श्री सभापति**: मैंने सारी बात कह दी, मंत्री महोदय, सारी बात कह दी।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (झोटवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, इससे पहले कि बहस के ऊपर मैं ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: मैंने आपको दोनों के लिए निवेदन किया है, आपकी और आपकी दोनों की बातें जो यहां पर आयी हैं उनको मैं अच्छी तरह से देख लूंगा। आपने टिप्पणी की, आपने टिप्पणी की, आसन के ऊपर कोई टिप्पणी हुई है, सबको देखकर ही तो निर्णय किया जाएगा न। आप निश्चिंत रहें।

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, बिना नोटिस दिए जो आरोप लगाए हैं, उनको भी कार्यवाही से निकालें।

**श्री सभापति**: मंत्री महोदय, विराजें। मैं पूरी अच्छी तरह से हर चीज को बारीकी से देख कर पूरी व्यवस्था दूंगा। आप निश्चिंत रहें, सदन बिलकुल निश्चिंत रहे। आपकी भावनाओं के अनुरूप आसन की गरिमा को या किसी भी माननीय सदस्य या किसी भी माननीय मंत्री के खिलाफ भी अगर कोई टिप्पणी की गयी है, उसको देखा जाएगा और उसके लिए व्यवस्था दी जाएगी। अब मेहरबानी करके सदन को आप क्योंकि आज बहुत लम्बी सूची है, प्रतिपक्ष के इक्कीस माननीय सदस्यों को और सत्ता पक्ष के सत्रह माननीय सदस्यों को बोलना है।

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): एक मिनट लेना चाह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, एक बात कहना चाह रहा हूं।

**श्री सभापति**: आप एक मिनट में बोल दें। आप ऐसी बात बोलें जिससे यह सदन आराम से अच्छी तरह से चल सके।

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): ठीक है।

**श्री सभापति**: अब मैंने सारी बात आपकी कह दी। जो आपकी भावना थी वह मैंने कह दी, व्यवस्था दे दी।

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मेरा विनम्र निवेदन यह है कि ........

**श्री सभापति**: अब क्या चीज रह गयी है?

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): मेरा विनम्र निवेदन ये है, माननीय सभापति महोदय, कि बिना मंत्री को पूर्व नोटिस दिए........

**श्री सभापति**: वह मैंने कह दी न सारी बात।

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): जो आरोप लगाये गये हैं उनको कब निकालेंगे? तत्काल निकालिए। माननीय सभापति महोदय, यदि कार्यवाही से नहीं निकाले गये तो कल अखबारों में साया होंगे सारे के सारे। (व्यवधान)

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): एक्सपंज तो कराइए पहले उसको।

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): उस पर तत्काल आप व्यवस्था दें ... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: संसदीय कार्य मंत्री महोदय, मैंने कहा न आपको ... (व्यवधान)

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): सभापति महोदय, आप एक्सपंज कराइये पहले उसको। (व्यवधान) कल दूसरे मंत्री पर आरोप लगेंगे ... (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): कल अखबारों में छपने के बाद फिर आपके निकालने से क्या फायदा होगा ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप विराजो, मंत्री महोदय, विराजो। मैंने अभी आपको मात्र दो मिनट पहले निवेदन किया है कि चाहे विधायक के खिलाफ, चाहे मंत्री के खिलाफ, चाहे प्रतिपक्ष के खिलाफ जो भी असंसदीय बात आयी है सामने, जो भी आरोप-प्रत्यारोप लगे हैं, जो कि संसदीय आचरण के विपरीत हैं...

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): सभापतिजी, पहले निकालिये आप ...(व्यवधान) पहले मंत्री के खिलाफ ऐसे आरोप ...(व्यवधान) आप निकालिए ...(व्यवधान) पहले आप निकालिये ...(व्यवधान) नहीं, आप पहले निकालिये।

**एक माननीय सदस्य**: निकालने हैं तो पहले निकालिये आप। ... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप सुनने का प्रयास करें।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): ...(व्यवधान) मंत्रियों के खिलाफ भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है प्रतिपक्ष के द्वारा ...(व्यवधान)

(डा. रघु शर्मा)

ऐसे आरोपों को निकालें ...(व्यवधान) सारे मंत्रिमण्डल के सदस्य चिन्तित हैं इस बात से ...(व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): आरोपों की बात है।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): मंत्रिमण्डल के सारे माननीय सदस्य चिन्तित हैं इस बात से ...(व्यवधान) अगर ऐसे आरोप लगते रहेंगे सदन में बिना किसी प्रक्रिया के ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: आपको कह तो दिया कि किसी के भी खिलाफ है ...(व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): आप पहले निकालिये ...(व्यवधान) पहले निकालने की घोषणा करिये।

**श्री सभापति**: किसी के भी खिलाफ है, मैं देखूंगा तब ही होगा।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): अखबारों में छप जाएगा उसके बाद निकालने से क्या ...(व्यवधान)

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): निकालना है तो पहले निकाल दीजिए ...(व्यवधान) निकालोगे तो पहले निकाल दीजिए न आप ...(व्यवधान) आप पहले ही निकाल दीजिए, कहां दिक्कत है पहले निकालने में?(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): सभापति महोदय, फिर धमका रहे हैं ...(व्यवधान) यह किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं।

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): आप बार-बार व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं ...(व्यवधान) बार-बार खड़े होकर जो कहते हैं आप उनकी बात मान लेते हो ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): यह आसन से किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं?

**एक माननीय सदस्य**: सभापतिजी, आपको समान व्यवहार करना चाहिए। (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): कार्यवाही से निकालिए आप।

**श्री सभापति**: प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा किसी भी मंत्री के खिलाफ ऐसे आरोप जिनका आधार नहीं है, उन सबको देख करके एक्सपंज कर दूंगा, उन सबको एक्सपंज कर दिया जाएगा।

(श्री सभापति)

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)**

**(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारे)**

उन सबको एक्सपंज कर दिया जाएगा। माननीय सदस्य, आप कुर्सियों पर पधारो। किसी भी मंत्री के खिलाफ, किसी भी विधायक के खिलाफ, आसन के खिलाफ अगर असंसदीय टिप्पणियां हुई हैं ...(व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): सारे मंत्रियों पर इस तरह आरोप लगते रहें और इस सदन में बिना किसी सबूत के इस तरह से उसको ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: सबको कर दूंगा मैं, आप विराजो।

**डा. राजकुमार शर्मा** (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): सदन का दुरुपयोग बिलकुल नहीं होने देंगे ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, इस तरह से इन्होंने आक्षेप लगाये हैं ...(व्यवधान) भ्रष्टाचारी होने के आरोप लगाये हैं ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि समाचार पत्रों में छप जाए ...(व्यवधान)

**श्री करणसिंह** (छबड़ा): मंत्रिपरिषद के सारे सदस्यों पर इस तरह आरोप लगाये हैं ...(व्यवधान)

**डा. राजकुमार शर्मा** (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): अगर समाचार पत्रों में छपने से ये लोग राज़ी हो जाते हैं ...(व्यवधान) पहले कार्यवाही से निकाला जाए ...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: यह सदन में बार-बार इसलिए आते हैं अखबारों में अपना नाम छपाने के लिए ...(व्यवधान)

**डा. राजकुमार शर्मा** (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): ये जो झूठे आरोप लगाकर बदनाम करना चाहते हैं ...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: यह सदन का समय बर्बाद करते हैं ...(व्यवधान)

**डा. राजकुमार शर्मा** (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): इनके इरादों के अन्दर इनको सफल नहीं होने देंगे। (व्यवधान)

**श्री करणसिंह** (छबड़ा): इसको सदन की कार्यवाही से निकालें, नहीं तो इसी तरह गड़बड़ करते रहेंगे ...(व्यवधान)...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): हम तो अन्दर हैं ...(व्यवधान)

**डा. राजकुमार शर्मा** (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): जो झूठे आरोप लगाये हैं उनको कार्यवाही से निकाला जाए।

**श्री सभापति**: आप विराजो। मैंने जब आपको यह निवेदन कर दिया कि जो भी आरोप मंत्रियों पर लगे हैं, आसन पर अगर लगे हैं, उन सबको मैं देखकर एक्सपंज कर दूंगा। (व्यवधान)

**अनेक माननीय सदस्य**: पहले निकालो, उसके बाद कार्यवाही चलने देंगे। (व्यवधान)

**डा. राजकुमार शर्मा** (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): झूठे आरोपों को निकालो ...(व्यवधान)...

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): पहले निकालो ...(व्यवधान)... आरोपों को पहले निकालो ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: चेयर को देखने का समय तो देंगे कि बोला क्या गया है। मेरे को देखने दीजिए आप। मुझे वक्त तो देंगे कि नहीं देंगे आप? (व्यवधान) आसन को वक्त देंगे कि नहीं देंगे? (व्यवधान) आप विराजिये, आप विराजिये। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): सभापति महोदय, यह गलत बात है, आसन को इस प्रकार से ...(व्यवधान)...

**श्री रामकेश** (संसदीय सचिव): पहले निकालिये। (व्यवधान) पहले निकालिये।

**श्री सभापति**: आप विराजिए, आप विराजिये। (व्यवधान) मैं दे दूंगा ... (व्यवधान)... आप विराजिए।

**अनेक माननीय सदस्य**: नहीं चलने देंगे। नहीं चलने देंगे। नहीं चलने देंगे। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: कोई मंत्री कैसे जवाब देगा ...(व्यवधान) अखबारों में नाम छपाना चाहते हैं ...(व्यवधान)

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): आप निकालिए ... (व्यवधान) आप निकालिए। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: हर मंत्री पर आरोप लगे हैं, पूरा मंत्रिमण्डल बदनाम होगा। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप विराजो। आप विराजो, आप पधारो।

**(सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारे)**

**श्री सभापति**: सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 15.59 बजे आधा घंटे के लिए स्थगित हुई)**

**(16.29 बजे)**

**पुन: समवेत् होने पर**

**(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)**

**श्री सभापति**: सदन की बैठक आधा घण्टे के लिये स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 16.29 बजे आधा घंटे के लिये स्थगित हुई)**

**(16.59 बजे)**

**पुन: समवेत् होने पर**

**(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)**

# सदन की कार्यवाही

## विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री सभापति**: मुख्य सचेतक महोदय।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाए।

**श्री सभापति**: क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाए?

**(स्वीकृत)**

सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया।

श्री राजपाल सिंह।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): आप रहने दो।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): व्यवस्था दिलवा दीजिये न। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): वक्ता को एक बार नाम पुकार लिया उसके बाद बीच में क्या है? यह अपनी बात कह दें उसके बाद बोल देना आप। हां, उसके बाद बोल देना। (व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, जिस बात पर बार-बार गतिरोध हो रहा था, मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय के ऊपर पर्ची के माध्यम से अपनी बात को रखते हुए माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये थे, उनको एक्सपंज किया जाएं।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): किस पर बोल रहे हैं?

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): 272(2) पर बोल रहा हूं हुकुम, आपको निवेदन करना है या आसन को निवेदन करना है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): दोनों को ही कर दें आप।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): दोनों को कर दिया।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): नाराज क्यों होते हो?

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): मैं नाराज हो ही नहीं सकता।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): जब आसन से व्यवस्था हो गयी कि जो भी ऐसे शब्द आये हैं, उनको मैं एक्सपंज कर दूंगा वह अभी हो या दो घंटे बाद हो, अब इसमें क्या फर्क पड़ेगा?

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): दो घंटे तो उस बात को हो गये हैं, आप इसमें व्यवस्था दीजिये। ...(व्यवधान)

**(17.00 बजे)**

**श्री सभापति**: मैंने पूर्व में भी इस सदन को आश्वस्त किया है कि जो भी असंसदीय शब्द अंकित हुए हैं, जो भी बोला गया है। चाहे विधायक के खिलाफ, चाहे मंत्रीजी के खिलाफ, जिसके भी खिलाफ आरोप लगाये गये हैं, मैंने आपसे कहा न, मैंने आपको पूर्व में निवेदन किया, कि जो भी आरोप लगाये गये हैं, उन सब आरोपों को एक्सपंज कर दिया जाएगा, अगर गलत आरोप लगाए गए हैं तो एक्सपंज कर दिया जाएगा। (व्यवधान) बिलकुल कर दिया जाएगा, मैंने आश्वस्त किया। आप थोड़े समय तक इन्तजार तो करो, मैं भी देखूंगा, हर चीज को देखकर ही तो करूंगा कि क्या-क्या बोला गया है, क्या -क्या नहीं बोला गया है, शोरगुल के अन्दर सुना नहीं गया ठीक तरीके से। आप मानकर चलिए, उनको बिलकुल एक्सपंज किया जाएगा। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से भी अपील करूंगा, उप नेता महोदय, आप से भी, मुख्य सचेतक महोदय, आपसे भी कि सदन को चलाना है और सदन तभी चल सकेगा जब हम आरोप-प्रत्यारोप, जहां आरोप-प्रत्यारोप लगे वहां सदन में अवरोध आ जाता है, बिना आरोप प्रत्यारोप के हमेशा सदन बहुत अच्छा चलता है। तो मेरा निवेदन है, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की बराबर जिम्मेदारी है और

(श्री सभापति)

उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, उप नेता महोदय, कटारिया साहब, मुख्य सचेतक महोदय, आपकी है। मैं नहीं कहता कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य नहीं बोलते, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम ऐसी भाषा और उन नियमों की जानकारी हम हमारे सभी माननीय सदस्यों को अवश्य दे दें जिससे सदन में अवरोध आता है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सदन अच्छा चले। सदन के अन्दर हर व्यक्ति अपनी बात रखना चाहता है, अपने क्षेत्र की रखना चाहता है, विभाग से सम्बन्धित बात रखना चाहता है, मुश्किल से एक साल के अन्दर एक महीना ही हमें मिलता है, यह सदन अच्छा चले इसके लिए मैं आप सभी वरिष्ठ, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं सभी से अपील करूंगा कि आप मेहरबानी करके ऐसे कोई शब्द नहीं बोलें जिससे व्यक्तिगत सीधा आक्षेप किसी के ऊपर लगे और उससे वातावरण हमारे यहां पर बिगड़े और यह सदन चल नहीं पाए। सबकी मंशा है कि सदन अच्छा चल पाए तो उसके अन्दर आप मेहरबानी करके सहयोग करें।

## आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री राजपाल सिंह शेखावत।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (झोटवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, इससे पहले कि मैं बजट के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूं, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं। 9 तारीख को आपने इस सदन के अंदर राजस्थान का बजट पेश किया और सदन के बाहर जाकर आपने कहा कि जो 5 प्रतिशत का वैट का कर मैंने लगाया था, गलती से लगा दिया, जानकारी नहीं होने से लगा दिया, भ्रांति से लगा दिया, उस वैट को मैं 4 प्रतिशत करता हूं क्योंकि वह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो बजट राजस्थान विधान सभा में पेश किया गया है और उसमें तो आपने आंकड़े दिए हैं सेल्स टैक्स रेवेन्यू ये सेल्स टैक्स रेवेन्यू का फीगर आपने 4 प्रतिशत से कैलकुलेट किया है या 5 प्रतिशत से कैलकुलेट किया है, जब तक यह जानकारी सदन के सामने स्पष्ट नहीं आती कि 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत वैट कैलकुलेट करते हुए यह फीगर लाया गया है या उसको 5 प्रतिशत पर कैलकुलेट किया गया है, तब तक इस डाक्यूमेंट की कोई सैंक्टिटी नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से इस बात की जानकारी आनी चाहिए कि सरकार ने भ्रांति के साथ क्या-क्या काम किए हैं। ये भ्रांति जनता को हुई, सदन को हुई या सरकार को हुई किसी को भी

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

भ्रांति हुई हो लेकिन इस सदन के अधिकार को चोट पहुंची है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। इस सदन के विशेषाधिकार को चोट पहुंची है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। इसलिए मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि सरकार इस बात पर स्पष्टीकरण के साथ में आए कि इस बजट के अन्दर उन्होंने जो आंकड़े पेश किए हैं वे आंकड़े उन्होंने 4 प्रतिशत वैट से पेश किए हैं या 5 प्रतिशत वैट से पेश किए हैं।

माननीय सभापति महोदय, आप सबको ध्यान है कि वर्ष 2003 के अन्दर जब कांग्रेस के शासन से हमने शासन सम्भाला था, तब राजस्थान कंगाली के कगार पर था। एक आर्थिक अराजकता का दौर चल रहा था, हालात विकट थे और स्थिति ऐसी थी कि 27650 करोड़ रुपए की नवीं पंचवर्षीय योजना थी, घुटनों के बल रेंगती हुई सरकार को उस योजना को 19 हजार करोड़ रुपए करना पड़ा, यही नहीं उस 19500 करोड़ रुपए की योजना को पूरा करने के लिए 23 हजार करोड़ रुपयों का कर्जा लेना पडा। राजस्थान का गरीब मर रहा था, आर्थिक दर लगातार नकारात्मक होती जा रही थी, विकास की दौड़ में हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान पंगु हो गया था। राजस्थान को सम्भालना, राजस्थान की गरीब जनता को डूबने से बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस प्रकार के वातावरण में 203 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार आई, हमने इस चुनौती को स्वीकार किया। उस चुनौती तो स्वीकार करने का ही असर था कि धीरे-धीरे राजस्थान के अंदर पहले हमने रेवेन्यू अकाउण्ट का डेफिसिट खतम किया, हमने रेवेन्यू अकाउण्ट का नान प्लान में डैफिसिट को खतम किया। राजस्थान के इतिहास में इतना नान प्लान और रेवेन्यू प्लान के डैफिसिट को खतम करने के स्वर्ण काल की कुशलता किसी ने अगर देखी है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में देखी है। लेकिन दुर्भाग्य से 2008 में फिर से कांग्रेस का राज आया और राज के आते ही राजस्थान के अन्दर फिर से आर्थिक बदहाली का दौर शुरू हुआ। आज हालत यह है कि सकल घरेलू उत्पाद जो हमारे जमाने में 2006-07 में 12.75 प्रतिशत था, वह आपका राज आने पर एक ही झटके में घटकर 2.5 प्रतिशत हो गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनसंख्या बढ़ रही है 1.87 प्रतिशत की दर से, और 1.87 प्रतिशत की दर से जो जनसंख्या बढ़ रही है, उससे अगर मैं इसको घटा देता हूं तो यह आपकी

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

आर्थिक वृद्धि दर रह जाती है, 0.64 प्रतिशत। 12 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर डेसीमल्स में आकर खड़ी हो जाए, इससे ज्यादा शर्मनाक और आर्थिक अकुशलता का कोई उदाहरण राजस्थान में कहीं दूसरा मिल नहीं सकता। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम आम आदमी की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, राज्यपाल से कहलवाते हैं गांव की बात अभिभाषण में, ये गांव और गरीब की बात करने वाली सरकार में सकल घरेलू उत्पाद में 26 प्रतिशत का जो योगदान हुआ करता था वह घटकर 9 प्रतिशत कैसे रह गया? राजस्व घाटा 4 हजार करोड़ के आंकड़े को छूने की स्थिति में है, राजस्थान कर्जे का कीर्तिमान बनाने वाला है। माननीय सभापति महोदय, इस साल के अंत में राजस्थान एक कीर्तिमान बनाएगा, माननीय अशोकजी गहलोत के राज में बनाएगा और एक लाख करोड़ रुपए से ऊपर का कर्जा राजस्थान की छाती पर, राजस्थान के गरीबों के माथे पर डाल कर जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, मैं कर्जा के खिलाफ भी नहीं हूं, राजकोषीय घाटे के खिलाफ भी नहीं हूं। कर्जा विकासशील अर्थव्यवस्था के अन्दर, रिकार्डो के जमाने से कर्जा एक इन्स्ट्रूमेंट ऑफ डवलपमेंट है, एक रिक्गनाइज इन्स्ट्रूमेंट आफ डवलपमेंट, लेकिन कर्जा किसलिए? कर्जा अगर अर्थव्यवस्था के संसाधनों की पूर्ति के लिए लिया जाए, कर्जा अगर आक्रामक निवेश के लिए लिया जाए या जनशक्ति की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए लिया जाए, कर्जा अगर विकास की दर को तेज करने के लिए लिया जाए तो कर्जा कोई गुनाह नहीं है। लेकिन कर्जा अगर रोजमर्रा के कामों को चलाने के लिए लिया जाए, रोटी खाने के लिए लिया जाए, अपनी अकुशलता से पैदा हुए संकट से निपटारे के लिए लिया जाए तो यही कर्जा जनता के गले में फंदा बनकर विकास को चौपट करता है। फिर यही कर्जा जो 6-7 साल पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी कटोरा लेकर घूमते थे, ये कटोरा राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी के हाथों से उतरकर जनता के हाथों में आ जाता है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कर्जा लेना गुनाह नहीं है, लेकिन कर्ज का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं? कर्जे को हम विकास में उपयोग कर रहे हैं या कर्जे का दुरुपयोग करके राजस्थान की जनता के गले को घोंटने का काम कर रहे हैं? यह जानकारी लेने का कोई तरीका है तो एक ही तरीका है, यह मालूम करना पड़ेगा कि बजट में विकास

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

का जो कलेजा है जिसे केपिटल आउट-ले कहते हैं, यह कैपिटल आउट-ले कितना है, कर्जा कितना है, कितना आगम हुआ, कितना रेवेन्यू आया, कितना रेवेन्यू गया, ये चीजें फालतू की बातें हैं। इस बजट के अंदर कैपिटल आउट-ले कितना है- हमारा केपिटल रिसीट कितना है, कैपिटल रिसीट और कैपिटल आउट-ले में जितना ज्यादा अन्तर है उतना ही अकुशल प्रबन्ध है, उतना ही कर्जे के नाम पर धोखा है। और जितना कम गैप है या ओवरशीट करता है, उतना ही ज्यादा डवलपमेंट है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 2007-08 में प्रदेश में कैपिटल रिसीट थी 6114 करोड़ का कर्जा शामिल है, 6114 करोड़ की हमारी कैपिटल रिसीट थी और कैपिटल आउट-ले था 6555 करोड़, जितनी कैपिटल रिसीट थी उससे ज्यादा हमारा कैपिटल आउट-ले था। आप आये 2009-10 में, आपकी कैपिटल रिसीट थी 12975 करोड़, आपका कैपिटल आउट-ले था 5526 करोड़। मैं पूछना चाहता हूं कि यह 7 हजार करोड़ का कैपिटल रिसीट कहां गया? यह कैपिटल रिसीट राजस्थान में कर्जा लिया आपने और घी पी लिया, कर्जा लिया आपने राज चलाने के लिए, अपनी गाड़ी गुड़काने के लिए और आपने 7 हजार करोड़ को तिलांजलि लगा दी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी कटारियाजी कह रहे थे दो दिन पहले कि बजट की घोषणाएं पूरी नहीं हुई, बजट की घोषणाएं पूरी हो ही नहीं सकतीं। घोषणा करना आसान है, पूरा करना मुश्किल है। कर्जा लेना बड़ा आसान है, कर्जा चुकाना मुश्किल है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 12वें फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि डैट- जीएसपी का रेशो 28 प्रतिशत होना चाहिए, अगर यह इससे ऊपर आ जाता है तो स्टेट डूब रहा है।

आप मर रहे हैं, आपका दम घुट रहा है। हमारे यहां तो 50 प्रतिशत चल रहा है, 50 प्रतिशत के आसपास डैट-जीएसडीपी घूम रहा है। हम फिस्कल डिस्ट्रैस में हैं, माननीय सभापति महोदय। हम कर्जा लेकर राजकोषीय घाटे को ही पूरा नहीं कर रहे हैं। राजकोषीय घाटे को पूरा कर दें तो भी समझ में आए। हम कर्जा ज्यादा ले रहे हैं और राजकोषीय घाटे की पूर्ति के बाद भी हमको कर्जा लेना पड़ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजकोषीय घाटा अपने आप तो हो नहीं रहा है, हम राजकोषीय घाटे के खिलाफ भी नहीं हैं। विकास के लिए राजकोषीय घाटा जरूरी है, पर कौनसा राजकोषीय घाटा? राजकोषीय घाटा ऐसा जो कैपिटल अकाउंट्स के खर्चे से पैदा हुआ हो। ऐसा

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

राजकोषीय घाटा, ऐसा फिस्कल डैफिसिट जो कैपिटल आउट-ले बढ़ने से पैदा हुआ हो। उस प्रकार के राजकोषीय घाटे से किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर राजकोषीय घाटा रेवेन्यू अकाउंट के डैफिसिट को पूरा करने के लिए लिया जाता है तो यह जरायम है, यह काउंटर प्रोडक्टिव है, यह सब स्टैण्डर्ड फिस्कल डैफिसिट है। और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सबस्टैण्डर्ड फिस्कल डैफिसिट को पूरा करने के लिए कर्जा लिया जाता है, उससे अगर राजकोषीय घाटा पैदा होता है तो हम कर्ज के कुचक्र की ओर बढ़ रहे हैं, हम कंगाली की ओर बढ़ रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, राजकोषीय घाटा तो हमारे राज में भी रहा था। हमारे राज में सन् 2007-2008 में राजकोषीय घाटा था 3408 करोड़ का और कर्जा लिया था हमने केवल 2487 करोड़ रुपये का। राजकोषीय घाटे को फण्ड किसने किया? कैपिटल अकाउंट से किया, कर्ज बहुत कम बाकी रेवेन्यू अकाउंट से निकालकर डाला। सभापति महोदय, राजस्थान के इतिहास में यह पहली बार हुआ होगा कि हमें राजकोषीय घाटा हुआ और राजकोषीय घाटा विकास के लिए हुआ। कर्जा कम लिया गया और रेवेन्यू अकाउंट के डैफिसिट से उस राजकोषीय घाटे की पूर्ति की गई। आज हालत क्या है? एक ही झटके में 2010-2011 में राजकोषीय घाटा है 8419 करोड़ रुपये का और कर्जा ले रहे हैं आप 8459 करोड़ रुपये का। मैं पूछ रहा हूं कि यह राजकोषीय घाटा पूरा करने के बाद कर्जे की क्या दरकार पड़ गयी? माना, राजकोषीय घाटा आपके राजस्व घाटे से पैदा हुआ, लेकिन उससे ऊपर आपको लेना पड़े ऐसी स्थिति मैं समझता हूं कि राजस्थान में तो पहली बार आई होगी। और राजकोषीय घाटे के अन्दर राजस्व घाटे का हिस्सा और राजस्व घाटे में भी नान प्लान रेवेन्यू का घाटा, यह पाप है। यह आर्थिक पाप है और यह आर्थिक पाप करने की जिम्मेदार गहलोत सरकार को लेनी पड़ेगी। 2007-08 में जहां 2888 करोड़ का नान प्लान रेवेन्यू सरप्लस हुआ करता था इस राजस्थान के अन्दर वो 2009-10 में 1589 करोड़ का रेवेन्यू डैफिसिट, नान प्लान रेवेन्यू डैफिसिट है। सभापति महोदय, नान प्लान रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये होता है कि तनख्वाह चुकाने के लिए, मुख्य मंत्रीजी की गाड़ी का पैट्रोल डलाने के लिए हमें कर्जा लेना पड़े, तनख्वाह चुकाने के लिए हमें कर्जा लेना पड़े, पेंशन के लिए कर्जा लेना पड़े, सरकार के बिजली के बिलों को चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़े, अपनी लाल बत्ती की गाड़ियों के अन्दर पैट्रोल भरने के लिए कर्जा लेना पड़े,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति राजस्थान के अन्दर पहले कभी नहीं देखी गई, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय।

अभी आपने इस बजट में कहा कि हम रेवेन्यू अकाउंट का डैफिसिट तो पूरा नहीं कर पाएंगे, पर नान प्लान रेवेन्यू डैफिसिट को पूरा कर लेंगे। किसके भरोसे पूरा कर लेंगे? आपके भरोसे तो नहीं। आपने अभी कहा कि मेरी तो टैक्स की वृद्धि दर केवल 14 प्रतिशत रहेगी। यह आपके टैक्स की वृद्धि दर 14 प्रतिशत रहेगी और आप नान प्लान रेवेन्यू डैफिसिट को पूरा कर लेंगे? आप धन्यवाद दें 13वें वित्त आयोग को। 13वें वित्त आयोग से राजस्थान को फायदा हुआ है, राजस्थान को पैसा मिलेगा। लेकिन 13वें वित्त आयोग ने पैसा आपको क्यों दिया? इस सदन में बार-बार चर्चा होती थी बीमारू राज्यों के बारे में। लोग बात करते थे बिहार की, लोग बात करते थे यू.पी. की, लोग बात करते थे झारखण्ड की, लोग बात करते थे राजस्थान की। उस राजस्थान को आज बीमारू स्टेट्स के बीच में ले गये। जो बीमारू हुआ करते थे वो तो स्वस्थ होकर चले गये। आज बिहार की 26 प्रतिशत ग्रोथ रेट आ रही है। झारखण्ड की 18 प्रतिशत, 19 प्रतिशत, 11 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 13 प्रतिशत की ग्रोथ रेट आ रही है। और राजस्थान की ग्रोथ रेट 2.5 प्रतिशत है। बिहार 26 प्रतिशत पर चला गया, झारखण्ड 19 प्रतिशत पर चला गया और राजस्थान 2.5 प्रतिशत पर आ गया। जो बीमारू स्टेट थे वो स्वस्थ होकर निकल गये और राजस्थान के अन्दर गहलोत साहब का राज आने के बाद वो बीमारू अर्थव्यवस्था आईसीयू में भर्ती हो गई, आईसीयू में भर्ती हो गई। इसलिए सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का बजट राजस्थान के इतिहास में पहली बार दिया गया है जिसके अन्दर लगातार राजस्थान को बीमारू कर रहे हैं। हम कहते हैं कि बीमारू से बाहर निकालकर लायें कैसे, बीमारू से मरणासन्न स्थिति के अन्दर इस अर्थव्यवस्था को लाने का श्रेय किसी को दिया जाएगा, एक लाख करोड़ से ऊपर के कर्जे का श्रेय किसी को दिया जाएगा तो गहलोत साहब की सरकार को दिया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां बार-बार हम कहते हैं कि हमारा कर्जा बढ़ रहा है, कर्जा ले जीएसडीपी तो नहीं बढ़ रहा। हम प्लान लाये हैं, ये ही वो लोग हैं जिन्होंने प्लान साइज घटाया था और कहा था कि प्लान साइज के बढ़ने से कोई विकास नहीं हुआ करता। आज यही लोग बार-बार कह रहे हैं कि हमने प्लान साइज इतने प्रतिशत बढ़ाया है। प्लान साइज आप बढ़ा रहे हैं, डैट

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

आप बढ़ा रहे हैं, यह जा कहां रहा है? प्लान साइज के बढ़ने से जीएसडीपी नहीं बढ़ रही, कर्जा बढ़ने से जीएसडीपी नहीं बढ़ रही, फिर ये पैसा गया कहां? माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का कर्जा राजस्थान को कंगाली के कगार पर खड़ा कर देगा, निश्चित रूप से कंगाल कर देगा।

आपने टैक्स लगाया, टैक्स लगाना आपका अधिकार है, आपको पैसा चाहिए। आपने दो साल में दो बजट दिये, दो बजट में आपने 1500 करोड़ रुपये का टैक्स लगाया है, आपने 1500 करोड़ का टैक्स लगाया है, लेंगे किससे? आम आदमी से। अब आम आदमी की जेब से आप पैसा निकालना चाहते हैं 1500 करोड़ रुपये, कौनसा आम आदमी? उस आम आदमी की जेब से आप 1500 करोड़ रुपये टैक्स निकालना चाहते हैं जिसने फूड का 20 प्रतिशत का इन्फ्लेशन झेला है। हिन्दुस्तान एकमात्र ऐसा देश है विकसित देशों के अन्दर जहां हम होलसेल प्राइस इंडैक्स के ऊपर इन्फ्लेशन को जज करते हैं। होलसेल प्राइस इंडैक्स पर 20 प्रतिशत का फूड इनफ्लेशन! माननीय सभापति महोदय, अमेरिका के अन्दर, जापान के अन्दर, विकसित देशों के अन्दर की तरह कंज़ूमर प्राइस इंडैक्स पर अगर इस इनफ्लेशन को निकाला होता तो राजस्थान और हिन्दुस्तान की जनता की छाती पर आपने 28 प्रतिशत का इनफ्लेशन थोपा है । इस हिन्दुस्तान ने खाद्य संकट को देखा है, इस हिन्दुस्तान ने हरित क्रांति के पहले के हिन्दुस्तान को भी देखा है, लेकिन 28 प्रतिशत का और 20 प्रतिशत का फूड इन्फ्लेशन राजस्थान, हिन्दुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ, इससे बड़ी शर्मनाक चीज मनमोहन सिंह की सरकार और गहलोत साहब की सरकार के लिए नहीं हो सकती।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये बार-बार हम बात करते हैं, 28 प्रतिशत के इनफ्लेशन, 20 प्रतिशत के इनफ्लेशन के बारे में, जब सरकार से दिल्ली में पूछा जाता है तो यह कांग्रेस की सरकार बड़ी बेशर्मी से जवाब देती है नरेगा। कि नरेगा के अन्दर हमने जिस प्रकार का रोजगार दिया है उस रोजगार से गरीब की क्रय शक्ति बढ़ रही है। कि उस गरीब की क्रय शक्ति बढ़ने से डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन है, डिमांड पैदा हो रही है। 30 दिन में 15 दिन का रोजगार 100 रुपये रोज का, 15 दिन तक 100 रुपये रोज के करने से 28 प्रतिशत और 20 प्रतिशत का फूड इनफ्लेशन आता है? माननीय सभापति महोदय, यह इनफ्लेशन नहीं है यह ''स्कूफ्लेशन'' है। ये हिन्दुस्तान की सरकार

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

कार्पोरेट इण्डिया ने गिरवी रखी हुई है। सरकार ने रिसेशन तोड़ने के नाम पर सीआरआर घटाया, रिवर्स रैपो रेशो घटाया, एक्साइज ड्यूटी घटाई, सर्विस टैक्स घटाया और वादा कारोबार को चमकाया। ये चमकाकर आप किसका भला करना चाहते हैं? हिन्दुस्तान का भला तो नहीं करना चाहते। हिन्दुस्तान तो गांव के गरीब का हिन्दुस्तान है, गांव का हिन्दुस्तान है, गरीब का हिन्दुस्तान है। एक्साइज टैक्स का फायदा उसे तो नहीं पहुंचा होगा, सीआरआर घटाने का फायदा उसको तो नहीं पहुंचा होगा, रिवर्स रैपो रेशो घटाने का फायदा उसको तो नहीं पहुंचा होगा। पर वादा कारोबार से उसकी खेती जरूर चौपट हो गई होगी पर उसे किसी प्रकार का फायदा नहीं पहुंचा। दुर्भाग्य से जब से कांग्रेस की सरकार आई है, हिन्दुस्तान के खिलाफ एक षड्यंत्र हो रहा है। इस हिन्दुस्तान में दो प्रकार का हिन्दुस्तान बन रहा है, एक हिन्दुस्तान कार्पोरेट हिन्दुस्तान जिसकी यह ये मनमोहन सिंह सरकार गिरवी है, जिसकी यह कांग्रेस की सरकार गिरवी है और मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह वही कांग्रेस है जो नेहरू के समाजवाद की कांग्रेस है, यह वही कांग्रेस है जो गांधीवाद की बात करती है। यह समाजवाद को भूल गई। आज समाजवाद को भूलने के बाद में कार्पोरेट हिन्दुस्तान किस प्रकार से प्रगति करे? हम कार्पोरेट हिन्दुस्तान से जीएसडीपी पैदा करना चाहते हैं और गरीब चुप रहे। गरीब न तो भूखा मर पाए और न जी पाए। हमने नरेगा दे दिया, नरेगा जैसा बड़ा कोई राजनीतिक पाप किसी पार्टी ने अगर किया है तो मैं कांग्रेस पर चार्ज करना चाहता हूं। नरेगा के नाम से हिन्दुस्तान की बहुसंख्यक आबादी को परजीवी बनाने का जो षड्यंत्र आपने किया है, हिन्दुस्तान की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आज हिन्दुस्तान की ताकत क्या है? आज हिन्दुस्तान कोई दुनिया में बहुत बड़ा देश नहीं है, अमेरिका की तरह, आस्ट्रेलिया की तरह, चीन की तरह, रूस की तरह हमारे यहां बहुत बड़ा भू-भाग नहीं है। हम कोई बहुत बड़ी रिच कंट्री नहीं हैं, लाइट कंट्री नहीं हैं, आज हमारा सबसे बड़ा संसाधन है वह ह्यूमन रिसोर्स है। हम गांव में गरीब को ह्यूमन रिसोर्स में तब्दील नहीं होने देना चाहते। हम गांव के गरीब को 100 रुपये में रोजगार देकर वहीं पर रखना चाहते हैं ताकि वह शहर की तरफ नहीं आ जाए, शहर की चकाचौंध में आकर शहर में अपने टेलेंट का इस्तेमाल नहीं करे। आदमी गरीब हो सकता है, विज्डम में उसके कमी नहीं होती। हिन्दुस्तान की बहुसंख्यक आबादी और गांव की जवान आबादी को परजीवी बनाकर गांवों में बंधक, मजदूर की तरह काम करने के लिए विवश

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

करने वाली सरकार इस नरेगा पर यह कहना चाहती है कि हम गरीब का भला करना चाहते हैं तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, कि गरीब का इससे भला नहीं होगा। जिस प्रकार का हिन्दुस्तान आने वाले समय में बनने वाला है और आप बनाना चाहते हैं उस प्रकार का हिन्दुस्तान बनाना हिन्दुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र है। हिन्दुस्तान के हित में कोई सरकार नहीं है। यह इनफ्लेशन स्कूफ्लेशन है जैसा मैंने निवेदन किया। आपकी फूड चेन टूट गई है, आपकी सप्लाई चैन टूट गई है, आपकी डिस्ट्रिब्यूशन चेन टूट गई है। असल बात तो ये है कि दिल्ली की मनमोहन सिंहजी की सरकार हो या राजस्थान की सरकार हो, यहां गवर्नेंस खत्म हो गई है। यहां गवर्नेंस खतम हो गई है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कुल मिलाकर बजट के अन्दर दो साल से 15,000 करोड़ का घाटा और 1,500 करोड़ रुपये गरीबों की जेब से निकालने के षड़यंत्र के अलावा कुछ नहीं है। तो मुख्य मंत्रीजी कहते हैं, आज से सात साल पहले, कि गरीब के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए कटोरा लेकर भीख मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं आई। अच्छी बात है, मुख्य मंत्री जनता के लिए भीख मांगता घूमता रहा है। लेकिन जिस प्रकार से काम आप कर रहे हैं, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि यह कटोरा मुख्य मंत्री के हाथ से निकलेगा। लेकिन राजस्थान की छह करोड़ जनता हाथ में भीख का कटोरा लेकर नहीं घूमे, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: डाक्टर श्रीमती परम नवदीप सिंह।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आपने अभी फर्माया था, आज पर्ची के माध्यम से जो माननीय सदस्य ने बात रखी थी... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य विराजिये, अभी सचेतक महोदय बोल रहे हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, यह क्या है?

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): आप निवेदन तो सुन लीजिये।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): सदन को नहीं चलाने देना चाहते हैं ये? सभापति महोदय, बार-बार क्या है ये? यह सदन को नहीं चलाने देना चाहते हैं? आपने नाम पुकार लिया।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): ऐसा क्या है, मैं आसन की परमिशन से बात रख रहा हूं।

**श्री सभापति**: आप, सचेतक महोदय, विराजिये एक मिनट। (व्यवधान)

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ... माननीय सदस्य को प्रताड़ित करना पड़ेगा। पिछली बार सी.पी. जोशी और संयम लोढ़ा को तीन दिन के लिए बाहर निकाला था आपने, आरोप लगाया था उसके बारे में। आप खड़े हो जाते हो। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: मंत्रीजी, मंत्रीजी, विराजिये। (व्यवधान) वन मंत्रीजी, विराजिये।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): सभापति महोदय, क्या है यह? क्या बात है यह?

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आपने निकाला था।

**श्री सभापति**: वन मंत्रीजी, आप विराजिये। सचेतक महोदय से कहा है, आप विराजिये।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): अगर आपने यह सोच लिया है, सत्तारूढ़ दल इस सदन को नहीं चलने देता है, ऐसा अगर आपने तय कर लिया है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, बाकी जिस विषय को आपने तय कर दिया है...

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): मैं इजाजत के साथ कोई बात रख रहा हूं, ये मेरी बात सुनने के बाद ही आप कहें।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): बात सुन ली है, आप बार-बार क्या डिस्टर्ब करते हो। यह पहली बार अनुभव हमारा रहा है...

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): आप मेरा निवेदन तो सुन लीजिये। आप मेरा निवेदन तो सुनने का प्रयास फर्माएं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): ...सत्तारूढ़ दल डिस्टर्ब कर रहा है। उन्होंने कह दिया कि उनको निकाल देंगे, निकाल देंगे, फिर क्या रह गया बाकी? निकाल देंगे। अगर आपने तय ही कर लिया है, हाउस नहीं चलाना है तो ठीक है, आपकी मर्जी है।

**श्री सभापति**: कटारिया साहब, विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये। कटारिया साहब, विराजिये।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): आप मेरी बात तो सुनिये।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): सभापति महोदय, अगर ये नहीं चलाना चाहते हैं तो आप वैसे बताइये। नहीं चलाना चाहते हैं तो आप वैसे बताइये, ये बार-बार इंटरप्शन नहीं चलेगा। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: एक मिनट विराजो तो सही।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): नहीं माननीय सभापति महोदय, आज अगर सदन की कार्यवाही बाधित की तो सोमवार को कार्यवाही को बाधित करना हमें भी आता है। यह क्या बात हुई? ये सदन चलाना ही नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजिये, विराजिये।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): यह क्या हो रहा है? कोई बात तय हो गई है तो अब क्या हो गया है?

**श्री सभापति**: मंत्रीजी, विराजिये। कटारिया साहब, विराजिये। एक निवेदन सुनिये, एक मिनट। माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये। सचेतक महोदय, बहुत संक्षेप में अपनी बात कहें।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है, आपने फर्माया था कि मैं इसको देखकर जो व्यवस्था होगी, वह दे दूंगा। मैं इसमें आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें एक समय सीमा आप निश्चित फर्मा दें कि कब तक व्यवस्था फर्मा देंगे, इतना-सा निवेदन है।

**श्री सभापति**: मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): सभापति महोदय, पहले आप मेरी बात भी सुन लें। आप व्यवस्था दें, उसके संबंध में मेरी बात सुन लें। उनकी भी सुन लें, मेरी भी सुन लें, दोनों की सुन लें।

**श्री सभापति**: उप नेता महोदय, एक मिनट। यह चीज बार-बार नहीं आए, इसका मैं पटाक्षेप कर रहा हूं। सदन के समाप्त होने से पूर्व, आज की बैठक समाप्त होने से पूर्व उनको देखकर, क्योंकि आप जानते हैं जो टंकण किया जाता है, उसके बाद में उसको हिन्दी में लिखा जाता है, उसके बाद में वह टाइप होता है, उसके अन्दर जो भी शब्द ऐसे हैं जो असंसदीय हैं, सदन की बैठक आज समाप्त होने से पूर्व उनको एक्सपंज कर दिया जायेगा। अब आप व्यवधान नहीं करें। मेरा निवेदन यह है, उप नेता महोदय, यह सूची लगभग 21 की है... (व्यवधान) और सचेतक महोदय, लगभग 17 की है। आप चाहें तब तक सदन चलाएं। आप या तो यह तय कर लें...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): मैं चलाने के लिए कह रहा हूं। आप सदन को चलने दें। बोलने दो। (व्यवधान) हां, 12 बजे तक चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): हमारी तरफ से 12 बजे तक चलाएं।

**श्री सभापति**: तो समय तो मुझे तय करना पड़ेगा उप नेता महोदय, इसमें आप सहयोग करें और मेहरबानी करके कोई ऐसी टिप्पणी न करें जिससे सदन बाधित हो। डाक्टर श्रीमती परम नवदीप सिंह।

**डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह** (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार के माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने जो आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट पेश किया, वह ठोस योजनाओं पर आधारित है और मैं समझती हूं कि बहुत ही संतुलित बजट है जिसके अन्दर उन्होंने गांव की तरफ देखा है, गरीब की तरफ देखा है। यह गांव और गरीब के कल्याण का बजट है, महिलाओं के कल्याण का बजट है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के कल्याण का बजट है। सबसे बड़ी खूबी इस बजट में जो है, वह मैं कहना चाहूंगी। दो मोटी बातें हैं, प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय से भी गुजारिश करूंगी, जरा हमें भी सुन लें।

सभापति महोदय, हमें आजाद हुए बहुत वर्ष हो गये, 1952 में राजस्थान के अन्दर चुनाव होने से हमारा सदन इस तरह से चलता आ रहा है। मेरे पुराने वरिष्ठ सदस्य यह बता सकेंगे कि क्या कभी मुख्य मंत्री ने राजस्थान के विमंदित बच्चों के लिए, विमंदित माताओं के कल्याण के लिए कभी सोचा? याद करिये आपके किसी पड़ोसी को, किसी दोस्त को, किसी मां के जिसके बच्चा या बच्ची विमंदित होती है, क्या हालत होती है उस मां की? उसकी विमंदित बच्ची जवान होती है, उसकी रक्षा के लिए घर में बैठी रहती है। आज हमारे राजस्थान के कल्याणकारी मुख्य मंत्री ने इतने वर्षों बाद विमंदित बच्चों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए सोचा है, यह बहुत बड़ी बात है। विमंदित महिलाओं के लिए, उनके आवास के लिए पहली बार राजस्थान के कल्याणकारी मुख्य मंत्री ने बात सोची है। मैं तहे दिल से हमारे मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं। ब्यूरोक्रेसी के उन अदब अफसरान को भी धन्यवाद देती हूं कि जिन्होंने इस बजट में उन्हें याद किया है।

बजट के अन्दर वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाई गई, अल्पसंख्यक समाज की बेटियों को पढ़ने के लिए छात्रावास की योजना बनाई गई, समाज के हर वर्ग

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

को साथ लेकर मुख्य मंत्रीजी आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझती हूं, इसके अन्दर दूसरी बहुत बड़ी खूबी है कि बी.पी.एल. परिवारों को दो रुपये किलो गेहूं देने का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं राजस्थान की जनता को बताना चाहती हूं कि अब हमारा बी.पी.एल., बिलो पावर्टी लाइन का, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला गरीब अपनी किस्मत पर रोएगा नहीं, वह खुश होएगा, आज उसका पेट भर रहा है, वह खिलखिलाएगा भी, हमें आशीर्वाद भी देगा। आज हम इसलिए खुश हैं कि गरीब खुश है राजस्थान का। आज कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस पार्टी को राजस्थान का गरीब दुआ भी दे रहा है और आशीर्वाद भी दे रहा है। हम इसलिए खुश हैं कि गरीबों को राहत मिल रही है। जिस दीन-हीन को राहत देने की बात महात्मा गांधी ने सोची थी, आज हमारा राजस्थान का गांधी अशोक गहलोत उसी दीन की बात कर रहा है। मेरे प्रतिपक्ष के साथी इतनी अच्छी-अच्छी बातों के बाद भी सराहना नहीं कर पाते हैं, क्या बात है। बंधुओं, मेरे बड़े भाइयों, मैं तो एक बात कहना चाहती हूं, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी जिस तरह से कल्याणकारी योजनाएं दे रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको अपना भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है, इसी वजह से बधाई तक नहीं देते, ताली भी नहीं बजाते। थोड़ी-थोड़ी बजा दिया करो।

हमारी सरकार ने किसानों को पिछले वर्ष बड़ी राहत देते हुए उनकी पांच वर्ष तक बिजली दर नहीं बढ़ाने की घोषणा की थी। उसके बाद अब बी.पी.एल. परिवारों को दो रुपये किलो गेहूं और महानरेगा का काम बहुत अच्छा चल रहा है। आप देख रहे हैं, पूरे प्रदेश में अमन-चैन है। हमारे गृह मंत्रीजी को भी इसका श्रेय देते हैं। इसके अलावा बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा, ये पांचों चीज, आज हम लोकतंत्र में कहते हैं, पांचों में यथासम्भव पैसा दिया गया है और वह आप सब जानते हैं, आपकी और हमारी सबकी जरूरत है। प्रदेश का गरीब आज दुआ कर रहा है और मैं समझती हूं कि खुश भी है इस बात से।

सभापति महोदय, इधर से उधर गये तो उनको याद आ गयी महंगाई। महंगाई में आटे-दाल का भाव भी याद आ गया। मुझे खुशी है कि आपको याद आ गया। मैं इन्हें कहती हूं, सभापति महोदय, हारे को हरि राम। बात यह है कि महंगाई कब चालू हुई? ये मुद्दा बहुत बड़ा है। याद करिये वह दिन, आपकी सरकार थी,

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

महंगाई बढ़ने लगी थी। पर उससे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि महंगाई की शुरूआत कैसे हुई। महंगाई की शुरूआत हुई सभापति महोदय, एनडीए की सरकार थी केन्द्र में, उनकी आर्थिक नीतियां गलत थीं। उन्होंने वादा कारोबार को बढ़ाया था इस वजह से इनफ्लेशन बढ़ा, महंगाई बढ़ी। उसके बाद एनडीए सरकार से जब जनता तंग आई, दिल्ली में यूपीए की सरकार आई। यूपीए सरकार आई, महंगाई बढ़ी। महंगाई बढ़त को रोकने के लिए हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंहजी ने तत्कालीन मुख्य मंत्री को पत्र लिखा, कि इस महंगाई को रोकने के लिए जमाखोरी रोको, कालाबाजारी रोको। आपके कानों पर जूं नहीं रेंगी। प्रवक्ता होते हुए मैंने भी बोला कि, मुख्य मंत्री महोदय, आपको प्रधान मंत्री ने चिट्ठी लिखी है, कालाबाजारी रोकिये, जमाखोरी रोकिये। आपने नहीं रोकी। क्यों नहीं रोकी, क्यों नहीं कुछ किया? इसका कारण था, कि पूर्ववर्ती सरकार जमाखोरों और कालाबाजारियों की खैरख्वाह बनी हुई थी। जनता इनकी पोल-पट्टी समझ गई, यहां से उधर बैठा दिया। अब वहां बैठ गये तो महंगाई याद आती है, अच्छी बात है। महंगाई एक दिन में नहीं बढ़ी। हम प्रयास कर रहे हैं, राजस्थान सरकार बहुत प्रयास कर रही है। मैं बधाई देना चाहती हूं और यह बात भी कहना चाहती हूं कि राजस्थान की सरकार, कांग्रेस सरकार, मुख्य मंत्री इस बात पर चिंतित हैं और इसी की एक नजीर पेश करती हूं। बाकी अभी झोटवाड़ा से हमारे जो माननीय सदस्य हैं उन्होंने आंकड़ों में बहुत उलझाया। भाई, जनता आंकड़े नहीं जानती, गरीब जनता का तो पेट भरा होना चाहिए। आंकड़ों से आप पेट नहीं भर सकते, हकीकत यह है। दो जून की रोटी मिलनी चाहिए गरीब को, वह आशीष देगा। आपने वह किया नहीं, आपको यहां से वहां पटक दिया उसने। मैं बताना चाहूंगी, मुख्य मंत्रीजी पांच लाख तीस हजार मिट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं छह महीने में लेकर आए हैं। छोटी -सी बात हो सकती है, पर यह अतिरिक्त अमाउंट है। इसके अलावा पीडीएस का जो गेहूं वितरण होगा, वह गेहूं वितरण सरकारी अफसरान की उपस्थिति में होगा। क्या ये कंट्रोल की बातें नहीं हैं? क्या आपने देखा नहीं, शुद्ध का युद्ध हो रहा है और कालाबाजारी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है? मगर आपको तो विरोध करना है, विरोध की दृष्टि से आप विरोध करते हो। भाई, जिस तरह हम आशीर्वाद ले रहे हैं जनता का, आप भी सीख लो। बड़े हो, आपसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, उम्मीद करती हूं इस बात को आप समझोगे। (व्यवधान) मैं मांग करती हूं हमारी सरकार से, सभापति महोदय, आपके थ्रू, कि सरकार

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के प्रयास में और तेजी लाए और जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। आज की जो हकीकत है उसको भी बयान करना चाहती हूं। यूपीए सरकार अभी जब दोबारा आई, देश के अन्दर हालात थोड़े बिगड़े, कहीं सूखा पड़ा, कहीं बाढ़ आई, इसकी वजह से हमारे खाद्यान्न, दलहन, तिलहन की पैदावार भी कम हुई। इसकी वजह से मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ा। और विश्व बाजार में जो तेल की कीमतें बढ़ीं उन्होंने कोढ़ में खाज का काम किया। रही-सही कसर भाजपा शासित राज्यों ने पूरी कर दी महंगाई को बढ़ा कर। सारा देश चिंतित है, प्रधान मंत्री चिंतित हैं..(व्यवधान) आप सुनो, आप सुनो, भाई। आप सुनने का भी जज्बा नहीं रखते और बहन की भी नहीं सुनो तो आप किसकी सुनोगे? केन्द्र सरकार महंगाई कम करने के प्रयास कर रही है और राज्य सरकार भी कम करने के प्रयास कर रही है। छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से आर्थिक भार भी बढ़ा है। पैट्रोल-डीजल पर सैस भी कम नहीं हो पाया है। निश्चित तौर पर, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि कमर तोड़ महंगाई के इस दौर में बोझ बढ़ा है। पर इस बात में एक बात और कहना चाहूंगी, कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। मैं सरकार से, खासकर मुख्य मंत्रीजी से मांग करती हूं कि जन हित में सैस के मसले पर पुन: विचार करे और पुन: विचार कर अपने पिटारे में से कोई जादू का गुडलक निकाल कर हमारी जनता को आशीर्वाद दें ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके।

**(17.35 बजे)**

**(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)**

मैं, अध्यक्षजी, आपके माध्यम से मेरे संगरिया क्षेत्र की कुछ बातें, जो मांगें हैं वे मांगना चाहती हूं। सबसे पहले बताना चाहती हूं किजो मेरा संगरिया क्षेत्र है, हरियाणा और पंजाब के बार्डर उस पर लगते हैं, राजस्थान का सीमांत क्षेत्र है, इसकी टोपोग्राफी को देखते हुए आपके माध्यम से राज्य के चिकित्सा मंत्री से गुजारिश है कि संगरिया क्षेत्र के अन्दर एक ट्रोमा सेंटर देने की इस बजट के माध्यम से इसी बार घोषणा करें। संगरिया के अस्पताल के अन्दर महिला रोग विशेषज्ञ की खास जरूरत है, हजारों महिलाओं की यह पीड़ा है, कृपया इस पर भी ध्यान दें। हमारे टिब्बी के अस्पताल को अपग्रेड किया जाए। नगरीय विकास मंत्रीजी से मेरा निवेदन है, मेरे संगरिया क्षेत्र के अन्दर जब

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

बारिश आती है तो संगरिया के अन्दर घुटने-घुटने पानी इकट्ठा हो जाता है, वहां सीवरेज सिस्टम लागू करना बहुत जरूरी है। प्रोजैक्ट भी सब्मिट किया हुआ है, इसी बजट के माध्यम से यदि आप हमें अनुगृहित करें तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। एक संगरिया नगरपालिका को दमकल गाड़ी की भी जरूरत है। नगरीय विकास मंत्रीजी से मैं कहना चाहूंगी अध्यक्षजी, पूरे राज्य के अन्दर किसान जो मामला देता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू मेरी तहसील टिब्बी देती है और हर साल मई-जून के महीने में वहां खड़ी फसल को आग भी लगती है। आज मैं जिक्र करना चाह रही हूं, 1952 से इलेक्शन होते आ रहे हैं, विधायक यहां बैठते रहे हैं, शायद उन्होंने यह मांग नहीं उठाई है। वहां पर मेरे पास एक भी फायर ब्रिगेड नहीं है, मैं इस मंच से आपसे गुजारिश करती हूं कि हमें टिब्बी या संगरिया तहसील में एक फायर ब्रिगेड भी दिलाई जाए ताकि आने गर्मी के समय में अग्निकांड की जो दुर्घटनाएं होती हैं, उन पर काबू पाया जा सके। माननीय अध्यक्षजी, मेरे संगरिया क्षेत्र में बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं खेल मंत्रीजी से गुजारिश करूंगी कि मेरे संगरिया और टिब्बी दोनों तहसील के अन्दर एक बड़ा स्टेडियम, कोच और खेल सामग्री का प्रावधान भी कराया जाए। बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए मेरी टिब्बी तहसील के अन्दर कन्या महाविद्यालय की स्थापना कराई जाए। कुछ बातें मैं कहना चाहूंगी जो अभी माननीय सदस्यों ने कहीं। अभी हमारे झोटवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने नरेगा पर उस तरह से बात की जैसे कि बचपन में हमें पढ़ाया गया है, you should be optimistic, not pessimistic. गिलास आधा भरा है कि आधा खाली है, वही बात कर दी, कह दिया, नरेगा से क्या होगा, भाई, नरेगा से आज एक गरीब इज्जत की रोटी खा रहा है। आप उसकी बड़ाई नहीं करते कि उसको सौ दिन का रोजगार दिया जा रहा है, सौ रुपये दिये जा रहे हैं। कम से कम एक आदमी भीख तो नहीं मांग रहा। यह वह नरेगा है जिसने गरीब को सम्मान दिया है, ये वह नरेगा है जिसने गरीब का पेट भरा है। कल हमारी एक महिला सदस्य चूरू जिले से आती हैं उन्होंने यह फर्माया था कि महिलाओं को तो कुछ दिया ही नहीं इस बजट में। भाई साहब, 9 मार्च को पूरे देश और राजस्थान के अख़बार रंगे हुए थे, कि किस तरह से हमारे राजस्थान की महिलाएं रंगीन कपड़े पहने इतराती हुई बस में सफर कर रही हैं, रोडवेज की बस में। कोई पैसा नहीं लिया जा रहा था। दिखा ही नहीं हमारी महिला साथी को? या उनको उससे जलन हो गई? यह देखिये

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

एक महिला, उसे पता था कि मैं 8 मार्च को, रक्षाबंधन के दिन राजस्थान रोडवेज की बस में कहीं भी मुफ्त जा सकती हूं।

**श्री विजय बंसल** (भरतपुर): यह पहले भी हो चुका है। पिछली सरकार के टाइम में भी था यह।

**डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह** (संगरिया): तो ध्यान तो रखा होता जब आरोप लगाया कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। मैं, अध्यक्षजी, आपके माध्यम से एक बात और उठाना चाहती हूं, गुर्दा रोगी जिनको ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, इनको भी निशक्तजन घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि यह इलाज बेहद खर्चीला है। अंत में, अध्यक्षजी, आपकी इजाजत हो तो प्रतिपक्ष के लिए एक शेर अर्ज है। कहें तो अर्ज कर दूं।

**श्री अध्यक्ष**: इरशाद ।

**डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह** (संगरिया): जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना। मिलने-जुलने का हौसला रखना। धन्यवाद, अध्यक्षजी।

**श्री अध्यक्ष**: खण्डहर बता रहे हैं कभी इमारत बुलंद थी। डा. रोहिताश शर्मा।

**श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि जब मेरा नम्बर आया तो आपने कमान संभाल ली।

**श्री अध्यक्ष**: आपने चैम्बर में आकर निवेदन किया था कि मैं बोलूं उस वक्त आप ही बैठना, इसलिए आपकी हाजिरी में उपस्थित होना पड़ा।

**श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर): I am highly obliged, Sir, and very grateful to you. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2010-11 का बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदन के समक्ष 23 हजार 822 करोड़ का प्रस्तुत किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी का एक ही उद्देश्य रहता है, बड़े बाबुओं के द्वारा बनाए हुए बजट को, मैं समझता हूं, शायद उसकी स्वयं स्टेडी नहीं करते और न ही उनके सीनियर कुलोग जो अनुभवी भी हैं, यहां पर विराजमान हैं। मैं तो यह कहता हूं, जैसा पूर्व के मुख्य मंत्रियों का और इस विधान सभा के सदस्यों का इतिहास रहा है, गरिमापूर्ण इतिहास रहा है कई बार प्रतिपक्ष के नेताओं से भी आफ दी रिकार्ड राय ले ली जाती थी। ऐसी प्रक्रिया इस बजट में कहीं नजर नहीं आई जिसके परिणामस्वरूप इस सरकार को कई मुद्दों पर मुंह की खानी पड़ी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम

(श्री रोहिताश कुमार)

से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने इस बजट को गरीबी उन्मूलन का एक जादू का बहुत बड़ा पिटारा बताया। गरीब, मजदूर, किसान के लिए तो समझो छूमन्तर और राजस्थान खुशहाल होदन्तर। इस तरह का जादूगिरी का डण्डा मुख्य मंत्रीजी ने चलाया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आंकड़ों के आधार पर भी जाएं, जैसा कि माननीय धारीवाली जी ने कहा कि यह तुम्हारा सब्जैक्ट नहीं है, धारिवाली जी को निवेदन करना चाहता हूं....

**श्री अध्यक्ष**: आप विराजें, जबरदस्ती...

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): इन्होंने कहा, साहब, होदन्तर...

**श्री अध्यक्ष**: क्या कह दिया ऐसा?

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): ये होदन्तर शब्द अंग्रेजी का है, हिन्दी का है, अरबी का है, ऊर्दू का है, होदन्तर क्या है?

**श्री अध्यक्ष**: आप विराज जाएं, आपकी समझ में नहीं आएगा यह। आपकी तो समझ में नहीं आएगा यह।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): नहीं आएगा न?

**श्री अध्यक्ष**: आप बैठ जाएं।

**श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शब्द तुकबंदी का है और यह फारसी में आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 23 हजार 822 करोड़ रुपए की योजना जो पेश की, यह कह कर सदन के समक्ष रखी कि 2009-10 के मुकाबले 37 प्रतिशत ज्यादा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, 37 प्रतिशत ज्यादा का आंकड़ा लेकर वाहवाही लूटने की जरूरत तो तब पड़ती जब पिछला 2009-10 का जो बजट इन्होंने पेश किया था, उसको ये पूरा कर लेते। हमारी बहिन नवदीपजी अभी कह रही थीं कि बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि 2009 और 2010 में इन्होंने संशोधित जो आंकड़ों का बजट पेश किया 18 हजार 634.80 करोड़ रुपया, अब बड़ी शर्म की बात है, इस सदन में जो माननीय सदस्य हैं वे सब पढ़े-लिखे लोग हैं, अदरवाइज जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। अदरवाइज शब्द मैंने इसलिए कहा है, मैंने जानकर इसलिए कहा है कि जमीन के दर्द को समझते हैं अर्थात् नहीं समझते हैं और समझते हैं। अब इसका आंकड़ा ये लगाते रहेंगे...

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, आपने अभी क्या कहा, माननीय सदस्य? आपने कहा कि ये सब पढ़े-लिखे हैं।

**श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर): हां, मैं पढ़ा-लिखा नहीं, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, डिग्री वाला नहीं हूं मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा 18,634.80 करोड़ रुपए में मैं ये 2009-10 में खर्च कर पाये 12,133.36 ओनली 36 तो फिर ये जो बड़ा आंकड़ा इन्होंने पेश किया है 2010-11 का 23 हजार 822 करोड़ का, इसकी क्या सत्यता है कि यह पूरा हो जाएगा? अब आप देखिए इसमें करीब 18 हजार 634 में से 12 हजार 133 निकाल लीजिए। कितना बड़ा अंतर रख दिया? और अब डेढ़ महीना बाकी पड़ा है, माननीय धारीवाली जी कह रहे थे कि डेढ़ महीने में पूर्ति कर ली जाएगी। यह जो रुपया बच गया, करीब 6 हजार करोड़ रुपया बच गया, इसकी डेढ़ महीने में पूर्ति कर दी जाएगी। अब डेढ़ महीने में कैसे पूरी कर दी जाएगी आप जरा हमको समझाओ, आप तो पढ़े-लिखे हैं, वकील हैं सारी बातें हैं। अब नया बजट आने के बाद वैट लग गया, सारी बात हो गई। बजट में ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कीम हैं, बहुत सारी टेण्डर्स से पूरी होती हैं, क़ीमतों में वृद्धि हो गई, टेण्डर की शर्तें होती हैं, अब यह 6 हजार करोड़ रुपया डेढ़ महीने में कैसे खर्च करेंगे? इसका वर्णन आपने किया ही नहीं, इसका जरा बताया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इतनी बड़ी रकम लैप्स करना, बजट के जो प्लान हैं उनको शार्ट करना, उनको पूरा नहीं करना माननीय गहलोत साहब की पुरानी आदत है, कोई नई आदत नहीं है। यह मान लें, गहलोत साहब की पुरानी आदत इसलिए है कि 9वीं पंचवर्षीय योजनाएं 97 से 2002 तक जिसका अधिकतर पीरियड गहलोत साहब के टाइम में बीता, 27 हजार 650 करोड़ की थी और गहलोत साहब ने इसका एण्ड किया 19 हजार 566.82 पर। तो यह इनकी पुरानी आदत है। ये 6 हजार करोड़ जो अब दिखाया है न, यह नई बात नहीं है, यह इनका पुराना इतिहास है।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं, 71,731.98 करोड़ रुपये 2007 से 2012 तक जो 11वीं पंचवर्षीय योजना माननीय वसुंधराजी ने बनाई उसमें दो वार्षिक योजनाएं थीं जो उसमें उन्होंने शत-प्रतिशत पूरी की हैं, शत प्रतिशत। 2007-08 में 11,638.66 करोड़ रुपए की योजना थी, जिसका वसुंधराजी ने खर्च किया 13,734.64 करोड़। यह है विजन, यह जन हित की कार्य शैली है मुख्य मंत्री के करने की। दूसरा उन्होंने 2008-09 में 14 हजार 20 के मुकाबले में 14,923.35 करोड़। माननीय धारीवाल साहब, आप तो वित्तमंत्री का भी रोल अदा कर रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी तो विराजते नहीं, आप विराजते हो तो अब ये

(श्री रोहिताश कुमार)

सारा का सारा फर्क है। एक और निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य सचिव की चिट्‌ठी जो माननीय कालीचरणजी ने और माननीय राव साहब ने पढ़कर बताई, मैं उस चिट्‌ठी का एक अंश और पूछना चाहता हूं जिसका मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपने बजट की रिप्लाई में जवाब देंगे। चीफ सैक्रेटरी ने, सैक्रेटरीज, प्रिंसीपल सैक्रेटरीज को,

"Hon'ble CM has desired that the concerned Principal Secretaries/ Secretaries should lose no time to see that budget announcements are carried out before 15th February, 2010 and report in this regard should be submitted through me by …"

**श्री अध्यक्ष**: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर): तो ये 20 फरवरी के बाद इस चिट्‌ठी का क्या मतलब निकला, सैक्रेटरीज ने क्या जवाब दिया और इसका क्या है, वो सदन के पटल पर रखा जाए या मुख्य मंत्रीजी बात करें इस बारे में।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये। कृपया विराजें।

**श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर): इस बजट में दर्शाये गये हैं अगर ये आंकड़े आप, मैं बोलना चाहता था पर आप रोक रहे हो, मैं बताना चाहता हूं कि पानी बिजली और इस क्षेत्र में …

**श्री अध्यक्ष**: समय की मजबूरी है, देखिये, 21 माननीय सदस्य प्रतिपक्ष के हैं और 17 माननीय सदस्य इधर से हैं।

**श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर): … सड़क और इस क्षेत्र में जो घोषणा की, भगवान उनको सद्‌बुद्धि दे कि ये उनको पूरा करें।

एक सुझाव देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को आपके माध्यम से कि ये जो हमारे राजस्थान का सिस्टम है कि मुख्य मंत्रीजी दिल्ली में अपने लोगों को ताकत नहीं देते हैं। मैं इस मामले में यह कहना चाहूंगा, भगवान की बड़ी कृपा है कि सी.पी. जोशी साहब ग्रामीण विकास मंत्री बने उससे राजस्थान को बड़ा लाभ हुआ और ये जो और मंत्री हैं, अगर ये चाहते तो किसी और को और इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो दिला देते तो राजस्थान का बड़ा भला होता। दुर्भाग्य की बात यह भी और है कि साउथ के जितने मंत्री हैं वो अफसर भी वहां पर सैट करते हैं ताकि वहां सेन्टर की स्कीम्स को अपने स्टेट में लाया जाए।

**श्री अध्यक्ष**: कृपया समाप्त करें।

**श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर): राजस्थान के मुख्य मंत्री का कहीं कोई

(श्री रोहिताश कुमार)

प्रयत्न नहीं रहा। राजस्थान का कोई अफसर अच्छी जगह पर जाकर बैठता जिससे सेन्ट्रल स्कीम्स का राजस्थान फायदा उठा सके।

**श्री अध्यक्ष**: श्री कन्हैया लाल झंवर।

**श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर): मैं कनक्लूड कर रहा हूं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): कनक्लूड कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष**: कनक्लूड कर रहे हैं, मुझे पता है, आप विराज जाइये। आपने जितना समझाया, पढ़ाया, उतना सारा हो चुका है, विराजिये आप।

**श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर): मैं एक मिनट नरेगा की बात और बोलूंगा। एक सैकिंड।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): शाम की बात है।

**श्री अध्यक्ष**: क्या मतलब, शाम की बात? यह शाम की बात क्या है? विराजिये। हो गया, माननीय सदस्य। आपने कितने मिनट लिये, आपको ध्यान नहीं है।

**श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमारे बहुत आदरणीय सम्माननीय अध्यक्ष हैं और आप सब समझ रहे हो कि मेरी भावनाओं से शायद आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को कुछ लाभ अगर मिल सके तो ...

**श्री अध्यक्ष**: अब आप विराजें।

**श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर): मैं नरेगा के बारे में यह कहना चाहता हूं कि नरेगा को राजस्थान में बदनाम तो किया है कांग्रेस के नेताओं ने ... (व्यवधान) नहीं, भाजपा ने कहा है, भाजपा ने राजस्थान को माडल स्टेट घोषित किया।

**श्री अध्यक्ष**: श्री कन्हैया लाल झंवर। आप विराजिये, माननीय सदस्य। कृपया विराजिये।

**श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर): माडल स्टेट घोषित किया और प्रसिद्ध अरुणा राय ने जो एनजीओ चलाती हैं, ने सर्टीफिकेट दिया ...

**श्री अध्यक्ष**: कृपया विराजें। अंकित नहीं होगा।

**श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर): ×××

**श्री कन्हैयालाल झंवर** (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बजट भाषण पर निर्दलीय के रूप में

(श्री कन्हैयालाल झंवर)

बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों के जाल में नहीं जाना चाहता। आंकड़े पूरे कब होंगे? जब भगवान बरसेगा। भगवान बरस जाएगा तो आंकड़े अपने-आप पूरे हो जाएंगे। अपने यहां कोई वाद-विवाद करने से आंकड़े पूरे नहीं होंगे। सभी सदस्यों से निवेदन है कि आप भगवान से प्रार्थना करें कि अच्छी बरसात हो, और धन-धान्य से परिपूर्ण हो हमारा इलाका राजस्थान, आंकड़े पूरे अपने आप हो जाएंगे और बजट की मांग करनी पड़ेगी अपने को। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सड़क के मामले में खूब बजट दिया, 2010-11 में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नोखा से लेकर जोधपुर तक एनएच-82 और एनएच-65 पड़ता है जहां ट्रेफिक बहुत ज्यादा है, इस ट्रेफिक में एक्सीडेंट रोकने के लिए इसको फोर लेन अगले वित्तीय वर्ष में करने के लिए प्रावधान रखें और केन्द्र से बजट लाकर पूरा करावें। इसी के साथ पिछले 6 महीने से ढाई सौ और पांच सौ की आबादी की ढाणियों को जोड़ने का प्रावधान किया गया है, इसका प्रस्ताव जब पंचायत समिति और जिला परिषदों में रखा गया तो प्रस्ताव मात्र से ही लोगों के खुशी की लहर दौड़ गयी। मैं यह आशा करता हूं कि इस साल में ढाणियों की सड़कें माननीय मुख्य मंत्री महोदय केन्द्र सरकार ...

# सदन की कार्यवाही

## विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7.00 बजे तक के लिए बढ़ाया जाए। (व्यवधान) दो घंटे बढ़ा देते हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 8.00 बजे तक के लिए बढ़ाया जाए।

**श्री अध्यक्ष**: सदन का समय 8.00 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

# आय-व्ययक पर सामान्य अग्रेतर विचार

**श्री कन्हैयालाल झंवर** (नोखा): माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ढाणियों की सड़कों का जो प्रावधान रखा गया है ये अगले साल में हर ढाणी तक सड़क बन जाए, ऐसी व्यवस्था हो तो मैं आपका आभारी रहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री ने बिजली के संबंध में...

**श्री अध्यक्ष**: माननीय दिगम्बर सिंहजी, अपनी सीट पर आइये।

**श्री कन्हैयालाल झंवर** (नोखा): ...बिजली के मामले में काफी प्रावधान किया गया है, फिर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, 33 केवीजीएसएस के जो प्रावधान अगले वित्त वर्ष में रखे गये हैं, उनको बढ़ा कर ऐसा करें कि हर विधान सभा क्षेत्र में हर तहसील में कम से कम पांच 33 केवीजीएसएस बन जाएं सड़कों का जाल बिछाने की बात की जा रही है, आजादी के साठ साल बीत जाने के बावजूद भी आज गरीब, किसान, गरीब हरिजन ढाणियों में बिना बिजली के बैठा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो प्रावधान किया गया है, ढाणियों का सर्व कराके राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत इसको पूरा किया जाए जिससे आम गरीब आदमी के यहां दीया जल सके, लाइट जल सके। इसके अलावा स्वर्गीय राजीव गांधीजी का यह सपना था कि प्रत्येक ढाणी को विद्युतीकृत करेंगे, उसके तहत राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना आयी थी। परन्तु पिछले एक साल में मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस योजना का कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी इस योजना का प्रावधान रख कर कार्यवाही करावें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हरिजन बस्तियां हो सकता है कि कागजों में इलैक्ट्रिफाई हो चुकी हों, परन्तु आज भी मौके पर तीस-चालीस प्रतिशत कच्ची बस्तियां हैं, हरिजन बस्तियां हैं वो इलैक्ट्रिफाइड नहीं हैं। उनको चिह्नित किया जाए और चिह्नित करके उनके विद्युतीकरण की कार्यवाही की जाए, ऐसा मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नोखा विधान सभा क्षेत्र में लगभग चालीस कुएं और साठ हौज जिला परिषद् और पंचायतों द्वारा बनाये जा चुके हैं जो आज भी बिजली कनेक्शन के इंतजार में बैठे हैं, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि उन ट्यूबवैलों को चालू करने के लिए जलदाय विभाग को पाबंद करें। जलदाय विभाग में बजट ग्रामीण विकास विभाग से दे दिया जाए और वो ट्यूबवैल चालू कराये जाएं और हौज चालू कराये जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि नोखा (बीकानेर) से नागौर इंदिरा गाधी नहर की पाइप लाइन गयी हुई है, मेरे विधान सभा क्षेत्र का आधा हिस्सा जिसमें दस गांव आते हैं उनमें खारा पानी है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, उसका एक पाइप अगर मेरे विधान सभा क्षेत्र के इन गांवों को दे दिया जाए तो मैं सरकार का बहुत आभारी रहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा

(श्री कन्हैयालाल झंवर)

कि जलदाय विभाग के कुएं हैं उनके लिए पिछली सरकार ने पांच सौ रुपये में पंचायत के माध्यम से कर्मचारी रखने का प्रावधान किया। आप खुद सोचें, सरकार खुद सोचे कि पांच सौ रुपये में एक आदमी ट्युबवैल चला कर अपना पेट कैसे भर सकता है और वो ईमानदारी से कैसे ट्यूबवैल चलायेगा। इस बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पांच सौ रुपये से बढ़ा कर वाजिब किया जाए इसके अलावा जिससे आदमी अपना पेट भर सके, नौकरी कर सके। पिछले तीन साल से कई लोगों के पैसे बाकी पड़े हैं उनका भुगतान करने की व्यवस्था करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2010-11 में 150 एंबुलेंस अतिरिक्त क्रय करने का प्रावधान किया गया है, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूं। परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र में तहसील हैडक्वार्टर जो भी हैं, सब पर ये एक-एक एंबुलेंस-108 दे दी जाए तो मैं सरकार का आभारी रहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि रैफरल हास्पिटल, नोखा में भी शैयाएं बढ़ाने का प्रावधान कर दिया गया है। परन्तु शैयाओं की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं निवेदन करता हूं कि पचास बैड का रैफरल हास्पिटल पहले से है और पचास बैड का मेरे नोखा विधान सभा क्षेत्र में पूरा कर दिया जाए तो मैं आपका आभारी रहूंगा। इसके साथ ही नागौर से लेकर बीकानेर तक नेशनल हाइवे पर कोई भी जिला हास्पिटल नहीं है इसलिए इस हास्पिटल को सीएचसी जिला हास्पिटल के रूप में क्रमोन्नत करने के लिए और ट्रोमा सेन्टर खोलने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार

**(18.00 बजे)**

को धन्यवाद देना चाहूंगा, कि विधवा और वृद्धा अवस्था पेंशन में बढ़ोत्तरी की है, इससे विधवाओं में और वृद्ध माता-पिताओं में खुशी की लहर दौड़ी है। परन्तु इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि फार्म भरने के लिये उन विधवाओं और वृद्धों को दर-दर भटकना पडता है। इसके लिये प्रशासन गांवों की ओर, प्रशासन शहरों की ओर अभियान चलाया जाता है ठीक उसी प्रकार एक अभियान चलाया जाए, प्रशासन को पाबंद किया जाए कि गांव-गांव जाकर सर्वे करके विधवाओं और वृद्धों का फार्म भरवा कर उन्हें पेंशन आसानी से मिले, ऐसी व्यवस्था की जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 4 रुपये 70 पैसे की जगह 2 रुपये प्रति किलो गेहूं बीपीएल कार्ड

(श्री कन्हैयालाल झंवर)

धारियों को देने की बजट में घोषणा की गई है। मैं निवेदन करूंगा कि कालाबाजारी को रोकने के लिये भी सख्त कदम उठाया जाए। डिपो में जो वितरण किया जाता है उसमें प्रावधान तो किया है मुख्य मंत्री महोदय ने कि सरकारी कर्मचारी की देख-रेख में बंटाया जाएगा और तारीख भी फिक्स कर दी, परन्तु इसकी थोड़ी-सी और मानिटरिंग की जाए ताकि कालाबाजारी में ये गेहूं नहीं जाएं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि परिवहन विभाग में कर्मचारी और अधिकारी 15-15, 20-20 साल से बैठे हैं इनके लिये भी कोई ट्रांसफर नीति तय की जाए जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे नगरपालिका क्षेत्र में आबादी विस्तार तो कर दिया गया है परन्तु उस आबादी विस्तार में आने वाली कृषि भूमियां जो खातेदार 100 प्रतिशत बेच चुके हैं, परन्तु नगरपालिका के नाम ट्रांसफर नहीं होने के कारण उनका नियमन नहीं हो पा रहा है। इसके लिये माननीय नगरीय विकास मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिला कलक्टर महोदय को निर्देश प्रदान करें कि जो 100 प्रतिशत आबाद हो चुकी हैं और खातेदार पूरी जमीन बेच चुके हैं, उन्हें नगरपालिका के नाम चढ़ायी जाए ताकि आम आदमी को कृषि भूमि का पट्टा मिल सके।

इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नगरपालिका क्षेत्र में कच्ची बस्तियों के नियमन का अभियान चलाया जा रहा है परन्तु 110 गज जमीन का नियमन किया रहा रही है। 110 गज पट्टे का हमारे गांव में कोई प्रावधान नहीं है इसलिए एक भी लोग पट्टे का नियमन नहीं करा रहे हैं। इसके लिये आपने 300 गज करने का प्रार्थना पत्र हाई कोर्ट में लगा रखा है। मैं निवेदन करूंगा नगरीय विकास मंत्री महोदय से कि इसको थोड़ा परस्यू करके माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकृत प्राप्त करें ताकि आम आदमी को राहत मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि नोखा कस्बा दो हिस्सों में बसा हुआ है, बीचों बीच से रेलवे लाइन निकल रही है। 18 वार्ड एक तरफ हैं, 12 वार्ड एक तरफ है और हर 15 मिनट बाद फाटक बंद होता है क्योंकि 23 ट्रेनें चलती हैं। मेरा निवेदन है कि अंडरब्रिज का प्रावधान रख कर अंडरब्रिज बनाने का कष्ट करें। अध्यक्ष महोदय,

(श्री कन्हैयालाल झंवर)

मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर शहर के थानों में तो पूर्णत: स्टाफ की व्यवस्था है परन्तु जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टाफ 50 प्रतिशत कम है। थानों में ऐसी स्थिति है कि 5-7 सिपाही ही हैं। नोखा थाने में थानेदार तो है 8 और सिपाही भी 8, मेरा निवेदन है कि स्टाफ को पूरा करने का कष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, 80 लाख रुपये विधायक कोटे के 6 साल पहले तय किये थे, आज कीमतें ज्यादा बढ चुकी हैं इसलिए इसको कम से कम डेढ़ करोड़ रुपया किया जाए। मैं आशा करता हूं कि इसी बजट में प्रावधान करके हमारी मांग को पूरा करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: अभी दिन में जिस बात को लेकर गतिरोध चला और थोड़ी अव्यवस्था हुई, उसके संबंध में मुझे निवेदन करना है। मैंने सारी प्रोसेडिंग देख ली है, कहीं असंसदीय, कहीं परम्पराओं के खिलाफ, कहीं नियमों के विरुद्ध किन्हीं भी माननीय सदस्य ने बोला है, चाहे वह सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, वह देख कर जिनको आवश्यक समझा गया है उनको एक्सपंज कर दिया गया है। भविष्य के लिये भी सारे माननीय सदस्यों को चाहे मंत्री परिषद के सदस्य हों चाहे साधारण सदस्य हों, मैं इस बात का निवेदन करना चाहूंगा चुनौतीपूर्ण कि मर्यादाओं का ध्यान रखें।

श्री अर्जुन बामनिया,

(अनुपस्थित) श्री राव राजेन्द्र सिंह।

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं महात्मा गांधी के उस वाक्य का अनुसरण जरूर करना चाहूंगा जो वित्तीय व्यवस्था और वित्तीय संसाधनों के अभाव में भारत के उस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना यह वक्तव्य दिया था। गांधीजी ने एक मार्मिक बात कही थी कि जहां उत्साह है, समुचित जानकारी है और अपने ऊपर भरोसा है वहां वित्तीय सहायता हमेशा उपलब्ध हो जाती है। शायद इसी पैमाने पर 63 वर्ष की आजादी के उपरान्त अगर हमारे पास में वित्तीय व्यवस्था के संसाधनों के ऊपर विचार-विमर्श करने का अगर कोई सबसे बड़ी व्यवस्था है तो उनके श्रीमुख से अवतरित ये वाक्य है जो हममें साहस और विश्वास के ऊपर आत्म विश्वास पैदा करता है।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

**(18.06 बजे)**

**(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)**

राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रान्त है, भौगोलिक दृष्टि से हमारे यहां विषमताएं अपनी विविधताओं में मौजूद है। पूरे प्रदेश को प्रगति और विकास के मार्ग पर अग्रसर कराना सरकार और समाज दोनों के लिये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि चाहे हम किसी भी व्यवस्था से, किसी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि के गलियारों से होते हुए इस गरिमापूर्ण सदन में आते हैं, लेकिन एक बात यहां आकर हमें इस बात के लिये उत्तरदायित्व निर्वाह करने का बार-बार जोर देती है कि जिस व्यवस्था का अनुसरण करते हुए, जिस आम जन की व्यवस्था को सुधारने के लिये, जिस आम जन की अभिलाषा, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये उत्तरदायित्व हम पर रखा गया है, क्या हम इस सदन में आकर उस उत्तरदायित्व की पूर्णता स्थापित करपाते हैं या नहीं। मैं आज इस बात के लिये सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, चाहे हम इस बजट की किसी भी पृष्ठभूमि को देख लें आंकड़ों, के संबंध में इतने लोग बोल चुके हैं कि शायद दुबारा इस बात को रिपीट कराना उचित नहीं रहेगा, लेकिन एक छोटी-सी बात में आपको निवेदन करना चाहता हूं। संबल ग्राम जो अनुसूचित जाति के पापुलेटेड गांव हैं, उनकी संख्या पहले 2463 थी, अब इन संबल गांवों की संख्या 4110 कर दी गई है 18 अगस्त, 2009 के बजट में। जहां 2463 संबल ग्राम थे उस वक्त 4 करोड़ रुपये इन गांवों में लगाने का प्रावधान था। जब आज हम इस बजट पर चर्चा कर रहे हैं तो इन संबल गांवों की संख्या 4110 हो गई, लेकिन विस्मय की बात यह है कि इसमें जो राशि है वह 4 करोड़ की 4 करोड़ ही है। दुगनी संबल गांवों की संख्या हमने कर दी, जरूर आपने 50 प्रतिशत से 40 प्रतिशत किया होगा, जनसंख्या के आधार पर तो हम यह चाहते थे कि अगर इन्फ्लेशन को भी ध्यान में ना रखें, महंगाई को भी ध्यान में ना रखें, और 2008-09 का आंकड़ा भी लें तो यह राशि चार से आठ करोड़ तो होनी ही चाहिये थी। आपने इसी बजट में 21 नंबर के पृष्ठ पर विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं की पेंशन बढ़ाई है। 2009-10 में Total allocation for widows and separated women pension is– 145 crores. जो वहां पर प्रोविजन कर रखा है वह 145 करोड़ का है 2008-09 में। हमने इसको बढा दिया है 2010-11 में, एक हजार से पन्द्रह से कर दिया है, 500 से 750 कर दिया है, लेकिन बजट में प्रोविजन

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आज भी 145 करोड़ का ही है। या तो आप उनकी संख्या घटाओगे और उनका पैसा बढ़ाओगे।

आपके बजट का मैनुअल कह रहा है, इसमें आप लिखते हैं कि इससे हमारे पर 150 करोड़ का अधिक भार पड़ेगा। लेकिन बजट स्टडी के अन्दर लगाते हैं तो उसमें प्रोविजन आपने नहीं कर रखा। आखिर इस व्यवस्था को कहीं न कहीं हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जब आप आंकड़े बढ़ा रहे हैं चाहे वाल्यूम आफ विलेजेज बढ़ा लें, चाहे आप वाल्यूम ऑफ स्टेटिस्टिक्स बढ़ा लें, जब बजट बढ़ाएंगे तो वित्त पोषित भी उसे करना पड़ेगा।

मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हालांकि जिस पृष्ठभूमि में आज के बजट पर हम वार्ता कर रहे हैं, इसकी क्या सैंक्टिटी के बारे में तो मैं ज्यादा निवेदन नहीं करना चाहता, लेकिन बजट के साथ-साथ फाइनेंस बिल आपने पेश किया, फाइनेंस बिल के अन्दर झोटवाड़ा से आने वाले सदस्य फर्मा रहे थे कि आपने अपने कर प्रस्तावों के साथ में इस सरकार की टैक्स रेवेन्यू के बारे में पूरा आंकड़ा दिया। आपने इस बजट के अन्दर उल्लेख किया कि हमको आगामी वर्ष के अन्दर 500 करोड़ की अधिक आय करों से होने वाली है। अब आपके 500 करोड़ की आय के मुताबिक आपसे बजट पर चर्चा करें तो एक प्रतिशत कर जो घटा दिया उसके बाद में 500 करोड़ रहेंगे ये या 50 करोड़ रहेंगे, किस सैंक्टिटी के बारे में हम बात करें? क्योंकि अधिकांश हिस्सा जो कर का आता है वह बिक्री कर आता है। रजिस्ट्रेशन जो मोटर कार का होता है, मुद्रांक का होता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा अगर कर का आता है तो वह बिक्री कर का आता है। आप हमें यह फर्माएं कि आखिर किस हैसियत से इस बजट के बारे में चर्चा करें? जिस बजट के आंकड़े सही नहीं हों, जिस बजट के अन्दर जो प्रोविजन दे रखा है उसके बारे में आप और हम सब असमंजस की परिस्थिति में हैं, आखिर हम किसके ऊपर चर्चा करें? फिर भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम आज जिस बात के लिए चर्चा कर रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ी सत्यता है, वह मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं। मंहगाई पर जिस वक्त चर्चा होने की सम्भावना थी किसी वजह से व्यवधान आकर नहीं हुई, लेकिन मंहगाई के बाद में एक तस्वीर पूरे भारतवर्ष में सामने आई है उसका आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं। आदरणीय एक रिसर्च पेपर जारी हुआ है पिछले दो साल की मंहगाई के ऊपर, रिसर्च पेपर के बाद में टाइम्स आफ इण्डिया ने वह रिसर्च और सर्वे करवाया, रिसर्च और

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

सर्वे के अन्दर जो आंकड़ा सामने आया उसको अगर हम कहें तो 34 billion more poor people were added in the last two years which includes the UPA government's years and the 2 years of the present government of Rajasthan. इस महंगाई से किसी को राहत मिले, या नहीं मिले लेकिन जितने गरीब, बीपीएल थे और जितने गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन-यापन कर रहे थे, उससे पूरे भारत वर्ष में 34 मिलियन लोगों की संख्या और बढ़ गई, हमारे यहां भारतवर्ष का पांचवां प्रतिशत जनसंख्या है अगर उसके अन्दर राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति और अर्थव्यवस्था का भी ध्यान नहीं रखें और पूरा पांच प्रतिशत ले लें तो आज की तारीख के अन्दर कम से कम डेढ़ मिलियन ऐसे लोग हैं जो इस मंहगाई की वजह से गरीबी रेखा से नीचे आ गये हैं। आदरणीय सभापति महोदय, ये मैं नहीं कह रहा, युनाइटेड नेशन डवलपमेंट का सर्वे था, ये यूएनओ ने किया था और भारत सरकार के कहने पर किया था। टाइम्स आफ इण्डिया ने इसको मानिटर किया था। मैं एक बात और चौंका देने वाली अर्ज करना चाहता हूं, यूएनओ ने भारत और सारे उन देशों का सर्वे किया जिसमें ऐसे लोग गरीबी रेखा से जीवन-यापन कर रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा, 60 वर्षों के प्रजातंत्र के इतिहास के अन्दर जहां हम लोग बार-बार, जब से चुनाव चालू हुए हैं, इस गरीब को दलित के नाम से, शोषित के नाम से, किसान के नाम से, बार बार पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल कर सम्बोधित करते हैं, आज यूएनओ का सर्वे यह कहता है कि हिन्दुस्तान की पूरी जनसंख्या का 24-25 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहा हैं। सबसे बड़ा उनका मापदण्ड है कि जिसको दो वक्त की रोटी सही ढंग से नहीं मिले, वह गरीब की परिभाषा में आता है। 24 करोड़ इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि 100 करोड़ लें तो 24 करोड़। और 115 करोड़ लें तो संख्या ठीक वहां पहुंच जाती है जितनी संख्या 1947 में जब देश आजाद हुआ था, उस समय थी। उतने तो गरीब आज गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। यूएनओ सर्वे की रिपोर्ट में चार कैटेगरीज हैं, जो 15 प्रतिशत से नीचे आते हैं, जो 15 से लगाकर 20 प्रतिशत हैं, 20 से लगाकर 29 प्रतिशत पर हैं और जो 30 से लगाकर 50 प्रतिशत पर हैं। भारत 24 प्रतिशत मतलब 20 से 29 प्रतिशत की श्रेणी में आ गया है। ये श्रेणी उनके हिसाब से जिसको अंग्रेजी में अलार्मिंग सिचुएशन और हिन्दी में चिंताजनक कहते हैं। महंगाई की वजह से एक करोड़ लोगों का इसके अन्दर आंकड़ा और बढ़ गया है। जिस पैराडोक्स के संबंध में हम बात करते हैं, जिन व्यवस्थाओं के बारे में बात करते हैं, भारतवर्ष के अन्दर अगर रूरल सैक्टर की

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

बात करें तो कम से कम 150 मिलियन ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं। ग्रामीण क्षेत्र के 150 मिलियन लोग-बाग़ बेरोजगार हैं। क्योंकि हमारा आंकड़ा 5 प्रतिशत के साथ-साथ 70 प्रतिशत और उससे ज्यादा की आबादी है कि ग्रामीण इलाके में रहती हैं। अगर 150 मिलियन का 5 प्रतिशत भी निकाल लें तो भी 30 मिलियन लोग बाग़ हैं, 30 मिलियन लोग-बाग़ का मतलब यह हुआ कि राजस्थान की पूरी की पूरी जनसंख्या का 2 प्रतिशत अगर हिस्सा ले लिया जाए तो वे ऐसे नवयुवक हैं जिनको रोजगार की तलाश है। अरबन में ले लें। यह तो महज गांवों की बात कही है, अरबन में अगर हम उनको ले लें तो अरबन के अन्दर 25 मिलियन लोग-बाग़ बेरोजगार हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं। 25 का अगर 5 प्रतिशत हमारा रहा तो ढाई मिलियन ऐसे लोग बाग़ रहेंगे जो राजस्थान के शहरों के अंदर रहते हैं जिनको नौकरी के लिए दूर-दूर भटकना पड़ता है। अगर इन सारे आंकड़ों को लगा लें और फिर यह कह दें कि हम पांच हजार लोगों को नौकरी देंगे, हम सात हजार लोगों को नौकरी देंगे, हम दस हजार लोगों को नौकरी देंगे, जितनों को आप नौकरी दे रहे हो उससे दस गुणा ज्यादा तो यूनिवर्सिटी और कालेज से डिग्रियां ले लेकर बाहर आ रहे हैं नौकरी की तलाश में। आप चल रहे अढाई कोस और शिक्षा की प्रगति से वह आदमी पढ़-लिखकर आ रहा है सौ कोस की रफ्तार से, इस व्यवस्था को अगर हम नहीं सुधारेंगे तो आखिर क्या होगा, चाहे हम किसी प्रकार का बजट पेश कर दें? आदरणीय संसदीय मंत्री विराजे हुए हैं आपने यह बात ठीक फर्मायी, और मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि जिस प्रकार से हमारे बजट का एलोकेशन होता उसमें एक परम्परा सी पड़ गई हैं। पिछली सारी सरकारों में, ज्यादा से ज्यादा रकम पिछले तीन महीने के अन्दर खर्च करते हैं। आपके घर का भी तो बजट होगा। लेकिन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड एडवांस टैक्स में अगर आप आते हैं तो वह भी आपको समय पर देना पड़ता है। सारे कर्मचारियों को यह बात कह दी जाए कि बारह महीने की तनख्वाह दस महीने तक नहीं मिलेगी, ग्यारहवें महीने बाद बारहवें महीने ही मिलेगी अपना खर्चा और अपनी व्यवस्था तुम उससे चलाओ तो क्या ये सत्य है? सभापति महोदय, दो मिनट में अर्ज करूंगा, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): चलो आपको दे दो। आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, बोलो।

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा): मैं आपके सामने वह सूची भी रखना चाहता हूं, यह बात सर्व विदित है कि इस वर्ष के अंत तक हमारे पर कर्ज का

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

भार 90 हजार करोड़ रुपए हो जाएगा। जैसा झोटवाड़ा से आने वाले विधायक फर्मा रहे थे, एक लाख हो जाएगा। लेकिन एक आंकड़ा आज तक सदन के पटल पर नहीं आया, कभी नहीं आता, मैं उसको देना चाहता हूं। सीएजी की 2008 की रिपोर्ट इस बात को दर्शाती है कि पिछले कई वर्षों से राजस्थान की सरकार बार-बार आफ बजट बोरोइंग करती है, जिसका बजट में उल्लेख नहीं होता, जो कभी सदन के अन्दर नहीं आता। लेकिन अगर विसंगति के अन्दर कहीं डिफाल्टर बन गये तो सारा का सारा कर्जा सरकार को चुकाना पड़ेगा। मैं उसके लिए कम से कम एक उदाहरण जरूर प्रस्तुत करना चाहूंगा क्योंकि अगर ये बात मैं यूं ही कह दूं तो शायद आप लोग नहीं मानेंगे। मैं आपका ध्यान 2008 की सीएजी की रिपोर्ट के पृष्ठ 31 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और ये बात सही है आर्टिकल 293 के सेक्शन-3(3) के तहत आपको ऑफ बजट बोरोइंग संविधान ने परमिट ही नहीं की।

अगर आपको पैसा लेने का अधिकार है तो 291 में है, पैसा लेने का अधिकार है तो 292 में है और पैसा लेकर आपको इस सदन को बताना पड़ता है। मैं आपको 2008 के मार्च तक का आंकड़ा बताता हूं, 7196.19 करोड़ रुपया ऐसा है जो आज तक इस सदन के पटल पर नहीं आया और जिसके लिये राजस्थान की सरकार उत्तरदायी है। मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं, यह सात हजार का आंकड़ा अब धीरे-धीरे 10 हजार करोड़ बन रहा है। झोटवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य तो फ़र्मा रहे थे कि अगले वर्ष तक हम लाख पार कर जाएंगे, अगर यह आज ही जुड़ गया तो लाख तो आप आज ही पार कर चुके हो। अब तो यह सोचिये कि किन उपक्रम में लग रहा है। आदरणीय सभापति महोदय, इसमें स्टटिस्टिक्स है, इसलिये इसको कनक्लूड करने के लिये मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जिन उपक्रम के अन्दर सबसे ज्यादा यह पैसा लगा वे हमारे डिस्काम हैं, और मैं, संसदीय कार्य मंत्री महोदय, एक बात आपको निवेदन करना चाहता हूं, करोड़ों का कर्ज राजस्थान की सरकार की गारण्टी पर इन उपक्रमों ने लिया है। इसमें एक सी.ए.जी. ने जो गलती पकड़ी है वह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। इनकी जो आडिट रिपोर्ट 2008 है, उसका आप वह पृष्ठ देखें जिसमें सी.ए.जी. के कमेण्ट्स हैं, तो आप पाएंगे कि आडिट ने 693.87 लाख का आंकड़ा लिया, डी-1 में 2118.89 लाख का आंकड़ा लिया। और (i)(e) के तीन में 26.16 लाख का आंकड़ा लिया। जो वहां के इण्टरनल आडिटर हैं उन्होंने भी दस्तख्त कर दिये, एम.डी. साहब ने भी दस्तख्त कर

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

दिये। सी.ए.जी. ने यह कहा कि यह आंकड़ा लाख का नहीं है, यह आंकड़ा करोड़ का है। आपने करोड़ को लाख बनाकर दस्तखत कर दिये। सी.ए.जी. की आडिट ने अगर नहीं पकड़ा होता तो आपका चार्टड अकाउण्टेंट भी दस्तख्त कर चुका होता, और कर दिये। ये सी.ए.जी. की रिपोर्ट आपके अकाउण्ट्स के आडिट होने के बाद की है और उन्होंने साफ लिखा है कि 693.87 लाख नहीं है, यह 693.87 करोड़ है। उन्होंने साफ लिखा है कि यह 2218.89 लाख नहीं है, 2218.89 करोड़ है। आदरणीय, आखिर किस भरोसे और किस विश्वास के साथ में आप इनको गारण्टी दिये बैठे हैं? आपने तो 8 हजार करोड़ की इस सरकार के गरीब आदमी की सम्पत्ति को गिरवी रख दिया इन डिस्काम के लिये और इनको इतना वक्त नहीं है कि जब ये दस्तखत करें तो कम से कम अकाउण्ट्स को तो पूरा पढ़ लें। हजारों, लाखों रुपये आप लोग आडिट के अन्दर देते हैं चार्टड अकाउण्टेण्ट्स को। कम से कम जिस फर्म ने सी.ए. ने आडिट किया है, आप लोगों को बात करके चार्टड अकाउण्टेंट्स एसोसिएशन में उसको ब्लैक लिस्टड कराना चाहिए। आदरणीय सभापति महोदय, जिस चीज की हम यहां बात कर रहे थे, मैं दो मिनट निवेदन करना चाहूंगा, बहुत बड़ी चीज आज राजस्थान को मिली है। 13वें वित्त आयोग ने जिस प्रकार से अपनी आगे की व्यवस्था आगे के 5 वर्ष की व्यवस्था की है, उसमें तीन बहुत बड़ी चीजें हैं। एक तो में 15 हजार करोड़ रुपये की उन्होंने राशि की है। एन्वायरमेंट के अन्दर जहां पोल्यूशन हो रहा है उसके लिये। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पोल्यूशन का जो सबसे बड़ा केन्द्र है वह कार्बन डाइआक्साइड है और सबसे ज्यादा अगर कोई पोल्यूटेंट है, सीमेण्ट कम्पनियां हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई पोल्यूटेंट है, हाइड्रो कार्बन है जिसको अपन डीजल कह लें, पैट्रोल कह लें। सबसे ज्यादा अगर कोई पोल्यूटेंट है तो फोसाइल्स हैं। कोल भी उसमें आता है, कोयले से भी पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो उसके लिये आप लोगों ने प्रावधान सी.डी.एम., क्लीन डवलपमेंट मैकेनिज्म की वजह से किया कि हम उस एनर्जी सैक्टर की तरफ जाएं जो या तो सौर ऊर्जा से हो या बायो फ्यूल से हो, जिसमें हम जेट्रोफा जैसे करें। लेकिन उसके लिये मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, अब्दुल कलाम आजाद राष्ट्रपति भी थे और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं। उन्होंने एक बात कही कि जब तक आप जेट्रोफा का प्रोडक्शन दो टन पर-हैक्टेयर से लगाकर 4 टन पर-हैक्टेयर नहीं करेंगे तब तक जेट्रोफा आपको कमर्शियली वायबल नहीं होगा।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

क्योंकि जेट्रोफा की जो स्ट्रेंथ होती है जिससे आयल निकलता है, वह 20-25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत है। जब तक ये 45 प्रतिशत नहीं आएगा, जब तक इसमें हाई-ब्रीड वैरायटी नहीं होगी तब तक ये चीज नहीं होगी। दूसरा आपने सोलर एनर्जी की बात कही, या सौर ऊर्जा, लेकिन सौर ऊर्जा के लिये भी उन्होंने कहा है कि आपके पास में जो फोटो वोलेलल्टिक सेल्स होते हैं, इनमें ऊर्जा ग्रहण करके रीटेन करने की जो कैपेसिटी है वह सिर्फ 20 प्रतिशत है। जब तक 35 प्रतिशत वाले रीचार्ज सेल्स नहीं आएंगे तब तक सौर ऊर्जा का कोई भी उपक्रम कामर्शियली वायबल नहीं होगा।

और आखिर में, क्योंकि समय कम है इसलिये, सभापति महोदय, एक बात निवेदन करना चाहता हूं, हम यूनिवर्सिटी पर यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, हम लोग कालेज पर कालेज खोल रहे हैं लेकिन, थोड़े दिन पहले आपके ही राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने बाकी प्रोफेसर्स से मिलकर कैंसर जैसी बीमारी पर खोज की, और क्योंकि आर. एण्ड डी. फैसिलिटी आपके पास में नहीं थी, 10 लाख डालर, सिर्फ 10 लाख डालर में चायना जैसा देश ले गया। आखिर ये चिन्ता का विषय आपका और हमारा नहीं है? आर. एण्ड डी. के हब, अब आप यह देख लीजिए। एक कनक्लूड और करवा देता हूं। आपने, क्योंकि उद्योग मंत्रीजी विराजे हुए हैं, आपके चैयरमैनशिप में आपने दो मीटिंग्स दिल्ली में कीं, to invite more investment to Rajasthan, अब मैं आपको कहूं, एयरपोर्ट से सम्बन्धित एक कंसैप्ट आया है, इलेक्ट्रोपोलिस जिसको कहते हैं। इलेक्ट्रोपोलिस का कंसैप्ट आज से पहले किसी भी रीजन के पास में नहीं था। आपके रीको को भी नहीं मालूम था, इस कंसैप्ट को क्या कहते हैं। ग्रीन फील्ड, एयर फील्ड का तो मालूम था, इलेक्ट्रोपोलिस का नाम नहीं मालूम था। क्योंकि इसमें लोजिस्टिक हैड्स भी होते हैं, आपके प्रदेश के पास में पानी नहीं है, आपके प्रदेश के अन्दर पावर नहीं है। अभी तक आप लोग किसानों को भी पावर नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे कौनसा इण्डस्ट्री का इन्फल्क्स लाएंगे जो पावर हैवी भी न हो, जो वाटर हैवी भी न हो। एलेक्ट्रोपोलिस के साथ में लोजिस्टिक पार्क आता है, लोजिस्टिक पार्क अगर आपके यहां बनते हैं, उद्योग मंत्रीजी फाइनेंस को भी देखते हैं तो यहां के लाजिस्टिक पार्क के अन्दर, क्योंकि इंसेप्शन पर वेट लगता है। यहां से जो चीज लाजिस्टिक्स में आएगी, वैट यहां लगेगा। वैट यहां लगेगा और जाकर अगर चीज मद्रास में कहीं बिकी तो आपको देनदारी, मद्रास में जब वह रिकवरी के लिये आएगा, करनी पड़ेगी,

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

इस बीच में 90 दिन लग जाते हैं। यह 10 हजार करोड़ रुपये से ऊपर का व्यापार है पर वैट लागू होने के बाद में और जब जी.एस.टी. लागू हो जाएगा तो कैरिंग और फारवर्डिंग एजेण्ट जगह-जगह नहीं होंगे, ये रीजन्स में आएंगे। अगर आप इस हब को क्रियेट कर लेते हो इस इलेक्ट्रोपोलिस से, तो जितना कर्जा ले रहे हो न, उद्योग मंत्रीजी, उतना तो फ्लोटिंग कैपिटल बगैर ब्याज के आपके पास में हो जाएगा। करने की हिम्मत हो तो यह करिये। गरीब जनता पर टैक्स लगा-लगाकर उनकी जेब काटने की बात आप मत करिये। आदरणीय सभापति महोदय, मुझे मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

**श्री सभापति**: श्री जयदीपजी डूडी।

**श्री जयदीप** (भादरा): सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिये बहुत धन्यवाद। महोदय, इस बजट पर 2-4 सुझाव देना चाहता हूं। सबसे पहली बात, इस योजना का आकार जो 23822 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है मुख्य मंत्रीजी द्वारा, उसके लिये मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में, पिछली बार मैंने कुछ समस्याओं का जिक्र किया था, इस बजट में उनको लिया गया है। सबसे पहले सिद्धमुख नहर परियोजना जो हनुमानगढ़ और चूरू जिले की महत्ती योजना है, काफी संघर्ष के बाद वह नहर आई थी, पर किन्हीं राजनीतिक कारणों की वजह से काफी गांव नहर से वंचित कर दिये गये थे। इसकी चर्चा मैंने की थी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस बजट में प्रावधान किया है कि जो सिद्धमुख नहर योजना के वंचित गांव हैं, उनका सर्वे करवाकर उन गांवों को साहवा लिफ्ट से जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिये मैं मेरे क्षेत्र के लोगों की तरफ से मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बजट में इन्दिरा गांधी नहर के लिये ए.आई.डी.पी. में, क्योंकि पंजाब में इन्दिरा गांधी नहर की हालत बहुत खराब है, बहुत जगह से लीकेज हैं जिनका काम होना बाकी है,

कई वर्षों से क्षेत्र के लोग प्रयासरत थे कि पंजाब में इस नहर को सुधारा जाए, उसके लिए 952 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्थान में भी इंदिरा गांधी नहर बोर्डर से जैसे अन्दर आती है, लास्ट तक जगह-जगह उसमें जिनको वहां की भाषा में 'केली' बोलते हैं, बहुत बड़ा घास-फूस नहर के अन्दर साइड्स में उगे हुए हैं और सिल्ट बहुत ज्यादा उसमें जमा हो गयी है। उसके लिए राजस्थान

(श्री जयदीप)

के अन्दर भी ए.आई.डी.पी. में 478 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं, मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

जहां तक मेरे विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न है, मेरे यहां अमर सिंह सिस्टम भी हरियाणा से आती है। भाखड़ा से आती है और हरियाणा के अन्दर वह नहर काफी जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। काफी पानी का लीकेज होता है, राजस्थान में पूरा पानी नहीं आ पाता है। मेरा, माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत राज्य सरकार से निवेदन है कि जिस तरह से इंदिरा गांधी नहर को पैसा दिया है, अमर सिंह नहर को भी हरियाणा में जहां से क्षतिग्रस्त है, ठीक करने के लिए बजट में प्रावधान रखा जाए, बजट में पैसा दिया जाए।

मैं अभी जिक्र कर रहा था, सिद्धमुख कैनाल से माइनर्स निकलती हैं, छोटी नहरें निकलती हैं, उनमें क्रास रेगुलेटर नहीं लगे हैं। उसकी वजह से जो पानी आ रहा है, वह सब जगह सही जगह वितरित नहीं हो पा रहा है। नहर के पास जो किसान हैं वे तो साइफन की वजह से या किसी तरीके से उस पानी को उपयोग में ले लेते हैं, लेकिन जो माइनर के काश्तकार हैं, जो छोटी नहरों के काश्तकार हैं, जो माइक्रो माइनर उस बड़ी नहर से निकलती है, क्रास रैगुलेटर नहीं होने की वजह से वहां पानी नहीं पहुंच पाता है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सिद्धमुख सिस्टम में जो माइनर है वहां क्रास रैगुलेटर लगाकर टेल के काश्तकारों को फायदा दिलाया जाए, उसका बजट में प्रावधान रखा जाए।

जहां तक स्वास्थ्य का सम्बन्ध है, मेरे यहां अभी माननीय मंत्रीजी ने, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है 108-एम्बुलेंस काफी मात्रा में देने की, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में भी 108-उपलब्ध करायी जाए। हालांकि भरोसा दिलाया है माननीय मंत्रीजी ने कि अप्रैल माह तक यह सब जगह पहुंच जाएंगी, फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि यह और उपलब्ध करवायी जाए।

अभी वन और पर्यवरण का जिक्र आया था, आदरणीय राव साहब चर्चा कर रहे थे कि पोल्यूशन के लिए काफी पैसा भारत सरकार ने दिया है। मेरा निवेदन है कि ठीक है, पोल्यूशन का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, यह सारी बात सही है, लेकिन विकासशील देशों का विकसित होना भी बहुत जरूरी है। हमारा जो उद्देश्य है हमें विकसित होना, उसमें बाधा करके इस तरह की पोल्यूशन की बात नहीं की जाए कि हमारा विकास उसमें अवरुद्ध हो जाए।

(श्री जयदीप)

हमारे यहां हनुमानगढ़ और गंगानगर में स्पिन मिल की आवश्यकता के लिए मैंने निवेदन किया था माननीय मुख्य मंत्री महोदय से, उसमें किसी तरीके के पोल्यूशन का मामला लेकर अड़ंगा नहीं लगाया जाए और उसको यथाशीघ्र शुरू किया जाए, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

जहां तक सहकारिता का प्रश्न है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा काफी समय से मांग होती रही थी वैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के लिए। हरियाणा में वैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू, पंजाब में लागू हो गयी थी, राजस्थान में लागू नहीं हुई इससे हमारी जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, उनमें बड़ा नुकसान हो रहा था, वे काफी घाटे में आ रही थीं। पिछली सरकार के वक्त भी हमने डैपुटेशन लेकर काफी कोशिश की थी कि वैद्यनाथन की रिपोर्ट लागू हो जिससे ग्राम सेवा सहकारी समिति कामयाब हो। इस सरकार ने वैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करके भारत सरकार से 500 करोड़ रुपये लाने की जो व्यवस्था की है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इसमें 15 परसेंट राजस्थान का शेयर भी है, उसके लिए राज्य सरकार को बहुत धन्यवाद है, इससे हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियां मजबूत होंगी। किसानों को इससे लाभ होगा, अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध होगा।

इसके साथ कल से चर्चा कर रहे थे हमारे खाद्य मंत्री महोदय कि डीलर यह करते हैं, डीलर माल नहीं उठाते, डीलर यह नहीं करते, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब ग्राम सेवा सहकारी समिति मजबूत होगी तो क्यों नहीं राशन वितरण का काम है वह ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से हो जाए? तो यह भ्रष्टाचार का टंटा ही सारा खतम हो जाएगा, जो कमीशन होगा वह जी.एस.एस. में आएगा।

पेयजल की बात आयी, कंटिंजेंसी में सभी क्षेत्रों को राज्य सरकार ने पैसा दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नहरों में पानी कम आ रहा है, नहरों में पानी कम आएगा तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जो क्षेत्र नहरों पर डिपेंड हैं उनकी डिग्गियों में भी पानी कम आएगा। जहां डिग्गियां बनी हुई हैं, हमारे यहां कई जगह हमने प्रैक्टिकल किया है कि डिग्गी का पानी सीपेज होकर नीचे चला जाता है, उसके साथ अगर ट्यूबवैल लगा दिया जाए, वह ट्यूबवैल से सीपेज का पानी निकाल कर डिग्गी में डालने की अगर व्यवस्था कर दी जाए तो निश्चित रूप से जो आगे का समय आने वाला है अप्रैल-मई का, वह आराम से गुजर जाएगा। हालांकि वह पानी उसमें कम

(श्री जयदीप)

होगा लेकिन तीन इंच तक हमने प्रैक्टिकल किया है, तीन इंच का ट्यूबवैल उस पर लग जाएगा और वह पानी जो नीचे गया है, वह पानी डिग्गी में आ जाएगा। दोनों पानी मिलकर पूरा गर्मी का जो महीना है, हम आराम से पास कर पाएंगे, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं।

जहां तक हैण्डपम्प का सवाल है, हम जब जिला परिषद की मीटिंग में बैठे थे तो हमें बहुत कम मात्रा में हैण्डपम्प उपलब्ध कराये गये थे। हमने यह कहा कि नहर में पानी नहीं आ रहा है, नहर के साथ ढाणियां हैं, नहरों के ऊपर क्योंकि पानी नहर का भी सीपेज से नीचे गया है तो उन नहर के साथ-साथ अगर नलकूप लगा दिये जाएं, हैण्डपम्प लगा दिये जाएं तो वह पानी आस-पास की ढाणियों के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। राज्य सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए पैसे की मात्रा बढ़ाई जाए, इस बजट में यह व्यवस्था की जाए।

**(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)**

मेरे भादरा क्षेत्र में भी बहुत पहले इतिहासकार बताते हैं कि सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी लुप्त हो गयी। उस इलाके में जिस तरह से यह आजकल कम्प्यूटर सिस्टम आ गया है, उन्होंने चैक करके बताया कि 1000 फुट के नीचे मीठा पानी है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में प्रावधान रखें। 650 फुट पर वहां पत्थर आ जाता है और उसके नीचे मीठा पानी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चार-पांच जगह राज्य सरकार बोर जरूर करवा दे क्योंकि पत्थर टूटता नहीं है और आजकल बहुत मशीनरी आ गयी है, लेकिन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वहां तक वे खुदाई कर सकें। इस बजट में प्रावधान करें, सरस्वती नदी के नीचे जो पानी है वहां अगर तीन-चार जगह बोर हो जाए तो उस क्षेत्र की पीने के पानी की समस्या हमेशा के लिए खतम हो जाएगी, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध गोगामेडी मेला भरता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, काफी लोग वहां मेले में आते हैं। पिछली बार संख्या 25 और 30 लाख के बीच आंकी गयी थी। इतने लोग वहां मेले में आते हैं। पूरे एक महीने तक मेला भरता है। उस मेले के विकास के लिए जस्टिस चौपड़ा वहां गये थे, जस्टिस चौपड़ा को हमने उस मेले में जो समस्याएं थीं, वे बतायी थीं कि ये हमारे यहां समस्याएं है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 75 लाख रुपये गोगामेड़ी मेले की व्यवस्था के लिए इस बजट में प्रावधान रखा है, मैं

(श्री जयदीप)

धन्यवाद देने के साथ एक निवेदन और करना चाहूंगा कि मेले में कानून-व्यवस्था बिगड़ जाती है, अगर वहां थाना जो है वह स्थाई कर दिया जाए, इसमें प्रावधान रखा जाए तो इतने लाख लोग इकट्ठे होते हैं, कानून-व्यवस्था नहीं चरमराएगी।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य।

**श्री जयदीप** (भादरा): एक मिनट। कानून-व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, इसके लिए इसमें प्रावधान रखा जाए। जो 25-30 लाख लोग वहां आते हैं उनको सुविधा हो जाएगी और माहौल नहीं खराब होगा। पिछली बार नौ आदमी मेले में मौत के मुंह में चले गये थे भीड़ की वजह से और आपस में झगड़ा भी हो गया था। उत्तर प्रदेश से लोगबाग आते हैं। एक दूसरे को जानते नहीं हैं। स्थाई अगर वहां थाना होगा तो वहां लोकल लोगों को वहां के इंचार्ज वगैरह पहचान लेते हैं कि इन्होंने यह गड़बड़ी की है। यह हमारी वहां की बहुत समस्या है, इसको आप दूर करने की कोशिश करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने हमें समय दिया, धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, समय का आप थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि बोलने वालों की संख्या लगभग 32 है और सदन में उपस्थिति 40 सदस्यों की है। (व्यवधान) सदन की उपस्थिति 40 और बोलने वाले 32 हैं, 8 सदस्य ज्यादा है। (व्यवधान)

**श्री जयदीप** (भादरा): मैं यह नहीं कह रहा हूं, मैं निर्दलीय सदस्यों की कह रहा हूं। कितना समय है बताइये आप हमें, अभी हमारा समय और बकाया है, हम और बोलेंगे। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप अभी और बोलना, पूरे महीने सत्र चलेगा।

**श्री परसादीलाल** (सहकारिता मंत्री): निर्दलीयों का टाइम तो देखो, बहुत है। हमारा टाइम दो उन सबको। हमारे सदस्यों को टाइम ही नहीं देते। आप उनके लिये भी घंटी बजा देते हैं।

**श्री सभापति**: पूरा-पूरा टाइम दे रहे हैं।

**श्री परसादीलाल** (सहकारिता मंत्री): पूरा कितना बाकी है? हमारा टाइम बहुत बाकी है। हमारे जयदीपजी को टाइम दो।

**श्री सभापति**: मंत्री महोदय, जो समय निर्धारित है, उसी के अनुसार समय दिया जा रहा है। सभी से सहयोग की अपेक्षा है। श्रीमती ममता भूपेश।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): अब आप निर्दलीय कहां रहे हैं?

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा): एतराज जिनको होना चाहिये, उनको नहीं है तो आपको क्यों है?

**श्रीमती ममता भूपेश** (सिकराय): सम्माननीय सभापति महोदय, जिस उम्मीद से राजस्थान की जनता ने विधान सभा चुनाव से लेकर लोक सभा चुनाव, फिर नगर निगम चुनाव और फिर पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस सरकार के प्रति अपनी आस्था और निष्ठा प्रकट की, उसी आस्था और निष्ठा के साथ में हमारे लोक कल्याणकारी मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की जनता की खुशहाली, अमन-चैन के लिये सदन के अन्दर बजट पेश किया, उसके पक्ष में अपना समर्थन आपकी इजाजत से रखना चाहती हूं।

मैंने इस 89-पृष्ठीय बजट को पढ़ा और मैं दावे के साथ कह सकती हूं, इस बजट में आज तक के इतिहास में लोक कल्याणकारी मुख्य मंत्रीजी ने सबसे बड़ी 23,822 करोड़ की वार्षिक योजना पेश की है। राजस्थान, का गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसके लिये प्रसिद्ध कवि कन्हैया लालजी सेठिया ने कहा है –

'ई धरती रो रुतबो ऊंचो,

आ बात कहे कूचो-कूचो'।

वास्तव में इस धरती का मान-सम्मान बढ़ाने का जो संकल्प हमारे गांधीवादी मुख्य मंत्रीजी ने लिया था, उस संकल्प के आधार पर उन्होंने यह वार्षिक योजना राजस्थान के विकास के लिये पेश की है। पिछले 2-3 दिन से पक्ष और प्रतिपक्ष के नेताओं ने अपनी-अपनी बात कही। किसी ने बजट के पक्ष में और किसी ने इसकी आलोचना भी की। मैं उम्मीद करना चाह रही थी प्रतिपक्ष के नेताओं से कि आलोचना तो करते, लेकिन ऐसी समालोचना करते जिससे जो जिम्मेदारी राजस्थान के आम-अवाम ने हमें इस सदन के अन्दर बैठने की, लोकतंत्र के इस महान प्रांगण में बैठने की दी है, चाहे हम पक्ष में हैं चाहे विपक्ष में हैं, उस जिम्मेदारी को हम लोग भली-भांति निभा पाते। इस बात को ध्यान में रखते हुए चाहे आलोचना करते, चाहे समालोचना करते।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे पूर्व गृह मंत्री गुलाबचन्दजी कटारिया को, परसों अचानक वह इतने भावुक हो गये थे। वह भावुक इस बात के लिये हुए, उनके दिल में शायद दर्द था कि दो रुपये किलो गेहूं राजस्थान की जनता को कांग्रेस की सरकार दे रही है। और वह दर्द समर्पित था हमारे अशोकजी गहलोत को, जिन्होंने राजस्थान की जनता की

(श्रीमती ममता भूपेश)

भावना को समझा, उसको देखा और उसका पेट भरने के लिये बहुत ही ऐतिहासिक कदम इस बजट भाषण के अन्दर उठाया गया है। कटारिया साहब की बात मुझे याद आती है, जब वह गृह मंत्री थे। आज तो वह हर बात पर सदन में भावुक हो उठते हैं चाहे गेहूं की बात हो, चाहे जैन मुनि की बात हो और चाहे अन्य बात हो। लेकिन जब वह पिछली सरकार के अन्दर गृह मंत्री थे तब उनकी भावनाएं जाने कहां छिप जाती थीं और वो एक मौन रूप में यहां बैठते थे। चाहे उन्हीं के आदेशों से और उन्हीं की पुलिस के द्वारा किसानों की हत्या की जाती थी, गुर्जर आन्दोलन करने वाले नौजवानों की छाती के ऊपर गोलियां चलाकर उनकी छाती को छलनी कर दिया जाता था। आज उनको अचानक राजस्थान की जनता की भावनाएं याद आने लग जाती हैं।

मैं सदन में पहली बार चुनकर आई हूं और मुझे यह शब्द बार-बार तकलीफ देता है कि हमारे राजस्थान को बीमारू प्रदेश की श्रेणी में क्यों बोला जाता है, जबकि हमारे मुख्य मंत्रीजी हर तरह से प्रयासरत हैं कि राजस्थान की जनता की खुशहाली, उसके अमन-चैन, उसके रोजगार के कदम को किस तरह से वह आगे बढ़ा पाएं। पिछड़ेपन को दूर करने का जो संकल्प हमारे मुख्य मंत्रीजी ने लिया है, जो कि आर्थिक समीक्षा के पृष्ठ 1 और 2 के अन्दर लिखा हुआ है, उस संकल्प का मैं आपके समक्ष बोलना चाहती हूं। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी इस बात की ओर कि वर्ष 2007-08 के अन्दर प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 27,100 रुपये थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अन्दर कार्यरत थी। और आज जब कांग्रेस की सरकार हमारे राज्य के अन्दर काम कर रही है तो 2009-2010 के अन्दर यह राशि बढ़कर 28,885 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक हो गयी है। सिर्फ एक वर्ष के अन्दर हमने प्रति व्यक्ति वार्षिक आय बढ़ाई है। इसका कारण कांग्रेस की अच्छी नीतियां और वे कल्याणकारी कार्यक्रम हैं जिनसे राजस्थान के गरीबों को रोजगार उपलब्ध हो पाता है।

मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने बजट भाषण के पैरा 31 में एक ऐसी योजना का जिक्र किया है जिसका दर्द राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, और वह है पानी। मुझे इस बात पर याद आता है, एक लाइन है, 'रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून'। पानी नहीं रहेगा तो शायद हम सब लोग समाप्त हो जाएंगे। सभापति महोदय, इस बात के प्रति हमारी महती जिम्मेदारी बनती है कि किसी तरह से जल नीति जो

(श्रीमती ममता भूपेश)

मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण के अन्दर रखी है, उस नीति के तहत हम काम करें। मैं सदन के माध्यम से जलदाय मंत्रीजी और उनके विभाग को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, आजकल हमने टेलीविजन के अंदर देखा है कि पानी को बचाने के विभिन्न तरीके और उपाय दूरदर्शन के माध्यम से राजस्थान की जनता को दिखाये जा रहे हैं। आजकल टैक्नोलोजी का जमाना है और लोग टी.वी. और रेडियो अक्सर देखते-सुनते रहते हैं और उसमें यह दिखाया जा रहा है कि हमको पानी को किस तरह से बचाना चाहिये। हम सब लोगों की महती जिम्मेदारी बनती है कि इस ओर हम ध्यान दें। आने वाले राजस्थान को हम देन के रूप में क्या देना चाहते हैं, इस बात के ऊपर भी हमें गौर करना होगा। कहावत है 'Charity begins at home' यानि, दान घर से ही हमेशा शुरू होता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि जल का दुरुपयोग हो रहा है और हम सब लोगों को चाहे पक्ष में बैठे हों, चाहे प्रतिपक्ष में बैठे हों, इस नीति के तहत पानी की समस्या का मिलकर मुकाबला करना होगा। एक दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप और कटाक्ष का दौर समाप्त करना होगा। जिस तरह से जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है, खेत कम होते जा रहे हैं, हम लोग एक बहुत ही भयानक स्थिति को आगे आने वाले समय में देख सकते हैं। बजट भाषण के पैरा 31 से लेकर 41 तक माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पेयजल बिन्दुओं की ओर हम सब लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, मैं उम्मीद करना चाहूंगी सदन के तमाम सदस्यों से, कि हम दल, जाति और राजनीति और भावनाओं से ऊपर उठकर राजस्थान की जनता के भले के लिये 31 से लेकर 41 तक के पैराओं को पढ़कर इन नीतियों के लिए हमारी सरकार का गम्भीर चुनौतियों में साथ दें।

हम सब जानते हैं कि आज प्रदेश के विकास के लिये ऊर्जा का कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए हमारी पूर्व सरकार अशोकजी गहलोत की थी, उस समय में भी बिजली का उत्पादन किया गया। लेकिन पिछले पांच वर्ष के समय में बिजली के प्रति किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पुन: हम लोग जब सत्ता में आए हैं तो हमारे मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने इस बार दुबारा अपने बजट का 52 प्रतिशत भाग बिजली के ऊपर रखा है। मैं आपसे कहना चाहती हूं, राजस्थान के किसान की, आम आदमी की, विकास की डगर को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें बिजली की तरफ भी ध्यान देना होगा।

(श्रीमती ममता भूपेश)

मैं मुख्य मंत्रीजी का आपके माध्यम से आभार प्रकट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे क्षेत्र के अन्दर बहु प्रतीक्षित सिकराय के अन्दर 132 के.वी. का इंतजार था, उसको पास किया है जिससे हमारे क्षेत्र के अन्दर आने वाले समय में बिजली की समस्या समाप्त हो पाएगी।

राजस्थान एक बात के लिये प्रसिद्ध है। हमारे प्रदेश के ऊपर सूर्य देवता की बहुत बड़ी मेहरबानी रहती है। गर्मियों के अन्दर पारा 50 से 55 डिग्री तक पहुंच जाता है और हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि उन दिनों के अन्दर हर तरह से त्राहि-त्राहि राजस्थान की जनता को देखने को मिलती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य में पहली बार सौर ऊर्जा नीति बनाई गई है, जो मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण के अन्दर रखी है। मैं उनको इस बात के लिये भी धन्यवाद देना चाहूंगी।

प्रदेश को स्वस्थ बनाये रखने के लिये आवश्यक है कि चिकित्सा सेवाओं पर ध्यान दिया जाए। मुख्य मंत्रीजी ने चयनित बी पी एल परिवार, स्टेट बी पी एल परिवारों, आस्था कार्ड परिवार और एच आई वी व एड्स पीड़ित मरीजों को मुख्य मंत्री सहायता कोष से जो सहायता दिलाने, नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का जो संकल्प लिया है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब इस योजना में वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग व पेंशनरों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, इस बात का भी मैं आपके माध्यम से स्वागत करना चाहती हूं। ये सब बातें इसलिए मुख्य मंत्रीजी ने रखी हैं इस बजट में कि उनकी सोच है, वह राजस्थान के सुदूर इलाके के अन्दर रहने वाले व्यक्ति को भी लाभ पहुंचाना चाहते हैं। जो शहरीकरण से बहुत दूर रहता है और गांव और ढाणियों के अन्दर भी रहकर अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए कटिबद्ध है, उसे परेशानियां आती हैं जब उसकी जेब खाली रहती है और गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करता है। ऐसे समय में इस तरह की योजनाओं से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। इस बात के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। 108-एम्बुलेंस की श्रेणी के अन्दर मुख्य मंत्रीजी ने 150 एम्बुलेंस की जो संख्या बढ़ायी है, इससे राजस्थान के अन्दर जब कभी बीमार और एक्सीडेंट होने वाले लोगों को तुरन्त लाभ मिल पाएगा, इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से करन चाहती हूं। जिस तरह से उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है, जिस तरह से 500 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन बनाने का निर्णय लिया है, जिस तरह से एन आर एच एम के तहत कार्य करने वाले संविदा पर नर्सेज, ए एन एम और

(श्रीमती ममता भूपेश)

अन्य टैक्नीशियन आदि कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया गया है, वह हमारे बेरोजगार नौजवानों के लिए बहुत ही सराहनीय कदम रहेगा जिससे वे अपना परिवार और बच्चों का पेट भर पाएंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि राजस्थान की सरकार ने आटा, दाल, गेहूं इस तरह की छोटी, रोजमर्रा की जरूरत की चीजों को बहुत कम दर पर उपलब्ध कराने का जो संकल्प लिया है, कांग्रेस के मैनीफेस्टो के अन्दर था उसके आधार पर जो निर्णय लिया गया है, उसका भी मैं स्वागत करना चाहती हूं। शुद्ध के लिए युद्ध हमारी राजस्थान की सरकार ने चलाया है, हम चाहते हूं सरकार के माध्यम से राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति अच्छा भोजन खाए, शुद्ध खाना खाए और बीमारियों से दूर रहे। जमाखोरी और कालाबाजारी के ऊपर हम लोगों ने रोक लगायी, अंकुश लगाया, इन बातों को ध्यान में रखकर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो चलाया गया है, वह बहुत ही स्वागत योग्य है। मैं सराहना करना चाहूंगी कि पहली बार इस तरह की व्यवस्था हुई है। पूर्व की सरकार ने जिस तरह से राशन डीलर्स के अन्दर भ्रष्टाचार पनपाया, मनमर्जी से लोगों को डीलर बनाया था, बाहर की बाहर ही सामान बिक जाता था, उस बात को रोकने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए पहली बार इस बार नीति बनायी गयी है कि 15 से 21 तारीख के बीच सरकारी कर्मचारी की आंखों के सामने इसका वितरण होगा जो गरीब के घर के अन्दर गांवों और ढाणियों तक पहुंच पाएगा।

सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा का दायरा मुख्य मंत्रीजी ने बढ़ाया है। जिस तरह से आजकल का बच्चा अपने मां-बाप को छोड़ता जा रहा है, गरीब और वृद्ध लोग अपने आप में असुरक्षित महसूस करते हैं। उनकी पेंशन में वृद्धि की है, इसमें मुख्य मंत्रीजी ने अपने दर्द और पीड़ा की भावना उन वृद्धों के लिए रखी है, जो राजस्थान के अन्दर जीवन-यापन करते हैं और जो अपने खुद के हाथों से कमाई नहीं कर सकते। उन्हें उम्मीद है राजस्थान की सरकार से कि वह उनको इस तरह की पेंशन योजना से जोड़ेगी जिससे हम लोग अपना जीवन-यापन ढंग से कर पाएंगे।

**श्री सभापति**: समाप्त करो आप।

**श्रीमती ममता भूपेश** (सिकराय): मैं एक बात और कहना चाहती हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है। हम लोग शहरों से बहुत दूर रहते हैं। ऐसे समय में 25 लाख का राजीव गांधी कम्प्यूटर सेवा केन्द्र प्रत्येक पंचायत

(श्रीमती ममता भूपेश)

समिति स्तर पर बनेगा और प्रत्येक गांम पंचायत स्तर पर जो दस लाख का केन्द्र बनेगा। इसके लिए मैं भूरि-भूरि प्रशंसा इसलिए करना चाहती हूं कि आज गांवों में रहने वाले व्यक्ति की गांवों में रहने वाले नौजवान की इच्छा है कि कम्प्यूटर से अपनी पढ़ाई पढ़े। कम्प्यूटर को देखना चाहता है ढाणियों के अन्दर रहने वाला व्यक्ति लेकिन उसकी जेब में इतना पैसा नहीं है कि कम्प्यूटर वह खरीद ले और उसको अपने घर ला सके। इसलिए जब उसके ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कम्प्यूटर पहुंचेगा तो उससे राजस्थान के नौजवान को अपना भविष्य बनाने का बहुत ही सुनहरा मौका माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने दिया है। इसके लिए मैं बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहूंगी। पैरा 127 के अन्दर अंकित है कि पंचायत समिति मुख्यालय पर क्रय विक्रय सहकारी समिति की उपलब्धता हेतु चालीस समितियों का गठन कर ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर लोगों को रोजगार और ऋण उपलब्ध कराया जायेगा, इससे वास्तव में उनको बहुत राहत मिलेगी ग्रामीण क्षेत्र के सहकारिता विभाग के माध्यम से। उसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगी।

साथ ही शैक्षणिक दृष्टिकोण से तीन सौ अंग्रेजी के व्याख्याताओं की सीधी भर्ती करने का इन्होंने तय किया है...

**श्री सभापति**: माननीय सदस्या, अब आप समाप्त करें।

**श्रीमती ममता भूपेश** (सिकराय): राइट टू एजुकेशन एक्ट की घोषणा लेकर आए हैं, इन तमाम बातों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। खास तौर से मैं इस बात के लिए भी देना चाहूंगी, चूंकि मैं महिला हूं, जिस तरह से राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की महिलाओं और बालिकाओं के प्रति अपना रुझान प्रकट किया है, मुख्य मंत्रीजी चाहते हैं कि राजस्थान की बालिकाएं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर पाएं। मैरिट में आने वाली दसवीं क्लास की बच्चियों को विदेश के अन्दर पढ़ाई का जो सुनहरा अवसर राजस्थान में पहली बार दिया गया है, उसके लिए मैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहती हूं।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्या, समाप्त करो। बहुत समय हो गया।

**श्रीमती ममता भूपेश** (सिकराय): जिस तरह से कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय छात्रावास खोले जा रहे हैं, 74 विद्यालयों में उच्च माध्यमिक कस्तूरबा गांधी छात्रावास खोला जा रहा है, उससे एस टी की बालिकाओं को पढ़ाने का बहुत ही अच्छा सुअवसर मिलेगा। साथ ही मुख्य मंत्रीजी ने

(श्रीमती ममता भूपेश)

शैक्षणिक दृष्टि से प्रत्येक पंचायत स्तर पर माध्यमिक स्कूल को क्रमोन्नत करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। आज राजस्थान के अन्दर कोई भी पंचायत ऐसी नहीं है जहां पर दसवीं तक स्कूल नहीं हैं, हमारी सरकार का संकल्प है कि राजस्थान का प्रत्येक नौजवान कम से कम मैट्रिक तक की शिक्षा ले सके जिससे वह आगे अपना कार्य कर सके।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, समाप्त करो आप।

**श्रीमती ममता भूपेश** (सिकराय): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दौसा के अन्दर जो पोलीटैक्निक कालेज खोला है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ ही जो स्टाम्प ड्यूटी थी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु दस रुपये की, गरीब बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ था। आप और हम सब लोग जन प्रतिनधि हैं, हमारे पास आए दिन गरीब बच्चे आते हैं जिनकी जेब में दस रुपये नहीं होते और वे हम लोगों से मांगकर अपना जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं। ऐसे लोगों के मार्मिक दर्द को समझते हुए मुख्य मंत्रीजी ने जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र से स्टाम्प ड्यूटी हटाई है, इसके लिए मैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहती हूं।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आप डिमाण्ड पर फिर बोल लेना। या तो आप तय कर लो कि रात के दो बजानी है। मुझे सबको समय देना है। इतने माननीय सदस्य और बोलने बाकी हैं।

**श्रीमती ममता भूपेश** (सिकराय): सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आती हूं वह गुर्जर बहुल इलाका है वहां पोलीटैक्नकि कालेज खोलने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है जबकि पिछली सरकार ने गुर्जरों की छाती पर गोलियां चलायी थीं। 70 लाशें मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सिकन्दरा चौराहे के ऊपर बीस दिन तक पड़ी रहीं और किसी ने उनकी तरफ देखने की कोशिश नहीं की। आज मुख्य मंत्रीजी कांग्रेस सरकार के माध्यम से उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उनको राज्य की प्रगति की मुख्य धारा में लेकर आना चाहते हैं। मैं अधिक समय नहीं लूंगी, आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया, अपनी भावनाएं प्रकट करने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहती हूं, मेरा विधान सभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और एस सी, एस टी का बाहुल्य है...

**श्री सभापति**: श्री मोहन लालजी गुप्ता।

**श्रीमती ममता भूपेश** (सिकराय): हमारे यहां पर कालेज की व्यवस्था नहीं है इसलिए मुख्य मंत्रीजी से मांग करना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र के अन्दर एक कालेज खोला जाए। हमारे जिले को, चूंकि हम पानी से ज्यादा परेशान हैं इसलिए चम्बल और बीसलपुर से जोड़ा जाए।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, मैंने दूसरा नाम पुकार लिया है।

**श्रीमती ममता भूपेश** (सिकराय): सभापति महोदय, अन्त में कवि की दो लाइनें बोलकर समाप्त करना चाहूंगी।

पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है।
मगर तू अगर साथ दे तो और बात है।
यूं तो चल लेते हैं लोग एक पैर से भी।
मगर विपक्ष हमारा साथ दे तो कुछ और बात है। धन्यवाद, जयहिन्द।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है उससे राजस्थान की जनता को 550 करोड़ रुपये का भार पड़ा है। महंगाई कम करने के इन्होंने उपाय नहीं किये। सेन्ट्रल गवर्नमेंट के बजट के कारण आलरेडी डीजल और पैट्रोल के भाव बढ़ गये और आम जनता की कमर टूट गयी एक साल के अन्दर।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): ये कह रहे हैं 1500 करोड़ का और आप कह रहे हैं 550 करोड़ का। पहले यह तो तय करो कि कितने का भार पड़ा है।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): यह आप तय कर लीजिए। आपके बजट भाषण में 550 करोड़ रुपये है। सुन लो, रघुजी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि 550 करोड़ रुपये का भार इन्होंने डाल दिया। महंगाई कम करने का कोई उपाय नहीं किया। पैट्रोल डीजल की कीमतें आलरेडी सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ा दीं और हमारे कांग्रेस के माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि बजट बहुत बढ़िया है। पिछले टाइम का माननीय अशोकजी गहलोत का कार्यकाल देखा जाए तो बड़ी भयावह स्थिति है। हमारे राजस्थान की जनसंख्या करीब साढ़े छह करोड़ है। राज्य में वर्ष 2009-10 में 367.62 मिलीमीटर वर्षा हुई जो सामान्य संभावित वर्षा 552 मिलीमीटर से 33 परसेंट कम है, मतलब गहलोतजी का राज अकाल का राज। 33 परसेंट वर्षा कम हुई, भगवान भी इनसे नाराज हैं। खाद्यान्न उत्पादन पिछले वर्ष से 36 परसेंट कम है। अब हमारे खाद्य मंत्रीजी बोल रहे थे कि हम खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाएंगे। और जाने क्या करेंगे? आपके राज में 33 परसेंट तो पानी कम बरसा है और 36 परसेंट आपके राज में खाद्यान्न का उत्पादन कम हुआ है।

**(समय : 19.00 बजे)**

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): खाद्य मंत्रीजी से वक्तव्य दिलवा दें?

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): हां, दिलवा दीजिए।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही साथ आपके यहां पर्यटकों की कमी हुई है। पर्यटक जिसको कोई लेना-देना नहीं है, घूमने के लिए आता है, उस पर्यटन में भी बहुत कमी हुई है 25-30 परसेंट पर्यटक पिछले साल कम आये हैं। अब आप कह रहे हैं, हमारे राज में बहुत तगड़ा विकास हुआ है। एक बड़ी विचित्र स्थिति है राज्य प्रति दिन 20 करोड़ रुपये इस बात के लिए देता है कि ऋण का चुकारा हो। ऋण पर ब्याज, माननीय मुख्य सचेतक महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 20 करोड़ रुपया पर-डे। ममताजी बड़ी बोल रही थीं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आप जरा पढ़ें, देखें, 7700 करोड़ रुपया हम ब्याज के रूप में चुका रहे हैं। इसी के साथ-साथ जो ऋण हम ले रहे हैं, पुराना ऋण चुकाने के लिए ही वो ऋण ले रहे हैं, कोई फ्रैश इन्कम नहीं कर रहे हैं अपन। उद्योग मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं राजस्थान की इस आर्थिक स्थिति पर कि जितना ऋण हमने 2008-09 में लिया, उतना ही पुराने ऋण के चुकाने के लिए, ब्याज को चुकाने के लिए गया। 2433 करोड़ का ऋण लिया गया और इतना ही ब्याज चुका दिया। मतलब, हमने कोई फ्रैश इनकम नहीं की जिसके आधार पर हमारा ऋण कम हो सके। यानी, आप समझो कि आपके परिवार पर दस हजार रुपये का लोन है तो आपने दस हजार के लोन को चुकाने के लिए दस हजार का लोन फिर ले लिया, अब आप अपने परिवार को किस प्रकार से चला रहे हैं, किस प्रकार से वित्तीय प्रबन्धन कर रहे हैं, किस प्रकार से फाइनेन्शल मैनेजमेंट कर रहे हैं, यह सोच लीजिए। आप अपने परिवार की स्थिति जैसे सोचते हैं वैसे ही हमारे राजस्थान की स्थिति है। वो जो ऋण लिया है वो हम इन्फ्रास्ट्रक्चर असेट्स का वैल्युएशन करवा रहे हैं सी.एस. से और उनसे कि हमारे असेट्स बहुत बढ़ गयी लेकिन, माननीय सभापति महोदय, यह ऐसी स्थिति नहीं है, हमारी असेट्स डीवैल्यू हो रही हैं मैं यह मांग करता हूं सदन में कि जितना ऋण लिया गया है उस पर एक शोध पत्र प्रकाशित किया जाए कि उसके अगेंस्ट में कितनी असेट्स राजस्थान के पास हैं और क्या हम इस ऋण के किसी दुष्चक्र में तो नहीं फंस जाएंगे कि कभी हमारा राजस्थान ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं हो।

हमें सोचना पड़ेगा। ऋण लेने का मैं विरोधी नहीं हूं, अच्छे प्रोजैक्ट पर

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

आप ऋण लीजिए। उसको सैल्फ सस्टेनेबल बनाइये और उसी आधार पर ऋण चुकाइये। लेकिन तनख्वाह चुकाने के लिए, खर्चे उठाने के लिए ऋण के लेने का मैं विरोधी हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, हमारे उद्योग मंत्रीजी बैठे हैं, अभी मैंने राजस्थान के आंकड़े देखे हैं शिक्षित रोजगारों के जिन्होंने आपसे यह कहा है कि हम को रोजगार दीजिए। एक लाख 31 हजार पिछले साल आपके यहां रजिस्टर हुए हैं, कितने लोगों को रोजगार दिया है? चार हजार लोगों को। यह आपके आंकड़े कह रहे हैं। 15-20 हजार लोगों को इधर-उधर आपने कहीं एडजेस्ट किया होगा, चार हजार लोगों को आफिशियली रोजगार दिया। तो यह जो भयानक स्थिति है हमारे राजस्थान की, वह मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस प्रकार से हम यह सोचें कि हमारा राजस्थान प्रगति कर रहा है, हमारी फाइनेंशल स्थिति बहुत अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है।

एक बात और मैं कहना चाहूंगा, पार्टी लाइन से एबव उठ कर कहना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि जिस प्रकार से बजट पर चर्चा हो रही है, बजट को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है, वो कुछ ही लोगों को फायदा देने के लिए, कुछ सलेक्टेड लोगों को फायदा देने के लिए किया जा रहा है। जिसमें कुछ सरकारी कर्मचारी, कुछ सलैक्टेड डाक्टर्स, इंजीनियर्स या कुछ और लोग जो एम.एल.एज. या मंत्री महोदय की नजर में आ जाते हैं उन लोगों को फायदा देने के लिए ही हम यह बजट का प्रस्तुतीकरण कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी जो है, आम आदमी के बारे में क्या सोचा है? मैं पूछना चाहता हूं, आप सब लोग जयपुर में निवास करते हैं, बस यात्री से पूछा? जिस दिन बजट का प्रस्तुतीकरण हुआ था मैं बस में बैठा, मैंने पूछा उन बस यात्रियों से, उन महिलाओं से, बच्चों से, बच्चियों से कि आज राजस्थान का बजट पेश हुआ है, आप लोगों को कुछ मालूम है क्या? उनको पता ही नहीं है बजट पेश हुआ। उनको अपनी रोटी-रोजी, नौकरी से फुर्सत नहीं है। उन्होंने कहा, भाई साहब, हमें जल्दी जाना है वहां पर, झोटवाड़ा पहुंचना है, हमें बजट का पता नहीं क्या है और बजट में उनको क्या फायदा मिला, पता नहीं है। पान की दुकान वाले से पान खाने के लिये गया और पूछा, भैया, बजट में तेरे को क्या फायदा मिला, कोई फायदा नहीं मिला, सब्जी बेचने वाली मालन जो बेचारी सब्जी बेचती है, उसको क्या मिला, फल बेचने वाले को क्या मिला, रिक्शा चालक को क्या मिला, तांगा चालक को क्या मिला, घूम-घूम कर सामान बेचने

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

वाले को क्या मिला, पंक्चर वाले को क्या मिला, ताला ठीक करने वाले को क्या मिला, छोटी चौपड़ पर, बड़ी चौपड़ पर पट्वे बैठते हैं, उनको क्या मिला, जूते ठीक करने वालों को क्या मिला, पान गुटका बेचने वाले को क्या मिला? सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया और विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में विभिन्न फैक्ट्रियों में जो मजदूर काम करते हैं, उनको क्या मिला? दिहाड़ी मजदूरों को क्या मिला? कई जगह दिहाड़ी मजदूर, जो गांव के लोग आते हैं दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए चोकटी में जाकर यह पूछिये कि उनको इस बजट से क्या मिला, क्या फायदा मिला है। चूड़ी बेचने वाले बड़ी चौपड पर बैठे हैं, जरा पूछिये उनसे जाकर। छोटे-छोटे परचूनी वाले, पल्लेदार, ड्राइवर, खलासी, दस्तकार, सर्विस सैक्टर वाले लोग, बिजली रिपेयर करने वाले लोग, मोबाइल रिपेयर करने वाले लोग, कोरियर सर्विसेज के लो, चाय की दुकान पर बैरे। एक शादी में गया वहां रात को बैरे काम कर रहे थे, उनसे पूछा, भाई, बजट में आपको कोई फायदा हुआ है? भाई साहब, रात के दो बजे जाएंगे यहां शादी से निपटते, सुबह जाकर 8, 9, 10 बजे उठेंगे और फिर दूसरी जगह जाएंगे, 50-100 रुपये हम कमाएंगे। यह स्थिति उन बैरों की है, शादी में काम करने वाले लोगों की है।

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

जयपुर शहर में बहुत सारे ज्वैलरी के लोग हैं, बहुत सारे ज्वैलरी के कारीगर हैं, हैंडीक्राफ्ट के कारीगर हैं, धोबी हैं, कुम्हार हैं, समाचार-पत्र वितरक हैं, इन लोगों को क्या मिला है? कच्ची बस्ती वाले लोगों से पूछा, उनके लिए मैं चार लाइनें बताना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा, 'भरे हैं आंख में आंसू, उदास बैठे हैं। यह किस गरीब की कब्र के पास बैठे हो। कब्रों के मुनाजिर ने करवट न कभी बदली। अन्दर वही आबादी, बाहर वही वीराना'। कच्ची बस्ती वाले लोगों का वीराना ही वीराना है, न पानी है, न बिजली है, न सड़क है, (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) पानी के लिए बहुत दूर-दूर किलोमीटर्स में जाते हैं।

माननीय सभापति मध्यम वर्ग के लोगों की हालत बड़ी खराब है। हम यह कहते हैं कि हमने बी.पी.एल. वालों को कर दिया, ऊपर अपर क्लास वाले इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बहुत कुछ कर दिया। लेकिन मध्यम वर्ग के लोग जो तीन हजार से लेकर दस हजार तक कमाते हैं, उनके लिए क्या हालत है, क्या हालत कर दी उसकी? मध्यम वर्ग के व्यक्ति को हम हंसता हुआ देखते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम गम से खाली हैं पर उन्हें क्या पता कि जो गम के बाग़ हैं, हम उस बाग़ के माली हैं। मध्यम वर्ग के लोगों की हालत है गम पीते हैं, गम खाते हैं और अपने बच्चों को गम ही पिला देते हैं।

**एक माननीय सदस्य**: +++ (व्यवधान)

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): गम पिला देते हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: यह शब्द एक्सपंज करना जो बोला न, +++।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): गम कहा है मैंने।

**श्री सभापति**: नहीं, आपने गम बोला, किसी माननीय सदस्य ने कुछ बोला।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): हमारे राजस्थान में कृषि पर लोग डिपेन्डेंट हैं, उद्योगों पर डिपेन्डेंट हैं, सेवा क्षेत्र में लोगबाग डिपेन्डेंट हैं। सेवा क्षेत्र से हमको 50 परसेंट आय होती है। उद्योगों की हालत बड़ी खराब है। आपने पांच परसेंट कर बढ़ा दिया, उद्योगों का कच्चा माल आधा हो गया। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट ...

**श्री रूपाराम डूडी** (डीडवाना): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को पूछिये, कृषि के मामले में आपको क्या जानकारी है? कृषक का खून चूसने के अलावा कोई काम ही नहीं है आपका तो। इसलिए, माननीय सदस्य, मैं हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूं...

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं।

**श्री रूपाराम डूडी** (डीडवाना): कृषि के बारे में आप क्या बोल रहे हैं?

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आप बोलें जब ...(व्यवधान)

**श्री रूपाराम डूडी** (डीडवाना): क्यों टाइम खराब करते हो कृषक का नाम लेकर? (व्यवधान) किसान की बात करते हो, लेकिन किसान का खून चूसने के अलावा आपका कोई काम नहीं रहा है।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आपको बोलना है, आप बोल देना।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): उद्योगों के लिए अभी तक उद्योग नीति की घोषणा नहीं की, निवेश नीति की घोषणा नहीं की, राजस्थान इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्ट नहीं लाया गया। आज जो बहुत बड़ा सैक्टर है उद्योगों का, हैंडीक्राफ्ट सैक्टर, जोधपुर के सारे हैण्डीक्राफ्ट के कारीगर बेरोजगार बैठे हुए हैं। जयपुर के सारे ज्वैलरी के कारीगर बेकार बैठे हुए हैं ...(व्यवधान) कारपेट के सारे के सारे बेकार बैठे हुए हैं। उद्योग मंत्री महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि आखिर इस बजट में इन लोगों के लिए आप कुछ कर तो सकते हैं। सारा एक्सपोर्ट बंद पड़ा है, उनके लिए कुछ करें। मैं समझता हूं कि आपने राजस्थान खनिज विकास में सौ करोड़ रुपए का शेयर कैपीटल बेचने का निर्णय लिया है, ठीक बात है। अच्छी बात है, आपकी इनकम होगी।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, समअप करो आप।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): मैं कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी चर्चा कर रहे हैं आप कि अन्त्योदय के बी पी एल के परिवारों को दो रुपये किलो अनाज दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। दो रुपये किलो अनाज पहले अन्त्योदय वालों को मिलता था, यह योजना भैरोंसिंहजी शेखावत ने चालू की थी, अब आपने बी पी एल में चालू कर दिया, एक्सटेन्ड कर दिया। और एक्सटेंड कर दीजिए, एबव बी पी एल को भी दीजिए ना, क्या दिक्कत है उनको देने में? ये कोई योजना आपकी नहीं है, यह अन्य राज्यों में भी लागू है और भैरोंसिंहजी शेखावत ने इस अन्त्योदय योजना को चालू किया था। हमारी सरकार में भी दो रुपये किलो अनाज अन्त्योदय योजना के तहत दिया जाता था। आपने केवल उसे एक्सटेंड किया है। बड़ी चर्चा कर रहे हो आप, हमारे पूर्व गृह मंत्री बड़े भावुक हो गये। कोई बात नहीं, भावुक हैं, अच्छी बात है। आपने अच्छा किया लेकिन मेरी मांग है कि ए पी एल वालों को भी आप दो रुपये किलो दीजिए निश्चित रूप से इससे उन लोगों का भला होगा।

मैं कहना चाहता हूं कि बी पी एल के लिए आप बड़े चिन्तित हो रहे हैं, ये बी पी एल क्या कह रहा है, पता है क्या आपको? बी पी एल कह रहा है,

ये गरीबों की कब है दीवाली? जश्न है यह बस अमीरों का।

उनकी महफिल की रोशनी के लिए, खून जलता है हम बी पी एल वाले गरीबों का।'

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, सम अप करो आप। अभी डिमांड पर आप बोलेंगे, अब सम अप करो आज। गुप्ता साहब, सम अप करो ।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस बजट को हम सर्वोन्मुखी बनाएं, सर्वस्पर्शी बनाएं। असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए, मजदूरों के लिए हमने पांच रुपये खाना देने का तय किया था गरम-गरम खाना। मैं कहना चाहता हूं कि वह पांच रुपये का गरम-गरम खाना जो मजदूरी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनको आप दे सकते हैं, फैक्ट्री वालों को कम्पलसरी कर सकते हैं कि आप अपने मजदूरों को पांच रुपये में गरमा-गरम खाना दीजिए। आज मिल रहा है लेकिन सारे फैक्ट्री वर्कर्स को नहीं मिल सकता, लाखों फैक्ट्री वर्कर्स को।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, सम अप करो आप।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): खाना मिल सकता है। मेरा सुझाव यह है कि आप सस्ते आवास बनाइये। अभी आपने अफोर्डेबल हाउसिंग

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

पालिसी बनाई है, अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी में से आपने सर्विस सैक्टर के लोगों को और लो इनकम के लोगों के लिए जो पालिसी बनाई थी उसको हटा दिया अमीर लोगों के हित में। आखिर वे सर्वेण्ट्स कहां जाएंगे, आखिर वे गरीब लोग कहां जाएंगे? उन बड़े-बड़े लोगों को जरूरत है छोटे-छोटे लोगों की, निश्चित रूप से उनको भी फ्लैट उसमें मिलने चाहिए। हमने भी उन सभी लोगों के लिए ऐसी पालिसी बनाई थी ।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, मेहरबानी करो आप।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, मैं इतना कहना चाहूंगा, मेरा सुझाव है कि आखिर शहरों का विकास हम कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास सिटी बना रहे हैं तो इस वर्ल्ड क्लास सिटी में आप जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर चले जाइये, क्या कोई वृद्ध आदमी ....

**श्री सभापति**: सत्रह सदस्य और बोलने हैं प्रतिपक्ष की ओर से, इसको सम अप करो।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): सड़क क्रास कर सकता है? सड़क क्रास नहीं कर सकता। काफी डवलपमेंट कर रहे हैं तो सड़क क्रास करने की कोई जगह तो होनी चाहिए न। विकलांगों के लिए टायलैट्स नहीं हैं, यह वर्ल्ड क्लास सिटी बना रहे हैं। विकलांगों के लिए पार्किंग की जगह नहीं है। कार पार्किंग वालों की हम बात कर रहे हैं, रिक्शा और तांगे के लिए पार्किंग नहीं हैं। वे गरीब लोग किस प्रकार से सोते हैं? उनकी स्थिति इस प्रकार से हैं, माननीय सभापति महोदय, चित्रण कर रहा हूं, ग्यारह से दो कोई सोता है और दो से चार कोई दूसरा भाई सोता है, और चार से आठ कोई दूसरा भाई सोता है, इस प्रकार की घरों की स्थिति है उनकी।

**श्री सभापति**: मुझे अब मजबूरी में अगले वक्ता का नाम पुकारना पड़ेगा।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत हृदय से धन्यवाद। इस बजट का मैं घोर विरोध करता हूं। यह गरीब विरोधी बजट है, मैं इसका विरोध करता हूं। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: रीटाजी चौधरी।

**कुमारी रीटा चौधरी** (मंडावा): सभापति महोदय, यहां सभी माननीय सदस्य अपनी बात जो कह रहे हैं, वो या तो किसी शायरी से शुरु करते हैं या

(कुमारी रीटा चौधरी)

किसी कविता से। शायद प्रतिपक्ष को पसन्द नहीं आएगा लेकिन मैं अपनी बात शुरू करूंगी हमारे राजस्थान के गांधी अशोक गहलोत की एक बात से। उन्होंने गांधीवादी विचारक गोकुलभाई भट्ट के 113वें जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अपना एक भाषण दिया था। सभी के पढ़ने लायक वह भाषण है, उसमें से एक पैरा आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। गहलोत साहब कहते हैं कि यह जो शादियों में हम सब जाते हैं, बेशर्म होकर जाते हैं, यह भी हमें ही सोचना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। हजारों रुपये के खाने बनते हैं, यहां एक -एक प्लेट की कीमत एक एक हजार रुपये होती है। हमें शर्म आती है कि गरीबों को चार सौ रुपये की पेंशन भी नहीं दे पा रहे। जो विधवा हैं, वृद्ध हैं, अपंग हैं उन्हें चार सौ रुपये भी नहीं दे पा रहे। कहां जा रहे हैं? कई लोगों को तीन सौ रुपये पेंशन मिलती है, उस पर बहस होती है, कल भी बहस हो रही थी कि सौ रुपये बढ़ाएंगे तो डेढ़ सौ करोड़ रुपये का फर्क पड़ेगा। अगर सौ रुपये पेंशन बढ़ाएंगे तो डेढ़ सौ करोड़ सरकारी खजाने में से जाएंगे, इतनी बड़ी संख्या उन लोगों की। वह तो हम कर नहीं पा रहे और पांच सौ रुपये, हजार रुपये की प्लेट जहां खाई जाती है उन शादियों में सब जाते हैं। ऐसी शादी करवाने वाले बेशर्म हैं और मैं तो अपने लिए भी कहूंगा कि मैं जाता हूं तो मैं भी बेशर्म आदमी हूं।

आप इसको सिर्फ बात न समझें, एक भाषण न समझें, मैं यह बात इसलिए कह रही हूं कि हमारे मुख्य मंत्री की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं। हमारे मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी ने जो अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश किया है, वह आम आदमी का बजट है, वह एक गांव का बजट है, वह ढाणी का बजट है। इस समाज के सभी वर्गो के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी बात, अपने मन की बात इस बजट के अन्दर प्रस्तुत की है। विशेष रूप से राज्य के सामाजिक व आर्थिक आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की बात जो इस बजट के अन्दर कही गयी है, वह स्वागत योग्य है। आधारभूत ढांचे के अन्तर्गत आर्थिक क्षेत्र में सड़क आती है, ऊर्जा आती है, सिंचाई आती है और इन सबके लिए इस बजट के अन्दर पैसों का प्रावधान किया गया है, उनको बजट आबंटन किया गया है।

जब हम सामाजिक क्षेत्र की बात करते हैं तो उसके अन्दर शिक्षा, चिकित्सा आदि के विकास के लिए दिशा दी गई है। वर्ष 2010-2011 में 1521 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए बजट दिया गया है। मैं मुख्य मंत्रीजी से

(कुमारी रीटा चौधरी)

कहना चाहूंगी, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि वो इस बजट के अन्दर इस बात का ध्यान रखें कि अब तक जो क्षेत्र सड़क से नहीं जोड़े गये हैं, उनको इसके अन्दर पहले स्थान पर रखा जाए। ऊर्जा के क्षेत्र के अन्दर 11424 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो पूरे बजट का बावन प्रतिशत है। हमारे मुख्य मंत्रीजी की सोच है कि हमारा आने वाला जो भविष्य है वह बिजली से त्रस्त न हो, क्योंकि बिजली एक आम आदमी की जरूरत है, गरीब की जरूरत है।

जब बात आती है, अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ-साथ घोषणाओं पर नजर दौड़ाएं तो मुख्य मंत्रीजी ने हर वर्ग को खुश करने के लिए, हर आदमी को उसके जीने के महत्व को बढ़ाने के लिए बहुत-सी घोषणाएं कीं। अभी हमारे जयपुर से आने वाले माननीय गुप्ताजी कह रहे थे दो रुपये किलो गेहूं, यह उनके लिए छोटी बात हो सकती है लेकिन एक गरीब के घर के अन्दर दो रुपये किलो गेहूं, उनको भरपेट दो वक्त की रोटी देगा। इस बात पर हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जोर दिया। यह सिर्फ दो जून की रोटी का सवाल नहीं है यह मंहगाई से लड़ने के लिए भी एक उपाय है जो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने दिया है।

इस अनूठी पहल के साथ उन्होंने पी डी एस प्रणाली जो लागू की है, उससे जमाखोरों पर नियंत्रण होगा। आज सुबह मैं एक समाचार पत्र पढ़ रही थी, राजस्थान पत्रिका में एक खबर थी, वृद्ध दम्पत्ती अपने इलाज के लिए अहमदाबाद गये। वह वापस कोटा आ रहे थे तो उस वृद्ध दम्पत्ती में से पति गुजर जाते हैं और उन्हें कोटा में उतारा जाता है। वहां से पुलिस वाले उसके बेटे को फोन करते हैं और उसको सूचना देते हैं कि आपके पिताजी का निधन हो चुका है, आकर डैड बाडी ले जाओ। वह बेटा जवाब देता है फोन पर कि मुझे डैड बाडी लेने कोटा नहीं आना है, आप उसको वहीं जला दो। मैं यह बात इसलिये यहां कह रही हूं, मैं, मुख्य मंत्री जी, यह गुजारिश करना चाहती हूं कि जब हम आम आदमी को सुविधा पहुंचाना चाहते हैं, उसको जब देना चाहते हैं तो हम उसके अन्दर नियम लगा देते हैं, कंडीशन एप्लाई। जब हम वृद्धों को पेंशन देना चाहते हैं, विकलांगों को पेंशन देना चाहते हैं, विधवाओं को पेंशन देना चाहते हैं तो मैं मुख्य मंत्रीजी से कहूंगी कि वह पुत्र की जो शर्त लगायी है उसको हटा दें, क्योंकि पुत्र सबके लायक नहीं होते हैं। हर कोई श्रवण कुमार यहां पैदा नहीं होता है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): यहां पर तो हैं श्रवण।

**कुमारी रीटा चौधरी** (मंडावा): उनकी बात भी कहूंगी।

**एक माननीय सदस्य**: पुत्र की जगह पुत्री जोड़ दिया जाए।

**कुमारी रीटा चौधरी** (मंडावा): मुख्य मंत्रीजी ने बी पी एल जीवन रक्षा कोष से जो नि:शक्तजन को पेंशन, नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की जो घोषणा की, यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है।

मैं अपने प्रतिपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगी कि राजस्थान का एक इतिहास रहा है राजा और रजवाड़ों का। देश पर ब्रिटिश लोगों ने राज किया था, उसके बाद देश आजाद हुआ तो राजस्थान के अन्दर तब भी राजा और रजवाड़ों का राज था। जो विकास की गति राजस्थान को मिलनी चाहिये थी सभापति महोदय, वह उसको नहीं मिली। अन्य प्रदेशों से हम पिछड़ गये सिर्फ इन राजा और रजवाड़ों के कारण। तो हम लोगों को अन्य प्रदेशों के मुकाबले आने में थोड़ा वक्त लगेगा। यह एक शुरूआत है। गरीबी की रेखा से नीचे जो व्यक्ति अपना जीवन-यापन कर रहा है, उसको उन सुविधाओं को पहुंचाना जिसका वह हकदार है, हमारी सरकार उसके लिये संकल्पबद्ध है।

कल हमारे सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने शिक्षा मंत्री महोदय के बारे में एक हंसी उड़ायी थी, वह बड़ी नागवार गुजरी। वह इसलिये नागवार गुजरी कि दसवीं पास होना या एल एल बी पास होना किसी की क्षमता पर, किसी की योग्यता पर कोई ठप्पा नहीं है। तमिलनाडु के एक बेताज बादशाह मुख्य मंत्री हुआ करते थे कामराज, उन्होंने बहुत लम्बे समय तक सरकार चलायी और राज किया। वह पढ़े हुए नहीं थे। वह किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, किसी को नहीं मालूम। क्योंकि वह कभी यूनिवर्सिटी गये ही नहीं। खुर्शीद और माओ त्से तुंग कौनसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं? हमारे सभी मंत्री बहुत सक्षम हैं। इसके लिये जरूरत है कि उनके पास रॉबट्स कामनसैंस हो, जो उनमें है। हमारे शिक्षा मंत्री ने बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने डी पी सी की है तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के अन्दर। सिर्फ स्कूलों को क्रमोन्नत करना, जो पिछली सरकार ने किया, क्रमोन्नत करके छोड़ दिया। उसके अन्दर न शिक्षक भर्ती की, न उसके अन्दर विषयों, विज्ञान या किसी भी संकाय को खोला। उसको हम लोग भुगत रहे हैं। बजट के अन्दर शिक्षा स्कूलों को क्रमोन्नत करने का कोई प्रावधान नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है। सभी चाहते हैं, मैं भी चाहती हूं, मेरे मन के किसी कोने में है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक या दो स्कूल क्रमोन्नत होते, क्योंकि मुझे भी जनता को जवाब देना पड़ता है, लेकिन उससे पहले आज सबसे बड़ी जरूरत है, वह हमारी शिक्षा की स्थिति को सुधारने की है।

(कुमारी रीटा चौधरी)

किसी देश का भविष्य उसकी शिक्षा पर निर्भर करता है। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि वह अपना काम बखूबी कर रहे हैं लेकिन शायद कहीं पर नौकरशाही का उनको योगदान नहीं है। वह अपना यह काम करें, शिक्षा क्षेत्र के अन्दर जो उनको सुधार करना है, हम लोग उनके साथ हैं, लेकिन वह विशेष ध्यान दें ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर।

इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगी, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री यहां बैठे हैं। मेरे मंडावा विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक भी सरकारी कालेज नहीं है और बहुत दिनों से सरकारी कालेज की मांग उठ रही है, मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगी उच्च शिक्षा मंत्रीजी को कि उन्होंने जो कालेज दिये हैं उसमें एक मंडावा विधान सभा क्षेत्र को भी चाहे वह लड़कियों का कालेज हो, चाहे को-एड कालेज हो, देने की कृपा करें।

आपने मुझे समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री बाबूसिंह राठौड़ ।

**श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़): सभापति महोदय, इस बार जो बजट पेश किया गया है, बजट पेश होने के बाद मैं समझता हूं कि वर्ष 2011 तक आम राजस्थानी पर 14,588 रुपये का कर्जा हो जाएगा।

पिछली बार जब बजट पेश किया गया था तो आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की थी, वैट बढ़ाया था। साढ़े बारह से 14 परसेण्ट किया था और 14 परसेण्ट करते ही यह तर्क दिया था कि 4 परसेण्ट वैट की श्रेणी वाले आम लोगों पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बार से बड़ी चतुराई से 4 से 5 परसेण्ट वैट बढ़ा दिया और महंगाई की आग में घी डालने का काम किया।

पिछली बार जब मैं विधान सभा में अभिभाषण पर चर्चा कर रहा था तो महंगाई पर नियंत्रण करने के लिये मैंने सरकार से यह मांग की, कि गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में गरीबों को 2 रुपये किलो गेहूं दिया जाता है, राजस्थान में भी 2 रुपये किलो गेहूं दिया जाना चाहिये। इसके लिये मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, उनको साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बी पी एल के लिये 2 रुपये किलो गेहूं देने की घोषणा की। लेकिन चाहूं कि सन् 1997 में जो बी पी एल चयनित हैं, यह गेहूं उन्हीं को मिलेगा। गेहूं का लाभ अभी तक भी जो मिल रहा है, उन्हीं को मिल रहा है। बी पी एल सूची 2002 में चयनित हुई, उस सूची को इंदिरा आवास मिल रहा

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

है, मेडिकल कार्ड मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं लेकिन 2002 वाली सूची को गेहूं नहीं मिल रहा है। 1997 में जो बी पी एल थे और 2002 की सूची में नहीं आ पाये, उनको स्टेट बी पी एल मानकर सुविधाएं दी जा रही हैं। मैं इस अवसर पर मांग करना चाहूंगा कि जब मुख्य मंत्रीजी अपना जवाब दें जो गांधीवादी हैं, गरीबों के हितैषी हैं, 2002 के बी पी एल को, सभी को गेहूं देने की घोषणा करें। उसके साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह 35 किलो गेहूं 2 रुपये किलो के हिसाब से दें।

साथ ही जब केन्द्र में लोक सभा के चुनाव थे, घोषणा पत्र के अन्दर ये था कि 3 रुपये किलो गेहूं के हिसाब से बी पी एल को 35 किलो दिये जाएंगे। गरीब हितैषी सरकार से मैं चाहूंगा कि केन्द्र से वह 3 रुपये किलो गेहूं दिलाए 35 किलो महीने का और 35 किलो राजस्थान की सरकार 2 रुपये किलो के हिसाब से 70 किलो गेहूं दे तब मैं समझूंगा कि वास्तव में यह गरीब हितैषी सरकार है।

इसी प्रकार पूर्व वक्ताओं ने सारी बात कही है कि यह बजट गांव हितैषी है, गरीब हितैषी है, ढाणी हितैषी है। इस हिन्दुस्तान की आत्मा गांवों में रहती है, इस देश की 70 परसेण्ट जनसंख्या गांवों में रहती है। हम भाषण नहीं देते हैं कि जब बजट बनता है तो जनसंख्या के अनुपात में बनना चाहिये। चाहे संसद में बने, चाहे विधान सभा में बने, जनसंख्या के अनुपात में बजट हो और विकास भी उसी तरीके से हो। लेकिन, सभापति महोदय, गरीबों की अगर बात करें तो पिछली भाजपा सरकार के अन्दर गरीबों को अक्षय पात्र योजना में जिला मुख्यालय पर 5 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाता था। उस योजना को भी बंद कर दिया गया। गरीबों के लिए भामाशाह योजना थी, वह भी बंद कर दी। 5 रुपये किलो में 5 किलो घी दिया जाएगा जननी सुरक्षा योजना में, उस योजना में राशि बढ़ाये जाने की जरूरत थी। मोल का घी प्रसव वाली महिला नहीं खाती, प्रसव वाली महिला बिलौने का घी खाती है। इसलिए उसमें भी राशि बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही पालनहार योजना में राशि बढ़ाने की जरूरत है। अभी पूर्व वक्ता माननीय सदस्या कह रही थीं, मुख्य मंत्रीजी का भाषण कोट कर रही थीं। यह बात सही है कि उनकी जो सोच है वह गांधीवादी सोच है। वह सोच बनी रहनी चाहिए, गरीबों के प्रति भावना बनी रहनी चाहिए। लेकिन पेंशन के अन्दर सरलीकरण होना चाहिए, सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल है, उनका पेंशन मिलना शुरू हो जाती है और यहां पर जो घोषणा की गयी है

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

पेंशन बढ़ाने की, वह 75 वर्ष से ऊपर है। विधवा का बालक नौजवान अगर 25 साल का है तो उसकी भी शर्त है। विधवा को बिना शर्त पेंशन मिलनी चाहिए, 60 और 65 साल के वृद्वों को बिना शर्त पेंशन मिलनी चाहिए। यह विशेष घोषणा मुख्य मंत्रीजी को अपने जवाब में करनी चाहिए।

सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ सिविल लाइन्स से आने वाले माननीय सदस्य अभिभाषण के अन्दर कह रहे थे कि भाजपा की अक्षत् योजना, बेरोजगारों को रोजगार देने वाली जो योजना है, उस योजना का हम नाम बदलकर बेरोजगारों को रोजगार भत्ता दे रहे हैं। वह अक्षत योजना बेरोजगारों को रोजगार देने वाली योजना थी, बेरोजगार को 400 रुपये, बालिकाओं को 500 रुपये, विकलांग को 600 रुपये, इस बार का जो बजट हमने देखा है, वह योजना भी इन्होंने बंद कर दी। यह कह रहे थे कि कड़ी से कड़ी जोड़ो, यह बात भी सही थी। दिल्ली में आपकी सरकार थी, राजस्थान में आपकी सरकार थी। आपके प्रति भावना थी गांव और गरीब की कि यह हमारा भला करेंगे, इन्हीं की सरकारें हैं विकास करेंगे, इसलिए लोगों ने आपको वोट दिये। अब उनकी काम के प्रति महत्वाकांक्षा बढ़ गयी। सभापति महोदय, आज गांव में अकाल है, पानी की समस्या है, हमें विश्वास और भरोसा था कि हमारी कड़ी से कड़ी जुडी हुई है वार्ड पंच से लगाकर दिल्ली तक। लेकिन जब बजट के अन्दर घोषणा हुई तो आज अगर हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे ज्यादा अकाल कहीं है तो वह राजस्थान के अन्दर है, लेकिन बुंदेलखंड को पैकेज अकाल का दिया गया, राजस्थान को महरूम होना पड़ा। किसी प्रकार का अकाल के अन्दर विशेष पैकेज नहीं दिया गया, यह आपकी क्षमता दर्शाती है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह गांव का बजट है, अब गांवों के लिए, पंचायतों के लिए मास्टर प्लान दिया है। पिछली बार भी घोषणा की थी और इस बार भी घोषणा की। पैरा-116 गांव के मास्टर प्लान में विद्यालय, अस्पताल, बस स्टैंड, राजकीय भवन, सरकारी आवास, खेल के मैदान, डेयरी, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बाजार, ग्रीन बैल्ट इत्यादि के लिए प्रावधान होना आवश्यक है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर बजट देखें तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए कुल बजट में से 1332.15 करोड़, कुल बजट का 5.59 प्रतिशत ओनली। अब उसमें से 681.52 करोड़ केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में राज्य का हिस्सा चला जाएगा, 288.52 करोड़ का पिछड़ा क्षेत्र अनुदान।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

**(समय समाप्ति-सूचक घंटी)**

दो मिनट साहब, यह पंचायती राज का है, दो मिनट तो अवसर दिलाओ शुरू ही किया है।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में चला जाएगा। 362 बचेगा। और एमएलए लैड का पैसा देना आपको अनिवार्य है, 160 करोड़ रुपये एमएलए कोटे में चले जाएंगे। 150 करोड़ रुपये राज्य वित्त आयोग में चले जाएंगे, फिर पीछे क्या बचेगा। 25-30 करोड़ रुपये जो दूसरी छोटी-छोटी योजनाएं हैं, उनमें चला जाएगा। सभापति महोदय, भारत की आत्मा गांवों में रहती है, इस बजट में से आपने उस आत्मा को निकाल दिया है। पंचायती राज के अंदर कोई पैसा नहीं, मैं आप तो मास्टर प्लान की बात करते हो, मैं तो कहता हूं मास्टर प्लान के हिसाब से योजनाएं बनायी थी लेकिन वे योजनाएं आपको नागवार गुजरीं। उन योजनाओं में जैसे गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना, नाम अच्छा नहीं लगा तो बंद कर दी। दूसरा नाम करके ही योजना शुरू करनी चाहिए थी। दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम योजना, यह मास्टर प्लान था। उसमें खूब सारा विकास हुआ, गांवों का नक्शा बदला, गांव की तस्वीर बदली, तकदीर बदली। इस योजना में जो सारी बातें मुख्य मंत्रीजी ने कही हैं, वे उसमें थीं। उसी योजना के अनुसार सारे काम हो रहे थे, वह आपने बंद कर दी। नरेगा में अमृता देवी विश्नोई योजना को बंद कर दिया। निर्मल घाट योजना को बंद कर दिया। बैंकुंठ द्वार मुक्ति योजना को बंद कर दिया। निर्मल गांव पुरूस्कार योजना को बंद कर दिया। शांति प्रिय गांव अनुदान योजना को बंद कर दिया।

सभापति महोदय, मैं आज कोट करना चाहूंगा केन्द्रीय मंत्री ग्रामीण और विकास मंत्री सी.पी. जोशी साहब का 14 जुलाई, 2004 का वह सामान्य वाद-विवाद जिसमें लिखा है, फंड, फंक्शन और फंक्शनरी के लिए नान डवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा, पैसा बचाना पड़ेगा, पंचायत को अनटाइड फंड के रूप में पैसा देना पड़ेगा। अनटाइड फंड में पैसा देकर उनके ऊपर छोड़ना पड़ेगा कि क्या काम करना पड़ेगा और क्या काम नहीं करना पड़ेगा।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, समअप करें।

**श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़): दो मिनट। एक बात आपके मंत्रीजी की। साथ ही साथ उन्होंने जनजाति क्षेत्रीय विकास की बात की, यह योजना भी एक

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

क्षेत्र विकास के लिए मेवाड़ के लिए चलती है। उन्होंने हाड़ौती के लिए बात इसमें की थी कि राजस्थान के अन्य जनजाति क्षेत्रों में वह लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा, सभापति महोदय, जितने डिपार्टमेंट हैं उनका 13 प्रतिशत डाइवर्ट करने का महाराष्ट्र पैटर्न में लिखा हुआ है, महाराष्ट्र पैटर्न में शिड्यूल्ड एरिया के आदिवासियों के अलावा नान शिड्यूल्ड एरिये में भी आदिवासी हैं। आदिवासी आज भी शिड्यूल्ड एरिया के एडवांटेज से वंचित है। गरीब आदिवासी है उसका एम्पावरमेंट करने की आवश्यकता है। यह भी उन्होंने लिखा, मैं कहना चाहूंगा कि पिछले पांच वर्षों के अन्दर जब भी बजट भाषण हुआ है और आज के हमारे केन्द्रीय मंत्रीजी का कोट किया हुआ, सारे उनके भाषण ले जाकर दे दो, राजस्थान का भला हो जाएगा, विकास हो जाएगा कि जो मांग विपक्ष में रहते हुए आप करते थे, आज आप स्वयं हिन्दुस्तान के मंत्री हैं, अगर वे योजनाएं आपने सारी राजस्थान में लागू करा दीं तो बहुत सारा काम हो जाएगा।

सभापति महोदय, सरकार कहती है कि हम रोजगार हितैषी हैं, लेकिन रोजगार के लिए उद्योग में इन्होंने कुल बजट का 0.63 परसेंट ओनली दिया है। 149.43 करोड़ रुपये दिये हैं। अब क्या उद्योग खोलोगे, क्या रोजगार दोगे? यह सारी स्थिति आपके सामने पड़ी है। सहकारिता मंत्रीजी विराजे हैं, मार्केटिंग सोसायटी की घोषणा आपने की। पिछली बार विधान सभा में आपने कहा कि 3 लाख हिस्सा पूंजी करते हुए हम ग्राम सभा सहकारी समितियां खोलेंगे। इस बार तो बजट के अन्दर आपने घोषणा नहीं करायी, यह भी आपके सामने है। पेयजल के लिए भी आप बात कर रहे थे।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, अभी काफी को बोलना है।

**श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़): एक मिनट, सभापति महोदय। पेयजल के लिए 1230.95 करोड़ का प्रावधान और ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं के लिए 675.49 करोड़ रुपये ओनली, मेरे विधान सभा क्षेत्र की योजना पूरी नहीं होगी इस बजट के अन्दर राजस्थान में पानी पहुंचाने की बात करते हो। इस विधान सभा के अन्दर पिछली सरकार के समय मंत्री घोषणा करते थे कि एमएलए लैड में पानी के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, प्रस्ताव लाओ और काम ले जाओ। प्रति ईयर 30-50 हैंडपम्प की घोषणा होती थी और उसी के अनुसार अनुशंसा से काम होता था। यह घोषणा की, दो साल हो गये। हमारी अनुशंसा से हमारे क्षेत्रों में पानी के लिए तो काम हो ही नहीं रहा है। यह सारी स्थिति आपके सामने है।

**श्री ओम जोशी** (फलौदी): बाबूसिंहजी, उन घोषणाओं को हम भुगत रहे हैं। पानी की व्यवस्था के लिए घोषणाएं कीं, ठेकेदारों से काम करवा लिया, बजट में प्रावधान था नहीं, काम हुआ नहीं और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। अभी भी भुगत रहे हैं।

**श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़): काम हुआ है, काम किया है। आपकी 675 करोड़ की घोषणा है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा सिविल लाइन्स से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह पहली सरकार है जो आटा बेचने वाली है, आटा वितरण करने वाली सरकार होगी। मैं कहना चाहूंगा कि यह आटा घोटालों की पहली सरकार होगी। यह बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवानों, बेरोजगारों का विरोधी है, इस बजट से पेयजल, ग्रामीण क्षेत्र व शिक्षा क्षेत्र के विकास अवरुद्ध होंगे। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री करणसिंह।

**श्री करणसिंह** (छबड़ा): सभापति महोदय, बजट 2010-11 23822 करोड़ रुपये का हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो पेश किया, उस पर लगातार तीन दिन से पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को सुनने का मौका मिला, उसके बाद आज तीसरे दिन बोलने का नम्बर आया। आदरणीय तिवाड़ी साहब, कटारिया साहब और सचेतक साहब, मैं बोल रहा हूं, मेरी बात को जरा सुनें,

आपके आशीर्वाद बिना मेरा काम चलेगा ही नहीं। समय हमने फिजूल बर्बाद कर दिया है। कई हमारे माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिलता चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों। हमें जनता चुनकर भेजती है और हम मोबाइल पर बोलते हैं कि हम विधान सभा में बैठे हैं। वह कहता है, हमारा नेता विधान सभा में बैठा है, हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि विधान सभा में बैठकर हमारे क्षेत्र के विकास की बात करेगा, हमारी समस्याओं के निदान करने की बात करेगा। मगर तीन दिन में आपने जो समय बर्बाद किया है फिजूल बातों में, इसकी मैं निन्दा करता हूं। मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं, मेरी बात का सभी माननीय सदस्यों को समर्थन करना चाहिए कि हम यहां किसलिए आते हैं। मैं तो पहली बार विधान सभा में आया हूं, कितना पैसा खर्च होता है, कितनी गार्ड लगी हुई है, चाय पी रहे हैं, कैंटीन चल रही है, ... (व्यवधान) मैं उसी पर आऊंगा, आपका भी नम्बर आएगा, अभी टाइम बढ़ जाएगा, मैं उसी पर बोलूंगा। पर मैं इस बात पर दु:ख व्यक्त कर रहा हूं कि जिन चीजों के लिए हम यहां आते हैं, उन पर हम खरे नहीं उतर रहे हैं। मैं अपनी भावनाएं पहुंचाना चाहता हूं।

(श्री करण सिंह)

माननीय सभापति महोदय, इस बजट को सुनने के बाद लगा कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट को गरीबों की झोपड़ी से जोड़ा है। बेसहारा और असहाय, मानसिक रूप से जो अपंग होते हैं, जिसको एक मां कहती है कि मेरे जिन्दगी भर का बोझ है ये बालक, मेरी कोख से जन्मा है इसलिए न मैं इसको मार सकती हूं और इसको पालने के लिए मुझे जिन्दगी भर क्या-क्या कठिनाइयां उठानी पड़ेंगी, उसके लिए पहली बार मुख्य मंत्रीजी ने पेंशन बांध कर पुण्य का काम किया। इस बजट में आंकड़ों के आधार पर हमारे कटारिया साहब ने बहुत अच्छा प्रजेंटेशन रखा, क्योंकि हम लोग तो नए हैं, आंकड़ों को नहीं समझ पाते हैं। राव राजेन्द्र सिंहजी का प्रजेंटेशन भी आंकड़ों के माध्यम से बहुत अच्छा रहा। घनश्यामजी तिवाड़ी साहब हमारे मार्गदर्शक हैं, मगर आंकड़े कोई नहीं देखता है, जनता राज का प्रजेंटेशन देखती है, जनता राजा की छवि देखती है। जनता सत्ता में रहने वालों की बाहर शक्ल देखती है, चरित्र देखती है और उसके बाद फैसला करती है। हमारी सरकार ने हो सकता है कि उसमें कुछ कमियां रख दी हों आपके आंकड़ों के हिसाब से मगर, मैं भी राजनीति कर रहा हूं, जिला परिषद का मैम्बर रहा हूं, इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उन दीन-दुखियों के बारे में सोचा है जिनके बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा। हम जब नेता बनकर वोट मांगने जाते हैं, माननीय सभापति महोदय, आप भी चुनकर आये हैं और सारे विपक्ष के नेता भी चुनकर आए हैं, जब भी हम कांस्टीट्यूएंसी में जाते हैं तो हमारे पास कौन आते हैं? विधवा आती है, हमारे पास, विकलांग हमारे पास आता है, मानसिक रोगी हमारे पास आता है, जिसके पास पैसा नहीं होता है इलाज करने का। हमारे पास आता है वृद्ध। हमारे पास आते हैं लोग पानी मांगने के लिए, हमारे पास लोग आते हैं बिजली मांगने के लिए। कहने का मतलब है कि मोटा आदमी कोई नहीं आता है आपके पास, कोई भी नेता अपने दिल पर हाथ रख कर देखे। जब भी आप विधान सभा क्षेत्र में जाएंगे तो आपके पास ज्यादातर गरीब लोग आएंगे। और बड़ी-बड़ी असत्य बातें उनसे बोलते हो कि आपकी पेंशन बनवा देंगे, आपका इलाज करवा देंगे। पर, नियम नहीं था, उसे संशोधित करके, उसका सरलीकरण करके हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उनके दु:ख-दर्द को दूर करने का प्रयास किया है।

माननीय सभापति महोदय, गरीब, असहाय, गांव में रहने वाले, किसान, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे एस सी का हो, चाहे एस टी का हो, चाहे

(श्री करण सिंह)

महिला हो, इस बजट ने उससे हमें जोड़ने का पूरा प्रयास किया है इसलिए इस बजट को जनहित वाला बजट बताना चाहता हूं, मैं इसका समर्थन करता हूं।

बात आती है कि, साहब, पेंशन नहीं मिलती है, मैं पूछना चाहता हूं राठौड़ साहब से, पहले सरकार आपकी थी, सवा साल हुआ हमें, आपने संशोधन क्यों नहीं किया? आपने बी पी एल के इलाज की व्यवस्था क्यों नहीं की? (व्यवधान)।

**श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़): अब आप सत्ता में हो, आप करो। (व्यवधान)

**श्री करणसिंह** (छबड़ा): बी पी एल वालों को इलाज की सुविधा क्यों नहीं दी? बी पी एल वालों को दो रुपए किलो गेहूं क्यों नहीं दिया? विकलांगों को पेंशन आप लोगों ने क्यों नहीं दी? वृद्धों को पेंशन क्यों नहीं दी? आपने महंगाई को मुद्दा बनाया तो हमने महंगाई को देखते हुए विधवाओं और वृद्धों की पेंशन बढ़ाई, उसके दु:ख दर्द को समझा। हमने इस बजट के माध्यम से गरीब आम आदमी को जोड़ने का प्रयास किया।

मैं डवलपमेंट की बात पर भी आऊंगा, चिकित्सा की बात पर भी आऊंगा, बिजली की बात पर भी आऊंगा, मैं एग्रीकल्चर की बात पर भी आऊंगा, मैं सड़क की बात पर भी आऊंगा, मैं चिकित्सा की बात पर भी आऊंगा, हर तरह से मैं आपसे बहस करने को इस बजट के माध्यम से तैयार हूं।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, समय कम है।

**श्री करणसिंह** (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, ऐसा बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बनाया है जो मेरे जीवन में मुझे देखने को नहीं मिला।

महिलाएं कहती हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ। तीन दिन सदन में व्यवधान पैदा किया महंगाई को लेकर, महिलाओं को लेकर और 4 प्रतिशत वैट को लेकर, हमने 5 त्रुटिवश जो कर दिया था। इन 3 मामलों को लेकर सदन में आपने व्यवधान पैदा किया और इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया तीन दिन तक। महंगाई पर हमने क्या कर दिया? 4 प्रतिशत को 5 प्रतिशत कर दिया, त्रुटिवश हो गया था, उस पर आपके बवाल खड़ा कर दिया, महंगाई बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी। कौनसी महंगाई बढ़ा दी? हमारा इरादा महंगाई बढ़ाने का नहीं था, हमारी उस छोटी-सी त्रुटि को आपने नेताओं ने मीडिया में नाम छपाने

(श्री करण सिंह)

के लिए व्यवधान पैदा किया, हंगामा खड़ा कर दिया और सदन का टाइम बर्बाद कर दिया। क्या उससे महंगाई कम हुई? क्या आपने महंगाई के बारे में सोचा? क्या आपने महंगाई के बारे में मुख्य मंत्रीजी को सजेशन दिया? यह सदन इसलिए चलता है कि बजट में कुछ कमियां रह गई हों तो उसको सुधारने के लिए आप सलाह दीजिए। हमने जो गलती की हो, उसको सुधारने के लिए आप कोई उपाय बताइए। जनता ने आपको इसलिए सदन में भेजा है, यह बहस इसीलिए चलती है। लेकिन बेफिजूल की बातों में टाइम बर्बाद कर दिया।

महिलाएं कहती हैं कि महिलाओं के लिए क्या किया। हमने महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। अभी पंचायती राज में दिया, अभी नगरपालिकाओं में दिया। जितनी महिलाएं यहां बैठी हैं उनको आरक्षण दिया कांग्रेस ने, इसीलिए आप सब यहां आई हो। इधर के आई हों चाहे उधर की आई हों, सबको आरक्षण कांग्रेस ने दिया है। उसको भूल गये आप लोग। उस व्यवस्था को आप सुधारिए।

**श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): हम आरक्षण से नहीं आई हैं। (व्यवधान)

**श्री करणसिंह** (छबड़ा): आप सुनिए, आपका नम्बर आएगा। आपके लोग तो काफी पहले शहीद हो चुके हैं आप तो मेरे साथ रहो।

महिलाओं के बारे में क्या नहीं दिया? महिलाओं के लिए देखिए आप, जननी सुरक्षा योजना के अन्दर अभी किसी सदस्य ने कहा था कि उसमें पैसा नहीं मिलता। मेरे क्षेत्र में 1700 रुपए मिलते हैं, नगरपालिका क्षेत्र में 1000 रुपए मिलते हैं। एम्बुलेंस-108 यदि आती है तो 300 रुपए कट जाते हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 5 किलो घी दिया है आप लोगों के लिए, वह घी क्यों दिया आपको, आप महिलाएं हृष्ट-पुष्ट हो जाएं, उसमें काजू, बादाम, पिस्ता मिलाकर खाएं ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और बच्चा भी अच्छा हो। यह किसी ने किया है तो हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है। दूसरा, अब गरम-गरम भोजन भी देंगे बच्चा होते ही। गरम-गरम भोजन देने की व्यवस्था भी हमने इस बजट में की है- हलवा बनाओ, खिचड़ी बनाओ, दलिया बनाओ और काजू, बादाम पिस्ता डाल कर स्वास्थ्य बनाओ, ऐसा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है। क्या गलत किया? उस पर आप बोलते हैं कि महिलाओं के साथ यह हो गया। अभी पार्लियामेंट में हमारी सोनियाजी कहती

(श्री करणसिंह)

हैं कि महिलाओं को आरक्षण दो। आप हमारा हक काटने वाली हो, फिर भी आपके साथ बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। असत्य बात बोलने से आपकी बात का वज़न नहीं बढ़ जाएगा। आपकी सरकार ने क्या किया, इसका आप अंदाजा करना, फिर बोलना।

अब मैं आता हूं बिजली पर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं, तिवाड़ी साहब का ध्यान विशेष तौर पर, कि आज की तारीख में विद्युत उत्पादन 3844 मेगावाट है और 3844 मेगावाट के बाद हम 945 मेगावाट इस साल उत्पादन बढ़ाने वाले हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पिछली सरकार को भी कि बिजली के क्षेत्र में उन्होंने अच्छा प्रयास किया। माननीय सभापति महोदय, बिजली के क्षेत्र में उन्होंने कुछ सोचा।

उसका उत्पादन अब आ रहा है पर वह सोच ठीक थी। हमारे अशोकजी गहलोत की सोच थी, इम्प्लीमेंट करते हुए आपने उस सोच को बढ़ाया इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मगर वह सोच आपकी लेट हो गई। आपने उस सोच को 8 दिसम्बर, 2005 को बनाया, उस सोच में आप दो साल डिले हो गये और जब आप दो साल डिले हो गये तो उसका उत्पादन भी दो साल बाद अब आ रहा है। मगर हमारे मुख्य मंत्रीजी की सोच आप देखिये, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सभापतिजी, मुझे थोड़ा समय चाहिए, बहुत समय बाद तो नम्बर आया और समय अब ज्यादा है नहीं, कृपा करके मेरी तरफ थोड़ा ध्यान रखें।

मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 10260 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है, यह हमारे लिए बहुत उपलब्धि की बात है । 10260 मेगावाट और 4 हजार मेगावाट के समथिंग वो, हम 15 हजार मेगावाट बिजली पैदा कर लेंगे तो गांव-गांव में बिजली होगी, गांव में इसका विकास होगा, किसानों को गांवों में बिजली मिलेगी, कोई भी पिछड़े नहीं रहेंगे। मगर मैं इसमें कहना चाहता हूं, विशेष तौर पर यह बहुत चिंतन का विषय है इसलिए मैं बिजली मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सभापति महोदय, बिजली बनाने से पहले हमें बिजली बनाने के लिए पानी का स्रोत तलाशना होगा। मैं छबड़ा क्षेत्र से आता हूं, हमारे क्षेत्र में पानी का स्रोत है। झालावाड़ संभाग में, कोटा संभाग में पानी के ज्यादातर स्रोत हैं तो ज्यादातर बिजली की यूनिट झालावाड़ जिले में, हाड़ौती संभाग में जा रही हैं। मगर जो किसानों के डैम बने हुए हैं, माननीय सभापति

(श्री करणसिंह)

महोदय, बहुत गम्भीर चिंतन का विषय है, किसानों में और थर्मल में आने वाले समय में झगड़ा होगा, मैं इसके लिए सदन का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। बिना पानी के बिजली नहीं बनेगी और जो किसानों के डैम बने हुए थे उन डैम के पानी को हम थर्मल के लिए ले रहे हैं। किसानों का जो पानी है उसको हम ले लेंगे तो आगे हमको तकलीफ होगी, मैं इस गम्भीर मसले पर ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। अभी तक हम लोगों ने जो व्यवस्था की है उसमें हमारे पास पानी की व्यवस्था अलग से हो गई है, मगर आने वाली बिजली के लिए, आदरणीय बिजली मंत्री महोदय और सभापति महोदय, मैं बहुत गम्भीर विषय पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि किसानों और बिजली कम्पनियों में आपस में झगड़े हो जाएंगे इसलिए पानी का स्रोत बिजली कम्पनी स्वयं तलाश करें, बिजली वाले अपनी व्यवस्था करें। साथ ही साथ किसानों की जमीनें, अभी डीएलसी रेट का लोगों ने बहुत विरोध किया कि डीएलसी रेट बढ़ा दी गई। मैं डीएलसी दर बढ़ाने के पक्ष में हूं। किसानों की जमीन बिकती है और जमीन की डीएलसी रेट बढ़ती है तो किसानों को फायदा होगा इसलिए किसानों की डीएलसी रेट बढ़नी चाहिए। गरीब किसान होता है जो जमीन बेचता है। वह मजबूरी में जमीन आदमी बेचता है इसलिए डीएलसी रेट बढ़ने से किसानों को फायदा होगा। अगर सरकार कोई प्लांट बना देती है, सरकार कोई इण्डस्ट्री लगाती है तो किसानों को मुआवजा उचित नहीं मिलता, इसलिए डीएलसी रेट बढ़ाना हम सब के लिए सोचने का विषय है, इसका विरोध नहीं करना चाहिए चाहे स्टाम्प शुल्क लग जाए। बहुत गम्भीर मसला है। कहीं डैम में जमीन जाती है, कहीं इण्डस्ट्री में जमीन जाती है, कहीं थर्मल पावर प्लांट में जमीन जाती है, यह एक बात तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। 4-5 पांइट और हैं, शार्ट में निपटा दूंगा।

**श्री सभापति**: आप समअप करें, माननीय सदस्य।

**श्री करणसिंह** (छबड़ा): पानी के अथाह भण्डार हमारे पास हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में। इसके अन्दर मैं मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि पानी का अथाह भंडार हमारे पास है, पानी बहकर निकल जाता है, लेकिन पानी के बारे में एनीकट्स, डैम के बारे में जो आपने इस बार बजट दिया है, इसमें मुझे थोड़ी निराशा हुई है। मैं सदन में आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई की जितनी योजनाएं हैं, आप हमारी तरफ बनाइये। पानी की लड़ाई है और पानी एक चिंता का विषय है चाहे

(श्री करण सिंह)

पेयजल को ले लें या इर्रिगेशन में ले लें। वहां हमारा पानी वेस्टेज निकल जाता है इसलिए पानी के बारे में योजना बननी चाहिए। 777 करोड़ रुपये की जो योजना बनी है वह राजस्थान की बनी है। उसमें हमारे छबड़ा क्षेत्र और झालावाड़ में कम बजट मिला है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा, विधवाओं को पेंशन मिलने के बारे में कहा गया कि विधवा कोई भी हो, उसको पेंशन मिलनी चाहिए। अभी हमारी रीटा चौधरीजी ने भी कहा है कि विधवा-विधवा है, जिसका पति गुजर जाता है उसको पेंशन मिलनी चाहिए। एक प्रोग्राम में हमारे भैरोंसिंह जी शेखावत साहब ने कहा था कि टाबरां और विधवाओं की सेवा करो और विधवाओं की सेवा नहीं करोगे तो आपका भी ये हो जाएगा। यह हमारे भैरोंसिंहजी शेखावत साहब कहा करते थे, इसलिए विधवाओं को पेंशन मिलनी चाहिए चाहे उसका बेटा 25 साल का हो या 50 साल का हो। विधवा को पेंशन मिलनी चाहिए, कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए इसमें। नियम में संशोधन करना चाहिए, यह मेरा आपसे और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है।

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 10 बजे तक के लिए बढ़ाया जाए।

**श्री सभापति**: सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जा?

**(स्वीकृत)**

सदन का समय दो घंटे बढ़ाया गया। करण सिंहजी राठौड़ साहब।,

**श्री करणसिंह** (छबड़ा): सभापति महोदय, अब तो समय बढ़ गया, मैं पांच मिनट में खतम कर दूंगा।

**श्री सभापति**: पांच मिनट बहुत होते हैं।

## आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

**श्री करणसिंह** (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, अभी टूरिज्म क्षेत्र की बात की जा रही थी पर टूरिज्म के क्षेत्र में हमारे दरा अभयारण्य के बारे में कोई नाम नहीं लिया। मैं सदन का भी ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं और सरकार का भी ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि आप सरिस्का और रणथम्भौर

(श्री करणसिंह)

का बार-बार जिक्र कर रहे हैं मगर सरिस्का और रणथम्भौर की अपेक्षा हमारा जो दरा अभयारण्य है वहां पानी का काफी सोर्स है और बड़ा घना जंगल है। जब मैं सुन रहा था कि सवाई माधोपुर में शेर को छोड़ने के लिए वहां छोड़ा जा रहा है क्योंकि शेर आपस में झगड़ते हैं। टूरिज्म पॉलिसी क्या है? मैं चाहता हूं कि हमारे दरा अभयारण्य में छोड़ो। दरा अभयारण्य पर ध्यान दें ताकि हाड़ौती भी टूरिज्म में अग्रणी बन जाए।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, समअप करो।

**श्री करणसिंह** (छबड़ा): दूसरा मेरा स्टेट बीपीएल के बारे में है।

**श्री सभापति**: आप समअप करो।

**श्री करणसिंह** (छबड़ा): दो मिनट, सभापति महोदय। स्टेट बीपीएल को बीपीएल के समान पूरा लाभ नहीं मिल पाता है, स्टेट बीपीएल को भी बीपीएल के समान लाभ मिलना चाहिए। बीपीएल के सर्वे से काफी लोग वंचित हैं तो इसका सर्वे भी दुबारा होना चाहिए, यह मैं सदन और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सभापति महोदय, काफी समस्याएं हैं। मैं नरेगा के बारे में दो मिनट में बोलकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। नरेगा के बारे में सदन में काफी लोगों ने निंदा प्रस्ताव, कुछ भी दिये, नरेगा एक ऐसी योजना है, मैं माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अन्त्योदय योजना के नाम से काम के बदले अनाज योजना चलाई थी और जनता को पाला था। यह योजना जनता को पालने वाली योजना है, प्रतिपक्ष में बैठे लोगों, इसकी कोई निंदा मत करिये, नहीं तो गरीबों का गला कट जाएगा। इससे जनता का ही भला होगा। इसमें कुछ खामियां हैं उनको हम ठीक करने का प्रयास करें। मैं राज्य सरकार से यह चाहूंगा, नरेगा के कामों में अनुशंसा कलक्टर के थ्रू होती है, कलक्टर की जगह इसमें विधायकों को भी प्रतिनिधि बनाया जाए और उसकी राय लेकर काम की मंजूरी की जाए ताकि इसमें जो गड़बड़ होती है उस पर कंट्रोल हो, यह मेरा सुझाव है। दूसरा, जो विधायकों को 80 लाख रुपये देते हैं उसकी जगह हमारे भाई ने डेढ़ करोड़ मांगे हैं, मैं दो करोड़ मांगने की बात करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका, और मेरे से बोलने में कुछ ऐसे शब्द निकल गये हों तो मैं सदन में क्षमा मांगता हूं। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: मैं, उप नेता महोदय, आपसे और, सचेतक महोदय आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि तीन घंटे में मात्र 10 सदस्य बोले हैं और

(श्री सभापति)

अभी 29 सदस्यों को और बोलना है, 16 प्रतिपक्ष और 13 पक्ष के। यानि सुबह 5 बजे तक, 9 घंटे तक। या तो सचेतक महोदय कुछ व्यवस्था हो या इस लिस्ट को शार्ट करें।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): आप टाइम शॉर्ट कर दें।

**श्री सभापति**: आप देख रहे हैं कि मैं काफी माननीय सदस्यों को निवेदन कर रहा हूं उसके बावजूद भी यह स्थिति है। तो यह आखिर में हम लोगों को मिल-जुलकर तय करना चाहिए, अगर यह लिस्ट शार्ट हो सके तो ज्यादा उपयुक्त होगा। डिमांड्स पर बोल लें, माननीय सदस्य।

**श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'** (राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क): माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से, जो सदस्य यहां पर उपलब्ध हैं उनके टिक लगा लें और बाकी के निरस्त कर दीजिये आप।

**श्री सभापति**: ये बोलने वाले सदस्य ही रह गये हैं।

**श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'** (राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क): आधे सदस्य घर पर खाना खाने गये।

**श्री सभापति**: ये सारे सदस्य बोलने वाले ही बैठे हैं, दो-चार ही सुनने वाले हैं।

**श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'** (राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क): अभी आप प्रजेंस लगवा लीजिये, आपको पता लग जाएगा कि 15 ही बोलने वाले हैं।

**श्री सभापति**: माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्यों की संख्या आप गिन लें, कुल सदस्य संख्या बोलने वाली सदस्य संख्या से कुछ ही ज्यादा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें कुछ शार्ट करें तो ठीक रहेगा। श्री वासुदेव जी देवनानी।

**श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'** (राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क): बोलने वाले खाना खाकर घर से आएंगे और हमको यहां रोके रखेंगे, इसलिए अभी उपलब्ध हैं उनको बुलवा लो।

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, प्रत्येक सरकार अपने संवैधानिक दायित्व के तहत वित्तीय वर्ष में अपना बजट पेश करती है। जनता की अपेक्षा होती है कि उस बजट से उसकी आशाएं पूरी होंगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगी, डेफिसिट कम होगा, कुछ विकास में खर्चा बढ़ेगा। लेकिन पूरे बजट को देखने के पश्चात् लगता है कि यह बजट आर्थिक प्रबन्धन में पूर्णतया विफल है और यदि कह दूं कि यह जनता को भ्रमित करने वाली, केवल कोरी घोषणाएं करने वाली है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

(श्री वासुदेव देवनानी)

**(समय : 20.00 बजे)**

**(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)**

बजट के आंकड़ों को यदि देखें तो स्पष्ट लगता है कि पूर्ववर्ती सरकार के 2004-05 के बजट 17,763.59 करोड़ में, 2005-2006 में 19 प्रतिशत ग्रोथ से 20,839 करोड़ की राशि हो गई जबकि आपके एक वर्ष के अन्दर जो ग्रोथ रेट है, वह केवल 9.8 प्रतिशत है। ग्रोथ रेट में आप पीछे आ गये। फिर आप कहें कि कड़ी से कड़ी जोड़ो। कड़ी से कड़ी जोड़कर हमने शायद सोचा था कि केन्द्र की सरकार से आपको अधिक अनुदान मिलेगा, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 2009-2010 में आपने बी.ई. के अन्दर 6,625.01 करोड़ रखा लेकिन वह आर.ई. में घटकर 6,158.7 करोड़ रह गया, अर्थात् केन्द्र सरकार ने भी आपके पांच करोड़ सहायता में से कम कर दिये। जोड़िये कड़ी से कड़ी, तो यही परिणाम आने वाला है। और 2010-2011 में भी आपको केन्द्र सरकार ने जो बी.ई. रखा है, पता नहीं, आर.ई. तो क्या होगा, वह केवल 6,214 करोड़ ही रखा है। हम पहले ही कहते थे कि भाजपा की सरकार विकास करने वाली सरकार है लेकिन आपके आंकड़े इसको स्पष्ट करते हैं कि जब हमारी भाजपा की सरकार थी, माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत मुख्य मंत्री थे, उस समय 1998-99 में रेवेन्यू प्लस कैपिटल का जो टोटल डवलपमेंट एक्सपेंडिचर था, वह 65.34 प्रतिशत था। आपके पिछले पांच साल में वह घटते-घटते 59.63 प्रतिशत रह गया। हम आये, हमने बढ़ाना शुरू किया और आपको आश्चर्य होगा कि 2008-2009 के अन्दर 68.03 प्रतिशत हो गया। हम सोचते थे कि आप इसको बढ़ाओगे लेकिन बढ़ना तो दूर रहा, 2010-2011 का जो बी.ई. है, वह 65.9 प्रतिशत है। मुझे तो आशंका लगती है कि अगले चार वर्षों में यह घटते-घटते वापस 59 प्रतिशत तक रह जाएगा। कैसी सरकार होगी जो कहीं भी किसी प्रकार से डवलपमेंट में एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है। फिर 12वें फाइनेंस कमीशन ने तो कहा था कि आपको सकल राजकीय कोष घाटा तीन प्रतिशत तक लाना है। हमने प्रयत्न किया और यह 1.9 और 2.6 प्रतिशत तक हम ले आये। लेकिन आपके तो एक ही वर्ष में 2009-2010 में घाटा बढ़ाकर साढ़े तीन प्रतिशत हो गया है तो ये सरकार कहां ले जा रही है? आर्थिक प्रबन्धन में पूरी तरह फेल। अभी एक वर्ष हुआ है, लेकिन पूत के पाँव तो पालने में ही दिखाई देते हैं, इसलिए अगले चार वर्ष राजस्थान के लिए किस प्रकार से वित्तीय दुर्दशा के होंगे, इसकी केवल कल्पना की जा सकती है। मैंने

(श्री वासुदेव देवनानी)

थोड़ा कोशिश की समझने की कि आखिर यह स्थिति क्यों बनी। पहले मुख्य मंत्रीजी कहते थे, पानी बचाओ, बिजली बचाओ और सबको पढ़ाओ। लेकिन अब नारा उनके सामने आ गया है, एम.एल.ए. बचाओ, मंत्री बचाओ, सरकार बचाओ। सारे इसी उधेड़बुन में लगे रहते हैं इसलिए वित्तीय प्रबन्धन में उनकी कहीं कोई रुचि दिखाई नहीं दे रही है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं।

मैं दूसरी बात निवेदन करूं, यह सरकार केवल घोषणा करने वाली सरकार है। पैरा 142 में कहा गया है कि शिक्षकों की कमी दूर करेंगे। पिछले बजट में कहा गया था पैरा 147 में कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत 17,229 शिक्षकों की भर्ती होगी। परिणाम शून्य। वित्त विभाग ने केवल 6,750 की स्वीकृति दी। अभी तक न आवेदन मांगे, न कहीं कुछ हुआ। दूसरी घोषणा की थी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कि हर साल 10,000 शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं, मैं प्रत्येक वर्ष में 10,000 पदों को भरूंगा लेकिन एक भी पद आज तक भरा नहीं है। शारीरिक शिक्षकों के 1,000 पद भरने की बात हुई, आज तक एक भी पद भरा नहीं है। एक घोषणा और की थी कि 500 सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय खोलेंगे। एक स्कूल में कहीं भी विज्ञान संकाय आपने साल भर में खोला नहीं। यह केवल घोषणा के लिए करते हैं, यह सारा आप ही का प्रोफोर्मा कह रहा है। आपने बजट में 78 घोषणाएं की थीं, उसमें से केवल 13 पूरी कर पाये, 65 घोषणाएं तो आज भी लम्बित हैं। और इस बार आपने लगभग उतनी ही घोषणाएं और की हैं, मुझे लगता है कि पांच वर्ष में तो इन की गई घोषणाओं का एक पुलिंदा इकट्ठा हो जाएगा जिसकी कोई भी वकत नहीं रह जाएगी।

आपने शिक्षा में विश्वविद्यालयों को सहायता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। हमारे विश्वविद्यालयों की यह हालत है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में तो एक पैसा भी वेतन देने के लिए कई बार नहीं होता है। अजमेर विश्वविद्यालय में आपने ग्रांट बंद कर दी। इन सारी परिस्थितियों में इस बजट में और राजस्थान के लाखों विद्यार्थी मित्रों और बी.एड. करने वाले छात्रों में आशाएं जगी थीं कि शायद आप कुछ घोषणा करेंगे, लेकिन सारे विद्यार्थी मित्रों और बी.एड. करने वाले छात्रों को बिलकुल निराशा हाथ लगी।

फिर मैं चर्चा करूं, आपने कहा कि अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में हमने शिक्षकों के लिए रास्ता खोला है। आपने एक प्रयत्न किया है, लेकिन जो आपने कहा है कि ये लोग अपने शिक्षकों को वेतन नहीं दे रहे थे तो उन

(श्री वासुदेव देवनानी)

मैनेजमेंट्स के बारे में आपने एक शब्द नहीं कहा। इन मैनेजमेंट को जमीनें सस्ती उपलब्ध कराई थीं, नि:शुल्क उपलब्ध कराई थीं, इससे तो उनको और सारी जमीनें मिल जाएंगी। पता नहीं, उसमें वे क्या-क्या धंधे शुरू कर देंगे। इसलिए मैनेजमेंट पर भी अंकुश करने के लिए कहीं न कहीं कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी।

आपने कहा कि मदरसों में 2,500 सामान्य शिक्षक लगाये जाएंगे। यह पिछली बार भी आपने पैरा 151 में कहा था। उसी को ऐसा का ऐसा वर्तमान बजट के अन्दर पैरा 81 में आपने कहा है। पुरानी बातों को दोहराने के अलावा आपने इसमें कुछ भी नहीं किया है।

टैक्निकल एजुकेशन में आपने कहा था कि तकनीकी शिक्षा अधिनियम बनाएंगे, आप आज तक भी उसको नहीं बना पाये। आपने कहा कि हम महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलेंगे। यह तो हमारी सरकार कर चुकी है। 24 महाविद्यालयों में एक वर्ष में और 24 महाविद्यालयों में दूसरे वर्ष में हम विज्ञान संकाय खोल चुके हैं।

अजमेर में कालेज के विभाजन की बात कही, यह हमारी सरकार उस समय कर चुकी है। अभी आपने फिर एक आर्टस कालेज के विभाजन के लिए कहा है, उसके लिए बजट में प्रावधान एक भी नहीं रखा। पहले भी इस तरह से आपकी सरकार 1998-99 में घोषणा कर चुकी थी, बजट नहीं रखा इसलिए वह क्रियान्वित नहीं हो पाई। पैरा 140 एज इट इज किया है, उसमें लिखा है कि प्रत्येक संभाग में एक आई.टी.आई. सेंटर आफ एक्सीलेंस खोलेंगे। आप पूरे सात संभागों को देख लें, हर संभाग में पहले से ही सेंटर आफ एक्सीलेंस हैं। क्या करोगे? जनता को भ्रमित करने के अलावा आपने कुछ नहीं किया है। फिर पैरा 141 में आप देखते हैं कि प्रत्येक पंचायत समिति में एक आई.टी.आई. खोलेंगे। सभी पंचायत समितियों में आई.टी.आई. है, सभापति महोदय, ये कहां खोलेंगे, यह तो बताओ? अगर सरकारी खोलेंगे तो पी.पी.पी. की बात करो, उसमें आई.टी.आई. है। सरकारी आई.टी.आई. की बात आपने भी नहीं कही है। आप यदि यह कह दो कि हर जगह हम सरकारी आई.टी.आई. खोलेंगे तो मैं आपका स्वागत करता। आपने कहा कि जन सहभागिता में खोलेंगे। जन सहभागिता में तो हमारी सरकार के समय ही सभी जगह आई.टी.आई. खुल चुकी थीं। इसलिए कहीं भी किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई।

तीन विश्वविद्यालयों की बात थी, उसमें ओ.एस.डी. लगे हुए हैं, उनको

(श्री वासुदेव देवनानी)

वेतन दिया जा रहा है लेकिन उन बेचारों का इसमें जिक्र भी नहीं है। और जिक्र तो दूर है, उसके लिए एक पैसा भी आपने नहीं रखा है।

अभी एक माननीय सदस्या कह रही थीं कि हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है। यह संवेदनशील होती तो आप जरा मिड-डे-मील में कुछ एक पैसा तो बढ़ाते। महंगाई बढ़ गई। आप सभी चीजें बढ़ा रहे हो, वेतन बढ़ा रहे हो, दूसरी चीजों में बढ़ा रहे हो, लेकिन मेरे यहां के लाखों बच्चों के लिए मिड-डे-मील में आज भी वही 2.10 रुपये रेट है। उसको क्या पौष्टिक आहार दोगे? कुछ तो कहीं संवेदनशीलता करते, लेकिन नहीं। आप कह रहे थे कि हमारे मुख्य मंत्री गांधी हैं और मितव्ययता की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जिस शादी में इतने हजार रुपये की एक प्लेट होती है तो मुझे जाने में शर्म आती है। आपने सरकार की मितव्ययता के बारे में एक शब्द भी कहीं कहा है क्या? कहीं हजारों करोड़ रुपयों के आप रोज विज्ञापन दे रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं भी एक पैसे की उसकी जानकारी नहीं आती।

फिर मैं एक बात आपको याद दिला दूं, मेडिकल के बारे में आपने कहा हरेक जगह 100 शैय्याएं। किस मेडिकल कालेज, किस अस्पताल में बढ़ाई हैं? लेकिन डाक्टर्स की नियुक्ति का क्या हुआ? अभी एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि इन मेडिकल कालेजों में मेडिकल चिकित्सक नहीं हैं इसलिए जब एम.सी.आई. की टीम विजिट करने के लिए आती है तो हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। ये शर्मनाक स्थिति है। यह केवल कहने के लिए शर्मनाक है। बजट में इनके लिए कहीं भी एक डाक्टर की नियुक्ति करने के लिए कोई बात नहीं की।

आज अजमेर मेडिकल कालेज की स्थिति तो यह है कि कार्डियोलोजी डिपार्टमेंट में सात पोस्ट हैं, केवल एक प्रोफेसर है। वह भी कहीं चला जाता है तो उसको कोई देखने वाला वहां पर नहीं है और इस तरह से पूरी स्थिति दयनीय है चिकित्सकों की, आज उसके लिए विचार करने की आवश्यकता थी। यदि ये सरकार जनता की भलाई के लिए है तो चिकित्सा शिक्षा की चिंता आपने एक प्रतिशत भी उसमें नहीं की। आपने घोषणा की पैरा 61 में कि हम यूनानी निदेशालय खोलेंगे, अच्छा है, यूनानी निदेशालय खोलिये, लेकिन होम्योपैथी निदेशालय का क्या हुआ, क्या होम्योपैथी भारतीय चिकित्सा पद्धति नहीं है? उसके बारे में चुप। केवल यूनानी के बारे में कहा और उसके लिए भी स्थान की घोषणा नहीं की। इस समय हैं नहीं चिकित्सा मंत्रीजी, मैं इनको

(श्री वासुदेव देवनानी)

कहूंगा, यूनानी निदेशालय खोलना है तो अजमेर में खोलिये क्योंकि वहां आयुर्वेद निदेशालय पहले से ही है, सारे उप निदेशक वहीं बैठते हैं, उसकी जरा आप खोलने की चर्चा करें।

फिर पैरा 132 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूं, उसमें लिखा है कि रियायती दरों पर आटा, दाल, गेहूं दिये जाएंगे, हालत यह है कि दाल का पता ही नहीं। अभी कल ही एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने मुझे उत्तर दिया है कि अजमेर शहर को 304 क्विंटल चने की दाल मिली। नीचे कहते हैं, एक लाख इकतीस हजार परिवारों में से नब्बे हजार पांच सौ परिवारों को चार किलो प्रति राशन कार्ड प्रति माह चने की दाल उपलब्ध कराई। यदि इतना भी गणित होता तो 304 किलो को नब्बे हजार में यदि गुणा-भाग करते तो तीन सौ ग्राम एक परिवार के हिस्से में आती है। फिर कहते हैं कि पिछले दिसम्बर, जनवरी, फरवरी में हमने एक किलोग्राम भी दाल भेजी नहीं। किसको दाल दे रहे हो? और आटा? आटे के बारे में अभी मेरे एक सदस्य कह चुके कि कितना उसमें घोटाला है। आटे के लिए पता नहीं कितने अपने परिवार के, पार्टी के लोगों को आपने ठेका दे दिया। किस भाव से दिया, कहां टेण्डर हुए, कहीं कुछ पता नहीं। लेकिन केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए आपने ये सारा नाटक किया है जिसके लिए जनता कभी भी आपको माफ नहीं करेगी।

मैं एकाध बात और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि अजमेर के पानी के लिए पैरा 46 में पिछले बजट में ये कहा है कि उसकी वितरण प्रणाली में सुधार की बात कही गई है, लेकिन सुधार करते-करते 48 घंटे की जगह अब 96 घंटे में पानी मिल रहा है। उस समय 166 करोड़ की योजना थी और आपने टेण्डर किये नहीं 14 महीने, अब जाकर उसकी कास्ट बढ़ कर 309 करोड़ हो गई है जिसके लिए केन्द्र सरकार ने मना कर दिया कि अब इससे ज्यादा पैसा हम आपको नहीं दे सकते। उसका क्या होगा? वाहवाही लूट रहे हैं कि बीसलपुर से हम दूदू को जोड़ रहे हैं, बीसलपुर के पानी को हम जयपुर तक ला रहे हैं। लेकिन बीसलपुर में पानी कहां है, किस-किस को दोगे? उसका जो पहला हक अजमेर का था, आज अजमेर को पानी बिलकुल नहीं मिल रहा है। उसकी चिंता, योजना करने की जरूरत नहीं की, केवल जोधपुर की चिंता की है कि जोधपुर के लिए 590 करोड़ की व्यवस्था की है। क्या अजमेर शहर इस राजस्थान में नहीं आता? क्या अजमेर की जनता राजस्थान की जनता नहीं है, क्या वहां के व्यक्ति को पीने का पानी नहीं चाहिए? लेकिन इसमें किसी प्रकार

(श्री वासुदेव देवनानी)

की चिंता नहीं की गई है। यहां तक कि अपने चुनावी घोषणा पत्र के पेज नम्बर 16 में आपने पेयजल संबंधी नौ संकल्प लिये हैं, उसमें आपकी प्रगति बिलकुल शून्य है। माननीय सभापति महोदय, सड़क विकास निधि से सड़कों के जाल की बात कही है, अच्छा होता कि सड़क विकास निधि से कुछ भाग आप पीडब्लूडी से बनवाते तो टोल की वसूली का उनके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता, उनको भी पीडब्लूडी की सड़कों से गुजरने का एक मौका मिलता। लेकिन बीओटी, पीपीपी से बनाकर केवल जनता के ऊपर टोल टैक्स लगाने की एक प्रकार की आपकी योजना है, किसी प्रकार की राहत नहीं मिली। परिवहन मंत्रीजी बैठे हैं, परिवहन विभाग में पिछली बार पैरा 18 में कहा गया था कि स्टेट रोड सेफ्टी कौंसिल बनाएंगे, आपने बना दी? और इसका उद्देश्य था कि इससे एक्सीडेंट घटेंगे, लेकिन एक्सीडेंट तो रोज बढ़ रहे हैं, रोज एक्सीडेंट दुगने हो रहे हैं। जब मंत्री महोदय से पूछा कि रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो फिर एक सड़क सुरक्षा समिति बना देता हूं, आप तो केवल समितियां बनाइये, केवल सेफ्टी कौंसिल बनाइये। जनता को सुरक्षित रखने के लिए आप कहीं कोई व्यवस्था नहीं करते। फिर पिछले दिन कहा कि हमारी रोडवेज पर आपकी सरकार 602 करोड़ का घाटा छोड़ गई, मैं उनसे पूछता हूं, 98 से 2003 तक कितना घाटा था? और आज रोडवेज घाटे में नहीं है? चार सौ करोड़ रुपये वह सरकार से मांगती है, यदि सरकार आज उसको चार सौ करोड़ दे दे तो कहीं भी रोडवेज घाटे में नहीं दिखेगी। लेकिन हमारी योजना है नहीं।

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर): अब सरकार कहां है? सरकार तो चली गई। कोरम ही पूरा नहीं है।

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): उसमें पिछले पैरा में कहा था कि 2375 कार्मिकों की नियुक्ति करेंगे लेकिन आपने कार्मिकों की नियुक्ति नहीं की। ये जो स्थिति बनी है इस आधार पर यह सरकार बजट बिलकुल निराशाजनक है।

**श्री सभापति**: अब आप कनक्लूड कर लें।

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): कहीं भी किसी प्रकार की राहत देने वाला नहीं है। यह सरकार पूरे राजस्थान की सरकार है, केवल कांग्रेस की सरकार नहीं है, इसलिए अच्छा होता कि बजट के पहले आप विपक्ष के भी कुछ समझदार नेताओं को बुलाते, कुछ अलग-अलग समूहों को बुलाते, चर्चा करते। जनता के हित की बात विपक्ष भी चाहता है और आप भी यदि चाहते हैं

(श्री वासुदेव देवनानी)

सच्चे मन से, तो एक सर्वमान्य बैठ करते कि गरीब जनता को किस प्रकार से राहत मिल सकती है। बजट में यह तो हमेशा ही होगा, इसमें पांच सौ करोड़ बढ़ा दिये, इसमें सौ करोड़ बढ़ा दिये, महंगाई बढ़ेगी तो उसकी कीमत वैसे ही बढ़ेगी। जैसे एक कमरे की लागत यदि आज से पांच साल पहले एक लाख थी तो आज बढ़ कर वह डेढ़ लाख होगी, अब आपने अपने बजट में डेढ़ लाख कर दिये, कमरा तो वह एक ही बनना है।

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर): माननीय सभापतिजी, एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं हैं सदन में, एक भी केबिनेट मंत्री।

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): इसीलिए मेरा निवेदन है कि यह सरकार अपनी जनता को राहत प्रदान करने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर हर वर्ग की भलाई के लिए बजट को इस प्रकार का बनाए ताकि हर वर्ग को राहत मिले, हर वर्ग को दो समय का भोजन मिले। आटा तो दो रुपये किलो आपने दे दिया, दाल कहां है, किससे खाएंगे? सब्जी महंगी, दाल महंगी, क्या रूखी रोटी खाएंगे? लेकिन इसकी कहीं चिंता नहीं।

**श्री सभापति**: चलिये अब आप, आदरणीय सदस्य, आप कनक्लूड करें, प्लीज।

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): एक मिनट। तो इस प्रकार मेरा निवेदन है माननीय सभापति महोदय, इस सरकार से कि अपने इस बजट पर जब माननीय मुख्य मंत्री उत्तर दें तो तो इन बिन्दुओं का समावेश करके कुछ जनता को राहत प्रदान करें, यही निवेदन करते हुए आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री सभापति**: श्री महेन्द्र चौधरी ।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): सभापति महोदय, बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बहस हो रही है, कम से कम सरकार की तरफ से सरकार के काबीना मंत्री तो एक-दो रहने चाहिए न। एक भी नहीं है। आप देखिये, सरकार कितनी गम्भीर है इस बजट के बारे में। कितने मौलिक सुझाव आ रहे हैं, पर एक भी नहीं है।

**श्री महेन्द्र चौधरी** (नावां): अब विराजो, आप विराजो।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): आप मुख्य सचेतक महोदय को निर्देश दीजिये कि जाकर बुलाएं उनको।

**श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'** (राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क): स्टेट मिनिस्टर बैठे हैं, हम दोनों को मिलाकर एक कैबिनेट मान लो आप।

**श्री सभापति**: मंत्री महोदय, विराजें आप।

**श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'** (राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क): दो को मिलाकर एक कैबिनेट मान लो।

**श्री सभापति**: सम्माननीय सदस्य, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, दस मिनट आप पर्याप्त मानते हैं या..

**श्री महेन्द्र चौधरी** (नावां): नहीं, सर।

**श्री सभापति**: पन्द्रह मिनट में आप करें।

**श्री महेन्द्र चौधरी** (नावां): ठीक है। सभापति महोदय, 8 जुलाई, 2009 को राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने प्रथम बजट, परिवर्तित बजट पेश किया था, उसके बाद अभी 9 मार्च को दूसरा बजट पेश किया है। 9 मार्च से लेकर आज तक पक्ष के और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का इस बजट के विषय में जो वाद-विवाद चल रहा है, उसको हम लोग बड़े गौर से सुन रहे हैं। मैं इस बजट के पक्ष में अपनी बात कहने के लिए सदन के अन्दर खड़ा हुआ हूं उसके लिए आपने मुझे जो समय दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस प्रदेश की, देश की धरती के ऊपर आज भी अस्सी प्रतिशत किसान बिजली के ऊपर आधारित हैं, कृषि के ऊपर आधारित हैं। सरकार ने चाहे अपने घोषणा पत्र में हो, चाहे अपने बजट में हो, किसान की बात को अगर गम्भीरता के साथ रखा है, किसान की बात का पूरा ध्यान रखा है तो उसको आगे जाकर किसी भी प्रकार का कोई पछतावा नहीं है। इस बजट में मैं प्रतिपक्ष के साथियों को सुन रहा था, किसान के हित में मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट के अन्दर जो घोषणाएं की हैं, उनके प्रति उनकी किसी प्रकार की कोई चिंता न होना इस बात का तथ्य प्रमाण करता है कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने इस बजट के अन्दर किसान को जो चाहिए वह सब कुछ दिया है। मैं नमन करता हूं उस धरती पुत्र को जो इस धरती का सीना चीर कर तपती धूप के अन्दर गेहूं पैदा करता है, अनाज पैदा करता है और एक झोंपड़ी में रह कर इस जगत का अन्नदाता वह कहलाता है। इस जगत को अनाज खिलाता है और कुछ बचा-खुचा अपने बच्चों को खिलाता है। उस किसान के हित की बात बजट के अंदर होनी चाहिए। मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट के अंदर किसान को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए खराबे के आधार के ऊपर मुआवजा देने की बात इस बजट के अन्दर रखी है। 2009 में भी मुख्य मंत्रीजी ने ये बात कही थी

(श्री महेन्द्र चौधरी)

**(समय : 20.20 बजे)**

**(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)**

कि अगर एकमुश्त किश्त जमा करा देगा कोई काश्तकार तो उसका पूरा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। यह किसान के हित के अन्दर एक निर्णय है। मेरे से पूर्व में बोल रहे थे, उस बात को मैं कोट करना चाहता हूं, शेरगढ़ से आने वाले सदस्य, उन्होंने कहा था। पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रतिपक्ष के अन्दर कांग्रेस थी और कांग्रेस ने आवाज उठाई थी तब जाकर पिछली सरकार ने मुआवजा दिया था। लेकिन इस सरकार के अन्दर प्रतिपक्ष को कहने का किसी भी प्रकार का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इस बात का प्रावधान इस बजट के अंदर स्पष्ट रूप से रखा गया है। माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी, गुलाब चन्द कटारियाजी दो वरिष्ठ माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का 2003 का यह घोषणा पत्र आपको दिखाना चाहता हूं। 9 सदस्य आपके इस चुनाव घोषणा पत्र की समिति के अन्दर थे, जिसमें तीसरे नन्दलालजी मीणा, तीन अभी मौजूद सदस्य हैं। आप ईमानदारी के साथ में कह दीजिए, कोई किसान नकली धोती और नकली साफा बाँध कर आने से किसान नहीं कहा जा सकता। आपने 61 घोषणाएं इस घोषणा पत्र के अन्दर की हैं, प्रथम घोषणा जो आपने इस बजट के अन्दर की है, मैं आपको बताना चाहता हूं 175 करोड़ के किसान कल्याण कोष की घोषणा और 250 करोड़ के किसान सहायता कोष की घोषणा। आप खड़े होकर बता दीजिए पांच साल के अन्दर आपकी यह घोषणा किसी भी प्रकार लागू हुई हो तो। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान को गुमराह किया गया है। पांच साल पहले जो बजट पेश किया जाता था वह महलों के कंगूरों में बैठकर पेश किया जाता था और आज जो बजट पेश किया गया है ये झोंपड़ी और किसान के घर का बजट माना जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, बिजली के मामले में हमारे मुख्य मंत्री जी ने सबसे पहले ये घोषणा कर दी थी कि पांच साल तक किसानों का किसी भी प्रकार का बिजली का बिल नहीं बढ़ाया जाएगा। इस बजट के अन्दर भी 6 घंटे लगातार बिजली का प्रावधान हो, चाहे 65 हजार नए कृषि कनेक्शन का हो, चाहे इस प्रदेश की जनता को 320 33 के.वी. के नए जी.एस.एस. देने का प्रावधान हो, यह ध्यान में रखा गया है। बिजली के क्षेत्र में इससे पहले भी जब मुख्य मंत्रीजी रहे थे 1998 में, 1750 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का अगर पांच साल के अन्दर किसी सरकार

(श्री महेन्द्र चौधरी)

का रिकार्ड है तो वह अशोकजी गहलोत की सरकार का है। पिछली सरकार ने एक फूटी कौड़ी बिजली उत्पादन नहीं किया जिसकी वजह से आज फिर परेशानी आ गई है। लेकिन बिजली के लिए सरकार पूरी तरह कृत संकल्प है, यह मैं आपको कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम सरकार से ये चाहूंगा काश्तकारों के हित के अन्दर कि जो सुपर ट्रांसफार्मर जल जाते हैं उनको लाने- ले जाने का जो खर्चा काश्तकार पर पड़ता है, वह काश्तकार से न लिया जाकर सरकार अपने आप ये वहन करे।

जल नीति बनाई गई है, आप लोगों का भी सहयोग मांगा गया है। आप लोगों के भी सुझाव मांगे गये हैं जल नीति के अन्दर। पिछली आपकी भी सरकार थी, जब जल मांगा जाता था तो गोलियां चलती थीं चाहे सोहेला के अन्दर हो, चाहे घड़साना के अन्दर हो, चाहे रावला में हो। आपके पूर्व सिंचाई मंत्री यह कहा करते थे कि जो आएगा वह जाएगा। इस प्रकार की बातें पिछली सरकार के अन्दर कहीं जाती थीं। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने इस बजट सत्र के अन्दर उस वाटर टैंकर का जो रोज परिवहन का कार्य करता है, वैट घटाकर 14 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दिया, उसका भी हम बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। जल नीति में यह भी घोषणा कर दी गई है कि टैंकर से हो, चाहे हैण्डपम्प से हो, चाहे नए ट्यूबवैल से हो, जहां पर भी पानी उपलब्ध है, ये सरकार हर व्यक्ति को पानी पिलाएगी।

चिकित्सा के मामले में मुख्य मंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के अन्दर बीपीएल, स्टेट बीपीएल और एड्स पीड़ित व्यक्तियों का जो इलाज नि:शुल्क किया जाता था, उसके अन्दर वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन वालों को भी शामिल कर लिया गया है। यह भी इस सरकार की उपलब्धि है। 150, 108-एम्बुलेंस, 1 हजार नए उप स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण, और सबसे ज्यादा धन्यवाद कटारियाजी ने मुख्य मंत्री को दे चुके हैं इसके लिए कि मुख्य मंत्रीजी ने बीपीएल के लिए जो 4 रुपए 70 पैसे किलो गेहूं था, उसको 2 रुपए कर दिया है यह बहुत बड़ी उपलब्धि है राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी की। नरेगा योजना के अंदर 250 से लेकर 2500 का जो रोजगार दिया जाता था, उसको 3500 के ऊपर कर दिया गया है, यह भी एक उपलब्धि है।

पहले भी जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं, शिक्षा के अन्दर अव्वल रही हैं। हिन्दुस्तान के महान प्रधान मंत्री रहे हुए राजीव गांधीजी के नाम से अशोक गहलोतजी ने हज़ारों पाठशालाएं इस प्रदेश के अंदर खोली थीं, लाखों बेरोजगार

(श्री महेन्द्र चौधरी)

व्यक्तियों को रोजगार लगने का मौका मिला था। आज यह कहते हैं कि स्कूलों को क्रमोन्नत नहीं किया। आप लोगों ने बहुत स्कूलें क्रमोन्नत कर दी थीं झूठी वाहवाही लेने के लिए, लेकिन उन स्कूलों का सत्यानाश कर दिया। उनमें अध्यापक नहीं लगाये जिसकी वजह से आज हम लोगों को परेशानी हो रही है। यह सरकार शिक्षा के मामले में भी सब कुछ करना चाहती है। इसके अलावा बालिका शिक्षा के अन्दर 10वीं क्लास में प्रथम श्रेणी में आयी जो छात्रा है, उसको स्कूटी दी जाती है। उसको 12वीं में 65 प्रतिशत लाने पर स्नातक में प्रवेश लेने पर 20 हजार रुपए, सैकिण्ड में 10 हजार फिर थर्ड, यह भी प्रावधान किया गया है। 10वीं की मैरिट में आने वाली प्रथम तीन छात्राओं को डीग से आने वाले माननीय सदस्य कल यहां कह रहे थे, मैं सुन रहा था, कि विदेश में कौन भेजेगा? उनको यह ध्यान में रखना चाहिए कि आज ऑस्ट्रेलिया की आबादी एक करोड़ है, उसमें 4 लाख भारतीय रहते हैं और उसमें से डेढ़ लाख भारतीय छात्र वहां पढ़ने के लिए जाते हैं। हमारे छात्र जाते हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, यह भी ध्यान में रहना चाहिए। बजट को लेकर अगर किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो अल्पसंख्यकों को जो सरकार ने दिया है, उसकी वजह से तकलीफ आपको हो सकती हैं, मैं मानता हूं। शैक्षणिक स्तर को ऊँचा करने के लिए मदरसा बोर्ड के विद्यालयों में 2500 अतिरिक्त शिक्षा सहयोगियों की घोषणा हुई हैं इस बजट के अन्दर, आप लोगों की सरकार ने, तिवाड़ीजी, जब आपकी राजस्थान के अन्दर सरकार थी, आपने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लाने का प्रयास किया था। गवर्नर ने उस विधेयक को लौटा दिया था, आपने दुबारा भी लाने का प्रयास किया था। आपने उस धर्म के अन्दर क्या बात कही? कि मुसलमान तो हिन्दू धर्म ग्रहण कर सकता है लेकिन हिन्दू मुसलमान धर्म ग्रहण नहीं कर सकता? ये भावनाएं आप लोगों की रही हैं। इसलिए आपको अल्पसंख्यकों के ऊपर जो दिया हुआ बजट है, वह पसंद नहीं है। मुख्य मंत्रीजी ठीक कहते थे बजट भाषण के दौरान, बात आप लोगों के सामने है, आप उठा कर देख लें कि राम के नाम के आप लोग कितने बैठे हैं और इधर कितने बैठे हैं। आप लोगों को सामने पता लगा जाएगा कि एक दो इधर होंगे और बाकी सारे के सारे इधर मिलेंगे। मनोरंजन कर मुक्त कर दिया गया है। आप लोग हेमा-मालिनी को लाते थे 25 लाख रुपए देकर, सूचना के अधिकार के तहत हमने रिपोर्ट ले रखी है, यह भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और तो और, आपको धन्यवाद देना चाहिए उस दीर्घा में बैठने वाले पत्रकार बंधुओं के लिए जो आपको छापते हैं, हमें छापते हैं पूरे प्रदेश के

(श्री महेन्द्र चौधरी)

अन्दर, इस प्रदेश की 6 करोड़ जनता को मैसेज देते हैं कि इस विधान सभा के अन्दर क्या हुआ था, मुख्य मंत्रीजी ने पत्रकार कल्याण के लिए नगरपालिकाओं में रियायती दरों पर भूखण्ड दिये हैं। आपका एक भी सदस्य उसकी तारीफ नहीं कर पाया। कम से कम उसके लिए आप लोगों को तारीफ कर देनी चाहिए सच्चे मन से अनुदानित शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा था, इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी, उनको भी ले लिया गया है। खेल में भी प्रोत्साहन दिया गया है और शराब की जो संस्कृति पिछली सरकार के अन्दर थी, शराब का 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का जो समय होता था, इस सरकार ने उसका समय...

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

सभापति महोदय, बस पाँच मिनट। 10 बजे से लेकर 8 बजे तक समय कर दिया गया है। आपके समय में युवा शक्ति शराब पीने से कमजोर हुई। मंदिरों, मस्जिदों के पास में आपने शराब की दुकानें खोलीं। आपकी मुख्य मंत्री उसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिख रही हैं हर बच्चे को एक गिलास दूध पिलाना चाहिए और पास में शराब है। उसका बाप अगर दारु पी रहा है तो बच्चा कैसे दूध पिएगा, यह भी आप लोगों को सोचना चाहिए।

पशुपालन के अन्दर इस सरकार ने बहुत किया है। हम नागौर के रहने वाले हैं, नागौर का बैल वर्ल्ड में फैमस हैं, मेले भरते हैं, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा होती है। हमारे किसान का बैल उसका रोजगार है, उसकी आजीविका है। तीन साल के बछड़े पर अगर रोक लगाने का किसी को श्रेय है तो आप लोगों को है। आन्ध्र-प्रदेश, यूपी, मध्यप्रदेश में वह बैल जाता था, गेहूं की खेती होती थी। क्योंकि वहां पर पानी की इतनी मात्रा रहती है कि वहां ट्रैक्टर नहीं चलाये जा सकते। गुमानमल लोढ़ा की उसमें आपने कमेटी गठित की थी, कोर्ट में आपने स्टे कराया। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, उसमें दखल करके तीन साल के बछड़े को वापस बेचने की परमिशन दी जाए। मैं प्रतिपक्ष के साथियों से यह कहना चाहता हूं कि अशोक गहलोतजी ने राजस्थान में बजट पेश किया है। यह वही अशोक गहलोत है जिसने 1998 के अन्दर इस प्रदेश की जनता को लगातार 11 महीने तक अकाल राहत का कार्य दिया था। ये वही अशोक गहलोत हैं जिन्होंने मजदूर को काम दिया था और उस मजदूर का एक साल तक गेहूं खतम नहीं हुआ था। आज भी वो धन्यवाद

(श्री महेन्द्र चौधरी)

देना चाहता है अशोक गहलोत साहब को। निजी मकान, निजी टांकों का निर्माण हुआ था। विपक्षी लोग कहा करते थे कि अशोक गहलोतजी के राज में लोग भूख से मरेंगे। मुख्य मंत्रीजी ने यह बात कही थी कि भूख से मरना तो दूर की बात भूखा सोने नहीं दूंगा। यह भी घोषणा करने वाले अशोकजी गहलोत थे। याद कर लो प्रतिपक्ष के साथियों, ये वही अशोक गहलोत हैं जिन्होंने प्रवीण तोगिड़या को जेल की सलाखों के अन्दर डाला था । यह भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि त्रिशूल बांट कर धर्म के नाम पर जो लोगों को भड़काने के लिए आया था उसको जेल में डाला था, यह भी अशोकजी गहलोत के टाइम पर हुआ था। पहले आपकी महारानी कलक्टर को बुलाकर डांटती थी, आज के मुख्य मंत्री को कलक्टर को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, सम अप करें।

**श्री महेन्द्र चौधरी** (नावां): सी.एम. का ओ.एस.डी. अगर कह देता है कलक्टर को कि मुख्य मंत्रीजी नाराज हैं तो निश्चित रूप से वो कलक्टर अपने आप समझ जाता है कि किस प्रकार की भावना है। मैं ज्यादा आपसे नहीं कहना चाहता, लेकिन, सभापति महोदय, आपने जो समय दिया उसमें मैं यही कहना चाहता हूं कि एससी/एसटी/ओबीसी, गरीब मजदूर और समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का अगर भला करने वाला बजट है तो यह जो मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया, यह बजट है।

**श्री सभापति**: श्री रामहेत सिंह यादव।

**श्री महेन्द्र चौधरी** (नावां): नागौर जिले के अन्दर क्या मिला? नागौर के अन्दर दस छोटे कस्बों में स्थित तालाबों का राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के सहयोग से दिया है। और ...

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजें।

**श्री महेन्द्र चौधरी** (नावां): इसके अलावा चार करोड़ का वहां जवाहर लाल चिकित्सालय बनेगा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सभापति महोदय, इस बजट को पूर्णतया किसान हित में, युवा के हित में, अल्पसंख्यक, एससी/एसटी और आदिवासी, सभी के हित में मानता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री सभापति**: यादव साहब, 8 मिनट के अन्दर सम अप करेंगे आप।

**श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़बास): माननीय महेन्द्रजी को तो आपने 27 मिनट दिये।

**श्री सभापति**: नहीं, वो एक-दो मिनट ही आगे-पीछे हुआ है। आप आठ मिनट का..

**श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़बास): सभापतिजी, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? उनको तो 28 मिनट दिये, आप मुझे 18 मिनट तो दें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): सभापति महोदय, आप विक्रमादित्य के आसन पर विराजे हैं तो समानता का व्यवहार करें। सभी माननीय सदस्य समान हैं, अगर एक माननीय सदस्य को आप बीस मिनट-पच्चीस मिनट देंगे तो दूसरे सदस्य का भी अधिकार है, वो भी अपनी बात कहेगा।

**श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़बास): 28 मिनट दिये हैं, रिकार्ड देख लें। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे 18 मिनट तो देंगे, साहब।

**श्री सभापति**: टाइमबाउंड चलेंगे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): नहीं, अगर आपने समानता का व्यवहार नहीं किया तो कौन मानेगा सभापति महोदय?

**श्री सभापति**: बिलकुल समानता है।

**श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़बास): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण के आखिरी पैरे में लिखा है कि यह बजट सुशासन की दृष्टि से सेवाओं के स्तर पर व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए बनाया गया है। समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और नि:शक्तजनों, अल्पसंख्यक एवं महिलाओं के कल्याण हेतु जो योजनाएं संचालित की जाएंगी, इनका पूरा लाभ इन वर्गों को मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यह कथन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा बजट के समय। मैं दो-चार बात इस बजट पर कहना चाहता हूं। पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किसानों को नब्बे हजार कनेक्शन देने की बात कही थी, लेकिन इसमें स्वयं माना है कि नब्बे हजार कनेक्शन में से चौंसठ हजार कनेक्शन ही दिये गये। छब्बीस हजार कनेक्शन जो पिछले बजट में किसानों को मिलने चाहिए थे, वो घोषणा पूरी नहीं हुई। उसमें अब की बार छब्बीस हजार जो बाकी हैं वो और जोड़ कर 65 हजार कनेक्शन देने की घोषणा की है, यह कैसे किसान का हितैषी बजट हो सकता

(श्री रामहेत सिंह)

है। नावां से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह किसानों का हितैषी बजट है, मैं कहना चाहता हूं कि किसान के खेत में बिजली नहीं है, किसान का ट्रांसफार्मर फुंक जाए तो उसको तीन-तीन महीने इस सरकार में इन्तजार करना पड़ता है। एक सूची मेरे पास है, दो विधान सभा क्षेत्र- मेरे किशनगढ़बास विधान सभा क्षेत्र और मेरे पड़ोस का तिजारा विधान सभा क्षेत्र जहां से आने वाले माननीय सदस्य कैबिनेट में मंत्री हैं, अक्टूबर, 2009 के बाद जो एफआईआर किसान ने दर्ज करायी हैं थानों में, उनकी संख्या 147 है जो इस बात का द्योतक है कि किसान का ट्रांसफार्मर चोरी हुआ। उसकी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी और एक भी ट्रांसफार्मर पुलिस से बरामद नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, कि ये एफआईआर एक ट्रांसफार्मर की नहीं है 20 तारीख के बाद पुलिस में कोई जाता है तो कहते हैं कि चार-पाँच और चोरी हो जाने दें, उसके बाद में आ जाना, इकट्ठी एफआईआर दर्ज करेंगे। कहने का मतलब है कि दो विधान सभा क्षेत्रों में लगभग चार सौ ट्रांसफार्मर्स किसानों के चोरी हुए और तीन-तीन महीने तक उनको ट्रांसफार्मर बदल कर नहीं दिये गये, यह किसानों की हितैषी सरकार कैसे हो सकती है, यह सदन में विचार करने की बात है।

मैं बताना चाहता हूं, किसानों को जहां बिजली की बात है, मात्र चार घंटे से छह घंटे तक थ्री फेस की बिजली मिलती है और नौजवान जो गांव में पढ़ने वाले हैं, उनको तो अब सरकार की नीति। है कि 6 बजे से 10 बजे तक ही बिजली मिलेगी। सिंगल फेस के ट्रांसफार्मर की अलवर जिले की हालत यह है कि 17 जनवरी के बाद जिसका ट्रांसफार्मर जलाया, आज तक उसको नहीं बदला गया। गांव में रहने वाले गरीब किसान का बेटा कैसे डाक्टर और इंजीनियर बन सकता है जिसके परीक्षा के दिनों में दो-दो महीने तक गांव में लाइट नहीं जलती ये किसान हितैषी बनने वाली सरकार है? पिछले बजट में जितनी घोषणाएं की थीं, माननीय मुख्य मंत्रीजी उन कम्पलीट किसानों को कनेक्शन देते तो ये निश्चित रूप से अब जो घोषणा हुई है उस पर हम विश्वास कर सकते थे।

सवाईमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत जोर-जोर से कहा। पिछली बार भी बजट में रखा और इस बार एक छात्रावास की जयपुर में घोषणा की है, उसकी वाहवाही कर रहे हैं। अच्छा होता, माननीय सदस्य और माननीय मुख्य मंत्री पिछली योजनाओं को देख

(श्री रामहेत सिंह)

लेते कि हमने अल्पसंख्यकों को क्या दिया। पिछली बार मेवात विकास बोर्ड में जो राशि दी गई थी, उसकी अगर हम जानकारी करें तो 427 लाख रुपये अलवर जिले को मिले थे। अलवर जिले को जो राशि अलाट की थी मेवात विकास बोर्ड की, उसमें से 18 प्रतिशत राशि अब तक खर्च हुई है। 31 जनवरी तक सिर्फ 18 प्रतिशत राशि खर्च हुई है। मुख्य मंत्री अपना बजट बनाते समय इस बात का विचार कर लेते कि अल्पसंख्यकों के हित के लिए जो मेवात विकास बोर्ड को राशि दी है, वो पूरी खर्च नहीं हुई । एक बात और कहना चाहता हूं कि उससे पहले वसुन्धराजी ने अपना बजट पेश किया, उसमें 11 करोड़ रुपये रखे थे और हमारे राज में 59.4 प्रतिशत राशि मेवात विकास बोर्ड की हमने खर्च की थी। एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी माननीय वसुन्धराजी ने बजट पेश किया था 2008-09 में, उस समय मेवात विकास बोर्ड ने अलवर और भरतपुर जिले में 16 बालिका आवासीय विद्यालय खोले थे। वो आवासीय विद्यालय पच्चीस-पच्चीस लाख रुपये की लागत से बने हुए हैं, अच्छा होता, मुख्य मंत्रीजी यह घोषणा करते कि अल्पसंख्यक बालिकाओं को पढ़ने के लिए वो विद्यालय चालू कर दिये गये हैं। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन को कि एक भी आवासीय विद्यालय जो अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए खोला गया था, भवन बना हुआ है, आज तक एक भी चालू नहीं किया गया है। अगर इसकी समीक्षा कर लेते तो अच्छा होता। तो यह कैसे अल्पसंख्यक समुदाय की हितैषी सरकार हो सकती है? एक बात और बताना चाहता हूं, कि पहले भारतीय जनता पार्टी का राज था उस समय मेवात विकास बोर्ड में 343 लाख रुपये छोड़ कर गये थे अलवर भरतपुर के लिए, लेकिन बैलेंस में बताया गया है पिछला 257 लाख रुपये। 81 लाख रुपया मेवात विकास बोर्ड का जो मेवात क्षेत्र के अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए खर्च होना चाहिए था, उसका कोई हिसाब-किताब नहीं है कि उस मद को कहां खर्च कर दिया।

पेज नंबर 30 पर स्वयं रोजगार स्थापित करने हेतु दस हजार गैर अनुदानित महिला एवं स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने की बात कही है। ये ऋण स्वीकृत करके भेज दिये जाते हैं, लेकिन वित्तीय संस्थाएं इनको ऋण देती हैं या नहीं, कोई नहीं जानता। एससी, एसटी की जहां तक बात है, मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में एससी, एसटी के 60-60 लाख के दो आवासीय छात्रावास स्वीकृत हैं लेकिन राज्य सरकार से एक साल गुजर जाने के बाद भी आज तक उनको भूमि अलाट नहीं हुई। बीपीएल के लिये सब लोगों ने कहा

(श्री रामहेत सिंह)

कि गेहूं सरकार ने सस्ता किया है, मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि आप गरीब को सस्ता गेहूं खिला देंगे लेकिन अगर उसके रोजगार की व्यवस्था नहीं करेंगे या उस पर मानिटरिंग नहीं करेंगे तो उसके साथ अन्याय होगा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है जिसमें सिर्फ बीपीएल लोगों को ही ऋण मिलता है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, खैरथल नगरपालिका क्षेत्र में 46 का लक्ष्य दिया था और बैंकों ने जो रिपोर्ट दी है- 2 लाख रुपये उस परिवार को ऋण मिल सकता है जिसमें 25 प्रतिशत सब्सिडी है, पीएनबी बैंक ने 40-40 हजार रुपये ऋण स्वीकृत किया, यूको बैंक ने भी 40-40 हजार रुपये 4 एप्लीकेशन पर स्वीकृत किया लेकिन 30-30 हजार रुपये की उसमें एफडी कर दी गई। क्या सम्भव है कि जिसको 40 हजार रुपये लोन मिले और बैंक उसकी एफडी 30 हजार रुपये की कर दे? मात्र 10 हजार रुपये में वह गरीब कैसे गुजारा करेगा? एसबीबीजे ने भी यही हाल किया। पोप योजना थी बीपीएल परिवार के लिये हैं उनको एक पैसा भी नहीं दिया गया। अगर हमने बीपीएल परिवार की नौकरी की चिंता नहीं की तो निश्चित रूप से उनके साथ अन्याय होगा। मैं दो- तीन बातें और कहना चाहता हूं।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य समाप्त करो।

**श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़बास): पांच मिनट तो देंगे, साहब।

**श्री सभापति**: नहीं पांच मिनट नहीं, आपके समय से भी काफी ज्यादा मैं समय दे चुका हूं, अब आप समाप्त करो।

**श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़बास): 18 मिनट तो बोलने देंगे, साहब।

**श्री सभापति**: नहीं, 18 मिनट नहीं । माननीय सदस्य, फिर आप सुबह 6 बजे तक के लिये तैयार रहो। आप डिमांड पर बोल लेना।

**श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़बास): राइट टू एजुकेशन की आपने बात कही है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में 109 विद्यालय हैं जिसमें से 23 भवन रहित हैं। रसोई 102 में नहीं है, पीने का पानी 28 में नहीं है, चार दीवारी 84 में नहीं है। एक माननीय सदस्य ने शिक्षा में समानीकरण की बात कही, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, एक स्कूल जो अलवर में है उसमें 53 तो बालक हैं और 34 अध्यापक हैं। 62 लाख रुपये साल का उसका खर्चा आता है। एक बालक पर 1.17 लाख रुपये का साल का खर्चा आता है। सरकार को चिंता करनी चाहिये, गांव के स्कूल में अध्यापक नहीं हैं, खाली पडे हैं और शहर में भर रखे हैं। समानीकरण की बात खाली ढकोसला है।

(श्री रामहेत सिंह)

तीन-चार बातें मैं और कहना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में अवैध खनन होता है और इस स्तर तक होता है कि जहां पर हरित राजस्थान की कल्पना नहीं कर सकते। अगर अवैध खनन नहीं रोकेंगे तो जो पेड़ लगे हुए हैं उनका क्या होगा? पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नीमराना को ग्लोबल सिटी और ग्रेटर भिवाडी का सपना अलवर जिले को दिया था। मैं कहना चाहता हूं कि नेशनल पोल्यूशन बोर्ड ने 88 औद्योगिक क्षेत्रों की जांच कराई उसमें भिवाडी प्रदूषण के मामले में देश में 8वें नंबर पर है। भिवाड़ी में नेशनल पोल्युशन बोर्ड ने प्रतिबंध लगा दिया है कि एक भी उद्योग को एनओसी नहीं दी जाए। यह अलवर जिले के साथ अन्याय है। इसकी चिंता कौन करेगा। बजट में इस बात की चिंता होती कि यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई, इतना पोल्यूटेड कैसे हो गया। ग्रेटर भिवाड़ी की बात करने वाली सरकार ने इस बजट में एक भी पैसा भिवाड़ी के विकास के लिये नहीं लगाया । मैं कहना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र खैरथल में बालिका महाविद्यालय खुले। बूढी बावल में प्राथमिक स्वास्थ्य सेंटर खुले।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य ।

**श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़बास): कोटकासिम में सब डिवीजन हैड-क्वार्टर है वहां मुंसिफ कोर्ट की आवश्यकता है। खैरथल में 132 जीएसएस खुले। यही बात करते हुए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से आपके माध्यम से आग्रह करुंगा कि मेरे क्षेत्र की जो समस्याएं मैंने लिखवाई हैं, जो विकास के कार्य लिखवाये हैं उन पर विचार करें, गौर करें और बजट में व्यवस्था करें। यह बजट किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, बीपीएल विरोधी है, दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है मैं इस बजट की घोर निंदा करता हूं, धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्रीमती कान्ता भील।

**श्रीमती कान्ता गरासिया** (गढ़ी): सभापति महोदय, आपकी अनुमति से सदन में मुख्य मंत्रीजी द्वारा रखे हुए बजट पर मैं अपना पक्ष रखना चाहती हूं। सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राज्य के सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए 23822 करोड रुपये का बजट प्रस्तावित किया है। इस बजट में सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है। इस बजट ने यह साबित कर दिया है कि यह सरकार आम आदमी की सरकार है और यह बजट आम आदमी का बजट है। सभापति महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी बहुत ही संवेदनशील हैं, हमारी सरकार संवेदनशील है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में निःशक्त जनों, असहायों, वंचितों और उपेक्षित वर्गों का ध्यान रखा है।

(श्रीमती कान्ता गरासिया)

सभी के हितों का इसमें समावेश किया है। सभापति महोदय, अभी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य मजाक में ले रहे थे। लोग कहते हैं माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी को कि यह जादूगर हैं। मैं कहती हूं, बेशक जादूगर है। इसलिए कि जादुई शक्ति से इस राज्य की गरीब, पीड़ित, असहाय, वंचित और उपेक्षित जनता का उन्होंने ध्यान रखा। जनता के आशीर्वाद से, उपेक्षित और पीडित वर्ग के आशीर्वाद से माननीय अशोक गहलोत, मुख्य मंत्रीजी को वह शक्ति मिली कि इन्होंने सरकार भी बनाई, सरकार में बहुमत भी साबित किया और जनता के हित में बजट भी यहां पर प्रस्तुत किया जिसका आपके पास जवाब नहीं है। सभापति महोदय, लोहे जैसी कठोर धातु को गरीब की आह और पशु की खाल भस्म कर देती है लेकिन गरीब का आशीर्वाद माननीय गहलोत जी को मिला और उन्होंने गरीब के हित में इस बजट में प्रावधान किये तो मेरे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिये।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में महिलाओं और बालिकाओं के विकास का, उनके हितों का बहुत ध्यान रखा है। हमारे प्रतिपक्ष की माननीय सदस्या कह रही थीं कि इसमें बालिकाओं, महिलाओं के लिये कोई प्रावधान नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि शिक्षा एक ऐसी चाबी है जो विकास के सारे दरवाजे खोल देती है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बालिका शिक्षा को बढावा देने के लिये, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये प्रियदर्शनी पुरस्कार का जो प्रावधान किया है, इससे नि:संदेह बालिकाओं में शिक्षा के प्रति होड़ मचेगी। इस पुरस्कार को पाने के लिये स्पर्द्धा आएगी और निश्चित तौर पर बालिकाएं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी।

माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में टीएसपी क्षेत्र के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया था और इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उससे बढ़ाकर 124 करोड़ का जो प्रावधान किया है, राशि बढ़ाई है उसके लिए हम दक्षिणी राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र के सभी लोग माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि जो बजट हमें टीएसपी के लिए दिया गया है वह हमें पूरा-पूरा मिले और पूरी की पूरी राशि खर्च भी हो। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में विधवाओं, विकलांगों, इन सबकी पेंशन

(श्रीमती कान्ता गरासिया)
बढ़ाई, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं, स्वागत करती हूं। लेकिन विधवा की पेंशन के संबंध में मेरा निवेदन है, मेरा सुझाव है कि विधवा पेंशन में किसी तरह की कोई शर्त नहीं होनी चहिये। बालिग बेटा या अन्य किसी तरह की इसमें शर्त नहीं हो। विधवा सिर्फ विधवा होती है और उस आधार पर उसे आजीवन पेंशन दी जानी चाहिए, इस सदन के मार्फत मेरी यह मांग है।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्थानान्तरण की जो नीति बनाई उसका मैं स्वागत करती हूं। सरकार चाहे कितनी भी कल्याणकारी योजनाएं बनाए, कानून बनाए लेकिन उसकी क्रियान्विति नौकरशाही करता है। सभापति महोदय, सरकार की सफलता जवाबदेह प्रशासन पर निर्भर करती है, यदि कर्मचारी स्थानान्तरण के भय से मुक्त हो तो अधिक जवाबदेही के साथ में कार्य कर सकता है। पूर्ववर्ती सरकार में कर्मचारी स्थानान्तरण के भय से इतना भयभीत था कि सुबह समाचार पत्र के लिए जब दरवाजा खोलता तो उसके मन में यह आशंका बनी रहती थी कि कहीं दरवाजे पर मेरे ट्रांसफर का लिफ़ाफ़ा तो नहीं पड़ा। सभापति महोदय, आज हमारी सरकार का इतना कार्यकाल हुआ लेकिन कोई भी इस स्थानान्तरण से पीड़ित नहीं हुआ और न किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ। आज के इस अवसर पर मैं सभी विपक्ष के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहती हूं कि आप सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना नहीं करें। इस बजट की आलोचना करके विपक्ष ने इस बजट को अब तक का सबसे घटिया बजट बताया है, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आलोचना के साथ-साथ समालोचना भी करें, उसकी अच्छाइयों को भी उजागर करें, अच्छाइयों के लिए पीठ भी थपथपाएं। पूर्ववर्ती सरकार ने आपसी झगड़े करवाकर राज किया और आज भी उससे बाज नहीं आ रहे। यहां सदन में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य कालीचरणजी ने यह कहा था कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किसानों के साथ में वादा खिलाफी की , बिजली का बिल बढ़ाकर वादा खिलाफी की, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि किसानों का बिल नहीं बढ़ाने का मुख्य मंत्रीजी ने वादा किया था, लेकिन और किसी तरह के बिल का वादा नहीं किया था। मैं आपको निवेदन करना चाहती हूं कि ए.सी. और फ्रीज चलाये बिना काम चल सकता है, लेकिन अन्न का उत्पादन किये बिना काम नहीं चल सकता। आज माननीय सदस्य दो घंटे तक यहां पर इंतजार नहीं करते और सदन के बहिष्कार के बहाने दो घंटे में जाकर नाश्ता करते, किसानों से ज्यादा आपको आवश्यकता पड़ती है अन्न की।

**श्री सभापति**: समाप्त करिये, माननीय सदस्या।

**श्रीमती कान्ता गरासिया** (गढ़ी): सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि सरकार को संसाधन जुटाने का अथक प्रयास करना चाहिये, लेकिन उपलब्ध संसाधनों का बंटवारा भी समान रूप से हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है क्योंकि प्रजातंत्र में सरकार सभी की होती है। एक सम्पन्न व्यक्ति ए.सी. में रहेगा और एक गरीब को लट्टू जलाने का अधिकार नहीं रहेगा, क्या इस संतुलन पर नियंत्रण की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाबदेह शासक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई, जिसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करती हूं।

**(समय-समाप्त-सूचक घंटी)**

सभापति महोदय, सभी ने बहुत सारा समय लिया, मैं निवेदन करना चाहती हूं हम तो उपेक्षित और पिछड़े हुए क्षेत्र के लोग है..

**श्री सभापति**: डिमांड्स पर बोलना।

**श्रीमती कान्ता गरासिया** (गढ़ी): हमको तो अवसर नहीं दिया जाता। मेरी बात को यहां पर पूरे तरीके से रखने का मुझे अवसर दिया जाए।

**श्री सभापति**: नहीं अब समाप्त करो, माननीय सदस्या।

**श्रीमती कान्ता गरासिया** (गढ़ी): माननीय मुख्य मंत्री जी ने जलनीति बनाई और सुझाव आमंत्रित किये। आज पूरा राजस्थान बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहा है और हमको आश्चर्य होता है क्योंकि हमारे जिले में माही डैम में अपार जलराशि संचित है। सभापति महोदय, उस परियोजना को समाप्त किया जा रहा है, उस पर ताले लगाये जा रहे हैं। माही परियोजना से सिर्फ 30 प्रतिशत हिस्सा सिंचित हो रहा है, शेष भूभाग आज भी सूखा पड़ा है और पानी की बाट जोह रहा है। सूखे एरिया को तो छोड़ दें, सिंचित एरिया की भी हालत खराब है। आज से लगभग 25 साल पहले  जो नहरें बनी थीं, उन नहरों के रख-रखाव के लिए किसी भी तरह से एक भी रूपया खर्च नहीं किया गया। उसके पानी के रिसाव से वहां की उपजाऊ जमीन ऊसर होती जा रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से...

**श्री सभापति**: माननीय सदस्या, समाप्त करें।

**श्रीमती कान्ता गरासिया** (गढ़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यानाकर्षित करना चाहती हूं कि उस क्षेत्र में जो पानी से खराबा हो रहा है और जो सूखा एरिया पड़ा है उसके लिए भी इस बजट में प्रावधान किया जाए। हम लोगों को सर्वे के लिए  वहां पर पैसा दिया। पिछली सरकार ने भी सर्वे के लिए पैसा दिया, ये सरकार भी सर्वे के लिए पैसा देगी,तो हम ये

(श्रीमती कान्ता गरासिया)

सर्वे का झुनझुना लेकर कहा भटकते फिरेंगे? मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस बजट में माही के विकास के लिए हमें बजट दिया जाए। मैं अंत में बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए मेरी अंतिम बात कहना चाहती हूं कि दक्षिण राजस्थान भूसम्पदा से भरा हुआ है, भण्डार पड़े हुए हैं और पिछले लम्बे समय से वहां का स्थानीय व्यक्ति माइंस के आबंटन के लिए, खनन के पट्टों के आबंटन के लिए संघर्ष करता रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लम्बे समय तक वहां की खानों का आबंटन नहीं हुआ। पूर्ववर्ती सरकार में वसुन्धराजी ने वहां पर मैगनीज निकल रहा, उसके पट्टे आबंटित करने के लिए आवेदन मांगे आवेदन 300 आये वे भी सारे के सारे बाहर के, एक भी स्थानीय आवेदन नहीं। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उस मैगनीज की पट्टों के आबंटन करने की बात तो दूर रही उन्होंने इसमें आरएसएमएमएल के द्वारा खनन का निर्णय लिया और वहां के स्थानीय लोगों की 50 प्रतिशत भागीदारी स्थानीय रोजगार के रूप में दी। सभापति महोदय, क्या हम सिर्फ मजदूर बने रहना चाहेंगे?

**श्री सभापति**: माननीय सदस्या, समाप्त करें।

**(समय : 21.00 बजे)**

**श्रीमती कान्ता गरासिया** (गढ़ी): जिस व्यक्ति के नाम से खाते की जमीन है, जिसमें मैगनीज निकल रहा है उस व्यक्ति की इसमें भागीदारी होनी चाहिये, तब जाकर वहां का व्यक्ति सक्षम होगा। क्योंकि यह कहा जाता है कि वहां का चाहे सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वहां का आदिवासी हो, ये कहकर वहां पर माइंस आबंटित नहीं की जाती कि उनके पास में संसाधन नहीं हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि जब वहां पर किसी तरह के सक्षम होने के साधन आप उपलब्ध नहीं कराएंगे तो उनको सक्षम बनाने के लिये पैसा कहां से आएगा? वह कौनसा समय आएगा जब वह सक्षम होगा और मालिक बनेगा? मालिक होकर मजदूर बना रहता। सभापति महोदय, इस तरफ भी सरकार का और सदन का ध्यान आकर्षित होना चहिए। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि अब समय बदल गया है, वहां की परिस्थितियां बदल गई हैं, उस क्षेत्र में आज नक्सलवाद पनप रहा है। वह पाँव पसार रहा है। एक वक्त ऐसा आ जाएगा, अब तक तो उदयपुर डिवीजन एक बार कांग्रेस की सत्ता बनाता है, दूसरी बार बी.जे.पी. की बनाता है लेकिन अब वह समय नहीं रहा। अब वहां

(श्रीमती कान्ता गरासिया)

धीरे-धीरे नक्सलवाद पांव पसार रहा है, और किसी के भी बस में वह एरिया नहीं रहेगा, कोई भी उसको सम्भाल नहीं पाएगा। इसलिये समय रहते उस क्षेत्र के विकास के लिये ध्यान दिया जाए। सभापति महोदय, भूखा व्यक्ति क्या नहीं करता है? जब विकास के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो व्यक्ति हथियार उठाता है।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्रीमती कान्ता गरासिया** (गढ़ी): व्यक्ति सड़क पर आता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस तरफ सरकार का ध्यान, माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान जाना चाहिए और इस पर विशेष चिन्तन करके इस बजट में प्रावधान देना चाहिए।

**श्री सभापति**: श्रीमती अनीता सिंह।

**श्रीमती कान्ता गरासिया** (गढ़ी): सभापति महोदय, यह बजट जन हित का और सभी को साथ लेकर के सभी के उत्थान को लिये हुए है। मैं इसकी प्रशंसा करते हुए आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करती हूं। जय हिन्द, धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्रीमती अनीता सिंह।

**श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): आदरणीय सभापति महोदय, आपने इस दूसरे बजट पर मुझे विचार रखने का मौका दिया, आपको बहुत धन्यवाद। एक बात, जब से यह बहस चल रही है, सत्ता पक्ष के लोग एक बात बार-बार उठा रहे हैं कि जो विपक्ष में बैठे हैं, प्रतिपक्ष में बैठे हैं, वे इस बजट में जितनी बुराइयां हैं, जितनी उसकी कमियां हैं, उनको निकाल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष वालों से कहना चाहूंगी कि राजा या जो सत्ता में बैठे हैं, वे अगर अच्छा शासन करना चाहते हैं और जनता के बीच में अपनी बहुत अच्छी छवि बनाना चाहते हैं तो प्रतिपक्ष में जो लोग बोल रहे हैं उनकी बातों को बहुत ध्यान से और गौर से सुनना चाहिए और अगर उसमें अपनी कोई कमी उनको नजर आ रही है तो उस कमी को पूरा करना चाहिए ताकि जनता में, गरीब जनता में अच्छी छवि जाए। आप में जो दोष निकाले जा रहे हैं उन दोषों को दूर करने का आप लोगों को प्रयास करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि यह जो बजट रखा गया है, कांग्रेस की सरकार की तरफ से, यह एक काल्पनिक बजट है। इसमें बहुत सारी बातें कह दी गई

(श्रीमती अनीता सिंह)

हैं कि हम गरीब को सस्ते दाम पर गेहूं देंगे। हम विधवाओं को, नि:शक्तजन को, वृद्धों को, विकलांगों को, पेंशन बढ़ाकर देंगे। लेकिन मेरा इसमें संशय ये है कि कहना बहुत आसान रहता है लेकिन जो नीडी आदमी है, जिसको आवश्यक है, उस तक इस पेंशन का पैसा नहीं पहुंच पाता है। एक विधवा महिला जो पेंशन चाहती है, वह पंचायत समिति में, सरपंच के, सैक्रेटरी के पास 6-6 महीने और एक-एक साल तक रोज घूम-घूम कर परेशान होकर अपने घर बैठ जाती है। वे महिलाएं वे वृद्ध नि:शक्तजन, जो पेंशन चाह रहे हैं, विकलांग जो पेंशन चाह रहे हैं, उनको इतने चक्कर काटने पड़ते हैं कि उनकी कमर बिलकुल टूट जाती है और आखिर में हारकर बैठ जाते हैं कि हमें ये पेंशन किस प्रकार मिलेगी। इस किताब में लिख दिया आपने कि हम पेंशन देंगे, लेकिन पेंशन देने का प्रोसिजर होना चाहिए। जिस तरीके से कैम्प्स लग रहे हैं, ऐसे कैम्प्स गांव-गांव में बनाकर उन विधवाओं को, विकलांगों को, नि:शक्तजन को सबको आपको पेंशन देनी चाहिए तब तो आपके इस बजट भाषण में आपने जो लिखा है उसकी पूर्ति होगी। वर्ना यह लिखा रह जाएगा। देश जब से आजाद हुआ है, 62 वर्ष हो गये, इसमें से 40-45 साल यहां पर कांग्रेस का राज रहा है, बजट भाषण को आप उठाकर देख लीजिए, हर बजट भाषण में लिखा रहता है कि यह बजट किसानों को समर्पित है, ये बजट महिलाओं को समर्पित है। यह वृद्धों को, ये विकलांगों को, ये गरीब आदमी को समर्पित है। गरीब को गणेश मानकर हम आम आदमी की सेवा करना चाहते हैं और यह बजट पूरा का पूरा उसको समर्पित है। लेकिन असलियत में अगर इसी भावना से हम उन कामों की जो इसमें लिख दिये, क्रियान्विति के लिये आगे बढ़कर, एक कदम आगे बढ़कर काम करें तो बहुत सारी घोषणाएं पूरी हो सकती हैं। एक बहुत जोरदार बात बार-बार यहां कह रहे हैं कि हमने एक साल में यह काम कर दिया, एक साल में यह काम कर दिया। मैं तो आप ही की बात को कहना चाहती हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना जवाब दिया था, उस समय यह कहा था कि पिछले वर्ष जो हमने बजट घोषणाएं की थीं उनमें से 81 प्रतिशत की हमने पूर्ति की है। उसके कम्पेरीजन में उन्होंने 5 साल का भारतीय जनता पार्टी और वसुंधरा राजेजी के बारे में बताया था कि पहले साल 89 प्रतिशत अचीवमेंट वसुंधरा राजे सरकार ने राजस्थान में किया था। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि वह स्वयं अपने मुंह से 8 प्रतिशत की कमी बता रहे हैं अपनी क्रियान्विति में। बजट आपने बनाया, बहुत सारी अच्छी घोषणाएं भी की हैं, बहुत सारी बातें भी इसमें

(श्रीमती अनीता सिंह)

लिखी हैं, लेकिन जो कल्याणकारी योजनाएं आपने बनाई हैं उनकी क्रियान्विति कर सकें। जिस गरीब और आम आदमी की बात आप और हम यहां बैठकर करते हैं, उस आम आदमी तक, उस गरीब आदमी तक हमारी ये योजनाएं पहुंचे और सरलीकरण से पहुंचे। या ऐसा न हो कि धक्के खा-खा कर उन तक पहुंचे। सैक्रेटरी, बी.डी.ओ. के पास जाकर रिश्वत देकर उन योजनाओं को वे पाएं तो ये योजनाएं उनके लिये कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होंगी।

एक बात और मैं कहना चाहती हूं कि इस बजट के अन्दर महिलाओं के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं रखा गया। इसमें आपने बता दिया कि हम महिलाओं को गर्भावस्था में, जब प्रसव की बात होती है तब, गरम खाना खिलाएंगे। लेकिन मेरा कहना है, अभी हमारी एक बहन कह रही थी कि मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि रक्षा-बंधन और 8 तारीख को, जिस दिन महिला दिवस होता है उस दिन, महिलाएं मुफ्त में यात्रा करती हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहती हूं कि ये व्यवस्थाएं तो पूर्ववर्ती सरकार ने ही कर दी थी। उन्हीं को आपने आगे बढ़ाया है, उसमें नया कुछ नहीं किया है। महिलाओं के बारे में मैं इस बजट को इसलिये गलत बता रही हूं कि एक योजना महिला सशक्तिकरण की थी महिला भामाशाह योजना, वह आपने न तो पिछले बजट में की, न आपने इस बजट में की। इसलिये इसे मेरी ओर से महिला विरोधी बजट मैं, कहती हूं। आज तक वह 8 करोड़ रुपया बैंकों के अन्दर अटका पड़ा हुआ है, न आपने उसको वापस लिया है। बैंकों को उसकी छूट दे रखी है कि उसको इस्तेमाल करें। इसलिये मैं यह मानती हूं कि इस बजट के अन्दर महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पर आपने कुछ भी नहीं दिया है।

बहुत सारी बातें हम करते हैं सामाजिक न्याय की, इसमें आपने कह दिया कि बी.पी.एल. के वृद्ध, विकलांग, नि:शक्तजन, सबकी आपने पेंशन बढ़ाई है। 75 साल के ऊपर आपने जो पेंशन बढ़ाई है, मैं कहना चाहती हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि एक समय सतयुग का था जब ऋषि-मुनि रहते थे। उस समय का वातावरण ऐसा था, खान-पान ऐसा था, ऐसी फिजिकल एक्सरसाइजेज वे करते थे कि उनकी उम्र 90 और 100 साल हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में जब इतना पोल्यूशन है, आम आदमी की जो उम्र है, जो गांव में रहता है, ठीक से पोषण भी जिसको नहीं मिलता है, उसकी उम्र 65, 70, 75 से ऊपर होती ही नहीं है। 75 साल तो लास्ट होती है। (व्यवधान) हां, मान्यता 60 की है। बिलकुल ठीक कह रहे हैं आप, मानक 60-65 तक की

(श्रीमती अनीता सिंह)

होती है। आप जब 75 की बात कर रहे हैं तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि आप यह पेंशन बढ़ाकर 75 वर्ष में किस को देना चाहते हैं इसमें अब तक कुछ मेरे समझ में नहीं आया। अगर आप मेरी राय मानें तो इसे 75 से कम करके 60 और 65 आपको करना चाहिए ताकि आम लोगों तक फायदा पहुंचे।

एक बात मुझसे पहले भी बहुत सारे सदस्यों ने उठाई है, मैं भी इस बात को उठाना चाहती हूं कि जो वृद्धों की पेंशन है और जो विधवाओं की पेंशन है, इन पर कोई भी कानून बीच में नहीं होना चाहिए कि इनके 25 साल का बेटा होगा तो नहीं मिलेगी, वृद्ध का बेटा अगर कमाने वाला होता है तो उसको नहीं मिलेगी। वृद्ध को वृद्ध माना जाए, चाहे गरीब हो या अमीर हो। विधवा को विधवा माना जाए, उसकी उम्र को और उसके बेटे को उसमें नहीं रखा जाए। उनको पेंशन सबको बराबर पूरे राजस्थान में करनी चाहिए, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह मेरा एक सुझाव है।

माननीय सभापति महोदय, एक बात मैं और कहना चाहती हूं कि हमारे जो गृह मंत्री महोदय हैं वह बहुत सारी यहां पर खड़े होकर बातें बनाते रहते हैं कि यह होगा, यह होगा, और थानों में सब जगह लिखवा रखा है,– 'आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय।' उनकी कैपेबिलिटी और उनका जो तरीका है उसमें तो एक ही बात मैं कह सकती हूं, उनके लिए तो यही बात है कि जयपुर जैसी सिटी में, राजस्थान की राजधानी में यादगार जो शहर में बीचों-बीच बसा हुआ है उसके आगे नर-मुंड को फेंका गया जिसकी जांच आज तक भी यह सरकार नहीं कर पायी, यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है।

माननीय सभापति महोदय, हम जब भी गांव में कहीं जाते हैं या यहां पर भाषण देते हैं, हमारी बहिनें या भाई जब भी भाषण देते हैं, तो हम इस बात को बहुत जोर से कहते हैं कि हमारे देश का विकास तब होगा जब हमारे यहां एक-एक बच्चा और बेटी पढ़ी-लिखी होगी। लेकिन जब शिक्षा की बात गांव में जाकर देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि शिक्षक गांव में मौजूद ही नहीं है। हम अपने बच्चों को पढ़ाने किसके पास भेजें, जब शिक्षक वहां पर मौजूद नहीं हैं? माननीय मंत्रीजी ने कहा कि समानीकरण करूंगा, लेकिन समानीकरण वे आज तक एक का भी किसी भी रोड साइड के अध्यापक को ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक लगा नहीं पाये, ये तो उनकी परफारमेंस है।

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

मैं दो मिनट में ही खतम करूंगी।

(श्रीमती अनीता सिंह)

माननीय सभापति महोदय, एक बात मैं और कहना चाहती हूं कि हमारे इस बजट के अन्दर हम जब शिक्षण की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं तो हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं कि शिक्षक हमारे यहां मौजूद नहीं है। इस बजट के अन्दर अंग्रेजी के 300 व्याख्याता उनके पदों के सृजन की तो बात की है लेकिन और किसी भी पद की शिक्षकों की भर्ती की कोई बात इस बजट के अन्दर नहीं की है तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि यह बजट शिक्षा विरोधी बजट भी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और पूछना चाहती हूं कि हम गांव के अन्दर 'सर्व शिक्षा अभियान' चला रहे हैं, 'शिक्षा आपके द्वार' चला रहे हैं। 'मिड डे मील' जैसे लोक लुभावन अभियान और योजनाओं के बावजूद भी हमारे जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं वहां पर छात्र और छात्राओं का ड्राप-आउट, स्कूल छोड़कर बच्चे जा रहे हैं उनका आंकड़ा और उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और उसको रोकने के लिए हमारे पास कोई काम नहीं है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): मैं बस एक ही बात कहना चाहती हूं, माननीय सभापति महोदय, क्योंकि मैं अपनी जाति से गुर्जर हूं, इस बजट के अन्दर देवनारायण नाम से योजना लिखी है 79 बिन्दु पर। पिछली बार जब मैं विधान सभा में नई-नई आयी थी तो मैंने एक प्रश्न लगाया था, प्रश्न क्रमांक है 202 और विधान सभा का तारांकित प्रश्न है 1186, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के यहां से यह जवाब आया है मुझे। मैंने इसमें पूछा है कि देवनारायण बोर्ड का गठन कब हुआ? तो ये कहते हैं कि जी नहीं, ऐसा कोई बोर्ड गठन नहीं हुआ। मैंने इसमें पूछा है कि देवनारायण बोर्ड का गठन कब कैसे किया गया तथा इसमें कौन-कौन से गांव जोड़े गये, इसमें कौन-कौन-सी राशि दी गयी तो इसमें लिखा है माननीय सभापति महोदय, कि ऐसी कोई राशि नहीं दी गयी। मैंने इसमें सब बातें पूछी हैं कि राशि कौनसी दी, कितनी आई.टी.आई करे। इस प्रश्न के अन्दर उन्होंने जवाब दिया है कि ऐसा कोई नहीं हुआ और आज जब बजट मैंने खोलकर देखा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सबके सामने पढ़कर बताया है, 79 के अन्दर इसमें लिखा है कि विशेष पिछड़ा वर्ग के लोगों हेतु देवनारायण योजना राज्य में दो वर्षों से चलायी जा रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आखिर में सिर्फ यही पूछना चाहती हूं कि मैं इस किताब

(श्रीमती अनीता सिंह)

को सही मानूं या सरकार के द्वारा दिया गया यह सवाल का जवाब सही मानूं? ये परफारमेंस है इस सरकार की। यह खुद नहीं जानते हैं कि यह क्या जवाब दे रहे हैं। ईश्वर इनको इस बात के लिए कैसे ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

**श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं इस कागज को आपको टेबल करना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। एक बात के लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूं, हमारे जो पंचायती राज मंत्रीजी बैठे हैं उनको बधाई देना चाहती हूं कि मेरे यहां नगर का एक करप्शन का मामला आया था। मैंने आपकी नालेज में दिया, आपने उसमें जांच बैठाई। उसमें जांच भी आ जाएगी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात का धन्यवाद देना चाहती हूं कि हमारे भरतपुर में आपने कुश्ती के लिए, प्रोत्साहन दिया। भरतपुर के अन्दर कुश्ती का बहुत ज्यादा विशेष शौक रहता है। हर माता-पिता की अपने बच्चों को पहलवान बनाने की उनकी बहुत मन की इच्छा रहती है, क्योंकि ब्रज की संस्कृति से हम आए हैं, घी-दूध का अपना वहां रहता है कि अपने करे। उसमें उन्होंने कुश्ती लड़ने वालों को 500 रुपये का जो स्टाइफण्ड दिया है उसके लिए मैं हृदय से मुख्य मंत्रीजी की बहुत प्रशंसा करना चाहती हूं, फिर यह कहना चाहती हूं आपके माध्यम से कि इस बजट के अन्दर जो कमियां रह गयी हैं, जिन कमियों को हमने आपके बीच में रखा है, जब आप अपना बजट का भाषण दें तो उन कमियों को दूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री रतन देवासी।

**श्री रतन देवासी** (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, पिछले दो-तीन दिनों से राजस्थान सरकार की तरफ से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वित्त मंत्री के रूप में अपना बजट इस सदन में पेश किया, मैं उसके समर्थन में अपनी बात कहना चाहता हूं। पिछले तीन दिनों से हम देख रहे हैं कि कई माननीय सदस्य इस बजट पर बोले। राजनीति में यह जरूर होता है कि सरकार जब बजट पेश करती है तो सरकार के लोग अपनी बात कहते हैं और प्रतिपक्ष के लोग अपनी बात कहते हैं। मगर हम प्रतिपक्ष के लोगों को जो पिछली सरकार में रहे, उन्होंने जब बजट पर अपनी बात कही, अगर उन पन्नों को और उनकी बात को उठाकर देखें तो यह महसूस होता है कि यह कोई नयी बात नहीं है। आज इस सदन में बजट पर कई लोगों ने अपनी बात कही।

(श्री रतन देवासी)

केसारामजी और हमारे कई प्रतिपक्ष के साथियों ने जिनमें वरिष्ठ साथी थे, किसी ने इस बजट को आजादी के बाद का पहला निराशाजनक बजट बताया, किसी ने 1952 के बाद का निराशाजनक बजट बताया, किसी ने इसको महिला, दलित, पिछड़ा, सबका विरोधी बजट बताया। मैंने सुना है उन सबको माननीय सभापति महोदय, जिन लोगों ने इस बजट को बताया है, इन्हीं लोगों ने पिछले समय जब पिछला बजट पेश हुआ तब भी यही बात कही थी कि यह आजादी के बाद का सबसे खराब बजट है। 1952 के बाद का खराब बजट है। कल माननीय कालीचरणजी सर्राफ ने यहां पर अपनी बात कही। उसमें उन्होंने अपनी बात की शुरूआत ही इसी से की थी।

खैर, माननीय सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में मंदी के समय में राजस्थान में बजट पेश हुआ है अगर हम भारतीय जनता पार्टी के शासित जो दूसरे राज्य हैं, मध्यप्रदेश का बजट देखें, गुजरात का बजट देखें तो राजस्थान सरकार ने जो मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश करते समय जो बात कही, वह की वह बात अपने बजट में अन्य प्रदेश में, इनके शासित राज्यों में उनके वित्त मंत्रियों ने कही। मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया तब कहा कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के वित्तीय भार को वहन करने के बावजूद वर्ष 2009-2010 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 18500 करोड़ रुपये का योजना व्यय सम्भावित था जबकि योजना आयोग से अनुमोदित 17322 करोड़ की बात कही थी। यहां बार-बार इसी बात को चर्चा में लाये। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कि गुजरात के वित्त मंत्री बज्जू भाई वाला ने जब अपना बजट पेश किया, तब उन्होंने गुजरात के बजट को स्वर्णिम बजट बताया कि स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं इसलिये यह बजट है। उन्होंने भी यह बात कही कि विश्व मंदी है, कोई भी प्रदेश बचा हुआ नहीं है। बरसात हुई नहीं, गुजरात राज्य भी इससे जूझ रहा है। और उसके बावजूद जब छठा वेतन आयोग लागू किया है तो राज्य को आर्थिक नुकसान सहन करना पड़ रहा है, इसलिये हमको यह बजट इस रूप में पेश करना पड़ रहा है। यह एक समान्तर बात है, जो मैंने आपको राजस्थान की और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य गुजरात के बारे में बताई। यहां अभी हमारे पूर्व सदस्य ने सही बात कही कि आंकड़ों की बात आप भूल जाओ। आंकड़ों की बात आप कहने के लिये कह रहे हो, मगर अच्छी बरसात होगी तो कल अच्छी बात आएगी। ये आंकड़े तो अपने आप अपनी जगह आ जाएंगे

(श्री रतन देवासी)

और सब ठीक हो जाएगा। सभापतिजी, इस बार बजट खतम होने से पहले मुख्य मंत्रीजी ने एक बात कही कि सफलता कैसे मिलती है। छोटी भूमिका को अगर हम निभाते हैं तो उस संघर्ष में हमको भविष्य में सफलता मिल सकती है। हमको वर्तमान में हमारी भूमिका तय करनी है। जब पिछला बजट पेश किया, दोनों बातों की समानता मैं बताना चाहता हूं, तब उन्होंने कहा था कि आप जब कभी भी दुविधा में हो या आपका अपना स्वार्थ, हमारे प्रतिपक्ष के साथियों के लिये कह रहा हूं कि जब आपको अपना स्वार्थ प्रबल होता दिखाई दे तो आप यह नुस्खा अपनाओ, आपनी आँखें बंद करो और आंखें बंद करने के बाद एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचो जिसके पास कुछ हो नहीं, जिसके पास कोई सपने नहीं हों, जो असहाय हो, जो गरीब हो, तो आपको अपनी बात पेश करने का अंदाज पता चल जाएगा। आगे यह जो बजट पेश हुआ है, आपने तो कह दिया, गरीब विरोधी है। मैं दूसरे विषयों पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि समय की पाबन्दी है, मगर मैं एक बात जरूरी कहना चाहता हूं, आपने यह बात कही है, मगर यह बजट गरीब और आम आदमी का बजट है। इस बजट के अन्दर एक आम गरीब की बात को कैसे ध्यान में रखा है, जो बात पिछले बजट में कही गयी, जो बात इस बजट में कही समापन के समय, उस बात की तुलना करते हुए कह रहा हूं। हमारे प्रतिपक्ष के वरिष्ठ साथी गुलाबचन्दजी कटारिया जब अपनी बात कह रहे थे, मैं उस बात से सहमत हूं कि जब दो रुपये किलो गेहूं वाली बात आई तो भावुक होकर आपने यह बात कही। या तो आप लोगों ने इसे भावुकता से देखा नहीं या इसकी गहराई तक नहीं गये। एक आम और गरीब आदमी के लिये, एक आम और गरीब तबके के लिये इस बजट में कितनी बातें कही गयी हैं, आप उसको अंगुलियों पर गिनना शुरू करो तो वे खतम नहीं हो सकतीं। उसके एहसास की बात को आपको देखना पड़ेगा, मगर आप वह नहीं देख रहे हो। इसलिये नहीं देख रहे हो, क्योंकि आज भी आप वह सज़ा भुगत रहे हो। आपने गरीब की बात नहीं देखी तो आप गरीब की बात कैसे कह सकते हो? आप उस गरीब को ढूंढते हो, जब कामां में आपकी सरकार के समय वारदात हो तो आपकी मुख्य मंत्रीजी आपके अधिकारियों और आपके मंत्रियों के साथ में वहां ठहाके लगाने गयीं, जब उस साइट का इंस्पेक्शन करके आईं। आप उस गरीब की बात देखते हो, उस दलित की बात देखते हो जिसको शादी के अन्दर घोड़ी से उतारा गया और जिसके नाक के अन्दर नकेल डाल दी गयी? आप उस गरीब के बारे में सोचते हो जो

(श्री रतन देवासी)

मेहरानगढ़ में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गयी। सवेरे आपके मुख्य मंत्रीजी को सूचना, और सूचना मिलने के बाद में भी आप पूजा-अर्चना करने गये और आठ घंटे बाद जोधपुर पहुंचे। परन्तु उन दु:खी परिवारों के घर नहीं गये। आप केवल वहां से वापस आ गये। आप उस गरीब के प्रति सोचते हैं? वास्तविक और सही बात है कि आपने पांच साल पांच-सितारा लोगों के साथ गुजारे, इसलिये इस बजट के अन्दर गरीब की बात नहीं देखी।

सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि गरीब के अलावा हमारी संस्कृति है कि हम एक दूसरे को मान-सम्मान देते हैं। हम अगर कुछ देने की बात कहते हैं तो गरीब, असहाय के लिये हमारा मान-सम्मान बनता है। आपने पेंशन की बात की, क्या स्थिति है पेंशन की, वह हम जानते हैं। हम क्षेत्र में 15 महीने से जा रहे हैं, हम देखते हैं, आपके पिछले सालों की फाइलें वहां ऐसे ही धूल खा रही हैं। एक साल से लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है और उन पेंशनों की बात हम यहां कह रहे हैं। आज अगर पेंशन को बढ़ाने की बात की है तो मान-सम्मान देने की बात की है कि यह सरकार उन लोगों के बारे में सोच रही है जिन्होंने देश के लिये शहीदी दी जो आजादी की लड़ाई में लड़े। उन लोगों को अगर 8 से 10 हजार रुपये मासिक देने की बात की है तो उन लोगों के प्रति सरकार ने अपनी सोच रखी है, सरकार ने अपनी बात कही है और उनके मान-सम्मान के बारे में बात सोची है।

आज अन्तरराष्ट्रीय खेल के अलावा कोई खिलाड़ी राजस्थान से जिसने प्रतिनिधित्व किया, उसको अगर हमने बस में फ्री पास की बात की है, हमने नि:शक्त व्यक्ति को बस में फ्री पास की बात की है, हमने मानसिक और अंधे व्यक्ति के साथ अगर एक आदमी को फ्री करने की बात की है तो इस सरकार ने अपने दिल से और मन से यह बात बताई है कि हम राजस्थान के गरीब के लिये, आम आदमी के लिये मन से सोच रहे हैं। आप इस बात को मन से नहीं सोच सकते हो। आप इसलिये नहीं सोच रहे हो कि मैंने तीन उदाहरण आपको दिये- मैंने कामां का उदाहरण दिया, मेहरानगढ़ का उदाहरण दिया, मैंने दूसरे कई उदाहरण इस सदन में आपके समक्ष रखे। मगर आज गरीब के मान-सम्मान की बात हम इसलिये सोच रहे हैं, क्योंकि अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस हो, रक्षा बन्धन का दिन हो, महिलाओं को एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जेब से 20 रुपये या 50 रुपये आज की तारीख में बस में टिकट के देते

(श्री रतन देवासी)

हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर फर्क यह है कि सरकार की सोच के बारे में पता चलता है, सरकार की भावनाओं के बारे में पता चलता है। हमने रक्षा बंधन और अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बस में फ्री यात्रा कराने की बात की है, यह मान-सम्मान की बात थी।

सभापतिजी, जाति प्रमाण पत्र हो, मूल निवास प्रमाण पत्र हो, उसमें अगर स्टाम्प ड्यूटी माफ की हो, एक पाई पेपर पर आप अपनी बात कह सकते हो, ये सरकार ने सोच बताई है कि हम गरीब और आम आदमी के बारे में किस तरह से बात कर रहे हैं।

सभापति महोदय, जिन बच्चों के माता-पिता एड्स से पीड़ित हैं उन लोगों को अगर 675 रुपये महीने देने की बात की तो 675 रुपये बड़ी बात नहीं है, मगर फिर भी सरकार ने इस बात को सोचा है कि हम किस तरह से आम आदमी के बारे में गरीबों के बारे में सोच रहे हैं।

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

सभापति महोदय, मुझे थोडा-सा समय दीजिये।

**श्री सभापति**: सम-अप करो आप, और भी मौके आएंगे। और विषय पर बोलना है आपको।

**श्री रतन देवासी** (रानीवाड़ा): यह विषय पर ही है। सभापतिजी, आप लोगों के समय में मुझे बताओ, कितने बीपीएल के परिवारों का मुफ्त इलाज कराया? मैं इस बात को इस सदन में यूं कह रहा हूं, क्योंकि 1995-2003 का समय हो या 15 महीने का यह समय हो, मुझे याद है कि मैंने बी पी एल के अन्दर सवाई मानसिंह अस्पताल में चार नौजवान लड़के, जो आठवीं, दसवीं और बारहवीं में पढ़ते हैं, उनके हार्ट के नि:शुल्क आपरेशन कराये। आज वे अच्छी जिन्दगी जी रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आपने उस स्कीम को खतम करने की बात की। 26 लाख लोगों को 15 महीने में उपचार मिला और करोड़ों रुपये खर्च हुए। आपने इसके बारे में सोचा ही नहीं। अगर आपकी नजर में ये गरीब नहीं हैं तो हो सकता है, आपकी सोच आप रखो। हम तो इसको गरीब मानते हैं, आप भले मत मानो। ये गरीब नहीं तो कौन हैं, इनका इलाज हुआ है।

सभापतिजी, भले वृद्धावस्था की बात हो, विधवाओं की बात हो, विकलांगों की पेंशन की बात हो आज इस स्टेट में जनजाति, रेगिस्तान के एरिये में 150 ब्लाक को चिह्नित करके अगर चल चिकित्सा को चलाने की बात

(श्री रतन देवासी)

की है तो मैं मानता हूं कि आज भी वहां उपचार की कमी है, यह सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है।

इसके अलावा नि:शक्त छात्रों को छात्रवृत्ति देने की बात कही है। आज एक परिवार का बच्चा जो मानसिक रोग से पीड़ित है, वह अंधा है, सरकार ने इस बजट में बताया कि जयपुर में 70 की कैपेसिटी 230 पर बढ़ गयी और सरकार ने जयपुर और जोधपुर में नये इंस्टीट्यूट खोलकर 250-250 कैपेसिटी की बात की है तो यह केवल गरीब की सोच की बात नहीं, सदन के सभी माननीय सदस्यों को इसके लिये श्रेय लेना चाहिये कि थोड़ा बहुत पुण्य हम हमारे हिस्से में लेकर जा रहे हैं कि इन लोगों के लिये हमने सोचा है, इन लोगों के लिये सरकार ने अपनी सोच बताई है।

इसके अलावा कई चीजे हैं, मगर मैं दो महत्वपूर्ण बातें रह गयी हैं, वह बताना चाहता हूं।

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

एस.सी., एस.टी., और ओ बी सी के छात्रावास इस प्रदेश के अन्दर हैं आपकी सरकार ने क्या हश्र किया कि ये छात्रावास ओवरलोड होते गये, आपने ध्यान नहीं रखा। जो राजकीय छात्रावास संचालित हो रहे हैं, उनकी स्थिति इतनी खराब हो गयी है कि छत ऊपर से गिर रही है, बरसात में पानी ऊपर से टपकता है। आप लोगों को आपकी सरकार के समय मुख्य मंत्री निवास पर डेढ करोड़ खर्च करने का समय मिल गया, मगर इन छात्रावासों को रिपेयर करने का समय आपको नहीं मिला। सरकार जो करोड़-डेढ़ करोड़ रुपये अब दे रही है, इन छात्रावासों को हम रिपेयर कराएंगे। मैं मानता हूं कि एस सी, एस टी और ओबीसी वर्ग के लिये जो राजकीय छात्रावास संचालित हो रहे हैं, उनके लिये सबसे बड़ी बात है जो सरकार ने इस सोच को रखा है।

सभापतिजी, एक सबसे बड़ी, बात भारत सरकार ने बी आर जी एफ का प्लान लागू किया और राजस्थान के 12 जिलों को बी आर जी एफ में लिया। इनकी सरकार के समय बी आर जी एफ के प्लान में भारत सरकार ने ये कह दिया कि वहीं सामुदायिक भवन बनने चाहिये। एक आम वर्ग, गरीब वर्ग के लिये यह बात हो रही है, इनकी सरकार ने उस प्लान के अन्दर सभा भवन रोके। इस सरकार ने आते ही इनको शुरू किया और मैं इस माध्यम से भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि वर्तमान में जो बी आर जी एफ प्लान लागू किया है।

(श्री रतन देवासी)

वैसे ही जमीन कम है, राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने 16.01.2009 को एक परिपत्र निकालकर कहा है कि भारत सरकार ने कई नई चीजें इसमें जोड़ी हैं सभा भवन से लेकर, गांव में पार्क से लेकर गांवों के विकास के लिए, मैं धन्यवाद देता हूं कि ये प्लान वापिस शुरू होंगे तो गांवों का विकास होगा। अन्त में, सभापति महोदय, अभी हमारी बहिन ने एक बात कही देवनारायण योजना के बारे में, मुख्य बात मैं कहना चाहता हूं इस प्लेटफार्म से, आज देवनारायण योजना की बात की है, मैं सरकार को इसलिए धन्यवाद देता हूं, हमारे साथी बाबू सिंहजी राठौड़ अभी कह रहे थे कि पशुपालन पर आओ। पशुपालन की बात कट मोशन पर कर लेंगे।

**श्री सभापति**: समाप्त करो माननीय सदस्य।

**श्री रतन देवासी** (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, मैं इस बात को इसलिए महसूस कर रहा हूं और इसलिए बात को कह रहा हूं कि इसमें विशेष पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो चार जातियां हैं, भले ही गुर्जर हो, बंजारा हो, रैबारी हो या गाड़ोलिया लुहार हो, वह बात अलग है कि कोर्ट में क्या चल रहा है, मगर सरकार ने आज इनके बारे में सोचा कि हमारे ओ बी सी का हक भी नहीं मरे, बीच में लटक कर नहीं रहें, आपने हमको ओ बी सी के आरक्षण की बात कही और यह योजना दी। सभापति महोदय, चार वर्गो में से एक वर्ग में मैं भी आता हूं। स्थिति इतनी खराब है कि आज न तो बच्चे को पढ़ने के लिए साधन हैं। जो पशुपालक पलायन करके चला जाता है एक राज्य से दूसरे राज्य में, उसके पास में पैसा नहीं है, बच्चे भटकते रहते हैं। आर ए एस, आई ए एस तो बहुत दूर की बात है, दसवी, आठवीं और पांचवीं पास भी नहीं कर सकता। मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को...

**श्री सभापति**: समाप्त करो माननीय सदस्य।

**श्री रतन देवासी** (रानीवाड़ा): आपने दसवीं की बात कही है कि छात्रवृत्ति मिलेगी। जो छात्रवृत्ति हमको मिले, हम उसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं कि यह कोशिश आपने की है और इस कोशिश का हमको फायदा मिलेगा। मैं राजस्थान सरकार और सभी माननीय सदस्यों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आखिर यह योजना शुरू हुई।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, समाप्त करो।

**श्री रतन देवासी** (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, हरित राजस्थान की बात कही।

**श्री सभापति**: हरित राजस्थान की बात आप बाद में कर लेना, माननीय सदस्य, अब समाप्त करो आप।

**श्री रतन देवासी** (रानीवाड़ा): मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि वन के बारे में ये यह बात नहीं कह सकते। सभापतिजी, मध्य प्रदेश का बजट पेश हुआ, मध्य प्रदेश में वित्त मंत्रीजी ने जब बजट पेश किया, हम हरित राजस्थान का यहां मजाक उड़ाते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार वहां बांस का वर्ष मना रही है, करोड़ों रुपयों से वहां बांस उगाये जाएंगे। बांस वर्ष के रूप में वन मंत्रालय द्वारा वहां मनाया जाएगा। तो राजस्थान में अगर हरित क्रांति मनायी जाती है और मध्य प्रदेश में वहां की सरकार अगर बजट में रखती है, क्या हम डेढ़ सौ करोड़, दो सौ करोड़, पच्चीस करोड़ रुपये देंगे बांस का वर्ष मनाने के लिए। राजस्थान सरकार ने तो पौधे उगाने के लिए दिए हैं, बरसात होने दो, अपने आप सारी बातें सामने आ जाएंगी कि यह बात हुई या नहीं। मैं, सभापति महोदय, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने समय दिया, बोलने का मौका दिया।

**श्री सभापति**: श्री फूलचन्द भिण्डाजी।

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर): माननीय सभापतिजी, राजस्थान के इतिहास में विखण्डित अर्द्ध संकल्प पेश हुआ है। मैं इस कारण से अर्द्ध संकल्प की तकनीकी बात में तो जाना नहीं चाहूंगा लेकिन संगरिया से आने वाली बहिन ने आईने की बात अन्त में कही थी। मैं सदन में बैठे हुए सदस्यों को, विशेषकर सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों को आईना दिखाना चाहता हूं। इतिहास में पहली बार है जब एक भी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल बजट में क्रमोन्नत नहीं हो रही है। पिछले वर्ष भी नहीं हुई थी। जबकि दो वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3108 सैकण्डरी स्कूल्स खोली थीं। वे भाई-बहिन अब ग्यारहवीं क्लास में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, वे कहां जाएंगे? क्योंकि पिछले वर्ष और इस वर्ष भी एक भी सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं खोला है, एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं खुला है, एक भी मिडिल स्कूल नहीं खुल रहा है, एक भी तकनीकी कालेज नहीं खुल रहा है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहली बार कांग्रेस के 45 साल के शासन में जैसलमेर के लड़कियों के कालेज को प्रमोट करने के लिए प्रावधान किया है। कभी नहीं किया इन्होंने। 34 गवर्नमेंट कालेज हैं उनमें से 28 कालेज हमने खोले, छह कालेजों में से दो कालेज आजादी के पहले के थे, चार कालेज इन्होंने खोले। उनमें से नौ कालेज पी जी हैं, वे नौ की नौ कालेज पी जी हमने किये हैं। इस कारण से

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

शिक्षाविहीन बजट, शिक्षा के विकास का विहीन बजट मैं कहता हूं और इसमें आईना दिखाना चाहता हूं।

सभापति महोदय, इस समय युवकों की मैं बात कर रहा हूं और आइना दिखा रहा हूं। चार लाख बाइस हजार पद हैं। शिक्षा को छोड़कर सभी विभागों में। उनमें से एक लाख सात हजार पद खाली हैं। यह स्वीकृत पदों की बात कर रहा हूं, एक लाख सात हजार पद खाली हैं। शिक्षा में तीन लाख छियासी हजार पद स्वीकृत हैं। इसके अलावा उन्नीस सौ स्कूल्स और खोलने का दावा करते हैं, 5700 जो नये पद आएंगे, उनकी बात मैं नहीं करता। उसके अलावा एक लाख एक हजार पद शिक्षा में खाली हैं, इन्होंने एक भी पद का प्रावधान इसमें नहीं किया। इस कारण से शिक्षा की क्या हालत होगी, यह देखने लायक चीज है। अभी गढ़ी से आने वाली बहिन ने कहा था जल संसाधन के बारे में, मैं बहिन से निवेदन करना चाहता हूं कि वह डाकूमेंट निकलवाइये। कांग्रेस शासन का 1968 का डाकूमेंट निकलवाइये जिसमें बांसवाड़ा की सभी तहसीलें और डूंगरपुर की तीन तहसीलें उसमें शामिल हैं। इसके लिए नये सर्वे की आवश्यकता नहीं है। कल बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बात की थी कि बाड़मेर में लिफ्ट से पानी आ रहा है। लिफ्ट से पानी तो तारानगर चला गया जो कि प्रावधान में ही नहीं था। 1956 के डाकूमेंट में है, गडरा रोड तक पानी जाएगा राजस्थान नहर का, यह डाकूमेंट है 1956 का, उसको खोलकर देख लीजिए जिसको अभी तक आपने पूरा नहीं किया। यह वादा करने की बात करते हैं। आप 42 नम्बर का पेज पढ़िए, इसमें लिखा है, दो रुपये किलो का गेहूं और चावल आप बांट रहे हैं। ऐसा इसमें आप लिख रहे हैं। यह आइना मैं दिखा रहा हूं।

आपने सड़कों की बात की, आपने पांच साल में से 918 गांवों को सड़कों से जोड़ा, हमने जोड़ा 7700 गांवों को। साढ़े आठ गुना। हमने सड़कें बनायीं 24931 किलोमीटर, यह ये आपका डाकूमेंट है, मेरा नहीं है, और आपने बनायीं केवल 3900 किलोमीटर। छह गुना हमने ज्यादा बनायीं।

इसी प्रकार, यह जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है इसमे लिखा है कि विश्वविद्यालयों का पुनगर्ठन करेंगे। कोटा में केवल 54 कालेज हैं और अलवर, दौसा, भरतपुर और धौलपुर में कम से कम सौ से ज्यादा कालेज हैं और जो राष्ट्रीय स्तर है उससे भी ज्यादा स्तर झुन्झुनूं का है। सभापतिजी, मैं आपको कोट कर रहा हूं, मैं इनको आईना दिखा रहा हूं कि सीकर और झुन्झुनूं जिले

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

के जो कालेज हैं उनकी संख्या 138 है, फिर भी विश्वविद्यालय नहीं हैं। कोटा में 54 कालेज है, वहां विश्वविद्यालय है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौनसा विकास करना चाहते हो, किस राजस्थान का विकास करना चाहते हो? अगर विकास करना चाहते हो तो मैं कहना चाहता हूं गढ़ी से आने वाली बहिन से, आप कहिए मुख्य मंत्रीजी को, गुलाब चन्दजी कटारिया ने ढाई सौ सीनियर सैकण्डरी स्कूल्स खोली थीं। आप कितने खोलेंगे, यह बता दें। आप पच्चीस भी खोल दें तो मेरी शक्ल पर थूक देना। आप पच्चीस भी नहीं खोलोगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं यह बात। बालोतरा से आने वाले बन्धु ने कल कहा था, इनको कहिए वह धैर्य रखें। मैं कह रहा हूं, हमने कालीबाई के नाम से गर्ल्स कालेज खोला, हमने हरिदेव जोशी के नाम से गर्ल्स कालेज खोला, उनको पी जी एम नहीं कराया। पन्द्रह सौ छात्राएं पढ़ती हैं। दूसरा गवर्नमेंट कालेज तो खुलवा दो डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, मैं मान लूंगा।

**श्री मुरारीलाल मीणा** (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): थोड़ा बहुत माननीय उप नेता महोदय के लिए भी कह दो, इन्होंने भी बहुत काम किए थे। कटारियाजी, कटारियाजी की ही कह रहे हो, इनकी भी कहो, इन्होंने क्या-क्या काम किए थे।

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर): मैं उस पर भी आ रहा हूं। माननीय मंत्रीजी, आपसे प्रार्थना करता हूं कि महिला शिक्षा में दौसा पिछड़ा हुआ है, एक गवर्नमेंट कालेज और खुलवा लीजिए। इसमें नागौर भी पिछड़ा हुआ है। मैं यह भी कह रहा हूं कि इसमें सवाईमाधोपुर भी पिछड़ा हुआ है करौली पिछड़ा हुआ है, डूंगरपुर पिछड़ा हुआ है, इसका औसत एक लाख से भी ज्यादा पर एक कालेज है। सीकर और झुन्झुनूं का औसत तीस हजार पर आ गया। आप मुख्य मंत्रीजी से कहकर इसको तो ठीक करवाइये। मैं यही निवेदन करता हूं सत्तापक्ष के लोगों से, कि राजस्थान का जो असंतुलन है, उसको ठीक करिए। इतना ही नहीं, मैं संतुलन की बात कर रहा हूं, आपके लिए नजीर पेश कर रहा हूं। राजस्थान में सभी एम.एल.एज. को समान अधिकार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जो जनता पार्टी की सरकार थी, पहली बार निर्णय किया, 3000 की आबादी पर एक सेकण्डरी स्कूल होगा। हमने सब जगह खोला। गुलाबचंदजी ने कहा, 1992 में, सभी पंचायतों में मिडिल स्कूल होगा। इसके बाद जब घनश्यामजी और कालीचरणजी थे, 3108, शुरूआत की कि प्रत्येक पंचायत में सैकण्डरी स्कूल होगा। आपने बेइमानी की, पंचायती राज के

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

चुनाव के पहले आपने अपने यहां तो खोल दिये 800 स्कूल, और हमारे यहां पर एक भी नहीं खोला ...(व्यवधान) शेम, शेम कर रहा हूं मैं आपको।

**श्रीमती ममता भूपेश** (सिकराय): नहीं स्कूलें, खोलीं ...(व्यवधान)

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर): माननीय सभापति महोदयजी, 885 स्कूलों के आर्डर निकाले इन्होंने केवल कांग्रेस के एम.एल.एज. के लिये। देवनारायण की बात करते हैं, मेरे यहां गुर्जर बहुल 6 पंचायतें ऐसी हैं जहां सैकण्डरी स्कूल नहीं है और इन्होंने अभी तक खोले नहीं हैं। अब तक नहीं खोले हैं इन्होंने, मैं यह आरोप लगा रहा हूं इस सरकार पर, और इस कारण से लगा रहा हूं, यह बजट की बात करते हैं (समय समाप्ति सूचक घंटी) पिछले पांच साल का हमारा शासन था, पहले इनका था, हमने स्थायी पूंजी जो होती है, मैं टैक्निकल बोल रहा हूं, जो पैसा खर्च होता है, प्लान में अगर उसमें स्थायी पूंजी निर्माण होता है तो उसका परिणाम अलग होता है। मैं आपको एक सूचना दे रहा हूं, (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सभापतिजी, कांग्रेस के शासन में 30 हजार करोड़ का सम्पत्ति निर्माण हुआ और हमारे शासन में 66 हजार करोड़ का सम्पत्ति निर्माण हुआ।

ये कहते हैं किसानों का विकास करेंगे, आज ये इस वर्ग की बात करते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, किस का विकास कर रहे हैं? क्या जल संसाधन का विकास हो रहा है? 426 में से 233 जे.ईएन. के पद खाली हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, समअप करें।

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर): किस का विकास करोगे, जल संसाधन का? सभापतिजी, युवकों की स्थिति में देखें, दो लाख स्वीकृत पद खाली पड़े हैं, ये युवकों को रोजगार देना चाहते हैं,। वित्तीय प्रबन्धन करेंगे, वित्तीय प्रबन्धन की बात तो तब आती है जब कुछ लाएं। अब आप बताइये, कहां 18 हजार कुछ करोड़ के प्लान बनाये हैं वार्षिक उसमें से खुद कह रहे हैं अपने डाकुमेंट में कि 3000 तो पहले ही कम हो गये। लेकिन, मैं दावे के साथ कहता हूं, वो 31 मार्च को तय हो जाएगा कि 47 सौ करोड़ की प्लान घट रही है, कम हो रही है। इसके लिए कौन उत्तरदायी है? 47 सौ करोड़ कम खर्च होंगे तो युवकों के बेरोजगारी बढ़ेगी, गांवों की सड़कें नहीं होंगी, टूटी-फूटी सड़कें हैं। ये कह रहे हैं हम ऐसा कर देंगे, वैसे कर देंगे। आपके घोषणा पत्र को पढ़ो, बंधुओं, पहले आप। आप? पहले घोषणा पत्र पढ़ो, उसके आधार पर क्या कर रहे हैं आप। आप इसकी बात करते हैं।

मैं सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, अभी इन्होंने कहा,

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

हम दो रुपये किलो गेहूं बेचेंगे। सरकार ने अभी चिंता व्यक्त की। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से नागर साहब से निवेदन करूंगा, नागर साहब, यह सारा का सारा गेहूं आप सहकारी समिति के माध्यम से दीजिए, फिर आप पर कोई आरोप लगेगा। सहकारी समिति के माध्यम से बेचिये इसको।

आप नरेगा की बात करते हैं, आपने दो बार घोषणा कर दी कि हम जिला स्तर पर लोकायुक्त बनाएंगे, क्यों नहीं घोषणा की बजट में? 13 हजार करोड़ का बजट है, लोकायुक्त की घोषणा क्यों नहीं की आप लोगों ने? करनी चाहिए, आप लागू करिये इसको अगर आप पारदर्शिता चाहते हैं तो, ईमानदारी चाहते हैं तो। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, समअप करिये।

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर): माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन और करूंगा मैं। ये विकास की बात करते हैं, जो रिजल्ट है, विकास का रिजल्ट है वह पर-कैपिटा इनकम होती है, पर-कैपिटा इनकम में, हमारे इस आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा है कि 0.50 परसेंट वृद्धि हो रही है। 0.5; परसेंट, आधी परसेंट भी नहीं। ये पर-कैपिटा इनकम कह रहे हैं। आप कह रहे हैं इसमें, पर-कैपिटा इनकम में किस आधार पर विकास करना चाहते हैं? और काम को क्या मालूम कहां ले जाना चाहते हैं। काम तो वहां जाएगा जो आज झोटवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, वहां भीख के कटोरे के रूप में ही जाएगा।

एक लाख करोड़ का कर्जा, उसको कहां से चुकाओगे? कहां से चुकाओगे जब आप निर्माण नहीं कर रहे, कैपिटल फार्मेशन नहीं हो रहा? राजस्थान में कैपिटल फार्मेशन की जो ग्रोथ है वो इंडिया में सबसे कम है, मैं कह रहा हूं।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, सदन में आपसी वार्ता कम।

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर): औद्योगिक स्थिति इतनी खराब है, ये बार-बार कहते हैं, हमने बिजली इतनी पैदा की, मेरे पास आंकड़े हैं, 1454 मेगावाट तो आपने बनायी और 1800 मेगावाट हमने बनायी। आपने कहां से ज्यादा बिजली बना दी? आप किस आधार पर कह रहे हो यहां पर?

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, समअप करो। अभी और डिमाण्ड पर बोलियेगा आप, समअप करो अब।

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर): मैं आपकी आज्ञा से समअप कर रहा।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगा, इन्होंने बड़े-बड़े दावे किये हैं, जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 3300 करोड़ रुपये इन्होंने जोड़े हैं उस प्लान में वो तो वो हैं जो 2007 से प्रारम्भ हुई हैं और 2012 में जो योजनाएं पूरी होंगी। वो 11 योजनाएं जो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, ए.डी.बी. के यहां से, अन्य संस्थाओं से जो कर्जा लिया है 7500 करोड़ रुपये का, उसमें से 3300 की योजनाएं जोड़ी हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इस कारण से जो पहले से योजनाएं चल रही हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं को इसमें बोल यरहे हैं। इस प्रकार का विकास, कृत्रिम विकास जिसको मैं कहता हूं, कृत्रिम विकास कर रहे हैं। यह न युवकों को रोजगार दे रहे हैं, न किसानों को कोई, किसानों की बात आप करते हैं, किसानों के लिए कह रहे हैं ...

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य।

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर): माननीय सभापति महोदय, अगस्त में पत्र आया था, आधे पैसे में डीजल दिया जाएगा किसानों को, कितना दिया गया, कहें खड़े हो करके? मंत्री कहें, वित्त मंत्री कहें या पशुपालन मंत्री कहें, जो भी मंत्री बैठे हैं वे कहें कि हमने आधे पैसे में किसानों को डीजल दिया है। अगर नहीं दिया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कितने करोड़ रुपये वहां से आते हैं। ये अभी आरोप लगाते हैं, इनका आई क्यू बता रहा हूं, एक उदाहरण दूंगा मैं आपको ...

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, मेरा निवेदन है, समअप करो अब।

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर): हां, वो कर रहा हूं। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, राजीव गांधी पाठशालाएं खुलीं, ये 1200 रुपये देते थे.

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, समअप करो अब।

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर): माननीय सभापति महोदय, 1200 रुपये देते थे, घनश्यामजी जब शिक्षा मंत्री बने तो इन्होंने पूछा केन्द्र से, कितने रुपये दोगे, उन्होंने कहा, जितने रुपये आप मांगोगे उतने देंगे। हमने पूरा वेतन दिया उन लोगों को और इन्होंने 1200 रुपये में शोषण किया। आज यह दावा करते हैं, यह संवेदना की बात करते हैं, यह युवकों के आनन्द की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, बहुत समय ...

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर): इस कारण से इस बजट का संकल्प जो है इस खण्डित संकल्प का मैं विरोध करता हूं और इस दिशाहीन बजट के बारे में ...(व्यवधान) आरोप लगाता हूं कि यह बजट पूरी तरह असफल होगा। पूरी तरह से असत्य बजट है, इसकी मैं आलोचना करता हूं।

**श्री सभापति**: श्री रामलाल मेघवाल।

**श्री रामलाल मेघवाल** (जालौर): माननीय सभापति महोदय, आपने आज मुझे इस बजट के वाद-विवाद पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, साथ-साथ सदन में विराजमान पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी साथियों और दीर्घा में विराजे हुए पत्रकारों का भी आभार प्रकट करता हूं।

इस बजट के सन्दर्भ में प्रतिपक्ष के साथियों ने बताया कि यह बजट किसान, दलित, अल्पसंख्यक विरोधी है, मैं कहता हूं कि यह बजट गरीबों, किसानों, दलितों, अल्पसंख्यकों और सभी वर्गों के हित में बड़ा सोच कर सदन में प्रस्तुत किया गया है और मैं इसके पुरजोर शब्दों में समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के अपने भाई जो फर्मा रहे हैं शिक्षा के प्रति तो पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे माननीय देवनानीजी, कालीचरणजी सराफ साहब, घनश्यामजी तिवाड़ी साहब यहां विराजमान हैं, इनको यह मालूम है, इनको यह पता था कि जनता हमें स्वीकार नहीं करेगी, अपन यह स्कूलों की घोषणा कर दें, क्रमोन्नत कर लें, जिससे इन्होंने क्रमोन्नत तो कीं लेकिन उनमें न तो कोई अध्यापक लगाया और न ही अध्यापक की वहां नियुक्ति की कोई प्रक्रिया का प्रावधान किया। अभी अपनी सरकार जो कांग्रेस की आयी, उसमें शिक्षा मंत्रीजी ने और मुख्य मंत्रीजी ने समानीकरण कर बजट घोषणा में यह बताया कि सभी स्कूलों में जो रिक्त पद पड़े हैं उनको भरा जाएगा। तो यह शिक्षा के प्रति समर्पित बजट है और बिजली, ऊर्जा के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी ने किसानों के हित को देखते हुए तो 52 प्रतिशत का बजट दिया है। जो 52 परसेंट का बजट दिया है वह कितना किसानों के हित में है, ये भली-भांति जानते हैं। ये विरोध तो, प्रतिपक्ष के माननीय उप नेता यहां विराजमान हैं उन्होंने दो-तीन दिन पहले सदन के सामने फर्माया कि कांग्रेस सत्ता दल का समर्थन करने का है और हम विपक्ष में बैठे हैं इसलिए इनकी आलोचना करने का है। यह इन्होंने पहले से ही अपने सबके सामने बता दिया है। तो यह तो क्या है कि इनको विरोध करना ही है, अच्छा है तो भी विरोध करना है। हर

(श्री रामलाल मेघवाल)

बात में विरोध करना है। बुराइयों के लिए बोलें तो अपन भी समझें लेकिन ये तो अच्छाइयों की भी आलोचना, बुराइयों की भी आलोचना, इनको तो वो ही है कि अपन प्रतिपक्ष में बैठे हैं तो अपनी भूमिका निभानी है तो भूमिका निभानी है। इसमें कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। बजट में तो इनके मन में जो एक कहावत है कि गूंगो गुड खाए, ओ तो न समझे तो ये ये तो समझते हैं कि बजट अच्छा दिया है। जैसे कटारिया साहब भावुक हुए, दो रुपये किलो बी पी एल को गेहूं का कर दिया तो ये आश्चर्य जनक भावुक हुए कि अच्छा, ये तो वाहवाही लूट रहे हैं, दो रुपये बी पी एल को गेहूं दे रहे हैं तो अपन क्या विरोध करेंगे। तो इनका विरोध करना तो यूं है कि विरोध ही करना है।

प्रतिपक्षी वास्तव में मन्त्रियों पर आरोप लगाते हैं, मन्त्रियों पर किसलिए आरोप लगाएं? आपको यह मालूम है, आप आरोप लगाते हैं कि आपने जो किया काम, वही चश्मा आपके पास है, उसी चश्में से देखते हो कि हमने किया, वो ही काम ये कर रहे होंगे। लेकिन ये वो काम नहीं कर रहे हैं। आपने किया वो आपने ही किया, अभी वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप वही सोच रहे हैं।

बिजली के सम्बन्ध में आपने सुपर ट्रांसफार्मर लगाये, उस सुपर ट्रांसफार्मर से किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है? उसका एक मीटर खराब होता है उस मीटर के लिए किसान उस ट्रांसफार्मर को लेकर उस जी एस एस में आते हैं और वापस रिपेयर करवाकर लेकर जाते हैं। इतना बड़ा नुकसान किसान को उठाना पड़ता है। उसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि सुपर ट्रांसफार्मर के अन्दर मीटर लगे हुए हैं, मीटर के खराब होने से ट्रांसफार्मर को वहां लाकर ठीक करवाना पड़ता है, वहन करना पड़ता है इसलिए उनको सुधारा जाए।

दूसरा, माननीय पी एच ई डी मंत्रीजी यहां विराजमान हैं और मुख्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि हमारे जालौर जिले में बहुत ही पानी की प्राब्लम है, फ्लोराइड है। नर्बदा नहर जो प्रोजैक्ट दिया, माननीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने वहां आकर नहर का उद् घाटन किया, बड़े-बड़े बैनर लगाये पास में तीस किलोमीटर पर गुजरात के मुख्य मंत्री नरेन्द्रजी मोदी बैठे हुए थे, वसुन्धराजी ने कहा कि आओ, लेकिन वो कैसे आते, गुजरात वाले उनको पानी नहीं देने दे रहे हैं। गुजरात और अपने राजस्थान की बाउण्ड्री में तीस किलोमीटर तक नहर

(श्री रामलाल मेघवाल)

नहीं बनी, पाइप लाइन से, इलैक्शन वोटों की राजनीति करने के लिए, चुनाव आ गये थे, वह पानी लाकर नहर में डाला, लेकिन जालौर जिले के लिए वह पानी अभी देखने को नहीं मिला है। सांचोर के अन्दर है। माननीय मंत्री महोदय उस नहर का अवलोकन करने पधारे थे, नहर का अवलोकन करके आए। मैं माननीय मंत्री महोदय और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि हमारे जालौर जिले को फ्लोराइड से मुक्ति दिलवाने के लिए जल्दी से जल्दी नर्बदा का पानी, हम यह नहीं कहते कि हमको नहर दो, हमारे पीने के लिए पानी.......

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, एक मिनट। सचेतक महोदय।

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 11 बजे तक के लिए बढ़ाया जाए।

**श्री सभापति**: सचेतक महोदय, 12 तो हो चुकी है, 13 तारीख प्रात: 1 बजे तक के लिए बढ़ा दो क्योंकि दो घंटे में सिर्फ आठ सदस्य बोले हैं, बारह सदस्य और बोलने हैं, लगभग तीन घंटे अपने को और चाहिए। बार-बार समय बढ़ाएंगे क्या मतलब है?

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): यह तो, सभापति महोदय, व्यवस्था आपको रखनी है इतने मौलिक विचार आ रहे हैं इनको कट शार्ट करवाएं।

**श्री सभापति**: तीन घंट इकट्ठा बढ़ा दो, 13 तारीख प्रात: 1 बजे तक बढ़ा दो आप तो।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे तो 11 बजे तक सब हो जाएगा।

**श्री सभापति**: सदन का समय तीन घंटे बढ़ाया जाता है।

**श्री मुरारीलाल मीणा** (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): आधा घंटा सभापति महोदय, खाने का और जोड़ लो इसमें।

**श्री रामलाल मेघवाल** (जालौर): सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): सभापति महोदय, आपने जो बात

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कही वह तो ठीक है लेकिन मैं आपको यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं, हमेशा समय बढ़ाने का प्रस्ताव सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक करते हैं उसके हिसाब से हम समय बढ़ाते हैं। आसन को यह अधिकार प्राप्त है कि कोई माननीय सदस्य यदि बोल रहा हो तो बोलते समय उसको पांच मिनट, दस मिनट, पन्द्रह मिनट बढ़ाकर वो काम कर लेते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस पर पुनर्विचार कर लें और जो मुख्य सचेतक महोदय ने समय बढ़ाया है वह ठीक रहेगा, परम्परा के हिसाब से रहेगा।

**श्री मुरारीलाल मीणा** (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): ब्राह्मणों को भूख लग आयी।

**श्री रामलाल मेघवाल** (जालौर): बेनीवाल साहब, विराजो तो सही, आप तो यह करते रहोगे।

**श्री सभापति**: मैंने आपको निवेदन किया, मैं जब भी आप लोगों को निवेदन करता हूं, समय सीमा का ध्यान कोई माननीय सदस्य रख नहीं रहा है। मैंने काफी बार अनुरोध किया आपसे। इस गति से लगभग तीन घंटे लगेंगे। समय बार-बार एक एक घंटा बढ़ाने से व्यवधान भी होगा, जो माननीय सदस्य बोलेंगे ध्यान भी उनका दूसरी तरफ जाएगा। इससे बढ़िया या तो सदन का समय ...(व्यवधान) मेरा आपसे निवेदन है, संसदीय कार्य मंत्री महोदय, कि भोजन की व्यवस्था आप जरूर रखें।

**एक माननीय सदस्य**: सभापति महोदय, आपको धन्यवाद, समय बढ़ाया इसके लिए धन्यवाद।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है, तारीख बदलना आपके हाथ में नहीं है।

**श्री सभापति**: तीन घंटे के बाद तो 13 ही आएगी।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): नहीं, वह आपके हाथ में नहीं है। (व्यवधान)

**श्री पेमाराम** (धोद): साहब, यह क्या है?

**श्री सभापति**: मैंने तीन घंटे बढ़ाया है, तीन घंटे। (व्यवधान)

**श्री पेमाराम** (धोद): सरकार को आदेश दे रहे हैं खाने के लिए।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): कार्य सूची है, कार्य सूची में दिनांक अंकित है।

**श्री रामलाल मेघवाल** (जालौर): सबको अभी समय मिला है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि समय बढ़ाने का अधिकार आसन को नहीं है, सचेतक को भी नहीं है ... (व्यवधान) समय बढ़ाने का अधिकार सदन को प्राप्त है। अपन तो चूंकि बार-बार बोलते नहीं हैं बाकी इसका क्वेश्चन पुट होना चाहिए, उसकी हां-ना होनी चाहिए और उसके बाद समय बढ़ाने की घोषणा करनी चाहिए। आजकल हम परम्पराओं से हट रहे हैं इसलिए मैंने याद दिलाया है कि मुख्य सचेतक महोदय प्रस्ताव करते हैं, फिर आसन एक प्रश्न रखता है कि क्या सदन की सहमति है कि समय बढ़ा दिया जाए, फिर हां बोलते हैं तब समय बढ़ता है। उसी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: जो बढ़ा दिया सो बढ़ा दिया।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): मैं पुन: प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 11 बजे तक के लिए बढ़ाया जाए।

**श्री राजेन्द्र सिंह गुढा** (राज्य मंत्री, आयोजना (जन शक्ति)): सदन का समय तो आसन ने व्यवस्था दे दी उस पर पुनर्विचार नहीं किया जाए।

**श्री सभापति**: क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय 11 बजे तक के लिए बढ़ाया जाए?

**(स्वीकृत)**

सदन का समय 11 बजे तक के लिए बढ़ाया जाता है।

**श्री राजेन्द्र सिंह गुढा** (राज्य मंत्री, आयोजना (जन शक्ति)): सभापति महोदय, जो सदस्य बोल रहे हैं वह बोलते ही जाएं नहीं, पूरा सुन कर जाएं।

**श्री पेमाराम** (धोद): सरकार खाने की व्यवस्था भी करे।

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): जो ज्यादा बोलते हैं उनको झाड़ा देने की जरूरत है। मेरा निवेदन है, माननीय ओटारामजी भी सदन में विराजमान हैं, सुविधा है तो जो ज्यादा बोलते हैं उनको झाड़ा दिया जाए।

**श्री रामलाल मेघवाल** (जालौर): सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें सभी वर्गों को सम्मिलित करके दिया है लेकिन साथ-साथ में पशुओं का भी ध्यान रखा है जिसमें 71 पशु चिकित्सालय क्रमोन्नत करने का प्रावधान रखा है । यह खास बात यह है कि अपन इन्सान, मानव अगर बीमार होते हैं तो गाड़ी में बैठाकर, जीप, स्कोर्पियो, क्वालिस में लेकर जोधपुर, जयपुर, गुजरात जाते हैं। मवेशी बीमार होते हैं तो न

(श्री रामलाल मेघवाल)

तो उनको गाड़ी में बिठाया जा सकता है न उनको ले जाया जा सकता है । तो उनका इतना ध्यान रखा है, उनके इलाज के लिए राजस्थान में 71 पशु चिकित्सालय क्रमोन्नत करने का प्रावधान रखा है,

**( 22.00 बजे)**

यह बहुत ही कल्याणकारी, बड़ा अच्छा कदम है। आप सभी विपक्ष में बैठ कर पूरी बजट की किताब जो है उसको पढ़ते नहीं है। किताब हाथ में आने के बाद आपको तो सिर्फ यही है कि पढ़कर तो क्या करना है, अपने को तो विरोध ही करना है, तो आप उसी को न देखें। आप विरोध करें लेकिन विरोध की बात हो उसका विरोध करें, जो सही बात है उसका धन्यवाद दें। धन्यवाद देने में ही आपका भला है। आप यहां आये हैं तो जनता ने भेजा है क्षेत्र के विकास के लिये। असत्य बात के लिये तो कोर्ट में वकील हैं, वह करते हैं। अपने को तो सही बात को असत्य साबित नहीं करना है, सही को सही रखना है। उसमें ही आप और हम सबका भला है। इस विधान सभा में अपन मेहनत करके आते हैं। मैं पांच बार चुनाव लड़ा और पांच बार चुनाव हारा और मेहनत करके आया। मुझे यह मालूम होता कि सही को असत्य बताते हैं और असत्य को सही बताते हैं तो मैं इतनी मेहनत भी नहीं करता। इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और मुख्य मंत्रीजी की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं, जय हिन्द। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री कानसिंहजी।

**श्री कानसिंह कोटड़ी** (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वित्त मंत्री के रूप में जो बजट प्रस्तुत किया, जनता को अपेक्षा थी कि किसान, युवा बेरोजगार और महंगाई से त्रस्त जनता को राहत होगी परन्तु जनता को निराशा हाथ लगी है।

मेरे क्षेत्र की समस्या के बारे में निवेदन करना चाहता हूं जिस बात को लेकर हम इस विधान सभा के अन्दर पहुंचे हैं। आज मेरा सिवाना क्षेत्र बाड़मेर का समृद्ध क्षेत्र है परन्तु मेरे क्षेत्र के अन्दर लूणी और उसकी जो सहायक नदियां चलती हैं, वे नहीं आने के कारण नदी किनारे जो गांव है वे दो फसली से एक फसली होते जा रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी से और सिंचाई मंत्रीजी से मेरा यह विनम्र निवेदन है कि नदियों के किनारे जो गांव आए हैं, कैचमेंट एरिये के अन्दर जो बांध बने हुए हैं, आप इस प्रकार की व्यवस्था करें कि प्रति दूसरे और तीसरे वर्ष हमारी इन नदियों के अन्दर पानी आए ताकि

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

किसानों की हालत सुधरे और उनके अन्दर खुशहाली आए। नहीं तो किसानों की हालत मेरे सिवाना विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बहुत दयनीय होती जा रही है।

आपने पैरा नम्बर 195 के अन्दर चम्बल नदी की सफाई की जो बात कही है, हमारे बालोतरा के विधायक विराजे हैं, आप खुद जानते हैं कि लूणी और उसकी सहायक नदियों के अन्दर पाली की फैक्ट्रीज और बालोतरा के इंडस्ट्री एरिये का रसायनयुक्त पानी आ रहा है जिसके कारण नदी किनारे जो हमारे किसानों के खेत आए हुए हैं वे बंजर होते जा रहे हैं और उनके बेरो का पानी बहुत ही खारा होता जा रहा है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पाली और बालोतरा फैक्ट्रीज का पानी हमारी इन नदियों के अन्दर आ रहा है, वहां पर ट्रीटमेंट प्लान्ट बने ताकि रसायनयुक्त पानी इन नदियों के अन्दर नहीं आए और किसानों के खेत ऊसर होने से बचें।

बरसात नहीं होने के कारण मेरे क्षेत्र के अन्दर पेयजल की विकट समस्या है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पैरा 35 के अन्दर मेरे क्षेत्र की उम्मेदसागर-धवा-समदड़ी योजना है उसके लिए बजट का प्रावधान किया है, परन्तु थर्ड फेज का भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। हमारे विधान सभा क्षेत्र के 54 गांव इस पेयजल योजना से प्रभावित हैं तो ये योजना है इसके अन्दर तीव्रता लायी जाए ताकि हमारे इन 54 गांवों की जनता को पीने का मीठा पानी उपलब्ध हो।

पोकरण-फलसूंड जो पेयजल योजना है, वह भी विधान सभा क्षेत्र के 170 गांवों के लिये बनी है। उसका इस बजट के अन्दर प्रावधान नहीं है। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि शीघ्र इस योजना पर भी विचार हो, शीघ्र स्वीकृत हो ताकि हमारे विधान सभा क्षेत्र के बाकी गांवों को शीघ्र पानी उपलब्ध हो।

मैं फसल बीमा के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं, पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा 2004 के अन्दर फसल बीमा योजना लागू की गयी थी लेकिन 2007-2008 में सिवाना विधान सभा क्षेत्र के अन्दर अकाल होते हुए भी किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिला। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा फसल बीमा के अन्दर जो तहसील को इकाई माना गया है, तहसील की जगह पटवार सर्कल को इकाई माना जाए ताकि किसान को फसल बीमा का लाभ प्राप्त हो।

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पैरा नम्बर 118 के अन्दर मौसम बीमा योजना किसानों के लिये लागू की है, उसके लिये उनका हार्दिक आभार। पैरा 119 में, 2009 के अन्दर जो 27 जिलों में भयंकर अकाल था और अकाल प्रभावित किसानों को अनुदान के रूप में प्रति हैक्टेयर 2,000 रुपये, 4,000 रुपये तक का जो अनुदान दिया है, मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि बाड़मेर के अन्दर 2179 गांवों की सम्पूर्ण क्षेत्र अकालग्रस्त है। मेरे सिवाना विधान सभा क्षेत्र के 225 गांव अकाल प्रभावित हैं, इसमें लघु सीमान्त की सीमा हटाई जाए और इस प्रकार के अनुदान का फायदा सभी किसानों को दिया जाए।

मैं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि आपने पैरा नम्बर 203, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और पर्यटन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे गांवों के अन्दर लोक कला और संस्कृति नष्ट होती जा रही है। होली के मौके पर जो मेले लगते हैं, आंगी गैर हमारी पुरानी गेर है, जत्ता गेर है, डंडिया गैर है और स्त्रियों की लूर है, ये बंद होती जा रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो ग्राम पंचायत लोक कला और संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास करती है, उन कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि हमारी लोक कला और संस्कृति जीवित रह सके।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सिवाना विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सिवाना से 15 किलोमीटर दूर हल्देसर स्थान आया हुआ है जहां वीर दुर्गादास मुगलकाल में 14-15 वर्ष तक रहे। औरंगजेब के पौत्र और पौत्री को उन्होंने वहां पर रखा, मुस्लिम धर्म की शिक्षा दी। इस प्रकार की जो ऐतिहासिक धरोहर है उसके संरक्षण के लिये, जिस प्रकार से आपने दूसरी जगह प्रोत्साहन दिया है, हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर हल्देसर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का मैं माननीय पर्यटन मंत्रीजी से निवेदन करता हूं।

माननीय चिकित्सा मंत्रीजी भी विराजे हैं, सिवाना विधान सभा क्षेत्र बड़ा कस्बा है। वहां पर मात्र 2 डाक्टर हैं, एक भी सर्जन नहीं है। के किनारे टूटे-फूटे हैं जिसके कारण हर समय एक्सीडेंट होते रहते हैं। दो ही डाक्टर होने एवं सर्जन नहीं होने के कारण हमारे लोगों को जोधपुर रैफर किया जाता है, उनको बड़ा कष्ट होता है। मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सिवाना जैसे बड़े कस्बे के अन्दर सर्जन लगाया जाए ताकि एक्सीडेंट के समय उनको जोधपुर रैफर नहीं किया जाए' वहीं पर उनको इलाज की सुविधा प्राप्त हो।

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

सभापति महोदय, सिवाना विधान सभा क्षेत्र में मात्र 10-12 गांव हैं जहां रोडवेज की सुविधा है। समदड़ी क्षेत्र से बाड़मेर जिला है वहां पर जाने की सुविधा नहीं है। मैं माननीय परिवहन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में रोडवेज की सुविधा बढ़ायी जाए। समदड़ी क्षेत्र के अन्दर रोडवेज की व्यवस्था की जाए ताकि जिला कार्यालय तक वहां के लोग पहुंच सकें।

सभापति महोदय, आपने गत बजट के अन्दर सिवाना विधान सभा क्षेत्र में एसडीओ कोर्ट की घोषणा की थी, अभी तक उस क्षेत्र में एसडीओ कोर्ट नहीं खुला है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप शीघ्र एसडीओ कोर्ट हमारे यहां खोलें ताकि हमारी जनता को जो आज बालोतरा जाना पड़ता है उनको सिवाना में ही इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो।

सभापति महोदय, पैरा 176 में बाड़मेर जिले की बात है, तेल हमारे क्षेत्र के अन्दर मिला है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ये प्रयास किया है कि बाड़मेर के अंदर तेल की रिफाइनरी खुले, मेरा निवेदन है कि बाड़मेर क्षेत्र में अगर रिफाइनरी खुलती है जहां पर अपार तेल का भण्डार है तो हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं माननीय सभापति महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं, जय हिन्द।

**श्री सभापति**: श्रीमती सज्जन देवी कटारा।

**श्रीमती सज्जन कटारा** (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से मार्च, 2010 को माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत द्वारा रखे गये बजट की बहुत तारीफ करती हूं। यह बजट लोकप्रिय बजट है। यह बजट समाज के प्रत्येक वर्ग में जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। महिलाओं के हितों का ध्यान रखा गया है, कमजोर तबके के लोगों का ध्यान रखा गया है, बालिकाओं का ध्यान रखा गया है, गरीबों का ध्यान रखा गया है, आदिवासी और एससी, एसटी, पिछड़े वर्गों का ध्यान रखा गया है, मैं मुख्य मंत्रीजी का इसके लिए बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूं।

सभापति महोदय, मुझे यहां कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि उदयपुर संभाग जो कि जनजाति बहुल क्षेत्र है, मैं उसी क्षेत्र से निर्वाचित होकर आयी हूं, देवास परियोजना उदयपुर शहर की लाइफ लाइन है, उसके लिए आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने एक साथ 50 करोड़ का प्रावधान किया है। इस

(श्रीमती सज्जन कटारा)

योजना को शीघ्र पूरा करने के लिए मुख्य मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया है कि यह योजना शीघ्र पूरी हो जाएगी जिससे उदयपुर जो कि झीलों की नगरी कहलाती है, वहां की झीलें हमेशा भरी रहेंगी। उदयपुर का सौंदर्य बढ़ेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बेरोजगारी दूर होगी, पानी के अच्छे प्रबंध होंगे। इसके लिए मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करती हूं, धन्यवाद देती हूं। मगर मैं मुख्य मंत्रीजी से यह भी मांग करती हूं कि जहां से यह योजना प्रारम्भ हो रही है जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, वहां पर गहरी सुरंग खोदने से जल स्तर बहुत ही नीचे चला गया है। नीचे जल स्तर चले जाने से इस इलाके के ग्रामीणों में पानी के लिए बहुत ही आक्रोष व्याप्त है। हाल ही में इन गांवों का दौरा करने पर मालूम हुआ कि जनता और पशुओं के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। जनता में भारी आक्रोष है और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग द्वारा अभी तक इन जगहों पर जल का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। मेरी पीएचईडी मंत्रीजी से निवेदन है कि खुदाई की वजह से पानी का स्तर नीचे चला गया है, सर्वप्रथम इस इलाके में जो प्रभावित हुआ है, जो इसकी चपेट में आया है, यहां पर पानी के स्थाई प्रबंध किये जाएं जिससे इस क्षेत्र की जनता को राहत मिले।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा 2 मई, 2010 से बीपीएल परिवारों को 2 रुपये किलो गेहूं देने का प्रावधान किया गया है जो कि स्वागत योग्य है। साथ ही मैं निवेदन करती हूं कि इस इलाके में बीपीएल से ज्यादा एपीएल के जो लोग आ रहे हैं, उनकी हालत भी बहुत ही कमजोर है, इसलिए एपीएल के परिवारों को भी यह सुविधा उपलब्ध करायी जाए। जब तक नया सर्वे नहीं होता है तब तक इन एपीएल परिवारों को 2 रुपये वाली गेहूं देकर सुविधा उपलब्ध करायी जाए जिससे इनको राहत मिले।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा बीपीएल परिवारों के साथ वृद्धों, विधवाओं, विकलांगों को नि:शुल्क चिकित्सा राजकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध करवाना स्वागत योग्य है, मेरा निवेदन है कि जनजाति परिवारों को भी नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाए, साथ ही निजी चिकित्सालयों में भी उक्त सुविधा उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये जाएं।

सभापति महोदय, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जो जनजाति बहुल क्षेत्र हैं, वहां भू-गर्भ में अत्यधिक खनिज संपदा उपलब्ध है। इन खनिजों के खनन का कार्य मुख्य मंत्रीजी द्वारा आरएसएमएम को दिया गया है, यह स्वागत योग्य है।

(श्रीमती सज्जन कटारा)

खनिज से लाभ का 20 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय विकास में लगाना तय किया गया है, यह स्वागत योग्य है। साथ ही 50 प्रतिशत स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार देने का प्रावधान किया गया है, इससे जनजाति क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, स्थानीय व्यक्ति को इससे फायदा मिलेगा। लेकिन जिनकी जमीन स्वयं की है, उनका मालिकाना हक है जिस जमीन पर माइंस है उसमें उनकी हिस्सेदारी भी रखी जानी चाहिए, यह मेरी मुख्य मंत्रीजी से मांग है।

सभापति महोदय, मेरी विपक्षी सभी बहिनें चली गयी हैं, उनके द्वारा आरोप लगाये गये हैं कि पूरे बजट में महिलाओं का ध्यान नहीं रखा गया है। लेकिन हमारी सरकार द्वारा, मुख्य मंत्रीजी द्वारा 50 प्रतिशत आरक्षण स्थानीय निकायों में और पंचायती राज चुनावों में देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। महिलाएं आगे आयी हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के उन्हें अवसर मिले हैं और महिलाओं में सशक्तिकरण हुआ है। मैं इसके लिए मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं।

सभापति महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं नि:शक्त जन बालिकाओं को बोर्ड की आठवीं, दसवीं एवं बारहवीं की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर क्रमश: 25 हजार, 40 हजार और 50 हजार रुपये का इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा एवं राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा दस में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैरिट में प्रथम आने वाली तीन छात्राओं को विदेश में स्नातक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। शिक्षा पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा वहन किया जायेगा। इससे गांव में, एक झौंपड़ी में बैठी हुई बालिकाओं को विदेश जाने का मौका मिलेगा। इस उन्नत सोच के लिए मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करती हूं कि आपने गांव, ढाणी और दूरदराज में रहने वाली बालिकाओं का अभी जो ध्यान रखा है, उससे शिक्षा में ये बालिकाएं आगे बढ़ेंगी।

सभापति महोदय, शिक्षा विभाग में समानीकरण अभी नहीं हुआ है, दूरदराज के स्कूल अभी खाली पड़े हैं। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी ये स्थान भरे जाएं जिससे शिक्षा में जो व्यवधान आ रहा है, परीक्षाओं का समय नजदीक आ रहा है, इससे राहत मिलेगी।

चिकित्सा सेवाओं का विस्तार हो गया, वर्ष 2010-11 में मेडिकल

(श्रीमती सज्जन कटारा)

कॉलेज से सम्बद्ध सभी चिकित्सालयों में 1 हजार शैयाओं की वृद्धि करना प्रस्तावित है। इन शैयाओं में उदयपुर में 120 शैयाएं प्रस्तावित की हैं, इससे उदयपुर की गरीब जनता को लाभ मिलेगा। उदयपुर संभाग का हैडक्वार्टर होने से वहां मरीजों की संख्या अत्यधिक है और वहां पर बहुत प्रैशर रहता है, इससे लाभ मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं यह मांग करती हूं कि चिकित्सालयों में और भी कई सुविधाओं की कमी है, वे उपलब्ध कराई जाएं जिससे जनजाति बहुत क्षेत्र की जनता को लाभ मिले।

अंत में मैं कहना चाहती हूं कि उदयपुर संभाग आदिवासी बहुल है उदयपुर जिले के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी, केन्द्रीय मंत्री डाक्टर सी पी जोशी और कपिल सिब्बल साहब द्वारा आई आई एम की जो स्थापना की गई है, वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही की गई है, इस स्थापना से मैं मानती हूं कि वहां के छात्र-छात्राओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे और शिक्षा का विकास होगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि आपने हमारे आदिवासी इलाके का ध्यान रखा है।

इसके अलावा हमारे खाद्य मंत्रीजी यहां बैठे हुए थे, उन्होंने पूरे प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया, इससे निश्चित रूप से सुविधा मिली है और पूरे प्रदेश के अन्दर अच्छा वातावरण हुआ है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा रखा गया बजट बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत ही अच्छा है, इससे अच्छा कोई बजट हो नहीं सकता था, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं। नरेगा में बहुत अच्छा काम चले, इस बात को ध्यान में रखते हुए हर पंचायत हैडक्वार्टर पर राजीव गांधी सेवा केन्द्र बनाने का प्रावधान किया है हमारी सरकार ने, इससे प्रत्येक पंचायत में जो काम हो रहे हैं करोड़ों रुपयों के और जो बजट जा रहा है, उसका लेखा-जोखा बहुत अच्छी तरह से रखने का प्रावधान है। वहां कम्प्यूटर होगा, सेवाकर्मी होंगे और सोलर ऊर्जा के माध्यम से ये कम्प्यूटर चलेंगे, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करती हूं।

ग्रामीण क्षेत्रों में जो बी पी एल परिवार हैं, पिछड़ा तबका रहता है, उदयपुर जिला आदिवासी जिला कहलाता है, आदिवासी संभाग कहलाता है, हमारे ऊर्जा मंत्रीजी का मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत पूरे इलाके में नि:शुल्क बिजली देने का

(श्रीमती सज्जन कटारा)

प्रावधान किया है बी पी एल को, जो कि बहुत स्वागत योग्य है। अंधेरे में वर्षो से हमारे भाई-बहन ढाणियों और मजरों में रहते हैं, उनको इससे रोशनी मिलेगी, उनके बालक पढ़ेंगे। रोशनी के जरिये वे आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन में अच्छा उजाला प्राप्त कर सकेंगे। मैं हमारे ऊर्जा मंत्रीजी का भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं।

अंत में मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहती हूं जिन्होंने बजट में गरीबों का ध्यान रखा है। यह बहुत अच्छा बजट है, स्वागत योग्य बजट है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करती हूं और धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे यहां पर बोलने का अवसर दिया।

**श्री सभापति**: श्री छोटू सिंहजी भाटी।

**श्री छोटू सिंह भाटी** (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो बजट भाषण 2010-11 दिया गया है उसके बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने जो बजट बनाया है वह झोपड़ी के लिए बनाया है, इसके लिए मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की 70 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और 30 प्रतिशत शहरों में रहती है। सबसे पहली समस्या पेयजल की है, पेयजल की समस्या के अन्दर 70 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है लेकिन बजट के अन्दर उनका खर्चा पानी का केवल 30 प्रतिशत है। सबसे समस्याग्रस्त यदि कोई है तो गांव के लोग हैं जो खारा पानी पीते हैं। पेयजल उपलब्ध करवाने वाले ट्यूबवैल खराब हैं और आए दिन उनमें समस्या रहती है। पूरे राजस्थान में समस्या है, मेरे जैसलमेर की समस्या के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पूर्व के जो ट्यूबवैल बनाए हुए हैं, हैण्डपम्प बनाए हुए हैं उनकी हालत ऐसी है कि वे खराब हैं। ट्यूबवैल जो खोदे गए थे दो साल पहले, आज तक उनके कनेक्शन नहीं किए गए हैं। यह बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहां पर बहुत ही पानी की समस्या है। इसके साथ ही नहर का पानी जो चुनावों में पानी की समस्या थी उसको देखते हुए जैसलमेर की जनता को कहा भी था कि सिंचाई नहीं होगी, पानी पीने के योग्य ही होगा। लेकिन सरकार द्वारा चुनाव देखते हुए यह कह दिया गया कि हम आपको तीन पानी देंगे और लोगों ने खेती कर दी। जब एक पानी आया तो लोगों ने खेती कर दी, दूसरा पानी आया तो लोगों ने पिलाई कर दी और तीसरे पानी के लिए लोग इन्तजार करते रहे। आज हालत यह है कि वहां के किसानों को पीने का पानी नहीं है। फसल तो खराब हो गई, वहां पीने का पानी भी नहीं है।

(श्री छोटू सिंह भाटी)

मानीनीय मुख्य मंत्रीजी ने उपनिवेशन के हिसाब से जो ब्याज माफी का कहा था, वह बिलकुल धन्यवाद योग्य है। आज से पूर्व के सालों में भी हरेक साल में ब्याज माफ होता था, मेरा निवेदन है और सुझाव है कि इस साल भी जिस हिसाब से किसानों के साथ धोखा हुआ है उस हिसाब से ब्याज ही नहीं माफ किया जाए, उनकी किश्तें भी माफ की जाएं।

दूसरा मेरा निवेदन है, शिक्षा के क्षेत्र में जैसलमेर में कुल 1200 अध्यापक कार्यरत होने चाहिए थे, जबकि वहां 600 ही कार्यरत हैं और उनमें भी 50-60 सेवानिवृत्त हो गए हैं। आज वहां स्कूल खाली पड़े हैं। स्कूलों में बच्चों के साथ इस प्रकार का धोखा हुआ है कि स्कूल बंद होने के कारण और दूसरे गांवों में स्कूल 20-25 किलोमीटर दूर होने के कारण वे बच्चे पूरे साल स्कूल ही नहीं जा पाये जिससे उनका जीवन ही बिगड़ गया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जैसलमेर में जिस हिसाब से शिक्षा में धोखा हुआ है, शायद दूसरी जगहों पर नहीं हुआ होगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कारों का ऐलान किया जा रहा है, बालिका शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, इसके लिए वे धन्यवाद के योग्य हैं। लेकिन आप पुरस्कार दे रहे हो, हमारे गांव की बालिकाएं तो उन पुरस्कारों तक पहुंच भी नहीं पाएंगी, क्योंकि वहां स्कूलें ही बंद रहती हैं, वह स्कूलों तक जा नहीं पाती हैं। इस हिसाब से मेरा निवेदन है कि शिक्षा मंत्रीजी आने वाले समय में शिक्षकों की भर्ती करें ताकि उन बच्चों का भविष्य आने वाले समय में तो खराब न हो।

बिजली के हिसाब से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हर किसान को हम बिजली दे देंगे, लाइट कनेक्शन दे देंगे, पर वह घोषणा घोषणा ही थी, उनको कनेक्शन नहीं दिया गया। नवम्बर माह में लोगों ने ट्यूबवैल खोद दिए लेकिन कनेक्शन नहीं है। उसके साथ जो पेयजल के ट्यूबवैल हैं उनके साथ कृषि के कनेक्शन हैं, दोनों साथ होने के कारण बिजली की बड़ी समस्या रहती है और 4 घण्टे ही लोगों को पेयजल मिल पाता है। माननीय सभापति महोदय, पेयजल की योजनाएं जो घोषणा पत्र में दी गई हैं, आर यू आई डी पी में 554 करोड़ का जो बजट आया है उसमें जैसलमेर जिले के लिए भी हिस्सा रखा हुआ है,

इसके लिए मैं मुख्य मंत्री को पूर्व में धन्यवाद देना चाहता हूं।पूर्व में इसलिए कि कहीं घोषणा घोषणा नहीं रह जाए, उसमें हमारे हिस्से का जो

(श्री छोटू सिंह भाटी)

बजट जाए उसमें जैसलमेर की पेयजल की समस्या का निस्तारण किया जाए।

इसके साथ में मैं चिकित्सा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि चिकित्सा की स्थिति हमारे जैसलमेर में इस टाइप की है कि गांवों में उप स्वास्थ्य केन्द्र बने हुए हैं लेकिन एएनएम की कमी है। 700 गांव और ढाणियां हैं लेकिन एएनएम खाली 200 ही हैं। व्यवस्था की गई है जननी सुरक्षा के लिए, महिला के प्रसव के लिए कि वहां पर प्रसव कराया जाए और उनको हर विकास की योजना का लाभ मिले, हमारे जैसलमेर में वह नहीं मिल रहा है क्योंकि गांव से अस्पताल की दूरी 50-60 किलोमीटर है। माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा यह घोषणा में कहा गया था कि 108 गाड़ी हम और बढ़ा रहे हैं, हमारे जैसलमेर में 39 हजार स्क्वायर मीटर एरिया है और दूसरे जिलों में 3-4 हजार का क्षेत्र है, वहां भी 108 गाड़ी एक है और हमारे जैसलमेर में इतना बड़ा भू-भाग होते हुए भी एक ही गाड़ी है। मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर के बढ़ते हुए भूभाग को 40 मीटर की परिधि को चेंज करके 2-3 108 गाड़िया भिजवाई जाएं ताकि जैसलमेर के लोगों को मेडिकल की सुविधा का लाभ मिल सके।

इसके अलावा मैं विशेषकर पशुपालकों की ओर से निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि जैसलमेर जिले की आधी से ज्यादा जनता पशुपालक है और पशुओं की हालत अकाल की स्थिति में ऐसी है कि वहां चारा-घास नहीं है। पशु शिविर सरकार के द्वारा खोले गये हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। पशुओं को आज महंगाई के जमाने के हिसाब से 14 रुपये अनुदान के रूप में सरकार दे रही है लेकिन 14 रुपये में केवल 2 किलो ही चारा पशुओं को मिल रहा है, 2 किलो चारे के हिसाब से पशु कैसे जी सकता है? मैं सदन के माध्यम से पूरे सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि इसका अनुदान बढ़वाया जाए ताकि उन पशुओं का जीवन निर्वाह हो सके।

इसके साथ में मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उपनिवेशन विभाग में माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा ब्याज माफी गई, की वह स्वागत योग्य है। लेकिन जिस हिसाब से आपने जो डिग्गी का प्लान बनाया है, हमारा जैसलमेर वैसे भी सीमावर्ती है और नहर का भी टेल है, वह हमेशा इसमें पिछड़ा रहता है। मैं आने वाले साल के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि जो उपलब्धता से पानी मिलना चाहिए, जो हमारे

(श्री छोटू सिंह भाटी)

बंटवारे का पानी हो वह पूरा दिलवाया जाए ताकि हमारे किसान उसका पूरा लाभ उठा सकें।

इसके साथ में मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व में पीएमजीएसवाई के द्वारा सड़कें बनाई गईं लेकिन सड़क से सड़क को तो जोड़ दिया, लेकिन दूसरे गांव से गांव की दूरी नहीं जुडी है, लिंक रोड की कमी रहती है। कुछ गांव ऐसे हैं कि एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 10 किलोमीटर पड़ती है जबकि 10 किलोमीटर की दूरी पहले पीएमजीएसवाई में रोड से जोड़ी गई है। गांव से गांव नहीं जुड़ेंगे तो कई गांव ऐसे हैं जो 2 और 4 किलोमीटर के अन्दर आते हैं, बीएडीपी के द्वारा पूर्व में जो सीमावर्ती का बजट हमें मिलता था उसमें 2-2 किलोमीटर सड़क बनवाकर उन गांवों को न तो जोड़ा गया है और न रखा गया है। अब जो बीएडीपी में आपका बजट आया है उसमें गाइडलाइन चेंज हो गई, उस गाइडलाइन के मुताबिक अब सीमावर्ती क्षेत्र में 0 से 10 और 10 से 20 किलोमीटर की दूरी में विकास किया जा रहा है, उसको देखते हुए इन सड़कों का वापस पुनर्गठन नहीं हो सकता है और न ये लिंक रोड आपस में मिल सकती हैं। मेरा निवेदन है कि पीएमजीएसवाई से या दूसरी किसी योजना से लेकर जो अधूरी रोड बनी हुई हैं, उनको पूरा किया जाए।

इसके साथ में मैं राशन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, आपकी बजट घोषणा में 2 रुपये किलो बीपीएल परिवार को राशन देने की जो घोषणा की गई, वह स्वागत योग्य है, धन्यवाद योग्य है। लेकिन वह 2 रुपये किलो किसको दिया जाएगा? 1997 में जो बीपीएल हुए हैं, 2002 में जो बीपीएल हुए हैं या 20-25 प्रतिशत जनता जो 2009 और 2011 के अन्दर गरीब हुई है, उसको दिया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय द्वारा यह कहा गया था कि हम आपको आटा 11 रुपये 60 पैसे में देंगे, दाल देंगे, गेहूं देंगे। लेकिन हमारे जैसलमेर में आज तक न तो आटा आया, न दाल आई और गेहूं भी आए तो वो केवल 6 महीने में 10 किलो आए। बिलकुल सच बात है। उस हिसाब से आज यह घोषणा हो रही है कि 15 और 20 तारीख को किसी सरकारी कर्मचारी की निगरानी में हर उपभोक्ता को गेहूं दिया जाएगा। यदि 10 किलो गेहूं दिया जाता है तो उसकी मान्टिरिंग की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। जब पर राशन कार्ड 10 किलो ही गेहूं मिलेगा, उसमें 10 मैम्बर होंगे तो उसको कौन चोरी करने देगा, कौन ब्लैकमेल करने देगा, इतना तो जो राशन कार्डधारी

(श्री छोटू सिंह भाटी)

है वह भी जानता है। मेरा निवेदन है और मेरा सुझाव है कि उस गरीब जनता को  बीपीएल को जिस हिसाब से आप दे रहे हो उस हिसाब से इस साल किसानों के साथ जो धोखा हुआ है उनको भी 2 रुपये किलो गेहूं दिया जाए और जो एपीएल के परिवार हैं उनको भी पर्याप्त मात्रा में गेहूं दिया जाए। इसी के साथ आपने मुझे इस सदन में जो बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री सभापति**: श्री रूपारामजी डूडी।

**श्री रूपाराम डूडी** (डीडवाना): माननीय सभापति महोदय, आपने बजट 2010-11 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं कि 2010-11 के बजट में बीपीएल गरीब तबके को ध्यान में रखकर बजट पेश किया जिससे आमजन को राहत मिली। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं नागौर जिले के डीडवाना विधान सभा क्षेत्र से जनता की मेहरबानी से सदन में आया हूं। नागौर जिला राजस्थान प्रदेश का हार्ट कहा जाता है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आजादी से पहले और आजादी के बाद हमेशा नागौर जिले का प्रदेश ही नहीं पूरे देश में वर्चस्व रहा है। नागौर जिला वो जिला है जिसमें एसकेडे, आज जैसे हमारे अध्यक्ष जी हैं, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मिनिस्टर डा. सी.पी. जोशी साहब है उसी तरह से नागौर जिले से पार्लियामेंट में चुनकर गये थे एसकेडे ग्रामीण और विकास मंत्री उस समय में हुआ करते थे। मैं, सभापति महोदय, आपको यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि नागौर जिले में पंचायती राज की स्थापना हुई और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने नागौर जिले में आकर पंचायती राज की शुरूआत की। नागौर जिला वो जिला है जिसमें स्वर्ण जयन्ती दिवस भी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यहां आकर मनाया और स्वर्ण जयन्ती समारोह वहां हुआ। मैं सदन के मार्फत मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन कर रहा हूं कि वहां जो स्थापना की गई और जो चबूतरा उस समय बनाया गया उस चबूतरे के ऊपर कम से कम 50 करोड़ रुपये देकर एक इस तरह का स्मारक बनाया जाए कि पूरा देश नागौर जिले में आए और पंचायती राज स्थापना के स्मारक को देखे। इस लायक उसे बनाया जाय। पंचायती राज के स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर सोनिया गांधीजी आई और चबूतरे को उस समय उसी स्थिति में देखकर उनको भी दिल में दर्द हुआ होगा, इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी से कह रहा हूं कि उस स्थान को एक दर्शनीय स्थान बनाया जाए।

(श्री रूपाराम डूडी)

सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि देश की आजादी से पहले और बाद में राजस्थान सरकार रहे चाहे भारत सरकार रहे, नागौर जिले का वर्चस्व रहा, लेकिन दुर्भाग्य है कि नागौर जिले की 90 प्रतिशत जनता नहीं पीने वाला पानी पीने के लिए मजबूर है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधीजी ने जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर जिले के लोगों को कोसों पानी नहीं मिलता था वहां तक इंदिरा गांधी नहर का पानी पहुंचाया, लेकिन हमारे नागौर जिले का दुर्भाग्य है कि आज भी नहीं पीने वाले पानी को पीने के लिए वहां की जनता मजबूर है। नागौर जिले में इंदिरा गांधी नहर से पीने के पानी का प्रावधान किया गया है, जिले को दो भागों में प्रथम फेज और द्वितीय फेज में पानी देने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। 2007 में प्रथम फेज की योजना पूरी होनी थी। प्रथम फेज में 761 करोड़ रुपये की योजना का प्रावधान रखा गया था जिसमें से दुर्भाग्य से 250 करोड़ रुपये खर्च करके मात्र पाइप लाइन का कार्य किया गया है। माननीय सभापति महोदय, इस योजना के टेण्डर अख़बार में मैंने पढ़े, तत्कालीन मंत्री सांवर मलजी हुआ करते थे, मैं सांवर मलजी से आकर मिला। मैंने कहा, मंत्रीजी, हमारी सरकार के द्वारा जो योजना बनाई गई उस योजना में 761 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रथम फेज में था, लेकिन मात्र 200 करोड़ रुपये आपने दिये हैं, इस योजना को तोड़-मरोड़कर पेश किया है। तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि, रूपजी, नौ एम.एल.ए. और तीन मंत्री आपके जिले के हैं, वे कहेंगे वैसा होगा या आप कांग्रेस वाले कहेंगे वैसा होगा? तो मैंने गलती स्वीकार की। इस योजना को इस तरह से बिगाड़ दिया जिसकी कल्पना नहीं की जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सैकण्ड फेज के अन्दर जो योजना बनी हुई है, उसमें 837 गांव और कस्बे हैं लिए वर्ल्ड बैंक को हमारी सरकार के द्वारा वापस भेजा गया है। उस योजना में वर्ल्ड बैंक से बजट पास करके पीने का पानी जो हर इंसान और जीव का अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, उस अधिकार को सरकार के द्वारा योजना लागू करके हमें दिलाया जाए। मैं मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन कर रहा हूं कि आपकी तरफ नागौर जिले की पूरी जनता देख रही है, इस टाइम में अगर पीने का पानी नागौर जिले में नहीं आया तो शायद कोई ऐसा मुख्य मंत्री नहीं बनेगा जो नागौर जिले में पीने का पानी दे सके। इसके सर्वे के लिए जो पैसे दिये, पीपीसी की मीटिंग में 94 लाख रुपये का अमाउंट था और तीन मार्च को

(श्री रूपाराम डूडी)

उसका टेण्डर लगा था, लेकिन वितीय सैंक्शन के अभाव में इसका टेण्डर नहीं हो सका। इसकी वितीय सैंक्शन देकर, इसका टेण्डर करवाकर, 837 गांवों और कस्बों का सर्वे करवाकर पीने का पानी दिया जाए। नागौर जिले में पीने का पानी आ जाएगा तो वर्षों लोग याद रखेंगे, एक इतिहास नया रचा जाएगा, इसलिए मैं आपसे पुरजोर शब्दों में यह निवेदन कर रहा हूं कि आप नागौर जिले में इन्दिरा गांधी नहर का पीने का पानी दिलवाने की कृपा करायें।

माननीय सभापति महोदय, आपका ध्यान बिगड़ी हुई कानून-व्यवस्था की तरफ दिलाना चाहता हूं। अपराध बढ़ रहे हैं जिसमें पुलिस का पूरा संरक्षण है। अधिकारियों के हौसले बुलंद है जिससे हमारी संवेदनशील सरकार, पारदर्शी सरकार पर काला धब्बा लग रहा है। आपको मैं निवेदन कर रहा हूं कि डेढ़ साल के टाइम में पांच मर्डर हमारे डीडवाना और लाडनूं क्षेत्र में हो गये। 302 चार के मुकदमों में नामजद मुल्जिम के नाम पुलिस तय नहीं कर पाई, इससे ज्यादा अफसोस की बात और क्या हो सकती है। कल-परसों की बात है, लाडनूं में एक बावरी जाति की लड़की को घर से उठाकर तीन-चार जनों ने बलात्कार किया, बलात्कार करने के बाद उस पर केरोसीन डालकर उसको तलाई में जिंदा फैंक दिया गया। एक लड़का उसकी आवाज सुनकर गांव में गया और उसको डाक्टर के पास लेकर गये। डाक्टर ने उसको बीकानेर रैफर किया। दो दिन जिंदा रहने के बावजूद पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये और वह मर गयी। मरने के बाद में चार दिन तक वहां पर स्थिति और बिगड़ी। बिगड़ने के बाद भी आज तक जो सही मुल्जिम हैं, वे अरेस्ट नहीं हुए हैं, इससे ज्यादा दु:ख की कोई बात नहीं है। इसलिए बिगड़ती कानून-व्यवस्था के बारे में मैं आपको कहता हूं कि इस पर अंकुश लगाकर वहां पर पुलिस की व्यवस्था सुधारी जाए।

दारू की सरे आम कालाबाजारी हो रही है, अवैध दारू आ रही है और पुलिस वाले उनसे हफ़्ता वसूली कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि आप कृपा करके इस कानून व्यवस्था को सुधारें।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में गांवों की हालत खराब है, इस व्यवस्था को सुधारने के लिए टाइम रहते अंकुश नहीं लगाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में गांवों पर ध्यान नहीं देंगे तो गांव और गरीब हो जाएंगे। गांवों के हालात खराब हैं इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी गांव की तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

(श्री रूपाराम डूडी)

माननीय सभापति महोदय, कृषि एवं चिकित्सा के नई सरकार में लाडनूं से आने वाले हरजीरामजी बुरडक जब कृषि एवं पशुपालन मंत्री बने तो गांव वालों ने यह सोचा था, और भाषण में यह कहा करते थे कि मैं किसान हूं, और मैंने किसान के घर जन्म लिया है और मैंने हल चलाया है, हमें यह उम्मीद बंधी कि हमारे नागौर जिले का बैल और बछड़ा जो पूरे प्रदेश में और पूरे हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध था चाहे पंजाब जाये चाहे हरियाणा जाये चाहे यू.पी. जाये, वह कृषि के अन्दर काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया था, हरजीरामजी आते ही उस प्रतिबन्ध को तोड़कर अब हमारे बछड़े को बेचने से कोई नहीं रोक सकेगा। तीन साल का बछड़ा सांड हो जाता है, मैं तिवाड़ीजी को यह कहता हूं कि तीन साल का बछड़ा पालकर कोई देखे, उसकी क्या हालत होती है। प्रतिबन्ध आज तक भी नहीं हटा। मैं पुरजोर शब्दों में कह रहा हूं कि जो हमारी आशा थी, वह निराशा में बदलती जा रही है इसलिए बछड़े का हमारा व्यवसाय था, पशुपालक, खेतिहर मजदूर लोगों का एक बहुत बड़ा सहारा था, उसमें बर्बादी के रास्ते पर उतार दिया माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि उसमें तुरन्त प्रभाव से प्रतिबन्ध हटाएं और उस कानून में संशोधन करने की कृपा करें। इसी के साथ आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं। जय हिन्द।

**श्री सभापति**: श्री शंकर सिंह रावत।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया है, उसके लिए धन्यवाद है। यह बजट के ऊपर बहस चल रही है, इसमें जिन सदस्यों को बोलने का मौका मिलता है, पक्ष के हैं तो विपक्ष वाले उसके लिए आलोचनात्मक बात करेंगे और विपक्ष वाले सदस्य कोई सच्चाई पर बात कहते हैं तो कांग्रेस के भाई या सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए हैं, वो उसका सिर्फ विरोध करने के लिए ही उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको जनता ने सच्चई को यहां उजागर करने के लिए भेजा है, हकीकत में आपको सच्चाई से नहीं मुकरना चाहिए। अभी कांग्रेस के भाई बोल रहे थे, सच्चाई बोल रहे थे, मैंने टेबल बजाकर उनका स्वागत किया। अच्छी बात कह रहे हैं, सच्चाई को उजागर करना चाहिए। सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए आपको नहीं भेजा है। आपको जिस जनता ने से चुनकर यहां भेजा है, आपको उस जनता के विश्वास पर खरा उतरना चाहिए। उनके हक की बात को, सच्चाई को यहां पहुंचाने के लिए किया

(श्री शंकर सिंह)

गया है। इस बजट के अन्दर जिस प्रकार की कमी रही है, उस बात को कहना चाहिए विपक्ष को और बजट में कोई अच्छी बात है, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए कि यह अच्छी बात कही गई है। ये नहीं कि सारे बजट का विरोध किया जाए, वह गलत है। प्रकार की बात है जिसमें कमी रही है, उसको सुधारने के लिए बात कहनी चाहिए, इतना मैं निवेदन कर रहा हूं।

अभी केन्द्र सरकार में, यह अपने अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है लेकिन इस सदन के माध्यम से मैं माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि महिला आरक्षण बिल पास हुआ है। भगवान के घर से जब आदमी पैदा होता है, पति-पत्नी का जोड़ा बनाया जाता है, उस जोड़े में आपने विघटन डालने का काम किया है महिला आरक्षण का बंटवारा करके। आरक्षण किस बात का? महिला और पुरुष पति-पत्नी का जोड़ा होता है। जाति के नाम पर जो आरक्षण दिया गया है, वह तो चलो ठीक है। किसी एससी एसटी को दिया गया है, किसी ओबीसी को दिया गया है, वहां तक सीमित बात है। लेकिन मैं कह रहा हूं, जितने भी सदस्य यहां बैठे हैं, निश्चित तौर पर 99 प्रतिशत इस बात से सहमत हैं कि महिला आरक्षण, यह पति-पत्नी को भ्रमित करने वाला और महिला-पुरुष के अन्दर भ्रांतियां डालने वाला बिल पेश किया गया है इसलिए उसकी जितनी निंदा की जाए, वह कम है। यह

भावना निश्चित तौर पर दिल्ली भी भेजनी चाहिए ताकि सरकार की आंख खुले और निश्चित तौर पर उस पर बात हो। मेरे सत्ता पक्ष के जो भाई बैठे हैं उनसे भी निवेदन है, वे कह नहीं पा रहे हैं खुले दिल से, लेकिन उनकी आत्मा की आवाज निश्चित निकल रही है कि यह बिलकुल सही बात कह रहे हैं, वहां भी पहुंचनी चाहिए यह आवाज, यह भावना। (व्यवधान) सभी शामिल हैं साहब, इसके लिए पूरा सदन शामिल हैं। सच्चाई को उजागर करने के लिए मेरे मन से यह बात निकली है सभापति महोदय, इस बात को हमारे सदन के माननीय नेता जो माननीय मुख्य मंत्रीजी हैं, वह जब भी इस बात के ऊपर वक्तव्य देंगे अपना, निश्चित तौर पर इस भावना को दिल्ली पहुंचाने के लिए इस बात को कहेंगे।

साथ में जिस प्रकार के हालात अभी अकाल भयंकर पड़ा हुआ है पूरे प्रदेश के अन्दर, पीने के पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई है। अजमेर जिले में मैं ब्यावर से चुनकर आया हूं, उस क्षेत्र की यह हालत है, कि सौ किलोमीटर के दायरे में यह विधान सभा क्षेत्र है लेकिन खेती नाम की चीज वहां पर नहीं,

(श्री शंकर सिंह)

पचास बीघे में भी खेती नहीं होती । पानी की वजह से इतनी त्राहि-त्राहि मची हुई है, माननीय सभापति महोदय, कि उस क्षेत्र के अन्दर लोग खेती करना भूल चुके हैं। अब पीने के पानी की भी इतनी भयंकर परेशानी है कि सातवें दिन ब्यावर में पानी आ रहा है। अभी मेरे से पूर्व अजमेर से आने वाले सदस्य ने जो बात बताई है, यह हकीकत है, वहां की बात कहनी चाहिए, सातवें दिन पानी आ रहा है पीने के लिए। अब वहां के पशुओं की क्या हालत होगी, यह नहीं कहा जा सकता है। पशुधन को बचाने के लिए अभी मेरे काफी भाई बता रहे हैं, पहले वालों ने बोला है, मैं भी उस बात का समर्थन करके उनको कहता हूं कि निश्चित तौर पर सरकार को इस अकाल के अन्दर पशुधन को बचाने के लिए निशुल्क चारा डिपो खोलने चाहिए ताकि वह पशुधन बच सके। पीने के लिए सातवें दिन पानी सप्लाई हो रहा है, बीसलपुर बांध के पानी के ऊपर सब नजर लगाये बैठे हैं। जवाजा पंचायत समिति की पैंतीस ग्राम पंचायतों के अन्दर दो साल पहले वह पानी पहुंचाने के लिए योजना बनी थी लेकिन वह योजना आपकी कांग्रेस की सरकार आने के बाद अभी भी अधर में लटक रही है। तक भी माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि सैकण्ड फेज में काम चालू करेंगे, दो साल में अभी तक भी वह पानी नहीं पहुंचा है और न ही अब पाइप लाइन डालने के लिए उस काम को चालू करवाया गया है। अभी साथ में पीने के पानी के लिए जो तीन सौ फीट के हैण्ड पम्प लगवाये जा रहे हैं, भी सूखते जा रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट के अधिकारी ये कह रहे हैं जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। जल स्तर नीचे जाने का कारण श्री सीमेंट फैक्ट्री वहां पर खुली हुई है, उस श्री सीमेंट फैक्ट्री के अन्दर बारह सौ फीट के ट्यूबवैल लगे हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, बारह सौ फीट का पानी धरती से खींच लेंगे तो तीन सौ फीट का हैण्ड पम्प तो बहुत ऊपर रह जाता है। जल स्तर नीचे नहीं जाएगा तो क्या ऊपर आएगा? वहां पर यह कह रहे हैं अधिकारी जो लगे हुए हैं, इस फैक्ट्री के लोग पेपर वालों को एड दे देते हैं, तो पत्रकार भाई उस बात को, सच्चाई को उजागर नहीं करते हैं। फैक्ट्री के खिलाफ किसी बात को उठाने की उनकी हिम्मत नहीं हो पाती है। किसी पत्रकार, मीडिया से वह बात, हकीकत कभी उजागर नहीं होती है, कि बारह सौ फीट के ट्यूब वैल लगाने की वजह से वहां पर जलदोहन हुआ है। आज जिस प्रकार लोगों को पीने के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है, मैं सरकार से और जलदाय मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि आप हिम्मत जुटाएं और उस गरीब जनता की तरफ देखें, बारह सौ फीट का

(श्री शंकर सिंह)

ट्यूबवैल है, सीमेंट नहीं बनेगी तो वे जिंदा रह जाएंगे, मरेंगे नहीं लेकिन पीने का पानी नहीं मिलेगा तो वहां की जनता का पाप लगेगा आपको। वहां के जो कलेक्टर लगे हुए हैं, और अधिकारी लगे हुए हैं, उनको हम कहते हैं...

**श्री सभापति**: एक मिनट, थोड़ा समय बढ़ा लेने दीजिये आप। आप अपना वक्तव्य जारी रखना, समय बढ़ जाने दें आप।

# सदन की कार्यवाही

## विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाए।

**श्री सभापति**: क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया। (व्यवधान) बोलो, बोलो। आप बोलें।

# आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार आज जलदोहन हो रहा है, ये जानबूझ कर उस जनता के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। मैंने अजमेर कलक्टर को पूछा था, जिस प्रकार वहां के टैंकर चल रहे हैं और ट्यूब वैल बारह सौ, बारह सौ फीट नीचे खुदवा करके जल का दोहन किया जा रहा है तो क्या सीमेंट खाकर आदमी जिंदा रहेगा? उन्होंने कहा कि पीने के पानी के लिए हम टैंकर की व्यवस्था करेंगे। लेकिन क्या फैक्ट्री को बंद नहीं कर सकते हम? लेकिन क्योंकि वहां के अधिकारी मिले हुए हैं, अधिकारियों की वजह से आज वहां की जनता में पीने के पानी की त्राहि मची हुई है और सरकार का उसके ऊपर नियंत्रण नहीं है। सरकार का अगर निश्चित प्रशासन के ऊपर नियंत्रण हो तो अधिकारियों की हिम्मत नहीं हो कि वहां पानी के लिए इस प्रकार काश्तकारों के साथ में खिलवाड़ हो। शुद्ध के लिए युद्ध हमारी सरकार ने चला रखा है, आज मसाला पिसाते हैं, उसमें कहा पिसा हुआ नहीं लेना है, हम तो पूरा साबुत ले लेते हैं कि घर पर जाकर दूसरी चक्की में पिसा कर फिर लेंगे, उसमें कोई मिलावट नहीं कर देवे। मैं पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार

(श्री शंकर सिंह)

राशन के अन्दर गेहूं वितरण किया जाता है, माननीय खाद्य मंत्रीजी सुन रहे हैं, राशन के अन्दर गेहूं वितरण किया जा रहा था तो ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई सरकार को कि उनको आटा पिसा कर दिया जा रहा है? आटा पिसाने के लिए न तो किसी और ने मांग की है और न कोई गरीब जनता मांग कर रही है, उस आटे को खाने के लिए भी और लेने के लिए भी उसके ऊपर शंका होती है कि वह शुद्ध पिसा हुआ है कि नहीं पिसा हुआ है। उसके अंदर गेहूं के साथ में घुन भी पिसे जा रहे हैं। क्यों नहीं उनको गेहूं दिया जाए, आटा बंद किया जाए? साथ में कल न आप यह भी कह दोगे, अगर उनकी इतनी सुविधा की जा रही है तो क्या कल रोटियां बना-बना कर रोटियां भी गिनती करके दोगे कि इतने गांव के अन्दर इतनी पब्लिक रह रही है, इतनी रोटियां पहुंचा दो, राशन की दुकान से रोटियां बिक रही हैं। इसलिए इस स्तर को घटाया नहीं जाए, जो गेहूं पैदा होता है, गेहूं काश्तकारों को वितरित किया जाए, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर वही दिया जाए, इतना मेरा सुझाव है।

पीडब्लूडी के पांच हजार किलोमीटर सड़क बनाने की बजट के अन्दर जो सरकार ने घोषणा की है, मुझे समझ में नहीं आता, एक विधान सभा क्षेत्र में 250 किलोमीटर की सड़क हिस्से में आती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कहीं एक भी किलोमीटर इस सरकार के माध्यम से सड़क नहीं बनी और दूसरा बजट पेश हो गया है। क्या ये बजट खाली अपनी बात को कहने के लिए और सरकार की वाहवाही लूटने के लिए किया जा रहा है? ऐसे जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए कि सड़कें बन रही हैं। बनें तो निश्चित तौर के ऊपर न्याय करने की दृष्टि होती है, पीडब्लूडी मिनिस्टर साहब बैठे होंगे, निश्चित वह सुनेंगे कि आज जनता के साथ में न्याय होना चाहिए और हर विधान सभा क्षेत्र में बराबर-बराबर हिस्से में जितनी सड़क आती है, वह बात करके देनी चाहिए। अगर न्याय करने की दृष्टि है तो। बजट के अंदर जो घोषणाएं की गई हैं, पेंशन के लिए बात की गई है, गरीब को पेंशन देने के लिए। विधवाओं को पेंशन मिले, लड़कों की कहीं शर्त उसमें लागू नहीं हो, उस बात का मैं भी समर्थन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार बजट पेश किया गया है, अभी कुछ भाई कह रहे थे कि काश्तकारों के हित के लिए बजट पेश किया गया है, छत्तीस ही जात के लिए बजट पेश किया गया है, मैं कहना चाहता हूं, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर आज नब्बे प्रतिशत काश्तकार बीपीएल है लेकिन वे बीपीएल की

(श्री शंकर सिंह)

सूची में नहीं हैं, इसलिए दो रुपये किलो गेहूं जो दिया जा रहा है, उनको भी दिया जाए। या तो बीपीएल की सूची नई बनवाई जाए या उनको भी बीपीएल का दो रुपये किलो गेहूं मिलना चाहिए।

साथ में, 60 साल के ऊपर वालों के लिए माननीय सभापति महोदय जिस प्रकार पेंशन की योजना बनाई जो वरिष्ठ आदमी हो जाते हैं, वरिष्ठ नागरिकों को बसों के अन्दर सुविधा दी जाती है। पेंशन योजना लागू करनी चाहिए ताकि काश्तकारों की सुध सही रूप से ली जाए, तो यह सरकार ने सुध ली है।

**श्री सभापति**: अब सम-अप करो न आप।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, इसी दिन के इंतजार के लिए तो हम बरसों तक बैठे रहते हैं। अब एक दिन अगर कहीं नींद नहीं लेंगे तो ऐसी कोई, मैं सभापति महोदय आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जितने भी सदस्य बोले, सुनने के लिए क्षमता रखे और थोड़ा समय रखें।

माननीय सभापति महोदय, स्कूलों के बारे में काफी लोगों ने बोल दिया है, मैं भी बोलना चाहता हूं। प्रत्येक पंचायत के अन्दर एक माध्यमिक स्कूल खोलने के लिए सरकार ने घोषणा की है, उसमें सबकी समानता रखी जाए, हम उस बात की तारीफ करेंगे। मगरा विकास बोर्ड का गठन किया गया था, लेकिन माननीय सभापति महोदय, सरकार ने यह जो बजट पेश किया है इस बजट में कहीं पर भी मगरा विकास बोर्ड का नामो निशान नहीं है। क्या इस सरकार ने मगरा विकास बोर्ड बिलकुल ही खतम कर दिया है? मगरा विकास बोर्ड का गठन क्या बिलकुल बंद कर दिया सरकार ने, इस बात के बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी बोलें उस समय अपना वक्तव्य देवें। प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चल रहा है उसमें भी, माननीय सभापति महोदय, सिर्फ दिखावा हो रहा है। उस क्षेत्र में लोगों को न तो पट्टे दिए जा रहे हैं, न वहां ले आउट पास किए जा रहे हैं, न नक्शे पास किए जा रहे हैं। सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए प्रशासन शहरों के संग लगाया जा रहा है। सरकार को थोथी वाहवाही लूटने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए।

**श्री सभापति**: सम-अप करें, माननीय सदस्य।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): प्रशासन नियंत्रण के नाम पर आज मैंने एक बात कही है...

**श्री सभापति**: अब सम-अप करें।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): दो मिनट। मैंने एक बात कही थी कि सरकार का प्रशासन के ऊपर नियंत्रण नहीं है आज पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है, और वहां एक्सइएन अपनी न्यूज दे रहा है तीन महीने पहले वह यह कह रहा है कि बीसलपुर बांध के अन्दर अब तीन महीने का पानी बचा है। यह बात तीन महीने पहले कह रहा है, तीन महीने का पानी बचा हुआ है। इसके बाद बीसलपुर से अजमेर जिले में पानी नहीं आएगा। अब सरकार ने पानी जो जयपुर आ रहा था उसको 1100 करोड़ के पम्प स्टेशन से नया लागू किया है और वहां पर पानी....

**श्री सभापति**: अब सम-अप करें।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): कम पड़ गया, खतम हो गया। लेकिन अभी वह अधिकारी वापस न्यूज दे रहा है, अभी दस दिन पहले कि डरें नहीं, पर्याप्त पानी है। तो जनता को गुमराह करने वाले ऐसे अधिकारियों के खिलाफ में क्या सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): व्यवस्था है। उसमें व्यवस्था यह है कि सभापति तालिका के कोई माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हों तो सभापति महोदय किसी भी माननीय सदस्य को बिठा सकते हैं।

**श्री सभापति**: आप जल्दी-जल्दी सुझाव दे दो आपके।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं। इस प्रकार जनता को भ्रमित करने के लिए...

**श्री सभापति**: सम-अप करो न।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): एक ही डिपार्टमेंट के अधिकारी, पीएचईडी के अधिकारी जो दो प्रकार की भाषा बोल रहे हैं ...(व्यवधान) मेरी बात को मंत्री महोदय सुन रहे हैं, पूरा सदन सुन रहा है, मेरा उनसे आग्रह है कि इस बात को मजाक के रूप में नहीं लें। अधिकारी तीन महीने पहले कह रहा है कि बीसलपुर में पानी नहीं है और तीन महीने बाद में अभी कह रहा है कि पर्याप्त पानी है, जनता को डरने की जरूरत नहीं है। तीन महीने बाद में कौनसा पानी आ गया? कौनसा बांध का नाला खुल गया? जनता को गुमराह करने वाले अधिकारी गलत न्यूज दे रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार का प्रशासन के ऊपर नियंत्रण नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारी को दण्डित करें ताकि जनता को गुमराह नहीं करे। माननीय सभापति महोदय बोलने के लिए इजाजत दें तो

(श्री शंकर सिंह)

निश्चित बोलूंगा। अभी यातायात मंत्रीजी के ऊपर सुबह जब बात चली थी, काफी विवादास्पद बात हुई। मेरा उनसे आग्रह है, यातायात मंत्री महोदय, यह हर आदमी के काम की बात बता रहा हूं, फोर लाइन और सिक्स लाइन जो लगी हुई हैं रोड, सिक्स लाइन का मतलब तीन ट्रेक जाने के हैं और तीन आने के। आपके जो गाड़ी चला रहे हैं ड्राइवर, उन्हें यह भी पता नहीं है कि थर्ड ट्रैक के अन्दर कौनसी गाड़ी चलनी चाहिए। फास्ट चलने वाली सैकिण्ड में और थर्ड ट्रैक पर फास्ट ट्रैक के लिए बिलकुल खाली रहना चाहिए। दुर्घटनाएं होती हैं उसके कारण अकाल मौत हो जाती है। मेरा यातायात मंत्री से निवेदन है, इतने गाड़ी-घोड़े लगे हुए हैं आपके पास में, सरकार के पास में पूरी ताकत है। लेकिन आपके अधिकारी आरटीओ, डीटीओ वगैरह जो लगे रहते हैं वे सिर्फ ताक में बैठे रहते हैं, जहां मोड़ है और जहां कहीं घुमाव है क्योंकि आती हुई गाड़ी को उनकी गाड़ी नजर नहीं आए। ऐसी जगह लगाकर एक लुटेरों की गैंग बनाकर रखते हैं 40-50 आदमियों की, उस गाड़ी को रोकते हैं कि तुरन्त इसका चालान काटो। जल्दी में वे ड्राइवर, खलासी बेचारे ऐसे भागने की ताक में रहते हैं कि पकड़ लेंगे क्योंकि वे 40-50 लोगों की गैंग रहती है। ऐसे में उसके ऊपर नियंत्रण हो जाए कि डिपार्टमेंट में लुटेरा नाम नहीं लगे। माननीय मंत्री महोदय, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं आपके ऊपर, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि आपका डिपार्टमेंट बिना मतलब की लूट-खसोट कर रहा है आम जनता के साथ में, वह नहीं हो, आपका ध्यान इस ओर होना चाहिए। ड्राइवर जो गलती कर रहा है, उसकी गाड़ी स्लो चल रही है, जो ट्रेलर थर्ड ट्रैक में चलना चाहिए सुपर ट्रैक में चल रहा है और आप मिनिस्टर साहब पीछे से जा रहे हैं, ड्राइवर हार्न बजा रहा है, लाल बत्ती घूम रही है लेकिन उसकी तरफ से जाने दो, उधर होकर निकल जाओ। उसको मजबूरन रांग साइड में होकर ओवरटेक करना पड़ता है उसके कारण ऐक्सीडेंट होते हैं। निश्चित रूप से दुर्घटनाएं रोकने के लिए यह एक बहुत बड़ा सुझाव है, सरकार अगर ध्यान में आए तो मानिए।

**श्री सभापति**: अब तो सम-अप करें।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): अब आप गुस्सा हो रहे हो तो मैं बंद करूंगा साहब, बाकी मैं यह कहना चाहता हूं, पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए अभी आपने कहा है कि हमने पंचायतों को पट्टे देने के अधिकार दे दिए हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं सरपंच भी रहा हूं और प्रधान भी रहा हूं और

(श्री शंकर सिंह)

अब विधान सभा में आया हूं, मैं जब सरपंच था तब मैंने खूब पट्टे दिए थे। इस बजट को देखकर मुझे ऐसा अचम्भा लगा कि अभी पट्टे देने का अधिकार दिया है तो क्या बीच में बंद कर दिये थे? इसलिए ये झूठे वादे हैं इस बजट के अन्दर, निश्चित तौर पर जो गलत बातें लिखी गई हैं। पहले से ही सब पंचायतों को अधिकार है। अभी मगरा विकास बोर्ड के लिए बिलकुल झूठी बात, कहीं पर भी इसमें कहीं विवरण भी नहीं दिया कि इसमें हैं। अभी प्रशासन शहरों के संग ये भी मामला झूठा।

मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं, न्याय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अभी ब्यावर राजस्थान के 11वें नम्बर की सिटी है, पूरा राजस्थान जान रहा है। हमारे मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, वन मंत्री महोदय, वह हंस रहे हैं मेरी बात को सुनकर, कि निश्चित तौर पर बात खरी कह रहे हैं, क्योंकि उनको भी ब्यावर से होकर जाना पड़ता है, अच्छा जुड़ाव है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आप भी सब लोग पूरा प्रयास करें। माननीय मुख्य मंत्री महोदय को ये कहना चाहता हूं कि ब्यावर राजस्थान की 11वें नम्बर की सिटी है, अगर आप न्याय की दृष्टि से देखते हैं सबको और अगर राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं तो आप निश्चित रूप से ब्यावर को जिला बनाकर इस बजट के अन्दर लेते तो यहां की जनता भी आपको याद करती कि आप वास्तव में न्याय करने वाले मुख्य मंत्री हैं।

अभी आपको न्याय करने के लिए राजस्थान की जनता के साथ में...

**श्री सभापति**: कितना बाकी है आपका? रावत साहब, अब सम-अप करो न।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, आप कहोगे तो बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा।

**श्री सभापति**: जल्दी सम-अप करो आप।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): मेरी तो यही मांग है। दूसरी एक बात और अस्पताल के लिए कहूंगा आज ब्यावर का अमृत कौर अस्पताल इसमें चार जिलों के मरीज आते हैं। देखो हंसी-मजाक की बात नहीं है, ऐसे पीड़ित लोग वहां इलाज कराने के लिए आते हैं करीब एक हजार आदमियों का इलाज रोज ब्यावर के अमृत कौर अस्पताल में हो रहा है, लेकिन बड़ी दुर्दशा हो रही है। 16 डाक्टरों की पोस्ट खाली हैं। अभी वहां चार जिन जिलों के मरीज आते हैं मैं बताता हूं भीलवाड़ा, पाली, राजसमन्द और अजमेर। उदयपुर के नहीं आते हैं,

(श्री शंकर सिंह)

चार जिलों के वहां पर इलाज कराने के लिए आते हैं। माननीय सभापति महोदय, वहां हाइवे पर एक्सीडेंट के कई केस आते हैं, लेकिन 16 पोस्टें खाली होने की वजह से ...

**श्री सभापति**: माननीय मंत्रीजी, आप अपने आसन पर पधारो पहले।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): ...आज बद्दुआ मिल रही है वहां इलाज कराने वालों की माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय को, क्योंकि आप वहां पर पोस्टें नहीं भर पा रहे हैं। चिकित्सा मंत्रीजी को मैंने बीसों बार निवेदन कर दिया था कि आप वहां पर पोस्टें भरें, 16 पोस्टें खाली हैं, लेकिन चिकित्सा मंत्रीजी को बात सुनने की भी फुरसत नहीं है। मैं कह रहा हूं, इस सरकार को बदनाम कराने के लिए आप लोगों को पहल नहीं करनी चाहिए। जहां पर दुर्दशा हो रही है, गरीब इलाज के लिए तड़प रहा है, सरकार ने सारे वहां हास्पिटल खोल रखे हैं, लेकिन उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। आपको वहां पर स्टाफ लगाना चाहिए और नहीं है तो भर्ती करनी चाहिए। माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय, राजीव गांधी योजना के अन्तर्गत बीपीएल को कनेक्शन देने की जो योजना थी उसके अन्तर्गत कई लोग राजीवजी के नाम से कनेक्शन के लिए कि हमारा फ्री में कनेक्शन हो जाएगा...

**श्री सभापति**: सम-अप करो, माननीय सदस्य।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): लेकिन अभी तक कहीं पर भी उस प्रकार के लोगों को कनेक्शन नहीं मिले हैं।

**श्री सभापति**: संक्षिप्त करो।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी थोड़ा ध्यान दें। अभी आप जवाब नहीं दे पाओगे लेकिन निश्चित तौर पर इस बात को लें। माननीय खाद्य मंत्रीजी बैठे हुए हैं। आपके लिए तो मैं पूरा पुलिंदा लेकर आया हूं। लेकिन अभी बजट की बात चल रही है, कहेंगे नहीं होगा। ऐसी बेइमानी ब्यावर के साथ हो रही है माननीय खाद्य मंत्रीजी, मैं कहना चाहूंगा कि कहीं पर भी नहीं होगी। जिस प्रवर्तन अधिकारी को वहां लगाया गया था खाद्य सामग्री वितरण के लिए, उस प्रवर्तन अधिकारी को 1990 के अन्दर ट्रैप किया गया था, ऐसा अधिकारी पूरे जिले में बीस साल से जमा हुआ है। वहां पर जो पैंसठ  राशन डीलर हैं...

**श्री सभापति**: अब सम-अप कर दो, हो गया पूरा।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): और पैंसठ के पैंसठ ने साइन करके दे दिये कि, साहब, भ्रष्टाचारी लूट रहे हैं, फिर भी अभी एक महीने से उसी आदमी को लगाया हुआ है।

**श्री सभापति**: अब, माननीय सदस्य, विराजो।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): माननीय खाद्य मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट आदमी को तो आप वहां से हटाएं। उद्योग मंत्रीजी और खेल मंत्रीजी के लिए तो कल कहूंगा, माननीय मंत्री महोदय।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में सरकार की थोथी वाहवाही लूटने का काम किया गया है, मेरा आपसे आग्रह है कि जो सच्ची बात है उसको मैंने सच कहा है और जो नहीं है उसकी मैंने आलोचना की है। जनता को गुमराह करने और भ्रमित करने के लिए यह जो बजट पेश किया गया है, उसके लिए मैं उसकी निन्दा करता हूं और जितने अच्छे काम किये हैं उनकी मैं तारीफ करता हूं। आपने बोलने का जो मौका दिया है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

**श्री सभापति**: श्री गंगाजलजी मील।

**श्री गंगाजल मील** (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। 9 मार्च को माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 2010-11 का जो बजट रखा है, वो पिछले वर्ष से 37 प्रतिशत अधिक है यानी कि 23822 करोड़ रुपये का है। यह वाकई सराहनीय बजट है, मैं इसकी तारीफ करता हूं, इसका समर्थन करता हूं। हमारे प्रतिपक्ष के माननीय एक विधायक डाक्टर रोहिताश्व जी कह रहे थे कि 6 हजार करोड़ रुपये कहां खर्चा करेंगे, इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 35 करोड़ रुपये खर्च करके टिब्बा क्षेत्र जो रेगिस्तान का एरिया है, वहां चार बड़े-बड़े वाटर वर्क्स बने हैं जो पूरे क्षेत्र को कवर कर रहे हैं। वहां पांच करोड़ रुपये की कमी रह गयी। कुछ दिन पहले मैं मंत्रीजी से मिला, प्रिंसिपल सैक्रेटरी, सिंचाई से मिला और मुख्य मंत्री जी से मिला तो मेरे पांच करोड़ रुपये मंजूर कर दिये। बजट अधिवेशन शुरू होने से पहले वो पैसे वहां पहुंच गये और वो चालीस करोड रुपये का प्रोजैक्ट 31 मार्च से पहले-पहले, गर्मी आने से पहले-पहले पूरा हो जाएगा। दूसरा उदाहरण, हमारे बिजली मंत्री जी यहां बैठे हैं मुख्य मंत्री जी ने सबसे ज्यादा ध्यान बिजली उत्पादन पर दिया है बजट का 52 प्रतिशत खर्च बिजली पर कर रहे हैं। वहां पर किसानों की 2500 बीघा जमीन है जो 660-660 क्रिटिकल पॉवर

(श्री गंगाजल मील)

के लिए इसमें से निकलनी थी। उस जमीन के मेरे खयाल से तो 90-95 करोड़ रुपये बनेंगे और वो 31 मार्च से पहले-पहले किसानों के अकाउंट में चले जाएंगे। चार महीने पहले मेजर ओ.पी. यादवजी मेरे साथ गये थे सूरतगढ़, सूरतगढ़ से बीस किलोमीटर पहले वो रुके और कहने लगे कि यहां कोई लोग रहते हैं क्या। मैं बोला कि यहां रहते हैं, रेगिस्तानी एरिया है लेकिन फिर भी यहां भले लोग हैं और गवर्नमेंट इन पर बहुत खर्च कर रही है। उस हिसाब से मैं कहता हूं कि चालीस करोड़ का प्रोजैक्ट लगा कर पानी दिया पूरे टिब्बा क्षेत्र में और 90-95 करोड़ रुपये 31 मार्च के पहले उन किसानों के खातों में चल जाएंगे। यानी सौ करोड़ रुपये उस टिब्बा क्षेत्र के अन्दर आज टीबों में दबा पड़ा है जो 31 मार्च से पहले-पहले लोगों की जेबों में चला जाएगा। सौ करोड़ रुपये वहां थोड़े से क्षेत्र के अन्दर पड़ा है तो राजस्थान कितना बड़ा है मैं तो कहता हूं, कि 6 हजार करोड़ से नहीं सरेगा। सारा का सारा बजट खतम होगा, पूरा लगेगा, विकास कार्यों में लगेगा। मैं तो यह भी पूरी उम्मीद करता हूं, हमारे इतने लायक मुख्य मंत्री हैं तो अगले साल का जो 23,822 करोड़ रुपये का जो बजट है यह तो खर्च होगा ही होगा। और भी कहीं न कहीं सोर्सेज से लाकर केन्द्र से लाकर, क्योंकि अगले महीने में योजना आयोग की मीटिंग भी हो रही है। कहीं न कहीं से रास्ता निकाल कर और भी पैसा लायेंगे और राजस्थान में लगायेंगे। मैं तो मुख्य मंत्रीजी की तारीफ करता हूं कि इस बजट का मुख्य आकर्षण का बिन्दु यह है कि किसी भी वर्ग पर कोई असहनीय वज़न नहीं डाला। गरीब एससी/एसटी, अल्पसंख्यक, नि:शक्तजन, व्यापारी हर वर्ग का ख्याल रखा गया है और प्रदेश के विकास का ध्यान रखते हुए विकास को अग्रसर करने वाला बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी अपने बजट भाषण में विकास की सौगात से पूरे प्रदेश को अवगत कराते समय विकास की पहली सीढ़ी के रूप में ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने को प्रतिबद्ध हैं और इसी क्रम में ऊर्जा उत्पादन पर व सुधारों पर व्यय करने का उन्होंने निर्णय लिया है जो 12434 करोड़ रुपये हैं और कुल बजट का 52 प्रतिशत है। सूरतगढ़ के अन्दर 1500 मेगावाट बिजली इस वर्ष पैदा हो रही है और 660-660 मेगावाट के क्रिटिकल पावर वहां और आ रहे हैं। इसके लिए काफी जमीन तो एक्वायर कर ली, और टाइम के मुताबिक और भी ले लेंगे। जब यह कम्प्लीट हो जाएगा और कुल 2820 मेगावाट बिजली जिस दिन सूरतगढ़ में पैदा होगी उस दिन

(श्री गंगाजल मील)

सूरतगढ़ का नाम पूरे देश के नक्शे पर आएगा और चमकेगा। यह मुख्य मंत्री अशोकजी की देन है जिनकी सोच एक प्रगतिशील सोच है। लेकिन इसके साथ साथ जहां मानवता की भलाई होती है वहां कहीं न कहीं थोड़ा-बहुत दंश दूसरा भी लग जाता है। आज सूरतगढ़ के अन्दर से कोयलों की 12 गाड़ी फेरे चलते हैं मालगाड़ी आती है सवारी गाड़ियां भी बहुत जाती हैं। आज 12 से 14 घंटा सूरतगढ़ शहर जो मेन फाटक है जो दो भागों में शहर को बांटता है, बंद रहता है। आने वाले टाइम में इतनी ही कोयले की गाड़ियां जिस दिन और आने लगेगी, उस दिन 20-20 घंटे ये बंद रहेगा। मैं तो यह कहता हूं कि इतना बड़ा प्रोजैक्ट लग रहा है, सबसे पहले, हमारे स्थानीय निकाय मंत्रीजी भी मेरे बात सुन रहे होंगे, इस साल में ज्यादा बड़ा बजट नहीं है तो हमारे रेलवे ओवरब्रिज का जो बजट है, वह मंजूर कराएं और शहर को निजात दिलाये क्योंकि शहर की कम से कम एक लाख की आबादी हो गई है, 40 हजार की आबादी लाइन पार रह रही है। जो वाकई गरीब लोग हैं उनके स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है, सारी सुविधाएं शहर साइड हैं। उनको आने-जाने में बड़ी परेशानी होती है और दूर-दराज जाने वाले लोगों को भी बहुत मुश्किल होती है।

सभापति महोदय, जल संसाधन क्षेत्र में इस बजट में 777 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जो वाकई सराहनीय कार्य है। इसके अलावा इंदिरा गांधी कैनाल सन 1958-59 से चली आ रही है, वह पंजाब में बिलकुल जर्जर हालत में हो गई है, उसके लिये भी मुख्य मंत्रीजी ने 252 करोड रुपये का बजट में प्रावधान रखा है जिसका 90 प्रतिशत केन्द्र से मिलेगा, उसमें अनुदान मिलेगा। इस हिसाब से राजस्थान के पोरशन को कमप्लीट करने के लिये 478 करोड़ रुपये की एक योजना और भेजी है वह भी आईबीपी के अन्तर्गत ही भेजी गई है। सभापति महोदय, इन सालों में बरसात कम हो रही है, भूमिगत पानी कम हो रहा है। पूरे प्रदेश में केवल 30 ब्लाक ऐसे हैं जहां नीचे अभी भी पीने का पानी है। ऐसी स्थिति में जल नीति बनाना जरूरी थी और हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, सिंचाई मंत्रीजी ने और सारी कैबिनेट ने मिलकर पूरे प्रदेश का हित देखते हुए एक जल नीति तैयार की है। इस जल नीति के तहत 2010-11 के बजट में 1235 करोड़ रुपये का एवं सीएस मद में 284 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जो 508 करोड रुपये की योजना रोकी गई थी, उसको भी जारी कराया गया है, यह भी एक बहुत सराहनीय कार्य है। 2010-11 में 1100 करोड़

(श्री गंगाजल मील)

रुपये और बरामद होंगे। इस हिसाब से वाकई में प्रदेश में पीने के पानी की समस्या का हल होगा। आईजीएनपी नहर जो बिलकुल जर्जर हो गई है, उसका दुबारा सुदृढ़ीकरण होगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी इंदिरा गांधी कैनाल का जो कैचमेंट एरिया है, उसमें बरसात पिछले सालों में धीरे-धीरे कम होती गई है। डैम में पानी नहीं है लेकिन फिर भी इतनी बड़ी नहर प्रदेश के बहुत बडे भू भाग में सिंचाई का पानी भी दे रही है और पीने का पानी भी दे रही है। जब पानी पूरा होता था तो उस ज्यादा पानी की मार की वजह से पीलीबंगा सूरतगढ एरिया में वाटर लोगिंग हो गया। वे किसान 30 साल से परेशान हैं। आज यह हालत है कि पानी उठाने के लिये जो पम्प लगाये हुए थे उसका 15 लाख रुपया बिजली विभाग का बाकी है इसलिए वह कनेक्शन कट गये। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से, सिंचाई मंत्रीजी से और बिजली मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि वे कनेक्शन चालू कराये और नये साल का बजट देकर सेम का जो पानी है उसको खतम कराये। उस एरिया में जो किसान है उनको न सड़क चाहिये, न बिजली चाहिये, न उनको स्वास्थ्य की चिंता है, न उनको स्कूल की चिंता है उनको पिछले 30 सालों से यही चिंता खाये जा रही है कि हमारा जो वाटर लागिंग है इसको खतम कराया जाये। वह बहुत बड़ा भू-भाग है कोई छोटा एरिया नहीं है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में बहुत कुछ दिया है। नेशनल हाई-वे पर जो स्वास्थ्य केन्द्र थे, उनमें ट्रोमा प्रोजैक्ट दिये गये हैं। सभापति महोदय, राष्ट्रीय कृषि योजनान्तर्गत 8 लाख लीटर क्षमता की एक हजार डिग्गियां स्वीकृत थीं जिनमें पर डिग्गी डेढ़ लाख रुपया अनुदान था। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी, कृषि मंत्रीजी और उनकी केबिनेट ने मिल कर 2010-11 में 2000 डिग्गियों को अलग से रखा है और हर किसान को 2 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। जो डिग्गियों से, स्प्रिंकलर सिस्टम से या बूंद-बूंद पानी से सिंचाई करेगा इससे पानी की खपत कम होगी और पानी की बचत होगी। यह मुख्य मंत्रीजी की एक दूरदर्शी सोच है। सभापति महोदय, मौसम आधारित फसल बीमा योजना जो पहले 7 जिलों में थी, फिर 10 जिलों में लागू की गई, इस साल के बजट में वह पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है और इसमें 160 करोड़ रुपये का प्रिमियम सरकार देगी और जितना भी नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनियां करेंगी।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की भी मैं तारीफ किये बगैर नहीं रह

(श्री गंगाजल मील)

सकता। माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच है कि जो गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले लोग हैं, बीपीएल कार्डधारी हैं उनको 2 रुपये किलो गेहूं मिले जिससे कम से कम उनको खाने की तो निश्चितता हो। यह माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच है। 15 से 21 तारीख के बीच उसका वितरण होगा, एक सरकारी कर्मचारी होगा, उस गांव की कमेटी होगी और उसकी देख-रेख में गेहूं और तेल का जो वितरण होगा उसमें घपला नहीं होगा, भ्रष्टाचार मिटेगा। उन डीलरों का जो पहले 8 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन था, उसको अब बढ़ा कर 20 रुपये कर दिया है ताकि वे बेइमानी की तरफ नहीं बढ़ें।

सभापति महोदय, शिक्षा में हालांकि यह मानते हैं कि टीचरों की कमी है लेकिन हमारे मंत्रीजी ने कोशिश की है कि समानीकरण लागू किया जाए। समानीकरण तो लागू नहीं हुआ लेकिन कुछ प्रमोशन देकर स्कूलों में कुछ हैडमास्टर, लैक्चरर वगैरह जरूर दिये हैं। पंचायती राज के इलेक्शन डिक्लेयर हो गये, आचार संहिता लागू हो गई उसकी वजह से समानीकरण नहीं हो सका। लेकिन जो पढाई का नया सेशन आएगा उसमें समानीकरण से पूरे प्रदेश में स्कूल में मेरे ख्याल से तो 80 प्रतिशत पूर्ति हो जाएगी। आज जो कहीं तो फालतू मास्टर बैठे हैं, कहीं कम बैठे हैं, यह बड़ी परेशानी हो रही है, इस समस्या का भी हल हो जाएगा। सब कह रहे हैं कि स्कूल नहीं दिया, स्कूल नहीं दिया, मैं कहता हूं बजट में नहीं दिया होगा लेकिन बजट से पहले ये एनाउंस कर दिया कि जो भी पंचायत हैडक्वार्टर है, जहां मिडल स्कूल है वहां सैकण्डरी स्कूल होगा। खुले भी हैं और खुलेंगे भी। पढ़ाई का नया साल जब शुरू होगा उसमें सब पंचायत हैडक्वार्टर पर मिडल स्कूल की जगह सैकण्डरी स्कूल खुल जाएगा।

मैं मुख्य बात यह कहने जा रहा हूं कि सुबह भ्रष्टाचार का इतना शोर मचा, यह भ्रष्टाचार कई मामलों में तो शिष्टाचार बना हुआ है। जैसे पुलिस में आपका भी राज था, वहां खतम किया क्या आपने? और हो भी नहीं सकता। आज पुलिस थानाधिकारियों में करीब 99 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, 1 प्रतिशत ईमानदार हो सकते हैं लेकिन 99 प्रतिशत बेइमान हैं। इसी तरह से डीवाई.एसपी हैं, कोई 15-20 प्रतिशत ईमानदार मिल जाएंगे, 20-30 प्रतिशत ही ऐसे हैं जो पैसे के पीछे नहीं भागते, लेकिन फिर भी 50 प्रतिशत ऐसे हैं जो पैसे के पीछे भागते हैं। हां, आईपीएस सर्विस में जो हैं उनमें जरूर कोई 10-20 प्रतिशत हेराफेरी करने वाले होंगे लेकिन ज्यादातर ईमानदार हैं। लेकिन फिर

(श्री गंगाजल मील)

भी इस पर अंकुश लगना चाहिये। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच है, वह वाकई गांधीजी हैं, गांधीजी की तरह आचरण करते हैं, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सकता। हम तो क्या लगाएंगे, आपकी तरफ से भी कभी नहीं लग सकता। यदि जानबूझ कर ही लगाना चाहेंगे तो आपकी जबान पर आते-आते आप बंद कर दोगे कि एक साधु आदमी पर भ्रष्टाचार का गलत आरोप क्यों लगाएं। मैं तो आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, पिछले आपके टाइम में जो हुआ वह आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आप भी महान हो आपने ऐसा काम करके दिखा दिया जो भ्रष्टाचार करने वाले थे, जो अपने आप को शिष्टाचार मानते थे, जो बड़े अधिकारियों को बुलाकर तरकीब से काम न लेकर उनको डांटते थे, उनकी बेइज्जती करते थे, उनको मरने पर मजबूर कर दिया। ऐसे हमारे माननीय मुख्य मंत्री नहीं करते। आपने तो ऐसा जाप्ता कर दिया कि उनको यहां से उठाकर घर भेज दिया और घर से उठाकर दिल्ली भेज दोगे। फिर कभी उनको यहां आने भी नहीं दोगे। यदि फिर भी जनता ने कहीं गलती कर दी, पहली बात तो होगी नहीं, और होगी तो आप और हमारी तो खैर नहीं है, यह मानकर चलना आप। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने जो चार्ज लगाया था वह कोई छोटे-मोटे आदमी नहीं थे। आम आदमी को पता है, कोई लुका-छिपी बात नहीं थी कि क्या हुआ पिछले पांच सालों में लेकिन ऐसा हमारे मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत नहीं करेंगे। (व्यवधान) छोड़े क्यों, आप और हम तो बच गये। बचे रहेंगे तब ही है नहीं तो फिर मार देंगे।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, समाप्त करो।

**श्री गंगाजल मील** (सूरतगढ़): बस, समाप्त ही करता हूं। ऐसा है, जो बात आम आदमी जानता है, सदन में बैठे दो-दो लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आज सुबह जिस तरह का आचरण हुआ वह आचरण नहीं होना चाहिए। आचरण पर वह लोग अंगुली उठा रहे हैं जो पिछले पांच साल तक प्रताड़ित रहे हैं। जैसा घर का मुखिया होगा वैसा ही आचरण परिवार के छोटे सदस्य करेंगे, नहीं करेंगे तो उनको मुश्किल होगा । इसी के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और तिवाड़ीजी को नमस्कार करता हूं कि इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और आइंदा भी....

**श्री सभापति**: श्री प्रोमिला कुण्डारा।

**श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा** (चाकसू): शुक्र है, नम्बर तो आया। वैसे तो मैं बहुत लिखकर लाई थी, बहुत मैटर था लेकिन बिलकुल शार्ट कर देती हूं।

**श्री सभापति**: नहीं, नहीं, बोलिए आप।

**श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा** (चाकसू): नहीं मैं बिलकुल शार्ट में बोलूंगी। आदरणीय सभापति महोदय, आज इस बजट 2010-11 की तारीफ में मैं कुछ बोलना चाहूंगी। हां, तारीफ में। यह बजट है अपने जो झण्डे वाला कलर आता है न तिरंगे का झण्डा, उस कलर में है, स्पाइरल बाइंडिंग में बना हुआ है, इसके अन्दर पेज 89, ठीक है, अच्छा है, लेकिन सुंदर नहीं कह सकते, क्योंकि इसका जो कवर पेज है रफ, जैसे हमारे मुख्य मंत्री जी एकदम सादा विचार अपनाते हैं, खादी को महत्व देते हैं, उस तरह का यह रफ पेपर है। लेकिन इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसके लिए तो मैं यही कहूंगी कि यह बजट आम जनता का विरोधी है। इसके अन्दर सैकण्ड पाइंट है, मुझे अपनी इस सरकार का दूसरा बजट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं के गत महीनों में सम्पन्न हुए चुनावों के परिणाम पुन: यह दर्शाते हैं कि राज्य की जनता हमारी नीतियों और कार्यपद्धति से संतुष्ट है। इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि हाल ही पंचायत चुनाव हुए हैं और सब जानते हैं कि पंचायत चुनाव में कितनी धांधली हुई है। मैं अपने चाकसू विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो इसमें कांग्रेस सरकार ने अपने अधिकारियों को इतनी छूट दी कि आपको जो करना है, करिये, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार या प्रधान नहीं जीतना चाहिये। इतनी धांधली हुई और फिर यह कहते हैं कि हमने हैट्रिक बनाई। तो भई, हैट्रिक तो बनेगी ही बनेगी जब आप इतनी धांधली करोगे इलेक्शन में, तो हैट्रिक तो बनेगी ही, कड़ी से कड़ी जुडेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं। जब मैं वोट मांगने गई थी तो आम जनता इतनी दु:खी थी कांग्रेस के इस प्रशासन से कि वह कहती, मैडम, आप निश्चित रहें, हम वोट भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे । कुछ पंक्तियां मुझे सुनने को भी मिलीं, गांव वाले बोलते, भाया वोट देलो हाथ पे, तो हाथ पड़ैलो टाट पे और चीनी होवेली साठ पे। ऐसी कई पंक्तियां मुझे सुनने को मिली थीं। बच्चे बोलते कि आई-आई कांग्रेस आई साथ में मंहगाई लाई, इस तरह की मुझे पंक्तियां सुनने को मिलीं। मुझे कहते हुए खुशी होती है कि फागी पंचायत के अन्दर 14 पंचायतें जो मेरे चाकसू विधान सभा क्षेत्र में आती हैं, उसमें पांच डायरेक्टर हमारे जीते और उप प्रधान भी हमने बनाया। चुनाव के टाइम जो मंत्री इस तरह के भाषण देता हो कि अगर आपने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो आपके हैण्ड पम्प के वाशर खोल लेंगे, अगर आपने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो जो नल है न उसकी टूटियां हटा ली जाएंगी। और तो और जो सरपंच थे...(व्यवधान) आप मुझे शार्ट

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

में बोलने दें तो बोलने दें। सरपंच से कहा कि आपको ठेका नहीं दूंगा काम करने का, अगर आपने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। इस तरह के आप चुनाव में घोषणा करेंगे, या कुछ भी कह लीजिए भाषण देंगे तो निश्चित, 'आदमी मरता क्या न करता' वाली स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए कड़ी से कड़ी जोड़ी। आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि यह बजट सिर्फ ख्याली पुलाव है क्योंकि पहले भी जब मैंने बजट पर बोला था तो जो हाथी पर सवार होकर आये थे हमारे एमएलएज, उन्होंने तालियां पीट-पीटकर,धन्यवाद दिया था। दस मिनिट के भाषण में वह आठ मिनिट तक तो धन्यवाद ही देते थे, हमारे मुख्य मंत्रीजी के भाषण पर। आज वे मंत्री बन गये हैं तो मैं कहना चाहूंगी कि इस बार जब बजट प्रस्तुत हुआ तो वह कमी इस बार खली। ये जो एमएलएज जो मंत्री बनकर गये हैं उनकी आवाज नहीं गूंजी,तो यही कह सकते है कि हमारे मुख्य मंत्री के जादू का असर है या हाथ की सफाई का, हाथी, ई की मात्रा हटाकर हाथ में शामिल कर लिया, तो इसलिए कहना चाहूंगी कि बजट ख्याली पुलाव की तरह है जो आप खुशबू लेते रहिये और वह पुलाव सामने नहीं आएगा। शोर्ट में करने के लिए सिर्फ एक ही पाइंट आपसे बोलना चाहूंगी कि जो बच्चियों के ऊपर आपने कहा कि मैरिट में प्रथम जो तीन छात्रा आएगी उनको विदेश भेजा जाएगा। मैं यही कहना चाहूंगी कि कभी भी अख़बार उठाकर देखिये, यह पता चलेगा कि विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के साथ मारपीट हो रही है, उन्हें वहां से भगाया जा रहा है कि आप वापस हिन्दुस्तान जाओ। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हमारी जो बेटियां हैं उनको पढ़ने के लिए हम विदेश भेजेंगे? जब छात्रों के ऊपर इस तरह का अत्याचार हो रहा है तो हमारी छात्राएं क्यों विदेश में जाए। हमारे देश में क्या कमी है पढ़ाई की? हमारे देश में क्या इंस्टीटयूट नहीं है या ऐसी फैकल्टी नहीं हैं? या ऐसे कोई भी पढ़ने लायक या उच्च शिक्षा नहीं है जो हम विदेश भेजें? (व्यवधान) आप या तो बीच में टोकें या फिर मुझे बोलने दें। मैं यही कहना चाहूंगी कि जब हमारे छात्र विदेश में सुरक्षित नहीं हैं तो हम अपनी बेटियों को कैसे भेजें? ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसके 13 महीने बीत जाने के बाद भी समानीकरण नहीं हो पाया। टीचर्स ट्रांसफर के चक्कर में अर्द्धवार्षिक परीक्षा थी जब बच्चों को नहीं पढ़ा पाये और अब जबकि एनुअल एग्जाम चल रहे हैं तब भी उनका पूरा कोर्स नहीं हो पाया, ऐसे में बच्चियां कैसे मैरिट में आ पाएंगी? ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रही हूं मैं, क्योंकि चाकसू से आई हूं और चाकसू ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण का हाल तो

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

शिक्षा के लिए इतना बेकार है। आप ये देखिये, समानीकरण के नाम पर टीचर्स बिलकुल भी अपने सब्जैक्ट्स पढ़ा नहीं ये, पूरा कोर्स नहीं हो पाया।

चाहे आप नरेगा को लीजिये, चाहे शुद्ध के लिये युद्ध को लीजिये, सब में घोटाला ही घोटाला, करप्शन। कुल मिलाकर अन्त में मैं यही कहूंगी कि सुबह से शाम का, दिन से रात का, उदय से अस्त का, दृश्य का दृष्टि से, जीवन का सृष्टि से, पृथ्वी का आकाश से, उदर का भोजन से, शरीर का श्वसन से, जीवन का मृत्यु से चोली-दामन का साथ है। असत्य का अपराध से, क्रोध का विनाश से, अत्याचार का चीत्कार से, चोली-दामन का साथ है। और जनता को भरमाने में, भ्रष्टाचार बढ़ाने में कांग्रेस के परिवार का चोली-दामन का साथ है। देश के विभाजन में, महंगाई को बढ़ाने में, सांसद खरीद में कांग्रेस का चोली-दामन का साथ है। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करती हूं, धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री प्रेमचन्द नागर।

**श्री प्रेमचन्द** (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के इस बजट सत्र में गरीब व आमजन के लिये कल्याणकारी बजट प्रस्तुत करने के लिये मैं आपके माध्यम से सरकार के मुखिया एवं सदन के लोकप्रिय नेता माननीय मुख्य मंत्रीजी का प्रदेश की जनता की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आज पूरा विश्व मंदी के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह पिछले वर्ष की तुलना में 37 प्रतिशत अधिक है। महोदय, राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहां की अधिकतर जनसंख्या गांवों में निवास करती है। महोदय, जन भावनाओं को ध्यान में रखकर इतिहास का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया गया है, यह बजट स्पष्ट रूप से गांवों और कृषि को समर्पित है। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद इस बात के लिये भी है कि ये बजट सर्व जन भावनाओं के अनुकूल है। पार्टी घोषणा-पत्र में प्रदेश की जनता से किये गये वादे पूरा करने के लिये राज्य की सम्पूर्ण जनता के लिये शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली व रोजगार के इस बजट में व्यापक प्रावधान किये गये हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने किसानों एवं उद्यमियों की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए आगामी चार वर्षों में बिजली के क्षेत्र में आत्म-निर्भर होने के लिये संकल्प किया है। सरकार की योजना के मुताबिक आगामी चार वर्षों में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी

(श्री प्रेमचन्द)

प्रदेश हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह जल संसाधन के द्वारा सिंचाई परियोजनाओं की कार्य कुशलता के लिये 777 करोड़ 58 लाख का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। कृषि के लिये 136.20 करोड़, ग्रामीण विकास के लिये 1332 का प्रावधान रखा गया है। राजस्थान रेगिस्तानी प्रदेश है, पेयजल की कमी की पूर्ति हेतु माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जल प्रदाय योजना हेतु 1230 करोड़ का प्रावधान रखा है। चिकित्सा के क्षेत्र में 108 एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाना, सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों के निजी भवन बनाना, चल चिकित्सा इकाई प्रारम्भ करना, सभी जिला मुख्यालयों पर आई.सी.यू. स्थापित करना एवं आगामी वर्ष में कई आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी औषधालय खोलना एक सराहनीय कदम है।

माननीय चिकित्सा मंत्रीजी यहां विराजे हुए हैं, मैं उनका ध्यान मेरे क्षेत्र की समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में इटावा व खातौली ऐसे कस्बे हैं जो जिला मुख्यालय से लगभग सौ किलोमीटर दूर हैं। किसी भी दुर्घटना के समय में, अक्सर कैजुअल्टीज का सामना हम लोगों को करना पड़ता है, सौ किलोमीटर पहुंचते-पहुंचते अक्सर मरीज दम तोड जाया करते हैं। इसलिये मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के इटावा कस्बे को 108 से लाभान्वित करने का प्रयास किया जाए। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार गरीबों की साथी है, बी.पी.एल. परिवार को दो रुपये किलो गेहूं एवं नरेगा सहायकों का मानदेय साढ़े तीन हजार रुपये किया गया है। बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखते हुए जो वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन बढ़ाई गई है, मैं सरकार का ध्यान अपनी बात पर आकर्षित करना चाहूंगा कि यह जो इस पर पाबन्दी लगाई गई है आयु की व बच्चों की, इसे समाप्त किया जाए। न तो 75 वर्ष तक आज के युग में आयु सम्भव है, बहुत मुश्किल से 75 वर्ष के बुजुर्ग मिलते हैं गांवों में। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: बोलें, बोलें, आप बोलें, अच्छा बोल रहे हैं आप।

**श्री प्रेमचन्द** (पीपल्दा): न ही इस चीज की कोई गारण्टी रहती है कि कोई वयस्क बच्चा अपने वृद्ध माता-पिता का लालन-पालन करेगा। अत: इस बजट को आदर्श कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। प्रदेश की जनता को एक अच्छा बजट देने के लिये मैं पुन: हमारे लोकप्रिय नेता और माननीय मुख्य मंत्री महोदय का प्रदेश की जनता की ओर से तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री ओटारामजी देवासी।

**श्री ओटाराम देवासी** (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2010-2011 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें प्रदेश की जनता को गुमराह किया गया। महोदयजी बजट में दर्शाये गये आंकड़े भ्रामक हैं, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हुआ निवेदन करता हूं कि इस बजट में सरकार द्वारा सिरोही विधान सभा क्षेत्र की आम जनता के साथ अन्याय व सौतेला व्यवहार किया गया है। जिसके लिये क्षेत्र की आम जनता आने वाले समय में माफ नहीं करेगी। जो सामने बोल रहे हैं वे मंत्री हैं और जिस तरह से आज इस सरकार के भी 12 बज रहे हैं उस तरह समय के भी 12 बज रहे हैं। आज दिन तक पहली बार देखा होगा कि किसी सरकार के 12 बजने वाले हैं। मुख्य मंत्रीजी ने जो ये दूसरा बजट पेश किया है, पूरे राजस्थान के अन्दर कांग्रेस पार्टी ने एक ही नारा दिया कि कड़ी से कड़ी जोड़ो। कड़ी से कड़ी जोड़ी है जनता ने। सरपंच से लेकर राजस्थान की सरकार और दिल्ली की सरकार से जिस तरह से कड़ी से कड़ी जोड़ी है। सभापति महोदय, पहले जो विधान सभा के चुनाव हुए, उन चुनावों में भी यही नारा रहा कि कड़ी से कड़ी जोड़ो। उस समय राजस्थान में शक्कर के भाव 14-15 रुपये किलो थे। जब विधान सभा के चुनाव हुए, विधान सभा में कांग्रेस को बहुमत मिला, मिलते ही सीधे 25 रुपये हो गये। उसके बाद में सीधे चुनाव आए लोक सभा के, लोक सभा के चुनावों में यही नारा रहा कि कड़ी से कड़ी जोड़ो। कड़ी जोड़ते गये, महंगाई बढ़ती गयी और 25 से 35 रुपये बढ़ गये। फिर नगरपालिकाओं के चुनाव आए और नगरपालिकाओं के चुनावों में भी सफलता कांग्रेस को मिलती गयी, वैसे ही शक्कर के 10 रुपये बढ़ते गये। अभी पंचायती राज के चुनाव में शक्कर के भाव 45 रुपये थे और जनता के बीच में जाकर कह रहे थे, कड़ी से कड़ी जोड़ो, जनता कह रही थी कि कड़ी से कड़ी जोड़कर 45 से 55 करने वाले हो क्या। इस तरह से कड़ी जोड़कर पूरे राजस्थान में, पूरे हिन्दुस्तान में महंगाई का जो दौर चल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए अपने यहां बजट पेश किया गया। पूरे राजस्थान में जिस विधान सभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीतकर आये हैं, उनके साथ में जो व्यवहार किया गया है, मैं आपको सिरोही विधान सभा क्षेत्र में एक पेयजल की योजना का बताता हूं, कि आबू रोड के पास में भैंसासिंह एक लघु सिंचाई परियोजना चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित की जाएगी, इस पर 18 करोड़ रुपये की लागत आएगी। जबकि इससे बेहतर एक योजना थी सिरोही के पास में, पहले भी इसका तखमीना

(श्री ओटाराम देवासी)

बना हुआ है, सिरोही शहर के पास मानसरोवर-कालकाजी बांध। 5 करोड़ 77 लाख रुपये का उसका तखमीना बना हुआ है, अगर उसको बना देते तो आने वाले समय में 20 गांवों को कम से कम उससे फायदा मिलता। उसके पास में जितने भी कुएं हैं, बावड़ियां हैं, हैण्डपम्प, नलकूप जितने भी सब रीचार्ज हो जाते। आपको यह कहना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में पेयजल की जो समस्या है यह बहुत बड़ी विकट समस्या है, इस विकट समस्या में जिस पेयजल के लिए इन्होंने योजना बनायी है कि आने वाले समय में पानी किस तरह से जनता को दिया जाए। लेकिन वाटर लेवल दिनों-दिन नीचे जा रहा है, इसमें बहुत बड़ी तकलीफ आने वाली है।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, माननीय मुख्य सचेतक महोदय सदन का समय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव कर रहे हैं।

# सदन की कार्यवाही

## विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज के अन्तिम वक्ता के बोलने तक बढ़ाया जाए।

**श्री सभापति**: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय अन्तिम वक्ता के बोलने तक बढ़ाया जाए?

**(स्वीकृत)**

सदन का समय अन्तिम वक्ता के बोलने तक बढ़ाया गया।

# आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

**श्री ओटाराम देवासी** (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, पहले की सरकार ने पशुपालक कल्याण बोर्ड का गठन कर पशुपालकों को राहत प्रदान की थी, इसी तरह से मुख्य मंत्रीजी ने इसमें एक स्कालरशिप देकर गुर्जर, बंजारा, गाड़िया लुहार और रैबारियों को जो खुश करने की कोशिश की है। कि पहले की सरकार ने पूरे राजस्थान में तीन आवासीय विद्यालय बनाये थे एक हरियाली के अन्दर पांच करोड़ रुपये में बन कर तैयार हुआ। उसी तरह से डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी एक आवासीय विद्यालय की घोषणा की। उसके बाद में झालावाड़ और कोटा के बीच में जो आवासीय विद्यालय की घोषणा की,

(श्री ओटाराम देवासी)

इस सरकार ने आते ही उसको निरस्त किया है। जिस तरह से देवनारायण कल्याण बोर्ड बना हुआ है, उसी तरह से पशुपालक कल्याण बोर्ड भी बना हुआ है। पशुपालकों की जो समस्या है, अभी सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था नागौर के बछड़े, नागौर के बैल हमारे पाली, जालौर और सिरोही तीन जिलों की कम से कम 20 हजार गायें आज हरियाणा में हैं, जो गाय हरियाणा में हैं, उनके तीन साल के बछड़े होते हैं, उनकी भी आज वह की वह समस्या है, वे गुजरात में ले जाते हैं और जिस तरह से भेड़ और बकरी लेकर वे मध्य प्रदेश माइग्रेशन के लिए जाते हैं। अभी 15 दिन पहले इन्दौर में भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद की एक मीटिंग थी, उससे आने के पांच दिन के बाद में ही इंदौर के पास अपने पाली जिले की एक बच्ची के साथ दुर्घटना हो गयी। माननीय गृह मंत्रीजी को मैंने बताया, और माननीय सदस्य रतन देवासी ने, कि उस सरकार से बात उस समस्या का समाधान कैसे हो। आने वाले समय में जिस तरह से पशुपालकों की समस्याएं हैं, मेरे सिरोही विधान सभा क्षेत्र की जो समस्या है, पेयजल की समस्या है और विशेष तौर से शिक्षा और चिकित्सा, समस्या का समाधान हो, मेरे सामने प्रभारी मंत्रीजी बैठे हैं वह बताएं कि आने वाले समय में जो पेयजल की समस्या है। उसका समाधान कैसे हो, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था कैसे हो। मैं इसी के साथ आपको धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द, जय भारत। ?

**श्री सभापति**: श्री रमेश खण्डेलवाल।

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का जो मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया 2010-11 का यह बजट, आज तीन दिन से बराबर चर्चा चल रही है। विपक्ष कह रहा है कि जन विरोधी है, आम लोगों का विरोधी है। हम कह रहे हैं कि यह जन कल्याणकारी है। यह आम गरीब का, समाज के आखिरी इंसान का बजट है उसके उत्थान का बजट है। इसमें कोई दो राय नहीं कि विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहे है। विपक्ष का यह धर्म बनता है कि वह विरोध करे। एक गिलास में अगर आधा पानी भरा हुआ है तो हम कहते हैं कि इसमें पानी का आधा गिलास है, विपक्ष इसे यह कहेगा कि आधा गिलास खाली है। लेकिन अगर विपक्ष यह कहे कि आधा गिलास जो खाली है वह शीशे का गिलास पी गया तो यह विरोधाभासी बात, बहस का मुद्दा बन जाता है और यही हम कहें कि इसमें जो आधा गिलास है, ये गिलास शीशे से निकल कर ही

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

आधार भरा है, ये अपने आप में यह भी विरोधाभासी होकर यह विवाद का विषय बन जाता है। तीन दिन की इस चर्चा में विपक्ष ने इस बजट पर चर्चा की प्रक्रिया में जो रोल अदा किया, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें सदन का काफी समय बरबाद हुआ है।

**(समय : 24.00 बजे)**

यह हमारे लिये और विपक्ष के लिये, या मैं यह कहूं कि जो हम पहली बार जीतकर आये हैं उन सबके लिये, एक विचारणीय विषय है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया, यह 23,822 करोड़ का बजट है। सभी पहले आंकड़े बता चुके हैं, 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी पिछले बजट से की गयी है। सही मायने में इस बजट को हम यह कहें तो, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं को मद्देनजर रखते हुए जिसमें लगभग 27 प्रतिशत जो पैसा माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अलाट किया है, यह एक पार्टी की विचारधारा का प्रतिबिम्ब होता है कि पार्टी अपनी सरकार किस तरीके से चलाना चाहती है। जो भी विचार पार्टी के हैं, ये विचारधारा के रूप में जब इकट्ठा होते हैं तो थीम टैंक तैयार होता है और कांग्रेस का थिंक म टैंक लम्बे समय से, 125 साल के इतिहास में समय-समय पर आवश्यकताओं के अनुसार जब तैयार हुआ तो आम गरीब आदमी, आम देहात का आदमी या मैं ये कहूं कि समाज के जरूरतमंद लोगों को मद्देनजर रखकर समय-समय पर यह विचारधारा उनके साथ जोड़ी। गरीब के उत्थान के लिये या कहूं कि किसान के उत्थान के लिये इस तरह की विचारधारा को लेकर जब ये आगे चले हम अगर इस बजट को गहराई से देखें तो सभी धर्मों को सभी वर्गों को, चाहे उसमें किसान वर्ग है, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग है, चाहे उसमें एस सी, एस टी है या ओ बी सी है, सभी धर्मों को समान लेकर चले हैं। अगर देवस्थान के लिये कहीं पैसा अलॉट किया गया है तो वक्फ बोर्ड को भी नहीं छोडा गया, वक्फ बोर्ड में भी पैसा दिया गया है। एक परिवार में अगर एक मुखिया के चार बेटे हैं, बेटा कार लेकर घूम रहा है, दूसरे बेटे पास साइकिल भी नहीं है, तीसरा फटेहाल कपड़े में रहता है और चौथा भीख मांगता हुआ यहां-वहां अपना जीवन-यापन कर रहा है तो हम यह मानकर चलेंगे कि वह परिवार ज्यादा दिन तक न तो समृद्ध रह सकता है, न ज्यादा दिन तक एक रह सकता है। यह उदाहरण हमारे सामने हुआ है। रशिया विश्व की कितनी बड़ी शक्ति थी, वह शक्ति किस तरह से चरमराकर टूट गयी, बिखर गयी। उसके पीछे सिर्फ यही एक कारण था चाहे

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

चेचन्या हो या कजाकिस्तान, समान रूप से आधार देकर, समान रूप से उनका उत्थान, जिसे हम सर्वांगीण विकास की रूपरेखा कहते हैं, इस तरीके से उन्होंने नहीं लिया और यही कारण है कि विश्व की यह महाशक्ति एकदम बिखर गयी।

आज कांग्रेस आजादी से पहले और आजादी के बाद गरीबों को साथ, लेकर उनके रिजर्वेशन को साथ लेकर, अल्पसंख्यक समुदाय को साथ लेकर आगे बढ़ी है। उसमें उनको यह पता था, यह बात निहित थी इस बात में कि अगर किसी चीज को ज्यादा दिन तक दबाया जाएगा तो वह कोई भी विरोध का रूप ले सकती है। 'दबंगालम बदंगालम', अगर किसी स्प्रिंग को बहुत ज्यादा ताकत से दबाएगे तो आप यह मानकर चलना, वह स्प्रिंग उतनी ही ताकत से उछलेगी और जब वह भरपूर ताकत से ऊपर आएगी तो कुछ न कुछ चीजों को अस्त-व्यस्त करते हुए व्यवस्था को तोड़ेगी। यह कांग्रेस पहले से जानती थी इसलिये आजादी के बाद रिजर्वेशन का देना, आजादी के बाद गरीब लोगों के लिये तरह-तरह की योजनाएं बनाना, आजादी के बाद अल्पसंख्यक समुदाय उत्थान की बात को लेना, हर वर्ग को किसी न किसी रूप में साथ लेकर हर समाज को समानता का अधिकार देकर आगे बढ़ाने की कोशिश करना- यह सब कांग्रेस के थिंक टैंक का मेन प्रिंसिपल और सिद्धान्त रहा है। इसी सिद्धान्त के तहत आज सेंट्रल गवर्नमेंट में बताया जा रहा है कि वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पट्टे का अधिकार दिया गया। ये हमारे माननीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहजी ने दिया। ये उसी थिंक टैंक की विचारधारा का एक रूप है। उसी आधार पर ये पट्टे अलाट किये गये, जो लम्बे समय से काबिज थे और अपना पेट पालन करते थे, लेकिन जिनको अधिकार नहीं मिला हुआ था। इस अधिकार के तहत जो विचार और सोच मनमोहन सिंहजी ने दिया, उसी विचारधारा को हमारी सरकार आगे लेकर चली।

आज सही मायने में हम आपको बताएं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट में बिजली को एकदम 52 प्रतिशत क्यों दिया? माननीय मुख्य मंत्री महोदय के सामने सरकार बनते ही सबसे बड़ी कोई समस्या आई तो वह यह समस्या थी कि 1550 करोड़ की बिजली बाहर से खरीदकर रबी की खेती में, रबी की फसल में आम किसानों को देनी पड़ी। उसके बाद जब ज्यादा जरूरत महसूस की गयी तो 3200 करोड़ की बिजली खरीदकर महंगे भाव में गरीब लोगों को दी गयी, किसानों को दी गयी। यह अपने आप में एक चैलेंज था। 4750 करोड़ रुपया अगर खरीददारी में किसी सरकार का महंगे भाव से

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

लेकर सस्ते भाव में जाता है तो उस सरकार के मुखिया का यह धर्म बन जाता है, यह दायित्व बन जाता है कि वह उसमें अपने आपको, अपनी स्टेट को, अपनी सरकार को स्वावलम्बी बनाए, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करे। आगे बढ़ने के लिये आज टैक्नोलोजी का युग है, छोटी से छोटी ढाणी से लेकर बड़े से बड़े कस्बे में घर से लेकर हर जगह बिजली की महती उपयोगिता को आप और हम अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन 12,434 करोड़ रुपये बिजली में दिये गये, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिजली मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं, मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है हर मंत्री ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहता है, हर एम एल ए ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहता है। और हमारे मुख्य मंत्री महोदय के लिये तो कहने की आवश्यकता नहीं, न केवल ईमानदारी बल्कि सादगी के साथ अपनी व्यवस्थाओं को अंजाम देते हुए रात-दिन मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। हम एम एल एज और जन प्रतिनिधियों की तो सोशल आडिट होती है, पांच साल में अगर हमने कुछ नहीं किया तो जनता-जनार्दन हमको एक तरफ डाल देती है। हमारा एक कार्यकर्ता अगर एक दिन में हमसे नाराज होकर निकलता है तो मैं कहता हूं आत्मा, दु:ख पाती है कि एक दिन का एक कार्यकर्ता, एक साल में 365 दिन होते हैं, पांच साल में इनकी संख्या 1800 हो जाएगी और 1800 कार्यकर्ता अगर नाराज हो गये तो इनकी लम्बी फौज हम लोगों के खिलाफ हो जाएगी। हम जन प्रतिनिधि चाहे पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, सब चाहते हैं कि हमारी छवि ईमानदारी से बनी रहे। हमारा काम करने का तरीका ईमानदारी से बना रहे। कार्य में संवेदनशीलता के साथ-साथ पारदर्शिता बनी रहे, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगे। मैं पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं, विपक्ष के मेरे सम्माननीय नेता बैठे हुए हैं सामने, इनसे कहना चाहूंगा कि बजट की बहस सरकार की कार्यशैली का एक प्रतिबिम्ब है कि वह एक साल में क्या करना चाह रही है। बजट में हमें क्या करना चाहिये? मेरी तो अपनी यह सोच है कि जिस तरह जन प्रतिनिधियों की सोशल आडिट होती है, इसी तरीके से यह ब्यूरोक्रेट्स की जवाबदेही भी तय होनी चाहिये। हम यह नहीं कहते कि हर ब्यूरोक्रेट कोई गलत होता है या गलत कदम उठाता है। लेकिन ज्यादातर में हमने देखा है, बहुत से उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। हास्पिटल के मामले में मैं मुख्य मंत्री महोदय को बार-बार हार्दिक बधाई देना चाहूंगा नीमकाथाना की मेरी जनता की तरफ से कि 1990 में जब यह 50-बैड का अस्पताल बना तो 30-35 हजार के लगभग आउटडोर हुआ करता था, आज 2010 में माननीय

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

मुख्य मंत्री महोदय बड़ी लम्बी सोच के साथ, बड़े विचारक के रुप में देहात को डवलप करके खाई पाटना चाहते हैं और सुविधाएं देना चाहते हैं। इन्होंने हमारे नीमकाथाना के हास्पिटल को अपग्रेड करके 100-बैड का हास्पिटल बनाने का जो आश्वासन दिया है, मैं मेरी जनता की तरफ से, मेरी तरफ से बार-बार हार्दिक साधुवाद एवं बधाई देना चाहूंगा। लेकिन मैं सामने बैठे हुए उप नेता महोदय और बाकी मेरे लीडर और जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए मेरे नौजवान साथी हैं, उनसे भी एक बात कहना चाहूंगा कि डाक्टर्स की भी जवाबदेही अगर तय नहीं हुई तो यह जनता यूं ही मरती रहेगी, यूं ही लापरवाही का शिकार होती रहेगी।

एस एम एस हास्पीटल, अगर हम इसे काबा कह दें, स्वास्थ्य विभाग का काबा कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आल इण्डिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन की जगह अगर हम इसका नाम ले दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन हो क्या गया? आज कोई भी हो, चाहे नीमकाथाना हो, चाहे पाटन हो, चाहे ग्वाला है, चाहे अजीतगढ़ है, चाहे कोटपूतली है, अगर किसी के हाथ में छोटी-सी चोट भी लग गयी तो वहां का डाक्टर लिख देगा-रैफर टू जयपुर एस एम एस। मैं ये कहना चाहूंगा स्वास्थ्य मंत्री महोदय, कम्प्यूटर और आई टी का जमाना आ चुका है, आप इन स्वास्थ्य केन्द्रों को कम्प्यूटराइज कीजिए, एक चैक लिस्ट बनाइये कि आखिर यह डाक्टर क्यों रैफर कर रहा है। इनके पास कैंची नहीं थी या बैण्डेज नहीं था। या उसके पास कोई डाक्टर नहीं था या हास्पीटल बिलकुल बीमार था। आखिर इसने रैफर क्यों किया? देहात का परिवार जिसको रैफर जयपुर कर दिया जाता है, एक मौत का सामना करता है। पैसे होते नहीं हैं, अपने रिश्तेदारों को टेलीफोन करते हैं, पांच सौ रुपये तुम लेकर आना, हजार रुपये तुम लेकर आना, दो हजार रुपये से नीचे गाड़ी नहीं होती जयपुर के लिए और डाक्टर का सिर्फ यह लिख देना कि रैफर टू जयपुर। वह हास्पीटल जिसको बढ़िया से बढ़िया सुसज्जित करके असाध्य रोगों के लिए काम में लिया जाना चाहिए, आज छोटे छोटे एक्सीडेंट होते हैं और आसपास से रैफर किये गये बीमारों से बैड नीचे जमीन में लगे हुए हैं। क्या हालत है? ओवर क्राउड कर दिया, ओवरलोड कर दिया। आखिर इनकी जबावदेही होनी चाहिए। अगर किसी डाक्टर ने गलत रैफर किया है तो खाते में पैसा उसके नाम जाना चाहिए, उस गरीब के खाते में जमा होना चाहिए, जिसने गलत तरीके से यहां रैफर किया है। क्या हालत होती है जब हमारे यहां की मां, बहिनें, औरतें और बूढ़े-बुजुर्ग आते हैं। जो हालत होती है वह हम जानते हैं। टेलीफोन

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

करके पाँच-पाँच सौ, हजार-हजार रुपये हमारे से मांगते हैं। यहां आकर वह समझते हैं कि पता नहीं हम कहां आ गये। कोई सुनता नहीं है। किसी डाक्टर को जानते नहीं, ये लोग किसी नर्स को जानते नहीं और हालत खराब होती है इसलिए मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो भी सौ और डेढ़ सौ किलोमीटर के हास्पीटल्स हैं उनके यहां चैक लिस्ट डलवाइये कि आखिर डाक्टर रैफर कर क्यों रहा है। आखिर उस हास्पीटल और डाक्टर के पास क्या कमी है जहां लाखों रुपये की तनख्वाह देते हैं महीने में। लाखों रुपये के उपकरण लगा रखे हैं। आखिर उन्होंने सीटी स्कैन से लेकर, छोटी से छोटी सोनोग्राफी से लेकर एक्स-रे की मशीन को खराब क्यों कर रखा है। जो साधन और पैसा हमारा है, गरीब लोगों का टैक्स इकट्ठा करके सामान खरीद कर हम इन हास्पीटल्स को देते हैं, बड़ी ऊंची इनको फीस देते हैं और इन लोगों ने ये हालत बना रखी है। जबावदेही तय करें आप। जब आप जबावदेही तय करेंगे तो आप यह मान कर चलें कि हमारे देहात के हास्पीटल्स को सुविधा मिलेगी।

मैं माननीय बिजली मंत्री महोदय से कह रहा था, माननीय बिजली मंत्री महोदय, दस हजार कंजूमर के ऊपर हमारे नीमकाथाना में, और नॉट ओनली नीमकाथाना, आप पूरे क्षेत्र में देखिए बड़े-बड़े ग्रिड स्टेशंस बना रहे हैं, पावर स्टेशन बना रहे हैं। इनके साथ जे ई एन, इनके साथ एक्स ई एन, इनके साथ एस ई, इनके साथ स्टाफ आ जाएगा, लेकिन उनका क्या हाल है जो डिस्ट्रीब्यूशन को कन्ट्रोल करने वाले हैं? जो लोग डिस्ट्रीब्यूशन को कन्ट्रोल करते हैं, दस हजार कंजूमर के ऊपर एक ए ई एन का कार्यालय था नीमकाथाना में, उसके साथ में दो जे ई एन थे। आज पेंतीस हजार वहां कंजूमर हो गये। पूरे दिन लाइन लगी रहती है। धक्का-धक्की लगी रहती है। वहां का जे ई एन और ए ई एन सिर ऊंचा करके सुन नहीं सकते समस्या के बारे में। आप वहां रूरल और अरबन, अगर किसी जगह ऐसी पोजीशन है तो दो ए ई एन कार्यालय खोल दीजिए। वे ए ई एन कार्यालय वहां के कंजूमर्स को

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

फायदा पहुंचाएंगे। सर, अभी तो आप सभी को टाइम दे रहे थे, मेरे घंटी बजने लग गयी। दो-चार मिनट और?

**श्री सभापति**: बोलो-बोलो, तेरह तारीख हो गयी वैसे भी।

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): हम सबसे मिलकर व्यवस्था कर रहे हैं। बजट के सम्बन्ध में जो मेन व्यवस्थाएं सुधरती हैं हम उनकी बात कर

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जहां कहीं नगरपालिकाएं हैं और बड़ी नगरपालिकाएं हैं, वहां एक ए ई एन कार्यालय अरबन का हो, एक रूरल का हो। इससे न केवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सुधरेगा बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि चोरियां रुकेंगी। आपके यहां दुनियाभर के ट्रांसफार्मर चोरी होते हैं, वह कन्ट्रोल होगा। आपका बिजली का सिस्टम सुधरेगा। जब चोरी और छीजत रुकेगी तो अपने आप सिस्टम सुधरेगा।

मैं थोड़ा-सा यह भी निवेदन करना चाहता हूं, मेरे मंत्री ईमानदारी का बिलकुल नायाब नमूना हैं लेकिन आप अपने अधिकारियों को भी संभालिए। अगर किसी एम एल ए के यहां बारह-बारह सौ करोड़ रुपये का इन्वैस्टमेंट आता हो और उस इन्वैस्टमेंट को आपके अधिकारी रोक दें तो मेरे खयाल से उस एम एल ए के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल होना चाहिए कि वह इतना नालायक और कमजोर कैसे हो गया कि किसी अधिकारी ने बिना मतलब के अड़ंगे लगाकर उनके यहां आने वाला इन्वैस्टमेंट रोक दिया हो। मेरे यहां जे के सीमेन्ट आनी थी और एक बिनानी सीमेन्ट है, जे के सीमेन्ट वालों ने हमारे यहां अस्सी लाख रुपये डिपोजिट करवा दिये। बिनानी सीमेन्ट को हाई टेंशन लाइन लेनी थी। जे के सीमेन्ट यह निवेदन कर रहा था डबल सर्किट डालकर आप दोनों को दे दीजिए। बिनानी सीमेन्ट कारपोरेट जगत की लड़ाई हो सकती है लेकिन सरकार के लिए तो उसका स्टेट सर्वोपरि होता है, सरकार के लिए वहां की जनता और रोजगार सर्वोपरि होता है। महोदय, आप वहां बैठे हैं, मैं यहां बिनानी सीमेन्ट हूं, सामने ग्रिड स्टेशन है जे के सीमेन्ट को बर्बाद करने के लिए वहां से लाइन यहां आनी थी लेकिन नहीं, यहां से लाइन पहले आपकी जमीन में ले गये, इस जमीन को बर्बाद किया और फिर लाइन यहां लाये हैं वहां सर्किट के पास में। पूछा जाए नक्शा देखकर। मैं यह कहता हूं कि मेरे यहां 1200 करोड़ रुपये का इन्वैस्टमेंट आना था। मेरे यहां बेरोजगारों को रोजगार मिलना था। मेरे यहां 1200 करोड़ के इन्वैस्टमेंट के लिए तो राजेन्द्रजी पारीक साहब जाकर पैर पकड़कर आ जाएं विदेश तक, कि लेकर आओ इन्वैस्टमेंट। इस पूरे प्रकरण की आप जांच करवाएं और जांच करवाकर उन दोषी अधिकारियों को आप सज़ा दें कि रिहायशी इलाके की जमीन में से हाई टेंशन लाइन निकल नहीं सकती। आप डबल सर्किट को अलाउ नहीं करके सिंगल-सिंगल सर्किट अलाउ करना चाह रहे हैं। आखिर यह ब्यूरोक्रेसी कहां ले जाएगी, यह आपके और हमारे सब के लिए चिन्ता का विषय है। अपन

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

राजनेताओं के ऊपर जो डायरेक्ट आरोप लगा देते हैं, वह इतना बाजिब नहीं है, आप जिम्मेदारी तय कीजिए।

भाजपा के कार्यकाल में, सामने बैठे हुए उप नेता महोदय को मैं बताना चाहूंगा, 1990 के बाद यह जो हास्पीटल बना, वहां से भाजपा के बहुत प्रतिष्ठित, राज्य मंत्री का जिनको दर्जा था, वह बार-बार लोगों को झुठलाते रहे कि हम यहां सौ बैड का हास्पीटल बनाएंगे। लोग हमारे इलाके में चर्चा करते थे, नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप फिर यह कह देंगे कि वह सदन में नहीं हैं, लेकिन हमारे यहां से आपके लीडर थे उस वक्त, उनके बारे में उनके लोग, उनके जो सिपहसालार थे, वे चर्चा करते थे कि रात को आठ बजे बाद महारानी साहिबा के पास देश की और स्टेट की चिन्ता करने के लिए हमारे नीमकाथाना का विधायक उपस्थित रहता है तीन-तीन, चार-चार घंटे, और सौ बैड का हास्पीटल ये जरूर लाएंगे। वह समाजवादी व्यवस्था आठ बजे के बाद उनकी डिस्कस करने के लिए होती थी...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): सभापति महोदय, ये क्या +++ कर रहे हैं? किस तरह की +++ कर रहे हैं ये? यह क्या तरीका है?

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): यह हम बताएं, ये क्या +++ है ? (व्यवधान) महोदय, आपको क्या दर्द हो रहा है? मैं मेरे विधायक की बात बता रहा हूं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य सदन का सदस्य नहीं है, आप उस पर आरोप नहीं लगा सकते। (व्यवधान)

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): हमने यह इसलिये कहा है कि उन्होंने कहा है, आरोप कहां लगा रहे हैं? लेकिन वह हास्पिटल नहीं ला सके। (व्यवधान) देखिये, महोदय, नाम नहीं लिया है, एक विधायक के लिये कहा है हमने। विधायक का नाम नहीं लिया हमने। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: +++ शब्द को एक्सपंज कर दीजिये। (व्यवधान)

**डा. राजकुमार शर्मा** (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): सदन में हैं ही नहीं तो उसका नाम कैसे लेंगे? (व्यवधान) सदन में हैं नहीं, लेकिन अपनी बात तो रखेंगे।

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): सभापति महोदय, इस बात का जवाब तो आना चाहिये।

**श्री अभिषेक मटोरिया** (नोहर): सभापति महोदय, इस तरह से यह धमका रहे हैं। (व्यवधान) धमकाने की आदत मत डालो। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

**श्री अभिषेक मटोरिया** (नोहर): ... हमारे उप नेता महोदय की मौजूदगी में जिस शब्द का प्रयोग किया है, उसे आप चैक करा लीजिये। (व्यवधान) इन्होंने कहा कि सामाजिक व्यवस्था के नाम पर तीन-तीन घण्टे नीमकाथाना के विधायक उनके पास बैठे रहते थे। हालांकि विधायक का नाम नहीं लिया, जगह का नाम ले लिया। यह दोगली नीति है, यह दोगली नीति नहीं चलेगी। (व्यवधान)

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): कोई भी विधायक अपने मुख्य मंत्री के पास बैठकर स्टेट की चिन्ता नहीं करेगा क्या? और कोई बाहर से आएगा क्या? (व्यवधान) बाहर से आएगा कोई चिन्ता करने वाला? (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजिये।

**श्री अभिषेक मटोरिया** (नोहर): माननीय सदस्य, आप बात को घुमाइये मत। आप कौनसी चिन्ता की बात कर रहे हो? (व्यवधान) क्या कहना चाहते हो? गलत बात मत करिये। (व्यवधान) हम इतनी देर से आपका भाषण सुन रहे हैं। (व्यवधान) बहुत बढ़िया बोल रहे हो। (व्यवधान) आप व्यक्तिगत आरोप मत लगाइये।

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): आप एक मिनट तो सुन लीजिये। आप सुनने की क्षमता रखिये। (व्यवधान)

**श्री अभिषेक मटोरिया** (नोहर): हम सुनेंगे, हम सुनेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। (व्यवधान) आप व्यक्तिगत आरोप मत लगाइये प्लीज। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): यह शोभनीय बात है? (व्यवधान) यह आपको अच्छी लग रही है? (व्यवधान)

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): आप आरोप का नाम तो बताएं कौनसा आरोप लगाया मैंने? (व्यवधान)

**डा. राजकुमार शर्मा** (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): आरोप आपकी तरफ से +++ बेबुनियाद हमारे मंत्रियों तक पर लगाये गये। (व्यवधान) सुबह से आप +++ आरोप लगा रहे हो। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजिये, विराजिये। मंत्रीजी, विराजिये। (व्यवधान) एक्सपंज करिये। विराजिये, विराजिये। (व्यवधान)

**श्री अभिषेक मटोरिया** (नोहर): आप यह कहना चाहते हैं ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजिये, विराजिये। विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

**डा. राजकुमार शर्मा** (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): माननीय सभापति महोदय, इतने सीनियर सदस्य ने +++ शब्द कहा है सदन में और धमकाने की कोशिश की है एम.एल.ए. को ...(व्यवधान)

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): यह इस तरीके से धमकाने वाला क्या तरीका है? (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजो। (व्यवधान) विराजो, विराजो।

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): आप बड़े हैं, आपका सम्मान करते हैं। एक मिनट।

**श्री सभापति**: अब सम-अप करो न।

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उनके सिपहसालार यह कहते थे कि हमारे यहां का विधायक इतना नजदीक है मुख्य मंत्रीजी के कि बार-बार, रोजाना मीटिंगों में शाम को जाकर डिस्कस करते हैं, इनके बगैर कुछ नहीं करतीं। मैंने कहां गलत कह दिया? एक मिनट। फिर इसके बाद सुनो। जब विधायक महोदय ने इतनी बड़ी-बड़ी झूठ बोली तो जब मुख्य मंत्रीजी गयीं ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

**श्री अभिषेक मटोरिया** (नोहर): यह क्या, आप आठ बजे का क्यों नाम ले रहे हो बार-बार आठ बजे होते थे, शाम को होते थे ...(व्यवधान) आप यह गलत बात मत करिये। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजो, माननीय सदस्य।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): ये क्या बात हुई ...(व्यवधान)...

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): हमारे मुख्य मंत्रीजी रात को दो बजे तक रहते हैं, दो बजे तक। (व्यवधान) पूरे स्टेट की चर्चा करते हैं, दो बजे तक।

**श्री अभिषेक मटोरिया** (नोहर): यह गलत है क्या, प्रदेश की मुख्य मंत्री थीं ...(व्यवधान) आप क्या कहना चाहते हो?

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजिये।

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): और कई बार साढ़े 11, 12 बजे तक तो हम मिले हैं मुख्य मंत्री महोदय से। क्या गुनाह हो गया? आप इतना डर क्यों रहे हैं? आप चमक क्यों रहे हैं इस नाम से, शाम के नाम से? आप चमक क्यों रहे हैं? आप आठ बजे के नाम से चमक क्यों रहे हैं?

**श्री अभिषेक मटोरिया** (नोहर): हम इसलिए चमक रहे हैं क्योंकि आप बात को गुमराह करके व्यक्तिगत आक्षेप लगाना चाहते हो।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजो।

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): आप आठ बजे के नाम से चमक गये, हम तो 11 बजे जाते हैं मुख्य मंत्रीजी के पास, क्या हो गया? अन्याय कहां कह दिया?

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजो।

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): मैं यह कहना चाहता हूं कि जब ये झूठ बोली गयी जनता के बीच में तो तारानगर से आने वाले हमारे सम्माननीय सचेतक महोदय से पूछिये कि यह झूठ कितनी डूबो देती है आदमी को। जब माननीय पूर्व मुख्य मंत्री वहां पहुंचीं तो जनता ने इतना जुलूस निकाला इनका कि बेचारे पानी-पानी हो गये, पसीने-पसीने हो गये हमारे तारानगर वाले माननीय सदस्य जनता को कहते हुए, कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, लेकिन जनता चुप नहीं हुई।

मेरा कहने का मतलब है कि आप झूठ मत बोलिये जनता के बीच में, आप असत्य मत बोलिये, आपको जो कुछ कहना है वो कीजिए। आप अपने ईमानदार हैं, यह किसी के ऊपर एहसान नहीं है, आपको ईमानदार होना चाहिए। ये हम लोगों पर वज़न नहीं है कि उप नेता साहब घनश्यामजी ईमानदार हैं, आप ईमानदार हैं, पूर्व मुख्य मंत्री महोदय ईमानदार थीं। यह कोई एहसान थोड़े ही है जनता के ऊपर? एक जन नेता को, एक जन प्रतिनिधि को ईमानदार होना ही चाहिए वर्ना सोशल ऑडिट उड़ा देती है।

मेरा कहने का मतलब यह है, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य से मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जब हमारा हास्पिटल अपग्रेड नहीं हुआ, झूठ के सहारे आपकी सरकार चली तो आपको कितना दुःख झेलना पड़ा नीमकाथाना में कि ग्राफ बिगड़ा आपके मुख्य मंत्रीजी का हमारे नीमकाथाना से ही। सबसे पहले आम जनता ने इनक्लाब का नारा दिया, हमने नहीं दिया, हमारा कोई नेता मौजद नहीं था।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, अब आप सम-अप करो।

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): मैं सामने के विपक्ष के नेताओं से कहना चाहूंगा कि कोई भी बात पर आप गहराई से सोचें, अर्थ अनावश्यक नहीं लगाएं क्योंकि आप और हम सब मिल कर व्यवस्थाओं को अंजाम देते हैं।

**श्री सभापति**: आप सम-अप करो, बहुत टाइम हो गया। आप सम-अप करो न, बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया, और टाइम आएगा न अभी तो।

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): मैं इसके बाद भा.ज.पा. की उस कार्यशैली को बताना चाहूंगा कि इनके राज में ब्यूरोक्रेट किस तरीके से हावी था। मेरे क्षेत्र नीमकाथाना में 100 क्रैशर लगे हुए हैं, 100 क्रैशर में आज भी 70 क्रैशर जिनको डेढ़ किलोमीटर दूर आबादी से होना चाहिए वो सिर्फ 500 और 600 मीटर की दूरी पर हैं। आखिर ये आफिसर्स किस तरीके की सीमा लांघ जाते हैं ...(व्यवधान)... किस तरीके के बंधन तोड़ जाते हैं ...(व्यवधान) मैं भा.ज.पा. की बात कह रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर): माननीय सदस्यजी ...(व्यवधान)

**श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): क्या चूड़ियां पहन रखी हैं आपके हाथों ने? कानून नहीं है क्या? कानून है न। (व्यवधान)

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर): दुकान बना कर बस स्टैंड बनाया आपने ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, सम-अप करो। (व्यवधान)

**श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): सवा साल हो गया ...(व्यवधान) अभी भी राज नाम की चीज नहीं है राजस्थान में। राजस्थान में कोई राज नहीं चल रहा है ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, सम-अप करो।

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): एक मिनट। अभी मेरी स्पीच पूरी होने दो, आप चमक क्यों रहे हो? (व्यवधान)

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर): आपने बस स्टैंड किस स्थिति में बनाया ...(व्यवधान) बस स्टैंड पर दुकान बना कर बस स्टैंड को दान दिया आपने। आपकी क्या स्थिति है?

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): एक मिनट। मैं मंत्री नहीं हूं, मैं विधायक हूं ...(व्यवधान) +++ आरोपों से डरने वाला नहीं हूं। ...(व्यवधान)

**श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): आप गलत बात कर रहे हो। सवा साल हो गया ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: सम-अप करो।

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): मैं मंत्री नहीं हूं जिसको +++ आरोप लगा कर और आप ...(व्यवधान) मैं विधायक हूं, विधायक से आप बात कर रहे हो ...(व्यवधान)

**श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): हां तो आपके तो मंत्री ही डर रहे हैं क्या ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: आपके मंत्री ही डर रहे हैं, आप तो नहीं डर रहे हैं। (व्यवधान) आप क्यों नहीं करते? (व्यवधान)

**श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़ बास): आप क्यों नहीं करते? राज आपका है, आप पीड़ित हैं, आप क्यों नहीं बंद कराते उन क्रेशर को?

**श्री सभापति**: विराजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): एक मिनट। मैं यह कह रहा हूं।

**श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़ बास): आप उन क्रेशरों को क्यों बंद नहीं कराते, अब तो राज आपका है।

**श्री सभापति**: आप इधर आसन की तरफ ...(व्यवधान) अब मैं आपको समय ज्यादा देने वाला नहीं हूं, माननीय सदस्य।

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): अच्छा, एक बात सुनिये। मैं यह कह रहा हूं कि जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए। यह आप भी मानेंगे। आप कह रहे थे अभी, ग्राम सेवक के ऊपर होनी चाहिए, मैं यही कह रहा हूं, जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए। आप डाइरेक्ट मंत्रियों पर आरोप लगाते हैं ...

**श्री सभापति**: हां, हो गया।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, बजट पर भाषण दें।

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): अगर ब्ययूरोक्रेट कोई गलती करता है, द दैन ब्यूरोक्रेट, पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए। आप डाइरेक्ट सुबह से शाम तक, तीन दिन हो गये आरोप लगाते हुए, हम सुन रहे थे, हम विरोध नहीं कर रहे थे। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: सम-अप करो आप, सम-अप करो, बहुत लम्बा समय हो गया।

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): मैं आपसे कहना चाहूंगा कि तीन दिन हो गये, अखबारों में एक माहौल पैदा कर दिया कि भ्रष्टाचारी सरकार है कांग्रेस की। भ्रष्टाचार नागरजी ने कर दिया, भ्रष्टाचार ब्रजकिशोरजी ने कर दिया।

**श्री सभापति**: अब तो सम-अप करो।

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): एक मिनट। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अनावश्यक डाइरेक्ट भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे और मैं सिर्फ जो हकीकत में हो रहा है वो बता रहा हूं।उसी में दर्द है।

**श्री सभापति**: अब आप सम-अप करो।

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): तो मेरा आपसे यह कथन है कि उस सरकार के बहुत से कारनामे आज हम लोगों के सामने आ रहे हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**श्री सभापति**: अब आप समाप्त करो। समाप्त करो आप।

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं।

**श्री सभापति**: अब आप समाप्त करो।

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): जवाबदेही अधिकारियों की भी निश्चित होनी चाहिए। आप, हम सब, आप भी मिल कर हमारे साथ ...

**(समय-समाप्ति सूचक घंटी)**

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, अब समाप्त करो। (व्यवधान)

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर): माननीय सभापति महोदय, यह इनसे पूछिये ...

**श्री सभापति**: अब अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर): ×××

**श्री सभापति**: अब अंकित नहीं होगा। आप सम-अप करो, आप विराजो।

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): ×××

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर): ×××

**श्री सभापति**: अब आप सम-अप करो।

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

माननीय सदस्य।

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर): ×××

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): ×××

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, अब आप सम-अप कर दो ... (व्यवधान)

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): ×××

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर): ×××

**श्री सभापति**: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। विराजो, विराजो। अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य।

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): ×××

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर): ×××

**श्री सभापति**: अंकित नहीं हो रहा, आप विराजिये। अंकित नहीं हो रहा। हो गयी बात, अब सम-अप करो। माननीय सदस्य, विराजो।

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): ×××

**श्री सभापति**: अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) आपको 32 मिनट हो गये, 32 मिनट।

**श्री रमेश खण्डेलवाल** (नीमकाथाना): ×××

**श्री सभापति**: श्री बहादुर सिंह कोली।

**श्री बहादुर सिंह** (वैर): माननीय सभापति महोदय, 2010-11 का माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। (व्यवधान) अब थोड़ा तो बोलने दो।

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): माननीय सभापतिजी, यदि कोई सारगर्भित बात होती तो, साढ़े बारह बज रहे हैं, कब का यह हाउस पूरा हो जाता। कोई बात ही नहीं हो रही है। यह बहुत ज्यादा हो गया।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य बोलेंगे।

**श्री सभापति**: हां, बोलो। नहीं, बोलो, बोलो, जरूर।

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): हाउस की गरिमा नहीं, कोई और नहीं ...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: मंत्रीजी, आपको तो खूब मौका मिलता है, इनको कभी-कभी बोलने का मौका मिलता है।

**श्री बहादुर सिंह** (वैर): माननीय सभापतिजी, बजट पर तीन दिन से चर्चा चल रही है, हमारे माननीय कटारियाजी ने इस बजट को हर तरीके से समझा कर सदन के सामने रखा। दो या तीन दिन के अन्दर सदन के अन्दर सुनने के लिए यही आ रहा है, आरोप-प्रत्यारोप लग रहे हैं, सभापतिजी।

कभी कहते हैं मंत्री भ्रष्ट है, कभी कहते हैं सरकार भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हैं, माननीय सभापतिजी, चाहे सरकार किसी की भी हो। चाहे भा ज पा की हो चाहे कांग्रेस की है, यह भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है। जब तक इसकी तह के अन्दर नहीं जाएंगे यह भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। आज माननीय यातायात मंत्री पर आरोप लगा, सभी पक्ष वाले एक सुर से खड़े हो गये कि इसको अंकित में से निकालो, अंकित में से निकालो । मगर दो दिन पहले नागर साहब पर आरोप लगा था, वो एस सी के थे, इसलिए उनके पक्ष में कोई भी खड़े नहीं हुए कि नागर साहब पर आरोप लगा है। इसी प्रकार से आज हमारे साथ अत्याचार हुआ है, मैं भी एस सी का हूं और प्रेमी भी एस सी का है, हमारे साथ राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ ने किया है, सबसे लास्ट में हमारा नम्बर लिया है। यह भी अत्याचार हमारे साथ हुआ है ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): यह दलित विरोधी कार्यवाही है।

**श्री बहादुर सिंह** (वैर): माननीय सभापतिजी, पक्ष वाले ढिंढोरा पीट रहे हैं, बहुत अच्छा बजट है, किसान हितैषी बजट है, युवा हितैषी बजट है और मजदूर हितैषी बजट है ...(व्यवधान) रुको तो सही, ताली क्यों बजा रहे हो, बात तो सुन लो, भाई। यह हितैषी बजट है, पर मैं, माननीय सभापतिजी, बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि यह आम जनता का विरोधी बजट है। आज ये दो दिन से कह रहे हैं, या तो नरेगा आता है या बी पी एल आता है। पूरे राजस्थान के अन्दर जितने लोग हैं उसमें से सत्तर परसेंट बी पी एल के अन्दर नहीं आते हैं जिनके बी पी एल में नाम हैं और तीस परसेंट लोगों को लाभ मिलता है।

माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार से कि इसका सर्वे कराया जाए, इसकी जांच कराई जाए। जिनके पास में जमीन है, मकान है, ट्रैक्टर है, उनका नाम है बी पी एल में। उनको सुविधाएं मिल रही हैं जो गरीब को सुविधा मिलनी चाहिए। झोपड़ी वाले को सुविधा मिलनी चाहिए, वह सुविधा गरीब को नहीं मिल रही है।

ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम गरीबों की भूख मिटा रहे हैं। यह गरीबों की भूख नहीं मिट रही है, पैसे वालों की, ज्यादातर ताकत वालों की भूख मिट रही

(श्री बहादुर सिंह)

है। मैं अभी चार-पांच दिन पहले अपने क्षेत्र में था तो बी पी एल का गेहूं बंट रहा था, उसके पास पचास बीघा जमीन थी, ट्रैक्टर था......

**श्री सभापति**: कितनी देर और बोलेंगे आप?

**श्री बहादुर सिंह** (वैर): आप कह देंगे उतना ही बोल लूंगा।

**श्री सभापति**: जितना जल्दी हो सम-अप करो।

**श्री बहादुर सिंह** (वैर): मैं वहां बैठा था, बी पी एल का गेहूं बंट रहा था, तो वो बोलने लगे कि जाओ, बी पी एल का गेहूं बंट रहा है, ले आओ तो बोले कि भई आप क्या करोगे, आपके पास तो दौ सा मन, पांच सौ मन गेहूं वैसे ही हो जाता है। तो बोले कि भई इससे सस्ता गेहूं भैंसों के लिए और कहां से मिलेगा। खल भी बारह रुपये, चौदह रुपये किलो है, इससे सस्ता और कहां मिलेगा। उसके बाद दूसरे के पास मैं बैठा था उसके पास एक लाख रुपये का कुत्ता, पचास हजार का कुत्ता, मकान और ट्रैक्टर और उसका बी पी एल में नाम। वह भी अपने नौकर से बोला कि बी पी एल का गेहूं बंट रहा है, बी पी एल का गेहूं ले आ। तो वो नौकर बोला कि साहब आप क्या करोगे इस बी पी एल के गेहूं का। तो बोले कि हम कुत्ते को खिलाएंगे, गेहूं तो बीस रुपये किलो है, हम इस कुत्ते को खिलाएंगे, कुत्ते के लिए काम आ जाएगा।

तो मैं, माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गरीब के लिए, झोंपड़े वाले के लिए कोई फायदा नहीं हो रहा है। इससे सिर्फ पैसे वालों को और पावर वालों को फायदा हो रहा है । मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इसका सर्वे किया जाए, इसकी कमेटी बनाई जाए। भरतपुर जिले के अधिकारी दौसा में लगाए जाएं, दौसा के अधिकारी भरतपुर में लगाए जाएं। इस तरीके से इसका सर्वे करके बी पी एल वालों के जो पावरफुल हैं, उनके नाम काट दिए जाएं और गरीब का बी पी एल में नाम होना चाहिए।

माननीय सभापतिजी, आज किसान के लिए ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम किसान हितैषी हैं। किसान का भला चाहते हो तो किसान के लिए कुछ करो। हिन्दू के लिए भगवान होता है, मुसलमान के लिए अल्लाह होता है, क्रिश्चियन के लिए ईसा मसीह होता है, आज हमारा भगवान है तो किसान है, आज हमारा भगवान है तो मजदूर है, गरीब है। उस किसान के लिए, मजदूर के लिए सरकार को सोचना है। सभापतिजी, सरकार को सोचना चाहिए। आज किसान को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। हम जो कपड़े पहनते हैं, जो हम खाते हैं, चाहे कुछ भी हो, वह किसान के घर में पैदा होता है, कोई

(श्री बहादुर सिंह)

फैक्ट्री में नहीं होता। आज किसान दूध को बाजार में बेच देता है और दूध की बाल्टी को धोकर अपने बच्चे को पिलाता है, वह दूध भी नहीं पी पाता है, सिर्फ बाल्टी का धोवन पीता है। अच्छी फसल को मण्डी में बेच देता है, अपने बेटे को, अपने परिवार को नहीं खिला पाता है।

**श्री सभापति**: संक्षिप्त करो, समाप्त करो।

**श्री बहादुर** सिंह (वैर): माननीय सभापतिजी, ऐसा है, मैं मैम्बर आफ पार्लियामेण्ट रहा हूं, किसान के बारे में सोचना है तो हम सब को मिल-जुलकर सोचना पड़ेगा। आज किसान का बेटा बेरोजगार हो गया, सरकार कह रही है, हमने बहुत बड़ा बजट पेश किया है, सबका हितैषी है। काहे का हितैषी है ? आज युवा पेट पर हाथ फेरकर बददुआएं देकर कह रहे हैं कि सरकार से हमको आशा थी कि सरकार हमको नौकरी देगी। आज वे डिग्रियां ले लेकर घर पर बैठे हैं। आज किसान का बेटा घर पर बैठा हुआ है। सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो किसान की जमीन थी, यू आई टी ने ले ली, जे डी ए ने ले ली। किसान के पास जमीन कम हो गयी। उसके चार बेटे हैं, पचास बीघे में से दस बीघे आ रही है, दस बीघे वाले के दो बीघे आ रही है। उसके हिस्से में दो बीघे आ रही है। जमीन कोई रबर नहीं है जो बढ़ जाए । जो अपने बच्चों का पेट काट कर, अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाया, आज वह सड़क पर घूम रहा है, उसके लिए नौकरी नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र भरतपुर और धौलपुर के अन्दर बेरोजगारी तो है ही, पर +++ भी बहुत हो गये। कई +++ भी बहुत हो गये, जिनको नौकरी नहीं मिल रही, जमीन कम हो गयी। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: मैं इनको कह चुका, यह कह रहे हैं, मैं एम पी रहा हूं, मुझे बोलने दो आप। (व्यवधान)

**श्री बहादुर सिंह** (वैर): माननीय सभापतिजी, ज्यादा जल्दी हो रही है।

माननीय सभापतिजी, किसान के बारे में सोचना है, गरीब और मजदूर के बारे में सोचना है तो सबसे पहले रोजगार है, सरकार को सबसे पहले रोजगार देना चाहिए। जो हमारे युवा साथी सड़कों पर घूम रहे हैं आज उनकी स्थिति खराब है, खाने के लिए दाने नहीं हैं। डिग्रियां लेकर चाहे उन्होंने इंजीनियरिंग की हो चाहे आई टी आई की हो, चाहे अन्य डिग्री ली हो, वह कोई बेलदारी कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ढकेल पर फल-सब्जी बेच रहा है। उनके बारे में सोचना चाहिये। उनके बारे में कुछ करना चाहिये सरकार को।

(श्री बहादुर सिंह)

माननीय सभापतिजी, अभी सरकार ने कहा, हम आई टी आई खोलेंगे, आई टी आई तो पहले ही खुल गयी, अब क्या खोलेंगे? हर तहसील के अन्दर, हर पंचायत समिति के अन्दर दो या तीन आई टी आई पहले से ही मौजूद हैं। वे आई टी आई किये हुए लड़के सड़कों पर घूम रहे हैं, कौनसी सरकार ने जगह निकाली ? विद्युत विभाग में कोई जगह ही नहीं निकाली, न कोई वन विभाग में निकाली, न कोई और डिपार्टमेंट में जगह निकाली। वे आई टी आई करके करेंगे क्या? पहले ही आई टी आई खुली हुई हैं, आई टी आई किये हुए युवा डोल रहे हैं।

भरतपुर के लिये एक सबसे बढ़िया काम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कुश्ती का किया, क्योंकि पहलवान भरतपुर जिले के अन्दर ही हैं। भरतपुर जिले के अन्दर यह बहुत अच्छा काम किया, मैं इसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

दूसरा जो दिया है नारी निकेतन का, नारी निकेतन की हमारे भरतपुर के लिये कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय प्रभारी मंत्रीजी यहां पर हैं, जो जनता की मांग हो वह काम होना चाहिये। जनता की मांग के आधार पर वह काम नहीं किया गया है।

माननीय सभापतिजी, काफी बार अख़बार में छपा होगा, टी वी में आया होगा, नारी निकेतनों में क्या होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस गांव में ज्यादा जोगी या पुजारी रुक जाता है गांव में बदबू फैल जाती है। जिस नदी के अन्दर पानी रुक जाता है, तालाब उस पानी में बदबू हो जाती है। पानी चलता हुआ होना चाहिये। जोगी भी चलता होना चाहिये। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय, आपके सचेतक महोदय हैं अब, अब सम-अप करो आप।

**श्री बहादुर सिंह** (वैर): माननीय सभापतिजी, यह जो बजट है यह आम आदमी विरोधी बजट है, यह किसान विरोधी बजट है, आम जनता विरोधी बजट है। मैं इस बजट का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री सी एल प्रेमी।

**श्री सी.एल. प्रेमी** (केशवरायपाटन): माननीय सभापतिजी, वर्तमान सरकार के कार्यकाल का जो बजट सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया...(व्यवधान) इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सभी क्षेत्रों के विकास पर जोर देते हुए चिकित्सा, ऊर्जा, पेयजल, शिक्षा, सड़कों पर विशेष

(श्री सी.एल. प्रेमी)

ध्यान दिया है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। नगरपालिका और पंचायती राज की संस्थाओं के गत महीनों में सम्पन्न हुए चुनाव के परिणाम पुन: यह दर्शाते हैं कि राज्य की जनता हमारी नीतियों और कार्य पद्धति से संतुष्ट है। इन परिणामों के बाद मैं समझता हूं कि सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ी है और सरकार को जन हित में बहुत अच्छी तरह काम करना चाहिये।

माननीय सभापतिजी, यह बजट बी पी एल परिवारों को समर्पित किया गया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बी पी एल के लोगों के लिये 2 रुपये प्रति किलो अनाज देने की जो घोषणा की है वह एक ऐतिहासिक घोषणा है। अभी माननीय कोली साहब बता रहे थे कि बी पी एल में सबसे ज्यादा ध्यान शिड्यूल्ड कास्ट पर और शिड्यूल्ड ट्राइब पर होना चाहिये, मैं समझता हूं, इसका पूरा-पूरा ध्यान माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में रखा है।

चिकित्सा सेवाओं पर भी पूरा-पूरा ध्यान दिया गया है। मैं बूंदी डिस्ट्रिक्ट से आया हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र के लाखेरी में ट्रोमा इकाई स्थापित करने की घोषणा की है, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के विधवा, वृद्धावस्था, विकलांग पेंशनर्स को राहत देते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अब यह घोषणा की है कि विकलांग हैं, बी पी एल, वृद्धा, सभी को पेंशन मिले, और इस तरह की योजना बनायी है।

इस बजट में एशियन डवलपमेंट बैंक से वित्त पोषित 554 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के 15 शहरों में आर यू आई डी पी के माध्यम से पेयजल योजना स्वीकृत की है, उसमें बूंदी जिले को शामिल किया गया है इसके लिये भी मैं, सभापतिजी, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

इस बजट में सीकर जिले के लिये 283 गांवों के फ्लोराइड पानी के शोधन हेतु 50 लाख की लागत से सर्वे का प्रावधान रखा गया है इसके लिए मैं आपके माध्यम से केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र पूरा इर्रिगेटेड क्षेत्र है और वहां भी फ्लोराइड की समस्या है। मैं मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी से निवेदन

(श्री सी.एल. प्रेमी)

करना चाहूंगा कि इस समस्या का भी समाधान हो ताकि केशोरायपाटन के लोग फ्लोराइडयुक्त पानी से छुटकारा पाएं।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में एस सी, एस टी, ओ बी सी के विद्यार्थियों का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में छात्रावासों एवं विद्यार्थियों को जो फीस मिलती थी या डोनेशन मिलता था, उसको दुगना कर दिया, इसलिये भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

बूंदी जिले में एक पॉलीटैक्निक कालेज खोला गया है, माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैं इस बारे में बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

पर्यटन की दृष्टि से बूंदी में जो जैतसागर तालाब है उसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक करोड़ रुपये सैंक्शन किये हैं, उसके लिये भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन मैं पर्यटन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बूंदी डिस्ट्रिक्ट हाड़ौती में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक बूंदी आते हैं, लेकिन केशोरायपाटन में पांच ऐसे तीर्थ स्थान हैं, यदि उनको डवलप किया जाए- चम्बल को डवलप किया जाए, केशोरायपाटन मंदिर को डवलप किया जाए, जैन मंदिर को डवलप किया जाए, राज राजेश्वर मंदिर को डवलप किया जाए, मातरा रोड को डवलप किया जाए, तो मैं समझता हूं कि विदेशी लोग जो आते हैं वो पाटन की तरफ भी जाएंगे। रामगढ़ तलवास का जो तालाब है, वह भी बहुत ऐतिहासिक तालाब है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसको भी डवलप किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक वहां पहुंचें।

अन्त में, बहुत सारे राजस्व प्राप्ति और व्यय के आंकड़े बताये गये थे, झोटवाड़ा से आये माननीय विधायक साहब ने बताया कि इतना तो हमने बजट रखा, इतना एक्चुअल बजट है, इतने एक्सपेंसेज हैं और इतना हमारा राजस्व घाटा है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि आय बढ़ाकर राजस्व घाटे को कम करें। आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द।

**श्री सभापति**: सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 15.3.2010 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 24.51 बजे सोमवार, दिनांक 15 मार्च, 2010 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)**

# समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

## टौंक जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत क्रय की गई सामग्री

**113. श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत कई सामग्रियां क्रय की जाती हैं? यदि हां, तो इस अभियान के तहत किन किन सामग्रियों को क्रय किया जाता है? संबंधित शर्तों व मानदण्डों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि टौंक जिले के विद्यालयों में अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत 27 रुपये में क्रय किये गये क्लिपबोर्ड पिछले दिनों बाजार में मात्र 10 रुपये में बिकने के समाचार मिले हैं? यदि हां, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत विभिन्न प्रकार की सामग्रियां क्रय की जाती हैं। जिसमें कम्प्यूटर, प्रिन्टर, फोटो स्टेट मशीन, प्रिन्टिंग कार्य, फर्नीचर, निर्माण कार्य, शिक्षण अधिगम सामग्री इत्यादि का क्रय किया जाता है। उक्त सामग्री का क्रय सामग्री की प्रकृति एवं लागत के अनुसार सीमित निविदा, डी.जी.एस.एण्ड.डी. एवं खुली निविदाएं (एन.सी.बी.) के माध्यम से किया जाता है। निविदा की सामान्य एवं विशेष शर्तों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। वर्ष 2008-09 में विद्यालयों में एस.सी./एस.टी. के विद्यार्थियों के लिए टी.एल.एम. (टीचर्स लर्निंग मेटेरियल) खरीदने के लिए विद्यालयों की एस.डी.एम.सी. को 27/- रुपये प्रति छात्र-छात्रा की दर से स्वीकृति जारी की गई थी एवं मुख्यालय द्वारा 27/- रुपये टी.एल.एम. क्रय करने हेतु तीन विकल्प दिए गये थे, जिसकी प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न हैं। समस्त सामग्री का क्रय एस.डी.एम.सी. द्वारा किया गया है। जिला परियोजना समन्वयक द्वारा क्लिप बोर्ड क्रय करने के प्रकरण की जांच हेतु जिला स्तर एवं ब्लाक स्तर पर जांच कमेटी का गठन किया गया है एवं प्रकरण की जांच की जा रही है। जिसकी प्रति परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

**(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## पाली नगर परिषद् में कच्ची बस्ती सुधार कार्यक्रम हेतु आबंटित राशि

**114. श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत पांच वर्षों में नगर परिषद् पाली को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आवास एवं कच्ची बस्ती सुधार कार्यक्रम में किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि, कब-कब आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य कितनी अवधि में पूर्ण किये जाने थे व कौन-कौन से कार्य कब-कब पूर्ण हुए एवं कितने कार्य किन-किन कारणों से अभी तक अपूर्ण हैं। और अपूर्ण कार्यों को अब कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा।

**उत्तर**

(1) गत पांच वर्षों में नगर परिषद, पाली को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत एकीकृत आवास एवं गंदी बस्ती योजना (आईएचएसडीपी) में नये आवास, आवास अपग्रेडेशन, सड़क, नाली निर्माण, नाला सुधार, पानी की पाइप लाइन, विद्युतीकरण, सामुदायिक शौचालय, भवन एवं रात्रि विश्राम गृह कार्य करवाये जाने हेतु केन्द्रांश राशि रुपये 862.90 लाख एवं राज्यांश राशि रुपये 107.86 लाख कुल राशि रुपये 970.76 लाख आबंटित की गई। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त कार्य स्वीकृत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुसार अप्रैल, 2009 तक पूर्ण किये जाने थे।

पानी की पाइप लाइन का कार्य मई 2010 तक तथा विद्युतीकरण का कार्य मई 2010 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। शेष कार्यों में नये आवासों का निर्माण, आवास अपग्रेडेशन, सामुदायिक शौचालय, भवन, रात्रि विश्राम गृह का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

1. नाली व सड़क डामरीकरण कार्य UIDSSMT के अन्तर्गत, सीवरेज कार्य प्रगति पर होने के कारण रूका हुआ है। जो कि सीवरेज प्रोजेक्ट की समाप्ति अवधि मार्च, 2011 के बाद माह अप्रैल, 2011 तक पूर्ण कराया जाना सम्भावित है।
2. आवास अपग्रेडेशन के कार्य में लाभार्थियों द्वारा अपना अंशदान जमा नहीं कराना।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

3. नये आवासों के निर्माण हेतु सर्वप्रथम निविदा आमंत्रित की गई परन्तु किसी भी संवेदक द्वारा निविदाओं में भाग नहीं लिये जाने से टेण्डर प्रक्रिया में विलम्ब हुआ।
4. नगर परिषद् द्वारा जलदाय विभाग में समय पर राशि का जमा नहीं कराना एवं मानचित्र वगैरह अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना।
5. टेण्डर प्रक्रिया में बदलाव तथा 6 पैकेजों का गठन एवं ठेकेदारों द्वारा टेण्डर नहीं डालना।
6. सामुदायिक सुविधाओं में कुछ स्थानों पर विवाद के कारण विलम्ब हो रहा है। विद्युत के पोल लगाने के स्थल-विवाद तथा जोधपुर डिस्काम से विद्युत शट डाउनलोड में लगे समय के कारण विलम्ब हुआ है।

**परिशिष्ट "अ"**

(राशि लाखों में)

| कार्य का नाम | राशि प्राप्ति का दिनांक | केन्द्रांश | राज्यांश | कुल |
|---|---|---|---|---|
| एकीकृत आवास एवं गंदी बस्ती योजना (आईएचएसडीपी) में नये आवास, आवास अपग्रेडेशन, सड़क, नाली निर्माण, नाला सुधार, पानी की पाइप लाइन, विद्युतीकरण, सामुदायिक शौचालय, भवन एवं रात्रि विश्राम गृह के कार्य | 8.6.2007<br>26.5.2009 | 398.93<br>463.97 | 49.86<br>58.00 | 448.79<br>521.97 |
| **योग** | | **862.90** | **107.86** | **970.76** |

## अजमेर जिले में अवैध शराब के दर्ज प्रकरण

**115. श्री वासुदेव देवानानी** (अजमेर उत्तर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री वासुदेव देवनानी)

(1) जिला अजमेर में गत तीन वर्षों में अवैध शराब के कितने प्रकरण पकड़े गये व कुल कितने मूल्य की शराब पकड़ी गई?

(2) उक्त प्रकरणों में कितने तस्कर पकड़े गये व कितनों के विरुद्ध प्रकरण/प्राथमिकी दर्ज की गई?

(3) उक्त प्रकरणों में तस्करी या अवैध शराब लाने के कितने प्रकरणों में मूल स्रोतों का पता लगा व कितनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई?

(4) क्या सरकार द्वारा उक्त प्रकरणों की रोकथाम हेतु कोई कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जिला अजमेर में गत तीन वर्षों में अवैध शराब के 2999 प्रकरण पकड़े गये। इन प्रकरणों में 565.28 लाख रु. की शराब पकड़ी गई।

(2) उक्त प्रकरणों में 91 तस्कर पकड़े गये तथा 78 प्राथमिकी दर्ज की गई।

(3) 9 प्रकरणों में तस्करी के मूल स्रोत की जानकारी हुई है। इनमें 26 अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया है।

(4) तस्करी से आने वाली शराब की रोकथाम हेतु नियमित रूप से रेड्स/गश्त/नाकाबंदी की जाती है। पुलिस तथा आबकारी विभाग द्वारा पृथक पृथक एवं संयुक्त रूप से समय-समय पर अभियान चलाकर भी कार्यवाही की जाती है।

## बायतू (बाड़मेर) में नवीन डाक बंगले का निर्माण

**116. कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालयों पर डाक बंगले बनाने का प्रावधान है? क्या बायतू (बाड़मेर) में डाक बंगले बने हुए हैं? यदि हां, तो क्या वर्तमान में उनकी सेवाएं अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि बायतू में निर्मित डाक बंगले में एसीएम कार्यालय संचालित है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार बायतू में नया डाक बंगला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। जी नहीं, बायतू (बाड़मेर) में डाक बंगला नहीं बना हुआ है। तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालयों पर डाक बंगले बनाने का निर्णय राज्य सरकार की पारस्परिक प्राथमिकता एवं उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है।

(2) जी नहीं। बायतू में डाक बंगला नहीं है।

(3) जी नहीं। बायतू में नया डाक बंगला बनाना राज्य सरकार की पारस्परिक प्राथमिकता एवं उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेगा।

## जोधपुर के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण हेतु स्वीकृत प्रस्ताव

**117. श्री कैलाश चन्द भंसाली** (जोधपुर) : क्या कला संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जोधपुर के पुराने स्मारकों को संरक्षित घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन स्मारकों को तथा इस हेतु कितनी कितनी राशि के कौन-कौन से प्रस्ताव मंजूर किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जोधपुर के परकोटे को संरक्षण से मुक्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। राजस्थान स्मारक पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम 1961 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1968 से अब तक संरक्षित घोषित जोधपुर जिले के 34 स्मारकों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

उक्त सूची में जोधपुर शहर एवं इसके आसपास के निम्न स्मारक सम्मिलित हैं:-

1. जोधपुर का किला, जोधपुर
2. जनाना महल- मण्डोर
3. देवताओं की साल- मण्डोर
4. अजीत सिंह देवल- मण्डोर
5. जसवंत सिंह देवल- मण्डोर
6. माल देव की छतरी- मण्डोर
7. सूर सिंह की छतरी- मण्डोर
8. गज सिंह प्रथम की छतरी- मण्डोर

(कला संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री)

9. उदय सिंह की छतरी- मण्डोर

10. टोकेश्वर की प्रतिमा,

11. रावण की चवरी- मण्डोर

12. पचकुण्डा की छतरियां

13. सिटीवाल (परकोटा)

14. सूरसागर के प्राचीन महल

15. प्राचीन मन्दिर- गंगाणा

इनके अतिरिक्त वर्तमान में जोधपुर के अन्य कोई पुराने स्मारक संरक्षित घोषित करना प्रस्तावित नहीं है। स्मारकों/संग्रहालयों के रख-रखाव पर गत 5 वर्षो में राशि रुपये 428.81 लाख व्यय हुई, जिसका विवरण परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(2) जी नहीं। इसके ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल संरक्षण से मुक्त नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

**परिशिष्ट 'अ'**

**जोधुपर जिले के संरक्षित स्मारकों की सूची**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | जोधपुर का किला | जोधपुर | जोधपुर |
| 2. | मण्डोर "वीरों की दालान" | मण्डोर | जोधपुर |
| 3. | राव मालदेव की छतरी | मण्डोर | जोधपुर |
| 4. | मोटा राजा उदयसिंह जी की छतरी | मण्डोर | जोधपुर |
| 5. | सवाई राजा सूरसिंह की छतरी | मण्डोर | जोधपुर |
| 6. | राजा गजसिंह की छतरी | मण्डोर | जोधपुर |
| 7. | महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की छतरी | मण्डोर | जोधपुर |
| 8. | महाराजा अजीत सिंह की छतरी | मण्डोर | जोधपुर |
| 9. | पंच कुण्ड में छतरियां | मण्डोर | जोधपुर |
| 10. | टोकेश्वर महाराज की प्रतिमा | मण्डोर | जोधपुर |
| 11. | रावण की चंवरी | मण्डोर | जोधपुर |
| 12. | हरिहर मन्दिर-1 | ओसियां | जोधपुर |
| 13. | हरिहर मन्दिर-2 | ओसियां | जोधपुर |
| 14. | हरिहर मन्दिर-3 | ओसियां | जोधपुर |
| 15. | हरिहर मन्दिर-4 | ओसियां | जोधपुर |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. | हरिहर मन्दिर-5 | ओसियां | जोधपुर |
| 17. | सूर्य मंदिर (मंदिर संख्या-7) | ओसियां | जोधपुर |
| 18. | मंदिर संख्या-8 (शिव मन्दिर) | ओसियां | जोधपुर |
| 19. | मन्दिर संख्या-9 (पीपलाद माता) | ओसियां | जोधपुर |
| 20. | विष्णु मन्दिर | ओसियां | जोधपुर |
| 21. | जैन मन्दिर | ओसियां | जोधपुर |
| 22. | सचिया माता मंदिर | ओसियां | जोधपुर |
| 23. | बावड़ी (जालरा या झालरा) | ओसियां | जोधपुर |
| 24. | कुक्कु देवल अथवा उत्कीर्ण कीर्ति स्तम्भ का स्थान तथा स्मारक, अभिलेख अथवा राहिन्स कूप | घटियाला | जोधपुर |
| 25. | जोधपुर शहर पनाह (सिटीवाल) सभी द्वारों को सम्मिलित करते हुये | जोधपुर | जोधपुर |
| 26. | शिव मन्दिर लाम्बा (खसरा नं. 1529) | बिलाड़ा | जोधपुर |
| 27. | विष्णु एवं शिव मन्दिर, बुचकला | बिलाड़ा | जोधपुर |
| 28. | प्राचीन मन्दिर, गांगाणा (खसरा नं. 123) | जोधपुर | जोधपुर |
| 29. | प्राचीन महल, सूरसागर | जोधपुर | जोधपुर |
| 30. | दुर्ग फलौदी | फलौदी | जोधपुर |
| 31. | जनाना महल-मण्डोर | जोधपुर | जोधपुर |
| 32. | हर्ष का देवल (शिव मन्दिर) (चारों ओर का 50 मीटर के क्षेत्र सहित) | वरणा (बिलाड़ा) | जोधपुर |
| 33. | प्राचीन शिव मन्दिर बावड़ी, भोपालगढ़ | ग्राम बावड़ी तहसील भोपालगढ़ | जोधपुर |
| 34. | प्राचीन शिवालय, भुडाना | ग्राम बावड़ी तहसील भोपालगढ़ | जोधपुर |

**परिशिष्ट 'ब'**

**जोधपुर जिले में इस विभाग द्वारा विगत पांच वर्षों एवं चालू वित्तीय वर्ष 2009-2010 में निम्न संग्रहालयों एवं स्मारकों पर परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाने तथा संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य पर किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है**

**(राशि रुपये लाखों में)**

| प्रोजेक्ट का नाम | योजना | वर्ष | व्यय राशि |
|---|---|---|---|
| संरक्षण कार्य, सिटीवाल, जोधपुर | ग्यारहवां वित्त आयोग | 2004-05 | 50.00 |
| | बारहवां वित्त आयोग | 2006-07 | 62.91 |
| संरक्षण कार्य, जनाना महल, मण्डोर (जोधपुर) | राज्य आयोजना मद | 2006-07 | 12.03 |
| संरक्षण कार्य, पंचकुण्डा की छतरियां, मण्डोर (जोधपुर) | राज्य आयोजना मद | 2007-08 | 25.24 |
| परियोजना निर्माण कार्य, महामन्दिर, जोधपुर | बारहवां वित्त आयोग | 2007-08 | 1.12 |
| परियोजना निर्माण कार्य, विष्णु मन्दिर, जोधपुर | बारहवां वित्त आयोग | 2007-08 | 1.35 |
| परियोजना निर्माण कार्य, देवल्स, मण्डोर (जोधपुर) | बारहवां वित्त आयोग | 2007-08 | 2.13 |
| संरक्षण कार्य, देवल्स, मण्डोर (जोधपुर) | राज्य आयोजना मद | 2009-10 | 58.67 |
| संरक्षण कार्य, फलोदी फोर्ट (फलोदी), जोधपुर | जनप्रतिनिधियों से प्राप्त निधि | 2007-08 | 15.00 |
| | बारहवां वित्त आयोग | 2007-08 | 15.67 |
| | | 2008-09 | 14.23 |
| | | 2009-10 | 1.97 |
| संरक्षण एवं विकास कार्य, राजकीय पुस्तकालय-जोधपुर | बारहवां वित्त आयोग | 2008-09 | 5.13 |
| | | 2009-10 | 3.04 |
| राजकीय संग्रहालय, मण्ड़ोर | बारहवां वित्त आयोग | 2006-07 | 4.08 |
| | | 2007-08 | 5.40 |

| प्रोजेक्ट का नाम | योजना | वर्ष | व्यय राशि |
|---|---|---|---|
| | | 2008-09 | 1.79 |
| | | 2009-10 | 71.43 |
| | पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गयी राशि | 2008-09 | 24.91 |
| | | 2009-10 | 5.09 |
| राजकीय संग्रहालय, जोधपुर | बारहवां वित्त आयोग | 2006-07 | 3.60 |
| | | 2007-08 | 22.03 |
| | | 2008-09 | 7.74 |
| | | 2009-10 | 14.25 |
| **गत पांच वर्षों में कुल व्यय राशि रुपये** | | | **428.81** |

## बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की प्रस्तावित योजनाएं

**118. श्री सुखराम** (बसेड़ी) **:** क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के सरमथुरा, डांग क्षेत्र के गांवों के लिए कोई पेयजल योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार आंगई बांध से डांग क्षेत्र के लिए पेयजल की व्यवस्था कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की कौन-कौनसी योजनायें प्रस्तावित हैं? उक्त पेयजल योजनाओं को कब तक पूर्ण कराने का सरकार विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या के समाधान हेतु कोई विशेष योजना तैयार कर रही है? यदि हां, तो क्या व कब तक और नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। आंगई बांध को मुख्य पेयजल स्त्रोत लेकर विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के ड़ांग क्षेत्र के 94 ग्रामों हेतु बनाई गई 'डांग एरिया जल प्रदाय परियोजना' की स्वीकृति दो भागों में की गई है। विवरण निम्नानुसार है:-

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

| **स्वीकृत योजना का नाम** | **स्वीकृति माह/वर्ष** | **स्वीकृत राशि** | **योजना में सम्मिलित ग्राम** |
|---|---|---|---|
| भाग-प्रथम | नवम्बर, 2004 | रु. 13.89 करोड़ | 12 |
| | अक्टूबर, 2008 (संशोधित स्वीकृति) | रु. 19.84 करोड़ | |
| भाग-द्वितीय | अगस्त, 2006 | रु. 87.02 करोड़ | 82 |

(2) जी हां। उपरोक्तानुसार। भाग-प्रथम की स्वीकृत योजना में सम्मिलित 12 ग्रामों में से 11 ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है। शेष एक ग्राम सरमथुरा को माह जून, 2010 तक लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

भाग-द्वितीय की स्वीकृत योजना के कार्य प्रारम्भ करने हेतु संवेदक को दिनांक 27 फरवरी, 2010 को कार्यादेश जारी किया गया है। इस भाग के कार्य अगस्त, 2011 तक पूर्ण करने प्रस्तावित हैं।

(3) आपात योजना-द्वितीय चरण की दिनांक 20 फरवरी, 2010 को जारी स्वीकृति के अन्तर्गत उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र हेतु 2 नलकूप एवं 20 हैण्डपम्प निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उक्त स्वीकृत कार्यों के स्थान का चिन्हीकरण कर कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने प्रस्तावित हैं।

उक्त कार्यों के अतिरिक्त उक्त क्षेत्र की किसी भी पेयजल योजना के प्रस्ताव सक्षम स्तर पर स्वीकृति हेतु वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(4) उपरोक्तानुसार।

## लिकाम्बा ग्राम (सोजत) की पहाड़ी पर अवैध खनन

**119. श्रीमती संजना आगरी** (सोजत) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सोजत में अवैध खनन किया जा रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि लिकाम्बा ग्राम की पहाड़ी सीमेन्ट फैक्ट्री हेतु आरक्षित होने के उपरान्त भी वहां चल रहा अवैध क्रेशर पहाड़ी से पत्थर ले रहा है? यदि हां, तो किसकी अनुमति से?

(3) क्या सरकार उक्त पहाड़ी से अवैध खनन को रोककर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत में अवैध खनन की शिकायतें समय समय पर प्राप्त हुई हैं। अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम के लिए विभाग के अधिकारी/फिल्ड स्टाफ कर्मचारियों द्वारा विशेष अभियान चलाकर चैकिंग की जाती है। अप्रैल, 2006 से जनवरी, 2010 तक की अवधि में की गयी कार्यवाही में 85 प्रकरणों में पेनल्टी के रूप में राशि रु. 1,33,960/- वसूली गयी है। (सूची संलग्नक "अ" पर है)

(2) लिलाम्बा ग्राम की पहाड़ी खनिज लाइम स्टोन सीमेन्ट श्रेणी हेतु आरक्षित नहीं है। जिला कलक्टर, पाली के आदेश दिनांक 21.10.2000 की पालना में ग्राम बलीमगरी में क्रेशर लगाया गया है। (आदेश की प्रति संलग्नक "ब" पर है) वर्तमान में क्रेशर बंद है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में पहाड़ी में अवैध खनन नहीं होने के कारण कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

**(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में संचालित विद्यालयों में विद्युत एवं पेयजल की व्यवस्था

**120. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के किन-किन राजकीय विद्यालयों में विद्युत् एवं पेयजल के कनेक्शन हैं और किन-किन विद्यालयों में यह सुविधा नहीं है? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षेत्र के संचालित विद्यालयों में उक्त विद्युत एवं पेयजल कनेक्शन भुगतान के अभाव में कट गये हैं? क्या सरकार इस हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ कर दी गई हैं? यदि हां, तो किन-किन में व नहीं, तो क्यों? क्या अब सरकार उक्त विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

**उत्तर**

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में संचालित राजकीय प्राथमिक व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत

(शिक्षा मंत्री)

एवं पेयजल कनेक्शन का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विद्यालयों में विद्युत एवं पेयजल की सुविधायें उपलब्ध हैं। संचालित विद्यालयों का विवरण निम्नानुसार है:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| राउप्रावि कालीबेरी | राउप्रावि सिंवाचीगेट | राउप्रावि प्रतापनगर | राबाउमावि सूरसागर |
| रामावि कोतवाली | रामावि विद्याशाला | रामावि अल्पभाषा राजमहल | रामावि सोढों की ढाणी |
| राबामावि कालीबेरी | राबामावि प्रतापनगर | | |

(2) जी हां। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र के संचालित 01 राजकीय प्राथमिक व 04 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनमें पहले विद्युत कनेक्शन थे किन्तु भुगतान नहीं होने के कारण विद्युत कनेक्शन काट दिये गये। वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर विद्युत कनेक्शन करवाये जा सकेंगे।

(3) सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कमला नेहरू नगर एवं नाईयों की बगीची में स्वीकृत कम्प्यूटर शिक्षण कार्य संचालित हैं। शेष विद्यालयों में कम्प्यूटर स्वीकृत होने पर शिक्षण प्रारम्भ किया जा सकेगा तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के निम्नांकित विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षण संचालित हो रहा है:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| राउमावि कालीबेरी | राउमावि प्रतापनगर | राउप्रावि सिंवाचीगेट | राबाउमावि सूरसागर |

निम्नांकित विद्यालयों में आई.सी.टी. के द्वितीय चरण में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| रामावि विद्याशाला | रामावि अल्पभाषा | राबामावि कालीबेरी | राबामावि प्रतापनगर |

**परिशिष्ट-क**

**प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में संचालित राजकीय प्राथमिक व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनमें विद्युत/पेयजल के कनेक्शन हैं/नहीं का विद्यालयवार विवरण**

| क्र. सं. | संचालित राप्रावि/राउप्रावि का नाम | विद्युत कनेक्शन है/नहीं | पेयजल कनेक्शन है/नहीं |
|---|---|---|---|
| 1. | राबाउप्रावि शोभावतों की ढ़ाणी | नहीं | नहीं |
| 2. | राबाउप्रावि कालीबेरी | नहीं | हां |
| 3. | राबाउप्रावि सूरसागर (गेवा सूरसागर) | नहीं | हां |
| 4. | राउप्रावि सूरसागर | नहीं | हां |
| 5. | राबाउप्रावि रघुनाथजी की बावड़ी | नहीं | नहीं |
| 6. | राउप्रावि सरदारपुरा, सूंथला | नहीं | नहीं |
| 7. | राबाउप्रावि चान्दणा भाखर | नहीं | हां |
| 8. | राउप्रावि राजीव हत्था | नहीं | हां |
| 9. | राउप्रावि कमला नेहरू नगर | हां | हां |
| 10. | राबाउप्रावि ब्रह्मपुरी | नहीं | नहीं |
| 11. | राबाउप्रावि कन्हैया कालोनी | नहीं | नहीं |
| 12. | राबाउप्रावि महेश हास्टल | नहीं | नहीं |
| 13. | राबाउप्रावि मेघवाल बस्ती राजबाग सूरसागर | नहीं | हां |
| 14. | राबाउप्रावि सिंवाची गेट | नहीं | नहीं |
| 15. | राबाउप्रावि हरीराम की बगीची | हां | नहीं |
| 16. | राबाउप्रावि व्यास पार्क 16 सैक्टर | नहीं | नहीं |
| 17. | राबाउप्रावि चांदपोल | नहीं | नहीं |
| 18. | राबाउप्रावि चौ.हा.बो. सेक्ट 11 | नहीं | हां |
| 19. | राबाउप्रावि चौ.हा.बो. सेक्ट 14 | नहीं | हां |
| 20. | राबाउप्रावि गढेरों की ढाणी | नहीं | नहीं |
| 21. | राबाउप्रावि लाला लाजपतराय कॉलोनी | नहीं | हां |
| 22. | राउप्रावि बड़ी भील बस्ती | नहीं | हां |
| 23. | राउप्रावि कबीर नगर | नहीं | नहीं |

| क्र. सं. | संचालित राप्रावि/राउप्रावि का नाम | विद्युत कनेक्शन है/नहीं | पेयजल कनेक्शन है/नहीं |
|---|---|---|---|
| 24. | राउप्रावि प्रताप नगर | नहीं | हां |
| 25. | राउप्रावि राजमहल सेक्ट 18 | नहीं | हां |
| 26. | राउप्रावि सोढों की ढाणी | नहीं | हां |
| 27. | राउप्रावि चौ.हा.बो. सेक्ट 14 | नहीं | हां |
| 28. | राउप्रावि चौपासनी गांव | नहीं | हां |
| 29. | राउप्रावि चुने की चौकी | नहीं | हां |
| 30. | राउप्रावि नाईयों की बगीची | हां | हां |
| 31. | राउप्रावि गोयलों की ढाणी | नहीं | नहीं |
| 32. | राउप्रावि गेंवा सूरसागर | नहीं | हां |
| 33. | राप्रावि प्रतापनगर हा.बो. | नहीं | नहीं |
| 34. | राउप्रावि खेमे का कुआं | नहीं | हां |
| 35. | राप्रावि रावटी गांव | नहीं | नहीं |
| 36. | राप्रावि राजीव गांधी हत्था सोमानी कालेज | हां | हां |
| 37. | राप्रावि राजीव गांधी श्रमिकपुरा | नहीं | नहीं |
| 38. | राप्रावि स्टैडियम शापिंग सेन्टर | नहीं | हां |
| 39. | राप्रावि सूरसागर कब्रिस्तान | नहीं | हां |
| 40. | राप्रावि जोशी कालोनी | हां | हां |
| 41. | राप्रावि बाईजी का तालाब नं. 2 | नहीं | नहीं |
| 42. | राप्रावि बापू कालोनी | नहीं | नहीं |
| 43. | राप्रावि सरदारपुरा | नहीं | नहीं |
| 44. | राप्रावि डा. राजेन्द्र प्रसाद कालोनी | नहीं | नहीं |
| 45. | राप्रावि चांदपोल नं. 1 | नहीं | नहीं |
| 46. | राप्रावि चांदपोल नं. 2 | नहीं | हां |
| 47. | राप्रावि न्यू सिंवाची गेट | हां | नहीं |
| 48. | राप्रावि अमर नगर | नहीं | नहीं |
| 49. | राप्रावि मैचियों की घाटी | हां | हां |
| 50. | राप्रावि भादरवा मौहल्ला | नहीं | नहीं |

| क्र. सं. | संचालित राप्रावि/राउप्रावि का नाम | विद्युत कनेक्शन है/नहीं | पेयजल कनेक्शन है/नहीं |
|---|---|---|---|
| 51. | राप्रावि पूर्वी पश्चिमी पाल रोड | नहीं | नहीं |
| 52. | राप्रावि सकीना कालोनी | हां | नहीं |
| 53. | राप्रावि अम्बेडकर कालोनी प्रताप नगर | नहीं | नहीं |
| 54. | राप्रावि आसोप की पोल | नहीं | नहीं |
| 55. | राप्रावि संजय बस्ती | नहीं | नहीं |
| 56. | राप्रावि संजय कालोनी | नहीं | नहीं |
| 57. | राप्रावि रूपावतों का बेरा कालीबेरी | नहीं | नहीं |
| 58. | राप्रावि ढेरियों का मौहल्ला | नहीं | हां |
| 59. | राप्रावि बांगा सूरसागर | नहीं | हां |
| 60. | राप्रावि बलदेव नगर | नहीं | हां |
| 61. | राप्रावि कोटवाली | हां | हां |
| 62. | राप्रावि कालीबेरी | नहीं | नहीं |
| 63. | राप्रावि मसूरिया बालाजी पहाड़ी | नहीं | नहीं |
| 64. | राप्रावि शिव बस्ती वार्ड नं. 3 | नहीं | नहीं |
| 65. | राप्रावि सिंहपोल कालीबेरी | नहीं | नहीं |
| 66. | राप्रावि भील बस्ती अम्बेडकर नगर | नहीं | नहीं |
| 67. | राप्रावि भील भाखरी | नहीं | नहीं |
| 68. | राप्रावि भैरव भाखरी कबीर नगर | नहीं | नहीं |
| 69. | राप्रावि पाकविस्थापित अम्बेडकर नगर | नहीं | नहीं |
| 70. | राप्रावि प्रतापनगर | नहीं | नहीं |
| 71. | राप्रावि रामदेव मन्दिर पीएचडी आफिस कायलाना | नहीं | हां |
| 72. | राप्रावि शरणार्थी नेहरू | हां | हां |
| 73. | राप्रावि चौपासनी रोड | हां | हां |
| 74. | राप्रावि गोरधन तालाब | नहीं | हां |
| 75. | राप्रावि गुरों का तालाब | नहीं | नहीं |
| 76. | राउप्रावि लाला लाजपतराय कालोनी | नहीं | हां |
| 77. | राप्रावि तुलसी कालोनी कबीर नगर | नहीं | नहीं |

| क्र. सं. | संचालित राप्रावि/राउप्रावि का नाम | विद्युत कनेक्शन है/नहीं | पेयजल कनेक्शन है/नहीं |
|---|---|---|---|
| 78. | राप्रावि कुतों का बाडा | नहीं | नहीं |
| 79. | राप्रावि चौ.हा.बो. सेक्ट 23 | नहीं | हां |
| 80. | राप्रावि मेघवाल बस्ती सरदारपुरा | नहीं | नहीं |
| 81 | राप्रावि हरीजन बस्ती देवनगर | नहीं | नहीं |
| 82. | राप्रावि लखारों का बास देवनगर | नहीं | नहीं |
| 83. | राप्रावि महावीर कालोनी हडडी मील | नहीं | नहीं |
| 84. | राप्रावि इण्डस्ट्रीयल एरिया | नहीं | नहीं |
| 85. | राबाप्रावि प्रताप नगर | नहीं | हां |
| 86. | राबाउप्रावि सूरसागर | हां | हां |
| 87. | राप्रावि नटबस्ती मसूरिया | नहीं | नहीं |
| 88. | रा नवीन प्रावि लाला लाजपतराय | नहीं | हां |
| 89. | राप्रावि सिन्धियों की मस्जिद | हां | नहीं |

## जयपुर स्थित कच्ची बस्तियों के विकास हेतु कार्य-योजना

**121. श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल-लाइन्स) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर में बसी सभी कच्ची बस्तियों को पट्टे देने हेतु कोई कार्य-योजना बनाई गई है? यदि हां, तो कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा कच्ची बस्तियों के विकास व पानी आदि के लिये विशेष योजना व बजट का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) कच्ची बस्तियों के नियम व पट्टों देने के सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

वर्तमान में भारत सरकार की "राजीव आवास योजना" के अन्तर्गत कार्य-योजना बनाने हेतु सर्वेक्षण/प्रतिचित्रण कार्य किया जा रहा है।

(2) कच्ची बस्तियों के विकास व पानी आदि के लिए एकीकृत आवास

(स्वायत्त शासन मंत्री)

एवं गंदी बस्ती विकास योजना (आईएचएसडीपी) के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में राशि रुपये 6000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। उक्त योजना में राज्य के 35 शहरों में 37 परियोजनायें स्वीकृत की गयी हैं। अजमेर पुष्कर में बीएसयूपी योजना के अन्तर्गत कच्ची बस्ती के विकास के लिए भारत सरकार से प्राप्त राशि रुपये 2114.28 लाख, राज्यांश राशि 264.27 लाख कुल राशि रुपये 2378.47 लाख कार्यकारी एजेन्सी को हस्तान्तरित किये गये हैं। जयपुर में बीएसयूपी अन्तर्गत संजय नगर भट्टा बस्ती के विकास के लिए भारत सरकार से प्राप्त राशि रुपये 2115.68 लाख एवं राज्यांश राशि रुपये 846.26 लाख कुल राशि रुपये 2961.94 लाख कार्यकारी एजेन्सी को हस्तान्तरित किये गये हैं और कार्य प्रगति पर है।

**(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु सर्वे

**122. श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में दिसम्बर, 2008 से फरवरी, 2010 तक कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार राज्य में कौनसी योजनाओं पर आधारित उद्योगों को कहां कहां पर विकसित करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उद्योग नीति बनाकर उद्योगों की सम्भावना हेतु सर्वे कराकर जिलों को चिन्हित कर उद्योग लगाने की कार्यवाही की है? यदि हां, तो किन-किन जिलों में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राज्य में दिसम्बर, 2008 से फरवरी, 2010 तक 7 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र.सं. | औद्योगिक क्षेत्र का नाम | जिले का नाम |
|---|---|---|
| 1. | इन्स्टीट्शनल ऐरिया रानपुर | कोटा |
| 2. | तारानगर | चुरू |
| 3. | सादुलपुर (तृतीय चरण) | चुरू |
| 4. | कांटकालवार (विस्तार) | जयपुर |

(उद्योग मंत्री)

| क्र.सं. | औद्योगिक क्षेत्र का नाम | जिले का नाम |
|---|---|---|
| 5. | पथरेड़ी | अलवर |
| 6. | पुनायता | पाली |
| 7. | सनवाइ | उदयपुर |

(2) भारत सरकार की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजनान्तर्गत राज्य की एग्रो फूड पार्क क्रियान्वयन एजेंसी रीको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क रानपुर कोटा, उद्योग बिहार श्रीगंगानगर, बोरानाडा जोधपुर एवं अलवर में स्थापित किये गये हैं।

भारत सरकार की असाइड योजना के माध्यम से राज्य में निर्यातोन्मुख इकाइयों के लिये 2 स्पेशल इकोनोमिक जोन एवं 2 निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क तथा 16 औद्योगिक क्षेत्रों के लिये आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु प्रयासरत है। (सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।)

राज्य सरकार द्वारा क्लस्टर विकास कार्यक्रम के माध्यम से 33 क्लस्टर स्थापित कर लघुतम, लघु एवं दस्तकार उपक्रमों में कौशल एवं डिजाइन विकास, तकनीकी विकास, विपणन सहायता एवं सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना के माध्यम से क्षमता संवर्द्धन एवं विकास किया जा रहा हैं। (सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।)

उद्योगों के लिए जहां पर कच्चा माल/कृषि उपज/खनिज उपलब्ध है तथा जहां पर किन्हीं विशेष उद्योगों को स्थापित करने हेतु वातावरण बना हुआ है वहां पर रीको के इण्डस्ट्रीयल ऐरिया में अलग से पार्क/जोन स्थापित कर क्लस्टर उद्योग स्थापित किये जाने का प्रयास रीको द्वारा किया जाता है। रीको द्वारा पार्क/जोन बनाकर क्लस्टर उद्योग स्थापित करने के प्रयास किये गये हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(3) राजस्थान उद्योग एवं विनियोग प्रोत्साहन नीति राज्य सरकार के विचाराधीन है। राज्य के प्रत्येक जिले में उपलब्ध कच्चा माल व अन्य संसाधन, उत्पादित माल की खपत, कृषि उपज व औद्योगिक आधारभूत संरचनाओं के आधार पर औद्योगिक सम्भावना सर्वेक्षण नियमित रूप से तैयार किया जाता है जिसमें जिले में लग सकने वाले सम्भावित उद्योगों का विवरण होता है, उद्योगों की संभावना हेतु सर्वे कराकर जिलों को चिन्हित कर उद्योग लगाने की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा नहीं की जाती है।

(उद्योग मंत्री)

राज्य के जिलों में कच्चा माल/कृषि उपज/खनिज की उपलब्धता के आधार पर एवं उद्यमिता की मांग पर जिले को चिन्हित कर रीको द्वारा उद्योग लगाने हेतु भूमि का चयन कर औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाती है।

परिशिष्ट-अ

**असाइड योजनान्तर्गत क्रियान्वित की जा रही परियोजनाऐं**

**निर्यातो मुखी इकाइयों के लिये विशेष महत्व के औद्योगिक क्षेत्र**

| **क्र.सं.** | **परियोजना का नाम** |
|---|---|
| 1. | निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क, बोरानाड़ा जोधपुर। |
| 2. | निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क, नीमराना अलवर। |
| 3. | स्पेशल इकोनोमिक जोन फार हैण्डीक्राफ्ट, बोरानाड़ा जोधपुर। |
| 4. | स्पेशल इकोनोमिक जोन फार जैम एण्ड ज्वैलरी, सीतापुरा, जयपुर। |

**आद्योगिक क्षेत्रों के लिये आधारभूत सुविधाऐ:-**

| | |
|---|---|
| 1. | इम्प्रुवमेंट आफ लिंक रोड् कनेक्टिंग टू इण्डस्ट्रीज एरिया खुशखेड़ा टू बूढीबावल एवं इण्डस्ट्रीज एरिया सरे खुर्द टू नूहू रोड। |
| 2. | लिंक रोड्स कनेक्टिंग, खुशखेड़ा टू एन एच आर्ट वाया कैसोला चौक, भिवाड़ी। |
| 3. | आई.सी.डी. बीकानेर। |
| 4. | एक्सपोर्ट प्रमोशन इन्फ्रास्ट्रक्चर फार स्टोन्स, जयपुर। |
| 5. | स्टोन पार्क, दौसा। |
| 6. | लिंक रोड वाया आकेड़ा, भिवाड़ी। |
| 7. | लिंक रोड वाया राठीवास, भिवाड़ी। |
| 8. | सी.ई.टी.पी. भिवाड़ी। |
| 9. | लिंक रोड टू आई.सी.डी., जोधपुर। |
| 10. | अर्थ स्टेशन, जोधपुर। |
| 11. | ई.पी.आई.पी. सीतापुरा के लिये मैंटिनेंस 2001-02 । |
| 12. | लिंक रोड टू एग्रो फूड पार्क, गंगानगर। |
| 13. | ई.पी.आई.पी. सीतापुरा के लिये मैंटिनेंस 2002-03 । |
| 14. | एयर कारगो काम्पलेक्स जयपुर में एक्स-रे मशीन। |
| 15. | इम्प्रुव आफ लिंक रोड्स कनेक्टिंग टू इण्डस्ट्रीज एरिया खुशखेड़ा टू एनएच-8 एवं इण्डस्ट्रीज एरिया चौपाटी से एस एच-25 । |
| 16. | लिंक रोड टू आई.सी.डी., भिवाड़ी। |

**परिशिष्ट-'ब'**

**राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित क्लस्टर्स की सूची**

| क्र.सं. | क्लस्टर का नाम | चयन वर्ष |
|---|---|---|
| 1. | कोटा डोरिया क्लस्टर, कैथून, कोटा | 2005-06 |
| 2. | चर्म उत्पाद एवं चर्म रंगाई क्लस्टर, बानसूर, अलवर | 2005-06 |
| 3. | रंगाई छपाई क्लस्टर, आकोला, चित्तौड़गढ़ | 2005-06 |
| 4. | हाथकरघा क्लस्टर, दरीबा, चूरू | 2005-06 |
| 5. | मूर्तिकला क्लस्टर, तलवाड़ा, बांसवाडा | 2005-06 |
| 6. | चर्म जूती क्लस्टर, भीनमाल, जालौर | 2006-07 |
| 7. | जैसलमेर स्टोन क्लस्टर, जैसलमेर | 2006-07 |
| 8. | गोटालूम क्लस्टर, अजमेर | 2006-07 |
| 9. | आतीतारी क्लस्टर, नायला, जयपुर | 2006-07 |
| 10. | मूर्तिकला क्लस्टर, गोला का बास, अलवर | 2006-07 |
| 11. | टाई एण्ड डाई क्लस्टर, जोधपुर | 2006-07 |
| 12. | कांच कशीदा क्लस्टर, धनाउ, बाड़मेर | 2006-07 |
| 13. | शहद क्लस्टर, भरतपुर | 2006-07 |
| 14. | पोटरी एवं टेराकोटा क्लस्टर, रामगढ़, अलवर | 2006-07 |
| 15. | टेराकोटा क्लस्टर, मोलेला, राजसमंद | 2006-07 |
| 16. | टेराकोटा क्लस्टर, सियावा, सिरोही | 2007-08 |
| 17. | स्टोन क्लस्टर, पिंडवाडा, सिरोही | 2007-08 |
| 18. | अभ्यारण्य उत्पाद क्लस्टर, बारां | 2007-08 |
| 19. | गलीचा क्लस्टर, थानागाजी, अलवर | 2007-08 |
| 20. | लाख क्लस्टर, जयपुर | 2007-08 |
| 21. | स्टोन आर्टवेयर क्लस्टर, डूंगरपुर | 2007-08 |
| 22. | चर्म उत्पाद क्लस्टर, जोधपुर | 2007-08 |
| 23. | कशीदाकारी क्लस्टर, शिव, बाड़मेर | 2007-08 |
| 24. | काष्ठकला क्लस्टर, बस्सी, चित्तौड़गढ़ | 2007-08 |
| 25. | कशीदाकारी क्लस्टर, पूगल-आडूरी, बीकानेर | 2007-08 |
| 26. | अभ्यारणय उत्पाद क्लस्टर, तालछापर, चूरू | 2007-08 |
| 27. | आटो कम्पोनेन्ट क्लस्टर, अलवर | 2008-09 |

| क्र.सं. | क्लस्टर का नाम | चयन वर्ष |
|---|---|---|
| 28. | हाथकरघा क्लस्टर, राजपुरा पातलवास, जयपुर | 2008-09 |
| 29. | मार्बेल आर्टिकल क्लस्टर, छितौली, जयपुर | 2008-09 |
| 30. | सेण्ड स्टोन क्लस्टर, पिचूपाड़ा, दौसा | 2008-09 |
| 31. | पीतल के बर्तन पर नक्काशी क्लस्टर, बालाहेड़ी, दौसा | 2008-09 |
| 32. | पोटरी एवं टेरा कोटा क्लस्टर, गोगुन्दा-ऋषभदेव, उदयपुर | 2009-10 |
| 33. | हैण्ड ब्लाक प्रिन्टिंग क्लस्टर, बगरू, जयपुर | 2009-10 |

**परिशिष्ट-स**

**राज्य के विभिन्न जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित क्लस्टर उद्योगों की सूची**

| | | |
|---|---|---|
| आई टी पार्क | : | बोरानाड़ा (जोधपुर), सीतापुरा (जयपुर), कोटा, उदयपुर |
| एग्रो फूड पार्क | : | बोरानाडा (जोधपुर), रानपुर (कोटा), श्रीगंगानगर व अलवर |
| स्टोन पार्क | : | धौलपुर एवं जोधपुर |
| आटो कम्पोनेन्ट क्षेत्र | : | पथरेड़ी (भिवाड़ी) जिला-अलवर |
| केबल जोन | : | पथरेड़ी (भिवाड़ी) जिला-अलवर |
| गारमेंट जोन | : | पथरेड़ी (भिवाड़ी) जिला-अलवर |
| बी.टी. पार्क | : | सीतापुरा (जयपुर) |
| एनसीआर लैदर जोन | : | कहारानी, भिवाड़ी, जिला-अलवर |

## महिला एवं बाल विकास हेतु आबंटित राशि का व्यय

**123. डा. श्रीमती परम नवदीप सिंह** (संगरिया) : क्या महिला एवं बाल विकास मात्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने संचालित हैं? परियोजनावार स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों की जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वर्तमान में 0-3, 3-6 वर्ष के बच्चे तथा गर्भवती महिला व वयस्क बालिकाओं पर प्रतिदिन कितनी राशि व्यय करने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. श्रीमती परम नवदीप सिंह)

(3) वर्ष 2003-04 से अब तक केन्द्रों व राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि उपलब्ध करवाई तथा उपलब्ध कराई राशि के विरुद्ध कितनी राशि व्यय की गई? राशि का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राज्य में कुल 54 हजार 915 आंगनबाड़ी केन्द्र व 6 हजार 204 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। जनवरी, 2010 में इनमें से 49 हजार 339 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 2 हजार 569 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। जिलेवार/परियोजनावार स्वीकृत एवं संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रतिदिन लाभार्थी के पूरक पोषाहार पर व्यय होने वाली राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

| लाभार्थी वर्ग | राशि (रुपये में) |
|---|---|
| 0-3 वर्ष तक के बच्चे | 4.00 |
| 3-6 वर्ष तक के बच्चे | 4.00 |
| 0-6 वर्ष के अति कुपोषित बच्चे | 6.00 |
| गर्भवती/धात्री माताएं तथा किशोरी बालिकाएं | 5.00 |

वर्तमान में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत चयनित 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार देने का प्रावधान है।

(3) समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 से फरवरी, 2010 तक भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त एवं उसके विरुद्ध व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

**(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## कोटा जिले के मंडाना क्षेत्र हेतु स्वीकृत पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन

**124. श्री भवानी सिंह राजावत** (लाडपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के मंडाना क्षेत्र में पेयजल संकट को दूर करने के लिए बोरावास, पदमपुरा एवं अकेलगढ़ कसाट पेयजल

(श्री भवानी सिंह राजावत)

योजनाओं की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति हो चुकी है एवं योजना का शिलान्यास भी किया जा चुका है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों पेयजल योजनाओं का कार्य प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति के बाद भी प्रारम्भ नहीं हुआ है? यदि हां, तो अब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने के क्या कारण हैं?

**उत्तर**

(1) वर्णित पेयजल योजनाओं के संदर्भ में विवरण निम्न प्रकार है:-

**(अ) क्षेत्रीय जल योजना बोरावास-पदमपुरा** -योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह जनवरी, 2005 में राशि रुपये 23.77 करोड़ एवं तकनीकी स्वीकृति माह दिसम्बर, 2005 में राशि रुपये 20.35 करोड़ की जारी की गई। एकल बिन्दु दायित्व के आधार पर योजना के कार्यों को पूर्ण कराने के लिये प्राप्त निविदा में दरें अधिक होने के कारण वित्त समिति द्वारा माह मार्च, 2007 में योजना के संशोधित प्रस्ताव बनाने हेतु लिये गये निर्णय उपरान्त, योजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह अक्टूबर, 2007 में राशि रुपये 38.84 करोड़ की जारी की गई। संशोधित योजना की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं हुई। इस योजना का शिलान्यास नहीं हुआ है।

**(ब) क्षेत्रीय जल योजना नयागांव-जगपुरा-कसार**-योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह फरवरी, 2007 में राशि रुपये 12.45 करोड़ एवं तकनीकी स्वीकृति माह दिसम्बर, 2007 में राशि रुपये 10.68 करोड़ की जारी हुई। एकल बिन्दु दायित्व के आधार पर योजना के कार्यों को पूर्ण कराने के लिये प्राप्त निविदा में दरें अधिक होने के कारण वित्त समिति द्वारा माह फरवरी, 2009 में निविदा पत्रित करने का निर्णय लिया गया। इस योजना का शिलान्यास ग्राम पंचायत, कसार द्वारा दिनांक 6 सितम्बर, 2008 को किया गया।

उक्त योजनाओं के संदर्भ में अब 'राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम' के अन्तर्गत जारी नये दिशा-निर्देशों के अनुरूप नये प्रस्ताव बनाने बाबत निर्णय लिया गया है।

(2) उपरोक्तानुसार।

## घना पक्षी विहार भरतपुर हेतु गोवर्धन ड्रेन से जल आपूर्ति

**125. डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(डा. दिगम्बर सिंह)

(1) क्या यह सही है कि घना पक्षी विहार, भरतपुर में गोवर्धन ड्रेन से पानी पहुंचाने हेतु 17.1 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन डालने के लिए भारत सरकार द्वारा 55 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य हेतु डीपीआर तैयार करवायी गई थी और उस पर लगभग दस लाख रुपये व्यय किये गये थे? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य उस डीपीआर के तहत ही करवाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में निविदाएं आमन्त्रित की गई थीं और प्रक्रिया से पहले ही निरस्त कर दी गईं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि अब उक्त कार्य हेतु दुबारा निविदाएं आमंत्रित की गई हैं? यदि हां, तो कब तक प्रक्रिया पूरी की जाकर पाइप लाइन डालने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा?

(5) क्या सरकार उक्त प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब होने के लिए दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस किस के विरुद्ध व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में पानी पहुंचाने हेतु गोवर्धन ड्रेन से 17.1 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन डालने की परियोजना के लिये भारत सरकार द्वारा 53.80 करोड़ रु. की स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृति के विरुद्ध भारत सरकार से 6.00 करोड़ की राशि रिलीज की गई है।

(2) उक्त कार्य का सर्वे एवं डीपीआर तैयार करने पर अब तक कुल 5.11 लाख रुपये का व्यय किया गया है। यह कार्य डीपीआर के तहत ही करवाया जायेगा।

(3) जी हां। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को पूर्व में पी.एस.सी.सी. पाइप लाइन गोवर्धन डेन से पानी दिया जाना प्रस्तावित था, लेकिन बाद में पी.एस.सी.सी. पाइप लाइन के स्थान पर जी.आर.पी. पाइप डालने के सम्बन्ध में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के तकनीकी सलाहकारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के कारण पूर्व में आमंत्रित निविदा को निरस्त किया गया।

(वन राज्य मंत्री)

(4) जी हां। दुबारा आमंत्रित टेण्डर की प्रक्रिया पूरी होने से पूर्व अन्य संवेदक द्वारा एक केस माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में दायर कर दिये जाने तथा न्यायालय द्वारा टेण्डर प्रक्रिया पर स्थगन आदेश जारी किये जाने के कारण टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी है। न्यायालय से स्थगन आदेश खारिज होने के पश्चात् टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराने की कार्यवाही की जावेगी।

(5) जी नहीं। टेण्डर प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर में केस विचाराधीन होने के फलस्वरूप हो रहे विलम्ब के लिये कोई दोषी नहीं होने के कारण किसी के भी विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का आधार नहीं है।

## कठूमर विधान सभा क्षेत्र में संचालित माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत एवं रिक्त पद

**126. श्री बाबूलाल बैरवा** (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में संचालित माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं व उनमें कितने पद रिक्त हैं? अब सरकार द्वारा उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र की कितनी ग्राम पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं? क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक।

**उत्तर**

(1) वर्ष 2009-10 में बजट घोषणा की गई थी कि राज्य की जिन 1900 ग्राम पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय नहीं है। अत: माध्यमिक विद्यालय विहीन ग्राम पंचायतों में 1900 उप्रावि को माध्यमिक स्तर क्रमोन्नत किया जावेगा।

उक्त घोषणा की क्रियान्विति में अब तक 1216 ग्राम पंचायतों के राउप्रावि को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया जा चुका है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विधान सभा क्षेत्र में संचालित विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

अध्यापकों के रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध कराये जाने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र की 09 ग्राम पंचायतों में माध्यमिक स्तर के विद्यालय संचालित नहीं है।

राज्य सरकार उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत विद्यालय क्रमोन्नति हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर निर्धारित मानदण्डों के तहत समग्र स्थिति का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण करने के उपरान्त ही विद्यालय क्रमोन्नति की स्वीकृति प्रदान करती है।

**परिशिष्ट-'क'**

| **क्र. सं.** | **विद्यालय का नाम** | **स्वीकृत पद** | | | **रिक्त** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **व्याख्याता** | **व.अ.** | **अध्यापक** | **व्याख्याता** | **व.अ.** | **अध्यापक** |
| **राउमावि.** | | | | | | | |
| 1 | इटेडा | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | जावली | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | कठूमर | 12 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | खेडली | 36 | 24 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | भनोखर | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | बडौदाकान | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | खोह | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | बाउमावि., कठूमर | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | बाउमावि., खेडली | 12 | 9 | 3 | 8 | 3 | 1 |
| 10 | रोणी जाथान | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | खौंकर | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |

| क्र. सं. | विद्यालय का नाम | स्वीकृत पद | | | रिक्त | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | व्याख्याता | व.अ. | अध्यापक | व्याख्याता | व.अ. | अध्यापक |
| रामावि. | | | | | | | |
| 12 | मोलिया | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | बड़का | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | निमेडा | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | खुड़ियाना | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | सौंखरी | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | समूची | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | तसई | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | गारू | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | टिटपुरी | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | जटवाड़ा | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | मैथना | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | मसारी | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | खैडामैदा | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | कालवाड़ी | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | सौंख | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | कांकरोली | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | टोडा | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | बहतुकलां | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | नाटोज | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | हुल्याणा | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | दांतीया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | दारोदा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | डोरोली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | झाडला | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | खेड़ा कल्याणपुरा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | खेडलीरेल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| क्र. सं. | विद्यालय का नाम | स्वीकृत पद | | | रिक्त | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | व्याख्याता | व.अ. | अध्यापक | व्याख्याता | व.अ. | अध्यापक |
| 38 | तुसारी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | सौंखरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | सालवाड़ी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | सहाड़ी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | जांगरू | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **योग** | **88** | **191** | **66** | **36** | **35** | **18** |

## मकराना नगरपालिका की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

**127. श्री जाकिर हुसैन गैसावत** (मकराना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगरपालिका मकराना द्वारा गत पांच वर्षों में कितनी सड़कों का निर्माण करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़कों की वर्तमान स्थिति क्या है?

(3) क्या यह सही है कि समय पूर्व सड़कों के क्षतिग्रस्त होने पर उक्त सड़कों का पुनर्निर्माण करवाये जाने की जिम्मेदारी संवेदक की है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों को कब तक ठीक करवा दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) नगरपालिका मकराना द्वारा वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक 77 सड़कों का निर्माण करवाया गया जिनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) 08 सड़कों को छोड़कर शेष 69 सड़कों की स्थिति संतोषजनक है।

(3) जी हां। सड़क निर्माण तिथि से छह माह तक सड़क क्षतिग्रस्त होने पर ठीक कराने की जिम्मेदारी संवेदक की है। 6 सड़कें जो 6 माह के भीतर क्षतिग्रस्त हुई थीं, जिनके लिये संवेदक को नोटिस दिया जाकर सिक्युरिटी राशि जप्त की जाकर, उस राशि से मरम्मत कार्य करवाया जावेगा एवं शेष दो सड़कों को नगरपालिका द्वारा दुरुस्त करवाया जावेगा। उक्त समस्त कार्य दो माह में करवा दिया जाएगा।

**(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## सिरोही जिले में डोडा पोस्त ठेकेदारों द्वारा लाइसेंसधारकों से अनियमित वसूली

**128. श्री ओटाराम देवासी** (सिरोही) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य की आबकारी नीति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सिरोही जिले में डोडा पोस्त के कुल कितने ठेकेदार अथवा सैल्समैन अधिकृत हैं तथा प्रत्येक ठेकेदार को एक माह में कितने किलो डोडा पोस्त का कोटा दिया जाता है एवं कितने लाइसेंसधारक व्यक्ति अधिकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले में ठेकेदारों द्वारा प्रति किलो निर्धारित दर से ज्यादा राशि लाइसेंसधारकों से वसूली जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(4) उक्त जिले में डोडा पोस्त ठेकेदारों द्वारा लाइसेंसधारकों से निर्धारित दर से ज्यादा राशि वसूली के अब तक कितने प्रकरण सामने आये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) आबकारी नीति वर्ष 2009-10 की प्रति संलग्न है।

(2) सिरोही जिले में श्री खेराज राम पुत्र श्री केसाराम के नाम थोक एवं खुदरा डोडा पोस्त का अनुज्ञापत्र स्वीकृत है तथा जिले में 1 थोक दुकान व 6 खुदरा दुकानें संचालित हैं। उक्त अनुज्ञापत्रधारी के अधीन सैल्समैन का कार्य करने हेतु 14 व्यक्तियों के नोकरनामे स्वीकृत किये गये हैं। जिले में 157 डोडा पोस्त के परमिटधारी व्यसनी हैं। उक्त व्यसनियों को प्रतिमाह 1395 कि.ग्रा. डोडा पोस्त का कोटा निर्धारित है।

(3) जी नहीं।

(4) सिरोही जिले में निर्धारित दर से अधिक दर पर डोडा पोस्त विक्रय की कोई शिकायत अब तक प्राप्त नहीं हुई है।

**(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## जोधपुर स्थित संग्रहालयों का नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार

**129. श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या कला संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

(1) दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2010 तक जिला जोधपुर में कौन कौन से संग्रहालयों का नवीनीकरण या जीर्णोद्धार किया गया व उन पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य के संग्रहालयों में संग्रहित सामान का वैज्ञानिक तरीके से प्रलेखन का कार्य कराया गया? यदि हां, तो दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2010 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) तहसील शेरगढ़ संग्रहालय पर दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2010 तक कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त तहसील के प्राचीन किले बालेसर व सेतरावा की मरम्मत करवाकर विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) सरदार राजकीय संग्रहालय, जोधपुर एवं राजकीय संग्रहालय, मण्डोर में संरक्षण एवं जीर्णोद्वार कार्यो पर क्रमश: राशि रुपये 11.41 लाख एवं 57.78 लाख रुपये व्यय किए गए।

(2) जी हां। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजकाम को उपलब्ध कराये गये बजट के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 (जनवरी, 10) तक विभागीय संग्रहालयों, मुद्रा शाखा में संग्रहीत 2,21,352 सिक्कों का प्रलेखन कार्य करवाया गया है। प्रथम चरण के कार्य पर लगभग 30 लाख रुपये का व्यय हुआ है।

सिक्कों के प्रलेखन की सूचना वेबसाइट wwwancientcoins.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

(3) तहसील शेरगढ़ में विभाग का कोई भी संग्रहालय नहीं है। अत: कोई राशि व्यय नहीं की गयी।

(4) शेरगढ़ तहसील में स्थित बालसेर व सेतरावा किले पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित घोषित नहीं है। अत: वर्तमान में इन किलों की मरम्मत एवं विकास कार्य हेतु कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

## राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पेयजल हेतु कार्य-योजना

**130. श्री सूरजभान** (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री सूरजभान)

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में पेयजल की समस्या है? क्या सरकार द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कोई कार्य-योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या व उस योजना पर कब से अमल शुरू हो जाएगा? व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत एक कस्बा राजगढ़ एवं ग्रामीण क्षेत्र के 210 आबाद ग्रामों (तहसील राजगढ़ के 132 ग्राम एवं तहसील लक्ष्मणगढ़ के 78 ग्राम) में भू-जल उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारू एवं संतोषप्रद है।

उक्त क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था सामान्य बनाये रखने हेतु विभिन्न योजना अन्तर्गत राशि रुपये 176.18 लाख की स्वीकृत 5 योजनाओं के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। इन योजनाओं में 15 नलकूप, 90 हैण्डपम्प, 12 सिंगल फेज एवं पाइप लाइन आदि कार्यों का प्रावधान स्वीकृत है। इन योजनाओं के संदर्भ में वांछित कार्य योजना का विवरण संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-अ

## विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में विभिन्न योजना अन्तर्गत स्वीकृत पेयजल योजनाओं की प्रगति का विवरण

| क्र.सं. | योजना का नाम | तहसील | स्वीकृति का विवरण | | स्वीकृत कार्य | | | | प्रगति | | | | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | माह/वर्ष | राशि रुपये | नलकूप | सिंगल फेज | हैण्डपम्प | अन्य | नलकूप | सिंगल फेज | हैण्डपम्प | अन्य | |
| 1 | ग्रीष्म कन्टीजेन्सी मार्च, 2009 | राजगढ़ | मार्च, 2009 | 29.00 लाख | 4 | - | 15 | पाइप लाइन 2 किमी | 4 | - | 14 | पाइप लाइन 2 किमी. | शेष 1 हैण्ड पम्प का कार्य प्रगति पर है तथा अप्रैल, 2010 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। |
| | | लक्ष्मणगढ़ | | 7.20 लाख | - | - | 12 | - | - | - | 6 | - | शेष 6 हैण्ड पम्प का कार्य प्रगति पर है तथा अप्रैल, 2010 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। |
| 2 | आपात योजना-प्रथम चरण (अगस्त, 2009 से दिसम्बर, 2009) | राजगढ़ | अगस्त, 209 | 49.00 लाख | 3 | - | 40 | पाइप लाइन 1.7 किमी. | 2 नलकूप असफल | - | 34 | पाइप लाइन 1.2 किमी. | 1 नलकूप एवं 6 हैण्डपम्प का कार्य प्रगति पर है तथा अप्रैल, 2010 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। |
| | | लक्ष्मणगढ़ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| क्र.सं. | योजना का नाम | तहसील | स्वीकृति का विवरण | | स्वीकृत कार्य | | | | प्रगति | | | | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | माह/वर्ष | राशि रुपये | नलकूप | सिंगल फेज | हैण्डपम्प | अन्य | नलकूप | सिंगल फेज | हैण्डपम्प | अन्य | |
| 3 | आपात योजना-द्वितीय चरण (जनवरी, 2010 से मार्च, 2010) | राजगढ़ | फरवरी, 2010 | 49.40 लाख | 4 | 9 | 19 | पाइप लाइन 2 किमी. | - | - | - | - | कार्य प्रगति पर है एवं अप्रैल, 2010 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। |
| | | लक्ष्मणगढ़ | | 13.40 लाख | 1 | 3 | 4 | पाइप लाइन 0.5 किमी. | - | - | - | - | कार्य प्रगति पर है एवं अप्रैल, 2010 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। |
| 4 | पम्प एवं टैंक जल योजना, डाबला मेव | राजगढ़ | फरवरी, 2007 | 15.85 लाख | 1 | - | - | पाइप लाइन 4.5 किमी. 2 भूतल जलाशय | 1 | - | - | कार्य प्रगति पर | एक सफल नलकूप का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शेष कार्य प्रगति पर है योजना माह जून, 2010 तक पूर्ण करनी प्रस्तावित है। |
| 5 | पम्प एण्ड टैंक जल योजना, गोठड़ा | लक्ष्मणगढ़ | जुलाई, 2007 | 22.33 लाख | 2 | - | - | पाइप लाइन 2.3 किमी. 2 भूतल जलाशय | 2 | - | - | कार्य प्रगति पर | 2 सफल नलकूपों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना माह जून, 2010 तक पूर्ण करनी प्रस्तावित है। |
| | | | **कुल योग** | **176.18 लाख** | **15** | **12** | **90** | | **7** | | **54** | | |

## बाड़मेर में रिफाइनरी लगाने हेतु ओएनजीसी को दी गई रियायतें

**131. श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर में रिफाइनरी लगाई जाने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी जा चुकी है? यदि हां, तो कब? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या रिफाइनरी लगाई जाने हेतु ओएनजीसी कम्पनी द्वारा मांगी गई सुविधाओं में राज्य सरकार द्वारा छूट दे दी गई है? यदि हां, तो क्या-क्या छूट दी गई? प्रति सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) पृथक से कोई स्वीकृति नहीं दी गई है। वर्ष 2005 में केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय में बाड़मेर क्षेत्र में रिफाइनरी लगाने हेतु निम्नांकित संस्थानों ने प्रस्तुतीकरण दिये थे:-

1. इंडियन आयल कारपोरेशन
2. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन
3. ओएनजीसी
4. केयर्न इंडिया

ओएनजीसी द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण में बाड़मेर रिफाइनरी स्थापित करने में रूचि दिखाई गई थी। मंगलोर रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड जो कि ओएनजीसी की सहायक (subsidiary) कम्पनी है के चैयरमेंन द्वारा दिनांक 15 सितम्बर, 2005 को शेयर होल्डर्स की एजीएम में राजस्थान रिफाइनरी परियोजना को क्रियान्वित करने के बारे में कहा था। ओएनजीसी द्वारा 12 अप्रैल, 2005 को लिये गये संकल्प 139.11 द्वारा राजस्थान में रिफाइनरी की स्थापना हेतु एसपीवी (Special Purpose Vehicle) का गठन किया। (सलंग्नक-अ)

(2) राज्य में रिफाइनरी लगाए जाने हेतु प्रकरण विचाराधीन है।

राज्य सरकार द्वारा रिटायर्ड केन्द्रीय पेट्रोलियम सचिव श्री एस.सी. त्रिपाठी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है जिसकी 31 मार्च, 2010 के उपरांत रिपोर्ट उपलब्ध होने पर रियायतों के बारे में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

**संलग्नक-अ**

**OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED**
**SECRETARIATRE**

Regt. Office : Jeenan Bhawan, Tourr-II, 124, Indra chowk, New Dehli

**Certified True Copy of the Resolution passed at the 39th Board**

Meeting held on 12th April, 2005 at New Dehli

139. 11 IN PRINCIPLE APPROVAL FOR CREATING AN SPV IN THE NAME OF "RAJASTHAN REFINERIES LTD." to EASTABLISH AN OIL REFINERY IN RAJASTHAN AFTER CARRYING OUT NECERSSARY DUE DILIGENCE

"RESOLVED THAT un-principle approval of the Board of Directors. he and is hereby accorded for creating a Special Purpose Vehicle (SPV) in the name and style of Rajasthan Refineries Ltd. or any other name, as a non-Government Company to establish an oil refinery in Rajasthan after carrying out necessary due diligence & viability

RESOLVED FURTHER THAT Chairman & Managing Director or any person designated by him, be and is hereby, authorised to sign & execute on behalf of ONGC, all documents, instruments, papers and writings etc, for the purpose of formation of the above proposed Company and to initiate all pre -project activities in this regard."

## निजी विद्यालयों पर नियंत्रण हेतु कार्य योजना

**132. श्री कालीचरण सराफ** (मालवीयनगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के निजी विद्यालयों के संचालकों ने विद्यालयों में छठा वेतन आयोग लागू करने के नाम पर शिक्षण शुल्क में भारी वृद्धि कर दी है? क्या सरकार द्वारा इसकी अनुमति प्रदान की गई? यदि हां, तो कब व क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि निजी विद्यालयों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण नहीं होने से स्कूल संचालकों को मनमानी करने का अवसर प्राप्त है? यदि हां, तो इन निजी विद्यालयों पर पूर्ण नियंत्रण हेतु सरकार क्या कोई उपाय करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के क्रम में फीस वृद्धि करने के लिए आदेश क्रमांक प. 8(17)शिक्षा-5/2004 पार्ट-II/ जयपुर दिनांक 1.06.2009 के द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट-"क" सदन पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी नहीं। निजी विद्यालयों पर राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के प्रावधानों के तहत विभाग द्वारा नियंत्रण किया जाता है।

**परिशिष्ट-क**

**राजस्थान सरकार**

**शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग**

क्रमांक: प.8 (17)/शिक्षा-5/2004 पार्ट-II जयपुर, दिनांक: 01.06.2009

**आदेश**

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 की धारा 3 सहपठित राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 1993 के नियम 5(i) तथा उसके अन्तर्गत परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या 7 तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता (सम्बद्वता) संबंधी विनियम का अध्याय 13 के विनियम 3 (11) एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के Byelaws के Chapter 3 व तदनुसार केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्व विद्यालयों के लिए जारी राज्य सरकार के अनापात्ति प्रमाण पत्र शर्तों तथा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रम में फीस वृद्धि के बारे में गठित कमेटी की अनुशंसाओं के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार इस विनिश्चय पर पहुंची है, कि राज्य में कार्यरत समस्त निजी विद्यालयों (चाहे किसी भी बोर्ड से सम्बद्वता रखते हो) द्वारा विद्यार्थियों से प्राप्त की जाने वाली फीस व फीस वृद्धि को विनियमित किया जाना आवश्यक है।

अत: वर्ष 2009-10 के शैक्षिक सत्र के लिए विद्यालयों द्वारा वसूल की जाने वाली फीस में की जाने वाली वृद्धि व भविष्य में की जाने वाली अधिकतम फीस वृद्धि निम्न सारणी व शर्तों के अध्याधीन की जावेगी :-

| स्कूल श्रेणी | मंहगाई एवं अन्य खर्चों में बढ़ोतरी के कारण देय प्रतिशत* वृद्धि | | | छठे वेतन आयोग की सिफारिश पर स्टाफ को देय भुगतान के कारण फीस में वृद्धि | कुल वृद्धि |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| चैरीटेबल सोसायटी एवं ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाऐं | 7 | 7 | 3.5 | 15 | 32.5% |
| शेष संस्थाऐं:- (अ) सम्भागीय मुख्यालय स्थित | 6 | 6 | 3 | 15 | 30% |
| (ब) अन्य संस्थाऐं | 5 | 5 | 2.5 | 15 | 27.5% |

* (वृद्धि प्रतिशत वर्ष 2007-08 को आधार वर्ष (Base Year) मानते हुए प्रस्तावित किया है)

उपरोक्तानुसार फीस वृद्धि की निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लिए फीस वृद्धि बाध्यकारी (Fee Hike is not Mandatory) नहीं है।
2. फीस वृद्धि का अधिकार उन्हीं संस्थाओं को होगा जिन संस्थाओं द्वारा स्थाई स्टाफ नियोजित किया हुआ है, उनका सेवाभिलेख संस्था द्वारा नियमित रूप से संधारित किया जा रहा है एवं छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन भुगतान शैक्षिक सत्र 2009-2010 से प्रारम्भ किया जा रहा है।
3. तीन सत्रों में (2007 से 2009-10 तक) कुल वृद्धि उपरोक्त सारणी सीमा से अधिक नहीं होगी। यदि पूर्व सत्रों में वृद्धि कर ली गई है तो वह सारणी के कालम संख्या 6 में अंकित कुल वृद्धि में से कम कर दी जावेगी पर अधिकतम वृद्धि इस वर्ष 20% से अधिक नहीं होगी।
4. जिन विद्यालयों में पिछले 2 वर्षों में वृद्धि नहीं की है उन्हें सारणी के कालम संख्या 2 से 5 तक में अंकित कुल अधिकतम वृद्धि का अधिकार होगा, पर इसकी अधिकतम सीमा 22% से अधिक नहीं होगी।

5. जिन विद्यालयों द्वारा पूर्व तीन सत्रों में की गई फीस वृद्धि की सीमा, सारणी के कालम संख्या 6 में अंकित वृद्धि से समग्र रूप से अधिक फीस वसूल की गयी हो तो अधिक वसूली गई फीस समायोजित की जायेगी।
6. राज्य सरकार द्वारा इसके बारे में मांगी जाने वाली समस्त सूचनाऐं संस्था द्वारा तुरन्त उपलब्ध कराई जावेगी।
7. उपरोक्त सारणी के अनुसार फीस वृद्धि से किसी विद्यालय को कठिनाई हो तो संस्था पूर्ण औचित्य सहित राज्य सरकार को आदेश प्रसारित किये जाने के अधिकतम 1 माह में प्रतिवेदन दे सकेगी। इस प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा 1 माह के भीतर निर्णय लिया जाकर सम्बन्धित संस्था को सूचित किया जावेगा।
8. अगले सत्रों में सामान्य फीस वृद्धि एक सत्र में अधिकतम सारणी के कालम संख्या 3 में दर्शायी गई वृद्धि से अधिक नहीं होगी।
9. आर्थिक रूप से पिछड़े मेधावी विद्यार्थियों के लिए कम से कम 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक स्कालरशिप का प्रावधान किया जाना जरूरी है।
10. सभी विद्यालयों में पैरेंटस-टीचर्स एसोसियेशन को प्रभावी किया जावेगा।
11. शैक्षिक सत्र के बीच (मिड सैशन) में किसी प्रकार की फीस वृद्धि नहीं की जावेगी।
12. विकास शुल्क, वार्षिक शिक्षण शुल्क (Tution fee) के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तथा इसका उपयोग फर्नीचर, फिक्चर्स शिक्षण सामग्री के क्रय व भवन मरम्मत व रख-रखाव आदि के लिए किया जावेगा एवं इसका अलग से रिकार्ड संधारित किया जावेगा।
13. संस्थाऐं शिक्षण शुल्क, विकास शुल्क, निर्धारित काशन मनी एवं स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र शुल्क, खेल शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का शुल्क वसूल नहीं करेंगी। खेल शुल्क वे ही संस्थाऐं वसूल कर सकेंगी जो खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध करा रही हों।
14. कोई भी संस्था प्रवेश के समय छात्र से पंजीयन शुल्क के रूप में 25 रुपये से अधिक चार्ज नहीं करेगी।
15. प्रवेश शुल्क 250/- रुपये से अधिक नहीं होगा एवं प्रवेश शुल्क प्रथम प्रवेश के समय ही चार्ज किया जावेगा।
16. Caution money/Security Deposit प्रत्येक छात्र 500/- रुपये चार्ज किया जावेगा एवं यह राशि किसी Scheduled Bank में विद्यालय के नाम से जमा रखी जावेगी। छात्र के विद्यालय छोड़ते समय यह राशि लौटाई जावेगी चाहे छात्र द्वारा इस हेतु आवेदन किया जावे अथवा नहीं।

17. प्रत्येक स्कूल को प्रतिवर्ष संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को उनके द्वारा प्रेषित प्रारूप में सूचना अधिकतम 30 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करनी होगी।

18. कोई भी विद्यालय छठे वेतन आयोग के ऐरियर के भुगतान के आधार पर विद्यार्थियों से किसी प्रकार के अतिरिक्त शुल्क की मांग नहीं करेगा।

**आर.पी. जैन**

**प्रमुख शासन सचिव**

## बैंक शाखाओं में चोरी एवं लूट की घटनाओं पर रोकथाम

**133. श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में गत तीन वर्षों में अनेक स्थानों पर बैंक शाखाओं में लूट की घटनाएं घटित हुई हैं? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर कब-कब? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त लूट की घटनाओं में से किन-किन घटनाओं में अभियुक्तों को नामजद एवं गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार राज्य में बैंक शाखाओं में चोरी एवं लूट की घटनाओं पर रोकथाम हेतु कोई पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तथा नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) यह सही है कि पिछले 3 वर्षों में बैंक शाखाओं में लूट, डकैती की 14 घटनायें घटित हुई हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) इन घटनाओं में से 7 प्रकरणों में अभियुक्तों को नामजद एवं गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सम्बन्धित न्यायालयों में चालान प्रस्तुत किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) बैंक शाखाओं में चोरी व लूट की घटनाओं पर रोकथाम हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा परिपत्र संख्या सीआईडी (सीबी)/पीआरसी/07/7998-8050 दिनांक 19.11.2007 व सीआईडी (सीबी)/पीआरसी/2010/01-50 दिनांक 1.1.2010 समस्त महानिरीक्षकगण पुलिस रेंज, एवं जिला पुलिस अधीक्षकगण, राजस्थान को जारी कर निर्देशित किया गया है। परिपत्र परिशिष्ट "स" "द" संलग्न है।

**(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

# अतारांकित प्रश्नोत्तर

## किशनगढ़ के गुन्दलाव तालाब की खुदाई एवं सफाई

**156. श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर** (लोहावट) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि किशनगढ़ शहर में गुन्दलाव तालाब की खुदाई एवं सफाई के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार इस तालाब की क्षमता बढ़ाने व किशनगढ़ शहर की सुन्दरता बढ़ाने का विचार रखती है?

**उत्तर**

जी नहीं। परन्तु किशनगढ़ शहर में गुन्दलाव तालाब के लिये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनवाना प्रस्तावित है।

## बाड़मेर नगरपालिका में सफाई कर्मियों की भर्ती

**157. श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बाड़मेर नगरपालिका क्षेत्र में वर्तमान में कितने सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका बाड़मेर में सफाई कर्मचारियों के अभाव में शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है? क्या सरकार रिक्त पदों पर एवं वर्तमान में जनसंख्या में वृद्धि के मुताबिक नये सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) वर्तमान में नगरपालिका बाड़मेर में 197 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं एवं 30 पद रिक्त हैं।

(2) सफाई व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए नगरपालिका बाड़मेर को रिक्त पदों में से 7 पदों को भरे जाने की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 13.2.209 को जारी की गई है। वर्तमान जनसंख्या में वृद्धि के अनुसार नये सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## जयपुर के कली उत्पादनकर्ताओं को भूमि आबंटन

**158. श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(1) क्या यह सही है कि घाटगेट से कली उत्पादनकर्ताओं को हटाकर वर्ष 1961, 1973 एवं 1975 में नगर परिषद, जयपुर द्वारा झालाना बाइजी की कोठी एवं नागतलाई, जयपुर भट्टों एवं व्यवसाय हेतु भूमि आबंटित की गई थी? यदि हां, तो किन-किन को, कितनी-कितनी? मय नक्शा एवं नाम के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कली उत्पादन इकाइयों से किराया एवं धूंआ फीस भी वसूली गई है? यदि हां, तो किन-किन व्यवसायियों से और कब तक व कितनी-कितनी? रसीदों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2001 में स्वायत्त-शासी निकायों (नगर निगम/परिषद/पालिका) द्वारा किराये या ग्राउण्ड रेंट पर स्थायी व्यवसाय एवं अन्य व्यावसायिक प्रयोजन हेतु आबंटित भूमि को नियमित करने संबंधी आदेश जारी किए गये थे? यदि हां, तो आदेशों की अनुपालना में कितने आवेदकों को उक्त भूमि का किस दर पर नियमितिकरण किया गया? मय आदेशों की प्रति व विवरण नामवार सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में लगे हुए भट्टों की भूमि का उक्त आदेश के तहत नियमितिकरण करने और उत्पादन इकाइयों स्थापित करने हेतु अन्यत्र जगह आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? योजना के प्रारूप की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि नगर निगम, जयपुर के मोती डूंगरी एवं हवामहल पूर्व क्षेत्र में लगी हुई कली उत्पादन इकाइयों के आसपास बस्तियां बसाकर अवैध रूप से कब्जे किये जा रहे हैं? क्या सरकार की भूमि पर भूमाफिया/असामाजिक तत्वों द्वारा नाजायज कब्जे करने से करोड़ों-अरबों रुपये की भूमि का नुकसान हो रहा है? यदि हां, तो इसको बचाने के लिए सरकार की क्या योजना है?

(6) क्या यह भी सही है कि झालाना बाइजी की कोठी क्षेत्र में अवैध कब्जों को हटाने एवं भू-माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु मुख्यमंत्री महोदय को जनसुनवाई में तथा स्वायत्त शासन मंत्री, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं अन्य संबंधितों को पीड़ितों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं? यदि हां, तो कब तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। नगर निगम जयपुर द्वारा झालाना बाइजी की कोठी पर 19 कली उत्पादनकर्ताओं को वर्ष 1961 से 1985 तक व्यवसाय हेतु भूमि आबंटित की गई थी। विवरण सूची एवं उपलब्ध नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखे दी गई है। नागतलाई स्थित भट्टों का आबंटन जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया था जिसका रिकार्ड मंगाया जा रहा है।

(2) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित पांच कली उत्पादकों से तत्कालीन नगर परिषद जयपुर द्वारा धुआं फीस वसूल की गई है तथा 19 से भूमि के लाईसैंस एवं कली भट्टे के लाईसैंस फीस के रूप से किराया राशि वसूल की गई। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। रसीदें उपलब्ध रिकार्ड में मौजूद नहीं हैं, रसीदों की संख्या जो रिकार्ड अनुसार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। राज्य के नगर निकायों द्वारा किराये या ग्राउण्ड रेंट पर स्थायी व्यवसाय एवं अन्य व्यावसायिक प्रयोजन हेतु आबंटित भूमि को नियमित करने संबंधी नगर निकायवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(5) मोती डूंगरी जोन क्षेत्र झालाना बाइजी की कोठी में लगी हुई कली उत्पादन इकाइयों के आसपास वर्षों पूर्व अवैध रूप से कच्ची बस्तियां बसी हुई हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-दयानन्द नगर, फेज प्रथम (कच्ची बस्ती), झालाना जयपुर विकास प्राधिकरण कालोनी, फेज तृतीय कच्ची बस्ती रायल्टी मार्ग, इन्द्रा नगर झालाना ब्लाक ए, बी एवं सी कच्ची बस्ती बसी हुई है। सोमेश्वरपुरी झालाना बाइजी की कोठी कच्ची बस्ती, तलाई बस्ती झालाना, शिव कालोनी कच्ची बस्ती एवं झालाना बाइजी की कोठी (बी) जिनकी बसावट कई वर्षों पुरानी है एवं वर्तमान में निगम के क्षेत्राधिकार में है।

राज्य सरकार द्वारा राजीव आवास योजना शहरों/नगरों की कच्ची बस्तियों के सर्वेक्षण तथा बस्तियों में गरीबों एवं आजीविका की रूपरेखा तैयार करने की योजना दिनांक 15.01.2009 से क्रियान्वित है।

(6) जी नहीं।

**(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## जयपुर की जलमहल योजना पर व्यय राशि

**159. श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा जयपुर में जल महल योजना का कार्य कब से प्रारम्भ किया गया और इस पर अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है तथा उक्त योजना को कब तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के लिये कितनी भूमि अधिग्रहित की गई है? क्या सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों व कितनी भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त करना शेष है?

(3) उक्त अधिग्रहित भूमि के सम्बन्ध में कितने प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं और इनमें से कितने प्रकरण मुआवजे से सम्बन्धित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) सरकार द्वारा जलमहल योजना के कार्य हेतु पर्यटन विभाग के अधीन RTDC को नोडल एजेन्सी बनाकर दिनांक 05.08.2003 से कार्य प्रारम्भ किया गया। RTDC द्वारा परियोजना पर कोई व्यय नहीं किया गया। इस योजना के प्रथम चरण का कार्य दिसम्बर, 2010 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है।

तत्पश्चात् द्वितीय चरण का कार्य तीन वर्षों में पूर्ण होने के प्रति पर्यटन विभाग आशान्वित है।

(2) जलमहल योजना हेतु कुल 566 बीघा 12 बिस्वा भूमि अधिग्रहण की गई थी। जिसमें से 417 बीघा 03 बिस्वा राजकीय भूमि है एवं 149 बीघा 09 बिस्वा भूमि खातेदारी की है जिससे 138 बीघा 14 बिस्वा का कब्जा प्राप्त किया जा चुका है शेष 10 बीघा 15 बिस्वा भूमि में माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश होने के कारण कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है।

अवाप्त की गई 100 एकड़ भूमि का भौतिक कब्जा RTDC के द्वारा दिनांक 28.02.2005 को प्राप्त कर निजी विकास कर्ता को सौंप दिया गया।

(3) अधिग्रहित की गई भूमि के सम्बन्ध में कुल 6 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं। जिसमें चार प्रकरण मुआवजा राशि से सम्बन्धित हैं। जो सिविल न्यायालय में विचाराधीन हैं:-

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

| प्रकरण | उनवान | ग्राम का नाम |
|---|---|---|
| 1- 4/2003 | कालूराम बनाम जविप्रा | विजयमहल |
| 2- 62/2000 | हुसैना बनाम सरकार | बदनपुर |
| 3- 18/2006 | अनन्त बनाम जविप्रा | विजयमहल |
| 4- 3/2004 | मो. अब्दुल गफ्फार बनाम जविप्रा | विजयमहल |

शेष दो प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1- एस.बी. सिविल रिट पीटीशन नं. 4260/02 हबीब प्रोपर्टी प्रा.लि. बनाम राज्य सरकार व अन्य।

2- एस.बी. सिविल रिट पीटीशन नं. 563/94 निर्मल कुमार अजमेरा, पुत्र बिठ्ठलदास अजमेरा, बनाम शरद चन्द माथुर भूमि अवाप्ति अधिकारी जविप्रा के विरुद्ध दायर सिविल कन्टेम्पट पीटीशन नं. 475/2002 माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

## सांगानेर विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

**160. श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के तुलसी नगर, नामदेव कालोनी एवं अन्य कालोनियां जहां पर सीवर लाइन डाली गयी थी, उनमें सड़क निर्माण अथवा मरम्मत का कार्य पूर्ण हो गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त कालोनियों में सड़क मरम्मत अथवा निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

**उत्तर**

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के तुलसी नगर नामदेव कालोनी एवं अन्य कालोनियों में जिनमें डब्लू.बी.एम./डामर सड़क बनी हुई थी उनमें सीवर लाइन डालने के बाद डब्यू.बी.एम. द्वारा मरम्मत की जा चुकी है। इसी क्षेत्र की अन्य कालोनियों में जिनमें कच्चे मार्ग थे उनमें सीवर कार्य पश्चात् पूर्व की भांति मिट्टी की ड्रेसिंग कर समतल कर दिया गया था।

(2) नामदेव कालोनी व नामदेव विस्तार में सीवर लाइन डालने का

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त कालोनियों में मरम्मत का कार्य करवाया जा चुका है। सड़क निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कराया जा सकेगा। इसी प्रकार तुलसी नगर कालोनी का हाऊसिंग बोर्ड की अवाप्ति में होने से डामरीकरण कार्य किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

## माचेड़ा ग्राम (आमेर) की आवासीय कालोनियों का नियमन

**161. श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम माचेड़ा, तहसील आमेर जिला जयपुर के पुराना खसरा नं. 405 नया खसरा नं. 987, 1062, 925/1245, 986/1250 स्थित आवासीय कालोनियों का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि में से 21 बीघा भूमि कृषि उपज मण्डी समिति हेतु अवाप्त की गई थी? यदि हां, तो कब?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त अवाप्त की गई भूमि को अवाप्ति से मुक्त कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त खसरा नम्बरान की भूमि की 90 बी की कार्यवाही कर नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार पुराना खसरा नं. 405 की अवाप्ति से शेष बची भूमि पर स्थित आवासीय कालोनियों का नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। ग्राम माचेडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर के पुराना खसरा नं. 405 नया खसरा नं. 987, 1062, 925/1245, 986/1250 में से 21 बीघा 17 बिस्वा भूमि अवाप्ति में होने के कारण नियमन नहीं किया गया है।

(2) जी हां। ग्राम माचेड़ा, तहसील आमेर के खसरा नं. 405 की भूमि में से 21 बीघा 17 बिस्वा भूमि मण्डी समिति के लिए अवाप्त की गई है जिसके लिये भूमि अवाप्ति अधिकारी एडीएम-द्वितीय, जयपुर द्वारा भूमि अवाप्ति का अवार्ड दिनांक 01.07.2000 को पारित किया गया तथा भूमि की

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

मुआवजा राशि संबंधित खातेदारों को माननीय सिविल न्यायाधीश (व. खण्ड) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर, जयपुर के माध्यम से भुगतान कराया जा चुका है।

(3) जी नहीं। खसरा नं. 405 की आवाप्तशुदा भूमि अवाप्ति से मुक्त नहीं की गई है।

(4) जी नहीं।

(5) पुराना खसरा नं. 405 की अवाप्ति से शेष बची भूमि पर स्थित आवासीय कालोनी का नियमन किया जा चुका है। शिविर 2004 में लग चुका है।

## बीकानेर की सूरसागर झील में नौकायन

**162. सुश्री सिद्धीकुमारी** (बीकानेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बीकानेर की सूरसागर झील पर नौका विहार कब से शुरू किया जाना है? झील पर सुरक्षा की दृष्टि से अलग-अलग पारियों में कितने चौकीदार एवं कितने तैराक नियुक्त किए गए हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार रियासत कालीन सूरसागर झील पर आने वाले पर्यटकों की जानकारी के लिए झील के इतिहास से संबंधित सूचना पट्ट लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) बीकानेर में अन्य ऐतिहासिक झीलों के संरक्षण के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) सूरसागर की सुरक्षा/संचालन/नौका विहार एवं चौकीदार आदि समस्त व्यवस्थाओं हेतु निविदा आमंत्रित कर संवेदक को कार्य आदेश दिये गए जिसके द्वारा उक्त कार्य 24.06.2009 को एक वर्ष के लिए आबंटित किया गया है। अनुबंध की शर्तोनुसार सूरसागर की सुरक्षा के लिए तीन पारियों में चौकीदार की व्यवस्था की जा रही है। नौका विहार के दौरान समस्त सुरक्षा उपकरण एवं तैराक उपलब्ध संवेदक द्वारा करवाया जा रहा है।

(2) वर्तमान में सूरसागर झील पर सूचना पट्ट लगाने का कोई प्रस्ताव पर्यटन विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(3) बीकानेर में अन्य ऐतिहासिक झीलों के संरक्षण के लिये फिलहाल कोई कार्य योजना नहीं है।

## श्री कृष्ण कदम पार्क की क्षतिग्रस्त चारदीवारी की मरम्मत

**163. श्री अर्जुन सिंह बामनिया** (बांसवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के विद्याधर नगर सैक्टर नं. 1 के प्लाट संख्या 1 से 9 के सामने श्रीकृष्ण कदम पार्क स्थित है? यदि हां, तो उक्त पार्क कब बनाया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पार्क की चारदीवारी का कुछ भाग काफी समय पूर्व क्षतिग्रस्त हो गया है? यदि हां, तो कब?

(3) क्या उक्त चारदीवारी के गिर जाने के कारण पार्क में जानवर आदि घुसकर पार्क को नष्ट कर रहे हैं? क्या उक्त कारण से पार्क में घूमने वाले व्यक्तियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो कब से?

(4) क्या सरकार उक्त पार्क की क्षतिग्रस्त चार दीवारी का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। श्रीकृष्ण कदम पार्क का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 10 वर्ष पूर्व करवाया गया था।

(2) जी हां। पार्क की चारदीवारी का करीब 25 फीट लम्बाई का एक भाग गत वर्ष 2009 में बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था।

(3) जी नहीं। पार्क की दीवार गिर जाने के बाद जानवरों के पार्क में प्रवेश को रोकने के लिए निगम द्वारा चौकीदार की व्यवस्था कर दी गई है। वर्तमान में पार्क में घूमने वाले व्यक्तियों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

(4) जयपुर नगर निगम द्वारा पार्क का रख-रखाव एवं मरम्मत कार्य किया जाता है।

## जोधपुर में पेयजल आपूर्ति हेतु पुनर्गठित जल प्रदाय योजना

**164. श्री कैलाश चन्द भंसाली** (जोधपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने यूआईडीएसएसएमटी योजना के तहत जोधपुर के पेयजल नेटवर्क को मजबूती देने के लिए करीब डेढ़ सौ करोड़

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

रुपये की योजना बनाई थी? यदि हां, तो उक्त योजना के क्रियान्वयन नहीं होने के क्या कारण रहे? योजना की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि हाल ही सरकार ने जोधपुर की पुनर्गठित जलप्रदाय योजना के करीब साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये की योजना बनाई है? क्या उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए किसी विदेशी अनुदान की योजना है? यदि हां, तो वर्तमान में इसकी क्या प्रगति है?

**उत्तर**

(1) जी हां। केन्द्र सरकार के यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यक्रम के अन्तर्गत जोधपुर शहर की जल प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्ताव राशि रुपये 148.38 करोड़ के तैयार किये गये थे। प्रति (जनरल एब्सट्रैक्ट आफ कोस्ट) संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए योजना की स्वीकृति तत्समय जारी नहीं हो सकी।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा (बाह्य वित्तीय सहायता एवं राज्य मद के अन्तर्गत) जोधपुर शहर हेतु वर्ष 2044 तक की पेयजल मांग को लेते हुए पुनर्गठित पेयजल योजना की प्रशासनिक स्वीकृति माह अगस्त, 2009 में राशि रुपये 549.55 करोड़ की जारी की गई।

इस योजना के क्रियान्वयन के लिये 'इन्डो-फ्रांस' विकास सहयोग के तहत बाह्रा वित्तीय सहायता प्राप्ति की योजना है। अब तक की प्रगति के संदर्भ में वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है।

**(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## रूपवास तहसील (भरतपुर) के ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रस्तावित पेयजल योजना

**165. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर 'दीपा'** (नदबई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार तहसील रूपवास (भरतपुर) के गांव खानुवा, घड़ी, बुराना, पसौड़ा, मदरियापुरा, बहरावली एवं पिचूना में पेयजल योजना स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

जी नहीं। तहसील रूपवास के वर्णित सात ग्रामों में विभाग द्वारा संचालित पेयजल व्यवस्था वर्तमान में सुचारू एवं संतोषप्रद है। आपात योजना फेज-द्वितीय की दिनांक 20 फरवरी, 2010 को जारी स्वीकृति के अन्तर्गत ग्राम खानुआ एवं बुराना में आवश्यकतानुसार एक-एक हैण्डपम्प निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। यह कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त वर्णित ग्रामों में वर्तमान पेयजल व्यवस्था का विवरण संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

**परिशिष्ट-अ**

**रूपवास तहसील के वर्णित ग्रामों में वर्तमान पेयजल व्यवस्था का विवरण**

| क्र. सं. | ग्राम का नाम | आबादी | | योजना का प्रकार | जल सेवा स्तर लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन | क्रियाशील हैण्डपम्प की संख्या | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2001 | वर्तमान | | | | |
| 1 | खानुआ | 5843 | 7363 | पाइप्ड | 19 | 14 | आपात योजना, फेज द्वितीय की दिनांक 20 फरवरी, 2010 को जारी स्वीकृति के अन्तर्गत 1 हैण्डपम्प निर्माण की स्वीकृति जारी हो चुकी है। चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना के प्रथम भाग के अन्तर्गत भी लाभान्वित करना प्रस्तावित है। |
| 2 | घड़ी | 544 | 686 | हैण्डपम्प | - | 6 | चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना के प्रथम भाग के अन्तर्गत भी लाभान्वित करना प्रस्तावित है। |

| क्र. सं. | ग्राम का नाम | आबादी | | योजना का प्रकार | जल सेवा स्तर लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन | क्रियाशील हैण्डपम्प की संख्या | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2001** | वर्तमान | | | | |
| 3 | बुराना | 1097 | 1383 | हैण्डपम्प | - | 5 | आपात योजना, फेज द्वितीय की दिनांक 20 फरवरी, 2010 को जारी स्वीकृति के अन्तर्गत 1 हैण्डपम्प निर्माण की स्वीकृति जारी हो चुकी है। चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना के प्रथम भाग के अन्तर्गत भी लाभान्वित करना प्रस्तावित है। |
| 4 | पसौड़ा | 365 | 460 | हैण्डपम्प | - | 4 | चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना के प्रथम भाग के अन्तर्गत भी लाभान्वित करना प्रस्तावित है। |
| 5 | मदरियापुरा | 366 | 462 | हैण्डपम्प | - | 8 | - |
| 6 | बहरावली | 1502 | 1893 | हैण्डपम्प | - | 10 | - |
| 7 | पिचूना | 3967 | 4999 | हैण्डपम्प | - | 15 | मण्डोली-भरतपुर पाइप लाइन के रास्ते का गांव होने से पाइप लाइन से सार्वजनिक नलों के माध्यम से ग्राम पिचूना में जल वितरण किया जा रहा है। |

## रूपवास व बयाना तहसील की पेयजल समस्या का निराकरण

**166. श्री ग्यारसाराम कोली** (बयाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री ग्यारसाराम कोली)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बयाना की तहसील रूपवास एवं बयाना में पेयजल की समस्या है? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पेयजल के लिए हैण्डपम्प एवं गहरे कुए बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने-कितने? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त तहसीलों के ग्रामों में पानी की बड़ी टंकी बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितने ग्रामों में व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बयाना की वर्णित तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्र बयाना में वर्तमान पेयजल व्यवस्था सुचारू एवं संतोषप्रद है।

ग्रीष्म कंटीजेन्सी/आपात योजना के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था सुचारू बनाये रखने के लिये आवश्यकतानुसार निम्न कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गई:-

| **तहसील** | **स्वीकृत योजना** | | |
|---|---|---|---|
| | **ग्रीष्म कंटीजेंसी-मार्च, 09** | **आपात योजना-प्रथम चरण (सितम्बर, 09 से दिसम्बर, 09)** | **आपात योजना-द्वितीय चरण (जनवरी, 10 से मार्च, 10)** |
| रूपवास | 3 हैण्डपम्प | 1 नलकूप व 18 हैण्डपम्प | 1 सिंगल फेज व 5 हैण्डपम्प |
| बयाना (ग्रामीण क्षेत्र) | 5 हैण्डपम्प | 1 नलकूप, 4 सिंगल फेज व 40 हैण्डपम्प | 3 सिंगल फेज व 10 हैण्डपम्प |
| बयाना (शहरी क्षेत्र) | 2 हैण्डपम्प | 1 नलकूप, 1 सिंगल फेज व 3 हैण्डपम्प | 1 सिंगल फेज व 5 हैण्डपम्प |

उक्त स्वीकृत कार्यों की प्रगति का विवरण संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त तहसीलों के ग्रामों में उच्च जलाशय निर्माण के प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। "राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम" के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामीण योजनाओं के आयोजना,

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

कार्यान्वयन, संचालन और रख-रखाव में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए मांग आधारित योजनाएं बनाई जाकर संसाधनों की उपलब्धतानुसार क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

**परिशिष्ट-अ**

**विधान सभा क्षेत्र बयाना की तहसील रूपवास व बयाना के ग्रामीण क्षेत्रों तथा बयाना के शहरी क्षेत्र में ग्रीष्म कंटीजेन्सी-मार्च, 2009 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति का विवरण**

| क्र.सं. | ग्राम का नाम | स्वीकृत हैण्डपम्प | पूर्ण हैण्डपम्प |
|---|---|---|---|
| **तहसील रूपवास** | | | |
| 1 | महलपुर चूरा | 1 | 1 |
| 2 | रूपवास | 1 | 1 |
| 3 | मालोनी | 1 | 1 |
| | **योग** | **3** | **3** |
| **तहसील बयाना** | | | |
| 1 | कोट | 1 | 1 |
| 2 | तरसुमा | 1 | 1 |
| 3 | बाजना | 1 | 1 |
| 4 | परऊआ | 1 | 1 |
| 5 | बयाना ग्रामीण | 1 | 1 |
| | **योग** | **5** | **5** |
| **बयाना (शहरी)** | | | |
| **1** | बयाना (कस्बा) | 2 | 2 |
| | **योग** | **2** | **2ं** |

**परिशिष्ट-अ**

**विधान सभा क्षेत्र बयाना की तहसील रूपवास एवं बयाना के ग्रामीण क्षेत्र तथा बयाना के शहरी क्षेत्रों में आपात योजना प्रथम चरण (सितम्बर, 09 से दिसम्बर 09) के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति का विवरण**

| क्र. सं. | ग्राम का नाम | स्वीकृत कार्य | | | पूर्ण कार्य | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | हैण्डपम्प | नलकूप | एकल बिन्दु | हैण्डपम्प | नलकूप | एकल बिन्दु |
| **तहसील रूपवास** | | | | | | | |
| 1 | रूदावल | 6 | - | - | - | - | - |
| 2 | करनपुरा | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | कांधौली | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | गूजर बलाई | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | खेडा ठाकुर | 1 | - | - | - | - | - |
| 6 | मौरोली डांग | 2 | - | - | - | - | - |
| 7 | चैकोरा | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 8 | बिनउआ | 1 | - | - | - | - | - |
| 9 | समाध | 1 | - | - | - | - | - |
| 10 | रूपवास | 2 | - | - | 2 | - | - |
| 11 | रूंध रूपवास | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 12 | इब्राहिमपुर | - | 1 | - | - | - | - |
| | **योग** | **18** | **1** | - | **4** | - | - |
| **तहसील बयाना** | | | | | | | |
| 1 | कोट | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| 2 | नदी गांव | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 3 | ठीकरिया | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 4 | खूंटखेडा | 4 | - | - | 4 | - | - |

| क्र. सं. | ग्राम का नाम | स्वीकृत कार्य | | | पूर्ण कार्य | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | हैण्डपम्प | नलकूप | एकल बिन्दु | हैण्डपम्प | नलकूप | एकल बिन्दु |
| 5 | सिंघाडा | 4 | - | - | 4 | - | - |
| 6 | ब्रह्मबाद | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 7 | पुराहर लाल | 2 | - | - | 1 | - | - |
| 8 | दरबराना | 2 | - | - | 2 | - | - |
| 9 | नंगला झामरा | 2 | - | - | 2 | - | - |
| 10 | बाजना | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 11 | मुआवली | 2 | - | - | 1 | - | - |
| 12 | परूआ | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 13 | जसवन्त नगर | 1 | - | - | - | - | - |
| 14 | खटानावली | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 15 | कपूरा डहर | 1 | - | - | - | - | - |
| 16 | भगोरी | 2 | - | - | - | - | - |
| 17 | बयाना ग्रामीण | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
| 18 | काचैरा | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 19 | बाबरी | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 20 | बंगसपुरा | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 21 | पीलूपुरा | 1 | - | - | - | - | - |
| 22 | मिलकपुर | 1 | - | - | - | - | - |
| 23 | नगला बहादुरिया | 1 | - | - | - | - | - |

| क्र. सं. | ग्राम का नाम | स्वीकृत कार्य | | | पूर्ण कार्य | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | हैण्डपम्प | नलकूप | एकल बिन्दु | हैण्डपम्प | नलकूप | एकल बिन्दु |
| 24 | नगला तिरखा | 1 | - | - | - | - | - |
| 25 | मदनपुर | 1 | - | - | - | - | - |
| 26 | समोगर | 1 | - | - | - | - | - |
| 27 | वीरमपुर | - | - | 1 | - | - | - |
| | **योग** | **40** | **1** | **4** | **24** | **1** | - |
| **बयाना (शहरी)** | | | | | | | |
| 1 | बयाना (कस्बा) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| | **योग** | **3** | **1** | **1** | **1** | **1** | - |

**परिशिष्ट-अ**

**विधान सभा क्षेत्र बयाना की तहसील रूपवास व बयाना के ग्रामीण क्षेत्र तथा बयाना के शहरी क्षेत्र में आपात योजना द्वितीय चरण (जनवरी, 2010 से मार्च, 2010) के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण**

| क्र.सं. | ग्राम का नाम | स्वीकृत कार्य | | |
|---|---|---|---|---|
| | | हैण्डपम्प | नलकूप | एकल बिन्दु |
| **तहसील रूपवास** | | | | |
| 1 | ग्रामीण क्षेत्र रूपवास | 5 | - | 1 |
| | **योग** | **5** | - | **1** |
| **तहसील बयाना** | | | | |
| 1 | ग्रामीण क्षेत्र बयाना | 10 | - | 3 |
| | **योग** | **10** | - | **3** |
| 1 | बयाना (कस्बा) | 5 | - | 1 |
| | **योग** | **5** | - | **1** |

नोट :- उक्त आपात योजना की स्वीकृति दिनांक 20 फरवरी, 2010 को जारी हुई है। इस योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के स्थान के चयन के संदर्भ में कार्यवाही की जा रही है। स्थान के संदर्भ में अन्तिम निर्णय उपरान्त ये कार्य शीघ्र पूर्ण करने प्रस्तावित है ताकि इनका लाभ आगामी ग्रीष्म-2010 में स्थानीय जनता को मिल सके।

## कठूमर (अलवर) की पेयजल योजना हेतु व्यय राशि

**167. श्री बाबूलाल बैरवा** (कठूमर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पेयजल योजना व हैण्डपम्प लगवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? यदि हां, तो कठूमर जिला अलवर में उक्त 30 लाख रुपये की राशि किस-किस कार्य में कहां-कहां व्यय की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में जलापूर्ति हेतु अब क्या कदम उठाने का विचार रखती है। एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय पर क्या योजना चालू की जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। सरकार द्वारा राज्य में वर्ष 2009 में हुई अल्पवृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था सुचारू बनाये रखने के लिये आकस्मिक योजना-प्रथम चरण (अगस्त, 2009 से दिसम्बर, 2009) के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में से 30 हैण्डपम्प प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र हेतु आबंटित किये गये थे। हैण्डपम्प फिजीबल नहीं होने की दशा में रुपये 30.00 लाख तक की राशि के अन्य पेयजल संबंधी कार्य कराने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

विधान सभा क्षेत्र कठूमर में उक्त योजना अन्तर्गत 2 नलकूप एवं 35 हैण्डपम्पों के निर्माण हेतु राशि रुपये 29.60 लाख की स्वीकृति जारी की जाकर अब तक 2 नलकूप एवं 4 हैण्डपम्प निर्माण उपरान्त पेयजल व्यवस्था से जोड़ दिये गये हैं तथा इन पर अब तक रुपये 8.06 लाख की राशि व्यय हुई है। शेष 31 हैण्डपम्पों का कार्य संबंधित संवेदक द्वारा प्रारम्भ नहीं करने के कारण नियमानुसार धरोहर राशि जब्त करते हुए अन्य संवेदक को दिनांक 11 फरवरी, 2010 को कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं। इन हैण्डपम्पों का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा यह कार्य माह अप्रैल, 2010 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनाये रखने हेतु वर्ष 2009 की ग्रीष्म ऋतु में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न जल योजनाओं अन्तर्गत संवर्द्धन कार्यों की स्वीकृति ग्रीष्म कंटीजेन्सी योजना, मार्च 2009 के तहत जारी की गई।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

गत वर्ष राज्य में अल्पवृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए माह जुलाई, 2009 में विभागीय स्तर पर स्थिति का त्वरित मूल्यांकन करवाकर समस्याग्रस्त क्षेत्रों को चिन्हित कर राज्य में पेयजल की आकस्मिक योजना दो फेज में लागू करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार आकस्मिक योजना-प्रथम चरण (अगस्त, 2009 से दिसम्बर, 2009) एवं द्वितीय चरण (जनवरी, 2010 से मार्च, 2010) की स्वीकृति क्रमश: दिनांक 12 अगस्त, 2009 एवं 20 फरवरी, 2010 को जारी हो चुकी है।

लिये गये निर्णय अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा ''राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम'' के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों में ग्रामीण योजनाओं के आयोजना, कार्यान्वयन, संचालन और रख-रखाव में सामुदायिक भागीदारी सुनश्चित करते हुए मांग आधारित योजनाएं बनाई जाकर पात्र होने की दशा में संसाधनों की उपलब्धतानुसार क्रियान्वित की जायेगी।

परिशिष्ट -अ

**विधान सभा क्षेत्र कठूमर में आपात योजना-प्रथम चरण (अगस्त, 2009 से दिसम्बर, 2009) में स्वीकृत कार्य एवं इनकी प्रगति का विवरण**

| क्र.सं. | ग्राम का नाम | स्वीकृत कार्य | | | प्रगति | | | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नलकूप | हैण्डपम्प | स्वीकृत राशि (रु. लाखों में) | नलकूप | हैण्ड पम्प | व्यय की गई राशि (रु. लाखों में) | |
| **तहसील कठूमर** | | | | | | | | |
| 1 | कठूमर | 2 | 2 | 9.80 | 2 | - | 8.06 | 2 हैण्डपम्पों का कार्य प्रगति पर है। अप्रैल, 2010 तक पूर्ण कर दिया जावेगा। |
| 2 | खेरली रेल | - | 1 | 0.60 | - | - | - | 1 हैण्डपम्प का कार्य प्रगति पर है। अप्रैल, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। |
| 3 | उदयपुरा | - | 1 | 0.60 | - | - | - | 1 हैण्डपम्प का कार्य प्रगति पर है। अप्रैल, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। |
| 4 | रोणीजा थाना | - | 3 | 1.80 | - | - | - | 3 हैण्डपम्पों का कार्य प्रगति पर है। अप्रैल, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। |
| 5 | खेडा तर्फ कल्याणपुर | - | 2 | 1.20 | - | - | - | 2 हैण्डपम्पों का कार्य प्रगति पर है। अप्रैल, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। |
| 6 | सौख | - | 1 | 0.60 | - | - | - | 1 हैण्डपम्प का कार्य प्रगति पर है। अप्रैल, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। |

| क्र.सं. | ग्राम का नाम | स्वीकृत कार्य | | | प्रगति | | | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नलकूप | हैण्डपम्प | स्वीकृत राशि (रु. लाखों में) | नलकूप | हैण्ड पम्प | व्ययकी गईराशि (रु.लाखों में) | |
| 7 | खेडा मैदा | - | 1 | 0.60 | - | - | - | 1 हैण्डपम्प का कार्य प्रगति पर है। अप्रैल, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। |
| 8 | कालवाडी | - | 3 | 1.80 | - | 3 | - | |
| 9 | सौखरी | - | 1 | 0.60 | - | 1 | - | |
| 10 | खौकर | - | 1 | 0.60 | - | - | - | 1 हैण्डपम्प का कार्य प्रगति पर है। अप्रैल, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। |
| 11 | ढांकरोली | - | 1 | 0.60 | - | - | - | 1 हैण्डपम्प का कार्य प्रगति पर है। अप्रैल, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। |
| 12 | मक्खन का नंगला | - | 1 | 0.60 | - | - | - | 1 हैण्डपम्प का कार्य प्रगति पर है। अप्रैल, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। |
| 13 | रेटा | - | 1 | 0.60 | - | - | - | 1 हैण्डपम्प का कार्य प्रगति पर है। अप्रैल, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। |
| 14 | मैथना | - | 2 | 1.20 | - | - | - | 2 हैण्डपम्पों का कार्य प्रगति पर है। अप्रैल, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। |

| क्र.सं. | ग्राम का नाम | स्वीकृत कार्य | | | प्रगति | | | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नलकूप | हैण्डपम्प | स्वीकृत राशि (रु. लाखों में) | नलकूप | हैण्ड पम्प | व्यय की गई राशि (रु. लाखों में) | |
| 15 | चैनपुरा | - | 1 | 0.60 | - | - | - | 1 हैण्डपम्प का कार्य प्रगति पर है। अप्रैल, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। |
| 16 | सिटाहेडा | - | 1 | 0.60 | - | - | - | 1 हैण्डपम्प का कार्य प्रगति पर है। अप्रैल, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। |
| 17 | दारोदा | - | 1 | 0.60 | - | - | - | 1 हैण्डपम्प का कार्य प्रगति पर है। अप्रैल, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। |
| | **योग** | 2 | 24 | 23.00 | 2 | 4 | **8.06** | |

**तहसील लक्ष्मणगढ़**

| क्र.सं. | ग्राम का नाम | स्वीकृत कार्य | | | प्रगति | | | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नलकूप | हैण्डपम्प | स्वीकृत राशि (रु. लाखों में) | नलकूप | हैण्ड पम्प | व्यय की गई राशि (रु. लाखों में) | |
| 1 | इरनिया | - | 2 | 1.20 | - | - | - | 2 हैण्डपम्पों का कार्य प्रगति पर है। अप्रैल, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। |
| 2 | निभेडा | - | 1 | 0.60 | - | - | - | 1 हैण्डपम्प का कार्य प्रगति पर है। अप्रैल, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। |

| क्र.सं. | ग्राम का नाम | स्वीकृत कार्य | | | प्रगति | | | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नलकूप | हैण्डपम्प | स्वीकृत राशि (रु. लाखों में) | नलकूप | हैण्ड पम्प | व्यय की गई राशि (रु. लाखों में) | |
| 3 | खुडियाना | - | 2 | 1.20 | - | - | - | 2 हैण्डपम्पों का कार्य प्रगति पर है। अप्रैल, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। |
| 4 | जावली | - | 1 | 0.60 | - | - | - | 1 हैण्डपम्प का कार्य प्रगति पर है। अप्रैल, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। |
| 5 | ईटैडा | - | 2 | 1.20 | - | - | - | 2 हैण्डपम्पों का कार्य प्रगति पर है। अप्रैल, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। |
| 6 | हाजीपुर | - | 1 | 0.60 | - | - | - | 1 हैण्डपम्प का कार्य प्रगति पर है। अप्रैल, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। |
| 7 | फतेहपुर तर्फ खुडियाना | - | 1 | 0.60 | - | - | - | 1 हैण्डपम्प का कार्य प्रगति पर है। अप्रैल, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। |
| 8 | नंगली तर्फ बायडा | - | 1 | 0.60 | - | - | - | 1 हैण्डपम्प का कार्य प्रगति पर है। अप्रैल, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। |
| | **योग** | - | **11** | **6.60** | - | - | - | |
| | **महायोग** | **2** | **35** | **29.60** | **2** | **4** | **8.06** | |

## केकड़ी में रेस्ट हाउस निर्माण पर व्यय राशि

**168. डा. रघु शर्मा** (केकड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा केकड़ी में एक रेस्ट हाउस का निर्माण किया गया था? यदि हां, तो उक्त रेस्ट हाउस निर्माण में कितनी राशि व्यय की गई एवं इसका निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ व निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् इसे कितने समय के बाद चालू किया गया? यदि नहीं, तो क्यों व इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उक्त रेस्ट हाउस को सरकार कब तक चालू कराने का विचार रखती है?

**उत्तर**

जी हां। फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना, केकड़ी-सरवाड़ जिला अजमेर की माह नवम्बर, 1998 में जारी स्वीकृति राशि रुपये 44.35 करोड़ के अन्तर्गत ग्राम केकड़ी में एक निरीक्षण गृह का सिविल संबंधी निर्माण कार्य माह अगस्त, 2008 में पूर्ण हो चुका है तथा इस निर्माण पर अब तक 16.55 लाख रुपये की राशि व्यय हुई है।

स्वीकृत प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक फर्नीचर एवं साज-सज्जा का कार्य प्राथमिकता एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर करवाया जाना प्रस्तावित है।

## जवाहर नगर खण्ड में अनियमित पेयजल आपूर्ति

**169. श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कुछ महीनों से जवाहर नगर खण्ड के अन्तर्गत जनता कालोनी जयपुर में दो टाईम के बजाय एक समय ही पानी दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि अब से पूर्व में उक्त कालोनीवासियों को एक घंटा सुबह व एक घंटा शाम को पांच से आठ पौंड तक पानी की सप्लाई थी?

(3) वर्तमान में उक्त क्षेत्र में पानी कितने घंटे व कितनी मात्रा में दिया जा रहा है? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जनता कॉनोली में भूखण्ड संख्या बी-357 से बी-365 व आस-पास में बहुत ही कम मात्रा में पानी सप्लाई किया जा रहा है?

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

यदि हां, तो क्यों? क्या अब उक्त क्षेत्र में सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा में पानी सप्लाई किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक?

**उत्तर**

(1) जी हां। पानी की भावी आवश्यकताओं एवं उपलब्धता का आंकलन करने के पश्चात् आगामी ग्रीष्म में पेयजल वितरण व्यवस्था सुचारू बनाये रखने के उद्देश्य से दिनांक 17.09.2009 से जयपुर शहर में एक समय पेयजल वितरण व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया। संबंधित आदेश दिनांक 16.09.2009 की प्रति संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) दिनांक 17.09.2009 से पूर्व उक्त कालोनीवासियों को प्रात: 5.00 बजे से 5.45 बजे तक एवं सायं 5.00 बजे से 5.30 बजे तक 3 से 8 पी.एस.आई. औसत जल दबाव पर पेयजल वितरण किया जा रहा था।

(3) उक्त आदेश के तहत दिनांक 17.09.2009 से उक्त क्षेत्र में आदर्श नगर पम्प हाउस से सीधे बूस्टिंग एवं जनता कालोनी स्थित उच्च जलाशय से प्रतिदिन सायं 7.00 बजे से 8.00 बजे तक 18 लाख लीटर पेयजल (100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से) उपलब्ध कराया जा रहा है।

(4) जी नहीं। जयपुर शहर में एक समय पेयजल वितरण व्यवस्था लागू करने के उपरांत वर्णित भूखण्डों व इनके आसपास के क्षेत्र में वर्तमान परिपेक्ष में पेयजल व्यवस्था सुचारू एवं संतोषप्रद है। बीसलपुर बांध में पर्याप्त जल की उपलब्धता होने पर वर्णित क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था में और सुधार होगा।

**परिशिष्ट-अ**

**कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर वृत्त जयपुर**

क्रमांक : एसईसी/पीएच/मॉनी./2009-10/8638-8665 दिनांक: 16.09.2009

**कार्यालय आदेश**

जिला प्रशासन एवं विभाग ने दिनांक 17.09.2009 से जयपुर शहर में सभी क्षेत्रों में प्रतिदिन एक समय पेयजल वितरण का निर्णय लिया है। उक्त निर्णय के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि सभी सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता एवं अधिशासी अभियंता अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में जल वितरण समय में प्रतिदिन भ्रमण करेंगे एवं जल वितरण क्षेत्र में अन्तिम

छोर एवं कम दबाव के क्षेत्रों की प्रेशर मैपिंग करेंगे साथ ही वास्तविक वितरण अवधि भी नोट करेंगे। सम्बन्धित अधिशासी अभियंता उपरोक्त कार्यवाही की दैनिक रिपोर्ट कनिष्ठ अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं से प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करेंगे। जल वितरण के सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार की समस्या हो, तो उससे भी अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराएंगे।

**अधीक्षण अभियंता**
**जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,**
**नगर वृत्त, जयपुर**

## कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति

**170. श्री रामस्वरूप कसाना** (कोटपूतली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कितने हैण्डपम्प कहां-कहां पर लगे हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त हैण्डपम्पों का पानी पीने योग्य है? यदि हां, तो इन हैण्डपम्पों के पानी की कब-कब किस-किस व्यक्ति द्वारा जांच की गई? जांच रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इन हैण्डपम्पों में कई हैण्डपम्पों का पानी पीने योग्य नहीं होने के कारण हैण्डपम्प बन्द कर दिये गये हैं क्या सरकार बन्द हैण्डपम्पों के स्थान पर दूसरे हैण्डपम्प लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि पेयजल की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में टैंकरों के द्वारा पेयजल सप्लाई किया जा रहा है? यदि हां, तो इन टैंकरों द्वारा किस-किस कुए से पानी लाया जा रहा है तथा क्या उन कुओं का पानी पीने योग्य है? यदि हां, तो क्या इनकी जांच की गई ? जांच रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैण्डपम्पों का विवरण निम्न प्रकार है:-

| **क्षेत्र** | **स्थापित हैण्डपम्पों का विवरण** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **क्रियाशील** | **सूखे** | **परित्यक्त** | **कुल स्थापित** |
| कोटपूतली शहर | 131 | 9 | 4 | 144 |
| ग्रामीण क्षेत्र | 1694 | 215 | 16 | 1925 |
| **योग** | **1825** | **224** | **20** | **2069** |

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानवार स्थापित हैण्डपम्पों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। पेयजल गुणवत्ता जांच संबंधी कार्य अधीक्षण रासायनिज्ञ की देखरेख में क्षेत्रीय प्रयोगशाला, जयपुर द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। उक्त क्षेत्र के हैण्डपम्पों के पानी के संदर्भ में की गई रासायनिक जांच का विवरण संलग्न परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में उक्त क्षेत्र के 12 ग्रामों में स्थापित 14 हैण्डपम्पों में उपलब्ध जल की गुणवत्ता निर्धारित मानकों से कुछ अधिक है। इन हैण्डपम्पों से उपलब्ध हो रहे जल का उपयोग पेयजल में न लिया जाकर अन्य कार्यों में लिया जा रहा है। अत: इन हैण्डपम्पों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। भू-जल की उपलब्धता एवं पेयजल की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सतत प्रक्रिया के रूप में हैण्डपम्प स्वीकृत किये जाते हैं।

(4) जी नहीं। उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में टैंकरो के माध्यम से पेयजल परिवहन नहीं हो रहा है।

**(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## बस्सी विधान सभा क्षेत्र के खेल स्टेडियम की मरम्मत

**171. श्रीमती अंजु खन्गवाल** (बस्सी) : क्या खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी के खेल स्टेडियम की दुर्दशा हो रही है? क्या सरकार उक्त स्टेडियम की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

**उत्तर**

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में युवा मामले एवं खेल विभाग के अधीन कोई खेल स्टेडियम नहीं है।

## रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम निर्माण

**172. श्री दौलतराज समेजा** (रायसिंहनगर) : क्या खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर मुख्यालय एवं श्री विजयनगर मण्डी में स्टेडियम का अभाव है?

(श्री दौलतराज समेजा)

(2) क्या सरकार रायसिंह नगर, श्री विजयनगर एवं समेजा के विद्यालयों के मैदानों में स्टेडियम निर्माण कर विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। समन्वित स्टेडियम (आधारभूत सुविधाएं) विकास कार्यक्रम, 2007 के अन्तर्गत संभाग, जिला एवं तहसील स्तर पर स्टेडियम निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता के अनुसार स्टेडियम निर्माण का कार्य किया जाता है।

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर मुख्यालय एवं श्री विजय नगर मण्डी में स्टेडियम का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। समन्वित स्टेडियम (आधारभूत सुविधाएं) विकास कार्यक्रम, 2007 के अन्तर्गत विद्यालयों में स्टेडियम निर्माण कराये जाने का प्रावधान नहीं है।

## कोलायत तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में अवैध खनन

**173. श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बीकानेर की कोलायत तहसील के गांव मढ़, कोटड़ी, चानी, गुडा, इन्दों का बाला, गोयलरी एवं बीकानेर तहसील के गांव छोटी नाल में स्थित खनिज क्ले की खानों का आबंटन कब-कब हुआ है और मौके पर कितनी खदानें चल रही हैं? खनिज पट्टाधारी का नाम, फर्म का नाम, खसरा नम्बर मय क्षेत्रफल व नक्शे सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार के आदेश एवं माननीय उच्च न्यायालय की रोक के बावजूद भी तालाब पायतन/नदी नालों में अवैध रूप से खनन कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो किन-किन खदान मालिकों द्वारा किन किन जगहों पर कार्य किया जा रहा है तथा सरकार द्वारा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार अभियान चलाकर उक्त तालाब पायतन एवं नदी नालों में चल रहे अवैध खनन को बन्द कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जिला बीकानेर की तहसील कोलायत के गांव मढ, कोटड़ी, चानी,

(खनिज राज्य मंत्री)

गुडा, इन्दों का बाला, गायलरी एवं बीकानेर तहसील के गांव छोटी नाल में स्थित खनिज क्ले की खानों के आबंटन की तिथि, मौके पर चल रही खानों का पूर्ण विवरण तथा खनन पट्टाधारी का नाम, खसरा नम्बर, क्षेत्रफल, नक्शे आदि की पूर्ण सूचना परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त क्षेत्राधिकार में तालाब, पायतन एवं नदी नालों में अवैध खनन नहीं होना पाया गया।

(3) समय-समय पर खान विभाग द्वारा चैकिंग की जायेगी। अवैध खनन पाये जाने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।

**(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## कोटा व जयपुर में अधिक ठहराव वाले पुलिसकर्मियों का स्थानान्तरण

**174. श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के थानों में कार्यरत पुलिस कर्मियों की स्थानांतरण नीति बनाई गई है? यदि हां, तो नीति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्थानांतरण नीति की पालना कोटा एवं जयपुर के विभिन्न थानों में की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार कोटा एवं जयपुर शहर के विभिन्न थानों में 7 वर्ष से अधिक अवधि तक ठहराव वाले सहायक पुलिस निरीक्षक सहित पुलिस कर्मियों का अन्यत्र स्थानांतरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। स्थानान्तरण के लिए दिशा-निर्देश ही जारी किये गये हैं।

(2) स्थानान्तरण/पदस्थापन करने के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की पालना का प्रयास किया जाता है।

(3) कोटा व जयपुर शहर में किसी भी स.उ.नि. व पुलिस कर्मियों का 7 वर्ष से अधिक अवधि का ठहराव नहीं पाया गया है।

## पंजीकृत ट्रस्टों के लेखों का अंकेक्षण

**175. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में किस-किस जिले में कौन-कौन से ट्रस्ट कब से पंजीकृत हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंजीकृत ट्रस्टों के लेखे जोखों की अंतिम बार कब विभागीय जांच की गयी एवं जांच में क्या-क्या कमियां पाई गई? ट्रस्टवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राज्य में जिलेवार पंजीकृत ट्रस्टों का सारांश विवरण परिशिष्ट-1 पर तथा जिलेवार प्रन्यासों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) राजस्थान लोक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रन्यासों के लेखे जोखों की नियमित रूप से विभागीय जांच करने का कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं है। संबंधित सहायक आयुक्त, देवस्थान द्वारा यदि आवश्यक समझा जावे तो अधिनियम की धारा 33(4) सपठित 33(2) के अन्तर्गत ''विशेष अंकेक्षण'' कराया जाने का प्रावधान है।

**(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## राजस्थान देवस्थान निधि कर एवं लेखा नियम 1997 की वैधता

**176. श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान देवस्थान निधि बजट एवं लेखा नियम 1997 की वैधता के बारे में सरकार द्वारा वित्त व विधि विभाग की राय चाही गई थी? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि विधि विभाग ने राजस्थान देवस्थान निधि बजट एवं लेखा नियम 1997 को विधि के विपरीत बताया गया है? क्या उक्त संबंध में सरकार द्वारा अवैध नियमों के तहत करोडों रुपयों के घोटाले के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने व पूरी कार्यवाही को रिव्यू करने के आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई है? समस्त प्रत्रादि व विधि विभाग की राय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान देवस्थान निधि बजट एवं लेखा नियम 1997 की वैधता व अवैधता के बारे में वित्त विभाग से चाही गई

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

राय अब तक प्राप्त नहीं हुई है? यदि हां, तो क्या अब वित्त विभाग द्वारा राय भेजने के लिए ताकीद की जावेगी? अब उक्त नियमों के बारे में सरकार क्या विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। राजस्थान देवस्थान निधि बजट एवं लेखा नियम 1997 राज्य सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देश है।

(2) विधि विभाग ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि ये नियम किसी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत नहीं बनाये गये हैं इसलिए 'वैधानिक नियम' नही है एवं वैधानिक नियम बनाने की जो विधिक प्रक्रिया विहित है, उसके अनुसार नहीं बनाये गये हैं इसलिए विधिक दृष्टि से इन्हें 'नियम' नहीं कहा जा सकता है।'

इस पर माननीय विधि मंत्री द्वारा इन नियमों को अवैधानिक मानते हुए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं उक्त नियमान्तर्गत किए गए कार्य को रिव्यू करने की आवश्यकता बताई है। विधि विभाग की उपरोक्त राय की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त टिप्पणी के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान देवस्थान निधि बजट एवं लेखा नियम 1997 के अन्तर्गत निधि बजट से देवस्थान विभाग के विभिन्न कार्यालयों द्वारा सम्पादित समस्त कार्यों एवं व्यय का वित्त विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण करवाया गया है तथा आदिनांक तक वित्त विभाग द्वारा उक्त नियमों के विषय में वैधता व प्रासांगिकता पर कोई भी प्रश्न नहीं उठाया गया है। अत: प्रथम दृष्टया ही उक्त नियमों के अन्तर्गत संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा संपादित किये गये समस्त कार्य विभाग के नियमानुसार अवैध नहीं है।

(3) वित्त विभाग से राजस्थान देवस्थान निधि बजट एवं लेखा नियम 1997 की वैधता व अवैधता के बारे में कोई राय विभाग द्वारा नहीं ली गई है। वित्त विभाग के साथ हुई बैठक के फलस्वरूप इन दिशा-निर्देशों को नवीन सिरे से प्रारूपित करने का सुझाव दिया गया है। यह कार्य वित्त विभाग के साथ विमर्श कर प्रक्रियाधीन है जिसमें इसका वर्तमान स्वरूप प्रथम प्रारूप के रूप में वित्त विभाग को प्रेषित किया जा चुका है।

**(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## सुल्तानपुर पंचायत समिति की ड्रेनों की सफाई

**177. श्री प्रेमचन्द** (पीपल्दा) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की ग्राम पंचायत खेरुला पंचायत समिति सुल्तानपुर के आस-पास के गांवों में बरसात का पानी भरा रहता है और उक्त कारण फसलें नहीं हो पाती हैं?

(2) क्या सरकार उक्त पानी को सिंचाई हेतु उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार ड्रेनों की सफाई करवा के उक्त पानी को बाहर निकलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम पंचायत खेरुला के ग्राम सनिजा बावड़ी, खेरुला ख्यावदा इत्यादि ग्रामों में वर्षा काल में अतिवृष्टि होने पर वर्षा का पानी इन ग्रामों की सिंचित भूमि में भर जाता हैं। यह पानी दो से तीन दिन में बहकर ड्रेनों एवं प्राकृतिक नालों के माध्यम से चम्बल नदी में मिल जाता है। सिंचित भूमि में पानी के भराव से फसलों की पैदावार में कमी होती है।

(2) जी नहीं। क्योंकि उक्त पानी वर्षा के समय प्राकृतिक निकास नहीं होने के कारण इकट्ठा होता है कुछ समय बाद यह पानी सनीजा मेन ड्रेन के माध्यम से बूढादीत तालाब में से होकर, बूढ़ादीता तालाब भरने के बाद प्राकृतिक नाले के माध्यम से चम्बल नदी में चला जाता है। ग्राम पंचायत खेरुला में नहरी वितरण प्रणाली बनी हुई हैं। जिसमें चम्बल जलाशयों से पानी रबी की फसलों की सिंचाई हेतु उपलब्ध कराया जाता है। अत: अधिक दिनों तक भराव न होने एवं इसका दो-तीन दिवस में ही निकास हो जाने के कारण इस पानी से सिंचाई हेतु कोई योजना बनाई नहीं जा सकती है।

(3) हां। सनीजा बावड़ी, खेरुला जल भराव क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण (मेन ड्रेन सफाई कार्य) हेतु नरेगा योजनान्तर्गत जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोटा के स्तर से राशि रुपये 48.28 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। तथा कार्य करवाने की कार्यवाही की जा रहीं है।

उक्त क्षेत्र की कुछ ड्रेनों की गहराई अधिक होने से उनका कार्य

(सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री)

मजदूरों से किया जाना सम्भव नहीं होने से इन ड्रेनों की मशीनों द्वारा ही सफाई की जा सकती है, इस कार्य हेतु राशि रुपये 34.00 लाख के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

## काली सूची में दर्ज संवेदकों से बकाया की वसूली हेतु कार्यवाही

**178. श्री राजेन्द्र राठौड़ (**तारानगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग में ऐसे कितने संवेदक बी., ए., एए पंजीकृत हैं जिनको पिछले 15 महिनों में निरस्त किया गया अथवा ब्लैक लिस्टेड किया गया? इनके पंजीयन निरस्त करने और इन्हें ब्लैक लिस्टेड करने के क्या कारण रहे?

(2) उक्त से कितने संवेदकों को सरकार द्वारा पुन: रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी गई है? इसके कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ऐसे कितने संवेदक हैं जिनसे सरकार को रिकवरी करनी है? किस संवेदक से कितनी रिकवरी करनी है और कब तक। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या रिकवरी की कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो इनका पुन: रजिस्ट्रेशन क्यों बहाल किया गया?

**उत्तर**

(1) विभाग में पिछले 15 महीनों में श्रेणी ''बी'',''ए'',''एए'' में पंजीकृत संवेदकों/फर्मों में से 19 का पंजीयन निरस्त किया गया है एवं किसी भी संवेदक को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। सूची मय कारण परिशिष्ट-''1'' में प्रस्तुत है।

(2) इनमें से किसी भी संवेदक/फर्म को पुन: रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी गई है।

(3) एक संवेदक के विरूद्ध रिकवरी की जानी है। भाग-1 के अन्तर्गत सूचीबद्ध संवेदकों/फर्मो के विरुद्ध रिकवरी का विवरण परिशिष्ट-'1' में अंकित है।

(4) भाग-3 के उत्तर के क्रम में जिस संवेदक से रिकवरी की जानी है उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, विवरण परिशिष्ट-''1' में अंकित है। ऐसे किसी भी संवेदक का पुन: रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है, जिसके विरुद्ध विभाग की रिकवरी बकाया हो।

परिशिष्ट- 1

## सा.नि.वि. में पिछले 15 माह में श्रेणी ‘‘बी’’, ''ए'' एवं ''एए'' में पंजीकृत संवेदकों/फर्मों में से जिनका पंजीकरण निरस्त एवं जिन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया का विवरण

| क्र.सं. | संवेदक/फर्म का नाम | श्रेणी | निरस्त या ब्लैक लिस्ट किया गया | निरस्त/ब्लैक लिस्ट दिनांक | कारण | संवेदक/फर्म के विरुद्ध प्रस्तावित रिकवरी की राशि | रिकवरी की प्रस्तावित तिथि | रिकवरी हेतु की गई कार्यवाही का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | श्री सुरेश चन्द गर्ग, कोटा | बी | निरस्त | 21.10.08 | स्वयं के आवेदन पर | शून्य | - | |
| 2 | मैसर्स आर.के. ट्रेडिंग कम्पनी, करवर (बूंदी) | बी | निरस्त | 21.10.08 | फर्म के आवेदन पर | शून्य | - | |
| 3 | श्री विजय प्रकाश तोषनीवाल, कोटा | बी | निरस्त | 27.02.09 | स्वयं के आवेदन पर | शून्य | - | |
| 4 | मैसर्स श्रीराम कान्ट्रेक्टर्स, बारां | बी | निरस्त | 22.04.09 | फर्म के आवेदन पर | शून्य | - | |
| 5 | मैसर्स अम्बे एण्टरप्राईजेज, कोटा | बी | निरस्त | 10.08.09 | फर्म के आवेदन पर | शून्य | - | |
| 6 | मैसर्स हरिप्रसाद दायमा, बीकानेर | बी | निरस्त | 26.06.09 | फर्म के आवेदन पर | शून्य | - | |
| 7 | मैसर्स चिरंजीलाल बंशीवाल, दौसा | बी | निरस्त | 06.04.09 | संवेदक की मृत्यु होने के कारण | शून्य | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | मैसर्स पौद्धार यूनिक कन्स्ट्रक्शन, भरतपुर | बी | निरस्त | 02.01.09 | फर्म के आवेदन पर | शून्य | - | |
| 9 | मै. शिव भण्डार कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, हनुमानगढ़ टाउन | ए | निरस्त | 31.03.09 | फर्म के आवेदन पर | शून्य | - | |
| 10 | मै. मांगू सिंह शेखावत, जयपुर | ए | निरस्त | 09.04.09 | फर्म के आवेदन पर | शून्य | - | |
| 11 | मै. राजेश एण्ड कम्पनी, कोटा | ए | निरस्त | 27.10.09 | फर्म के आवेदन पर | शून्य | - | |
| 12 | मै. गुप्ता बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स कोटा | ए | निरस्त | 01.02.10 | फर्म के आवेदन पर | शून्य | - | |
| 13 | मै. गैलेक्सी कारपोरेशन, जैसलमेर | ए | निरस्त | 08.02.10 | फर्म के आवेदन पर | शून्य | - | |
| 14 | मै. त्रिमूर्ति कोलोनाईजर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा. लि. जयपुर | ए | निरस्त | 24.02.10 | फर्म के आवेदन पर | शून्य | - | |
| 15 | मै. भूरत्लम कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, प्रा.लि. सिकन्दराबाद आंध्रप्रदेश | एए | निरस्त | 21.08.09 | फर्म के आवेदन पर | शून्य | - | |
| 16 | मै. कुमार कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, झुन्झुनूं | एए | निरस्त | 23.10.09 | फर्म के आवेदन पर | शून्य | - | |
| 17 | मै. ओमप्रकाश राजेन्द्र प्रसाद, झुन्झुनूं | एए | निरस्त | 23.10.09 | फर्म के आवेदन पर | शून्य | - | |
| 18 | मै. मागो कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, नई दिल्ली | एए | निरस्त | 27.10.09 | फर्म के आवेदन पर | शून्य | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | मै. चन्दी एण्ड कम्पनी, कोटा | एए | निरस्त | 29.05.09 | फर्म के आवेदन पर | (i) रुपये 54.00 लाख | न्यायालय के निर्णय के उपरान्त कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। | (i) फर्म के द्वारा विभागीय रिकवरी आदेश के विरुद्ध आर्बीट्रेशन मे जाने पर-अवार्ड विभाग के विरुद्ध कर दिये जाने की स्थिति में विभाग न्यायालय में (अपील संख्या 2871/2005) लंबित है। निर्ण्य उपरान्त शेष कार्यवाही प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त विभाग ने फर्म के रु. 2,43,924/- एम.डी. पंचम में रोक रखे हैं। |
| | | | | | | (ii) रुपये 117.63 लाख | न्यायालय के निर्णय के उपरान्त कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। | (ii) फर्म के द्वारा विभागीय रिकवरी आदेश के विरुद्ध आर्बीट्रेशन में जाने पर-अवार्ड विभाग के विरुद्ध कर दिये जाने की स्थिति में विभाग न्यायालय में अपील में गया। प्रकरण वर्तमान में मननीय उच्च न्यायालय में (अपील संख्या 2873/2005) लंबित है। निर्णय उपरान्त शेष कार्यवाही प्रस्तावित है। |
| | | | | | | (iii) रुपये 10.90 लाख | न्यायालय के निर्णय के उपरान्त कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। | (iii) फर्म के द्वारा विभागीय रिकवरी आदेश के विरुद्ध आर्बीट्रेशन में जाने पर अवार्ड विभाग के विरुद्ध कर दिये जाने की स्थिति में विभाग न्यायालय में अपील में गया। प्रकरण वर्तमान में मननीय उच्च न्यायालय में (अपील संख्या 2870/05) लंबित है। निर्णय उपरान्त शेष कार्यवाही प्रस्तावित है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मै. चन्दी एण्ड कम्पनी, कोटा | एए | निरस्त | 29.05.09 | फर्म के आवेदन पर | (iv) रुपये 10.27 लाख | न्यायालय के निर्णय के उपरान्त कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। | (iv) फर्म के द्वारा विभागीय रिकवरी आदेश के विरुद्ध आर्बीट्रेशन में जाने पर अवार्ड विभाग के विरुद्ध कर दिये जाने की स्थिति में विभाग न्यायालय में अपील में गया। प्रकरण वर्तमान में मननीय उच्च न्यायालय में (अपील संख्या 708/02) लंबित है। निर्णय उपरान्त शेष कार्यवाही प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त विभाग ने संवेदक के 4.11 लाख रु. भुगतान के रोक रखे हैं। |
| | | | | | | **योग :- 192.80 लाख** | | |

## सिरोही जिले के मृतक आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति

**179. श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मृतक कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति के लिये बने हुये नियमों की पालना की जा रही है? यदि हां, तो नियम एवं इस संबंध में जारी परिपत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं उसके निस्तारण के लिये समय सीमा निर्धारित की हुई है तथा उसमें शिथिलता दी जाने के संबंध में भी सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये हुये हैं? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रकार के प्रार्थना पत्र के निस्तारण की तयशुदा समय सीमा की समाप्ति के पश्चात भी प्रार्थना पत्र लम्बित हैं? यदि हां, तो कितने तथा उनकी देरी के क्या कारण हैं? सूची सहित कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी सिरोही को पत्र क्रमांक : शिविरा/प्राशि/परा/सी/16938 मंडल जोधपुर 2007 दिनांक 24.4.2009 तथा जिला शिक्षा अधिकारी सिरोही द्वारा आयुक्त प्राथमिक शिक्षा बीकानेर को पत्र क्रमांक 564 दिनांक 3.4.2008 लिखा गया है? यदि हां, तो उक्त पर आगे क्या कार्यवाही की जा रही है? पत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) सरकार द्वारा उक्त अनुकम्पा नियुक्ति प्रार्थना-पत्र पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा?

**उत्तर**

(1) जी हां। राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 एवं इस संबंध में जारी परिपत्रों की प्रति परिशिष्ट-क, ख, ग एवं घ पर संलग्न है।

(2) जी हां। जारी आदेशों की प्रति परिशिष्ट-ड पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। मृतक कर्मचारी आश्रित अनुकम्पा नियुक्ति नियमों में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय सीमा निर्धारित है, लेकिन प्रकरण निस्तारण हेतु समय सीमा निर्धारित नहीं है। शीघ्र नियुक्ति किये जाने का प्रावधान है। विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर नियमों के परिप्रेक्ष

(शिक्षा मंत्री)

में परीक्षण करने के पश्चात् नियुक्तियां दी जाती हैं। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में लम्बित अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों की जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट-च पर संलग्न है। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के मृतक आश्रितों तथा प्रारम्भिक शिक्षा व पंचायतीराज विभाग के आश्रितों द्वारा अध्यापक पद के लम्बित प्रकरण आवेदकों द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन नहीं किये जाने, शैक्षणिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं को सत्यापन करवाने आदि कारणों से प्रक्रियाधीन हैं। पंचायतीराज के मृतक आश्रितों के मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद के प्रकरणों में पंचायतीराज के कार्मिकों को राज्य कर्मचारी नहीं माने जाने के कारण पंचायतराज विभाग में ही नियुक्ति देय है। पंचायतराज विभाग में मंत्रालयिक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों की अनुपलब्धता के कारण प्रकरण लम्बित हैं।

(4) जी हां। जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, सिरोही के पत्र दिनांक 03.04.2008 तथा निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर के पत्र दिनांक 24.04.2009 की प्रति परिशिष्ट-छ तथा ज पर संलग्न है। स्व. श्रीमती ममता निराला के आश्रित पति श्री भैंरूलाल को कनिष्ठ लिपिक पद पर अनुकम्पा नियुक्ति का प्रकरण पंचायतराज विभाग का होने के कारण पद की उपलब्धता होने पर आवश्यकतानुसार जिला परिषद, सिरोही की स्थाई स्थापना समिति में विचारार्थ प्रस्तुत किया जावेगा।

(5) प्रश्नोत्तर के भाग-4 के अनुसार ।

**(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)**

## बायतू विधान सभा क्षेत्र के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पद

**180. कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयाध्यापकों, प्रध्यापकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र बायतू के रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बायतू में संचालित राजकीय उच्च

(शिक्षा मंत्री)

माध्यमिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालय में विषय व्याख्याताओं एवं वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग को विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं के 1622 तथा वरिष्ठ अध्यापकों के 8946 पदों हेतु अर्थना प्रस्तुत की जा चुकी है। अत: राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

**परिशिष्ट-क**

| **क्र. सं.** | **विद्यालय का नाम** | | **रिक्त पद** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **व्याख्याता** | **व.अ.** |
| 1 | राबाउमावि | बायतू | 2 | 0 |
| 2 | रामावि | अकदडा | 0 | 1 |
| 3 | रामावि | बायतू भीम जी | 0 | 1 |
| 4 | रामावि | भीमडा | 0 | 0 |
| 5 | रामावि | भोजासर | 0 | 0 |
| 6 | रामावि | छीतर का पार | 0 | 0 |
| 7 | रामावि | गिडा | 0 | 0 |
| 8 | रामावि | हूडो की ढाणी | 0 | 0 |
| 9 | रामावि | जाजवा | 0 | 0 |
| 10 | रामावि | झांक | 0 | 0 |
| 11 | रामावि | कालेवा | 0 | 1 |
| 12 | रामावि | कानोड | 0 | 0 |
| 13 | रामावि | खोखसर | 0 | 1 |
| 14 | रामावि | खारापार | 0 | 0 |
| 15 | रामावि | खोथो की ढाणी | 0 | 0 |
| 16 | रामावि | कोलू | 0 | 0 |
| 17 | रामावि | लापला | 0 | 0 |
| 18 | रामावि | लापुदडा | 0 | 0 |
| 19 | रामावि | लीलाला | 0 | 0 |
| 20 | रामावि | मलवा | 0 | 0 |

| क्र. सं. | विद्यालय का नाम | | रिक्त पद | |
|---|---|---|---|---|
| | | | व्याख्याता | व.अ. |
| 21 | रामावि | नाथाणी जाणियों की ढाणी | 0 | 0 |
| 22 | रामावि | परेऊ | 0 | 0 |
| 23 | रामावि | पूनियों का तला | 0 | 0 |
| 24 | रामावि | रतेऊ | 0 | 1 |
| 25 | रामावि | रोजिया नाडा | 0 | 0 |
| 26 | रामावि | संतरा | 0 | 0 |
| 27 | रामावि | सरूओ की बेरी | 0 | 0 |
| 28 | रामावि | सवाऊ मूलराज | 0 | 0 |
| 29 | रामावि | सेवनियाला | 0 | 1 |
| 30 | राउमावि | बायतू | 4 | 1 |
| 31 | राउमावि | बाटाडू | 1 | 1 |
| 32 | राउमावि | हीरा की ढाणी | 1 | 2 |
| 33 | राउमावि | निम्बाणियों की ढाणी | 3 | 0 |
| 34 | राउमावि | सवाऊ पदमसिंह | 2 | 0 |

## अजमेर शहर में विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना से लाभान्वित छात्र-छात्राएं

**181. श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर-दक्षिण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अजमेर शहर के किस किस विद्यालय में विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना लागू है और इनका कुल कितना प्रीमियम किस मद से जमा कराया जाता है? विद्यालयवार/छात्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शहर में योजना लागू होने के पश्चात् अब तक कितने छात्र छात्राओं को इनका लाभ दिया जा चुका है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सेन्ट एन्सलम स्कूल के सड़क दुर्घटना में मारे गये व तोपदड़ा स्कूल में पानी के हौद में डूबने वाले छात्र को इसका लाभ दिया गया है? यदि हां, तो कब व कितना तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत अजमेर शहर के समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम निम्न बजट मद से आहरित कर निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर को भुगतान किया जाता है:-

| क्र. सं. | मांग संख्या | लेखा मद |
|---|---|---|
| 1 | 24 | 2202-सामान्य शिक्षा<br>01-प्रारम्भिक शिक्षा<br>101-राप्रावि<br>(01)-बालकों के लिए उप्रावि<br>28-विविध व्यय (आयोजना व्यय) |
| 2 | 51 | 2202-सामान्य शिक्षा<br>01-प्रारम्भिक शिक्षा<br>789-विशिष्ट संघटक योजना<br>(01)-अनुसूचित जाति के लिए विशिष्ट योजना संघटक<br>28-विविध व्यय (आयोजना व्यय) |
| 3 | 30 | 2202-सामान्य शिक्षा<br>01-प्रारम्भिक शिक्षा<br>796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना<br>(04)-बालकों के लिए उप्रावि<br>28-विविध व्यय (आयोजना व्यय) |
| 4 | 30 | 2202-सामान्य शिक्षा<br>01-प्रारम्भिक शिक्षा<br>796-जनजातिय क्षेत्र उपयोजना<br>(05)-बालिकाओं के लिए उप्रावि<br>28-विविध व्यय (आयोजना व्यय) |

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित सभी राउमावि/मावि के सभी विद्यालयों में विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना लागू है। इस योजना के तहत छात्र से 10/- तथा छात्राओं से 5/- रुपया प्रति विद्यार्थी के हिसाब से प्रीमियम वसूल किया जाता है। जमा राशि निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर के बजट मद:-

8011-बीमा एवं पेंशन निधि

(शिक्षा मंत्री)

105-सरकारी बीमा निधि

02-साधारण बीमा योजना

01-चल सम्पति प्राप्तियां एवं वितरण

में जमा करवाई जाती हैं। अजमेर शहर के छात्रों से वसूल की गई राशि का विद्यालयवार कक्षावार छात्र संख्या का विवरण का परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) उक्त शहर में योजना के लागू होने के पश्चात् प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत लाभान्वित छात्रों का विवरण इस प्रकार से है:-

| क्र. सं. | छात्र का नाम | विद्यालय का नाम |
|---|---|---|
| 1 | सरोज सिरोया | राउप्रावि खानपुरा |
| 2 | बसन्त कुमार | राबाप्रावि भोपों का बाडा |
| 3 | सुरेश काठात | राप्रावि बालूपुरा पुलिसलाइन |
| 4 | विकास सिवाल | राप्रावि माडल मीरशाहअली |
| 5 | नवनीत अग्रवाल | गुजराती उप्रावि अजमेर |
| 6 | टीकमचन्द | राउप्रावि गांधी भवन तोपदडा, अजमेर |

उक्त शहर में योजना के लागू होने के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत लाभान्वित छात्रों का विवरण इस प्रकार से है:-

| क्र. सं. | छात्र का नाम | विद्यालय का नाम |
|---|---|---|
| 1 | ललित कुमार | राउमावि, मोई |
| 2 | पिंकी | राबाउमावि. केन्द्रीय |
| 3 | अजिज | राउमावि. मोई |
| 4 | प्रदीप कुमार | राउमावि. वैशालीनगर |
| 5 | श्यामसुन्दर | रामावि. माखुपुरा |
| 6 | विरेन्द्र कुमार | राउमावि. म. गांधी |
| 7 | विजेन्द्रपाल | राउमावि, मोई |
| 8 | नूतन | राबामावि, श्रीनगर रोड |
| 9 | पुष्पेन्द्र शर्मा | राउमावि. म. गांधी |
| 10 | राजेन्द्र | रामावि. तबीजी |

(शिक्षा मंत्री)

(3) जी हां। प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत राजकीय गांधी भवन उप्रावि तोपदडा, अजमेर के छात्र टीकमचन्द के पानी के होद में डूबने से हुई मौत पर बीमा विभाग द्वारा दिनांक 28.01.03 को 20,000/- का भुगतान कर योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

सेन्ट एन्सलम विद्यालय सीबीएससी बोर्ड से मान्यता प्राप्त होने से राज्य सरकार की विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना इस विद्यालय पर लागू नहीं होने से सड़क दुर्घटना में मारे गये छात्र को विभाग द्वारा उक्त योजना के तहत लाभान्वित नहीं किया गया है। छात्र को 5.00 लाख रुपये मोटर वाहन अधिनियम के तहत बीमा कंपनी द्वारा प्रदान किये गये हैं।

**प्रपत्र-क**

| क्र. सं. | नाम विद्यालय | पं.सं | कक्षावार नामांकन | | | | | | | | | | | | कुल योग | | | कुल राशि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | कक्षा 9 | | | कक्षा 10 | | | कक्षा 11 | | | कक्षा 12 | | | कक्षा-9 से 12 | | | कक्षा 9 | कक्षा 12 | कुल |
| | | | छात्र | छात्रा | कुल | छात्र | छात्रा | कुल | छात्र | छात्रा | कुल | छात्र | छात्रा | कुल | छात्र | छात्रा | कुल | छात्र | छात्रा | कुल |
| 1 | राउमावि., तोपदड़ा, अजमेर | शहरी क्षेत्र | 54 | 0 | 54 | 108 | 0 | 108 | 176 | 0 | 176 | 134 | 0 | 134 | 472 | 0 | 472 | 4720 | 0 | 4720 |
| 2 | राउमावि., ओसवाल, अजमेर | शहरी क्षेत्र | 55 | 0 | 55 | 131 | 0 | 131 | 223 | 0 | 223 | 186 | 0 | 186 | 595 | 0 | 595 | 5950 | 0 | 5950 |
| 3 | राउमावि., जवाहर, अजमेर | शहरी क्षेत्र | 54 | 0 | 54 | 53 | 0 | 53 | 125 | 0 | 125 | 92 | 0 | 92 | 324 | 0 | 324 | 3240 | 0 | 3240 |
| 4 | राउमावि., वैशाली नगर | शहरी क्षेत्र | 45 | 0 | 45 | 44 | 0 | 44 | 116 | 0 | 116 | 80 | 0 | 80 | 285 | 0 | 285 | 2850 | 0 | 2850 |
| 5 | राउमावि., मो. ई. अजमेर | शहरी क्षेत्र | 31 | 0 | 31 | 25 | 0 | 25 | 137 | 0 | 137 | 88 | 0 | 88 | 281 | 0 | 281 | 2810 | 0 | 2810 |
| 6 | राउमावि., सि. खारीकुई | शहरी क्षेत्र | 18 | 3 | 21 | 9 | 10 | 19 | 13 | 8 | 21 | 7 | 7 | 14 | 47 | 28 | 75 | 470 | 140 | 610 |
| 7 | राउमावि., महात्मा गांधी | शहरी क्षेत्र | 62 | 0 | 62 | 53 | 0 | 53 | 84 | 0 | 84 | 67 | 0 | 67 | 266 | 0 | 266 | 2660 | 0 | 2660 |
| 8 | राउमावि., राजेन्द्र | शहरी क्षेत्र | 77 | 0 | 77 | 27 | 0 | 27 | 56 | 0 | 56 | 37 | 0 | 37 | 197 | 0 | 197 | 1970 | 0 | 1970 |
| 9 | राउमावि., अंध अजमेर | शहरी क्षेत्र | 12 | 0 | 12 | 19 | 0 | 19 | 17 | 0 | 17 | 13 | 0 | 13 | 61 | 0 | 61 | 610 | 0 | 610 |
| 10 | राउमावि., गुलाबबाड़ी | शहरी क्षेत्र | 77 | 0 | 77 | 54 | 0 | 54 | 19 | 0 | 19 | 15 | 0 | 15 | 165 | 0 | 165 | 1650 | 0 | 1650 |
| 11 | राउमावि., पुलिसलाइन | शहरी क्षेत्र | 44 | 31 | 75 | 44 | 28 | 72 | 27 | 23 | 50 | 21 | 13 | 34 | 136 | 95 | 231 | 1360 | 475 | 1835 |
| 12 | राउमावि., सि देहली गेट | शहरी क्षेत्र | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 26 | 150 | 55 | 205 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | राउमावि., कल्याणीपुरा | शहरी क्षेत्र | 26 | 17 | 43 | 14 | 15 | 29 | 8 | 4 | 12 | 6 | 3 | 9 | 54 | 39 | 93 | 540 | 195 | 735 |
| 14 | राउमावि., रामनगर | शहरी क्षेत्र | 54 | 0 | 54 | 48 | 0 | 48 | 42 | 0 | 42 | 22 | 0 | 22 | 166 | 0 | 166 | 1660 | 0 | 1660 |
| 15 | राउमावि., माखूपुरा | शहरी क्षेत्र | 45 | 27 | 72 | 42 | 15 | 57 | 29 | 6 | 35 | 13 | 5 | 18 | 129 | 53 | 182 | 1290 | 265 | 1555 |
| 16 | राउमावि., रामगंज | शहरी क्षेत्र | 76 | 0 | 76 | 45 | 0 | 45 | 21 | 0 | 21 | 7 | 0 | 7 | 149 | 0 | 149 | 1490 | 0 | 1490 |
| 17 | राउमावि., भगवानगंज | शहरी क्षेत्र | 16 | 9 | 25 | 6 | 6 | 12 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 25 | 25 | 50 | 250 | 125 | 375 |
| 18 | राबाउमावि., केन्द्रीय अजमेर | शहरी क्षेत्र | 0 | 199 | 199 | 0 | 195 | 195 | 0 | 632 | 632 | 0 | 530 | 530 | 0 | 1556 | 1556 | 0 | 7780 | 7780 |
| 19 | राबाउमावि., माडल, अजमेर | शहरी क्षेत्र | 0 | 58 | 58 | 0 | 53 | 53 | 0 | 49 | 49 | 0 | 41 | 41 | 0 | 201 | 201 | 0 | 1005 | 1005 |
| 20 | राबाउमावि., आदर्शनगर | शहरी क्षेत्र | 0 | 85 | 85 | 0 | 77 | 77 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 334 | 334 | 0 | 1670 | 1670 |
| 21 | राबाउमावि., रामगंज | शहरी क्षेत्र | 0 | 154 | 154 | 0 | 116 | 116 | 0 | 79 | 79 | 0 | 59 | 59 | 0 | 408 | 408 | 0 | 2040 | 2040 |
| 22 | राबाउमावि., गुलाबबाड़ी | शहरी क्षेत्र | 0 | 106 | 106 | 0 | 67 | 67 | 0 | 42 | 42 | 0 | 30 | 30 | 0 | 245 | 245 | 0 | 1255 | 1225 |
| 23 | राबाउमावि., फाईसागर | शहरी क्षेत्र | 0 | 93 | 93 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 42 | 42 | 0 | 251 | 251 | 0 | 1255 | 1255 |
| 24 | राबाउमावि., पहाड़गंज | शहरी क्षेत्र | 0 | 68 | 68 | 0 | 46 | 46 | 0 | 28 | 28 | 0 | 26 | 26 | 0 | 168 | 168 | 0 | 840 | 840 |
| 25 | राबाउमावि., होलीदड़ा | शहरी क्षेत्र | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 44 | 44 | 0 | 220 | 220 |
| 26 | राबाउमावि., श्रीनगररोड | शहरी क्षेत्र | 0 | 26 | 26 | 0 | 36 | 36 | 0 | 11 | 11 | 0 | 16 | 16 | 0 | 89 | 89 | 0 | 445 | 445 |
| 27 | राबाउमावि., क्रिश्चियनगंज | शहरी क्षेत्र | 0 | 40 | 40 | 0 | 42 | 42 | 0 | 25 | 25 | 0 | 17 | 17 | 0 | 124 | 124 | 0 | 620 | 620 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | राबाउमावि., नगरा भजनगंज | शहरी क्षेत्र | 0 | 36 | 36 | 0 | 38 | 38 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 92 | 92 | 0 | 460 | 460 |
| 29 | रामावि., सुभाष | शहरी क्षेत्र | 19 | 0 | 19 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 280 | 0 | 280 |
| 30 | रामावि., अ. कोट बडबाव | शहरी क्षेत्र | 15 | 16 | 31 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 42 | 220 | 100 | 320 |
| 31 | रामावि., पीपल का कुआ | शहरी क्षेत्र | 18 | 11 | 29 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 | 45 | 270 | 90 | 360 |
| 32 | रामावि., डिग्गी लोकल | शहरी क्षेत्र | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 160 | 0 | 160 |
| 33 | रामावि., आदर्श नगर | शहरी क्षेत्र | 15 | 8 | 23 | 22 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 16 | 53 | 370 | 80 | 450 |
| 34 | रामावि., मीरशाहअली | शहरी क्षेत्र | 25 | 12 | 37 | 20 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 21 | 66 | 450 | 105 | 555 |
| 35 | रामावि., बालूपुरा रोड नगरा | शहरी क्षेत्र | 16 | 12 | 28 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 40 | 210 | 95 | 305 |
| 36 | रामावि., ओस जैन लाखनकोटडी | शहरी क्षेत्र | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 210 | 0 | 210 |
| 37 | रामावि., कोटडा अजमेर शहर | शहरी क्षेत्र | 13 | 15 | 28 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 45 | 210 | 120 | 330 |
| 38 | राबामवि., नला बाजार | शहरी क्षेत्र | 0 | 19 | 19 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 175 | 175 |
| 39 | राबामवि., लोहाखान | शहरी क्षेत्र | 0 | 26 | 26 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 255 | 255 |
| | | **कुल योग** | **893** | **1093** | **1986** | **828** | **909** | **1737** | **1094** | **1073** | **2167** | **790** | **892** | **1682** | **3605** | **3967** | **7572** | **36050** | **19835** | **55885** |

## अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के क्रमोन्नत विद्यालय

**182. श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में कितने प्राईमरी, मिडिल, सैकण्डरी विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में वित्तीय प्रावधान नहीं होने के कारण विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के किसी भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं किया गया तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में निम्न राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र.सं. | विद्यालयों का नाम |
|---|---|
| 1 | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 के.एम.डी. |
| 2 | राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय गोमावाली |

## नगर विधान सभा क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालय रहित पंचायत मुख्यालय

**183. श्रीमती अनिता सिंह** (नगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर में (डीग क्षेत्र सहित) किस-किस पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में विधान सभा क्षेत्र नगर के शेष पंचायत मुख्यालयों पर माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर (डीग क्षेत्र सहित) में पंचायत मुख्यालयों पर संचालित विद्यालयों का विवरण का परिशिष्ट 'क' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) राज्य सरकार उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों एवं निर्धारित मानदण्डों के तहत विद्यालय क्रमोन्नति हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर समग्र स्थिति का गुणाव-गुण के आधार पर आंकलन करने के पश्चात् विद्यालय क्रमोन्नति की स्वीकृति प्रदान करती है।

**परिशिष्ट-क**

| क्र.सं. | विधान सभा क्षेत्र | ग्राम पंचायत मुख्यालय का नाम |
|---|---|---|
| 1 | डीग-कुम्हेर | अस्तावन |
| 2 | डीग-कुम्हेर | अवार |
| 3 | डीग-कुम्हेर | गुनसारा |
| 4 | डीग-कुम्हेर | अजान |
| 5 | डीग-कुम्हेर | रारह |
| 6 | डीग-कुम्हेर | आजऊ |
| 7 | डीग-कुम्हेर | विरहरू |
| 8 | डीग-कुम्हेर | भटावली |
| 9 | डीग-कुम्हेर | सांतरूक |
| 10 | डीग-कुम्हेर | सोगर |
| 11 | डीग-कुम्हेर | हेलक |
| 12 | डीग-कुम्हेर | साबौरा |
| 13 | डीग-कुम्हेर | बहज |
| 14 | डीग-कुम्हेर | कौरेर |
| 15 | डीग-कुम्हेर | बरौलीचौथ |
| 16 | डीग-कुम्हेर | कासौट |
| 17 | डीग-कुम्हेर | सिनसिनी |
| 18 | डीग-कुम्हेर | बेढम |
| 19 | नगर | मानौंता कलां |
| 20 | नगर | सीकरी |
| 21 | नगर | गुलपाड़ा |
| 22 | नगर | पालका |
| 23 | नगर | थून |

| क्र.सं. | विधान सभा क्षेत्र | ग्राम पंचायत मुख्यालय का नाम |
|---|---|---|
| 24 | नगर | खोहरी |
| 25 | नगर | पास्ता |
| 26 | नगर | जनूथर |
| 27 | डीग-कुम्हेर | तमरेर |
| 28 | डीग-कुम्हेर | अभौरा |
| 29 | डीग-कुम्हेर | बावैन |
| 30 | डीग-कुम्हेर | ऊसरानी |
| 31 | डीग-कुम्हेर | सिकरौरी |
| 32 | डीग-कुम्हेर | तालफरा |
| 33 | डीग-कुम्हेर | पाहुआ |
| 34 | डीग-कुम्हेर | सैंत |
| 35 | डीग-कुम्हेर | पपरेरा |
| 36 | डीग-कुम्हेर | गुदावली |
| 37 | डीग-कुम्हेर | पिचुमर |
| 38 | डीग-कुम्हेर | पला |
| 39 | डीग-कुम्हेर | थैरावर |
| 40 | डीग-कुम्हेर | धनवाडा |
| 41 | डीग-कुम्हेर | महरावर |
| 42 | डीग-कुम्हेर | डहरा |
| 43 | डीग-कुम्हेर | ऊवार |
| 44 | डीग-कुम्हेर | रीठौठी |
| 45 | डीग-कुम्हेर | बैलारांकलां |
| 46 | डीग-कुम्हेर | ताखा |
| 47 | डीग-कुम्हेर | परमदरा |
| 48 | डीग-कुम्हेर | अऊ |
| 49 | नगर | मवई |
| 50 | नगर | शीशवाडा |
| 51 | नगर | जाटौलीथून |
| 52 | नगर | पसौपा |

| क्र.सं. | विधान सभा क्षेत्र | ग्राम पंचायत मुख्यालय का नाम |
|---|---|---|
| 53 | नगर | पान्हौरी |
| 54 | नगर | खोह |
| 55 | डीग-कुम्हेर | सांवई |
| 56 | नगर | बंधाचौथ |
| 57 | नगर | दांतलौठी |
| 58 | डीग-कुम्हेर | कुचावटी |
| 59 | डीग-कुम्हेर | सोनगांव |
| 60 | नगर | धमारी |
| 61 | डीग-कुम्हेर | श्योरावली |
| 62 | डीग-कुम्हेर | बदनगढ़ |
| 63 | डीग-कुम्हेर | बद्रीपुर |
| 64 | नगर | मौरौली |
| 65 | नगर | निगोही |
| 66 | नगर | दुन्दाबल |
| 67 | नगर | डाबक |
| 68 | नगर | सैमली |
| 69 | नगर | खखावली |
| 70 | नगर | फतेहपुरकलां |
| 71 | नगर | बेरू |
| 72 | नगर | आलमशाह |
| 73 | नगर | मूडिया |
| 74 | नगर | सुन्दरावली |
| 75 | नगर | उडकीदल्ला |
| 76 | नगर | मूंढौती |
| 77 | नगर | जलालपुर |
| 78 | नगर | रसिया |
| 79 | नगर | मौराका |
| 80 | नगर | जालूकी |
| 81 | नगर | गंगावक |

| क्र.सं. | विधान सभा क्षेत्र | ग्राम पंचायत मुख्यालय का नाम |
|---|---|---|
| 82 | नगर | राफ |
| 83 | डीग-कुम्हेर | ककडा |
| 84 | डीग-कुम्हेर | टोडा |
| 85 | डीग-कुम्हेर | गुहाना |
| 86 | डीग-कुम्हेर | चुल्हेरा |
| 87 | डीग-कुम्हेर | दिदावली |
| 88 | डीर-कुम्हेर | बरई |
| 89 | नगर | सिरथला |
| 90 | नगर | चिरावनमाली |
| 91 | नगर | गहनकर |
| 92 | नगर | सिंहावली |
| 93 | नगर | खेस्ती |
| 94 | नगर | पडलवास |
| 95 | नगर | जयश्री |
| 96 | नगर | सादपुरी |
| 97 | नगर | तेरकी |
| 98 | नगर | पेंडका |
| 99 | नगर | रोमलाकलां |
| 100 | नगर | ककराला |

## संगरिया विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों के रिक्त पद

**184. डा. श्रीमती परम नवदीप सिंह** (संगरिया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र संगरिया के किस-किस माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों के पद कब-कब से रिक्त हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों के रिक्त पद भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र संगरिया के निम्नांकित विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद रिक्त हैं:-

| क्र.सं. | विद्यालय का नाम रा.उ.मा.वि. | पदनाम | कब से रिक्त हैं |
|---|---|---|---|
| 1 | मिर्जेवाली-मेर | पु.अ. ग्रेड-II | 7/99 |
| 2 | टिब्बी | पु.अ. ग्रेड-II | 7/98 |
| 3 | सूरेवाला | पु.अ. ग्रेड-III | 7/98 |

(2) जी हां। सीधी भर्ती एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव होगा।

## राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राम मंदिर की सेवानिवृत अध्यापिका का पेंशन प्रकरण

**185. श्रीमती ममता भूपेश** (सिकराय) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में कई अध्यापक/अध्यापिकाओं की सेवा पुस्तिका व वैयक्तिक पुस्तिका गुम होने के कारण पेंशन आदेश जारी नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो ऐसे कितने प्रकरण विचाराधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि श्रीमती उर्मिला शर्मा, अध्यापिका की प्रथम नियुक्ति दिनांक 8-7-1957 को राजकीय बालिका उच्चतर विद्यालय, चिड़ावा (झुंझुनूं) में हुई थी तथा वर्ष 1994 में इनको राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राम मंदिर, जयपुर से सेवानिवृत कर इनके प्रोविजनल पेंशन आदेश दिनांक 18-11-2003 को जारी किये जाने के पश्चात् से अब तक इनका विभाग द्वारा पेंशन आदेश जारी नहीं किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के कार्यालय से किसी अध्यापिका की सेवा पुस्तिका/वैयक्तिक पंजिका गुम होने की समस्त जिम्मेदारी विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों की बनती है? यदि हां, तो विभाग द्वारा उक्त संबंध में क्या कार्यवाही/प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि श्रीमती उर्मिला शर्मा को सेवानिवृत्त हुए लगभग 16 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी अभी तक विभाग द्वारा इनकी पेंशन आदेश जारी नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो अब कब तक इनकी

(श्रीमती ममता भूपेश)

पेंशन आदेश जारी कर दिये जावेंगे व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे प्रकरणों में (सेवा पुस्तिका/वैयक्तिक पंजिका विभाग में गुम होने के कारण) पेंशन आदेश जारी करने हेतु कोई प्रक्रिया निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो अब तक कितने प्रकरणों में पेंशन आदेश जारी कर दिये गये हैं? सरकार द्वारा अब कब तक उक्त पेंशन आदेश जारी कर दिये जावेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। अपितु प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में केवल एकमात्र सेवानिवृत्त अध्यापिका श्रीमती उर्मिला शर्मा की सेवापुस्तिका व निजी पंजिका गुम होने के कारण पेंशन आदेश जारी नहीं हुए हैं।

(2) जी हां।

(3) जी हां। सेवानिवृत्त अध्यापिका श्रीमती उर्मिला शर्मा की डुप्लीकेट सेवापुस्तिका तैयार करने के लिये आवश्यक अभिलेख उपलब्ध करवाने एवं सहयोग हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि., जयपुर द्वारा लगातार आग्रह किया गया।

(4) जी हां। श्रीमती उर्मिला शर्मा से वांछित अभिलेख एवं सहयोग उपलब्ध होने पर डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका तैयार कर पेंशन प्रकरण का निस्तारण किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(5) राजस्थान सेवा नियमों के नियम-160 एवं राजस्थान पेंशन सेवा नियम 1996 के नियम 81, 82 एवं 83 में पेंशन प्रकरण निस्तारित करने की प्रक्रिया निर्धारित है। जिसकी पालना हेतु विभाग द्वारा अधिनस्थ अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है। उक्त एक प्रकरण में प्रोविजनल पेंशन आदेश जारी किये जा चुके हैं।

शेष प्रश्नोत्तर के भाग संख्या-4 के अनुसार।

## बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं पर व्यय राशि

**186. डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के विद्यालयों में पानी की टंकी, शौचालय

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

आदि के निर्माण हेतु गत दो वर्षों में कुल कितनी राशि, किस-किस विद्यालय हेतु स्वीकृत की गई? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्वीकृत राशि का उपभोग कर सभी निर्माण कार्य पूर्ण करा दिये गये? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य पर कुल कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गत दो वर्षों में कुल 20 पानी की टंकी हेतु रु. 11.44 लाख एवं 29 शौचालय हेतु रु. 7.25 लाख स्वीकृत किये गये जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र. सं. | गतिविधि | वर्ष 2008-09 | वर्ष 2009-10 | कुल | पूर्ण | अपूर्ण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पानी की टंकी | 5 | 15 | 20 | 4 | 16 |
| 2 | शौचालय | 1 | 28 | 29 | 3 | 26 |

विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। पानी की टंकी निर्माण हेतु स्वीकृत कुल 20 कार्यों में से 4 पूर्ण हो चुके हैं एवं 16 प्रगति पर हैं। इस हेतु स्वीकृत राशि रु. 11.44 लाख के विरुद्ध रु. 9.015 लाख व्यय किये जा सके हैं। शौचालय निर्माण हेतु स्वीकृत कुल 29 कार्यों में से 3 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं 26 कार्य प्रगति पर हैं। इस हेतु कुल स्वीकृत राशि रु. 7.25 लाख के विरूद्ध रु. 5.625 लाख व्यय किये जा सके हैं। गतिविधिवार, विद्यालयवार, वर्षवार स्वीकृत, व्यय राशि एवं कार्यों की स्थिति का विवरण परिशिष्ट ''क'' में सम्मिलित है।

परिशिष्ट-क

## कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान अलवर

विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गत 2 वर्षों में पानी की टंकी/शौचालय निर्माण हेतु प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयवार स्वीकृत राशि/व्यय की गई राशि एवं स्वीकृत राशि के उपभोग के पश्चात कार्य पूर्ण/अपूर्ण है का विवरण

| वर्ष | क्र.सं. | राप्रावि/उप्रावि का नाम | पानी की टंकी निर्माण हेतु | | | शौचालय निर्माण हेतु | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | कुल स्वीकृत राशि | कुल व्यय राशि | कार्य पूर्ण/अपूर्ण | कुल स्वीकृत राशि | कुल व्यय राशि | कार्य पूर्ण/अपूर्ण |
| 2008-09 | 1 | राउप्रावि नं. 4 बहरोड़ | 47000 | 47000 | पूर्ण | - | - | - |
| | 2 | राउप्रावि इन्द्रा कालोनी बहरोड़ | 47000 | 47000 | पूर्ण | - | - | - |
| | 3 | राबाउप्रावि दहमी | 60000 | 55000 | पूर्ण | - | - | - |
| | 4 | राबाउप्रावि गण्डाला | 60000 | 45000 | अपूर्ण | - | - | - |
| | 5 | राबाउप्रावि कांकरदोपा | 60000 | 45000 | अपूर्ण | - | - | - |
| | 6 | राउप्रावि नं. 4 बहरोड़ | - | - | - | 25000 | 25000 | पूर्ण |
| 2009-10 | 1 | राप्रावि ईटभटटा देवनगर | 60000 | 45000 | अपूर्ण | - | - | - |
| | 2 | राप्रावि महाराजाबास | 60000 | 45000 | अपूर्ण | - | - | - |

| वर्ष | क्र.सं. | राप्रावि/उप्रावि का नाम | पानी की टंकी निर्माण हेतु | | | शौचालय निर्माण हेतु | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | कुल स्वीकृत राशि | कुल व्यय राशि | कार्य पूर्ण/अपूर्ण | कुल स्वीकृत राशि | कुल व्यय राशि | कार्य पूर्ण/अपूर्ण |
| | 3 | राबाउप्रावि हमीदपुर | 60000 | 55000 | पूर्ण | - | - | - |
| | 4 | राउप्रावि बा. महाराजा बास | 60000 | 45000 | अपूर्ण | - | - | - |
| | 5 | राउप्रावि बा. निभोर | 60000 | 45000 | अपूर्ण | - | - | - |
| | 6 | राउप्रावि बा. ढाणी लाखा | 60000 | 45000 | अपूर्ण | - | - | - |
| | 7 | राप्रावि कोहराना | 60000 | 45000 | अपूर्ण | - | - | - |
| | 8 | राप्रावि जयसिंह पुरा की ढ़ाणी | 60000 | 45000 | अपूर्ण | - | - | - |
| | 9 | राबाउप्रावि नारेडाकला | 60000 | 45000 | अपूर्ण | - | - | - |
| | 10 | राबाउप्रावि दूधेडा | 60000 | 45000 | अपूर्ण | - | - | - |
| | 11 | राउप्रावि नारेडाकला | 60000 | 45000 | अपूर्ण | - | - | - |
| | 12 | राप्रावि पहाडी बास | 60000 | 45000 | अपूर्ण | - | - | - |
| | 13 | राउप्रावि पीपली सं. | 50000 | 37500 | अपूर्ण | - | - | - |

| वर्ष | क्र.सं. | राप्रावि/उप्रावि का नाम | पानी की टंकी निर्माण हेतु | | | शौचालय निर्माण हेतु | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | कुल स्वीकृत राशि | कुल व्यय राशि | कार्य पूर्ण/अपूर्ण | कुल स्वीकृत राशि | कुल व्यय राशि | कार्य पूर्ण/अपूर्ण |
| | 14 | राप्रावि बलाहीर | 50000 | 37500 | अपूर्ण | - | - | - |
| | 15 | राउप्रावि निहालपुरा | 50000 | 37500 | अपूर्ण | - | - | - |
| | 16 | राउप्रावि बर्डोद | - | - | - | 25000 | 18750 | अपूर्ण |
| | 17 | राउप्रावि सोरवा | - | - | - | 25000 | 18750 | अपूर्ण |
| | 18 | राउप्रावि सं. गूगडिया | - | - | - | 25000 | 25000 | पूर्ण |
| | 19 | राप्रावि कंजर बस्ती | - | - | - | 25000 | 18750 | अपूर्ण |
| | 20 | राप्रावि महाराजा बास | - | - | - | 25000 | 18750 | अपूर्ण |
| | 21 | राप्रावि ईट भट्टा नगला रूध | - | - | - | 25000 | 18750 | अपूर्ण |
| | 22 | राप्रावि पहाडी बास | - | - | - | 25000 | 18750 | अपूर्ण |
| | 23 | राउप्रावि सं. गण्डाला | - | - | - | 25000 | 18750 | अपूर्ण |
| | 24 | राउप्रावि दहमी बा. | - | - | - | 25000 | 25000 | पूर्ण |

| वर्ष | क्र.सं. | राप्रावि/उप्रावि का नाम | पानी की टंकी निर्माण हेतु | | | शौचालय निर्माण हेतु | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | कुल स्वीकृत राशि | कुल व्यय राशि | कार्य पूर्ण/अपूर्ण | कुल स्वीकृत राशि | कुल व्यय राशि | कार्य पूर्ण/अपूर्ण |
| | 25 | राउप्रावि बा. जागूबास | - | - | - | 25000 | 18750 | अपूर्ण |
| | 26 | राउप्रावि इस्लामपुर | - | - | - | 25000 | 18750 | अपूर्ण |
| | 27 | राबाउप्रावि निभोर | - | - | - | 25000 | 18750 | अपूर्ण |
| | 28 | राबाउप्रावि खोहरी | - | - | - | 25000 | 18750 | अपूर्ण |
| | 29 | राबाउप्रावि खोहर | - | - | - | 25000 | 18750 | अपूर्ण |
| | 30 | राबाउप्रावि हमीदपुर | - | - | - | 25000 | 18750 | अपूर्ण |
| | 31 | राबाउप्रावि बसई | - | - | - | 25000 | 18750 | अपूर्ण |
| | 32 | राबाउप्रावि भीटेडा | - | - | - | 25000 | 18750 | अपूर्ण |
| | 33 | राप्रावि नंगली बलाहिर | - | - | - | 25000 | 18750 | अपूर्ण |
| | 34 | राउप्रावि अड़ीद | - | - | - | 25000 | 18750 | अपूर्ण |
| | 35 | राउप्रावि कान्हावास बा. | - | - | - | 25000 | 18750 | अपूर्ण |

| वर्ष | क्र.सं. | राप्रावि/उप्रावि का नाम | पानी की टंकी निर्माण हेतु | | | शौचालय निर्माण हेतु | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | कुल स्वीकृत राशि | कुल व्यय राशि | कार्य पूर्ण/अपूर्ण | कुल स्वीकृत राशि | कुल व्यय राशि | कार्य पूर्ण/अपूर्ण |
| | 36 | राउप्रावि महताबास बालिका | - | - | - | 25000 | 18750 | अपूर्ण |
| | 37 | राउप्रावि पीपली संस्कृत | - | - | - | 25000 | 18750 | अपूर्ण |
| | 38 | राउप्रावि चावंडी | - | - | - | 25000 | 18750 | अपूर्ण |
| | 39 | राउप्रावि माजरी कला सं. | - | - | - | 25000 | 18750 | अपूर्ण |
| | 40 | राउप्रावि कायसा बा. | - | - | - | 25000 | 18750 | अपूर्ण |
| | 41 | राउप्रावि दोसोद बा. | - | - | - | 25000 | 18750 | अपूर्ण |
| | 42 | राउप्रावि डाबडबास | - | - | - | 25000 | 18750 | अपूर्ण |
| | 43 | राउप्रावि हुडिया खुर्द | - | - | - | 25000 | 18750 | अपूर्ण |
| | | **योग** | **1144000** | **901500** | | **725000** | **562500** | |

**जिला परियोजना समन्वयक**
**सर्व शिक्षा अभियान अलवर**

## चिकानी (अलवर) में संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में अनियमितता

**187. श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अलवर के चिकानी में स्थित कालेजों लक्ष्मी देवी इन्स्टीट्युट आफ इंजीनियरिंग एवं टैक्नोलोजी लार्डस कालेज आफ इंजीनियरिंग, लार्डस महिला इंजीनियरिंग कालेज व इस संस्था के सम्बद्ध संस्थानों की पिछले दिनों राज्य स्तर की समिति या सी.बी.आई. द्वारा जांच की गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट मय विवरण के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त संस्थानों की जांच के दौरान संस्थानों को चलाने की अनुमति प्राप्त करने के मामले में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को वर्ष 2009 में की गई जांच के दौरान गम्भीर अनियमिततायें मिली थीं? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त संस्थाओं के संचालक, डायरेक्टर, चेयरमेन या अन्य किसी के खिलाफ सी.बी.आई. में प्राथमिकी दर्ज की गई है? यदि हां, तो किन किन के विरूद्ध? प्राथमिकी सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राज्य सरकार व उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा उक्त संस्थानों के विरूद्ध कोई विपरीत निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो क्या व क्या इससे इन संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई विपरीत असर पड़ने की आशंका है? यदि हां, तो सरकार विद्यार्थी हित में क्या निर्णय लेने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) सी.बी.आई. द्वारा संस्थान की जांच की गई है या नहीं, की सूचना सी.बी.आई. से इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है तथा राज्य सरकार द्वारा इस हेतु समिति गठित नहीं की गई है।

(2) इस संबंध में राज्य सरकार को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(3) सी.बी.आई. से राज्य सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(4) तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा इन संस्थानों के खिलाफ कोई विपरीत निर्णय नहीं लिया गया है।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से इस संबंध में कोई सूचना इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

## पेयजल व्यवस्था के सुसंचालन हेतु नीति

**188. श्री सन्तोष कुमार सहारण** (सादुलशहर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार पेयजल व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने हेतु नियम/मानदण्ड एक्ट बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि मानदण्डों के अभाव में राज्य में ही मुख्य पाइप लाइन से चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं? यदि हां, तो उक्त की रोकथाम हेतु क्या व्यवस्था की जावेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) सभी उपलब्ध सतही एवं भू-जल संसाधनों के न्यायोचित, सामयिक व सुदृढ़ आर्थिक विधि से उपयोग के लिये सुपरिभाषित राजकीय जल नीति की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नई राज्य जल नीति के प्रारूप का अनुमोदन मंत्रीमण्डल द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2010 को कर दिया गया है। निर्णय अनुसार नई जल नीति शीघ्र जारी कर दी जावेगी।

(2) जी नहीं। यदा-कदा ऐसी स्थिति आने पर भारतीय दण्ड संहिता/दण्ड प्रक्रिया संहिता के विद्यमान प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

## इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के कृषकों को सिंचाई शुल्क में छूट

**189. श्री छोटूसिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के काश्तकारों को पानी की कमी के कारण फसलों को हुई क्षतिपूर्ति हेतु सिंचाई शुल्क स्थगित/माफ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

जी नहीं। रबी 2009-10 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में जल उपलब्धता में अत्यधिक कमी रही। जल वितरण एवं जल उपयोग हेतु गठित परामर्शदात्री समिति की अनुशंषा अनुसार आयुक्त, क्षेत्रीय विकास, इंगांनप, बीकानेर ने परियोजना में दिनांक 15.10.2009 से 25.01.2010 तक जल वितरण का चक्रीय कार्यक्रम दिनांक 06.10.2009 को जारी किया, जिसमें तीन सतरोजा बारी पानी उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया। तद्नुसार काश्तकारों को तीन सतरोजा बारी पानी उपलब्ध कराया गया। पिटी हुई बारियों की भी भरपाई की गई। काश्तकारों को समय रहते हुए पानी की उपलब्धता एवं तीन पानी में पैदा होने वाली फसलें यथा चना व सरसों बोने की सलाह दे दी गई थी।

## राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ऐतिहासिक स्थलों की मरम्मत/संधारण

**190. श्री सूरजभान** (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के प्राचीनकाल में निर्मित किले, बावड़ी, झरने, ऐतिहासिक स्थलों पर सैलानियों (पर्यटकों) को आकर्षित किये जाने हेतु उक्त स्थानों की मरम्मत/संधारण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

पर्यटन विभाग में अलवर जिले के पुरातत्व एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के संरक्षण एवं विकास हेतु केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2010-11 में तैयार किया जाना विचाराधीन है।

## माडोल विधान सभा क्षेत्र के भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्र

**191. श्री बाबूलाल खराड़ी** (झाडोल) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र झाडोल की पंचायत समिति झाडोल एवं कोटड़ा में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र निजी भवनों व कितने राजकीय भवनों में संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

विधान सभा क्षेत्र झाडोल के अन्तर्गत पंचायत समिति झाडोल में संचालित बाल विकास परियोजना के 213 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 25 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र तथा पंचायत समिति कोटडा में संचालित बाल विकास परियोजना के 142 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 12 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इस प्रकार कुल 392 आंगनबाड़ी चल रही हैं। उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में से परियोजना झाडोल के 22 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 25 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं। शेष 191 केन्द्र विभागीय/अन्य राजकीय भवनों में संचालित हैं। बाल विकास परियोजना कोटडा के अन्तर्गत 13 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 12 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में तथा शेष 129 आंगनबाड़ी केन्द्र विभागीय/अन्य राजकीय भवनों में संचालित हैं।

## भीम विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

**192. श्री हरिसिंह रावत** (भीम) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं?

(2) क्या सभी संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र अपने स्वयं के भवनों में संचालित हैं?

(3) क्या सरकार वंचित ग्रामों में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि भीम एवं देवगढ़ के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अधिकारी/कर्मचारी सृजित पदों के अनुसार कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो सरकार उक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम के अन्तर्गत पंचायत समिति, देवगढ़ में संचालित बाल विकास परियोजना अधिकारी के अधीन 104 आंगनबाड़ी केन्द्र व 3 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र तथा पंचायत समिति भीम में संचालित बाल विकास परियोजना अधिकारी में 148 आंगनबाड़ी केन्द्र व 9 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र भीम में कुल 264 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। इनके विरूद्ध जनवरी, 10 में देवगढ़ में 97 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

भीम में 141 आंगनबाड़ी केन्द्र व 5 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र इस प्रकार कुल 243 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं।

(2) जी नहीं। विधानसभा क्षेत्र भीम में संचालित 243 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 222 आंगनबाड़ी केन्द्र विभागीय भवनों में, 4 आंगनबाड़ी केन्द्र विद्यालयों में, 3 आंगनबाड़ी केन्द्र सामुदायिक भवनों में तथा 14 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में चल रहे हैं।

(3) राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप भीम विधान सभा क्षेत्र के आंगनबाड़ी सेवा से वंचित क्षेत्रों में आंगनबाड़ी सेवाऐं प्रदान करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2009-10 में 14 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 7 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र इस प्रकार कुल 21 आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति जारी की गई।

(4) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र भीम के अन्तर्गत आने वाली परियोजना भीम एवं देवगढ़ में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सृजित पदों के अनुरूप अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं। वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 17, सहायिकाओं के 17, सहयोगिनी के 57 तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 8 पद रिक्त हैं। उपरोक्त रिक्त पदों पर मानदेय कार्मिकों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है। रिक्त पदों को भरने की दृष्टि से विशेष ग्राम सभाऐं आयोजित करने के दिशा-निर्देश भी आदेश दिनांक 24.02.2010 द्वारा पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किये जा चुके हैं। ग्राम सभाओं से योग्य महिलाओं के चयन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर उक्त रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

## जायल विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों से लाभान्वित छात्र/छात्राएं

**193. श्रीमती मंजू देवी** (जायल) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं?

(2) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में कितने छात्र/छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र

(श्रीमती मंजू देवी)

खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां और कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल में कुल 264 केन्द्र एवं 24 मिनी केन्द्र संचालित हैं। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से छात्र/छात्राओं को लाभान्वित नहीं किया जाता है, अपितु 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को लाभान्वित किया जाता है। लाभान्वित बच्चों की संख्या परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी, हां, विधान सभा क्षेत्र जायल में 24 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 8 मिनी केन्द्र खोलने की स्वीकृति जारी कर दी गई है। सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

**(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## सीकर जिले के संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति

**194. श्री अमराराम** (दांतारामगढ़) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सीकर जिले में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक (उपाध्याय) तक संस्कृत विद्यालय कहां-कहां संचालित हैं तथा उनमें छात्र संख्या, अध्यापक एवं अन्य स्टाफ कितना-कितना स्वीकृत है तथा कितने कार्यरत हैं? विद्यालयवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा शिक्षकों के रिक्त पदों पर शैक्षणिक व्यवस्था क्या की गई है तथा कितने लोगों को इस व्यवस्थार्त लगाया गया है?

(3) अब सरकार अध्यापकों के रिक्त पद कब तक भरने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) सीकर जिले में संस्कृत शिक्षा के राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय से वरिष्ठ उपाध्याय स्तर तक के विद्यालयों की सूची मय छात्र संख्या के परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

उक्त विद्यालयों में स्वीकृत/रिक्त एवं कार्यरत अध्यापक एवं अन्य स्टाफ का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) संस्कृत शिक्षा विभाग के रिक्त पदों पर शैक्षणिक व्यवस्था अन्तर्गत 1272 विद्यार्थी मित्र लगाये गये हैं।

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

(3) वरिष्ठ अध्यापक-I ग्रेड के 57 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अध्यापक-II ग्रेड के 543 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित कर लिये गये हैं। प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन शीघ्र किये जाने की सम्भावना है।

अध्यापक ग्रेड-III के 2916 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है।

आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकेगी।

**(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## पाली जिले के संस्कृत विद्यालयों का क्रमोन्नयन

**195. श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार पाली जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, ठाकुरवास, गुडापदमसिंह, सादड़ी, दयालपुरा, पुरोहितों की ढाणी तथा जोधपुर के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय नन्दनवण, कुड़ी सेक्टर 06 को प्रवेशिका विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त विद्यालयों की छात्र संख्या कितनी-कितनी है? कक्षावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कुल क्रमोन्नत होने वाले विद्यालयों में से 10 प्रतिशत संस्कृत शिक्षा के विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते हैं? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में कितने एवं कौन-कौन से विद्यालय क्रमोन्नत किये गये? विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने वाले प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

(2) राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, ठाकुरवास, गुडापदमसिंह, सादड़ी, दयालपुरा, पुरोहितों की ढाणी तथा जोधपुर के

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

रा.उ.प्रा.सं.वि. नन्दनवन, कुड़ी सेक्टर 06 की कक्षावार छात्र संख्या परिषिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। विगत 5 वर्षों में कमोन्नत विद्यालयों की सूची वर्षवार परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

**(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## श्रीगंगानगर जिले में कृषकों की सहायता के लम्बित प्रकरण

**196. श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि किसानों को कृषि कार्य करते समय मृत्यु या घायल होने पर कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है? यदि हां, तो किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि दी जाती है? योजना के नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2006 से जुलाई, 2009 तक जिला श्रीगंगानगर में सहायता लेने बाबत कितने आवेदन प्राप्त हुए और किस-किस व्यक्ति को सहायता प्रदान की गई तथा कितनों को दी जानी शेष है और कितने प्रकरण किस कारण निरस्त किये गये? कृषि उपज मण्डी समितिवार नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। कृषि कार्य करते समय मृत्यु होने या दुर्घटनाग्रस्त होने वाले किसानों व खेतीहर मजदूरों को कृषि उपज मण्डी समितियों के माध्यम से आर्थिक सहायता देने के लिए किसान जीवन कल्याण योजना (राजीव गांधी कृषक साथी योजना-2009) के अन्तर्गत दिनांक 9.12.09 के पश्चात के प्रकरणों में निम्नानुसार सहायता राशि देय है-

**(राशि रुपयों में)**

| **क्र. सं.** | **सहायता राशि हेतु परिस्थिति** | **प्रस्तावित सहायता राशि** |
|---|---|---|
| 1 | मृत्यु होने पर आश्रित को | 1.00,000 |
| 2 | दो अंग, जैसे दोनों हाथ, दोनों पांव, दोनों आंख, कोई एक-एक अंग अलग से कटने पर | 50.000 |
| 3 | रीढ़ की हड्डी टूटने, सिर पर चोट से कोमा में जाने पर | 40.000 |

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

| क्र. सं. | सहायता राशि हेतु परिस्थिति | प्रस्तावित सहायता राशि |
|---|---|---|
| 4 | पुरुष अथवा महिला के सिर के केश (बालों) की डी-स्केल्पिग होने पर | 40.000 |
| 5 | पुरुष अथवा महिला के सिर के केश (बालों) की आंशिक (छोटे भाग की) डी स्केल्पिग होने पर | 25.000 |
| 6 | एक अंग जैसे एक हाथ, पैर, आंख, पंजा, बांह आदि के अंग भंग होने पर | 25.000 |
| 7 | चार अंगूली कट जाने पर (पूर्णरूप से या हिस्से में) | 15.000 |
| 8 | तीन अंगूली कट जाने पर | 10.000 |
| 9 | दो अंगूली कट जाने पर | 10.000 |
| 10 | एक अंगूली कट जाने पर | 5.000 |
| योजना के नियमों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। | | |

(2) जिला श्रीगंगानगर में कृषि उपज मण्डी समितियों के माध्यम से वर्ष 2006 से जुलाई 2009 तक 604 आवेदन पत्र प्राप्त हुये उनमें से 517 आवेदनकर्ताओं को 82,02,500 रु. सहायता राशि प्रदान की गई। 78 प्रकरण निरस्त किये गये एवं 9 प्रकरणों का निस्तारण किया जाना शेष है। विवरण परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

**(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## खैरथल कृषि उपज मण्डी द्वारा सड़क निर्माण व मरम्मत पर व्यय राशि

**197. श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़ बास) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत वित्तीय वर्ष में कृषि उपज मण्डी खैरथल जिला अलवर को कितना लाभ हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष में अर्जित लाभ को मदवार खर्च करने के नियम बनाये हुये हैं? यदि हां, तो गत वित्तीय वर्ष में अर्जित आय में से सड़क निर्माण एवं मरम्मत पर कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामहेत सिंह)

(3) क्या नियमानुसार सड़क निर्माण पर राशि व्यय की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल स्वयं व्यवसाय नहीं करती। इसलिए लाभ हानि का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल को मण्डी शुल्क, अनुज्ञापत्र शुल्क, जुर्माना, आबंटन शुल्क आदि से आय होती है एवं इस आय को विभिन्न मदों में यथा संस्थापन, बोर्ड अशंदान, मण्डी प्रांगण/सड़क निर्माण कार्यों व अन्य मदों पर व्यय करती है। मण्डी समिति को वर्ष 2008-09 में विभिन्न मदों में आय व व्यय का विवरण निम्नानुसार है-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | दिनांक 1.4.2008 को प्रारम्भिक शेष रु. | 85.56 लाख |
| 2. | मण्डी शुल्क एवं अन्य मदों से कुल आय रु. | 498.16 लाख |
| 3. | संस्थापन, बोर्ड अशंदान, निर्माण कार्य एवं अन्य मदों पर कुल व्यय | 408.47 लाख |
| | दिनांक 31.3.09 को अन्तिम शेष | 175.25 लाख |

(2) जी हां। गत वर्ष में सडकों की वार्षिक मरम्मत पर 40.41 लाख रु. व्यय हुए है, विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। मण्डी फण्ड से गत वर्ष में नवीन सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल में मिसिंग लिंक योजनान्तर्गत वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में 18 सड़क लम्बाई 43.25 किलोमीटर, संड़कों का निर्माण करवाया गया विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। उक्त सड़कों पर वर्ष 2007-08 में 247.70 लाख रु. एवं वर्ष 2008 -09 में 474.12 लाख रु. कुल 721.82 लाख रु. का व्यय हुआ है। उक्त राशि का पुर्नभुगतान मण्डी समिति द्वारा किया जाना है।

(3) सड़क निर्माण/मरम्मत पर निर्धारित मापदण्ड से अधिक राशि व्यय की गई है।

परिशिष्ट-अ

**वर्ष 2008-09 में सड़कों की वार्षिक मरम्मत पर व्यय का विवरण**

**कृ.उ.म. - समिति का नाम-खैरथल**

| क्र.सं. | कार्य का नाम | स्वीकृति/ क्रमांक/ दिनांक | स्वीकृति राशि (लाखों में) | व्यय (लाखों में) 2008-09 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | सम्पर्क सड़कों की वार्षिक मरम्मत कार्य वर्ष 2008-09 | निदेशक कृषि विपणन विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक 10040-10189 दिनांक 09.06.2008 | 40.93 | 40.41 |
| | | **योग** | **40.93** | **40.41** |

**परिशिष्ट-ब**

**वर्ष 2008-09 में निर्मित मिसिंग लिंक सड़कों का विवरण**

**कृ.उ.म. - समिति का नाम-खैरथल**

| क्र. सं. | सड़क का नाम | विधान सभा क्षेत्र | निर्मित लम्बाई (किमी.) | निर्मित वर्ष | व्यय राशि (लाखों में) 2007-08 | व्यय राशि (लाखों में) 2008-09 | योग (लाखों में) | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | चांदूकी से रायबका | अलवर-ग्रामीण | 1.90 | 2008-09 | 9.40 | 16.35 | 25.75 | कार्य पूर्ण |
| 2 | रायबका मेन रोड से मौजदीका (रामगढ़ रोड) | अलवर-ग्रामीण | 2.40 | 2008-09 | 15.02 | 21.83 | 36.85 | कार्य पूर्ण |
| 3 | घासोली हाइवे रोड से खोहाबास रोड वाया चूरियाबास | किशनगढ़बास | 2.40 | 2008-09 | 0.10 | 38.04 | 38.14 | कार्य पूर्ण |
| 4 | बासकृपाल नगर से बसई (जटियाना रोड) | किशनगढ़बास | 3.00 | 2008-09 | 15.38 | 29.92 | 45.30 | कार्य पूर्ण |
| 5 | चावण्डी से मांढन-गिगलाना रोड | बहरोड | 2.01 | 2008-09 | 0.09 | 39.11 | 39.20 | कार्य पूर्ण |
| 6 | गंडाला से ढूंढारिया | बहरोड | 3.27 | 2008-09 | 27.75 | 23.81 | 51.56 | कार्य पूर्ण |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | खोहर से दोसोद | बहरोड | 3.50 | 2008-09 | 0.13 | 52.40 | 52.53 | कार्य पूर्ण |
| 8 | छिपारी से लाडपुर | बानसूर | 1.00 | 2008-09 | 12.65 | 7.14 | 19.79 | कार्य पूर्ण |
| 9 | तालवास से भूरियावास | बानसूर | 1.82 | 2008-09 | 11.64 | 27.66 | 39.30 | कार्य पूर्ण |
| 10 | नारोल से गुवाडा | बानसूर | 3.30 | 2008-09 | 44.13 | 24.39 | 68.52 | कार्य पूर्ण |
| 11 | गिरधरदास मंदिर से झंझारपुर | बानसूर | 0.96 | 2008-09 | 0.04 | 14.48 | 14.52 | कार्य पूर्ण |
| 12 | जाट बहरोड सी. हा. सै. स्कूल से मुण्डनवाडा कलां | मुण्डावर | 2.60 | 2008-09 | 4.85 | 48.11 | 52.96 | कार्य पूर्ण |
| 13 | रानोठ से पेहलपंखा | मुण्डावर | 3.00 | 2008-09 | 11.68 | 31.00 | 42.68 | कार्य पूर्ण |
| 14 | जाट भगोला से बासनी | मुण्डावर | 3.20 | 2008-09 | 10.95 | 36.54 | 47.49 | कार्य पूर्ण |
| 15 | मलियार जट से फूलावास | तिजारा | 3.10 | 2008-09 | 42.61 | 24.16 | 66.77 | कार्य पूर्ण |
| 16 | भिण्डूसी से बिचपुरी | तिजारा | 2.15 | 2008-09 | 24.31 | 7.66 | 31.97 | कार्य पूर्ण |
| 17 | पाटनकलां से गोतोली | तिजारा | 2.20 | 2008-09 | 9.12 | 18.88 | 28.00 | कार्य पूर्ण |
| 18 | लबेदार की ढाणी से पाटनकलां | तिजारा | 1.44 | 2008-09 | 7.85 | 12.64 | 20.49 | कार्य पूर्ण |
| | **योग** | | **43.25** | | **247.70** | **474.12** | **721.82** | |

# परिशिष्ट-1

## (तारांकित प्रश्न संख्या-110 की सूचना)

**परिशिष्ट-अ**

**अनुसूचित जनजाति और अन्य परपम्रागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन की प्रगति**

**जिलेवार दावों की स्थिति**

| जिला | ग्राम सभा में प्रस्तुत दावों की संख्या | कुल स्वीकृत दावों की संख्या | कुल निरस्त दावों की संख्या | कुल निस्तारित दावों की संख्या | जिलों के पास अवशेष रहे दावों की संख्या | वितरित अधिकार पत्रों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. बांसवाड़ा | 18963 | 10211 | 8250 | 18461 | 502 | 4808 |
| 2. प्रतापगढ़ | 15735 | 6734 | 9001 | 15735 | 0 | 3052 |
| 3. डूंगरपुर | 6459 | 3663 | 2400 | 6063 | 396 | 2862 |
| 4. उदयपुर | 10420 | 5494 | 4926 | 10420 | 0 | 1435 |
| 5. सिरोही | 4020 | 1593 | 2182 | 3775 | 245 | 1289 |
| 6. राजसमंद | 1015 | 136 | 879 | 1015 | 0 | 136 |
| 7. बारां | 2073 | 661 | 1412 | 2073 | 0 | 661 |
| 8. पाली | 463 | 193 | 270 | 463 | 0 | 0 |
| 9. भीलवाड़ा | 218 | 26 | 189 | 215 | 3 | 26 |
| 10. स. माधोपुर | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 |
| 11. कोटा | 238 | 0 | 238 | 238 | 0 | 0 |
| 12. झालावाड़ | 180 | 8 | 172 | 180 | 0 | 8 |
| 13. बून्दी | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| **योग** | **59900** | **28719** | **30029** | **58748** | **1152** | **14277** |

# परिशिष्ट-2

## नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव जो पढ़े हुए माने गये

### खण्डेला में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में खण्डेला से रामपुरा (ख) सड़क करीबन 3 किमी. व खण्डेला से रोयल सड़क करीबन 5 किमी. आज इतनी खराब हो चुकी है कि पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल है। उक्त दोनों सड़कें मरम्मत होने लायक (पेच वर्क) नहीं है। इन दोनों सड़कों को सुदृढ़ीकरण करवा कर डामरीकरण व सी.सी रोड करवाया जाये। यदि कृषि उपज मण्डी के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, तो सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग अपने अधीन लेकर ठीक कराया जाये। जिससे आम जनता को सुविधा मिल सके तथा तपिपल्या से आभावास सड़क भी ग्रेवल सड़कें हैं, इसे डामरीकरण करवाया जाना अत्यावश्यक है क्योंकि खाटू श्यामजी जाने के लिए यह एक दूसरा रास्ता तैयार हो जाएगा। शाहपुरा (ग्राम पंचायत ठिकरिया) से चौमू पुरोहितान की ग्रेवल सड़क को डामरीकरण कराने से सीकर साइड से श्याम बाबा के दर्शन करने वालो को एक वैकल्पिक रास्ता और मिल जाएगा। ये रास्ता आम रास्ते के रूप में काम आ रहा है।

**बंशीधर खण्डेला**
(खण्डेला)

### कुम्भलगढ़ की पेयजल योजना बेड़च का नाका का क्रियान्वयन

महोदय,

मै राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र कुम्भलगढ़ की काफी लम्बे समय से लम्बित जलप्रदाय योजना बेड़च का नाका की ओर आकर्षित कर निवेदन है कि:-

1. यह की मेरे विधान सभा क्षेत्र कुम्भलगढ़ के तह. कुम्भलगढ़ के पांच पंचायत क्षेत्र जिसमें थूरावड़, चारभजा, रिडेड, भानावतों का गुढा तथा झीलवाड़ा की पेयजल की समस्या के स्थाई समाधान हेतु पेयजल योजना बेड़च

का नाका कांग्रेस की पूर्व सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत की गई है। इस योजना का शिलान्यास राज. के पूर्व मुख्यमंत्री तथा तब के क्षेत्रीय विधायक श्री हीरालाल जी देवपुरा तथा वर्तमान केन्द्रीय ग्रामीण विकास व पंचायत राजमंत्री तथा पूर्व जल संसाधन मंत्री डा. सी.पी. जोशी के करकमलों द्वारा किया गया जिसकी साक्षी शिलान्यास पर आज भी स्थापित है।

2. यह कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा कोई प्रभावी प्रयास समयबद्ध तरीके से नहीं किये जाने से उक्त योजना क्रियान्वित नहीं हो पाई।

3. यह कि बेड़च का नाका पेयजल आपूर्ति परियोजना की प्रथम एवं द्वितीय स्टेज क्लियेरेन्स भारत सरकार मिनिस्ट्री आफ इनवायरनमेन्ट एण्ड फोरेस्ट तथा सुप्रिम कोर्ट नई दिल्ली से माह फरवरी 2009 में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है इस कार्य की तकनिकी स्वीकृति अति. मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग उदयपुर के पत्रांक सी./ई./यू./टी./एफ 131/6567 दिनांक 12-4-06 के द्वारा बी एस आर 2005 पर राशि रुपये 206.30 लाख की जारी हो चुकी है। इस कार्य का नविन तकनिकी आंकलन राशि 370 लाख बी एस बार 2008 पर बनाकर उच्चाधिकारियों को पुन: स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया है। जलदाय विभाग के द्वारा प्रकरण राज. सरकार के वन व वन्य जीव विभाग को प्रस्तुत किया जहां से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

बेड़च का नाका पेयजल योजना कुम्भलगढ़ क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य एवं ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्र के स्थित गांवों हेतु भागीरथ योजना है।

अत: निवेदन है कि इस योजना को चालू कराने हेतु उचित कार्यवाही करवाने की कृपा करावें।

**गणेश सिंह परमार**

(कुम्भलगढ़)

## अनुदानित कालेज के व्याख्याताओं को समायोजित करने घोषणा से उत्पन्न स्थिति

महोदय,

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट भाषण में अनुदानित महाविद्यालयों के व्याख्याताओं को सरकारी महाविद्यालयों को सरकारी व्याख्याता के पद पर लगने का ऑपशन मांगा जाएगा। इससे राज्य में SC/ST & OBC के आरक्षण का उल्लंघन होगा तथा हजारों बालक जिन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करके पी.एच.डी. एवं अन्य उपाधियां प्राप्त करके इस आशा में है कि सरकार महाविद्यालय व्याख्याता पदों को विज्ञप्ति करेंगे तथा उनको सरकारी सेवा

मिलेगी। जहां 1200 व्याख्याताओं को लगाया जा रहा है, जो आरक्षण नियमों का भी उल्लंघन होगा तथा उन विद्यार्थियों के साथ भी विश्वासघात होगा जिन्होंने Net & Slet जैसी उत्तीर्ण करके इस आशा में बैठे हुए थे, उनके साथ भी विश्वासघात होगा।

अत: आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अनुदानित महाविद्यालयों का शैक्षिक वातावरण भी खराब होगा। अत: इस योजना को निरस्त करके नियमित भर्ती की जावे जिससे अनुदानित एवं सरकारी महाविद्यालयों में समुचित वयवस्था हो।

**फतेह सिंह**

(कुशलगढ़)

## भीम विधान सभा क्षेत्र के अनियमितता करने वाले राशन डीलर्स पर कार्यवाही नहीं

महोदय जी,

उपरोक्त विषय अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम के सारोठ, बार, शेखावास, लगेतखेड़ा, भीम, काछवली के राशन डीलरों द्वारा वहां के उपभोक्ताओं को समय-समय पर राशन एवं केरोसिन व अन्य सामग्री वितरण नहीं करायी जाती है। मेरे पास भी इनकी शिकायतें आती रही है, जिसकी कार्यवाही हेतु जिला रसद अधिकारी (DSO) को सूचित करता रहा हूं। परन्तु आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। एवं कई बार मैंने स्वयं डी.एस.ओ. राजसमंद को अवगत कराया कि इन राशन डिलरों की हमेशा शिकायतें आती रहती है, तत्काल इनकी जांच कर दोषी पाये जाने वाले डीलरों की डीलर शीप निलम्बित की जाएं। तो उत्तर मिलता है कि ऊपर से दबाव है।

अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि किसका दबाव है, जिसके चलते ऐसे भ्रष्ट डीलरों की शिकायतें होने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती? जबकी पड़ोस के ही राशन डीलरों की कांग्रेस के पूर्व मंत्री द्वारा गलत शिकायत करने पर तत्काल जांच कराई जाती है जबकि उन डीलरों की वहां के किसी भी उपभोक्ता द्वारा कोई शिकायत नहीं होती है, एवं जांच में निरदोष पाये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय उपरोक्त राशन डीलरों द्वारा एक या दो दिन दुकानें खोली जाती है, एवं बोल दिया जाता है कि राशन खत्म हो गया, और सारा राशन ब्लेक मार्केटिंग में बेच दिया जाता है।

अत: आप के माध्यम से खाद्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि गत दो वर्षों में निम्नांकित राशन डीलरों के रिकार्ड की जांच कराई जाए एवं उनके राशन कार्डधारियों का भौतिक सत्यापन कराया जाए, ताकि उन राशन डीलरों द्वारा वितरण में किये गये भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी, एवं उक्त भ्रष्ट डीलरों को सबक मिल जाएगा ताकि भविष्य में उन पर अंकुश लग सके, एवं उपभोक्ताओं को उनका पूरा राशन मिल सकें।

सारोठ में राशन डीलर द्वारा दिये जाने वाले राशन में भी 50 कि.ग्रा. का बेग आस पहाड़ ग्राम के वीरम सिंह को दिया गया। तथा वजन करने पर 8 कि.ग्रा. कम पाया गया। इन राशन डीलरों ने आज तक किसी भी बी.पी.एल. परिवार को सस्ता राशन नहीं दिया एवं सारा राशन कागजी कार्यवाही कर ब्यावर में बेच दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इन सभी राशन डीलरों का पूरा रिकार्ड जब्त कर जांच कराने का आदेश कराकर भ्रष्ट डीलरों को निलम्बित कर वहां की जनता को राहत दिलाएं।

धन्यवाद।

**हरिसिंह रावत**
(भीम)

## सूरजगढ़ की तहसील चिड़ावा के हरिपुरा गांव में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम हरिपुरा त. चिड़ावा उप त. सूरजगढ़, झुन्झनूं में सरकारी भूमि पर नाजायज अतिक्रमण व धोखाधड़ी कर हरिजनों के नाम पट्टा काटकर कुछ व्यक्तियों के द्वारा कब्जा किया गया है।

श्रीमान आपसे निवेदन है कि ग्राम हरिपुरा तह. चिड़ावा उप तह. सूरजगढ़, झुन्झनूं में श्री नानड़राम कुल्हारी, हीरालाल कुल्हारी व रामरतन काजला आदि व्यक्तियों ने सरकारी भूमि को पंचायत के नाम कटवाकर और हरिजनों के नाम कॉलोनी बनाने के नाम से जनरल कास्ट के लोगों को कब्जा करवाकर और उसको जोत की जा रही है और 25 बीघा सरकारी जोहड़ पर

कब्जा करके गेहूं की खेती कर रहे हैं और इसी प्रकार होता रहा तो समस्त सरकारी भूमियों पर बड़े लोगों का कब्जा हो जावेगा और गरीब लोगों के साथ हो रहा अन्याय बढ़ता जायेगा।

इसलिए मैं इस पारदर्शी सरकार, गरीबों के हितों की सरकार से आपके माध्यम से विन्ती करता हूं कि यह हरिजनों के पट्टे जो काटे गये हैं उनको पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया एवं फर्जी तरिकों से यह कार्यवाही करके यह सब किया गया है।

**श्रवण कुमार**

(सूरजगढ़)

## मेहन्दीपुर बालाजी में पुलिस थाने की स्थापना

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकराय में धार्मिक स्थल मेंहदीपुर बालाजी मंदिर है। यहां राजस्थान ही नहीं पूरे भारत वर्ष से लाखों की संख्या में सालाना तीर्थ यात्री बालाजी के दर्शनों के लिए आते हैं।

महोदय, प्रतिमाह लगभग 2 से 3 लाख लोगों का यहां पर आवागमन रहता है व ये मंदिर दौसा व करौली जिले की सीमा पर स्थित है। बाहरी लोगों एवं स्थानीय लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। वर्तमान में यहां पर सिर्फ पुलिस चौकी स्थित है, जिस पर सिर्फ 3-4 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं जो कि लाखों की संख्या में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत काफी नहीं है। आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। दौसा एवं करौली की सीमा पर होने की वजह से चोरियां व अन्य नियम विरूद्ध कार्य आये दिन होते रहते हैं। मेहन्दीपुर बालाजी एवं आस-पास के इलाके में चौरियों का अनुपात भी बढ़ रहा है। श्रद्धालुओं व स्थानीय लोगों के बीच भी किसी न किसी कारण से अव्यवस्था हो जाती है, जिसको कन्ट्रोल करने के 3-4 पुलिस कर्मी काफी नहीं है।

मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी व गृहमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि विधान सभा क्षेत्र में स्थित तीर्थस्थल की समस्या को गम्भीरता से लें व आने वाले समय में मेहन्दीपुर बालाजी में एक पुलिस थाना स्थापित करने की कृपा करें।

**ममता भूपेश**

(सिकराय)

## बीसलपुर से अजमेर हेतु स्वीकृत पेयजल योजना का क्रियान्वयन

महोदय,

संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि बीसलपुर बांध का निर्माण अजमेर जिले की पेयजल समस्या के समाधान हेतु बनाया गया था। फिर भी पानी जयपुर शहर को दिया जा रहा है। वर्षात की न्यूनता के कारण बांध में पानी कम है। क्या सरकार कम पानी को ध्यान में रखते हुए बीसलपुर बांध के पानी का जयपुर शहर को दिये जा रहे पानी को बंद करेगी या नहीं।

पंचायत समिति जवाजा जिला अजमेर की 35 ग्राम पंचायतों को बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये वर्ष 2008 में सरकार ने 1.49 करोड़ की योजना स्वीकृत की थी। परन्तु सरकार ने इस कार्य को आज तक प्रारम्भ नहीं किया।

ब्यावर शहर के निकट स्थापित श्री सीमेन्ट फैक्ट्री ने आस-पास के क्षेत्र में अपनी जलापूर्ति के लिये 1200 फीट गहरे ट्यूब वैल खुदवा कर पानी को दोहन हो रहा है। जिससे सरकार द्वारा लगाये गये 300 गहरे हैण्डपम्प एवं कुए सूख गए हैं। जिससे किसानों पर भयंकर विपरित असर पड़ा है।

**शंकर सिंह रावत**

(ब्यावर)

## जैसलमेर में पशु शिविर

महोदय,

मान्यवर निवेदन है कि प्रक्रिया के नियम 295 के तहत नहरी क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराने एवं अकालग्रस्त क्षेत्र में पशु शिविर और पर्याप्त मात्रा में प्रारम्भ करने हेतु निवेदन कर रहा हूं।

मान्यवर पश्चिम राजस्थान के सीमावर्ती जिला जैसलमेर इस समय कठिन दौर में गुजर रहा है। आज आम आदमी महंगाई से त्रस्त है। इस दौर में किसानों व पशु पालकों को कठिन दौर से गुजरना पड़ रहा है। किसानों की फसलें तो बर्बाद हो गई परन्तु आज स्थिति है कि वहां रह रहे लोगों को पानी भी पीने के लिए नहीं मिल रहा है।

जिले में पशुधन सूखे की चपेट में आ चुका है और चारों और त्राहीमाम मचा हुआ है। सरकार पर्याप्त मात्रा में पशु शिविर प्रारम्भ नहीं कर रही है जहां पशु शिविर प्रारम्भ किये गये हैं वहां भी भेदभाव हो रहा है। पशु

शिविर स्वीकृतियों में पशु जनगणना के आधार नहीं मान कर मात्र कार्य कुछेक लोगों के कहे मुताबित पशु शिविर स्वीकृत किये गये हैं। बड़े-बड़े गांव व पंचायत मुख्यालयों में जहां पशुधन व्यापक संख्या में है वहां शिविर नहीं प्रारम्भ किये गये हैं बल्कि कुछ ढाणियों में ही पशु शिविर स्वीकृत किये गये है। कई नहरों के किसानों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। उन किसानों का पशुधन भी प्यासा मर रहा है। ठीक ऐसी ही स्थिति हमारे जैसलमेर जिले से पशु पालक गांवों से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं यह सोचकर की शहर में पशुधन का चारा मिलेगा व हमें भी मजदूरी मिलेगी परन्तु उल्टा हुआ कि गांव में तो कुछ जगह पशु शिविर लगाये गये हैं परन्तु शहर में पशु शिविर नहीं खोले गये हैं।

अत: मेरी सरकार से यह मांग है कि जिले के हर गांव में आवारा पशुओं के लिए पशु शिविर खुलवाये जावें व नहरी क्षेत्र में रह रहे लोगों को पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में दिया जावे व शहर में गरीब तबके के लोगों के पशु धन के लिए भी पशु शिविर खुलवाये जावें तथा शिविरों की संख्या भी पशु जनगणना के हिसाब से स्वीकृत किये जावे तथा साथ ही निवेदन है कि सभी पशु शिविरों की जनप्रतिनिधियों की राय से स्वीकृति जारी की जावे जो कि जनता के व पशु पालकों के हित में अच्छा होगा।

इसी आशा के साथ,

**छोटू सिंह भाटी**

(जैसलमेर)

## सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से पानी की चोरी पर रोक

महोदय,

मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान नोहर-भादरा तहसीलों के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा रही सिद्धमुख सिंचाई परियोजना में हो रही पानी की चोरी पर आकर्षित कराना चाहूंगा। सिद्धमुख एवं नोहर फीडर अगस्त 1990 में स्वीकृत हुई थी दिसम्बर 2001 से 258.19 करोड़ की लागत से इनका निर्माण कार्य पूरा हुआ। निर्माण के समय इन नहरों का सिंचित क्षेत्र 80 हजार हेक्टेयर था। इन दिनों इस परियोजना के क्षेत्र में बढ़ती पानी की चोरी की वजह से टेल के किसानों तक उनके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल रहा है। जिससे टेल के किसानों में भारी रोष है। तथा आये दिन इस सम्बन्ध में किसानों द्वारा धरने प्रदर्शन भी किये जा रहे हैं।

महोदय, सिद्धमुख फीडर व वितरिका तथा रसलाना नहर से होने वाली

पानी चोरी नहर की पटरी के ऊपर ट्रेक्टर व इंजन के जरिये मोघों के पास साईफन से PVC पाइप लगाकर की जा रही है। जिसे तुरन्त प्रभाव से रोका जाना चाहिए। पानी चोरी पर अंकुश के लिए निगरानी दल भी बनाया गया था। पर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की उदासीनता तथा पुलिस बल के अपूर्ण सहयोग की वजह से कार्यवाही के बावजूद चोरी थमने का नाम ही नहीं ले रही है।

अध्यक्ष महोदय, इसी कड़ी में 21 फरवरी की रात को नहर की निगरानी में लगे ठेकेदार के कर्मियों के साथ किसानों का भिरानी हैड पर झगड़ा हो गया और नौबत गोली चलने तक की आ गयी। जिसमें एक किसान भी घायल हो गया। घटना के विरोध में थाने के सामने प्रदर्शन भी हुआ था।

अन्त में मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार इस विषय को गम्भीरता से लेते हुए सिद्धमुख सिंचाई परियोजना में पानी की चोरी पर रोकथाम हेतु सख्त से सख्त कदम उठाये। और टेल के किसानों को उनके हिस्से का पूरा पानी दिलाये।

**अभिषेक मटोरिया**

(नोहर)

## रामगढ़ के मंशा मंदिर की पहुंच-सड़क का डामरीकरण

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विनम्र निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में एक बड़ा मन्दिर मन्शा माता मन्दिर है। वर्ष में दोनों नवरात्रा में पहले नवरात्री से लेकर अष्टमी एवं रामनवमी तक लाखों लोग माता के मन्दिर में दर्शन को आते हैं। विशेष रूप से अष्टमी एवं नवमी पर चार-पांच लाख लोग जागरण में भाग लेने आते हैं एवं पूजा-अर्चना करते है यही नहीं सिर्फ क्षेत्र से ही नहीं जिले से ही पास में लगे हरियाणा प्राइज़ से फरीदाबाद, होडल एवं पल्लवल, गुड़गांवा और रेवाड़ी, फिरोजपुर तक से कई श्रद्धालु आते हैं। किन्तु खेद का विषय है कि मन्शा मन्दिर तक पहुंचने के लिए बाकी तो पूरी सड़क बनी हुई है किन्तु मन्दिर तक पहुंच हेतु मात्र 1.2 किलोमीटर का रास्ता कच्चा है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि मन्दिर एपरोच के लिए कृपा कर इस छोटे से टुकड़े को डामर रोड बनाने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय से भी विनम्र निवेदन है कि कृपा कर इस पवित्र काम में सहयोग करें।

**ज्ञानदेव आहूजा**
(रामगढ़)

## करौली की मासलपुरा सड़क का अनियमित व घटिया निर्माण

महोदय,

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अन्तर्गत आपका ध्यान आकर्षण करना चाहती हूं कि करौली जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय राजमार्ग योजना के तहत पुरानी चुंगी मासलपुर रोड करौली से तीन बड ट्रक यूनियन तक सड़क निर्माण करवाया जा रहा है। करौली जिला मुख्यालय होते हुए भारी संख्या में वाहनों के आवागमन होने के उपरांत भी सड़क के मध्य डिवाइडर को निर्माण नहीं करवाया जा रहा है। अत: मेरा सदन के माध्यम से आग्रह है कि सड़क के मध्य डिवाइडर निर्माण करवाया जाये तथा हाथीघटा क्षेत्र जो कि बहुत नीचा है पर पुल निर्माण करवाया जाये।

सड़क निर्माण का कार्य गत दो माह से करवाया जा रहा है और अभी तक अपूर्ण है। तथा बहुत ही घटिया स्तर का निर्माण करवाया जा रहा है। अत: मेरा आग्रह है कि उक्त निर्माण की जांच कराई जाएं। तथा सड़क के मध्य डिवाइडर निर्माण एवं विद्युतीकरण करवाया जाए। जिससे करौली जिला मुख्यालय पर दुर्घटना के अंदेशे एवं किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। मैं सदन के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि सड़क को दो माह पूर्व खुदवा दिया गया जिससे आमजन, यात्रियों सहित शहर की जनता को खासी परेशानी हुई तथा वाहनों के आवागमन से धूल उड़ने से काफी लोग बीमारी के शिकार भी हुए। इतने समय तक सड़क निर्माण पूर्ण नहीं होना लापरवाही एवं जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ है।

अत: मैं पुन: आग्रह करना चाहती हूं कि करौली से गुजरने वाले सभी वाहन इसी सड़क से गुजरते हैं। अत: सड़क के मध्य डिवाइडर एवं विद्युतीकरण का कार्य करवाया जावे।

**रोहिणी कुमारी**
(करौली)

## अजमेर के क्षतिग्रस्त ऋषि घाटी मार्ग से हो रही असुविधा

महोदय,

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निम्नांकित विशेष उल्लेख की तरफ ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं-

अजमेर की ऋषि घाटी का मार्ग गत दिनों जलदाय विभाग द्वारा नयी पाइप लाइन बिछाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। पाइप लाइन का कार्य पूर्ण होने पर काफी दिनों तक इस क्षतिग्रस्त मार्ग की कोई सुध नहीं ली गयी। फिर जनप्रतिनिधियों द्वारा जिला प्रशासन एवं जलप्रदाय विभाग पर दबाव बनाने एवं साथ ही जनता के भी आन्दोलन पर उत्तर आने से जलदाय विभाग द्वारा इस क्षतिग्रस्त मार्ग की काम चलाउ मरम्मत करवा दी गयी।

जलदाय विभाग द्वारा करवाये गये मरम्मत कार्य के बाद भी यह मार्ग दो भागों में बंटा नजर आता है। आधे में टूटी-फूटी डामर की सड़क व आधे में सीमेण्ट की सड़क, मार्ग का आधा भाग ऊंचा व आधा नीचा तथा जगह-जगह खड्डे। चारपहिया वाहन तो जैसे-तैसे गुजर जाते हैं परन्तु दो पहिया वाहन एवं पैदल चलने वाले गिरते-पड़ते गुजर पाते हैं।

इस महत्वपूर्ण मार्ग से क्षेत्रीय नागरिकों के अतिरिक्त तीर्थराज पुष्कर जाने वाले श्रद्धालुओं व देशी-विदेशी पर्यटकों, ख्वाजा साहब की दरगाह जाने वाले जायरीनों को गुजरना पड़ता है। इस मार्ग पर कई मन्दिर, मस्जिद स्थित हैं जहां सैकड़ों श्रद्धालु प्रतिदिन आते है। इस मार्ग पर आगे मुक्तिधाम व कब्रिस्तान भी स्थित है, शवयात्राओं को भी इसी क्षतिग्रस्त मार्ग से गुजरना पड़ता है। अतः इस महत्वपूर्ण मार्ग पर शीघ्र सड़क व नाली निर्माण करवाया जाए जिससे यहां से गुजरने वाले शहरवासियों, श्रद्धालुओं, जायरीनों, पर्यटकों व राहगीरों को राहत मिल सके।

**प्रो. वासुदेव देवनानी**

(अजमेर)